

FOR REFERENCE ONLY



उत्तर प्रदेश शासन

1989-90

के

आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र

-542

352.1252

UTT-A

ॐ : ० : ॐ

कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया

ॐ : ० : ॐ

लखनऊ

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

FOR REFERENCE ONLY



उत्तर प्रदेश शासन

1989-90

के

आय-व्ययक अनुमानों पर

स्मृति-पत्र

NIEPA DC



D04699

- 542

352.1252

UTT-11

Sub. National Systems Unn.
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sector 14, Connaught Place, New Delhi-110016
DOC. No. 4699
Date 29/6/89

$\frac{282}{62}$
 $\frac{334}{62}$

प्रास्ताविक टिप्पणी

1989-90 के आय-व्ययक सारहित्य में नीचे दिये हुए खण्ड सम्मिलित हैं:-

- खण्ड 1 -- वित्त मंत्री का आय-व्ययक भाषण,
- खण्ड 2 -- आय-व्ययक अनुमानों पर व्याख्यात्मक स्मृति-पत्र,
- खण्ड 3 -- 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें और उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां,
- खण्ड 4 -- 1989-90 की राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तिओं के व्योरेवार अनुमान,
- खण्ड 5 -- 1989-90 के व्यय के व्योरेवार अनुमान तथा
- खण्ड 6 -- उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की संख्या एवं वेतनमानों की अनुसूची ।

फाल्गुन माह 25, 1910 शक संभवत्

तदनुसार

14 फरवरी, 1989 ई०

विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख मंचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तर प्रदेश शासन

1989-90 के आय-व्ययक के सम्बन्ध में स्मृति-पत्र

विषय-सूची

वित्तीय विवरण-पत्र--	पृष्ठ संख्या
समेकित निधि की प्राप्तियों का विवरण-पत्र	1-5
समेकित निधि से व्यय	6-37
आ-कस्मिकता निधि तथा लोक खाता के अन्तर्गत प्राप्तियों और संबितरणों का विवरण-पत्र	38-59
1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों के व्यारे	61-100

वित्त सचिव का स्मृति-पत्र

राज्य की वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा--

1987-88 के वास्तविक आंकड़े	101-105
1988-89 के पुनरीक्षित अनुमान	106-110
1989-90 के आय-व्ययक अनुमान	111-115

व्याख्यात्मक टिप्पणियां--

1988-89 के पुनरीक्षित अनुमान-प्राप्तियां तथा व्यय	116-120
1989-90 के आय-व्ययक अनुमान-प्राप्तियां	121-156
1989-90 के व्यय -- अनुदान की मांगों में न्यूनताधिकताओं की व्यारेवार व्याख्यायें--	

भाग/क्रम-संख्या

1--आबकारी विभाग	157
2--प्रावास तथा नगर विकास विभाग (प्रावास)	158-159
3--प्रावास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	159-162
4--उद्योग विभाग (खानों और खनिज)	162-163
5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	163-165
6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	166-167
7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	168-169
8--उद्योग विभाग (लेखत-सामग्री और मुद्रण)	169-170
9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	171
10--ऊर्जा विभाग	172-173
11--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)	173-174
12--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	175-176
13--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	177-178
14--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	178-179
15--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	179-180
16--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	180-181
17--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	182
18--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (सहकारिता)	182-184
19--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	184-185
20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	185-186
21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	186-187
22--वाह नया रसद विभाग	187-189
23--खेल विभाग	189-190

विवरण	पृष्ठ संख्या
24--गन्ना विकासविभाग (गन्ना)	191
25--गन्ना विकासविभाग (चीनी उद्योग)	192-193
26--गृह विभाग (कारागार)	193-194
27--गृह विभाग (पुलिस)	195-196
28--गृह विभाग (राजनैतिक पेशन तथा अन्य व्यय)	196-197
29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	197-198
30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	198
*31--गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	199
32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	200-201
33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	202
34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	203
35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	204-205
36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	206
37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	207-208
38--नागरिक उद्ब्यन विभाग	208-209
39--नियुक्ति विभाग	209-210
40--नियोजन विभाग	210-211
41--निर्वाचन विभाग	211-212
42--न्याय विभाग	212-214
43--परिवहन विभाग	215
44--पर्यटन विभाग	216
45--प्रशासनिक सुधार विभाग	217
46--प्राविधिक शिक्षा विभाग	217-219
47--पर्वतीय विकास विभाग	220-224
48--मुस्लिम वक्फ विभाग	225
49--राजस्व विभाग (ज़िला प्रशासन)	225-227
50--राजस्व विभाग (प्रकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)	227-228
51--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	228-231
52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	232-233
53--वन विभाग	233-235
54--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	236-237
55--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशने)	237
56--वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन)	238-239
57--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	239-240
58--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	240-241
59--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	241-242
60--विधान परिषद सचिवालय	242
61--विधान सभा सचिवालय	243
62--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	244
63--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	244-245
64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	245-246
65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	247-251
66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	252-255

विवरण	पृष्ठ-संख्या
67—शिक्षा विभाग (प्रौढ शिक्षा)	255-256
68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	256-257
69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	258-259
70—श्रम विभाग (सेवायोजन)	259-260
71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	260-261
72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	262
73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	262
74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	262
75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	263
75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	263
76—सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	264
77—सिचाई विभाग (निर्माण कार्य)	265-266
78—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	266-267
79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	267-268
80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	268
81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	269-270
82—सचिवालय प्रशासन विभाग	270-271
83—सूचना विभाग	272
84—सहायता एवं पुनर्वसन विभाग	273-274
85—सांस्कृतिक कार्य विभाग	274-275
86—सामान्य प्रशासन विभाग	275-276
87—सार्वजनिक उद्यम विभाग	276
88—सूचना विभाग	277-278
89—सैनिक कल्याण विभाग	279
90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	280
91—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	38
92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन-जाति कल्याण)	281
विभिन्न सरकारी देयों के बकायों का विवरण-पत्र—	
परिशिष्ट (क) कर तथा करेतर राजस्व देयों के बकायों	(1)-(3)
परिशिष्ट (ख) ऋणों के बकाया की स्थिति जिसका लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाता है	(4)-(5)
परिशिष्ट (ग) ऋणों के बकाया की स्थिति जिसका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है	(6)-(19)
नत्थियां—	
नत्थी 1—विवरण-पत्र जिसमें राज्य की कुल ऋण प्रस्तुता दिखायी गयी है	(20)-(23)
नत्थी 2—विवरण-पत्र जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अभिनों की अदत्त शेष धनराशियां दिखाई गई है	(24)-(25)
नत्थी 3—विवरण-पत्र जिसमें विभिन्न रक्षित और ऋण शोधन निधियों की शेष धनराशियां दिखायी गयी है	(26)-(27)
नत्थी 4—विवरण-पत्र जिसमें व्याज सम्बन्धी भुगतानों का विश्लेषण किया गया है	(28)
नत्थी 5—विवरण-पत्र जिसमें व्याज सम्बन्धी प्राप्तिओं का विश्लेषण किया गया है	(29)
नत्थी 6—विवरण-पत्र जिसमें स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता दिखाई गई है	(30)-(31)
नत्थी 7—विवरण-पत्र जिसमें विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सहायक अनुदानों के रूप में स्वीकृत की गई धनराशियां दिखाई गई है।	(32)-(45)
नत्थी 8—वाणिज्यिक विभागों के वित्तीय परिणाम (सिचाई)	(46)-(47)
नत्थी 9—राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	(48)-(52)

1989-90

उत्तर प्रदेश राज्य

की

समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फण्ड)

आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फण्ड)

तथा

लोक-लेखा (पब्लिक एकाउन्ट)

की

प्राप्तियों और व्यय

के

विवरण-पत्र

राजस्व लेखों की प्राप्तियों का विवरण

(हजार रुपये में)

प्राप्ति शीर्षक	वास्तविक आंकड़े 1987-88	प्राय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	प्राय-व्ययक अनुमान 1989-90
समेकित निधि—				
प्राप्ति शीर्षक राजस्व लेखा				
क) कर राजस्व—				
अ) आय और व्यय पर कर—				
0021—निगम कर से भिन्न आय पर कर ..	4,61,65,73	4,72,21,00	4,94,26,00	5,25,92,00
0028—प्राय और व्यय पर अन्य कर ..	1,60	5,00	5,00	5,00
योग, (क) ..	4,61,67,33	4,72,26,00	4,94,31,00	5,25,97,00
ख) सम्पत्ति और पूजीगत लेन देनों पर कर—				
0029—भू-राजस्व ..	35,75,47	29,99,73	29,99,73	29,99,73
0030—स्टाम्प और पंजीकरण ..	2,50,32,48	2,00,00,00	2,31,76,23	2,61,54,18
0031—सम्पदा शुल्क ..	94,61	70	70	70
0035—कृषि भूमि से निम्न प्राप्त सम्पत्ति पर कर ..	13,04	70	70	70
योग, (ख) ..	2,87,15,60	2,30,00,43	2,61,76,66	2,91,54,61
ग) वस्तुओं और सेवाओं पर कर—				
0039—राज्य उत्पाद शुल्क ..	4,94,15,39	3,45,50,13	3,90,50,62	4,28,18,92
0040—बिक्री कर ..	9,54,03,29	10,23,53,05	10,28,81,21	11,71,83,11
0041—वाहनों पर कर ..	51,12,00	55,22,32	72,02,00	79,02,00
0042—माच और यात्रियों पर कर ..	1,08,22,73	1,12,32,00	1,21,37,77	1,35,21,03
0043—मिजली पर कर और शुल्क ..	41,77,85	40,02,00	40,17,00	42,72,00
0045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क ..	53,12,23	65,22,53	65,44,53	60,44,53
योग, (ग) ..	17,02,43,49	16,41,82,03	17,18,33,13	19,17,41,59
योग—क ..	24,51,26,42	23,44,08,46	24,74,40,79	27,34,93,20
ख) कर-भिन्न राजस्व—				
0047—अन्य प्राथिक सेवायें ..	6			
क) वित्तीय सेवायें—				
ख) ब्याज प्राप्ति—				
0049—ब्याज प्राप्ति ..	2,95,57,87	1,91,98,18	2,19,68,10	3,06,43,42
0050—साधारण और लाभ ..	3,56,25	34,92,74	17,08,19	13,20,51
योग, (ख) ..	2,99,14,12	2,26,90,92	2,36,76,29	3,19,63,93

राजस्व लेखों की प्राप्तियों का विवरण— (क्रमशः)

(हजार रुपये)

प्राप्ति शीर्षक	वास्तविक अंकड़े 1987-88	आय-अध्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीकृत अनुमान 1988-89	आय- अनुमान 1989
(ग) अन्य कर-भिन्न राजस्व—				
(I) सामान्य सेवायें—				
0051—लोक सेवा आयोग ..	1,11,70	80,40	81,90	81,90
0055—पुलिस ..	9,04,85	14,41,01	14,41,01	18,61,01
0056—जेलें ..	2,31,89	2,10,72	2,10,72	3,91,72
0058—लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	3,70,24	5,22,45	5,22,45	4,22,45
0059—लोक निर्माण ..	7,21,78	7,18,75	7,18,70	7,21,70
0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें ..	11,21,82	9,91,52	12,18,44	16,71,44
0071—पेंशनों और अन्य सेवा- निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां ..	2,81,14	62,20	67,75	67,75
0075—विविध सामान्य सेवायें ..	66,59,72	70,07,01	73,61,77	1,27,01,77
योग, (I)	1,04,03,14	1,10,34,06	1,16,22,74	1,79,44,74
(II) सामाजिक सेवायें—				
0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति ..	21,01,78	25,79,73	26,85,57	30,16,57
0210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ..	14,93,49	11,41,30	10,29,40	10,91,40
0211—परिवार कल्याण ..	1,09,58	13,01	13,01	13,01
0215—जल पूर्ति और सफाई ..	4,26	2	2	2
0216—आवासन ..	1,76,15	2,35,30	2,35,30	2,41,30
0217—नगर विकास ..	13,65	8,75	21,09	13,65
0220—सूचना और प्रचार ..	15,35	16,83	16,85	16,85
0230—श्रम और नियोजन ..	3,99,96	3,16,34	3,16,33	3,15,33
0235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ..	1,66,71	57,01	2,05,01	1,16,01
0250—अन्य सामाजिक सेवायें ..	3,30,58	76,10	76,10	16,76,10
योग, (II)	48,11,51	44,44,39	45,98,68	48,52,68

राजस्व लेखों की प्राप्तियों का विवरण—(ममाप्त)

(हजार रुपयों में)

प्राप्ति शीर्षक	वास्तविक श्रीकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
(III) आर्थिक सेवाएँ				
0401—कृषि कार्य	9,72,23	7,44,03	8,58,12	9,25,96
0403—पर्यावरण	2,87,60	3,49,08	3,49,08	4,15,78
0404—बेरी विकास	9,08	1,35	1,35	2,50
0405—मीन उद्योग	1,07,62	60,99	61,00	64,00
0406—शान्ति और वन्य जीवन	1,00,80,01	73,29,08	71,51,90	73,24,00
0425—सहकारिता	2,37,42	4,23,55	4,23,56	4,35,01
0435—ग्राम्य कृषि कार्यक्रम	13,05	1,45,00	1,45,00	1,50,00
0506—भूमि सुधार	9
0515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,66,13	1,00,65	1,00,65	1,00,65
0551—पहाड़ी क्षेत्र	1,19,73	45,49	44,86	44,86
0575—ग्राम्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	16,77
0701—बृहद और मध्यम सिंचाई	17,16,08	72,02,00	51,06,00	68,78,10
0702—लघु सिंचाई	11,60,13	11,45,00	9,94,00	11,21,90
0801—ऊर्जा	2,08
0810—ऊर्जा के गैर पारस्परिक स्रोत	71,50
0851—प्राज्ञोद्योग और लघु उद्योग	92,46	14,05	66,60	66,60
0853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	7,70,56	8,50,00	8,50,00	11,00,00
0875—अन्य उद्योग	5,39,92	12,85	12,25	9,25
1053—नावर विमानन	14,81	10,00	10,00	10,00
1054—सड़क और पुल	7,74,40	7,01,10	7,51,10	7,71,10
1055—सड़क परिवहन	6,09	2,00	2,00	2,00
1452—पर्यटन	1,81,41	94,35	94,35	94,35
1456—नागरिक पूर्ति	1,13,74	1,31,25	1,31,25	1,33,45
1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3,28,81	1,70,45	1,70,00	1,78,05
योग, (III)	1,80,10,22	1,96,03,77	1,73,23,07	1,98,27,56
योग, (ग)	3,32,24,87	3,50,82,22	3,35,44,49	4,26,20,31
योग, ख	6,31,39,05	5,77,73,14	5,72,20,78	7,45,84,24
घ—सहायक अनुदान और अंशदान—				
1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	9,25,09,27	10,28,31,91	11,42,08,27	11,95,32,61
1603—संघ उत्पाद बूटों में राज्यों का हिस्सा	13,24,18,66	12,23,55,00	12,86,84,00	14,83,90,00
योग, ग	22,49,27,93	22,51,86,91	24,28,92,27	26,79,22,61
कुल योग; राजस्व प्राप्ति	53,31,93,40	51,73,78,51	54,75,53,84	61,60,00,05

पूँजी लेखों की प्राप्ति

(हजार घ)

प्राप्ति शीर्षक	वस्तुविक्रम श्रीकड़े 1987-88	प्राय-व्यय अनुमान 1988-89	पुनर्निर्मित अनुमान 1988-89	प्राय- अनुमान 1988-89
प्राप्ति शीर्षक पूँजी लेखा				
(ड) लोक ऋण				
6003--राज्य सरकार का प्रायत्तरिक ऋण				
101--व्याज बाजार उधार	3,25,72,20	3,79,01,00	3,81,05,00	4,27,00
103--भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	..	9,60,00	9,60,00	10,30
104--भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार	1,60,00	2,50,00	2,50,00	3,60
105--भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से उधार	3,49,81	2,50,00	18,00,00	20,00
106--प्रतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	..	5	5	..
107--भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से उधार	29,00,00	56,73,70	57,00,00	35,00
108--राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार	18,66,18	7,80,00	13,92,58	12,60
109--अन्य संस्थानों से उधार	..	3,00,00	3,00,00	3,00
110--भारतीय रिजर्व बैंक से त्रयीपाय पेशगियां	8,29,19,24	10,00,00,00	10,00,00,00	10,00,00
योग--6003 ..	12,07,67,43	14,61,14,75	14,85,07,63	15,11,50
6004--केंद्रीय सरकार से उधार और अग्रिम--				
01--आयोजना भिन्न उधार--				
101--साधनों की कमी को पूरा करने के लिए उधार
102--अल्प बचत संग्रह का हिस्सा	4,83,63,00	6,00,00,00	6,00,00,00	7,00,00
201--गृह निर्माण अग्रिम	64,03	70,00	1,28,68	1,00
800--अन्य उधार	48,30,93	61,22,02	59,14,22	61,20
योग--01 ..	5,32,57,96	6,61,92,02	6,60,42,90	7,62,20
02--राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	5,93,94,20	8,31,74,00	9,09,92,00	11,32,10
03--केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	7,52,09	9,51,40	8,27,29	9,10
04--केंद्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	10,73,72	15,59,28	11,81,09	12,90
06--अर्थापय अग्रिम	49,43,31
06--1984-85 से पहले के उधार
योग--6004 ..	11,94,21,28	15,18,76,70	15,90,43,28	19,16,43
कुल योग--लोक ऋण ..	24,01,88,71	29,79,91,45	30,75,50,91	34,27,95

पूँजी लेखों की प्राप्ति का विवरण— (समाप्त)

(हजार रुपयों में)

शालियाँ	वास्तविक आंकड़े 1987-88	अपेक्षित अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	अपेक्षित अनुमान 1989-90
च--उधार और अग्रिम--				
6202--शिक्षा, खेल कला और संस्कृति के लिये उधार	5,33	10,00	10,00	6,00
6215--जलपूर्ति और सफाई के लिये उधार	(-)14,40	7,01	7,01	..
6216--आवास के लिये उधार	8,19,37	94,95	95,05	2,05
6217--नगर विकास के लिये उधार	1,11,81	19,75	19,75	..
6220--सूचना तथा प्रचार के लिये उधार	..	5,00	5,00	..
6225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये उधार	11,45
6235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये उधार	3	62	..	51
6250--अन्य सामाजिक सेवाओं के लिये उधार	58,25	50,00	50,00	40
6401--कृषि कार्य के लिये उधार	.. 22,06,26	43,28,53	44,31,60	23,54,68
6402--भू और जल संरक्षण के लिये उधार	(-)3,73,10	10,00	10,00	..
6403--पशुपालन के लिये उधार	.. 2	1,05	1,05	60
6404--हरी विकास के लिये उधार	(-)10,45,91	60	60	60
6405--मीन उद्योग के लिये उधार	.. 1	10	10	..
6406--वानिकी और वन्य जीवन के लिये उधार	.. 67	70	70	60
6408--खाद्य, भंडारण तथा भण्डारण के लिये उधार	(-)9,91,07	16,05	8,00	8,20
6425--सहकारिता के लिये उधार	.. 1,06,85,71	30,20,61	20,87,39	9,55,50
6506--भूमि सुधार के लिये उधार	.. 1,45
6515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये उधार	.. 21	7,50	7,50	..
6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार	.. 30,93	69,79	69,79	15,90
6702--लघु सिंचाई के लिये उधार	.. 7,80	3,00	3,00	..
6705--कमान क्षेत्र विकास के लिये उधार	.. 1,39,77	3,00	3,00	..
6801--विद्युत् परियोजनाओं के लिये उधार	(-)25,47,00	2	2	2
6851--ग्रामीणों और लघु उद्योगों के लिये उधार	.. 1,17,74	1,03,20	67,65	2,00,10
6858--इन्जीनियरिंग उद्योगों के लिये उधार	.. 6,00
6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार	.. (-)88,22	71,00	71,00	..
6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	.. 4,57,32	2,81,04	2,81,04	2,81,04
7610--सरकारी सेवकों आदिको उधार	.. 6,90,86	6,60,64	6,88,64	8,80,36
7615--विविध उधार	.. 11,16	86,01	59,63	..
कुल योग, उधार और अग्रिम	1,03,02,45	88,50,17	79,77,52	47,06,56
आकस्मिकता निधि से विनियोग--				
7999--आकस्मिकता निधि में विनियोग 2,00,00,00	..
योग--1 समेकित निधि	78,36,84,56	82,42,10,13	88,30,82,27	96,35,02,26

राजस्व लेखों का व्यय

(हजार रुपये में)

व्यय शीर्षक	अनुदान/ क्रम-संख्या	वास्तविक प्राप्ति 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीकृत अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
		प्रायोजनागत	आयोजनेतर	प्रायोजनागत	आयोजनेतर	प्रायोजनागत	आयोजनेतर	प्रायोजनागत	आयोजनेतर	
1—समेकित निधि—										
क—सामान्य सेवाएँ—										
(क) राज्य के शंग—										
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	60	..	1,21,64	..	1,67,65	..	1,46,04	..	1,74,08	
	61	..	5,44,91	..	6,21,92	..	6,22,47	..	6,57,84	
	योग; 2011	..	6,66,55	..	7,89,57	..	7,68,51	..	8,31,92	
2012—राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन	31	..	55,42	..	59,92	..	72,00	..	70,79	
	12	..	10	..	10	..	10	..	10	
	13	..	35	..	35	..	35	..	35	
	15	10	..	10	..	10	
	18	10	..	10	..	10	
	23	..	3	..	10	..	10	..	10	
	27	..	43	..	50	..	50	..	50	
	32	..	1,27	..	2,01	..	2,01	..	2,01	
	47	..	35	..	35	..	35	..	35	
	2013—मैत्री-परिषद्	58	1,00	..	1,00	..	1,00
		64	..	38	..	50	..	50	..	50
65		..	4,07	..	1,00	..	1,00	..	1,00	
82		..	2,49,63	..	1,40,23	..	2,72,91	..	2,23,53	
85		..	30	..	30	..	30	..	30	
88		15	..	15	..	15	
91	..	35	..	35	..	35	..	35		

	योग, 2013	2,57,26	..	1,47,14	..	2,79,82	..	2,30,44				
2014-आय प्रशासन	20	..	26,28	..	27,29	..	32,90				
				28	..	2,82,90	..	4,51,94	..	4,97,31				
				42	..	36,75,50	..	42,36,36	..	46,69,78				
	योग, 2014	39,84,68	..	47,15,59	..	46,58,20	..	51,99,99				
2015-निर्वाचन	41	..	3,68,74	..	2,83,71	..	5,21,38	..	11,11,08			
	योग, (क)	53,32,65	..	59,95,93	..	62,99,91	..	74,44,22				
(ख) कोषीय सेवायें--														
(I) आय और व्यय पर करों का संग्रह--														
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रह	79				
(II) सम्पत्ति और पूंजीगत खेन-वेनों पर करों का संग्रह--														
2020-मू-राजस्व	2	..	9,65	..	9,35	..	10,53				
				51	23,78,40	81,87,74	24,02,10	88,43,41	24,02,10	88,43,69	28,15,19	1,09,49,0 ³		
	योग, 2020	23,78,40	..	81,97,39	..	24,02,10	..	88,52,76	24,02,10	88,53,04	28,15,19	1,09,59,56
2030-स्टाम्प और पंजीकरण	81	..	4,02,53	..	5,05,02	..	5,70,84	..	5,71,83			
	योग, (II)	23,78,40	..	85,99,92	..	24,02,10	..	93,57,78	24,02,10	94,23,88	28,15,19	1,15,31,39

राजस्व लेखों का व्यय--(रुपयः)

(हजार रुपये में)

व्यय शीर्षक	अनुदान/ कम-संख्या	वास्तविक प्रांकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीक्षित अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
		प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	
(III) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रह--										
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	1	..	4,76,70	..	5,09,60	..	5,11,97	..	5,49,10	
2040-चिन्ही-कर	1 25 79	..	1,17	..	1,40	..	1,40	..	1,50	
		..	15,57,82	..	16,06,48	..	17,82,55	..	21,55,21	
		..	23,78,85	..	26,68,75	..	29,84,68	..	34,45,37	
योग, 2040	39,37,84	..	42,76,63	..	47,68,63	..	56,02,08	
2041-वाहनों पर कर	43	57,44	28,20,71	1,34,02	28,41,03	1,34,02	28,41,99	54,83	40,11,69	
2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	10 43 80	..	90,89	..	1,15,08	..	1,20,43	..	1,51,26	
		..	1,15,69	..	1,29,68	..	1,29,68	..	1,49,63	
		..	4,51,96	..	1,21,50	..	1,21,50	..	1,28,05	
योग, 2045	6,58,54	..	3,66,26	..	3,71,61	..	4,28,94	
योग, (III)	57,44	78,93,79	1,34,02	79,93,52	1,34,02	84,94,20	54,83	1,05,91,81	
(IV) अन्य राजस्वीय सेवाएँ--										
2047-अन्य राजस्वीय सेवाएँ	58	1,06,86	7,9,02	3,15,98	1,45,35	3,04,32	1,45,31	3,17,81	1,63,54	
योग, (ख)	25,42,70	1,65,72,73	28,52,10	1,74,96,65	28,40,44	1,80,63,39	31,87,83	2,22,86,74	

{ 51 .. 4,71 .. 4,71 .. 4,71 .. 4,71

{ 54 .. 1,03,40,54 .. 1,21,40,46 .. 1,21,40,46 .. 1,36,81,55

योग, 2048

.. 1,03,45,25 . 1,21,45,17 .. 1,21,45,17 .. 1,36,86,26

{ 2 .. 5,19,09 .. 8,44,25 .. 8,44,25 .. 9,30,00

6 .. 3,56 .. 5,70 .. 3,60 .. 6,64

7 .. 1,40,97 .. 1,44,90 .. 1,31,59 .. 1,29,55

16 .. 3,60 .. 3,00 .. 3,00 .. 2,40

18 .. 5,25,81 .. 6,56,72 .. 10,00,52 .. 9,77,59

22 4,43,39 .. 3,24,95 .. 2,09,22

2049-व्याज संदाय

24 .. 1,24 .. 1,50 .. 87 .. 60

25 .. 1,47,35 .. 1,30,98 .. 1,30,98 .. 1,16,90

27 .. 50,86 .. 50,75 .. 50,75 .. 46,54

46 30,00 .. 30,00 .. 60,00

47 .. 24,99 .. 25,00 .. 23,68 .. 24,00

48 .. 2,46 2,73

50 .. 4,18 .. 14,35 .. 14,35 .. 12,53

51 .. 1,09,76 .. 1,51,76 .. 1,51,76 .. 1,51,76

{ 54 .. 6,61,66,98 .. 7,51,67,42 .. 7,68,27,11 .. 9,85,65,41

राजस्व सेवा का व्यय—(कमरा)

(हजार रुपयों में)

व्यय शीर्षक	अनुदान/ क्रम-संख्या	वास्तविक प्रांकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीकृत अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
		20 40—भ्याज संवाह	55	1,00	..	1,00
	58	..	1	..	1	..	1	..	1
	59	..	12,06,73	..	14,65,87	..	14,65,87	..	16,89,69
	64	..	11,94	..	15,84	..	15,84	..	55,84
	65	..	2,50,39	..	6,33,60	..	6,33,60	..	27,10,00
	66	..	1,59,18	..	11,00,00	..	11,00,00	..	38,33,00
	77	..	50,07	..	37,29	..	37,29	..	25,71
योग: 2040	6,93,79,17	..	8,09,23,33	..	8,27,91,02	..	10,95,50,12
योग (ग)	7,97,24,42	..	9,30,68,50	..	9,49,36,19	..	12,32,36,38
(घ) प्रशासनिक सेवार्थे									
2051—कोच सेवा खासिये	21	..	1,58,95	..	1,80,32	..	2,17,58	..	2,64,00
	3	..	21,75	..	25,93	..	25,93	..	30,78
	28	..	12,21	..	15,64	..	14,37	..	16,48
	42	..	2,58	..	2,17	..	2,39	..	2,58
	45	..	23,92	..	33,99	..	34,74	..	41,22
	50	90	..	90	..	90
2052—एचिवालय-सामान्य सेवार्थे	51	..	74,91	..	71,25	..	71,25	..	83,94
	54	..	5,81	30,00,00	2,70,06,95	..	6,95	4,00,00,00	16,00,05,53
	58	..	32,40	..	39,96	..	42,06	..	58,42
	75 क	4,53	..	5,00	..	5,71
	78	5,56	22,94	7,00	28,73	7,00	29,50

योग, 2052 ..	5,56	16,80,24	30,07,00	2,88,14,85	7,00	20,08,22	4,00,08,35	16,20,84,26
2053-बिना प्रशासन ..	3	97,98		5,44,70		5,47,30		83,05
	28			2,86		2,86		2,86
	30	32,68		30,00		35,00		30,00
	49	33,86,68		40,03,78		40,03,78		45,39,61
	86	5,00		5,01		7,01		6,01
योग, 2053 ..		35,22,34		45,86,35		45,95,95		46,61,53
2054-राजकोष और लेखा प्रशासन ..	56	7,24,09		8,12,82		8,19,67		8,43,72
	58	2,40,50		3,11,49		3,07,30		3,88,26
योग, 2054 ..		9,64,59		11,24,31		11,26,97		12,31,98
2055-पुलिस ..	27	3,28,40,49		3,64,52,12		3,70,87,74		4,13,82,47
2056-जैले ..	20	3,08,67	19,78,64	1,39,51	22,22,18	1,39,51	22,23,77	26,59,28
2058-वेहन सामग्री और मुद्रण ..	5							50,00
	8	86,18	14,33,66	99,00	16,07,38	99,00	16,07,38	1,13,73
	39					17,65		5,00
योग, 2058	86,18	14,33,66	99,00	16,07,38	1,16,65	16,07,38	1,18,73	17,63,98
2059-लोक विभाष ..	3				3		3	3
	61							1
	71	40	59,33,88	33	1,97,03	42	1,74,48	63
	72			2,36	5,20,71	2,95	5,25,77	4,41
योग, 2059 ..	40	59,33,88	2,69	7,17,77	3,37	7,00,28	5,04	9,84,42

राजस्व लेखे का व्यय -- (रुपयः)

(द्वार रुपयों में)

वर्ष की संख्या	वास्तविक प्रांकरे 1987-88		प्राथम्यिक अनुमान 1988-89		पुनरीक्षित अनुमान 1988-89		प्राथम्यिक अनुमान 1989-90	
	अनुमान/		अनुमान/		अनुमान/		अनुमान/	
	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/
अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/	अनुमान/
2	..	26,72	..	30,19	..	30,19	..	36,06
3	..	1,66	..	19	..	19	..	1
12	..	2,28	..	50	..	2,35	..	1
14	3,37,34	2,23,93	3,32,00	1,98,73	3,24,86	1,98,67	4,00,37	2,27,96
20	..	79,44	15,00	61,67	15,00	62,63	..	64,45
27	..	7,66,64	..	9,60,69	..	10,55,84	..	11,86,82
29	..	18,87,04	..	23,66,96	..	30,93,45	..	33,66,36
30	..	12,28	..	18,70	..	16,00	..	19,20
35	..	2,68	..	1	..	1,70	..	1
38	10,69	2,21,18	5,73	1,72,57	5,73	1,72,57	32,35	1,82,03
39	1	1,45	41	5,75	41	5,75	49	6,17
51	..	32	..	75	..	75	..	30
52	..	19,12	..	20,94	..	20,35	..	21,64
57	..	27,76	..	52,71	..	53,73	..	44,38
58	..	5,18	..	3,70	..	9,70	..	4,12
82	10,01	24,96	11,10	33,31	11,10	31,54	..	43,07
83	..	2,23,89	..	2,67,63	..	2,67,63	..	3,09,12
86	..	44	..	15	..	15	..	15
योग, 2070	..	3,58,06 35,26,97	3,64,24	41,95,15	3,57,10	50,23,19	4,33,21	55,11,86
योग (घ)	..	7,58,86 5,20,39,76	36,12,44	7,99,00,43	6,23,63	5,45,91,08	4,05,65,33	22,05,43,78

2070--सम्य प्रशासनिक सेवाये

(क) वेशन स्रोत विविध सामान्य सेवार्थे—

2071—वेशन स्रोत सेवा विविध साम	55	..	1,20,04,27	..	1,11,82,21	..	1,71,16,71	..	1,72,80,45
	7	1	..	1
	22	4,00	12,00	..	12,00	..	12,00	2,00	15,00
	48	..	3,49	..	2,60	..	2,60	..	4,38
	51	..	54,22	..	53,45	..	51,61	..	53,45
2075—विविध सामान्य सेवार्थे	54	2	..	2	..	2
	57	..	50,86,20	..	69,31,39	..	72,86,15	..	1,26,37,72
	82	..	80	..	1,00	..	1,00	..	1,00
	86	..	1,31	..	1,54	..	1,54	..	1,57
	89	1,50	1,90	1,50	7,95	1,50	9,55	1,50	2,30
योग, 2075	..	5,50	51,59,92	1,50	70,09,96	1,50	73,64,48	3,50	1,27,15,44
योग (ड)	..	5,50	1,71,64,19	1,50	1,81,92,17	1,50	2,44,81,19	3,50	2,99,95,89
योग, क	..	33,07,06	17,08,33,75	64,66,04	21,46,53,68	34,65,57	19,83,71,76	4,37,56,66	40,35,07,01

राजस्व लेखों का व्यय—(क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

व्यय शीर्षक	अनुदान/क्रम-संख्या	वास्तविक प्रॉरडे 1937-88		प्रायःभ्ययक अनुमान 1988-89		पुनरोक्षित अनुमान 1988-89		प्रायःभ्ययक अनुमान 1989-90		
		प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	प्रायोजनागत	प्रायोजनेतर	
ख—सामाजिक सेवार्ये										
(क) शिक्षा, खेल कूद कला और संस्कृति	39	
22 02—सामान्य शिक्षा	{ 45	50	..	50	..	40	
	52	1,26	53,07	..	48,76	..	65,46	..	55,46	
	64	2,22,60	75,24,12	2,11,20	92,81,65	5,74,73	94,79,01	5,02,35	1,02,94,24	
	65	6,61,97	3,52,21,08	5,49,14	3,72,35,94	19,81,49	3,97,25,61	11,37,80	4,36,00,36	
	66	34,23,79	4,22,29,02	38,66,29	4,98,22,68	63,25,38	5,45,34,70	1,19,85,29	5,70,38,27	
	67	9,14,39	..	12,73,65	..	12,58,99	..	17,48,90	..	
	68	40	2,65,56	36,18	1,90,83	3,54,38	1,90,83	3,88,64	2,14,10	
योग, 2202		52,24,41	8,52,92,85	59,41,46	9,65,80,36	1,04,94,97	10,39,96,11	1,57,62,98	11,12,02,83	
22 03—तकनीकी शिक्षा	..	{ 46	10,73,95	23,96,82	9,39,22	23,55,03	11,88,67	22,82,03	8,66,85	24,62,65
		74	4	..	4	..	4	..
योग, 2203			10,73,95	23,96,82	9,39,26	23,55,03	11,88,71	22,82,03	8,66,89	24,62,65
22 04—खेल और युवा कल्याण	..	{ 23	1,89,96	1,83,33	59,83	2,06,81	1,02,65	2,05,83	1,20,88	2,32,64
		64	26,15	32,14	50,02	93,60	50,02	90,69	5,49,02	93,60
		65	24,59	7,63,73	31,52	6,97,12	31,52	7,15,48	31,66	7,92,05
		66	2,13	2,13	2,12	25	2,12	25	2,11	25
योग, 2204			2,42,83	9,86,33	1,43,49	9,97,78	1,86,31	10,12,25	7,03,67	11,18,54
22 05—कला और संस्कृति	..	{ 65	36,34	54,99	55,07	55,51	55,07	55,51	62,37	58,29
		85	2,35,55	1,70,18	95,73	1,48,58	3,38,46	1,57,32	95,20	1,68,86
योग, 2205			2,71,89	2,25,17	1,50,80	2,04,09	3,93,53	2,12,83	1,57,57	2,27,15
योग (क)			68,13,03	8,89,01,17	71,75,01	10,01,37,26	1,22,63,52	10,75,03,22	1,74,91,11	11,50,11,17

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य परिवार	32	12,96,61	1,00,15,93	17,66,09	1,08,30,30	23,96,40	99,05,42	26,03,85	1,08,02,33
	33	2,20,06	16,39,34	3,52,70	16,96,00	3,46,90	17,13,18	4,55,42	18,10,66
	34	75,70	4,76,48	1,39,56	4,71,82	1,36,28	5,47,67	1,66,18	5,76,24
	35	36,15,83	30,59,71	36,31,01	34,09,39	44,02,88	34,26,18	22,79,36	36,02,04
	37	19,75,12	49,97,25	21,30,36	50,07,11	21,30,36	52,18,57	21,92,91	52,97,07
	69	1,32,53	7,68,04	1,37,11	8,64,05	93,89	7,37,47	1,25,40	7,86,88
	71	88	..	88	..	1,70	..
	74	12,01	..	6,02	..	6,02	..	11,56	..
योग, 2210	..	73,27,86	2,09,56,75	81,63,73	2,22,78,67	95,13,61	2,15,48,49	78,36,38	2,28,75,20
2211-परिवार कल्याण	36	98,40,58	..	92,53,83	..	95,57,19	..	72,19,81	..
	71	35,37	..	35,65	..	16,89	..
	74	6,01,68	..	2,38,20	..	2,40,16	..	1,13,82	..
योग, 2211	..	1,04,42,26	..	95,27,40	..	98,33,00	..	73,50,52	..
योग, (ख)	..	1,77,70,12	2,09,56,75	1,76,91,13	2,22,78,67	1,93,46,61	2,15,48,49	1,51,86,90	2,28,75,20

(ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास—

2215-जल पूर्ति और सफाई	3	83,45,57	23,16,83	1,17,81,50	23,69,98	1,20,93,50	23,77,83	1,08,82,50	20,21,51
	63	90,56	8,49	71,00	12,48	69,80	12,48	70,00	15,68
	71
योग, 2215	..	84,36,13	23,25,32	1,18,52,50	23,82,46	1,21,63,30	23,90,31	1,09,52,50	20,37,19
2216-आवास	2	9,53
	51	1,35	..	21,00	..	21,00	..	20,00	..
	71	1	1,41,32	1	1,24,27	1	1,67,50
	73	3,02	5,76,66	18	3,96,91	18	3,96,43	18	3,89,10
योग, 2216	..	13,90	5,76,66	21,19	5,38,23	21,19	5,20,70	20,19	5,56,60

व्यय शीर्षक	अनुदान/क्रम-संख्या	वस्तुनिक आंकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरोचित अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
		प्रायोजनागत	आयोजनेतर	प्रायोजनागत	आयोजनेतर	प्रायोजनागत	आयोजनेतर	प्रायोजनागत	आयोजनेतर	
2217—गाहरी विकास	..	{ 2	8,13,93	1,19,61	9,76,79	1,10,19	10,26,79	1,11,14	18,16,18	1,27,58
		{ 3	..	94,75	..	1,09,00	..	3,41,00	..	1,50,00
बोन, 2217			8,13,93	2,14,36	9,76,79	2,19,19	10,26,79	4,52,14	18,16,18	2,77,58
योग (ग)			92,63,96	31,16,34	1,28,50,48	31,39,88	1,32,11,28	33,63,15	1,27,88,87	28,71,37
(घ) सूचना और प्रसारण—		{ 82	50	..	50	..	50
2220—सूचना और प्रचार		{ 88	3,39,20	7,48,82	1,75,88	5,24,89	1,76,62	6,05,53	1,76,84	6,43,78
बोन, 2220	..		3,39,20	7,48,82	1,75,88	5,25,39	1,76,62	6,06,03	1,76,84	6,44,28
योग, (घ)			3,39,20	7,48,82	1,75,88	5,25,39	1,76,62	6,06,03	1,76,84	6,44,28
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—		{ 90	68,94,92	33,55,43	80,63,11	37,76,53	80,63,59	37,76,53	82,99,19	37,83,21
2225—अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		{ 92	2,46,36	81,23	1,56,50	91,31	1,61,22	91,31	1,64,77	96,80
बोन, 2225	..		71,41,28	34,36,66	82,19,61	38,67,84	82,24,81	38,67,84	84,63,96	38,80,01
योग, (ङ)			71,41,28	34,36,66	82,19,61	38,67,84	82,24,81	38,67,84	84,63,96	38,80,01
(च) धन और श्रमिक कल्याण—		18	5,00	22	5,00	22	..	23
		40
2230—सम प्रौढ़ रोजगार		69	11,95	9,00,44	73,79	8,71,28	73,89	8,71,28	33,07	9,88,79
		70	32,44,04	16,38,63	3,03,11	18,24,07	4,83,02	18,24,07	6,46,19	21,49,99
		75	12,45,31
		77	14,10,46	1,10,00
बोन, 2230	..		59,11,76	25,39,07	3,81,90	26,95,57	6,71,91	26,95,57	6,79,26	31,39,01
योग, (च)	..		59,11,76	25,39,07	3,81,90	26,95,57	6,71,91	26,95,57	6,79,26	31,39,01

3	3,00	..
6	1,00	..
8	..	1,00	..	1,25	..	1,25	1,25
10	1	..	3	1
11	1	..	1	1
12	1
13	1
14	1
15	1,00
16	1
17	..	24	..	1	..	1	1
18	1
19	4	..	4	4
20	12	..	12	12
21	..	7	..	30	..	30	30
22	1
23	1
24	..	1,70	..	1,50	..	1,50	1,50
25	1
26	1
27	..	1,27	..	5,02	..	9,02	9,02
28	..	9,87,50	..	10,30,20	..	10,30,20	10,30,20
29	..	1,98	..	70	..	8,85	6,70
30	1
31	1
32	15	..	15	15
33	1
34	1
35	1
36	1
37	10	..	10	10
38	1
39	1
40	1
41	1
42	..	23,04	..	25,84	..	26,68	29,21
43	..	50,63	..	62,51	..	62,51	75
44	1
45	1
46	1
47	1
50	..	1,00	2,02,14	10,00

2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ..

राजस्व लेखों का व्यय—(क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

व्यय-शीर्षक	अनुदान/ क्रम-संख्या	वास्तविक व्यय 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीकित अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
		51	..	7,26	..	7,63	..	7,63	..
54	..	2,72	..	3,00	..	5,00	..	5,00	
57	1	..	1	..	1	
58	..	2,50	..	3,52	..	3,57	..	4,02	
59	..	13,89	..	12,72	..	12,39	..	14,07	
60	20	..	20	..	20	
61	..	26	..	10	..	10	..	21	
63	1	
64	1	..	1	..	1	
65	1	..	1,01	..	3,50	
66	1	..	1	..	1	
67	1	
68	1	
69	..	8,61,35	..	10,53,55	..	10,53,55	..	18,11,09	
70	1	..	1	..	1	
82	..	34	..	4,00	..	4,00	..	4,00	
83	1	..	1	..	1	
84	..	20,94	..	50,89	..	50,89	..	52,83	
86	..	5,00	
88	1	..	1	..	1	
89	6,10	1,67,11	..	1,13,28	..	1,13,49	..	1,68,80	
91	26,73,39	13,38,21	51,76,40	7,09,54	51,38,48	7,10,94	60,74,44	8,17,58	
योग, 2235	..	26,79,49	34,89,01	51,76,40	30,86,26	51,38,48	33,05,74	60,81,19	40,42,84

2245--दीर्घ विपत्तियों के सम्बन्ध में रहित ..

3	..	89,18	1,79,00
6	..	2,61
13	..	24,45
12	..	1,70,37
14	..	2,60
15	..	50,99
18
37	..	1,48,49	50,00
50	..	17,01,87	..	16,25,00	..	18,25,00	..	28,62,50
64	..	2,70
65	..	16,59
66	27,00
71	6,00,00
72	..	5,42	30,00
75	..	3,10,50	10,00,00
77	..	6,00	56,00
90	..	9,92
91	..	2,72,10

योग, 2245	..	28,13,79	..	16,25,00	27,00	37,40,00	..	28,62,50	
योग, (छ)	..	26,79,49	63,01,80	51,76,40	47,11,26	51,65,48	70,45,74	60,81,19	69,05,34

2251--(ब) अन्य-
सचिवालय-सामाजिक सेवार्थे

27	..	24,20	..	28,42	..	28,42	..	40,42
28	..	2,23,74	..	34,54	..	34,54	..	36,14
52	..	61	..	97	..	55	..	74
82	..	2,62,00	..	3,17,85	..	3,25,00	..	3,35,00

योग, 2251	..	5,10,55	..	3,81,78	..	3,88,51	..	4,12,30
-----------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

2252--अन्य सामाजिक सेवार्थे

28	..	1,50,00
48	..	29,34	..	32,45	..	32,45	..	35,28
53	1	..	1	..	1
86	25,12	13,63	..	15,65	..	18,80	..	6,80

योग, 2252	..	25,12	1,92,97	..	48,11	..	51,26	..	4,20,09
-----------	----	-------	---------	----	-------	----	-------	----	---------

योग, (ब)	..	25,12	7,03,52	..	4,29,89	..	4,39,77	..	4,54,39
----------	----	-------	---------	----	---------	----	---------	----	---------

योग	..	4,99,44,01	12,67,04,13	5,16,70,41	13,77,85,76	5,90,60,23	14,70,69,81	6,08,68,13	15,57,80,77
-----	----	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

व्यय-शीर्षक	अनुदान/	वास्तविक आकड़े		आय-व्यय अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		आय-व्यय अनुमान					
		1987-88	1988-89	1988-89	1988-89	1988-89	1989-90	1989-90					
	क्रम-संख्या	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर				
ग-आर्थिक सेवाएँ													
(क) कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप—													
2401—कृषि कार्य	11	6,52,33	9,68,96	5,12,59	10,01,32	5,50,64	10,05,44	6,00,83	10,58,77	
					12	48,05,40	30,46,64	31,56,09	34,43,23	45,89,79	31,95,86	61,77,93	35,04,61
					18	..	32,50	..	48,11	..	48,11	3,26,96	53,99
					24	3,40,09	9,14,28	3,43,83	10,35,59	3,43,83	10,35,63	3,41,40	11,27,01
					25	..	1,24,37	..	1,49,08	..	1,49,08	..	1,49,25
योग, 2401	57,97,82	50,86,75	40,12,51	56,77,33	54,84,26	54,34,12	74,47,12	58,93,63		
2402—मृ और जल संरक्षण	12	26,66,84	3,93,60	36,14,66	2,98,43	36,05,53	3,07,29	39,02,07	3,27,24	
					40	4,00	..	5,50	..	10,00	..
योग, 2402	26,66,84	3,93,60	36,18,66	2,98,43	36,11,03	3,07,29	39,12,07	3,27,24		
2403—पशुपालन	15	8,44,40	29,14,06	6,18,52	26,75,58	9,57,04	26,22,46	9,58,62	31,62,10	
					74	1	..	1	..	1	..
योग, 2403	8,44,40	29,14,06	6,18,53	26,75,58	9,57,05	26,22,46	9,58,63	31,62,10		
2404—डेरी विकास	16	1,94,59	1,37,23	3,50,26	1,42,42	3,50,91	1,42,97	1,57,95	1,64,14	
2405—मीन उद्योग	17	2,91,91	2,22,91	56,01	2,28,92	1,39,57	2,28,82	4,21,06	2,53,02	
					74	2	..	2	..	2	..
योग, 2405	2,91,91	2,22,91	56,03	2,28,92	1,39,59	2,28,82	4,21,08	2,53,02		
2406—बानिकी और वन्य जीवन	11	1,55,25	..	1,64,63	..	1,63,01	
					53	31,86,67	26,32,59	44,21,55	25,54,88	44,25,06	25,54,88	42,05,55	27,94,30
योग, 2406	31,86,67	26,32,59	44,21,55	27,10,13	44,25,06	27,19,51	42,05,55	29,57,21		

2407—वागान	3,69,25	1,18,06	4,05,77	1,35,50	4,05,65	1,35,50	3,23,80	1,20,00	
2408—खाद्य, मण्डारण और मण्डागारण	..	{	12	44,19	
			22	..	14,93,74	..	15,52,45	..	15,52,45	17,82,50	
			24	1,45	..	2,00	..	2,00	..	5,00	
योग, 2408	45,64	14,93,74	2,00	15,52,45	2,00	15,52,45	5,00	17,82,50	
2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा	..	{	11	1,82	99,09	2,00	1,04,16	2,00	1,01,68	2,15	1,17,77
			12	5,05,95	13,42,37	4,32,00	13,33,07	6,22,80	13,33,30	5,64,20	13,57,30
			24	72,00	1,28,39	42,00	86,86	1,03,21	87,65	50,00	87,54
			53	14,92	..	12,00	..	12,00	..	12,00	..
योग, 2415	5,94,69	15,69,85	4,88,00	15,24,09	7,40,01	15,22,63	6,28,35	15,62,61	
2425—सहकारिता	..	{	5	..	3,81	..	2,34	..	2,39	..	2,78
			18	5,44,58	5,90,91	9,10,11	6,26,56	9,73,75	6,41,56	2,42,77	6,79,47
			58	52,72	5,43,69	87,00	6,14,57	87,00	6,58,44	90,00	7,53,07
			5,97,30	11,38,41	9,97,11	12,43,47	10,60,75	13,02,39	3,32,77	14,35,32	
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम	..	{	11	..	3,24	..	1,93	..	1,90	..	2,19
			12	45,48	1,27,78	1,41,83	1,64,16	1,06,33	1,59,64	1,07,21	1,65,68
योग, 2435	45,48	1,31,02	1,41,83	1,66,09	1,06,33	1,61,54	1,07,21	1,67,87	
योग, (क)	1,46,34,59	1,58,38,22	1,51,12,25	1,63,54,41	1,72,82,64	1,61,29,68	1,84,99,53	1,78,25,74	
(ख) ग्रामीण विकास											
2501—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	..	{	13	92,58,29	..	81,70,00	..	1,19,43,00	..	1,47,70,24	..
			19	1,66,18	..	8,55,00	..	8,55,00	..	9,16,00	..
योग, 2501	94,24,47	..	90,25,00	..	1,27,98,00	..	1,56,86,24	..	

पूरी सेवा का व्यय—(रुपयः)

(हजार रुपयों में)

व्यय-शीर्षक	अनुदान/क्रम-संख्या	वास्तविक आंकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीक्षित अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	
2505—ग्रामीण रोजगार	13	1,94,44,91	2,19,20,00	3,11,51,76	2,90,82,00					
2506—मृमि सुधार	51	1,37,24	90,89	90,89	96,20					
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13	25,96,14	58,38,10	29,99,53	58,73,25	30,54,24	58,73,25	54,30,98	70,04,20	
		14	4,22,42	30,15,70	5,76,28	22,16,54	5,75,21	22,16,54	7,51,25	21,32,81
		40	62,99	41,09	51,00	55,22	55,04	55,22	63,55	59,69
योग, 2515		30,81,55	88,94,89	36,26,81	81,45,01	36,84,49	81,45,01	62,45,78	91,96,70	
योग, (ख)		3,20,88,17	88,94,89	3,46,62,70	81,45,01	4,77,25,14	81,45,01	5,11,10,22	91,96,70	
1 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम—										
2551—पहाड़ी क्षेत्र	47	1,24,64,61	1,31,84,88	1,62,60,81	1,53,85,39					
योग, (ग)		1,24,64,61	1,31,84,88	1,62,60,81	1,53,85,39					
(घ) सिंचाइ और बाढ़ नियंत्रण										
2701—बृहद और मध्यम सिंचाई	76	11,05	2,54,01,92	30,05,9	30,10,95	45,10,35				
				77	1,79,26,43	1,94,96,31	1,00,00	2,59,16,03		
योग, 2701		11,05	2,54,01,92	2,09,32,37	2,25,07,26	1,00,00	3,04,26,38			
2702—लघु सिंचाई	13	77,73	1,74,07,68	7,64,60	8,95,03	6,56,04	8,95,03	6,26,48	11,31,99	
				76	33,40,80	33,40,80	43,43,04			
				77	1,39,98,71	1,66,00,71	1,77,73,60			
योग, 2702		71,73	1,74,07,68	7,64,60	1,82,34,54	5,56,04	2,08,36,54	6,26,48	2,32,48,63	

2705--कमान क्षेत्र विकास	..	19	35,01,33	..	49,25,00	..	46,15,45	..	42,97,12	..
2711--बाड़ निपंत्रण	..	76	8,80,67	..	8,80,67	..	11,44,87
	..	77	93	19,26,99	..	12,80,00	..	12,80,00	..	9,51,00
योग, 2711	..		93	19,26,99	..	21,60,67	..	21,60,67	..	20,95,87
योग, (घ)	..		35,85,04	4,47,36,59	56,39,60	4,13,27,58	51,71,49	4,55,04,47	50,23,60	5,57,70,88
(ङ) ऊर्जा--										
2801--विद्युत्	..	10	..	27	..	95	..	92	..	1,12
योग, (ङ)	27	..	95	..	92	..	1,12
(च) उद्योग और खनिज--										
2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	..	5	18,95,13	3,03,35	20,19,20	3,22,22	20,41,83	3,22,22	21,16,22	3,70,08
	..	6	6,98,38	25,17,63	8,15,61	31,57,52	8,52,12	31,57,52	7,89,71	33,56,94
	..	11	5,60	16,97	6,79	13,02	15,54	12,23	10,93	14,38
	..	40	1,39	..	1,50	..	1,88	..	1,50	..
योग, 2851	..		26,00,50	28,37,95	28,43,10	34,92,76	29,11,37	34,91,97	29,18,36	37,41,40
2852--उद्योग	..	5	56,40	2,64,03	48,71	2,78,00	48,71	2,78,00	56,34	3,01,95
	..	6	..	7,07	..	5,35	..	5,35	..	6,06
	..	7	4,70	7	5,74	1	5,74	1	6,29	..
	..	25	..	1,09,20	..	1,29,14	..	1,29,14	..	1,36,23
योग, 2852	..		61,10	3,80,37	54,45	4,12,50	54,45	4,12,50	62,63	4,44,24
2853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	..	4	67,94	1,15,82	49,91	1,24,40	61,23	1,24,40	57,28	1,44,03
2855--उद्योगों और खनिजों पर राज्य परिव्यय	..	7	1,07,79	..	2,33,00	..	2,33,00	..	2,54,82	..
योग, (च)	..		28,37,33	33,34,14	31,80,46	40,29,66	32,60,05	40,28,87	32,93,09	43,29,67

राजस्व लेखों का व्यय—(समाप्त)

(हजार रुपये में)

व्यय शीर्षक	अनुदान/ क्रम-संख्या	वास्तविक आंकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीकृत अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	
(घ) परिवहन —										
3053--नागर विमानन	38	2,18	18,36	4,48	33,55	4,48	33,35	4,97	36,07
3054--सड़कों और पुल	3 14 71 75	2,11,85	..	8,05,05	..	3,11,85
			..	8,89,13	..	8,30,93	..	8,30,93	..	5,55,93
			26,44	32,57,46	23,66	31,39,55	15,04	38,72,80
			2,09,01	90,38,98	13,31,22	86,98,38	13,13,52	86,18,98	3,24,10	74,11,19
योग, 3054	..	2,09,01	99,28,11	13,57,66	1,29,98,62	13,37,18	1,33,94,51	3,39,14	1,21,51,77	
3055--सड़क परिवहन	28 43	..	6,75	..	30,00	..	30,00	..	30,00
			1,09	28,10	2,35	28,80	2,35	28,80	2,23	34,26
योग, 3055	..	1,09	34,85	2,35	58,80	2,35	58,80	2,23	64,26	
3056--अन्तर्देशीय जल परिवहन	43	1,55	..	1,88	..	1,88	..	2,09	..
योग, (घ)	..		2,13,83	99,81,32	13,66,37	1,30,90,97	13,45,89	1,34,86,66	3,48,43	1,22,52,10
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण--										
1425--अभ्य वैज्ञानिक अनुसंधान	63	4,44,73	82,99	1,62,00	74,09	1,81,93	75,73	1,69,76	89,10
योग, (झ)	..		4,44,76	82,99	1,62,00	74,09	1,81,93	75,73	1,69,76	89,10

(अ) सामान्य आर्थिक सेवाएँ—

		{ 7	1,00	..	1,00	..	1,00	..
3451—मिचिवाल्व आर्थिक सेवाएँ	..	40	1,67,73	53,71	1,70,08	80,50	1,70,07	79,45	2,03,30	87,73
		63	3,55,16	..	3,28,00	..	3,28,00	..	3,37,00	..
		82	1,07	3,42,16	1,50	3,95,60	1,50	4,00,00	1,50	4,52,50
योग, 3451	..		5,23,96	3,95,87	5,00,58	4,76,10	5,00,57	4,79,45	5,42,80	5,40,23
		{ 44	1,15,31	98,91	4,62	1,00,86	63,87	99,26	37,33	1,16,13
3452—पर्यटन	..	74	1	..	1	..	1	..
योग, 3452	..		1,15,31	98,91	4,63	1,00,86	63,88	99,26	37,34	1,16,13
3453—विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	..	9	81,60	1,63	11,00	2,20	26,00	2,20	45,78	2,22
		{ 40	1,14,99	2,95,26	1,29,58	3,73,00	1,29,58	3,73,00	1,60,82	4,09,30
3454—जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	..	51	..	10,49	..	11,61	..	11,61	..	16,37
योग, 3454	..		1,14,99	3,05,75	1,29,58	3,84,61	1,29,58	3,84,61	1,60,82	4,25,67
		{ 22	..	2,74,06	..	3,31,62	10,40	3,32,82	13,36	3,74,81
3456—नागरिकपुति	..	86	34	73	..	73	..	86
योग, 3456	..		34	2,74,06	..	3,32,35	10,40	3,33,55	13,36	3,75,67
		{ 2	..	1,05,59	..	1,19,75	..	1,19,75	..	1,26,53
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	..	22	25,84	1,53,31	29,16	1,80,23	29,16	1,81,34	36,48	2,01,74
		51	..	8,21	..	9,75	..	9,75	..	9,87
		68	..	37,06	..	40,35	..	40,35	..	43,86
		87	..	19,12	..	20,94	..	24,00	13,20	24,10
योग, 3475	..		25,84	3,23,29	29,16	3,71,02	29,16	3,75,19	49,68	4,06,10
योग (अ)	..		8,62,04	13,99,51	6,74,95	16,67,14	7,59,59	16,74,26	8,49,78	18,66,01
योग, ग	..		6,71,30,37	8,42,67,93	7,40,33,21	8,46,89,81	9,19,87,54	8,90,45,60	9,46,79,80	10,13,31,32

घ—सहायता अनुदान और भ्रंशदान—

3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को छतिपुति और समनुदान		{ 3	..	56,05,24	..	38,97,17	..	38,99,22	..	40,94,92
		14	..	1,97,99	..	1,65,99	..	1,65,99	..	1,65,99
		53	..	4,00	..	4,00	..	4,00	..	4,00
योग, 3604	58,07,23	..	40,67,16	..	40,69,21	..	42,64,91
योग, घ	58,07,23	..	40,67,16	..	40,69,21	..	42,64,91
योग, राजस्व व्यय	..		12,03,81,44	13,21,69,66	15,45,13,34	19,93,04,59
			38,76,13,04	44,11,96,41	43,85,56,38	66,48,84,01

पूंजी लेख का व्यय—पूंजीगत परिव्यय

(हजार रुपये में)

व्यय शीर्षक	अनुदान क्रम-संख्या	वार्षिक शीर्षक		आय-व्यय अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		आय-व्यय अनुमान	
		1987-88		1988-89		1988-89		1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
क—सामान्य सेवाओं का पूंजी खाता—									
1058—लेखन-सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय	8	21,26	..	35,08	5	35,00	5	20,00	5
	20	30,00	..	31,71	..	31,71
	21	39,96	..	20,00	..	20,00	..	8,00	..
	26	1,92,87	38,00	1,22,35	..	1,27,35	..	4,62	..
	27	6,60,43	..	5,25,20	..	6,98,15	..	2,91,54	..
	42	1,74,20
	43	9,77	..	63,00	..	63,00
	49	1,53,05	13,74	1,83,57	..	1,83,57	..	15,00,00	..
	51	28,94	..	52,90	..	52,90	..	62,00	..
1059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	56	1,30,21	40,12	..	3,00	..	29,89	28,07	3,00
	59	..	30
	70
	71	70,20	8,26	1,17,33	70,23	1,06,51	10,44	3,75,42	84,74
	72	8,46,12	6,69,57	3,10,88	1,62,46	7,18,21	1,80,94	20,48,86	1,66,11
	79	33,40	3,56	14,05	58,25
	81	12,00	12,00	..	10,00	..
योग 4059	..	23,81,15	7,73,55	14,26,94	2,36,69	20,27,45	2,79,52	43,28,51	2,53,85
1070—ग्रन्थ प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	27	90,00	..	29,77	29,77	..
	57	..	8,82
योग, 4070	..	90,00	8,82	29,77	29,77	..
योग, क	..	24,92,41	7,82,37	14,91,71	2,36,74	20,62,45	2,79,57	43,78,28	2,53,90
ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजी खाता—									
(क) शिक्षा खेल, कला और संस्कृति									
	23	71,49	68,40	..	1,52,63	..
	46	1,27,64	..	1,84,40	..	2,01,13	..	2,03,49	..
	65	10,93	..	17,00	..	69,38	..	1,17,49	..
	67	48,00
	68	3,63,62
1202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	71	1,36,02	..	77,62	..	96,78	..	74,67	..
	74	13,78,82	..	5,28,24	..	6,45,58	..	5,08,26	..
योग, (क)	..	17,19,90	..	8,02,26	..	14,86,79	..	10,51,54	..

[(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण]

4210—विकास और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय ..	{	32	15,48,06	..	17,00,46	..	19,08,50	..	8,92,84	..
		35	1,02,64	50,00	21,00	..	66.10	..	18,84	..
		71	1,34,20	..	1,24,72	..	1,28,72	..	1,18,28	..
		74	13,55,46	..	8,46,03	..	8,61,99	..	7,97,36	..
योग, 4210 ..		31,40,36	50,00	27,46,81	..	29,27,81	..	18,27,31	..	
4211—परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय ..	{	36	1,10,35	..	1,11,00	..	1,90,00	..	1,04,72	..
		71	2,37	30	..
		74	23,94	2,03	..
योग, 4211		1,36,66	..	1,11,00	..	1,90,00	..	1,07,05	..	
योग (ख)		32,77,02	50,00	28,57,81	..	31,17,31	..	19,34,36	..	

[(ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास—1]

4215—जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय	{	26	2,12,98	..	93,97	..	93,97
		27	..	43,84	..	43,85	..	69,85	..	19,85
योग, 4215 ..		2,12,98	43,84	93,97	43,85	93,97	69,85	..	19,85	
4216—आवास पर पूंजी परिव्यय ..	{	21	10,00	..	10,00	..	10,00	..
		26	2,00,00	..	1,30,81	..	1,30,81
		27	25,10,43	..	11,53,61	..	11,52,00	..	3,86,10	..
		42	37,05	..	36,15	..	60,60	..	80,17	..
		71	1,05,73	84	64,82	..	69,79	..	66,98	..
73	9,65,53	8,46	3,36,77	..	3,70,45	..	3,51,55	..		
योग, 4216 ..		38,18,74	9,30	17,32,16	..	17,93,65	..	8,94,80	..	
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय		2	50,00	..	50,00	..	50,00	..
योग, (ग) ..		40,31,72	53,14	18,76,13	48,85	19,37,62	69,85	9,44,80	10,85	

पूंजी लेखों का व्यय—पूंजीगत परिव्यय (क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

संवितरण	अनुदान/कर्म-संख्या	वास्तविक आंकड़े		पुनरीकृत अनुमान		आय-व्ययक अनुमान			
		1987-88	1988-89	1988-89	1988-89	1989-90	1989-90		
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर		
(ड) सूचना तथा प्रचार									
4220—सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	88	80,00		
4221—प्रसारण पर पूंजी परिव्यय	88	6,20		
	योग (ड)	86,20		
(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—									
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	71	19,37	..	4 22,10	..	4,22,10	..	4,29,30	..
	74	12 36	..	3	..	3	..	2	..
	75	1,81,50	..	28,42,14	..	28,42,14	..	28,90,62	..
	76	45,79	..	94,59	..	94,59	..	1,05,30	..
	77	3,33,12	..	4,05,41	..	4,05,41	..	5,31,70	..
	90	1,06,60
	92	1
	योग; 4225	6,98,74	..	37,64,28	..	37,64,27	..	39,56,94	..
	योग, (च)	6,98,74	..	37,64,28	..	37,64,27	..	39,56,94	..
(छ) सामाजिक कल्याण और पोषाहार—									
4235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	36	65,38	..	96,08
	71	7,05	..	1,71	..	1,70	..	90	..
	74	71,22	..	11,48	..	11,48	..	6,06	..
	84	..	8,96	..	(-) 4,40	..	8,12	..	(-) 9,36
	89	(-) 2	..	30,20	..	30,20	..	23,67	..
	योग; 4235	78,25	8,96	1,08,77	(-) 4,40	1,39,46	8,12	30,63	(-) 9,36
	योग (छ)	78,25	8,96	1,08,77	(-) 4,40	1,39,46	8,12	30,63	(-) 9,36
(ज) अन्य—									
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	18	(-) 85	..	(-) 85	..	(-) 85	..
	70	..	75,18	2,27,38	..	2,53,39	..	1,23,75	..
	71	1,91	37
	74	19,25	2,53
	योग; 4250	21,16	75,18	2,26,53	..	2,55,44	..	1,22,90	..
	योग, (ज)	21,16	75,18	2,26,53	..	2,55,44	..	1,22,90	..
योग, ख	..	99,12,99	1,87,28	96,35,78	39,45	1,07,00,89	77,97	80,41,17	10,49

प—ग्रामिक सेवाओं का पूंजी खाता—

(क) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजी खाता

		11	1,18,20	1,59,53	15,00
		12	3,88,98	14,90,15	1,75,50	(-)100	3,79,97	(-)50	3,34,90
		18	(-)80	..	(-)80	..	(-)80
4401—कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	..	51	1	..	1	..
		71	6
		74	62	..	25	..	25	..	25
योग, 4401	..		5,07,86	16,49,68	1,89,95	(-)99	3,79,42	(-)49	3,34,35
4402—भू तथा जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय	..	77	26,38
4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	..	15	3,07,30	..	2,08,85	..	2,50,37	..	1,76,61
		71	56
		74	5,60	..	50	..	50	..	50
योग, 4403	..		3,13,46	..	2,09,35	..	2,50,87	..	1,77,11
4404—डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	..	16	2,98,15	..	1,38,97	..	1,38,99	..	84,61
4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय	..	17
4406—बानिकी और बन्ध जीवन पर पूंजी परिव्यय	..	53	..	22,33	..	18,70	..	16,50	..
		12	118,33	..	1,25,78	..	1,28,78	..	58,33
4408—खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	..	22	..	(-)19,48,36	..	50	..	50	(-)61,91,88
		71	1,52	..	10,86	..	10,86	..	6,30
		74	15,35	..	73,63	..	73,63	..	42,92
योग, 4408	..		1,35,20	(-)19,48,36	2,10,27	50	2,13,27	50	1,07,55
4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय	..	12	17,00	3,92	10,94,00	..	10,94,00	..	2,58,82
		71
योग, 4415	..		17,00	3,92	10,94,00	..	10,94,00	..	2,58,82
4425—सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	..	18	4,13,81	..	(-)1,96,30	..	18,49,70	..	(-)1,75,31
योग, (क)—	..		17,11,86	(-)2,72,43	16,46,24	18,21	39,26,25	16,51	7,87,13
		
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजी खाता
4515—ग्रन्थ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	13		14,08,10	..	12,08,00	..	12,08,00	..	13,72,50
योग, (ख)	..		14,08,10	..	12,08,00	..	12,08,00	..	13,72,50

पूँजीसंचे का व्यय—पूँजीगत परिव्यय (कमशः)

(हजार रुपयों में)

व्यय शीर्षक	अनुदाव/ क्रम-संख्या	वास्तविक आंकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		पुनरीकृत अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
		आयोजनागत आयोजनेतर		आयोजनागत आयोजनेतर		आयोजनागत आयोजनेतर		आयोजनागत आयोजनेतर		
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूँजी खाता—										
4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय	..	{ 47	75,39,39	..	59,27,55	..	72,25,73	..	63,67,28	..
	..	{ 71	..	9	5,78,89	..	6,27,18	..	6,74,37	..
योग; 4551			75,39,39	9	65,06,44	..	78,52,91	..	70,41,65	..
योग; (ग)	75,39,39	9	65,06,44	..	78,52,91	..	70,41,65	..
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजी खाता—										
4701—वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	..	{ 76	44,75,70	..	60,26,90	..	42,36,58	..
	..	{ 77	2,57,15,11	2,98	1,97,74,30	..	3,32,78,10	..	2,09,64,42	..
योग; 4701			2,57,15,11	2,98	2,42,50,00	..	3,93,05,00	..	2,52,01,00	..
4702—लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	..	{ 13	..	3,04,37	1,15,00	1,00	1,15,00	1,00	97,67	1,00
	..	{ 76	8,48,26	..	15,99,10	..	15,99,10	..	13,86,51	..
	..	{ 77	68,59,62	..	68,53,90	..	69,03,91	..	70,01,49	..
योग; 4702			77,07,88	3,04,37	85,68,00	1,00	86,18,01	1,00	84,85,67	1,00
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूँजी परिव्यय	..	19
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	..	{ 76	4,13,15	..	4,13,15	..	2,47,99	..
	..	{ 77	19,53,90	27	17,70,85	..	17,89,66	..	12,52,01	..
योग; 4711			19,53,90	27	21,84,00	..	22,02,81	..	15,00,00	..
योग; (घ)			3,53,76,89	3,07,62	3,50,02,00	1,00	5,01,25,82	1,00	3,51,86,67	1,00
(ङ) ऊर्जा का पूँजी खाता—										
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	..	10	6,77,40	..	9,18,00	..	9,68,00	..	20,29,50	..
4910—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजी परिव्यय	..	74	91
योग; (ङ)			6,78,31	..	9,18,00	..	9,68,00	..	20,29,50	..

(च) उद्योगों और खनिजों का पूंजी खाता—

4851—आमोद्योगों और लघु उद्योगों का पूंजी परिव्यय ..	{	5	4,99,97	..	3,22,26	..	3,22,26	..	3,09,52	..
		6	2,33,05	..	1,65,00	..	1,65,00	..	1,53,00	..
योग, 4851			7,33,02	..	4,87,26	..	4,87,26	..	4,62,52	..
4853—मलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4		5,05,00	..	4,36,00	..	4,36,00	..	4,10,00	..
4854—सीमेन्ट और धातु मिश्र खनिज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	7		1,20,00	..	1,20,00	..	60,00	..
4857—रासायनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय		
4858—इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय ..	7		4,55	..	10,00	..	10,00	..	10,00	..
4859—दूर-संचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	7		8,45,00	..	6,44,00	..	6,44,00	..	2,00,00	..
4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय ..	{	7	12,40,00	..	9,00,00	..	9,00,00	..	7,40,00	..
		25	2,48,58,94	..	22,84,00	..	66,55,00	..	62,00,00	..
योग, 4860			2,60,98,94	..	31,84,00	..	75,55,00	..	69,40,00	..
4885—उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	{	5	50,00	..	25,00	..
		7	14,59,38	..	16,00,00	..	16,00,00	..	12,00,00	..
		9	1,47,17	..	1,05,00	..	1,05,00	..	65,00	..
योग, 4885			16,06,55	..	17,05,00	..	17,55,00	..	12,90,00	..
योग, (च)			2,97,93,06	..	65,86,26	..	1,10,07,26	..	93,72,52	..

(छ) परिवहन का पूंजी खाता—

5053—नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	{	38	9,00	..	9,00	..	9,00
		71	1,81	..	4,80	1,55
		74	4,35	..	19,45
		75	17,46	..	7,84	..	12,96	4,60
योग, 5053			17,46	..	14,00	9,00	37,21	15,15	..	9,00
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय ..	{	71	1,69,66,85	3,51,69	20,46,17	2,15,93	17,81,42	18,85	17,94,32	..
		75	1,20,08,06	4,60,30	1,19,95,41	4,55,85	1,20,82,26	4,00,00
योग, 5054			1,69,66,95	3,51,69	1,40,54,23	6,76,23	1,37,76,83	4,74,70	1,38,76,58	4,00,00

पूँजी लेखे का व्यय—पूँजीगत परिव्यय—(समाप्त)/लोक ऋण

(हजार रुपयों में)

व्यय शीर्षक	अनुदान/ क्रम-संख्या	वास्तविक आकड़े		आय-व्ययक अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		आय-व्ययक अनुमान	
		1987-88		1988-89		1988-89		1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
5055--सड़क परिवहन पर पूँजी परिव्यय	43	4,98,49	..	15,10,00	1	15,10,00	2	15,00,00	2
योग, (छ)		1,74,82,80	3,51,69	1,55,78,23	6,85,24	1,53,24,04	4,89,87	1,53,76,58	4,09,02
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजी खाता—									
5425--विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पर पूँजी परिव्यय		4,90
योग (झ)		4,90
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजी खाता									
5452--पर्यटन पर पूँजी परिव्यय	{ 44 71 74	1,29,59	2,98,05	..	1,40,82	..
		11,71	..	3,09	..	3,14	..	4,65	..
		1,18,31	..	20,83	..	21,15	..	31,35	..
योग, 5452		2,59,61	..	23,92	..	3,22,34	..	1,76,82	..
5455--मौसम विज्ञान पर पूँजी परिव्यय	{ 71 74	32	..	75
		3,22	..	5,55	..	50	..	50	..
योग, 5455		3,54	..	6,30	..	50	..	50	..
5465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	{ 9 14 78	35,00	..	35,00	..	27,00	..
		1,00	..	1,00	..	1,00	..
		16,00	..	3,75	..	3,75	..	3,75	..
योग, 5465		16,00	..	39,75	..	39,75	..	31,75	..
5475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	{ 40 51
		20,00	(-) 18,94,47	..	(-) 2,51,46	..	(-) 2,51,46	..	(-) 2,01,46
योग, 5475		20,00	(-) 18,94,47	..	(-) 2,51,46	..	(-) 2,51,46	..	(-) 2,01,46
योग, (ञ)		2,99,15	(-) 18,94,47	69,97	(-) 2,51,46	3,62,59	(-) 2,51,46	2,09,07	(-) 2,01,46
योग; ग		9,42,94,46	(-) 15,07,50	6,75,15,14	4,52,99	9,07,74,87	2,55,92	7,13,75,62	(-) 59,60,61
योग, पूँजीगत परिव्यय		10,66,99,86	(-) 5,37,85	7,86,42,63	7,28,18	10,35,38,21	6,13,46	8,37,95,07	(-) 56,96,22

3--लोक ऋण--

6003--राज्य सरकार के प्राथमिक ऋण--

101--बाजार उधार .. 54 43,59,94 .. 43,10,00 .. 40,20,79 .. 44,57,50

103--भारत के जीवन बीमा निगम से उधार ..

(1) अवास विभाग .. 2 .. 4,12,98 .. 2,50,80 .. 2,50,80 .. 2,80,00
 (2) राजस्व विभाग .. 50 25,06 .. 25,06 .. 26,88

योग; 103 .. 4,12,98 .. 2,75,86 .. 2,75,86 .. 3,06,88

104--भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार

(1) अवास विभाग .. 2 .. 1,33,15 .. 1,40,25 .. 1,40,25 .. 1,60,00
 (2) गृह विभाग .. 27 46,20 .. 46,20 .. 46,20

योग; 104 .. 1,33,15 .. 1,86,45 .. 1,86,45 .. 2,06,20

105--भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से उधार 18 .. 2,06,82 .. 2,06,75 .. 2,06,75 .. 2,09,27

106 - क्षतिपूर्ति और अन्य बान्द--

(1) व्याज वाले बन्ध-पत्र .. 51 .. 26,60,00 .. 2,51,51 .. 2,51,51 .. 2,01,51

योग; 106 .. 26,60,00 .. 2,51,51 .. 2,51,51 .. 2,01,51

107--भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से उधार

(1) खास तथा रसद विभाग .. 22 .. 34,63,00 .. 55,25,00 .. 55,25,00 .. 40,00,00
 (2) सिविल विभाग .. 77 .. 1,24,52 .. 1,24,52 .. 1,24,52 .. 1,24,52

योग; 107 .. 35,87,51 .. 56,49,52 .. 56,49,52 .. 41,24,52

पूर्वो लेखों का व्यव-लोक रूप--संवितरण--(समाप्त)

(हजार रुपयों में)

संवितरण	अनुदान संख्या	वार्षिक पाँके	आय-व्ययक अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान				
		1987-88	1988-89	1988-89	1989-90				
		आयोजनागत	आयोजनागत	आयोजनागत	आयोजनागत	आयोजनागत			
108--राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार--									
(1)	उद्योग विभाग	4,25	..	3,02	..	6,60	
(2)	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	1,42,40	..	1,31,69	..	1,53,50	
(3)	उद्योग विभाग भारी एवं मध्यम उद्योग	6,00	..	6,00	..	6,00	
(6)	पशुधन विभाग	4,50,00	..	6,97,77	..	6,00,00	
(7)	दुग्धशाला विकास विभाग	..	5,25,74	4,29	..	4,02	
(4)	गन्ना विकास विभाग	1,78,26	..	1,79,83	
(8)	सहकारिता विभाग	13,00	..	15,00	
(5)	पर्वतीय विकास विभाग	
(9)	चीनी उद्योग	
योग; 108		..	5,25,74	..	7,90,79	..	10,35,72	..	9,64,95
109--अन्य संस्थाओं से उधार--									
(1)	खादी और ग्रामीण आयोग से उधार (उद्योग विभाग)	
(2)	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार	..	12,99	..	2,50	..	2,50	..	2,50
योग; 109		..	12,99	..	2,50	..	2,50	..	2,50
110--भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम									
योग; 6003		..	9,22,50,28	..	10,00,00,00	..	10,00,00,00	..	10,00,00,00
योग; 6003		..	10,41,49,41	..	11,16,82,38	..	11,16,29,10	..	11,04,73,33
1004--केंद्रीय सरकार से उधार और अग्रिम--									
01--आयोजना मिला उधार									
101--	आवृत्तों की कमी को पूरा करने के लिये उधार	..	80,22,00	..	77,22,00	..	77,22,00	..	77,22,00
106--	अल्पावधिक उधार (कृषि-खाद एवं उर्वरक)
201--	गृह निर्माण अग्रिम
800--	अन्य उधार
योग 01		..	1,11,45,39	..	1,27,81,03	..	1,24,11,26	..	1,40,75,21

02—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार									
101—एक-मुस्त उधार	54	..	85,05,16	..	1,28,88,82	..	1,24,27,63	..	1,84,93,76
03—केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार ..									
800—अन्य उधार	54	..	83,73	..	1,27,74	..	1,99,13	..	2,35,90
04—केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार									
800—अन्य उधार	64	..	1,34,43	..	2,13,88	..	1,77,94	..	2,87,20
06—अर्धोपाय अग्रिम	54		44,43,31	1,47,29
07—1984-85 से पहले के उधार—									
105—अल्प बचत उधार	54	..	23,62,65	..	39,25,25	..	39,25,25	..	48,71,40
106—वर्ष 1979-80 से पूर्व उत्पादक शीरमर्ष उत्पादक प्रयोजनों के लिये समोक्त उधार.	54	..	92,55,26	..	92,94,75	..	92,94,75	..	92,94,75
800—अन्य उधार	54	..	57,00	..	57,00	..	57,00	..	40,00
योग, 07		..	1,26,14,91	..	1,32,77,00	..	1,32,77,00	..	1,42,06,15
योग, 6004		..	3,69,26,93	..	3,92,88,47	..	3,86,40,25	..	4,72,98,22
योग 8—लोक श्रृण		..	14,10,76,34	..	15,09,70,85	..	15,02,69,35	..	15,77,71,55

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-E, Sanjay Park, New Delhi-110016
DOC. No. 16/89
Date 29/6/89

उधार और अग्रिम आकस्मिकता निधि को अन्तरण

(हजार रुपये में)

संवितरण	अनुदान संख्या	वास्तविक आंकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-98		पुनरीक्षित अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90	
		आयोजनगत	आयोजनेतर	आयोजनगत	आयोजनेतर	आयोजनगत	आयोजनेतर	आयोजनगत	आयोजनेतर
च—उधार और अग्रिम									
6202—शिक्षा, खेल कला और संस्कृति के लिये उधार	46 64 65	10	..	10	..	10
		..	9,07	..	30,00	..	29,70	..	30,00
		..	20,61	..	33,00	..	33,00	..	33,00
योग, 6202		..	29,68	..	63,10	..	62,80	..	63,10
6215—जल पूर्ति और सफाई के लिये उधार	3	6,36,22	..	3,39,50	..	4,60,52	..	3,39,50	..
6216—आवास के लिये उधार	2 13 50	10,41,29	..	9,66,00	..	10,26,73	..	10,00,00	..
		1,00,00
		..	67	..	1,00	..	1,00	..	1,00
योग, 6216		11,41,29	67	9,66,00	1,00	10,26,73	1,00	10,00,00	1,00
6217—शहरी विकास के लिये उधार	2 3	27,81,90	..	57,93,25	..	61,69,25	..	41,10,87	..
	
योग, 6217		27,81,90	..	57,93,25	..	61,69,25	..	41,10,87	..
6220—सूचना और प्रचार के लिये उधार	88
6235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये उधार	84	..	8,16	..	24,00	..	17,19	..	20,84
6250—ग्रन्थ सामाजिक सेवाओं के लिये उधार	40
6401—कृषि कार्य के लिये उधार	12 18 50	..	16,54,25	..	22,00,01	..	17,80,01	..	22,00,01
		..	12,00,00	4,50	33,00,01	46,50	17,00,00	1,82,62	33,00,01
		..	1,15,45	..	1,41,23	..	1,41,23	..	1,41,23
योग, 6401		(-)	3,60	29,69,70	4,50	56,41,25	46,50	36,21,24	1,82,62
6403—पशुपालन के लिये उधार	16	61,11
6406—वाणिकी और वन्य जीवन के लिये उधार	53	..	21	..	1,05	..	1,05	..	1,05
6408—खाद्य भाण्डारण और भण्डागारण के लिये उधार	18 22	1,44	5,40	..
		15,00	2,39,38
योग, 6408		16,44	2,39,38	5,40	..

6425--सहकारिता के लिये उधार	..	{ 18	20,18,92	..	13,11,09	..	24,38,21	..	17,78,00	..	
		24	5,00,00	..	3,00,00	..	5,00,00	
योग; 6425			20,18,92	..	13,11,09	5,00,00	24,38,21	3,00,00	17,78,00	5,00,00	
6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	..	47	5,85,39	..	15,66,63	..	24,59,65	..	19,32,26	..	
6705--कमल क्षेत्र विकास के लिए उधार	..	19	9,67,00	..	50,00	..	50,00	..	1,47,23	..	
6801--विद्युत् परियोजनाओं के लिये उधार	..	10	1,53,97,50	..	3,39,42,00	..	3,80,07,00	..	3,09,50,50	..	
6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार	..	}	5	4,33,43	..	6,18,40	..	7,89,80	..	6,74,71	..
			6	12,10	..	1,28,72	..	2,50,22	..	1,00,09	..
			9	96,57	1,45,23
			52	..	45	..	1,50	..	90	..	1,00
योग; 6851			5,42,10	45	7,47,12	1,50	11,85,25	90	7,74,80	1,00	
6853--मलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिये उधार	..	4	
6854--सीमेंट और धातु मिश्र खनिजों के लिये उधार	..	7	17,50,00	
6858--इंजीनियरिंग उद्योग के लिये उधार	..	7	1,50,00	..	1,60,00	..	6,66,00	
6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार	..	}	18	4,50,00
			25	..	14,79,00	..	29,75,01	..	34,88,01	..	1
योग, 6860			..	14,79,00	..	29,75,01	..	39,38,01	..	1	
6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	..	}	5	10,00
			7	4,55,00	..	8,60,00	..	9,95,00	..	7,90,00	..
			9	35,00	..	10,00	..	10,00	..	20,00	..
योग, 6885			5,00,00	..	8,70,00	..	10,05,00	..	8,10,00	..	
7055--सड़क परिवहन के लिये उधार	..	43	
7610--सरकारी सेवाओं आदि को उधार	..	}	54	1,86,15	7,61,38	6,93,00	5,35,00	10,63,00	5,30,00	10,00,00	7,15,00
			62	50,00	50,00
योग, 7610			1,86,15	7,61,38	6,93,00	5,35,00	10,63,00	5,30,00	10,50,00	7,65,00	
7615--विविध उधार	..	}	51	1	..	1	..	1
			54	5,00,00
			62	67,18	2,16,71	1,00,00	1,00,00	37,00	50,00
योग; 7615			67,18	2,16,71	1,00,00	1,00,01	37,00	50,01	..	5,00,01	
योग, च-उधार और अग्रिम			2,49,86,49	57,05,34	4,65,43,09	98,41,92	5,64,25,22	85,22,20	4,30,81,18	74,93,26	
ज-प्राकस्मिकता निधि को अन्तरण-											
7999--प्राकस्मिकता निधि को विवियोग			2,00,00,00	
योग, समेकित निधि			25,20,67,79		25,73,55,38		31,44,76,77		32,61,80,84		
				53,38,56,87		60,27,37,36		61,79,61,39		82,44,52,60	

आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा

(हजार रुपये में)

प्राप्तियां	वास्तविक आंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनर्ीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
II—आकस्मिकता निधि—				
8000—आकस्मिकता निधि—				
आकस्मिकता निधि का लेखा	30,35,59	75,00,00	2,31,96,15	50,00,00
योग II—आकस्मिकता निधि	30,35,59	75,00,00	2,31,96,15	50,00,00
III—लोक खाता—				
8005—राज्य सविध्य निधियां—				
01—सिविल—				
101—सामान्य सविध्य निधियां—				
01—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभिदाता	72,74,91	25,00,00	35,05,00	2,28,50,00
02—अन्य अभिदाता	1,22,95,29	1,00,20,00	1,80,55,00	5,48,00,00
योग (क)	1,95,70,20	1,25,20,00	2,15,60,00	7,76,50,00
102—अंशदायी सविध्य निधियां	49,91	15,00	55,00	1,45,00
104—कमिश्न भारतीय सेना के सविध्य निधि	1,16,37	1,50,00	2,45,00	2,00,00
60—अन्य सविध्य निधियां—				
102—अंशदायी सविध्य निधि	(-) 98	25,00	40,00	1,55,00
योग, 8005	1,97,35,50	1,27,10,00	2,19,00,00	7,81,50,00
8010—म्यास और विम्यास

प्राकस्मिकता निधि एवं लोक सेवा

(हजार रुपये में)

वर्गिकरण	वास्तविक आंकड़े 1987-88	प्राय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीकृत अनुमान 1988-89	प्राय-व्ययक अनुमान 1989-90
II—प्राकस्मिकता निधि—				
8000—प्राकस्मिकता निधि—				
प्राकस्मिकता निधि का लेखा ..	32,03,65	50,00,00	2,50,00,00	50,00,00
योग II—प्राकस्मिकता निधि ..	32,03,65	50,00,00	2,50,00,00	50,00,00
III—लोक सेवा—				
8005—राज्य भविष्य निधियां—				
01—सिविल—				
101—सामान्य भविष्य निधियां—				
01—मनुष्य संशोधन कर्मचारिवर्ग के भविष्यता ..		15,00,00	25,00,00	15,00,00
02—अन्य भविष्यता ..		54,00,00	75,50,00	85,50,00
योग, 101 ..		69,00,00	1,00,50,00	1,00,50,00
102—अश्रदायी भविष्य निधियां ..		15,00	60,00	20,00
104—अखिल भारतीय सेवार्थे भविष्य निधि ..		80,00	1,00,00	1,20,00
60¹—अन्य भविष्य निधियां—				
102—अश्रदायी भविष्य निधि ..		5,00	40,00	10,00
योग, 8005 ..	80,47,03	70,00,00	1,02,50,00	1,02,00,00
8010—स्वास और विस्वास

लोक लेखा (क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

प्राप्तियाँ	वास्तविक प्रांकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीकृत अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8011—बीमा और पेन्शन निधियाँ—				
105—राज्य सरकार बीमा निधि			1	1
106—अन्य बीमा और पेन्शन निधियाँ— स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से प्राप्त सामूहिक बीमा की धनराशि		1,80,29	1,80,29	1,80,29
107—राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना—				
01—उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना— बीमा निधि—				
0101—पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि		5,02,99	5,24,57	5,24,71
0102—पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि		88,37	94,13	94,13
02—उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना— बचत निधि—				
0201—पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़ कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि		23,67,28	24,10,71	26,15,89
0202—पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि		4,24,43	4,37,82	4,73,63
योग, 8011 ..	31,25,44	35,63,37	36,47,53	38,88,66
8115—मूल्य ह्रास नवीकरण आरक्षित निधियाँ—				
103—मूल्य ह्रास आरक्षित निधियाँ— सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम—				
01—सिचाई—				
0101—रक्षित निधि		27,05,40	27,05,40	30,05,40
0102—भ्याज संबंधी प्राप्तियाँ		11,32,43	14,74,26	15,99,20
105—मूल्य ह्रास आरक्षित निधियाँ— निवेश लेखा— सिचाई	34,90,29			
योग 8115 ..	34,90,29	38,37,83	41,79,66	46,04,60
8121—सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ—				
102—कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि—				
01—किसान सहायता निधि—				
0101—रक्षित निधि
0102—भ्याज संबंधी प्राप्तियाँ	..	80	85	90
योग, 8121	80	85	90

लोक लेखा (क्रमशः)

(हजार रुपये में)

विवरण	वास्तविक मांकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8011--बीमा और पेंशन निधियां--				
105--राज्य सरकार बीमा निधि		1	1	1
106--अन्य बीमा और पेंशन निधियां-- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सामूहिक बीमा योजना		1,80,29	1,80,29	1,80,29
107--राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना--				
10--उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना--बीमा निधि--				
0101--पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से सम्बन्धित बीमा राशि का भुगतान		7,05,00	7,17,27	7,17,27
0102--पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों से सम्बन्धित बीमा राशि का भुगतान		1,39,00	1,39,00	1,39,00
02--उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना--बचत निधि--				
0201--पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों में से सेवा- निवृत्त या मृत व्यक्तियों से सम्बन्धित बचत राशि का भुगतान . .		2,75,00	2,75,00	2,75,00
0202--पुलिस विभाग के सेवा-निवृत्त या मृत कर्मचारियों से सम्बन्धित बचत राशि का भुगतान . .		72,65	72,65	72,65
योग, 8011 . .	7,93,59	13,71,95	13,84,22	13,84,22
8115--मूल्य ह्रास नवीकरण आरक्षित निधियां--				
103--मूल्य ह्रास आरक्षित निधियां सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम				
01--सिचाई--				
0101--रक्षित निधि	7,40,98	12,92,00	12,92,00	8,00,00
105--मूल्य ह्रास आरक्षित निधियां-- निवेश लेखा--सिचाई . .				
योग, 8115 . .	7,40,98	12,92,00	12,92,00	8,00,00
8121--सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां--				
102--कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि--				
01--किमान सहायता निधि
0101--रक्षित निधि
योग, 8121

लोक सेवा—(कर्मचारी)

(रुपयों में)

प्राप्तियाँ	वास्तविक प्रतिकरे 1987-88	प्राय-अपेक्षित अनुमान 1988-89	पुनरोक्षित अनुमान 1988-89	प्राय-अपेक्षित अनुमान 1989-90
0222—शोधन निधियाँ—				
01—शोध में कमी अथवा उपरि बचने के लिये शिथिलता—				
101—शोधन निधियाँ—	1,83,45,25			
01—ड० प्र० राज्य विकास ऋणों की संवत् ऋण शोधन निधि				
0101—राजस्व सेवे के संकल्प]		1,21,40,46	1,21,40,46	1,36,81,56
0102—भारत प्राप्ति]				

सोच लेना—(कमला)

(द्वार परवों में)

संवितरक	वास्तविक आंकड़े 1987-88	आय-भयक अनुपात 1988-89	पुनरोचित अनुपात 1988-89	आय-भयक अनुपात 1989-90
222—सोचन विधियाँ—				
01—आय में कमी घटका उससे बढ़ने के खिसे विनियोग—				
101—सोचन विधियाँ—	37,95,39			
01--4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1968 (परिचोदित) ।	..	1,00	6,79	..
02--4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1969 (परिचोदित) ।	..	1,00	1,00	1,00
03--4 1/4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1971 (परिचोदित) ।	..	1,00	1,00	1,40
04--4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण; 1971 (परिचोदित) ।	..	1,00	1,00	1,40
05--4 1/4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण; 1972 (परिचोदित) ।	..	1,60	1,00	1,40

शोध लेखा- (प्र.म.ग.)

(द्वार खर्चों में)

व्ययिका	वस्तुविक्रय आंकड़े 1987-88	प्राथम्यिक अनुमान 1988-89	पुनरीकृत अनुमान 1988-89	प्राथम्यिक अनुमान 1989-90
02—कमीषरी विमार्श प्रक्रिकर लक्ष स्टाक प्रमाणाओं के विधोषन के लिए शोधन विधि	..	4,71	4,71	4,71
योग, 01 ..	1,03,45,25	1,21,45,17	1,21,45,17	1,36,86,26
02—शोधन विधि विशेष खाता—				
101—शोधन विधि-निवेण खाता
योग, 8222 ..	1,03,45,25	1,21,45,17	1,21,45,17	1,36,86,26

सूचक लेखा--(अमरा)

(हजार रुपये में)

संकेत	वास्तविक अंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीकृत अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
06--4 1/2% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1974 (परिशोधित)।	..	3,50	1,00	3,50
07--4 3/4% उ० प्र० राज्य विकास ऋण; 1976 (परिशोधित)।	..	5,00	2,00	5,00
08--5 1/2% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1977 (परिशोधित)।	..	5,00	2,00	5,00
09--5 1/2% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1978 (परिशोधित)।	..	5,00	5,00	5,00
10--5 3/4% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1979 (परिशोधित)।	..	10,00	5,00	5,00
11--5 3/4% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1980	..	10,00	5,00	10,00
12--5 3/4% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1981	..	15,00	5,00	15,00
13--5 3/4% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1982	..	15,00	10,00	10,00
14--5 3/4% उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1983	..	20,00	15,00	20,00
15--5 3/4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण; 1984	..	30,00	20,00	30,00
16--6 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण; 1984	..	50,00	20,00	30,00
17--5 3/4 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण 1985	..	50,00	25,00	40,00
18--6 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1985	..	35,00	15,00	25,00
19--6 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1986	..	50,00	20,00	40,00
20--6 प्रतिशत उ० प्र० राज्य विकास ऋण, 1987	..	60,00	60,00	50,00
21--6.25 प्रतिशत राज्य विकास ऋण, 1988	..	39,50,00	38,00,00	60,00
22--6 1/2% उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1989	41,00,00
योग, क	..	43,19,00	40,20,79	44,57,50
02--शोधन निधि निवेश खाता-- 101--शोधन निधि-निवेश खाता
योग, 2222	..	37,95,39	43,19,00	44,57,50

लोक लेखा--(क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

प्राप्तियाँ	वास्तविक श्रीकड़े 1987-88	प्राय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	प्राय-व्ययक अनुमान 1989-90
8223--सकाय राहत निधि--				
101--सकाय राहत निधि--				
01--राजस्व लेखे से संक्रमण	.. } 16,27,92	16,25,00	16,25,00	28,62,50
02--व्याज प्राप्तियाँ	.. } ..	2,47	2,47	2,47
102--सकाय राहत निधि-निवेश खाता
योग, 8223 ..	16,27,92	16,27,47	16,27,47	28,64,97
8225--सड़क और पुल निधि--				
02--राज्य सड़क और पुल निधि--				
101--राज्य सड़क और पुल निधि--				
01--राज्य सड़क निधि--	..			
0101--राजस्व लेखे से संक्रमण	..	25,28,20	25,28,20	36,58,00
02--राज्य पुल निधि--				
0201--राजस्व लेखे से संक्रमण	..	12,91,49	12,91,49	3,13,10
योग, 8225] ..	27,61,45	38,19,69	38,19,69	39,71,10
8226--मुख्य ह्रास/बर्हीकरण धारित निधि--				
102--सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की मुख्य ह्रास धारित निधियाँ--				
01--सरकारी (केन्द्रीय) मुद्रणालय--				
0101--राजस्व लेखे से संक्रमण	..	22,15	23,00	23,86
योग, 8226 ..	22,15	23,00	23,86	22,86

शोध सेवा—(कमलः)

(द्वार रवर्षों में)

संवितरण	वास्तविक आंकड़े 1987-88	प्राय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरोचित अनुमान 1988-89	प्राय-व्ययक अनुमान 1989-90
8223--प्रकाल राहत निधि--				
101-अकाल राहत निधि--				
01-राजस्व लेखे को संक्रमण ..	17,00,35	16,25,00	16,25,00	28,62,50
102-अकाल राहत निधि-निवेश खाता
योग, 8223 ..	17,00,35	16,25,00	16,25,00	28,62,50
8225--सड़क तथा पुल निधि--				
02-राज्य सड़क और पुल निधि--				
101-राज्य सड़क और पुल निधि-- ..				
01-राज्य सड़क निधि--				
0101-राजस्व लेखे से संक्रमण	18,74,35	25,28,20	25,28,20	36,58,00
02-राज्य पुल निधि--				
0201-राजस्व लेखे को संक्रमण ..	53,06	1,38,30	1,37,30	90,33
योग, 8225 ..	19,27,41	26,66,50	26,65,50	37,48,33
8226--मूल्य ह्रास/तयोरकरण प्रारक्षित निधि--				
102-सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास प्रारक्षित निधियाँ--				
01-सरकारी (केन्द्रीय) मूहचालय--				
0101-राजस्व लेखे को संक्रमण ..	22,15	5	5	5
योग, 8226 ..	22,15	5	5	5

प्राप्तियाँ	वास्तविक आँकड़े 1987-88	आ.सं.सं.सं. सं.सं.सं. 1988-89	पुनरी.सं. सं.सं.सं. 1988-89	आ.सं.सं.सं. सं.सं.सं. 1989-90
8229--विकास और कल्याण निधियाँ--				
101--शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विकास निधियाँ--				
01--उ०प्र० भाषा निधि--				
0101--रक्षित निधि
0102--ब्याज प्राप्तियाँ	75,00	75,00	75,00	75,00
102--चिकित्सा और जन स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधियाँ--				
01--चिकित्सालय निधि, उत्तर प्रदेश	4,97,34	2,24,10	4,01,48	3,03,48
103--कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधियाँ-01--उत्तर प्रदेश गन्ना सन्सधान एवं विकास निधि	5,50,32	5,47,31	5,47,31	5,47,50
106--औद्योगिक विकास निधियाँ--				
01--उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्ट्रियाँ पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि	10,07,50	5,46,67	6,37,54	8,29,79
02--उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के सुगतान के लिये ऋण सहायता निधि	..	5,12,50	5,97,70	7,77,92
03--सुगण औद्योगिक इकाइयों के उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायता निधि	11,00
109--सहकारिता विकास निधियाँ--				
01--राज्य सहकारी विकास निधि
200--ग्रन्थ विकास और कल्याण निधि--				
01--उत्तर प्रदेश पुलिस गृह निर्माण निधि				
0101--रक्षित निधि	..	1,00,00	1,00,00	1,00,00
0102--ब्याज प्राप्तियाँ	..	20,00	20,00	20,00
02--उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण निधि--				
0201--रक्षित निधि	..	1,00,00	1,00,00	1,00,00
0202--ब्याज सम्बन्धी प्राप्तियाँ	..	20,00	20,00	20,00
03--उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आवास निधि--				
0301--रक्षित निधि
04--संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि--				
0401--रक्षित निधि	1,67,50
05--उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण निधि--				
0501--रक्षित निधि	..	50,00	50,00	50,00
0502--ब्याज प्राप्तियाँ	..	15,00	15,00	15,00
06--उ०प्र० युवा कल्याण निधि--				
0601--रक्षित निधि
0602--ब्याज प्राप्तियाँ	..	24,00	24,00	24,00
07--उ०प्र० छात्र कल्याण निधि--				
0701--रक्षित निधि	5,00,00
0702--ब्याज प्राप्तियाँ	..	37,50	37,50	37,50
योग, 8229	22,97,66	22,72,08	26,25,53	34,11,19
8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ--				
102--जमींदारी उन्मूलन निधि--				
01--रक्षित निधि
योग, 102
200--ग्रन्थ निधियाँ--				
01--नजूल निधि (खखनऊ)	..	1	1	1
योग, 8235	..	1	1	1

संवित्तरण	वास्तविक घांकेड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8229--विहास और कल्याण निधियां--				
101-शैक्षिक प्रयोजनों के लिये विकास निधियां--				
01-उत्तर प्रदेश भाषा निधि	15,58,23	15,00	15,65	15,00
102-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य प्रयो- जनों के लिये विकास निधियां--				
01-चिकित्सालय निधि, उत्तर प्रदेश	3,04,67	2,24,10	4,01,48	3,03,48
103-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधियां--				
01-उत्तर प्रदेश गन्ना प्रसंशान एवं विकास निधि	..	5,47,31	5,47,31	5,47,50
02-राज्य कृषि उद्यम सहायता एवं प्रत्याभूति निधि	..	10	10	1
106-औद्योगिक विकास निधियां--				
01-उत्तर प्रदेश शक्कर कंत्रिकी पुनःस्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि		5,46,67	6,37,54	8,29,79
02-उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि		5,12,50	5,97,70	7,77,92
03--रण औद्योगिक इकाइयों के उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायता निधि	
109-सहकारिता विकास निधियां--				
01-राज्य सहकारी विकास निधि	..	50	50	1
200-ग्रन्थ विकास और कल्याण निधि --				
01-उत्तर प्रदेश पुलिस गृह निर्माण निधि	
02-उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण निधि		1,00,00	1,00,00	1,00,00
03-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी भावास निधि	1,77,00
04-संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि	
05-उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण निधि		50,00	50,00	50,00
06-उ० प्र० युवा कल्याण निधि		24,00	24,00	24,00
07-उ० प्र० छात्र कल्याण निधि		50,00	50,00	50,00
योग, 8229	20,39,90	2,07,0,18	24,24,28	26,97,71
8235--सामान्य और ग्रन्थ वारक्षित निधियां--				
102--जमींदारी उम्तलन निधि--				
01--रक्षित निधि--				
0101-कार्तकारों को वापस किये गये लगान			1	1
0102-जमींदारों की प्रतिकर- सम्पत्तियों के मूलधन का भुगतान	18,94,47	2,51,50	2,51,50	2,01,50
0103-जमींदारों की प्रतिकर सम्पत्तियों से प्रतिकर		68	68	68
योग, 102 ..	18,94,47	2,52,19	2,52,19	2,02,19
200--ग्रन्थ निधियां--				
01--नज़ूल निधि (लखनऊ) ग्रन्थ निधि		2	2,15	2,15
योग, 8235 ..	18,94,49	2,54,34	2,54,34	2,04,34

प्राप्तियाँ	वास्तविक आंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8336--सिविल जमा				
101--प्रतिभूति जमा	10,33
800--अन्य जमा
योग, 8336	10,33
8339--स्थानीय निधियों की जमा--				
104--प्रथम स्वायत्तभासी निकायों की जमा--				
01--प्राथमिक विद्यालयों (बेसिक स्कूलों) के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन		42,00,00	42,00,00	4,60,75,00
02--प्रथम महाध्ययित शिक्षण संस्थाओं (माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों) के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्म- चारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन		20,00,00	20,00,00	3,68,60,00
03--अन्य महाध्ययित शिक्षण संस्थाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर महा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों) के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भविष्यनिधियों के लेन देन		50,00	50,00	92,15,00
04--बेसिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन देन	
05--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की भविष्य निधियों के लेन देन		1
योग, 8338 ..	1,08,55,13	62,50,00	62,50,00	9,21,50,01
8443--सिविल जमा राशियाँ--				
101--राजस्व जमा ..	12,61,55
103--प्रतिभूति जमा ..	1,03,78	14,00,00	20,00,00	40,00,00
104--सिविल न्यायालय जमा--				
01--सिविल न्यायालय	32,93,33	8,00,00	10,00,00	15,00,00
02--उच्च न्यायालय	..	51,02	79,02	79,02
105--आपराधिक न्यायालय जमा	71,36	90,00	1,30,00	1,30,00
106--निजी जमा	12,49,68,47	9,00,00,00	10,00,00,00	11,00,00,00
107--ग्यास (ट्रस्ट) ग्याज जमा	32,58	85,00	1,00,00	1,00,00
108--लोक निर्माण कार्य जमा	5,26,61,24	2,25,50,00	3,60,00,00	4,00,00,00
109--वन जमा राशि ..	40,31,56	21,50,00	35,00,00	40,00,00
110--पुलिस निधियों की जमा	
111--प्रथम विमानोप जमा	10,27,80	..	1,00,00	1,00,00
112--भारत नंबर बोर्डोरी प्रावि के लिए जमा	20,26,83	3,00	1,50,00	1,50,00
114--निर्यात व्यापार जमा ..	10,51,30	..	1,00,00	1,00,00
115--राजकीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त जमा	25,98,94	..	85,81,00	1,00,00,00
117--सरकारी निकायों अथवा निजी व्यक्तियों के किये गये कार्यों के लिये जमा	82,10,50	27,50,00	40,00,00	45,00,00
118--निजी निकायों के लिए किए गए कार्य के लिए सरकारी सेवकों द्वारा लिए गए शुल्क के निक्षेप	3,30,71	..	1,50,00	1,50,00

सोव सेवा—(रुमाः)

(हजार रुपय में)

संविहरण	वास्तावक ग्रॉरुडे 1987-88	प्राय-व्यय अनुमान 1988-89	पुनरावित अनुमान 1988-89	प्राय-व्यय अनुमान 1989-90
8336--सिविल जमा				
101--प्रतिभूति जमा	48
800--अन्य जमा
योग	48
8338--स्थानोय निधियों की जमा--				
104--अन्य स्वायत्तशासी निकाय की जमा--				
01--प्राथमिक विद्यालयों (बेसिक स्कूलों) के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन		42,00,00	30,00,00	35,00,00
02--अन्य सहायित शिक्षण संस्थाओं (माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों) के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन देन		6,50,00	7,00,00	10,00,00
03--अन्य सहायित शिक्षण संस्थाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों) के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन देन		1,50,00	50,00	5,00,00
04--बेसिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन
05--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की भविष्य निधियों के लेन देन	1
योग, 8338	42,78,67	50,00,00	37,50,00	50,00,01
8443--सिविल जमा राशियां--				
101--राजस्व जमा	8,45,90
103--प्रतिभूति जमा	66,26	13,00,00	20,00,00	30,00,00
104--सिविल न्यायालय जमा--				
01--सिविल न्यायालय	39,27,27	7,00,00	20,00,00	20,00,00
02--उच्च न्यायालय	..	49,50	59,02	59,02
105--प्राथमिक न्यायालय जमा	94,51	80,00	1,50,00	1,50,00
106--निजी जमा	10,34,46,12	8,50,00,00	9,50,00,00	10,50,00,00
107--न्याय (ट्रस्ट) ब्याज जमा	1,56,77	70,00	1,50,00	1,50,00
108--लोक निर्माण कार्य जमा	5,00,73,45	2,28,50,00	3,50,00,00	3,90,00,00
109--वन जमा राशि	58,07,49	20,00,00	40,00,00	40,00,00
110--पुलिस निधियों की जमा	62
111--अन्य विभागीय जमा	3,55,91	..	1,00,00	1,00,00
112--भारत में खरोदारी आदि के लिये जमा	..	2,02	1,00,00	1,00,00
114--निर्यात व्यापार जमा	1,00,00	1,00,00
115--राजकीय विणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त जमा	99,46,49	..	75,00,00	1,10,00,00
117--सरकारी निकायों अथवा निजी व्यक्तियों के किये गये कार्यों के लिये जमा	59,99,37	25,50,00	35,00,00	50,00,00
118--निजी निकायों के लिए किए गए कार्यों के लिए सरकारी सेवकों द्वारा लिए गए शुल्क के निक्षेप	5,05,33	..	1,50,00	1,50,00

लोच लेखा--(अध्यायः)

(हजार रुपये में)

प्राप्तियाँ	वास्तविक	प्राय-भ्ययक	पुनरोक्षित	प्राय-भ्ययक
	आंकड़े	अनुमान	अनुमान	अनुमान
	1987-88	1988-89	1988-89	1989-90
121-चुनावों के संबंध में जमा--				
01-राज्य विधान मंडल के लिए उम्मीदवारों द्वारा किये गये जमा	1,78	1	1	1
02-संसद के लिये उम्मीदवारों द्वारा किये गये जमा		1	1	1
03-चुनाव आयोगों के लिये किये गये जमा	
04-चुनाव अपीलों के लिये किये गये जमा	
05-स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिये जमा		1	1	1
123-शक्ति संस्थाओं की जमा	51,42,44	..	90,95	90,95
129-शराब, गांजा और भांग की लागत के संबंध में जमा	
800-अन्य जमा--				
01-गैर सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्ति शुल्कों की जमा	19,2,74	70,95	1,00,00	1,00,00
योग, 8443	20,24,06,91	11,99,50,00	15,60,81,00	17,50,00,00
8448-स्थानीय निकायों की जमा--				
101-जिला निकाय	13,10,71			
102-नगर पालिका निकाय	12,97,97			
103-कैन्टोनमेंट निकाय	5,26,29			
105-राज्य परिवहन निगम की निकाय	1,5,74			
106-भारतीय कृषि शोध परिषद् की निकाय	588,53
107-राज्य विजली बोर्डों की कार्य संचालन निकाय	7,2,35			
109-पंचायत निकाय	72,25,27
110-शिक्षा निकाय	3,28,39,02	3,00,00,00	4,00,00,00	4,50,00,00
111-चिकित्सा और धर्मादा निकाय	99,53
120-अन्य निकाय--				
01-नगर तथा बाजार निकाय				
02-हरिद्वार मेला निकाय	32,62,13			
03-बैतक शिक्षा निकाय				
0301-मुख्यालय खाता				
0302-जिला खाता				
04-क्षेत्र समिति तथा राज्य विद्युत् परिषद् निकाय				
05-अन्य निकाय--				
योग, 8448	4,66,117,54	3,00,00,00	4,00,00,00	4,50,00,00
8449-अन्य जमा--				
103-केन्द्रीय सड़क निकाय से राजसहायता	51,31	16,62	49,10	48,25
105-बाजार ऋणों की जमा राशि
120-विविध जमा--				
01-विभूति ग्लास संसदी का जमा लेखा	
02-विविध	
योग, 8449	51,31	16,62	49,10	48,25
8550-सिविल अग्रिम--				
101-बन अग्रिम	92,26,39		21,00,00	21,50,00
103-अन्य विमानतीय अग्रिम	..	22,00,00	1,00,00	1,00,00
104-अन्य अग्रिम	14,883		1,00,00	1,00,00
योग, 8550	92,41,277	22,00,00	23,00,00	23,50,00

लोक लेखा-- (अभगः)

(द्वार वर्षों में)

संवितरण	वास्तविक आंकड़े 1987-88	प्राय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	प्राय-व्ययक अनुमान 1990			
1 21--चुनावों के संबंध में जमा--							
01--राज्य विधान मंडल के लिये उम्मीद- वारों द्वारा किये गये जमा	} 35,24	1	1	1			
02--संसद् के लिये उम्मीदवारों द्वारा किये गये जमा		1	1	1			
03--चुनाव याचिकाओं के लिये किए गए जमा				
04--चुनाव अपीलों के लिये किये गये जमा				
05--स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए जमा		1	1	1			
123--शैक्षिक संस्थाओं की जमा	7,48,72	..	90,95	90,95			
120--शराब राजा भाग की लागत के जमा	23,05			
800--अन्य जमा--							
01--गैर सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा	3,50,72	46,95	1,00,00	1,00,00			
योग, 8443	18,23,83,22	11,46,48,50	15,00,00,00	17,00,00,00			
8448--स्थानीय निधियों की जमा--							
101--जिला निधियां	12,27,32	} 54,59,68	3,00,00,00	4,00,00,00			
102--नगर पालिका निधियां	11,65,69						
103--कन्टोनमेंट निधियां	1,72,94						
105--राज्य परिवहन निगम की निधियां	3,20,79						
107--राज्य बिजली बोर्डों की कार्य संचालन निधियां	61,79						
109--पंचायत निधि	1,73,17						
110--शिक्षा निधियां	4,20,64,12						
120--अन्य निधियां--							
01--नगर तथा बाजार निधियां	} 54,59,68				3,00,00,00	4,00,00,00	4,50,00,00
02--हृदिद्वार मेला निधि							
03--बैसिक शिक्षा निधि--							
0301--मुख्यालय खाता							
0302--जिला खाता							
04--क्षेत्र समिति तथा राज्य विद्युत् परिषद् निधि							
05--अन्य निधियां--							
योग, 8448	5,06,45,50	3,00,00,00	4,00,00,00	4,50,00,00			
8449--अन्य जमा--							
103--केन्द्रीय सड़क निधि से राजसहायता	41,01	16,62	49,10	48,25			
105--बाजार ऋणों की जमा राशि	8,08,10			
120--विविध जमा--							
01--विभूति ग्लास फैक्ट्री का जमा सेवा			
02--विविध			
योग, 8449	8,49,11	16,62	49,10	48,25			
8550--विविध अग्रिमः--							
101--वन अग्रिम--	92,24,21	} 22,00,00	21,00,00	21,50,00			
103--अन्य विभागीय अग्रिम	5,95		1,00,00	1,00,00			
104--अन्य अग्रिम	2		1,00,00	1,00,00			
योग, 8550	92,30,18	22,00,00	23,00,00	23,50,00			

लोक लेखा (क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

प्राप्तियां	वार्षिक आंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8658--उच्चत खाता--				
101--वेतन और लेखा कार्यालय-उच्चत	1,43,12			
102--उच्चत लेखा (सिविल)	76,10,86	40,00,00,00	45,00,00,00	50,00,00,00
107--नकदी भूगतान उच्चत लेखा--	..			
01--सावजनिक निर्माण विभाग	1,54,06,68	1,00,00	1,00,00	1,00,00
02--सिचाई विभाग		1,00,00	1,00,00	1,00,00
108--सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उच्चत
109--रिजर्व बैंक उच्चत मुख्यालय	(-) 66,76
110--रिजर्व बैंक उच्चत केन्द्रीय लेखा कार्यालय
111--विभागीय समायोजन लेखे	(-) 2,65,48,93
112--स्रोत पर कर की कटौती (टी. डी. एस) का उच्चत	(-) 37,42
113--भविष्य निधि उच्चत	14,97
117--रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	2,31	2,00	2,00	2,00
118--सिक्का निर्माण पर लाभ	4,73,48,49
120--अतिरिक्त महंगाई भत्ता (जमा उच्चत लेखा)	82,65
121--अतिरिक्त महंगाई भत्ता (जमा उच्चत लेखा नवीन)	11
123--ए० आई० एस० अधिकारी समूह बीमा योजना	20,01
129--सामग्री खरीद निपटान उच्चत खाता
01--सावजनिक निर्माण विभाग	39,07,83	2,00,00	2,00,00	2,00,00
02--सिचाई विभाग		3,00,00	3,00,00	3,00,00
योग, 8658	4,78,83,92	40,07,02,00	45,07,02,00	50,07,02,00
8670--चेक और बिल				
101--लेखा परीक्षा पूर्व	8,86,45,62
102--वेतन और लेखा कार्यालयों के चेक
103--विभागीय चेक
104--राजकोषीय चेक
105--आई० आर० एल० ए० (इरला) चेक
योग, 8670	8,86,45,62
8671--विभागीय शेष--				
101--सिविल	24,08,54	9,00,00	9,00,00	9,50,00
योग, 8671	24,08,54	9,00,00	9,00,00	9,50,00
8672--स्थायी नकद अग्रदाय--				
101--सिविल--
01--स्थायी पेशगियां	..	1,50	1,50	1,50
योग, 8672	..	1,50	1,50	1,50

लोक लेखा—(कमराः)

(हज़ार करोड़ में)

संवितरण	वास्तविक अंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8 658--उच्चत खाता--				
101--वेतन और लेखा कार्यालय-उच्चत ..	(-) 6,70,60
102--उच्चत लेखा (सिविल) ..	1,75,89,69	40,00,00,00	45,00,00,00	50,00,00,00
107--नकदी भूयताव उच्चत लेखा--				
01--सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	{ 4,21,90,42	1,00,00	1,00,00	1,00,00
02--सिचाई विभाग		1,00,00	1,00,00	1,00,00
108--सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उच्चत
109--रिजर्व बैंक उच्चत मुख्यालय	(-) 2,85,11,99
110--रिजर्व बैंक उच्चत केंद्रीय लेखा कार्यालय
111--विभागीय समायोजन लेखे	(-) 14,14,70,14
112--स्रोत पर करकी कटौती (टी0डी0एस0 का उच्चत	(-) 1,67,29
113--भविष्य निधि उच्चत	61,86
117--रिजर्व बैंक की घोर से लेन-देन ..	93,24	2,00	2,00	2,00
118--सिवका निमाण पर लाभ	21,67,75,96
119--अतिरिक्त पारिश्रमिक निक्षेप उच्चत लेखा
120--अतिरिक्त महंगाई भत्ता (जमा उच्चत लेखा)	64
121--अतिरिक्त महंगाई भत्ता उच्चत लेखा नवीन	29
123--ए0आ ई0एस0 अधिकारी (सम रीमा योजना)	38
129--सामग्री खरीद निपटान उच्चत खाता
01--सार्वजनिक निमाण विभाग
02--सिचाई विभाग
योग, 8658 ..	10,58,92,46	40,02,02,00	45,02,02,00	50,02,02,00
8670--बैंक घोर बिल
101--लेखा परीक्षापूर्व बैंक ..	9,08,31,19
102--वेतन और सेवा कार्यालयों के बैंक
103--विभागीय बैंक
104--राजकोषीय बैंक
105--आ ई0आ र0एल0ए0 (इरला बैंक)
योग, 8670 ..	9,08,31,19
8671--विभागीय बैंक--				
101--सिविल ..	24,86,73	9,00,00	9,00,00	9,50,00
योग, 8671 ..	24,86,73	9,00,00	9,00,00	9,50,00
8672--स्वाधी नकद अयदाय--				
101--सिविल--				
01--स्वाधी पेन्नियों ..	11	1,50	1,50	1,50
योग, 8672 ..	11	1,50	1,50	1,50

लोक लेखा (क्रमशः)

(हजार रुपया में)

प्राप्तियाँ	वास्तविक आंकड़े 1987-88	घाय-भयक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	घाय-भयक अनुमान 1989-90
8673--नकद शेष निवेश खाता--				
101--नकद शेष निवेश खाता	23,47,82,84	15,00,00,00	15,00,00,00	15,00,00,00
योग, 8673	23,47,82,84	15,00,00,00	15,00,00,00	15,00,00,00
8674--सरकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि--				
101--सरकार द्वारा जमा की गई राशि	..	1,00,00	1,00,00	1,00,00
योग, 8674	..	1,00,00	1,00,00	1,00,00
8675--रिजर्व बैंक के पास जमा				
106--राज्य	1,07,05,29,36
8679--अन्य देशों की सरकारों के पास लेखे--				
103--बर्मा
105--पाकिस्तान
107--श्रीलंका
115--अन्य देश
योग, 8679	1,16
8680--विविध सरकारी लेखा--				
101--खाता शेष समायोजन लेखा	38,01,85	43,19,00	40,20,79	44,57,50
102--शेष संवृत्त लेखा-शीर्षों से बट्टे खाते डाली गई राशियाँ
योग, 8680	38,01,85	43,19,00	40,20,79	44,57,50
8782--एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन--				
101--राजकोषों और मुद्रा तिजोरियों (करेंसी चेस्ट) के बीच नकद प्रेषण	2,76,94,51
102--लोक निर्माण संबंधी प्रेषण	22,40,99,54	15,00,00,00	15,00,00,00	15,50,00,00
103--वन प्रेषण	2,65,71,16
104--सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रेषण
105--भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण	11,34,43	3,30,00	3,30,00	3,30,00
108--अन्य विभागीय प्रेषण	4,76,35,41	9,00,00,00	9,00,00,00	9,50,00,00
109--विविध प्रेषण
118--वेतन और लेखा कार्यालयों के प्रेषण	2,18,11
योग, 8782	32,73,53,16	24,03,30,00	24,03,30,00	25,03,30,00
8786--केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच समायोजन लेखा--				
101--केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समायोजन खाता				
01--राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में	(-) 2,28,47	10,00,00	10,00,00	10,00,00
02--अन्य	..	10,00,00	10,00,00	10,00,00
योग, 8786	(-) 2,28,47	20,00,00	20,00,00	20,00,00

लोक लेखा (क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

संवितरण	वास्तविक आंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8673--नकद शेष निवेश खाता--				
101--नकद शेष निवेश खाता ..	24,36,10,88	15,00,00,00	15,00,00,00	15,00,00,00
योग, 8673 ..	24,36,10,88	15,00,00,00	15,00,00,00	15,00,00,00
8674--सरकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि--				
101--सरकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि ..	2,52,50	1,00,00	1,00,00	1,00,00
योग, 8674 ..	2,52,50	1,00,00	1,00,00	1,00,00
8675--रिजर्व बैंक के पास जमा				
106--राज्य ..	1,07,05,29,36
8679--ग्रन्थ देशों की सरकारों के पास लेखे--				
103--बर्मा ..	(-)1,92,39
105--पाकिस्तान ..	93,22
107--चीनका
115--अन्य देश
योग, 8679 ..	(-)99,17
8680--विविध सरकारी लेखा--				
101--खाता शेष समायोजन लेखा
102--शेष संवत्त लेखा शीर्षों से बट्टे खाते डाली गई राशियां
योग, 8680
8782--एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन--				
101--राजकोषों और मुद्रा तिजोरियों (करेन्सी चेस्ट) के बीच नकद प्रेषण ..	2,76,94,51
102--लोक निर्माण सम्बन्धी प्रेषण ..	23,40,01,49	15,00,00,00	15,00,00,00	15,50,00,00
103--बन प्रेषण ..	2,15,89,14
104--सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रेषण
105--भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण ..	2,76	3,30,00	3,30,00	3,30,00
108--ग्रन्थ विभागीय प्रेषण ..	3,40,57,25	9,00,00,00	9,00,00,00	9,50,00,00
109--विविध प्रेषण
110--वेतन और लेखा कार्यालयों के प्रेषक
117--वेतन एवं लेखा अधिकारियों प्रेषण ..	2,20,92
118--वेतन एवं लेखा कार्यालयों के प्रेषण ..	-86,84,14
योग, 8782 ..	30,88,81,93	24,03,30,00	24,03,30,00	25,03,30,00
8786--केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समायोजन खाता--				
101--केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समायोजन खाता				
01--राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में		10,00,00	10,00,00	10,00,00
02--अन्य		10,00,00	10,00,00	10,00,00
योग, 8786	10,44,39	20,00,00	20,00,00	20,00,00

लोक लेखा—(समाप्त)

(हजार रुपयों में)

प्राप्तियाँ	व्यास्तविक आंकड़े 1987-88	घाय-व्यय रु अनुमान 1988-89	पुनरोन्नत अनुमान 1983-89	घाय-व्यय रु अनुमान 1989-90
8793--अन्तर्राष्ट्रीय उच्चत खाता	25	7,00	7,00	7,00
योग, 8793	25	7,00	7,00	7,00
योग, III--लोक लेखा	2,08,77,66,38	99,67,75,54	1,10,27,11,16	1,33,36,96,81
योग, संपूर्ण प्राप्तियाँ	2,87,44,86,53	1,82,84,35,67	2,00,89,89,58	2,30,21,99,07
प्रारम्भिक शेष	366,59,91	(-) 1,98,99,97	20,78,98	(-) 99,25,38
बढ़ा योग	2,87,81,46,44	1,80,85,85,70	2,01,10,68,56	2,29,22,73,69

* भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित (यथा संशोधित)

वितरण	वास्तविक आंकड़े 1987-88	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
8793—अन्तर्राष्ट्रीय उच्चत आता	(-) 1,81,11	7,00	7,00	7,00
योग, 8793	(-) 1,81,11	7,00	7,00	7,00
योग, III --लोक लेखा ..	2,09,15,97,72	96,60,04,64	1,06,35,55,78	1,15,23,43,41
योग, सम्पूर्ण वितरण ..	2,88,07,26,03	1,83,10,97,38	2,02,09,93,94	2,30,79,76,85
अन्तिम शेष	(-) 25,79,59	(-) 2,25,11,68	(-) 99,25,38	(-) 1,57,03,16
बड़ा योग ..	2,87,81,46,44	1,80,85,85,70	2,01,10,68,56	2,29,22,73,69



1989-90 के आय-व्ययक के अनुमतों के व्योरे

(हजार रुपयों में)

मार्गक्रम - संख्या तथा वर्गका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर		
	सकल	बसूची	शुद्ध	सकल	बसूची	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
1—आवकारी विभाग—						
राजस्व लेखा—						
2039	मतदेय	5,49,00	..	5,49,00
	भारित	10	..	10
2040	मतदेय	1,50	..	1,50
<hr/>						
योग, अनुदान संख्या-1	मतदेय	5,50,50	..	5,50,50
	भारित	10	..	10
<hr/>						
2—प्रावास तथा नगर विकास विभाग (प्रावास)—						
राजस्व लेखा—						
2029	मतदेय	12,68	2,15	10,53
2049	भारित	9,30,00	..	9,30,00
2070	मतदेय	36,06	..	36,06
2217	मतदेय	18,16,18	..	18,16,18	..	1,27,58
3475	मतदेय	1,26,53	..	1,26,53
<hr/>						
योग, राजस्व	मतदेय	18,16,18	..	18,16,18	2,15	3,00,70
	भारित	9,30,00	..	9,30,00
<hr/>						
पंजी लेखा—						
4217	मतदेय	50,00	..	50,00
6003	भारित	4,40,00	..	4,40,00
6216	मतदेय	10,00,00	..	10,00,00
6217	मतदेय	41,10,87	..	41,10,87
<hr/>						
योग, पंजी लेखा	मतदेय	51,60,87	..	51,60,87
	भारित	4,40,00	..	4,40,00
<hr/>						
योग अनुदान संख्या-2	मतदेय	69,77,05	..	69,77,05	2,15	3,00,70
	भारित	13,70,00	..	13,70,00

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों के व्योरे (क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

मांग/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनातर			
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध	
1	2	3	4	5	6	7	
3--आवास तथा नगर विकास (नगर विकास)--							
राजस्व लेखा							
2052 मतदेय	30,78	..	30,78	
2053 मतदेय	83,05	..	83,05	
2059 मतदेय	3	..	3	
2070 मतदेय	1	..	1	
2215 मतदेय	1,08,82,50	..	1,08,82 50	20,21,51	..	20,21,51	
2217 मतदेय	1,50,00	..	1,50,00	
2235 मतदेय	5,00	..	5,00	
2245 मतदेय	2,50,00	2,50,00	..	
3054 मतदेय	39,67,71	36,55 86	3,11,85	
3604 मतदेय	40,97,06	2,14	40,94,92	
योग राजस्व लेखा	{ मतदेय	1,08,87,50	..	1,08,87,50	1,06,00,15	39,08,00	66 92,15
	{ भारित	
पूजा लेखा--							
6215 मतदेय	3,39,50	..	3,39,50	
योग, अनुदान संख्या 3	{ मतदेय	1,12,27,00	..	1,12,27,00	1,06,00,15	39,08,00	66,92,15
	{ भारित	
4--उद्योग विभाग (खाने और खातिज)--							
राजस्व लेखा--							
2853 { मतदेय	57,28	..	57,28	1,43,93	..	1,43,93	
	{ भारित	10	..	10	
पूजा लेखा--							
4853 मतदेय	4,10,00	..	4,10,00	
योग, अनुदान संख्या 4	{ मतदेय	4,67,28	..	4,67,28	1,43,93	..	1,43,93
	{ भारित	10	..	10	

राजस्व लेखा—

2058	मतदेय	50,00	..	50,00
2425	मतदेय	2,78	..	2,78
2851	मतदेय	21,16,22	..	21,16,22	3,70,08	3,70,08
2852	मतदेय	56,34	..	56,34	3,01,70	3,01,70
	भारित	25	25
योग, राजस्व लेखा		..	{ मतदेय	21,72,56	..	21,72,56
			{ भारित	25
पूजी लेखा—						
4851	मतदेय	3,09,52	..	3,09,52
4885	मतदेय	25,00	..	25,00
6851	मतदेय	6,74,71	..	6,74,71
योग, पूजी लेखा		..	{ मतदेय	10,09,23	..	10,09,23
			{ भारित
योग, अनुदान संख्या 5		..	{ मतदेय	31,81,79	..	31,81,79
			{ भारित	25

6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)—

राजस्व लेखा—

2049	भारित	6,64	..	6,64
2235	मतदेय	1,00	..	1,00
2851	मतदेय	7,89,71	..	7,89,71	33,56,94	33,56,94
2852	मतदेय	6,05	6,05
	भारित	1	1
योग, राजस्व लेखा		..	{ मतदेय	7,90,71	..	7,90,71
			{ भारित	6,65
पूजी लेखा—						
4851	मतदेय	1,53,00	..	1,53,00
6003	भारित	6,60	6,60
6851	मतदेय	1,00,09	..	1,00,09
योग, पूजी लेखा		..	{ मतदेय	2,53,09	..	2,53,09
			{ भारित	6,60
योग, अनुदान संख्या 6		..	{ मतदेय	10,43,80	..	10,43,80
			{ भारित	13,25

क्र. सं. क्रम संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनातर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
7--उद्योग विभाग (भारत एवं मध्यम उद्योग)---						
राजस्व लेखा---						
2049	भारित	1,29,55	..	1,29,55
2075	मतदेय
2852	{ मतदेय	6,29	..	6,29
	{ भारत
2885	मतदेय	2,54,82	..	2,54,82
3451	मतदेय	1,00	..	1,00
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय	2,62,11	..	2,62,11
	{ भारत	1,29,55	..	1,29,55
पूंजी लेखा---						
4854	मतदेय	60,00	..	60,00
4858	{ मतदेय	5,00	..	5,00
	{ भारत	5,00	..	5,00
4859	मतदेय	2,00,00	..	2,00,00
4860	मतदेय	7,40,00	..	7,40,00
4885	मतदेय	12,00,00	..	12,00,00
6003	भारित	1,53,50	..	1,53,50
6858	मतदेय
6885	मतदेय	7,90,00	..	7,90,00
योग, पूंजी लेखा	{ मतदेय	29,95,00	..	29,95,00
	{ भारत	5,00	..	5,00	1,53,50	..
योग, अनुदान संख्या-7	{ मतदेय	1,32,57,11	..	1,32,57,11
	{ भारत	5,00	..	5,00	2,83,05	..
8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)---						
राजस्व लेखा---						
2058	मतदेय	1,13,73	..	1,13,73	17,14,03	5
2235	मतदेय	1,25	..
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	1,13,73	..	1,13,73	17,15,28	5
						17,15,23

पूँजी लेखा--

4058	मतदेय	20,00	..	20,00	5	..	5
------	-------	-------	----	-------	---	----	---

योग, अनुदान संख्या-8

..	मतदेय	1,33,73	..	1,33,73	17,15,33	5	17,15,28
----	-------	---------	----	---------	----------	---	----------

9-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)
राजस्व लेखा--

3453	मतदेय	45,78	..	45,78	2,21	..	2,21
------	-------	-------	----	-------	------	----	------

पूँजी लेखा--

4885	मतदेय	65,00	..	65,00
------	-------	-------	----	-------	----	----	----

5465	मतदेय	27,00	..	27,00
------	-------	-------	----	-------	----	----	----

6885	मतदेय	20,00	..	20,00
------	-------	-------	----	-------	----	----	----

योग, पूँजी लेखा ..

मतदेय	1,12,00	..	1,12,00
-------	---------	----	---------	----	----	----

योग, अनुदान संख्या-9

मतदेय	1,57,78	..	1,57,78	2,21	..	2,21
-------	---------	----	---------	------	----	------

10-ऊर्जा विभाग--

राजस्व लेखा --

2045	मतदेय	1,51,26	..	1,51,26
------	-------	----	----	----	---------	----	---------

2235	मतदेय	1	..	1
------	-------	----	----	----	---	----	---

2801	मतदेय	1,12	..	1,12
------	-------	----	----	----	------	----	------

योग, राजस्व लेखा

मतदेय	1,52,39	..	1,52,39
-------	----	----	----	---------	----	---------

पूँजी लेखा--

4801	मतदेय	20,29,50	..	20,29,50
------	-------	----------	----	----------	----	----	----

6801	मतदेय	3,09,50,50	..	3,09,50,50
------	-------	------------	----	------------	----	----	----

योग, पूँजी लेखा ..

मतदेय	3,29,80,00	..	3,29,80,00
-------	------------	----	------------	----	----	----

योग, अनुदान संख्या-10

मतदेय	3,29,80,00	..	3,29,80,00	1,52,39	..	1,52,39
-------	------------	----	------------	---------	----	---------

1-कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)

राजस्व लेखा--

2235	मतदेय	1	..	1
------	-------	----	----	----	---	----	---

2401	मतदेय	6,00,83	..	6,00,83	10,50,81	..	10,50,91
------	-------	---------	----	---------	----------	----	----------

	भारित	7,86	..	7,86
--	-------	----	----	----	------	----	------

2406	मतदेय	1,63,01	..	1,63,01
------	-------	----	----	----	---------	----	---------

भाग/संख्या तथा वस्तु विवरण एवं सेवा शीर्षक	प्रायोजनागत			प्रायोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
	1	2	3	4	5	6
2415 मतदेय	2,15	..	2,15	1,17,77	..	1,17,77
2435 मतदेय	2,19	..	2,19
2851 मतदेय	10,93	..	10,93	14,38	..	14,38
योग, राजस्व लेखा ..	6,13,91	..	6,13,91	13,48,27	..	13,48,27
				7,86	..	7,86
पूँजी लेखा—						
4401 मतदेय	3,98,30	3,98,30	..
योग, पूँजी लेखा	3,98,30	3,98,30	..
योग, अनुदान संख्या-11	6,13,91	..	6,13,91	17,46,57	3,98,30	13,48,27
	7,86	..	7,86
12--कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)—						
राजस्व लेखा—						
2013 मतदेय	10	..	10
2070 मतदेय	1	..	1
2235 मतदेय	1	..	1
2245 मतदेय	5,00,00	5,00,00	..
2401 मतदेय	61,77,93	..	61,77,73	35,02,61	..	35,02,61
				2,00	..	2,00
2402 मतदेय	39,02,07	..	39,02,07	3,27,14	..	3,27,14
				10	..	10
2415 मतदेय	5,64,20	..	5,64,20	13,57,30	..	13,57,30
2435 मतदेय	1,07,21	..	1,07,21	1,65,66	..	1,65,66
				2	..	2
योग, राजस्व लेखा ..	1,07,51,41	..	1,07,51,41	58,52,83	5,00,00	53,52,83
				2,12	..	2,12

पंजी लेखा—

4401	{ मतदेय भारित	3,34,90	..	3,34,90	70,58,10	70,58,10	..
		50	..	50
4408	मतदेय	58,33	..	58,33
4415	मतदेय	2,58,82	..	2,58,82
6401	मतदेय	22,00,01	..	22,00,01
योग, पंजी लेखा		6,52,05	..	6,52,05	92,58,11	70,58,10	22,00,01
	{ मतदेय भारित	50	..	50
योग, अनुदान संख्या-12		1,14,03,46	..	1,14,03,46	1,51,10,94	75,58,10	75,52,84
	{ मतदेय भारित	2,62	..	2,62

1 — कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (ग्राम्य विकास) —

राजस्व लेखा--

2013	मतदेय	35	..	35
2236	मतदेय	1	..	1
2501	मतदेय	1,47,70,24	..	1,47,70,24
2505	मतदेय	2,90,82,00	..	2,90,82,00
2515	{ मतदेय भारित	54,30,98	..	54,30,98	70,03,70	..	70,03,70
		50	..	50
2702	मतदेय	6,26,48	..	6,26,48	11,31,99	..	11,31,99
योग, राजस्व लेखा		4,99,09,70	..	4,99,09,70	81,36,05	..	81,36,05
	{ मतदेय भारित	50	..	50

पंजी लेखा--

4515	मतदेय	13,72,50	..	13,72,50
4702	मतदेय	99,67	2,00	97,67	4,00	3,00	1,00
योग, पंजी लेखा		14,72,17	2,00	14,70,17	4,00	3,00	1,00
योग, अनुदान संख्या-13		5,13,81,87	2,00	5,13,79,87	81,40,05	3,00	81,37,05
	{ मतदेय भारित	50	..	50

(हजार रुपयों में)

भाग/क्रम संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	प्रायोजनागत			प्रायोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) —						
राजस्व लेखा—						
2070 मतदेय	4,00,37	..	4,00,37	2,27,96	..	2,27,96
2235 मतदेय	24,00	24,00	..	1	..	1
2515 { मतदेय	7,51,25	..	7,51,25	21,32,60	..	21,32,60
{ भारित	21	..	21
3054 { मतदेय	5,55,93	..	5,55,93
3604 { मतदेय	1,65,99	..	1,65,99
योग, राजस्व लेखा ..	11,75,62	24,00	11,51,62	30,82,49	..	30,82,49
	21	..	21
पूंजी लेखा—						
5465 मतदेय	1,00	..	1,00
योग, अनुदान संख्या-14 ..	11,76,62	24,00	11,52,62	30,82,49	..	30,82,49
	21	..	21
1—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) —						
राजस्व लेखा—						
2013 मतदेय	10	..	10
2235 मतदेय	1,00	..	1,00
2245 मतदेय	50,00	50,00	..
2403 { मतदेय	9,58,62	..	9,58,62	31,62,00	..	31,62,00
{ भारित	10	..	10
योग, राजस्व लेखा ..	9,58,62	..	9,58,62	32,13,10	50,00	31,63,10
	10	..	10
पूंजी लेखा—						
4403 मतदेय	1,76,61	..	1,76,61
योग, अनुदान संख्या-15 ..	11,35,23	..	11,35,23	32,13,10	50,00	31,63,10
	10	..	10

16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)-

राजस्व लेखा--

	2049	भारित	2,40	..	2,40
	2235	मतदेय	1	..	1
	2404	{ मतदेय	1,57,95	..	1,57,95	1,64,13	..	1,64,13
		{ भारित	1	..	1
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	1,57,95	..	1,57,95	1,64,14	..	1,64,14
		{ भारित	2,41	..	2,41
पूँजी लेखा--	4404	मतदेय	85,01	40	84,61
	6003	भारित	6,00	..	6,00
योग, पूँजी लेखा	..	{ मतदेय	85,01	40	84,61
		{ भारित	6,00	..	6,00
योग, अनुदान संख्या-16	..	{ मतदेय	2,42,96	40	2,42,56	1,64,14	..	1,64,14
		{ भारित	8,41	..	8,41

17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)--

राजस्व लेखा--

	2235	मतदेय	1	..	1
	2405	{ मतदेय	4,21,06	..	4,21,06	2,53,00	..	2,53,00
		{ भारित	2	..	2
योग, अनुदान संख्या-17	..	{ मतदेय	4,21,06	..	4,21,06	2,53,01	..	2,53,01
		{ भारित	2	..	2

18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)--

राजस्व लेखा--

	2013	मतदेय	10	..	10
	2049	भारित	9,77,59	..	9,77,59
	2230	मतदेय	23	..	23
	2235	मतदेय	1	..	1
	2401	मतदेय	3,26,96	..	3,26,96	53,99	..	53,99
	2425	{ मतदेय	2,42,77	..	2,42,77	6,79,47	2	6,79,45
		{ भारित	2	..	2
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	5,69,73	..	5,69,73	7,33,80	2	7,33,78
		{ भारित	9,77,61	..	9,77,61

श्रेणी/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	प्रायोजनगत			प्रायोजनान्वित		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
पूँजी लेखा—						
4250 मतदेय	..	85	(-) 85
4401 मतदेय	..	80	(-) 80
4425 मतदेय	2,44,59	4,19,90	(-) 1,75,31
6003 भारित	8,11,77	..	8,11,77
6401 मतदेय	1,82,62	..	1,82,62	33,00,01	..	33,00,01
6408 मतदेय	5,40	..	5,40
6425 मतदेय	17,78,00	..	17,78,00
योग, पूँजी लेखा ..	मतदेय	22,10,61	4,21,55	17,89,06	33,00,01	33,00,01
	भारित	8,11,77	..	8,11,77
योग, अनुदान संख्या-18 ..	मतदेय	27,80,34	4,21,55	23,58,79	40,33,81	40,33,79
	भारित	2	17,89,38
९--कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)—						
राजस्व लेखा—						
2235 मतदेय	4	..	4
2501 मतदेय	9,16,00	..	9,16,00
2705 मतदेय	42,97,12	..	42,97,12
योग, राजस्व लेखा	मतदेय ..	52,13,12	..	52,13,12	4	4
पूँजी लेखा—						
6705 मतदेय	1,47,23	..	1,47,23
योग, पूँजी लेखा	1,47,23	..	1,47,23
योग, अनुदान संख्या-19 ..	मतदेय ..	53,60,35	..	53,60,35	4	4

20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)---

2014	मतदेय	32,90	..	32,90
2070	मतदेय	64,45	..	64,45
2235	मतदेय	12	..	12

योग, राजस्व लेखा-- ..

मतदेय	97,47	..	97,47
-------	----	----	----	-------	----	-------

पूँजी लेखा--

4059	मतदेय
------	-------	----	----	----	----	----	----

योग अनुदान संख्या-20

मतदेय	97,47	..	97,47
-------	----	----	----	-------	----	-------

21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)---

राजस्व लेखा--

	मतदेय	46,25	..	46,25
2051	भारित	2,17,75	..	2,17,75
2235	भारित	30	..	30

योग, राजस्व लेखा-- ..

मतदेय	46,25	..	46,25
भारित	2,18,05	..	2,18,05

पूँजी लेखा--

4059	मतदेय	8,00	..	8,00
4216	मतदेय	10,00	..	10,00

योग, पूँजी लेखा-- ..

मतदेय	..	18,00	..	18,00
-------	----	-------	----	-------	----	----

योग, अनुदान संख्या-21 ..

मतदेय	18,00	..	18,00	46,25	..	46,25
भारित	2,18,05	..	2,18,05

22- खाद्य तथा रसद विभाग--

राजस्व लेखा--

2049	भारित	2,09,22	..	2,09,22
2075	मतदेय	2,00	..	2,00	15,00	..	15,00
2235	मतदेय	1	..	1
2408	मतदेय	17,82,00	..	17,82,00
	भारित	50	..	50
3456	मतदेय	13,36	..	13,36	3,74,46	..	3,74,46
	भारित	35	..	35
3475	मतदेय	36,48	..	36,48	2,01,69	..	2,01,69
	भारित	5	..	5

योग, राजस्व लेखा ..

मतदेय	51,84	..	51,84	23,73,16	..	23,73,16
भारित	2,10,12	..	2,10,12

भाग / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
पूजा लेखा—						
4408	मतदेय	10,65,30,50	11,27,22,88(-)	62,92,38
	भारित	50	..	50
6003	भारित	40,00,00	..	40,00,00
योग, पूजा लेखा	मतदेय	10,65,30,50	11,27,22,88(-)	61,92,38
	भारित	40,00,50	..	40,00,50
योग, अनुदान संख्या-22	मतदेय	51,84	..	51,84	11,27,22,88(-)	38,19,22
	भारित	42,10,62	..	42,10,62
23--खेल विभाग—						
राजस्व लेखा—						
2013	मतदेय	10	..	10
2204	मतदेय	1,20,88	..	1,20,88	..	2,32,64
2235	मतदेय	1	..	1
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	1,20,88	..	1,20,88	..	2,32,75
पूजा लेखा	मतदेय	42,02	..	1,52,63
योग, अनुदान संख्या-23	मतदेय	2,73,51	..	2,73,51	2,32,75	2,32,75
24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना)—						
राजस्व लेखा—						
2049	भारित	60	..	60
2235	मतदेय	1,50	..	1,50
2401	मतदेय	3,41,40	..	3,41,40	..	11,26,91
	भारित	10	..	10
2408	मतदेय	5,00	..	5,00
2415	मतदेय	50,00	..	50,00	..	87,54
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	3,96,40	..	3,96,40	12,15,95	12,15,95
	भारित	70	..	70

6003	भारित	4,02	..	4,02
6425	मतदेय	5,00,00	..	5,00,00
योग, पूँजी लेखा		{ मतदेय	5,00,00	..	5,00,00
		{ भारित	4,02	..	4,02
<u>योग, अनुदान संख्या-24</u>		{ मतदेय	3,96,40	..	3,96,40	17,15,95	17,15,95
		{ भारित	4,72	..	4,72

25 --गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) --
राजस्व लेखा—

2040	भारित	21,55,21	..	21,55,21
2049	भारित	1,15,90	..	1,15,90
2235	मतदेय	1	..	1
2401	मतदेय	6,96,75	5,47,50	1,49,25
2852	मतदेय	17,43,94	16,07,71	1,36,23
योग, राजस्व लेखा		{ मतदेय	24,40,70	21,55,21	2,85,49
		{ भारित	22,71,11	..	22,71,11

पूँजी लेखा—

4860	मतदेय	62,00,00	..	62,00,00
6003	भारित	1,79,83	..	1,79,83
6860	मतदेय	1	..	1
योग, पूँजी लेखा		{ मतदेय	62,00,00	..	62,00,00	1	1
		{ भारित	1,79,83	..	1,79,83
<u>योग, अनुदान संख्या-25</u>		{ मतदेय	62,00,00	..	62,00,00	24,40,71	21,55,21
		{ भारित	24,50,94	..	24,50,94

26 --गृह विभाग (कारागार) --
राजस्व लेखा—

2056	{ मतदेय	28,00,76	1,41,50	26,59,26
	{ भारित	2	..	2
2235	मतदेय	1	..	1
योग राजस्व लेखा		{ मतदेय	28,00,77	1,41,50	26,59,27
		{ भारित	2	..	2
पूँजी लेखा—		4059	मतदेय	4,62
		4215	मतदेय
		4216	मतदेय
योग पूँजी लेखा		मतदेय	4,62	..	4,62
<u>योग, अनुदान संख्या-26</u>		{ मतदेय	4,62	..	4,62	28,00,77	1,41,50
		{ भारित	2	..	2

भाग / क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
27--गृह विभाग (पुलिस)--						
राजस्व लेखा--						
2013 मतदेय	50	..	50
2049 भारित	46,54	..	46,54
2055 { मतदेय	4,14,24,97	50,00	4,13,74,97
{ भारित	7,50	..	7,50
2070 { मतदेय	11,86,81	..	11,86,81
{ भारित	1	..	1
2235 मतदेय	9,02	..	9,02
2251 मतदेय	40,42	..	40,42
योग, राजस्व लेखा	4,26,61,72	50,00	4,26,11,72
पूंजी लेखा--	54,05	..	54,05
4059 मतदेय	2,91,54	..	2,91,54
4070 मतदेय	29,77	..	29,77
4215 मतदेय	19,85	..	19,85
4216 मतदेय	3,86,10	..	3,86,10
6003 भारित	46,20	..	46,20
योग, पूंजी लेखा	7,07,41	..	7,07,41	19,85	..	19,85
	46,20	..	46,20
योग, अनुदान संख्या--27	7,07,41	..	7,07,41	4,26,81,57	50,00	4,26,31,57
	1,00,25	..	1,00,25
28--गृह विभाग (राजनैतिक पेशान तथा अन्य व्यय)--						
राजस्व लेखा--						
2014 मतदेय	4,97,31	..	4,97,31
2052 मतदेय	16,48	..	16,48
2053 मतदेय	2,86	..	2,86
2235 मतदेय	10,30,20	..	10,30,20

	2251	मतदेय	36,14	..	36,14
	3055	मतदेय	30,00	..	30,00
		योग, राजस्व लेखा	16,12,99	..	16,12,99
		योग, अनुदान संख्या--28	16,12,99	..	16,12,99
29--		गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) — राजस्व लेखा—						
	2070	मतदेय	33,66,36	..	33,66,36
	2235	मतदेय	6,70	..	6,70
		योग, राजस्व लेखा	33,73,06	..	33,73,06
		योग, अनुदान संख्या--29	33,73,06	..	33,73,06
30--		गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट-अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) — राजस्व लेखा—						
	2053	मतदेय	30,00	..	30,00
	2070	मतदेय	19,20	..	19,20
	2235	मतदेय	1	..	1
		योग, राजस्व लेखा	49,21	..	49,21
		योग, अनुदान संख्या--30	49,21	..	49,21
31--		गोपान विभाग (राज्यपाल सचिवालय) — राजस्व लेखा—						
	2012	भारित	70,79	..	70,79
	2235	भारित	1	..	1
		योग, क्रम संख्या--31	70,80	..	70,80
32--		चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) — राजस्व लेखा—						
	2013	मतदेय	2,01	..	2,01
	2210	{ मतदेय	26,03,85	..	26,03,85	1,14,08,29	6,06,96	1,08,01,33
		{ भारित	1,00	..	1,00
	2235	मतदेय	15	..	15
		मतदेय	26,03,85	..	26,03,85	1,14,10,45	6,06,96	1,08,03,49
		भारित	1,00	..	1,00
		योग, राजस्व लेखा पूजी लेखा—	8,92,84	..	8,92,84
	4210	{ मतदेय
		{ भारित
		योग अनुदान संख्या--32	34,96,69	..	34,96,69	1,14,10,45	6,06,96	1,08,03,49
		{ भारित	1,00	..	1,00

भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

प्रांग / क्रम संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनैतर			
	अकल	वसुली	शुद्ध	सकल	वसुली	शुद्ध	
1	2	3	4	5	6	7	
33—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनाती चिकित्सा)— राजस्व लेखा—							
2210 { मतदेय	4,55,42	..	4,55,42	18,10,64	..	18,10,64	
{ भारित	2	..	2	
2235 मतदेय	1	..	1	
योग, अनुदान संख्या-33	{ मतदेय	4,55,42	..	4,55,42	18,10,65	..	18,10,65
	{ भारित	2	..	2
34—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)— राजस्व लेखा—							
2210 { मतदेय	1,66,18	..	1,66,18	5,76,24	..	5,76,24	
{ भारित	
2235 मतदेय	1	..	1	
योग, अनुदान संख्या-34	.. { मतदेय	1,66,18	..	1,66,18	5,76,25	..	5,76,25
35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)— राजस्व लेखा—							
2070 मतदेय	1	..	1	
2210 { मतदेय	22,79,36	..	22,79,79	36,01,79	..	36,01,79	
{ भारित	25	..	25	
2235 मतदेय	1	..	1	
योग, राजस्व लेखा	.. { मतदेय	22,79,36	..	22,79,36	36,01,81	..	36,01,81
	{ भारित	25	..	25
पूजा लेखा—							
4210 मतदेय	18,84	..	18,84	
{ मतदेय	22,98,20	..	22,98,20	36,01,81	..	36,01,81	
{ भारित	25	..	25	
योग, अनुदान संख्या 35							
36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)— राजस्व लेखा—							
2211 { मतदेय	72,19,42	..	72,19,42	
{ भारित	39	..	39	
2235 मतदेय	1	..	1	

पूँजी लेखा—

योग, राजस्व लेखा

मतदेय
भारित

72,19,42
39

72,19,42
39

1

1

4211

मतदेय

1,04,72

1,04,72

योग, पूँजी लेखा

मतदेय

1,04,72

1,04,72

योग, अनुदान संख्या-36

..

मतदेय
भारित

73,24,14
39

73,24,14
39

1

1

37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)--
राजस्व लेखा—

2210 मतदेय
भारित

21,92,91
..

21,92,91
..

52,96,57
50

..

52,96,57
50

2235 मतदेय

..

..

10

10

2245 मतदेय

..

..

1,35,00

1,35,00

..

योग, अनुदान संख्या-37

..

मतदेय
भारित

21,92,91
..

21,92,91
..

54,31,67
50

1,35,00

52,96,67
50

38--नगरिक उद्बोधन विभाग--
राजस्व लेखा—

2070 मतदेय

32,35

32,35

1,82,03

1,82,03

2235 मतदेय

..

..

1

1

3053 मतदेय

4,97

4,97

36,07

36,07

योग, राजस्व लेखा

..

मतदेय

37,32

37,32

2,18,11

2,18,11

पूँजी लेखा—

5053 मतदेय

..

..

9,00

9,00

योग, अनुदान संख्या-38

..

मतदेय

37,32

37,32

2,27,11

2,27,11

39--नियुक्ति विभाग--

राजस्व लेखा—

2058 मतदेय

5,00

5,00

..

2070 मतदेय

49

49

6,17

6,17

2202 मतदेय

..

..

15,00

15,00

2235 मतदेय

..

..

1

1

योग, राजस्व लेखा

..

मतदेय

5,49

5,49

21,18

15,00

6,18

योग, अनुदान संख्या-39

..

मतदेय

5,49

5,49

21,18

15,00

6,18

क्र.सं. क्रम संख या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	प्रायोजनागत			प्रायोजनैतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	बलौच्च	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
40--नियोजन विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2235 मतदेय	1	..	1
2402 मतदेय	10,00	..	10,00
2515 मतदेय	63,55	..	63,55	59,69	..	59,69
2851 मतदेय	1,50	..	1,50
3451 मतदेय	2,03,30	..	2,03,30	87,73	..	87,73
3454 मतदेय	1,60,82	..	1,69,82	4,09,30	..	4,09,30
राजस्व लेखा .. मतदेय	4,39,17	..	4,39,17	5,56,73	..	5,56,73
योग, अनुदान संख्या-40 .. मतदेय	4,39,17	..	4,39,17	5,56,73	..	5,56,73
41--निर्वाचन विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2015 मतदेय	11,11,08	..	11,11,08
2235 मतदेय	1	..	1
योग, राजस्व लेखा मतदेय	11,11,09	..	11,11,09
योग, अनुदान-41 मतदेय	11,11,09	..	11,11,09
42--न्याय विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2014 (मतदेय	39,86,44	..	39,86,44
(भारित	6,83,34	..	6,83,34

	2052	मतदेय	2,58	..	2,58
	2235	मतदेय	29,21	..	29,21
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	40,18,23	..	40,18,23
		{ भारत	6,83,34	..	6,83,34
पूजा लेखा--	4216	मतदेय	80,17	..	80,17
योग, अनुदान संख्या-42	..	{ मतदेय	80,17	..	80,17	40,18,23	..	40,18,23
		{ भारत	6,83,34	..	6,83,34
43 -परिवहन विभाग--								
राजस्व लेखा--								
	2041	{ मतदेय	54,83	..	54,83	40,11,62	..	40,11,62
		{ भारत	7	..	7
	2045	मतदेय	1,49,63	..	1,49,63
	2235	मतदेय	75	..	75	62,51	..	62,51
	3055	{ मतदेय	2,23	..	2,23	34,21	..	34,21
		{ भारत	5	..	5
	3056	मतदेय	2,09	..	2,09
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	59,90	..	59,90	42,57,97	..	42,57,97
		{ भारत	12	..	12
पूजा लेखा--	4059	मतदेय
	5055	मतदेय	15,00,00	..	15,00,00	2	..	2
योग, पूजा लेखा		मतदेय	15,00,00	..	15,00,00	2	..	2
योग, अनुदान संख्या-43	..	{ मतदेय	15,59,90	..	15,59,90	42,57,99	..	42,57,99
		{ भारत	12	..	12
44--पर्यटन विभाग--								
राजस्व लेखा--								
	2235	मतदेय	1	..	1
	3452	मतदेय	37,33	..	37,33	1,16,13	..	1,16,13
योग राजस्व			37,33	..	37,33	1,16,14	..	1,16,14
पूजा लेखा--	5452		1,40,82	..	1,40,82
योग, अनुदान संख्या-44	..	मतदेय	1,78,15	..	1,78,15	1,16,14	..	1,16,14
45--प्रशासनिक सुधार विभाग--								
राजस्व लेखा--								
	2052	मतदेय	41,22	..	41,22
	2202	मतदेय	40	..	40
	2235	मतदेय	1	..	1
योग, अनुदान संख्या-45	..	मतदेय	41,63	..	41,63

मान/क्रम-संख्या तथा उक्तका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनाहीन		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
	2	3	4	5	6	7
46--प्राविधिक शिक्षा विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2049 भारत	60,00	..	60,00
2203 { मतदेय	8,66,85	..	8,66,85	24,62,63	..	24,62,63
{ भारत	2	..	2
2235 मतदेय	1	..	1
योग राजस्व लेखा मतदेय	8,66,85	..	8,66,85	24,62,64	..	24,62,64
भारत	60,02	..	60,02
पूंजी लेखा--						
4202 मतदेय	2,03,49	..	2,03,49
6202 मतदेय	10	..	10
योग पूंजी लेखा { मतदेय	2,03,49	..	2,03,49	10	..	10
{ भारत
योग, अनुदान संख्या-46 .. { मतदेय	10,70,34	..	10,70,34	24,62,74	..	24,62,74
{ भारत	60,02	..	60,02
47--पर्वतीय विकास विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2013 मतदेय	35	..	35
2049 भारत	24,00	..	24,00
2235 मतदेय	1	..	1
2551 { मतदेय	1,53,85,39	..	1,53,85,39
{ भारत
योग, राजस्व लेखा { मतदेय	1,53,85,39	..	1,53,85,39	36	..	36
{ भारत	24,00	..	24,00
पूंजी लेखा--						
4551 मतदेय	65,62,28	1,95,00	63,67,28
6003 भारत	15,00	..	15,00
6551 मतदेय	19,32,26	..	19,32,26

योग, पूंजी लेखा ..	{ मतदेय भारित	84,94,54	1,95,00	82,99,54	15,00	..	15,00
--------------------	------------------	----------	---------	----------	----	----	-------	----	-------

योग, अनुदान संख्या-47	{ मतदेय भारित	2,38,79,93	1,95,00	2,36,84,93	36	..	39,00	..	36
		39,00

48 -- मुस्लिम बक क विभाग --
राजस्व लेखा --

2049	भारित	2,73	2,73
2075	मतदेय	4,38	4,38
2252	मतदेय	35,28	35,28

योग, राजस्व लेखा ..	{ मतदेय भारित	39,66	..	2,73	..	39,66
		2,73

योग, अनुदान संख्या-48 ..	{ मतदेय भारित	39,66	..	2,73	..	39,66
		2,73

49 -- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) --
राजस्व लेखा --

2053	{ मतदेय भारित	45,39,26	45,39,26
		35	35

पूंजी लेखा --

4059	मतदेय	15,00,00	..	15,00,00
------	-------	----------	----	----------	----	----	----	----	----

योग, अनुदान संख्या-49 ..	{ मतदेय भारित	15,00,00	..	15,00,00	45,39,26	..	35	..	45,39,26
		35

10 -- राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) --
राजस्व लेखा --

2049	भारित	12,53	12,53
2052	मतदेय	89	89
2052	भारित	1	1
2235	मतदेय	10,00	10,00
2245	मतदेय	10,27,50	10,27,50
2245	भारित	28,62,50	28,62,50

योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय भारित	10,38,39	10,27,50	10,89
		28,75,04	28,75,04

(हजार रुपये में)

पंजी/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			प्रायोजनेतर			
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध	
	1	2	3	4	5	6	7
पूँजी लेखा—							
6003 भारित	26,88	..	26,88	
6216 मतदेय	1,00	..	1,00	
6401 मतदेय	1,41,23	..	1,41,23	
योग, पूँजी लेखा	1,42,23	..	1,42,23	
	{ मतदेय	26,88	..	26,88	
	{ भारित	
<u>योग, अनुदान संख्या-50</u>	::	::	::	11,80,62	10,27,50	1,53,12	
	{ मतदेय	29,01,92	..	29,01,92	
	{ भारित	
१1—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)---							
राजस्व लेखा—							
2029 { मतदेय	28,14,89	..	28,14,89	1,12,35,71	2,86,95	1,09,48,76	
{ भारित	30	..	30	27	..	27	
2048 भारित	4,71	..	4,71	
2049 भारित	1,51,76	..	1,51,76	
2052 मतदेय	83,94	..	83,94	
2070 मतदेय	30	..	30	
2075 { मतदेय	53,44	..	53,44	
{ भारित	1	..	1	
2216 मतदेय	20,00	..	20,00	
2235 मतदेय	9,09	..	9,09	
2506 मतदेय	96,20	..	96,20	
3454 मतदेय	16,37	..	16,37	
3475 मतदेय	9,87	..	9,87	
योग राजस्व लेखा---	{ मतदेय	29,31,09	..	29,31,09	1,14,08,72	2,86,95	1,11,21,77
	{ भारित	30	..	30	1,56,75	..	1,56,75

पूँजी लेखा—

4059	मतदेय	62,00	..	62,00
4401	भारित	1	..	1
5475	मतदेय	72	2,02,18	(-) 2,01,46
6003	भारित	2,01,51	..	2,01,51
7615	मतदेय	1	..	1

योग; पूँजी लेखा

..	{ मतदेय	62,00	..	62,00	73	2,02,18	(-) 2,01,45
..	{ भारित	2,01,52	..	2,01,52

योग; अनुदान संख्या-51

..	{ मतदेय	29,93,09	..	29,93,09	1,14,09,45	4,89,13	1,09,20,32
..	{ भारित	30	..	30	3,58,27	..	3,58,27

52-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—

राजस्व लेखा—

2070	मतदेय	21,64	..	21,64
2202	मतदेय	55,46	..	55,46
2251	मतदेय	74	..	74

योग; राजस्व लेखा ..

..	मतदेय	77,84	..	77,84
----	-------	----	----	----	-------	----	-------

पूँजी लेखा—

6851	मतदेय	1,00	..	1,00
------	-------	----	----	----	------	----	------

योग; अनुदान संख्या-52

..	मतदेय	78,84	..	78,84
----	-------	----	----	----	-------	----	-------

53-वन विभाग—

राजस्व लेखा—

2252	मतदेय	1	..	1
2406	{ मतदेय	42,05,55	..	42,05,55	27,94,10	..	27,94,10
	{ भारित	20	..	20
2407	मतदेय	3,23,80	..	3,23,80	1,20,00	..	1,20,00
2415	मतदेय	12,00	..	12,00
3604	मतदेय	4,00	..	4,00

योग; राजस्व लेखा ..

..	{ मतदेय	45,41,35	..	45,41,35	29,18,11	..	29,18,11
..	{ भारित	20	..	20

भाग / क्रम संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर				
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध		
	1	2	3	4	5	6	7	
पूँजी लेखा—								
4406 मतदेय	27,20	5,00	22,20		
6406 मतदेय	1,05	..	1,05		
योग, पूँजी लेखा	मतदेय	28,25	5,00	23,25		
योग, अनुदान संख्या-53	..	{ मतदेय	45,41,35	..	45,41,35	29,46,36	5,00	29,41,36
		{ भारित	20	..	20
54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य ध्यय)—								
राजस्व लेखा—								
2048 भारित	1,36,81,55	..	1,36,81,55		
2049 भारित	9,85,65,41	..	9,85,65,41		
2052 मतदेय	4,00,00,00	..	4,00,00,00	16,00,05,53	..	16,00,05,53		
2075 मतदेय	2	..	2		
2235 मतदेय	5,00	..	5,00		
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	4,00,00,00	..	4,00,00,00	16,00,10,55	..	16,00,10,55
		{ भारित	11,22,46,96	..	11,22,46,96
पूँजी लेखा—								
6003 भारित	10,44,57,50	..	10,44,57,50		
6004 भारित	4,72,98,22	..	4,72,98,22		
7610 मतदेय	10,00,00	..	10,00,00	7,15,00	..	7,15,00		
7615 मतदेय	5,00,00	..	5,00,00		
योग, पूँजी लेखा	..	{ मतदेय	10,00,00	..	10,00,00	12,15,00	..	12,15,00
		{ भारित	15,17,55,72	..	15,17,55,72
योग, अनुदान संख्या-54	..	{ मतदेय	4,10,00,00	..	4,10,00,00	16,12,25,55	..	16,12,25,55
		{ भारित	26,40,02,68	..	26,40,02,68

55-- वित्त विभाग (प्रविष्टि मत्त तथा पेशने)
राजस्व लेखा--

2049	भारित	1:00	..	1:00
	{ मत्तदेय	1,81,81,07	9,14,99	1,72,66,08
2071	{ भारित	14:37	..	14:37
योग, राजस्व लेखा		..	{ मत्तदेय	1,81,81,07	9,14,99	1,72,66,08
	{ भारित	15:37	..	15:37
<u>योग, प्रनुदान संख्या-55</u>		..	{ मत्तदेय	1,81,81,07	9,14,99	1,72,66,08
	{ भारित	15:37	..	15:37

56-- वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)--
राजस्व लेखा--

2054	मत्तदेय	8,43,72	..	8,43,72
पूजी लेखा--		4059	मत्तदेय	28,07	..	28,07
				3,00	..	3,00
<u>योग, प्रनुदान संख्या-56</u>		..	मत्तदेय	28,07	..	28,07
				8,46,72	..	8,46,72

57-- वित्त विभाग (राज्य लाटरी)--
राजस्व लेखा--

2070	मत्तदेय	44,38	..	44,38
2075	मत्तदेय	1,26,37,72	..	1,26,37,72
2235	मत्तदेय	1	..	1
योग, राजस्व लेखा		..	मत्तदेय	1,26,82,11	..	1,26,82,11
<u>योग, प्रनुदान संख्या-57</u>		..	मत्तदेय	1,26,82,11	..	1,26,82,11

(हजार रुपये में)

क्रमांक/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
58--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)--						
राजस्व लेखा--						
2013	मतदेय	1,00	..	1,00
2047	मतदेय	3,17,81	..	3,17,81	..	1,63,54
2049	भारित	1	..	1
2052	मतदेय	58,42	..	58,42
2054	{ मतदेय	3,88,24	..	3,88,24
	{ भारित	2	..	2
2070	मतदेय	4,12	..	4,12
2235	मतदेय	4,03	1	4,02
2425	{ मतदेय	90,00	..	90,00	..	7,53,06
	{ भारित	1	..	1
3475	मतदेय	43,86	..	43,86
<hr/>						
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	4,07,81	..	4,07,81	14,16,27
		{ भारित	4	4
<hr/>						
योग, अनुदान संख्या-58	..	{ मतदेय	4,07,81	..	4,07,81	14,16,27
		{ भारित	4	4
<hr/>						
59--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)--						
राजस्व लेखा--						
2049	भारित	16,89,69	..	16,89,69
2235	मतदेय	14,07	..	14,07
<hr/>						
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	14,07	14,07
		{ भारित	16,89,69	16,89,69
<hr/>						
योग, अनुदान संख्या-59	..	{ मतदेय	14,07	14,07
		{ भारित	16,89,69	16,89,69

60--विधान परिषद् सचिवालय--
राजस्व लेखा--

2011	{ मतदेय	1,70,41	..	1,70,41
	{ भारित	3,67	..	3,67
2235	मतदेय	20	..	20
<hr/>							
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय	1,70,61	..	1,70,61
	{ भारित	3,67	..	3,67
<hr/>							
योग, अनुदान संख्या-60	{ मतदेय	1,70,61	..	1,70,61
	{ भारित	3,67	..	3,67

61--विधान सभा सचिवालय--
राजस्व लेखा--

2011	{ मतदेय	6,49,26	..	6,49,26
	{ भारित	8,58	..	8,58
2059	मतदेय	1	..	1
2235	मतदेय	21	..	21
<hr/>							
योग, अनुदान संख्या-61	{ मतदेय	6,49,48	..	6,49,48
	{ भारित	8,58	..	8,58

62--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)--
पूजी लेखा--

7610	मतदेय	50,00	..	50,00	50,00	..	50,00
<hr/>							
योग, अनुदान संख्या-62	मतदेय	50,00	..	50,00	50,00	..	50,00

63--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग--
राजस्व लेखा--

2215	मतदेय	70,00	..	70,00	15,68	..	15,68
2235	मतदेय	1	..	1
3425	मतदेय	1,69,76	..	1,69,76	89,10	..	89,10
3451	मतदेय	3,37,00	..	3,37,00
<hr/>							
योग, अनुदान संख्या-63	मतदेय	5,76,76	..	5,76,76	1,04,79	..	1,04,79

वि. क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	प्रायोजनागत			प्रायोज्यैतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
	2	3	4	5	6	7
84—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)—						
राजस्व लेखा—						
2013	मतदेय	50	..	50
2049	भारित	55,84	..	55,84
2202	{ मतदेय	5,02,35	..	5,02,35	1,02,94,23	1,02,94,23
	{ भारित	1	..	1
2204	मतदेय	5,99,02	50,00	5,49,02	93,60	93,60
2235	मतदेय	1	..	1
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय	11,01,37	50,00	10,51,37	1,03,88,34	1,03,88,34
	{ भारित	55,85	55,85
पूजी लेखा—						
6202	मतदेय	30,00	..	30,00
योग, अनुदान संख्या-64	{ मतदेय	11,01,37	50,00	10,51,37	1,04,18,34	1,04,18,34
	{ भारित	55,85	55,85
85—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)—						
राजस्व लेखा—						
2013	मतदेय	1,00	..	1,00
2049	भारित	27,10,00	..	27,10,00
2202	{ मतदेय	11,37,80	..	11,37,80	4,35,99,86	4,35,99,86
	{ भारित	50	50
2204	{ मतदेय	31,66	..	31,66	7,92,00	7,92,00
	{ भारित	5	5
2205	मतदेय	62,37	..	62,37	58,29	58,29
2235	मतदेय	3,50	..	3,50
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय	12,31,83	..	12,31,83	4,44,54,65	4,44,54,65
	{ भारित	27,10,55	27,10,55

पूजी लेखा—	4202	मतदेय	1,17,49	..	1,17,49
	6202	मतदेय	33,00	33,00
योग, पूजी लेखा ..		मतदेय	1,17,49	..	1,17,49	33,00	33,00
योग, अनुदान संख्या-65 ..		{ मतदेय	13,49,32	..	13,49,32	4,44,87,65	4,44,87,65
		{ भारत	27,10,55	27,10,55
66-- शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) — राजस्व लेखा—							
	2049	भारित	38,33,00	38,33,00
	2202	मतदेय	1,19,85,29	..	1,19,85,29	5,70,38,26	5,70,38,26
		भारित	1	1
	2204	मतदेय	2,11	..	2,11	25	25
	2235	मतदेय	1	1
योग, अनुदान संख्या-66 ..		{ मतदेय	1,19,87,40	..	1,19,87,40	5,70,38,52	5,70,38,52
		{ भारत	38,33,01	38,33,01
67-- शिक्षा विभाग (प्रौढ शिक्षा) राजस्व लेखा—							
	2202	मतदेय	17,48,90	..	17,48,90
	2235	मतदेय	1	1
योग, अनुदान संख्या-67 ..		मतदेय	17,48,90	..	17,48,90	1	1
68-- शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) — राजस्व लेखा—							
	2202	मतदेय	3,88,64	..	3,88,64	2,14,10	2,14,10
	2235	मतदेय	1	1
योग, अनुदान संख्या-68 ..		मतदेय	3,88,64	..	3,88,64	2,14,11	2,14,11
69-- श्रम विभाग (श्रम कल्याण) — राजस्व लेखा—							
	2210	मतदेय	1,25,40	..	1,25,40	7,86,86	7,86,86
	2280	मतदेय	33,07	..	33,07	9,88,76	9,88,76
		भारित	3	3
	2235	मतदेय	18,11,09	18,11,09
योग, अनुदान संख्या-69 ..		{ मतदेय	1,58,47	..	1,58,47	35,86,71	35,86,71
		{ भारत	3	3

(हजार रुपयों में)

भाग/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनानैतर			
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध	
1	2	3	4	5	6	7	
70--भ्रम विभाग (सेवायोजन) --							
राजस्व लेखा--							
2230	मतदेय	6,46,19	..	6,46,19	21,49,79	..	21,49,79
	भारित	20	20
2235	मतदेय	1	1
<hr/>							
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	6,46,19	..	6,46,19	21,49,80	..	21,49,80
	भारित	20	20
<hr/>							
पूँजी लेखा--							
4250	मतदेय	1,23,75	..	1,23,75
<hr/>							
योग, अनुदान संख्या-70	मतदेय	7,69,94	..	7,69,94	21,49,80	..	12,49,80
	भारित	20	20
<hr/>							
71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठात)--							
राजस्व लेखा--							
2059	मतदेय	63	..	63	4,61,70	..	4,61,70
	भारित	5	5
2210	मतदेय	1,70	..	1,70
2211	मतदेय	16,89	..	16,89
2216	मतदेय	1	..	1	1,67,50	..	1,67,50
3054	मतदेय	15,04	..	15,04	38,72,80	..	38,72,80
<hr/>							
योग, राजस्व लेखा	मतदेय	34,27	..	34,27	45,02,00	..	45,02,00
	भारित	5	5
<hr/>							
पूँजीलेखा--							
4059	मतदेय	3,75,42	..	3,75,42	84,74	..	84,74
4202	मतदेय	74,67	..	74,67
4210	मतदेय	1,18,28	..	1,18,28
4211	मतदेय	30	..	30

4216	मतदेय	66,98	..	66,98
4225	मतदेय	4,29,30	..	4,29,30
4235	मतदेय	90	..	90
4408	मतदेय	6,30	..	6,30
4551	मतदेय	6,74,37	..	6,74,37
5053	मतदेय
5054	मतदेय	17,94,32	..	17,94,32
5452	मतदेय	4,65	..	4,65
5455	मतदेय

योग, पूंजी लेखा .. मतदेय 35,45,49 .. 35,45,49 ; 84,74 .. 84,74

योग, अनुदान संख्या-71 .. { मतदेय 35,79,76 .. 35,79,76 45,86,74 .. 45,86,74
 { भारत 5 .. 5

72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)--

राजस्व लेखा--	2059	{ मतदेय .. 4,29 .. 4,29 5,13,73 .. 5,13,73 { भारत .. 12 .. 12 8,90 .. 8,90
पूंजी लेखा--	4059	{ मतदेय .. 25,27,86 4,80,00 20,47,86 1,86,11 20,00 1,66,11 { भारत .. 1,00 .. 1,00
योग, अनुदान संख्या-72	{ मतदेय .. 25,32,15 4,80,00 20,52,15 6,99,84 20,00 6,79,84 { भारत .. 1,12 .. 1,12 8,90 .. 8,90	

73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)--

राजस्व लेखा--	2216	{ मतदेय .. 10 .. 10 3,67,90 .. 3,67,90 { भारत .. 8 .. 8 21,20 .. 21,20
पूंजी लेखा--	4216	{ मतदेय .. 4,51,05 1,00,00 3,51,05 { भारत .. 50 .. 50
योग, अनुदान संख्या-73	{ मतदेय .. 4,51,15 1,00,00 3,51,15 3,67,90 .. 3,67,90 { भारत .. 58 .. 58 21,20 .. 21,20	

(हजार रुपयों में)

पं. क्रम/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक

अयोजनागत

अयोजनेतर

1	अयोजनागत			अयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)-- राजस्व लेखा--						
2203 भारित	4	..	4
2210 { मतदेय	11,49	..	11,49
{ भारित	7	..	7
2211 { मतदेय	1,13,77	..	1,13,77
{ भारित	5	..	5
2403 भारित	1	..	1
2405 भारित	2	..	2
3452 भारित	1	..	1
योग, राजस्व लेखा						
{ मतदेय	1,25,26	..	1,25,26
{ भारित	20	..	20
पूजी लेखा--						
4202 { मतदेय	5,02,64	..	5,02,64
{ भारित	62	..	62
4210 { मतदेय	7,96,47	..	7,96,47
{ भारित	88	..	88
4211 मतदेय	2,03	..	2,03
4225 मतदेय	2	..	2
4235 मतदेय	6,06	..	6,06
4401 भारित	25	..	25
4403 भारित	50	..	50
4408 { मतदेय	42,42	..	42,42
{ भारित	50	..	50
5053 मतदेय
5452 मतदेय	31,35	..	31,35

5455	{ मतदेय भारित	.. 50 50
योग, पूंजी लेखा	{ मतदेय भारित	13,80,99 3,25	13,80,99 3,25
योग, अनुदान संख्या-74	{ मतदेय भारित	15,06,25 3,45	15,06,25 3,45

75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)--

राजस्व लेखा--

2245	मतदेय	4,50,00	4,50,00	..
3054	{ मतदेय भारित	4,14,43	90,33	3,24,10	85,52,34	11,41,25	74,11,09
		10	..	10
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय भारित	4,14,43	90,33	3,24,10	90,02,34	15,91,25	74,11,09
		10	..	10

पूंजी लेखा--

4225	मतदेय	28,90,62	..	28,90,62
5053	मतदेय
5054	{ मतदेय भारित	1,38,31,76 50	17,50,00	1,20,81,76 50	5,00,00	1,00,00	4,00,00
योग, पूंजी लेखा	{ मतदेय भारित	1,67,22,38 50	17,50,00	1,49,72,38 50	5,00,00	1,00,00	4,00,00
योग, अनुदान संख्या-75	{ मतदेय भारित	1,71,36,81 50	18,40,33	1,52,96,48 50	95,02,34	16,91,25	78,11,09
		10	..	10

75--क-- सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य संपत्ति निदेशालय)

राजस्व लेखा--

2052	मतदेय	5,71	..	5,71
योग, अनुदान संख्या 75-क	मतदेय	5,71	..	5,71

(हजार रुपये में)

भाग/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	प्रायोजनगत			आयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
76--सिचाई विभाग (ग्रन्थिष्ठान)--						
राजस्व लेखा--						
2701	{ मतदेय भारित	45,10,15 20	..	45,10,15 20
2702	मतदेय	43,43,04	..	43,43,04
2711	मतदेय	11,44,87	..	11,44,87
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय भारित	99,98,06 20	..	99,98,06 20
पूजी लेखा--						
4225	मतदेय	1,05,30	..	1,05,30
4701	मतदेय	53,06,58	10,70,00	42,36,58
4702	मतदेय	14,16,51	30,00	13,86,51
4711	मतदेय	2,47,99	..	2,47,99
योग, पूजी लेखा ..	मतदेय	70,76,38	11,00,00	59,76,38
योग, अनुदान संख्या-76	{ मतदेय भारित	70,76,38	11,00,00	59,76,38	99,98,06 20	99,98,06 20
77--सिचाई विभाग (निर्माण कार्य)						
राजस्व लेखा--						
2049	भारित	25,71	..	25,71
2245	मतदेय	4,50,00	4,50,00	..
2701	{ मतदेय भारित	1,00,00	..	1,00,00	2,70,16,00 3	11,00,00 2,59,16,00 3

	2702	मतदेय	8,00,00	8,00,00	..	1,77,77,63	4,03	1,77,73,60
	2711	मतदेय	9,51,00	.	9,51,00
योग, राजस्व लेखा ..		{ मतदेय भारित	9,00,00	8,00,00	1,00,00	4,61,94,63	15,54,03	4,46,40,60
			25,74	..	25,74
पूँजी लेखा—								
	4225	मतदेय	7,31,70	2,00,00	5,31,70
	4701	{ मतदेय भारित	2,91,63,42	82,00,00	2,09,63,42
			1,00	..	1,00
	4702	मतदेय	1,04,01,49	34,00,00	70,01,49
	4711	मतदेय	16,72,01	4,20,00	12,52,01
	6003	भारित	1,24,52	..	1,24,52
योग, पूँजी लेखा ..		{ मतदेय भारित	4,19,68,62	1,22,20,00	2,97,48,62
			1,00	..	1,00	1,24,52	..	1,24,52
योग, अनुदान संख्या-77..		{ मतदेय भारित	4,28,68,62	1,30,20,00	2,98,48,62	4,61,94,63	14,54,03	4,46,40,60
			1,00	..	1,00	1,50,26	..	1,50,26
78—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) राजस्व लेखा—								
	2052	{ मतदेय भारित	8,33	..	8,33	32,90	..	32,90
			2	..	2	2	..	2
पूँजी लेखा—								
	5465	मतदेय	3,75	..	3,75
योग, अनुदान संख्या-78		{ मतदेय भारित	12,08	..	12,08	32,90	..	32,90
			2	..	2	2	..	2
79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)— राजस्व लेखा—								
	2040	{ मतदेय भारित	34,44,97	..	34,44,97
			40	..	40
योग, अनुदान संख्या—79		{ मतदेय भारित	34,44,97	..	34,44,97
			40	..	40

(हजार रुपयों में)

मॉड/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनातर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
30—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)—						
राजस्व लेखा—						
2045 मतदेय	1,28,05	.	1,28,05
योग, अनुदान संख्या—80	1,28,05	..	1,28,05
81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)—						
राजस्व लेखा—						
2030 { मतदेय	5,71,79	..	5,71,79
{ भारित	4	..	4
पूजी लेखा—	40 59	मतदेय	10,00	..	10,00	..
योग, अनुदान संख्या—81	..	{ मतदेय	10,00	..	10,00	5,71,79
		{ भारित	4	..
			4
82—सचिवालय प्रशासन विभाग						
राजस्व लेखा—						
2013 मतदेय	2,23,53	..	2,23,53
2052 { मतदेय	18,05,74	..	18,05,74
{ भारित	4	..	4
2070 मतदेय	43,07	..	43,07
2075 मतदेय	1,00	..	1,00
2220 मतदेय	50	..	50
2235 मतदेय	4,00	..	4,00
2251 मतदेय	3,35,00	..	3,35,00
3451 मतदेय	1,50	..	1,50	4,52,50	..	4,52,50
योग, राजस्व लेखा	..	{ मतदेय	1,50	..	1,50	28,65,34
		{ भारित	4
			4
योग, अनुदान संख्या—82..	..	{ मतदेय	1,50	..	1,50	28,65,34
		{ भारित	4
			4

राजस्व लेखा—

2070	{ मतदेय भारित	2,92,37	..	2,92,37
		16,75	..	16,75
2236	{ मतदेय भारित	1	..	1
	
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय भारित	2,92,38	..	2,92,38
		16,75	..	16,75
योग, अनुदान संख्या—83	{ मतदेय भारित	2,92,38	..	2,92,38
		16,75	..	16,75

84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—
राजस्व लेखा—

2235	{ मतदेय भारित	52,78	..	52,78
		5	..	5
योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय भारित	52,78	..	52,78
		5	..	5
पूँजी लेखा—							
4235	{ मतदेय भारित	8,14	18,00	(-) 9,86
		50	..	50
6235	मतदेय	20,84	..	20,84
योग, पूँजी लेखा	{ मतदेय भारित	28,98	18,00	10,98
		50	..	50
योग, अनुदान संख्या—84	मतदेय भारित	81,76	18,00	63,76
		55	..	55

85—सांस्कृतिक कार्य विभाग—
राजस्व लेखा—

2013	मतदेय	30	..	30
2205	{ मतदेय भारित	95,20	..	95,20	1,68,84	..	1,68,84
		2	..	2
योग, अनुदान संख्या—85	{ मतदेय भारित	95,20	..	95,20	1,69,14	..	1,69,14
		2	..	2

(हजार रुपयों में)

मांग/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7
86--सामान्य प्रशासन विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2053 मतदेय	6,01	..	6,01
2070 मतदेय	15	..	15
2075 (मतदेय भारित	1,55	..	1,55
2252 मतदेय	2	..	2
3456 मतदेय	6,80	..	6,80
	86	..	86
<u>योग, अनुदान संख्या-86 . .</u>	15,37	..	15,37
(मतदेय भारित	2	..	2
87--सार्वजनिक उद्यम विभाग --						
राजस्व लेखा--						
3475 मतदेय	13,20	..	13,20	24,10	..	24,10
<u>योग, अनुदान संख्या-87 . .</u>	13,20	..	13,20	24,10	..	24,10
88 -सूचना विभाग--						
राजस्व लेखा--						
2013 मतदेय	15	..	15
2220 मतदेय	1,76,84	..	1,76,84	6,73,78	30,00	6,43,78
2235 मतदेय	1	..	1
<u>योग, अनुदान संख्या-88</u>	1,76,84	..	1,76,84	6,73,94	30,00	6,43,94

9--सैनिक कल्याण विभाग --

राजस्व लेखा--

2075	मतदेय	1,50	..	1,50	2,30	..	2,30
2235	{ मतदेय भारित	1,68,78	..	1,68,78
		2	..	2
योग, राजस्व लेखा		1,50	..	1,50	1,71,08	..	1,71,08
		2	..	2
पूँजी लेखा--		4235	मतदेय	23,67
<u>योग, अनुदान संख्या-89</u>		{ मतदेय	25,17	..	25,17	1,71,08	..
		{ भारित	2	..

10--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

(हरिजन कल्याण)--

राजस्व लेखा--

2225	{ मतदेय भारित	82,99,19	..	82,99,19	37,83,19	..	37,83,19
		2	..	2
<u>योग, अनुदान संख्या--90</u>		{ मतदेय	82,99,19	..	82,99,19	37,83,19	..
		{ भारित	2	..

11--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)--

राजस्व लेखा--

2013	मतदेय	35	..	35
2235	{ मतदेय भारित	60,74,44	..	60,74,44	8,17,56	..	8,17,56
		2	..	2
<u>योग, अनुदान संख्या-91</u>		{ मतदेय	60,74,44	..	60,74,44	8,17,91	..
		{ भारित	2	..

12--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

राजस्व लेखा--

2225	{ मतदेय भारित	1,64,77	..	1,64,77	96,78	..	96,78
		2	..	2

(हजार रुपयों में)

भाग/क्रम-संख्या तथा उसका विवरण एवं लेखा शीर्षक	आयोजनागत			आयोजनेतर		
	सकल	वसूली	शुद्ध	सकल	वसूली	शुद्ध
	1	2	3	4	5	6
योग, अनुदान संख्या-92..						
{ मतदेय	1,64,77	..	1,64,77	96,78	..	96,78
{ भारित	2	..	2
कुल योग, राजस्व लेखा						
{ मतदेय ..	20,02,67,81	9,64,33	19,93,03,48	54,85,28,42	1,29,68,62	53,55,59,80
{ भारित ..	1,11	..	1,11	12,93,24,21	..	12,93,24,21
कुल योग, पूंजी लेखा						
{ मतदेय ..	14,31,33,95	1,62,68,95	12,68,65,00	12,23,22,99	12,05,27,46	17,95,53
{ भारित ..	11,25	..	11,25	15,77,73,06	..	15,77,73,06
महान-योग						
{ मतदेय ..	34,34,01,76	1,72,33,28	32,61,68,48	67,08,51,41	13,34,96,08	53,73,55,33
{ भारित ..	12,36	..	12,36	28,70,97,27	..	28,70,97,27

1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों पर वित्त सचिव का स्मृति-पत्र प्रस्तावना

इस स्मृति-पत्र में निम्नलिखित विषय हैं:—

- (1) 1987-88 के वास्तविक आंकड़ों, 1988-89 के पुनरोक्षित अनुमानों और 1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों की संक्षिप्त समीक्षा,
- (2) 1988-89 के पुनरोक्षित अनुमानों की उस वर्ष के मूल आय-व्ययक अनुमानों से तुलना, और
- (3) 1989-90 की अनुमानित प्राप्तियों की संक्षिप्त समीक्षा और व्यय के अनुमानों की न्यूनाधिकताओं के संबंध में सविस्तार स्पष्टीकरण।

संक्षिप्त समीक्षा

2—1987-88 के वास्तविक आंकड़ों और 1988-89 के पुनरोक्षित अनुमानों पर आधारित राज्य की वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है तथा 1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों की मुख्य-मुख्य बातें बताई गई हैं।

1987-88 का लेखा

नीचे दिये हुए विवरण-पत्र में 1987-88 के लेखे संक्षेप में दिये गये हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

1	मूल आय-व्ययक अनुमान	वास्तविक आंकड़े*
1	2	3
प्रारम्भिक शेष	(-) 161.83	(+) 36.60*
1—समेकित निधि प्राप्तियां—		
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	4602.49	5331.93
पूँजी लेखे की प्राप्तियां—		
ऋणों से प्राप्तियां	2538.70	2401.89
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	94.97	103.02
योग, पूँजी लेखे की प्राप्तियां	2633.67	2504.91
योग, प्राप्तियां	7236.16	7836.84
व्यय—		
राजस्व लेखे का व्यय	4924.51	5079.94
पूँजी लेखे का व्यय—		
पूँजीगत परिव्यय	813.47	1061.62
ऋणों का प्रतिदान	1436.64	1410.76
ऋण और अग्रिम	400.51	306.92
योग, पूँजी लेखे का व्यय	2650.62	2779.30
योग, व्यय	7575.13	7859.24
समेकित निधि में घाटा (-)/बचत (+)	(-) 338.97	(-) 22.40
2—आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	(-) 1.68
3—लोक खाता (शुद्ध)	267.14	(-) 38.32
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	(-) 71.83	(-) 62.40
अंतिम शेष	(-) 233.66	(-) 25.80

*महालेखाकार के लेखों के अनुसार।

राजस्व लेवों की प्राप्तियां--

वर्ष 1987-88 के मूल अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्ति में समग्र रूप से 7,29,44 लाख रुपये की वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के कारण है --

(लाख रुपयों में)

	आय-व्ययक अनुमान 1987-88	वास्तविक आंकड़े 1987-88	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (-)
1--केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क को मिलाकर)	15,17,25	17,86,79	(+) 2,69,54
2--राज्य सरकार का कर--राजस्व (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं है)	16,56,59	19,88,66	(+) 3,32,07
3--भारत सरकार से सहायता अनुदान और अन्य प्राप्तियां	9,02,53	9,25,09	(+) 2,25,56
4--अन्य प्राप्तियां	5,26,12	6,31,39	(+) 1,05,27
योग	46,02,49	53,31,93	(+) 7,29,44

संघीय उत्पादन शुल्क (आधारिक और अतिरिक्त), आय कर के विभाज्य सामुच्च्य में राज्य सरकार के अंश तथा सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 2,05,79 लाख रुपये, 63,09 लाख रुपये तथा 66 लाख रुपये अधिक रही।

मुख्यतः आय की प्रगति के आधार पर राज्य उत्पादन शुल्क के अधीन प्राप्तियां 2,02,24 लाख रुपये अधिक रही। मुख्यतः स्टाम्प की बिक्री तथा विलेखों के मूल्यांकन पर शूलक में अधिक प्राप्ति होने के कारण स्टाम्प और पंजीकरण के अधीन प्राप्तियां 6949 लाख रुपये अधिक रही। मुख्यतः वकरापबन्धन की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये जाने तथा कर देने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि के कारण विक्री कर के अधीन प्राप्तियां 45,33 लाख रुपये अधिक रही। माल और यात्रियों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क, भू-राजस्व तथा वाहनों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 13,36 लाख रुपये, 587 लाख रुपये, 132 लाख रुपये तथा 99 लाख रुपये अधिक रही। इसके विपरीत वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 664 लाख रुपये की प्राप्ति कम रही।

आयोजनेतर योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये मिलने वाली सहायता के अन्तर्गत क्रमशः 24.50 करोड़ रुपये तथा 4.32 करोड़ रुपये की आधेवक सहायता प्राप्त हुई है। इसके विपरीत केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं को केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये मिलने वाली सहायता में 6.26 करोड़ रुपये की कमी रही।

वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य संस्थाओं से "व्यय उच्च प्राप्तियां", मूल अनुमान की तुलना में 1,09,78 लाख रुपये अधिक रही। मुख्यतः वन विभाग द्वारा रायल्टी का भुगतान तथा जुमर्माने और जड़ियों से अधिक आय प्राप्त होने के कारण वारिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत प्राप्तियां मूल अनुमान से 33,26 लाख रुपये अधिक रही। विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्तियां 15,87 लाख रुपये अधिक रही। इसी प्रकार अन्य प्रशासनिक सेवायें, अन्य चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, अन्य प्राणिक विकास कार्यक्रम, अन्य सामाजिक सेवायें, कृषि कार्य, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति कार्यो के सम्बन्ध में उपदान और वसूलियां, अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, श्रम और नियोजन, सड़क और पुल, परिवार कल्याण, पर्यटन, ग्रामसंगी और लघु उद्योग, पहाड़ी क्षेत्र तथा मीन उद्योग के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 5,28 लाख रुपये, 5,27 लाख रुपये, 369 लाख रुपये, 365 लाख रुपये, 273 लाख रुपये, 207 लाख रुपये, 199 लाख रुपये, 164 लाख रुपये, 160 लाख रुपये, 99 लाख रुपये, 98 लाख रुपये, 97 लाख रुपये, 87 लाख रुपये, 79 लाख रुपये, 75 लाख रुपये, तथा 47 लाख रुपये अधिक रही। इसके विपरीत मुख्यतः सूखे के कारण वसूलियां स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप वृद्ध और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत प्राप्तियां 45,13 लाख रुपये कम रही। मुख्यतः वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों से अपेक्षाकृत कम राशि प्राप्त होने के कारण लाभ और लाभ के अन्तर्गत प्राप्तियां, 27,21 लाख रुपये कम रही। सूखे के कारण वसूलियां स्थगित कर दिये जाने के कारण लघु सिंचाई के अन्तर्गत भी 633 लाख रुपये की प्राप्ति कम रही। "शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति", सहायता, पुलिस, अन्य कृषि कार्यक्रम, आवास, लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अल्ट्रा हा धातु खनन और धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 296 लाख रुपये, 172 लाख रुपये, 134 लाख रुपये, 128 लाख रुपये, 109 लाख रुपये, 87 लाख रुपये तथा 79 लाख रुपये कम रही।

पूँजी लेखों की प्राप्तियां--

ऋणों से प्राप्तियां--

राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में मूलः आर्योप-व्ययक में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष में कुल 2538.70 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होंगे, जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त किये जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों की 1000 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित की गई थी किन्तु लेखों के अनुसार वर्ष में ऋणों से कुल प्राप्ति 2401.89 करोड़ रुपये रही, जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त 829.19 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिमों की धनराशि भी सम्मिलित है। इस राशि को निकाल कर वर्ष में ऋणों की वास्तविक प्राप्ति 1572.70 करोड़ रुपये रही जो मूल अनुमानों से 3341.00 करोड़ रुपये अधिक है।

ऋणों के अन्तर्गत बाजार ऋणों के 314.92 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष 325.72 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। स्टेट बैंक से खाद्यान्न व्यापार हेतु उपलब्ध कैश क्रेडिट की सुसुविधा के अधीन 51.85 करोड़ रुपये के अनुमान के समक्ष 29.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये मूलतः 8.40 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था परन्तु लेखों के अनुसार उक्ता निगम से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ। अन्य संस्थाओं से मूल बजट में अनुमानित 19.38 करोड़ रुपये की प्राप्ति के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 23.76 करोड़ रुपये की हुई।

केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों के 1144.15 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्ति 1194.21 करोड़ रुपये की हुई। आयोजनेतर ऋणों के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष बचत तथा खाद उर्वरक के लिये अनुमानित क्रमशः 600.00 करोड़ रुपये तथा 40 करोड़ रुपये की प्राप्ति के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 483.63 करोड़ रुपये तथा 47.23 करोड़ रुपये की हुई। राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 479.37 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष 593.94 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये 8.741 करोड़ रुपये का मूल अनुमान था परन्तु वास्तव में 7.52 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऋणों के लिये 14.22 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 10.74 करोड़ रुपये की हुई। इसके अतिरिक्त लेखों में 49.43 करोड़ रुपये की प्राप्ति केन्द्र सरकार से आलोच्य वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में भी प्रदर्शित है, जिसके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नष्ट थी।

ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां--

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूली के सम्बन्ध में 94.97 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली 103.44 करोड़ रुपये की हुई। वसूलियों में वृद्धि मुख्यतः सहायिता के लिये उधार, आवास के लिये उधार, अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार, सरकारी सेवकों आदि को उधार तथा नगर विकास के लिए उधार के अन्तर्गत हुई।

राजस्व लेखों का व्यय--

वर्ष 1987-88 के लिये मूल आय-व्ययक में राजस्व व्यय हेतु 4924.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाओं और राज्ययय योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में 1152.35 करोड़ रुपये और आयोजनेतर पक्ष में 3772.16 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित था किन्तु वर्ष के दौरान व्यय में 155.43 करोड़ रुपये के वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय 5079.94 करोड़ रुपये हुआ।

आयोजनागत पक्ष में वर्ष का व्यय 1203.81 करोड़ रुपये रहा, जो मूल अनुमान से 51.46 करोड़ रुपये अधिक है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्तों तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिए एक मुश्त प्राविधान राशि से सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के कारण सचिब्वालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 2000 लाख रुपये के प्राविधान को समर्पित करके यह व्यय कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित शीर्षकों में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को सम्मिलित करके बड़ी-बड़ी अधिकताओं को आगे स्पष्ट किया गया है। मुख्यतः सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजगार सृजन हेतु अतिरिक्त मानव दिवस सृजित किये जाने के लिये अतिरिक्त धन व्यवस्था किये जाने के कारण "श्रम और रोजगार" के अन्तर्गत व्यय 5661 लाख रुपये का, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत क्षेत्रों को फासफेट तथा पोटाश रासायनिक उर्वरकों के क्रय पर अनुदान दिये जाने तथा प्रदेश में चावल योजना के अन्तर्गत आधिवक्क धन उपलब्ध कराये जाने के कारण हृत् कार्य के अन्तर्गत व्यय 2619 लाख रुपये का, यूनियंसल इन्फ्यूनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन, प्रदेश के मेडिकल कालेजों में यूनियंसल इन्फ्यूनाइजेशन लागू किये जाने तथा परिवारार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन सुविधियों में वृद्धि किये जाने के कारणों से "परिवारकल्याण" के अन्तर्गत 12.43 लाख रुपये का, निर्धारित कार्यक्रमों और नई योजनाओं के लिये अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत व्यय 11001.5 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ। इसी प्रकार भू-राजस्व के अन्तर्गत व्यय 336 लाख रुपये अधिक रहा। "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना और प्रचार, जेल, ग्रामीण और लघु उद्योग, कला और संस्कृति, पर्यटन, कमाण्ड क्षेत्र विकास, विवेदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, तकनीकी शिक्षा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, पशुपालन, पहाड़ी क्षेत्र और मीन उद्योग के अन्तर्गत व्यय क्रमशः 219 लाख रुपये, 11 लाख रुपये, 126 लाख रुपये, 113 लाख रुपये, 111 लाख रुपये, 108 लाख रुपये, 106 लाख रुपये, 72 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 61 लाख रुपये, 58 लाख रुपये, तथा 45 लाख रुपये अधिक है। इसके विपरीत सरकारी तथा

अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये एक मुश्त प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक लेखा शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 20,00 लाख रुपये व्यय कम रहा। लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, सामान्य शिक्षा, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य राजकोषीय सेवायें, भू और जल संरक्षण, शहरी विकास, उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय, जलपूर्ति और सफाई, सड़क और पुल, अन्य कृषि कार्यक्रम, खाद्य भण्डारण और भण्डागारण तथा वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत क्रमशः 989 लाख रुपये, 856 लाख रुपये, 575 लाख रुपये, 504 लाख रुपये, 452 लाख रुपये, 325 लाख रुपये, 268 लाख रुपये, 219 लाख रुपये, 212 लाख रुपये, 171 लाख रुपये, 162 लाख रुपये, 97 लाख रुपये, 83 लाख रुपये, 57 लाख रुपये, तथा 51 लाख रुपये का व्यय कम हुआ।

आयोजनेतर पक्ष में 3772.16 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय 3876.13 करोड़ रुपया हुआ जो 103.97 करोड़ रुपया अधिक है। मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिए एक मुश्त प्राविधान की धनराशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के कारण विभिन्न कार्यात्मक शीर्षकों में व्यय में वृद्धि हुई। बृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत व्यय 58,63 लाख रुपया अधिक रहा। लोक निर्माण तथा व्याज संदाय के अन्तर्गत व्यय में क्रमशः 52,56 तथा 51,78 लाख रुपया की वृद्धि हुई। पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत 24,27 लाख रुपये, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन के अन्तर्गत 23,36 लाख रुपया, पुलिस के अन्तर्गत 16,09 लाख रुपया, जलपूर्ति और सफाई के अन्तर्गत 14,94 लाख रुपये, दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत 11,89 लाख रुपया, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 701 लाख रुपया, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 6,26 लाख रुपया, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 4,80 लाख रुपया, भू-राजस्व के अन्तर्गत 4,05 लाख रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के अन्तर्गत 3,48 लाख रुपया, अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 3,21 लाख रुपया, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 317 लाख रुपया, सूचना और प्रचार के अन्तर्गत 264 लाख रुपया, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 245 लाख रुपया, सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 201 लाख रुपया, सचिवालय सामाजिक सेवायें के अन्तर्गत 188 लाख रुपया, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 159 लाख रुपया, अन्तर्गत सामाजिक सेवायें के अन्तर्गत 158 लाख रुपया, बिक्रीकर के अन्तर्गत 155 लाख रुपया, मंति-परिषद् के अन्तर्गत 137 लाख रुपया, वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 132 लाख रुपया, खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण के अन्तर्गत 122 लाख रुपया, निर्वाचन के अन्तर्गत 121 लाख रुपया, शहरी विकास के अन्तर्गत 120 लाख रुपया, पशुपालन के अन्तर्गत 101 लाख रुपया, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 82 लाख रुपया, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 69 लाख रुपया, जेलों के अन्तर्गत 69 लाख रुपया, विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 67 लाख रुपया, संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल के अन्तर्गत 65 लाख रुपया, बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत 53 लाख रुपया, भू और जल संरक्षण के अन्तर्गत 51 लाख रुपया तथा कृषि अनुसन्धान और शिक्षा के अन्तर्गत 46 लाख रुपया व्यय अधिक रहा। इसके विपरीत मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये किये गये एक मुश्त प्राविधानित धनराशि को कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 1,78,77 लाख रुपये की बचत हुयी। सड़कें और पुल के अन्तर्गत व्यय में 1766 लाख रुपये की बचत हुयी। ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, न्याय प्रशासन, कृषि कार्य सहकारिता, "जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकीय", अन्य राजकोषीय सेवायें तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत व्यय क्रमशः 400 लाख रुपया, 381 लाख रुपया, 114 लाख रुपया, 89 लाख रुपया, 54 लाख रुपया, 52 लाख रुपया तथा 49 लाख रुपया कम हुआ।

पूँजी लेखा का व्यय—

मूल आय-व्ययक में पूँजीगत व्यय के लिये 813.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से आयोजनागत पक्ष में 804.62 करोड़ रुपये रखा गया था तथा आयोजनेतर पक्ष में 8.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई थी वर्ष का वास्तविक व्यय 1061.62 करोड़ रुपये रहा जिसमें से 1067.00 करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष का है तथा आयोजनेतर पक्ष में वे बसूलियाँ जिन्हें व्यय से घटा दिया जाता है, व्यय से 5.38 करोड़ रुपये अधिक रहीं।

आयोजनागत पक्ष में वर्ष का व्यय मूल अनुमान से 262.38 करोड़ रुपये अधिक रहा। उत्तर प्रदेश राज्य चीनीनिगम तथा सहकारी चीनी मिलों को दिये गये ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तित किये जाने के कारण उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 2,24,71 लाख रुपये अधिक रहा। मुख्यतः नई सड़कों तथा पुलों के निर्माण व पुरानी सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव पर आवश्यकतानुसार अधिक व्यय किये जाने के कारण सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय 47,20 लाख रुपये अधिक हुआ। मुख्यतः सरकारी निर्माण कार्यों के लिये अधिक धन व्यवस्था किये जाने, यू०पी० हाटिको में अंशपूँजी विनियोजन किये जाने तथा कृषि उद्यान एवं पशुपालन कार्यों हेतु बृहद निर्माण कराये जाने पर अधिक व्यय किये जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय 10,93 लाख रुपये अधिक रहा। मुख्यतः इण्डो-नीदरलैण्ड द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण एवं अन्य नलकूपों के आधुनिकीकरण किये जाने तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण के लिये अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 10,74 लाख रुपये अधिक रहा। आवश्यकता के आधार पर अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय 610 लाख रुपये, सड़क परिवहन पर पूँजी परिव्यय 498 लाख रुपये, सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय पर 367 लाख रुपये, आवास पर पूँजी परिव्यय 351 लाख रुपये, दूर संचार

और इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 350 लाख रुपये, वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय 289 लाख रुपये, कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय 153 लाख रुपये, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 146 लाख रुपये, परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय 92 लाख रुपये, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 90 लाख रुपये, सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय 80 लाख रुपये, पर्यटन पर पूंजी परिव्यय 56 लाख रुपये, पशुपालन पर पूंजी परिव्यय, 44 लाख रुपये तथा डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय 42 लाख रुपये अधिक रहा। इसके विपरीत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय तथा विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय क्रमशः 31,62 तथा 1823, लक्ष रुपये कम परिलक्षित हुआ। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 546 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 313 लाख रुपये, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय 192 लाख रुपये सहकारिता पर पूंजी परिव्यय 170 लाख रुपये, लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय 69 लाख तथा इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 45 लाख रुपये कम रहा।

आयोजनेतर पक्ष का व्यय 14.23 करोड़ रुपये कम रहा। खाद्य विभाग तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं की बे प्राप्ति जिन्हें व्यय से बटा दिया जाता है, व्यय अधिक रहने के कारण "खाद्य भण्डारण और भण्डागारण तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय" क्रमशः 19,48 तथा 16,43 लाख रुपये कम रहा। इसके अतिरिक्त सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय 275 लाख रुपये कम रहा है। इसके विपरीत कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय 15,17 लाख रुपये, सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय 528 लाख रुपये, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय 243 लाख रुपये, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 70 लाख रुपये तथा चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 50 लाख रुपये अधिक रहा।

ऋणों का प्रतिदान—

राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में प्रतिदान के लिये मूल आय-व्ययक में 1436.64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसके समक्ष वास्तविक प्रतिदान 1410.76 करोड़ रुपये का रहा। प्रतिदान में कमी मुख्यतः रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों से सम्बन्धित 913.33 करोड़ रुपये की समायोजन प्रविष्टि के कारण है, जिसके लिये मूल बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

ऋणों और अग्रिमों का संवितरण—

मूल अनुमानों में ऋणों के संवितरण के लिये 400.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 333.88 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों के लिए थी और शेष 66.63 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनेतर ऋणों के लिये थी। वर्ष के दौरान वास्तव में 306.92 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई, जिसमें 249.86 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के लिये तथा 57.05 करोड़ रुपये की राशि आयोजनेतर मदों के लिये वितरित की गई।

आयोजनागत पक्ष में उक्त कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं, अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार, सरकारी सेवकों आदि को उधार तथा आयोजनेतर पक्ष में कृषि कार्य तथा उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार के अन्तर्गत कम ऋण वितरण के कारण हुई।

आकस्मिकता निधि—

मूल अनुमानों में यह प्रकल्पना की थी कि आलोच्य वर्ष के दौरान विगत वर्ष में आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की जितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति हो सकेगी उतनी ही धनराशि के अग्रिम वर्ष के अन्त में प्रतिपूर्ति हेतु शेष रह जायेंगे अतः निधि में शुद्ध प्राप्ति शून्य होगी किन्तु वास्तव में शुद्ध संवितरण 1.68 करोड़ रुपये रहा।

लोक लेखा—

मुख्यतः लोक लेखा के अन्तर्गत लेन-देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा निमित्त ऋण शोधन निधियों से तथा विभिन्न निकायों के निक्षेपों और उन अन्य निक्षेपों आदि से है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। कुल 267.14 करोड़ रुपये की मूलतः अनुमानित शुद्ध प्राप्ति की तुलना में वर्ष में हुए लेन-देनों के फलस्वरूप 38.32 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण लेखे में प्रदर्शित है।

वार्षिक आंकड़ों में प्रदर्शित शुद्ध प्राप्ति में 305.46 करोड़ रुपये की कमी हुई है। यह कमी मुख्यतः जमींदारी उन्मूलन निधि, स्थानीय निधियों की जमा तथा उचित खाता के अन्तर्गत शुद्ध संवितरण काफ़ी अधिक होने के कारण हुई है।

समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम—

मूल आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (—) 71.83 करोड़ रुपये आंका गया था किन्तु वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यह घटकर (—) 62.40 करोड़ रुपये रह गया और तदनुसार वर्ष का 36.60 करोड़ रुपये का वास्तविक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में घटकर (—) 25.80 करोड़ रुपये रह गया।

वास्तविक आंकड़ों के अन्तर्गत प्रदर्शित सभी आंकड़े महालेखाकार के लेखों पर आधारित हैं। रिजर्व बैंक के यथा संशोधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष का अन्तिम शेष + 20.79 करोड़ रुपये रहा है।

सुनरीक्षित अनुमान 1988-89

निम्नलिखित विवरण बजट में स्थिति का सारांश दिया गया है:--

(करोड़ रुपये में)

1	मूल आय-व्ययक अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान	
	1988-89		1988-89	
	2	3		
प्रारम्भिक शेष	(-) 199.00	(+) 20.79*		
1--संबंधित निधि--				
प्राप्तियां--				
राजस्व लेखों की प्राप्तियां	5173.69	5475.54		
पूंजी लेखों की प्राप्तियां--				
ऋणों से प्राप्तियां	2979.91	3075.51		
ऋणों और श्रद्धियों की वसूलियां	88.50	79.78		
आकस्मिकता निधि से अन्तरण	200.00		
योग, पूंजी लेखों की प्राप्तियां	3068.41	3355.29		
योग, प्राप्तियां	8242.10	8830.83		
व्यय--				
राजस्व लेखों का व्यय	5733.66	5930.70		
पूंजी लेखों का व्यय--				
पूंजीगत परिव्यय	793.71	1041.52		
ऋणों का प्रतिदान	1509.71	1502.69		
ऋण और श्रद्धियों	563.85	649.47		
आकस्मिकता निधि में विनियोग	200.00		
योग, पूंजी लेखों का व्यय	2867.27	3393.68		
योग, व्यय	8600.93	9324.38		
संबंधित निधि में बाटा (-) / बचत (+)	(-) 358.83	(-) 493.55		
2--आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	(+) 25.00	(-) 18.04		
3--सौक खाता (शुद्ध)	307.71	391.55		
समस्त शेषों का शुद्ध परिणाम	(-) 26.12	(-) 20.04		
प्रतिशेष शेष	(-) 225.12	(-) 99.25		

राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ—

वर्ष 1988-89 की राजस्व प्राप्तिओं के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 3,01,85 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है, जो निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप हुई है :—

(लाख रुपयों में)

मद	आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (—)
1—केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क को मिलाकर)	16,95,76	17,81,10	(+) 85,34
2—राज्य सरकार का कर राजस्व (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है, किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं है)	18,71,88	19,80,15	(+) 1,08,27
3—भारत सरकार से सहायक अनुदान और अन्य प्राप्तियाँ	10,28,32	11,42,08	(+) 1,13,76
4—अन्य प्राप्तियाँ	5,77,73	5,72,21	(—) 5,52
योग,	51,73,69	54,75,54	(+) 3,01,85

भारत सरकार से प्राप्त संकेतों के अनुसार संघीय उत्पादन शुल्क (आधारिक और अतिरिक्त) तथा आयकर विभाज्य समुच्चय में राज्य सरकार का अंश 85,34 लाख रुपये अधिक अनुमानित है।

मुख्यतः आय की प्रगति के आधार पर राज्य उत्पादन शुल्क के अधीन प्राप्तियाँ 4501 लाख रुपये अधिक रखी गई है। मुख्यतः आय की प्रगति के आधार पर स्टाम्प और पंजीकरण तथा वाहनों पर कर के अधीन प्राप्तियाँ क्रमशः 3176 तथा 16,80 लाख रुपये अधिक आंकी गई है। मुख्यतः करावंचन की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये जाने तथा कर देनेवाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के कारण माल और यात्रियों पर कर तथा विक्रीकर के अधीन प्राप्तियाँ क्रमशः 906 तथा 528 लाख रुपये अधिक आंकी गई है।

राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा आयोजनतर योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत क्रमशः 7979 लाख रुपये, 2151 लाख रुपये, 1082 लाख रुपये तथा 164 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है।

मुख्यतः गत वर्ष सुखे की स्थिति होने के कारण राजस्व वसूली अपेक्षाकृत कम होने के कारण वृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत प्राप्तियाँ 2096 लाख रुपये कम अनुमानित है। मुख्यतः वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों से अपेक्षाकृत कम लाभान्ना प्राप्त होने के कारण लाभान्ना और लाभ के अन्तर्गत प्राप्तियाँ 1785 लाख रुपये कम आंकी गई है। मुख्यतः वन विभाग की टायल्टी का भुगतान तथा जुमाने और जक्तियों से प्राप्तियाँ 177 लाख रुपये कम आंकी गई है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई से 151 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य से 112 लाख रुपये तथा ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत से 72 लाख रुपये प्राप्तियाँ कम अनुमानित हैं। इसके विपरीत मुख्यतः वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज में वृद्धि होने के कारण ब्याज प्राप्तिओं पर 2770 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। मुख्यतः आय की प्रगति के आधार पर विविध सामान्य सेवायें "अन्य प्रशासनिक सेवायें", सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, कृषि कार्य, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति", आमांछोग और लघु उद्योग तथा सड़क और पुल के अन्तर्गत क्रमशः 355 लाख रुपये, 226 लाख रुपये, 148 लाख रुपये, 114 लाख रुपये, 106 लाख रुपये, 53 लाख रुपये तथा 50 लाख रुपये की अधिक प्राप्तिओं का अनुमान है।

पुंजी लेखे की प्राप्तियाँ—

ऋणों से प्राप्तियाँ—

आलोच्य वर्ष में ऋणों से प्राप्तिओं का अनुमान 2979.81 करोड़ रुपये रखा गया था जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले सम्भावित अर्थोपाय अग्रिमों की 1000 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित थी। दैनिक अर्थोपाय की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक से समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते हैं और उनका प्रतिदान किया जाता है। आवश्यकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 1988-89 में 1000 करोड़ रुपये के ही अग्रिम रिजर्व बैंक से प्राप्त होने का अनुमान है। बाजार ऋण से प्राप्त होने वाले 379.01 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के विपरीत 381.05 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। भारतीय जीवन बीमा

निगम से 9.60 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष इतनी ही राशि का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। अन्य संस्थाओं तथा प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्रों से प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये 72.54 करोड़ रुपये का मूल अनुमान रखा गया था जबकि पुनरीक्षित अनुमानों में 94.43 करोड़ रुपये का ऋण अनुमानित है। केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम के लिये 1518.67 करोड़ रुपये के मूल अनुमान को तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1590.43 करोड़ रुपये का है। अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अल्प बचत संग्रहण के भाग के 600.00 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष इतनी ही राशि का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के लिये 831.74 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 909.92 करोड़ रुपये का है। केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के 25.01 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 20.08 करोड़ रुपये का है।

ऋणों और अग्रिमों की वसुलियाँ—

राज्य सरकार द्वारा दिये गये उधार एवं अग्रिमों की वसुलियों का मूल अनुमान 88.50 करोड़ रुपये था जबकि इसके लिये पुनरीक्षित अनुमानों में 79.78 करोड़ रुपये की वसुली अनुमानित है। 8.72 करोड़ रुपये की कमी मुख्यतः सहाकारिता, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार तथा विविध उधार के अन्तर्गत वसुलियों में 9.95 करोड़ रुपये की कमी तथा कृषि कार्य व सरकारी सेवकों आदि को उधार के अन्तर्गत अधिक वसुली के फलस्वरूप है।

राजस्व लब्ध का व्यय—

वर्ष 1988-89 के मूल आय-व्यय में 5733.66 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय की व्यवस्था थी, जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिधातित योजनाओं और आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत व्यय के लिये 1321.70 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर व्यय के लिये 4411.96 करोड़ रुपये रखा गया था। पुनरीक्षित अनुमान में 5930.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें आयोजनागत पक्ष के लिये 1545.13 करोड़ रुपये और आयोजनेतर व्यय के लिये 4385.57 करोड़ रुपये की राशियाँ सम्मिलित हैं।

आयोजनागत पक्ष में 223.43 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः राज्य आयोजनागत योजनाओं के व्यय में वृद्धि के फल-स्वरूप है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षित आदि के लिए एक मुश्किल प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से ही वहन किये जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 30,00 लाख रुपये के प्राविधान को समर्पित करके यह व्यय कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धियाँ सम्मिलित हैं। इस वृद्धि को सम्मिलित करके बड़ी-बड़ी अधिकताओं को आगे स्पष्ट किया गया है। मुख्यतः भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होने की प्रत्याशा में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत 92,32 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः मूल आय-व्यय में की गई व्यवस्था के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 45,54 लाख रुपये अधिक रखे गये हैं। मुख्यतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धन व्यवस्था कराये जाने के कारण ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 37,73 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है। मुख्यतः निर्धारित प्लान परिव्यय का आधार पर पेयजल तथा जलसंचरण योजनाओं, घड़ दौड़ी व द्वाराहाट इन्जीनियरिंग कालेजों का भूमि क्रय तथा निर्माण, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग तथा उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के लिये अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत 30,76 लाख रुपये की वृद्धि परिलक्षित है। मुख्यतः भारत सरकार से विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना तथा विश्व बैंक से राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत कृषि प्रसार हेतु प्राप्त धनराशि के लिये अतिरिक्त प्राविधान कराये जाने के कारण कृषि कार्य के अन्तर्गत 14,71 लाख रुपये की वृद्धि है। मुख्यतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 482 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 39 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान तथा कुम्भ मेला, हरिद्वार में विभिन्न पैथीज की चिकित्सा के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 13,50 लाख रुपये का अधिक व्यय होने का अनुमान है। मुख्यतः पशुपालन, जलपुष्टि और सफाई, परिवार कल्याण, श्रम और रोजगार, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला और संस्कृति तथा मीन उद्योग के अन्तर्गत क्रमशः 3,57 लाख रुपये, 310 लाख रुपये, 306 लाख रुपये, 252 लाख रुपये, 250 लाख रुपये, 290 लाख रुपये, 243 लाख रुपये तथा 84 लाख रुपये की वृद्धि परिलक्षित है। इसी प्रकार मुख्यतः ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहाकारिता, पर्यटन, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा शहरी विकास के अन्तर्गत क्रमशः 68 लाख रुपये, 64 लाख रुपये, 59 लाख रुपये, 57 लाख रुपये तथा 50 लाख रुपये की वृद्धि प्रस्थापित है। इसके विपरीत सचिवालय सामान्य सेवायें, कमाण्ड क्षेत्र विकास तथा लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्रमशः 30,00 लाख रुपये, 3,10 लाख रुपये तथा 2,09 लाख रुपये की कमी अनुमानित है।

आयोजनेतर पक्ष में कुल 25.40 करोड़ रुपये की कमी परिलक्षित है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये किये गये एक मुश्किल प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 2,68,07 लाख रुपये की कमी परिलक्षित है। चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, कृषि कार्य तथा तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत क्रमशः 7,31 लाख रुपये, 2,43 लाख रुपये, तथा 73 लाख रुपये की कमी होने की सम्भावना है। इसके विपरीत मैदानी, पर्वतीय व नपदों में ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के

भुगतान के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 74,16 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है। मुख्यतः सेवानिवृत्त सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों के पेंशन आदि में वृद्धि के फलस्वरूप पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत 59,35 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। मुख्यतः स्थगित वसूलियों की वसूली आदि के कारण लघु सिंचाई के अन्तर्गत 26,02 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है। आवश्यकता के आधार पर देवीविपत्ति के सम्बन्ध में राहत तथा ब्याज संदाय के अन्तर्गत क्रमशः 21,15 लाख रुपये तथा 18,68 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण वृहद् ए. मध्यम सिंचाई, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, पुलिस, खेल और युवा कल्याण, बिक्रीकर, सड़कें और पुल, विभिन्न सामान्य सेवाएँ तथा निर्वाचन के अन्तर्गत क्रमशः 15,95 लाख रुपये, 8,28 लाख रुपये, 6,36 लाख रुपये, 5,18 लाख रुपये, 4,92 लाख रुपये, 3,97 लाख रुपये, 3,54 लाख रुपये तथा 2,37 लाख रुपये की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्त-परिषद्, सूचना और प्रचार, स्टाम्प और पंजीकरण एवं सहकारिता के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण क्रमशः 2,33 लाख रुपये, 2,20 लाख रुपये, 1,33 लाख रुपये, 81 लाख रुपये 66 लाख रुपये तथा 59 लाख रुपये की वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेखे का व्यय—

पूँजीगत व्यय—

1988-89 के मूल आय-व्यय में पूँजी व्यय के लिये 793.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, क्षेत्र द्वारा पुराने योजनारहित योजनाओं, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 786.43 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 7.28 करोड़ रुपये प्राविधानित था। पुनरोक्षित अनुमान 1041.51 करोड़ रुपये है जो मूल अनुमान की तुलना में 247.80 करोड़ रुपये अधिक है। पुनरोक्षित अनुमानों के अनुसार आयोजनागत पक्ष में 1035.38 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 6.13 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

आयोजनागत पक्ष में 248.95 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है। मुख्यतः टिहरी हाइड्रो पावर काम्पलेक्स के निर्माण कार्यों, कर्मचारियों की परिलब्धियों तथा भारत सरकार से खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सहायता के लिये व्यवस्था कराये जाने के कारण वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 15055 लाख रुपये अधिक रहा। मुख्यतः उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाइयों के अधुनिकीकरण/पुनर्वासन/विस्तारीकरण हेतु दी गई अंशपूँजी, निगम की इकाइयों को दिये गये ऋणों की अंशपूँजी में परिवर्तन किये जाने तथा सहकारी चीनी मिल, बिजनौर को अंशपूँजी दिये जाने के कारण उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 4371 लाख रुपये अधिक प्रदर्शित है।

मुख्यतः विभिन्न योजनाओं के विस्तार एवं अतिरिक्त धनराशि की मांग के लिये अधिक धन व्यवस्था कराये जाने के कारण सहकारिता पर पूँजी परिव्यय 2046 लाख रुपये अधिक अनुमानित है। निर्धारित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय 1347 लाख रुपये अधिक रहा। आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय 6,85 लाख रुपये अधिक परिलक्षित है।

वृहद् निर्माण कार्यों के लिये अतिरिक्त व्यवस्था कराये जाने के कारण सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 600 लाख रुपये अधिक प्रदर्शित है। इसी प्रकार आवश्यकता के आधार पर अधिक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण पर्यटन पर पूँजी परिव्यय 298 लाख रुपये, कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय 189 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय 180 लाख रुपये, परिवार कल्याण पर पूँजी परिव्यय 79 लाख रुपये आवास पर पूँजी परिव्यय 62 लाख रुपये, लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 50 लाख रुपये, विद्युत् परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 50 लाख रुपये, उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परिव्यय 50 लाख रुपये, पशुपालन पर पूँजी परिव्यय 42 लाख रुपये तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय 30 लाख रुपये अधिक अनुमानित है। इसके विपरीत सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय 277 लाख रुपये तथा अन्य सामान्य प्राथमिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय में 70 लाख रुपये कम परिलक्षित है।

आयोजनेतर पक्ष में 1.15 करोड़ रुपये की कमी परिलक्षित है। सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय में 201 लाख रुपये की कमी अनुमानित है जबकि इसके विपरीत सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय तथा जल पूति और मल निकासी पर पूँजी परिव्यय में क्रमशः 43 लाख रुपये तथा 26 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है।

ऋणों का प्रतिदान—

वित्तीय वर्ष 1988-89 में बाजार ऋणों के प्रतिदान के लिये आय-व्ययक अनुमान 43.19 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि उपलब्ध संकेतों के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान 40.21 करोड़ रुपये रखा गया है। कैश क्रेडिट की सुविधा के समक्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्रतिदान के लिये मूल आय-व्ययक में व्यवस्थित 56.50 करोड़ रुपये के अनुमान के समक्ष इतनी ही राशि का प्रतिदान किये जाने की सम्भावना है। अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों एवं प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्रों से प्रतिदान के लिये 17.13 करोड़ रुपये के आय-व्ययक अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 19.58 करोड़ रुपये रखा गया है। भारत के रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम से मात्र समायोजन प्रकृति के प्रतिदान के लिये 1000.00 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमानों में भी 1000 करोड़ रुपये का ही प्रतिदान अनुमानित है। केंद्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान के लिये 392.88 करोड़ रुपये के मूल आय-व्ययक अनुमानों की तुलना में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुनरीक्षित अनुमानों में 386.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

ण और अग्रिम—

ऋणों और अग्रिमों के लिये मूल आय-व्ययक में 563.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जसमें 465.43 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनागत योजनाओं तथा 98.42 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के अन्तर्गत ऋणों से संवितरण के लिये सम्मिलित थी। पुनरीक्षित अनुमानों में विभिन्न आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों के संवितरण हेतु 564.25 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है जिसमें विद्युत् परियोजनाओं के लिये ऋण हेतु 398.92 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है जो इस हेतु मूलतः अनुमानित 351.42 करोड़ रुपये की तुलना में 47.50 करोड़ रुपये अधिक है। आयोजनेतर पक्ष में ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के 98.42 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 85.22 करोड़ रुपये है जो मुख्यतः कृषि, सहकारिता तथा सरकारी सेवकों आदि को उधार के लिये कम ऋण की व्यवस्था के कारण है।

आकस्मिकता निधि (शुद्ध)—

मूल आय-व्ययक में अनुमान लगाया गया था कि राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत वर्ष के लेन-देनों से 25.00 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति होगी। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार आलोच्य वर्ष में गत वर्षों के अग्रिमों के 31.96 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति परिलक्षित है। कुल आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के अन्त में 50.00 करोड़ रुपये के अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के अवशेष रह जाने का अनुमान लगाया गया था। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार भी वर्ष के अन्त में 50 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के अवशेष रह जाने का सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त निधि के कारण से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 200.00 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी थी जिसके कारण समेकित निधि से इस निधि को 200 करोड़ रुपये की राशि संकमित की गई किन्तु इस निधि से समेकित निधि को 200 करोड़ रुपये की राशि इसी वर्ष प्रत्यावर्तित कर दी गई जिन्हें मिलाकर निधि के समक्ष प्राप्तियां एवं संवितरण प्रदर्शित है।

लोक खाता (शुद्ध)—

लोक खाता के अन्तर्गत 307.71 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति के मूल अनुमानों की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 391.55 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध प्राप्ति में 83.84 करोड़ रुपये की वृद्धि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत सम्भावित न्यूनाधिकताओं के शुद्ध परिणामस्वरूप अनुमानित है। वृद्धियां मुख्यतः राज्य भविष्य निधियां, मूल्य ह्रास नवीकरण आरक्षित निधियां, स्थानीय निधियों की जमा तथा भिन्न जमा राशियों के अन्तर्गत अनुमानित है।

समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम

मूल आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (-) 26.12 करोड़ रुपये अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष के समक्ष लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (-) 120.04 करोड़ रुपये रहेगा और तदनुसार वर्ष का (+) 20.79 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में (-) 99.25 करोड़ रुपये हो जायेगा।

आय-व्ययक 1989-90

निम्नलिखित विवरण-पत्र में स्थिति का आरोह किया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

	मूल आय-व्ययक अनुमान 1988-89	पुनरीकृत अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90
प्रारम्भिक लेख	(-) 199.00	(+) 20.79*	(-) 99.25
1—समेकित निधि—			
प्राप्तियां—			
राजस्व लेखों की प्राप्तियां	5173.69	5475.54	6160.00
पूंजी लेखों की प्राप्तियां—			
शुद्धियों से प्राप्तियां	2979.91	3075.51	3427.96
शुद्धियों और अग्रिमों की वसूलियां	88.50	79.78	47.07
आकस्मिकता निधि से अक्षरण	200.00	..
योग, पूंजी लेखों की प्राप्तियां ..	3068.41	3355.29	3475.03
योग, प्राप्तियां ..	8242.10	8830.83	9635.03
व्यय—			
राजस्व लेखों का व्यय	5733.66	5930.70	8641.89
पूंजी लेखों का व्यय—			
पूंजीगत परिव्यय	793.71	1041.52	780.99
शुद्धियों का प्रसिदान	1509.71	1502.69	1577.72
शुद्ध और अग्रिम	563.85	649.47	505.74
आकस्मिकता निधि में विनियोग	200.00	..
योग, पूंजी लेखों का व्यय ..	2867.27	3393.68	2864.45
योग, व्यय ..	8600.93	9324.38	11506.34
समेकित निधि में बाटा (-) / बचत (+) ..	(-) 358.83	(-) 493.55	(-) 1871.31
2—आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	25.00	(-) 18.04	..
3—लोक खाता (शुद्ध)	307.71	391.55	1813.53
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	(-) 26.12	(-) 120.04	(-) 57.78
शुद्ध लेख	(-) 225.12	(-) 99.25	(-) 157.03

*भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार

राजस्व लेखों की प्राप्तियाँ—

वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में बजट वर्ष में 6,84,46 लाख रुपये की वृद्धि निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप है :—

मद	(लाख रुपयों में)		
	पुनरीक्षित अनुमान 1988-89	आय-व्ययक अनुमान 1989-90	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (-)
1--केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क मिलाकर	17,81,10	20,09,82	(+) 2,28,72
2--राज्य सरकार का कर (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है)	19,80,15	22,09,01	(+) 2,28,86
3--केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान और प्राप्तियाँ	11,42,08	11,95,33	(+) 53,25
4--अन्य प्राप्तियाँ	5,72,21	7,45,84	(+) 1,73,63
योग . .	54,75,54	61,60,00	(+) 6,84,46

भारत सरकार से प्राप्त संकेतों के अनुसार आधारित और अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर के विभाज्य समुच्चय में इस राज्य का अंश क्रमशः 1,97,06 लाख रुपये और 31,66 लाख रुपये अधिक होने की सम्भावना है।

मुख्यतः करापवंचन की रोकथाम तथा आय की गतिविधियों के आधार पर विक्रय कर तथा राज्य उत्पादन शुल्क के अधीन प्राप्तियाँ क्रमशः 1,43,02 लाख रुपये तथा 37,68 लाख रुपये अधिक अनुमानित हैं। मुख्यतः आय की वास्तविक गतिविधियों के आधार पर स्टाम्प और पंजीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियों में 29,78 लाख रुपये की वृद्धि सम्भावित है। वाहनों तथा यात्रियों की संख्या में वृद्धि की सम्भावना के कारण माल और यात्रियों पर कर तथा वाहनों पर कर के अधीन क्रमशः 13,83 लाख रुपये तथा 7,00 लाख रुपये अधिक रखे गये हैं। बिजली पर कर और शुल्कों के अधीन 2,55 लाख रुपये की अधिक प्राप्तियों का अनुमान है, इसके विपरीत वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियाँ 5,00 लाख रुपये कम होने की सम्भावना है।

केन्द्र से प्राप्त संकेतों तथा व्यय के लिये किये गये प्राविधानों के आधार पर केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, आयोजनेतर योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के निमित्त प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायक अनुदान में क्रमशः 74,23 लाख रुपये, 53,96 लाख रुपये तथा 18,12 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय सहायक अनुदान में 93,06 लाख रुपये की कमी अनुमानित है।

मुख्यतः वाणिज्यिक संस्थाओं तथा उपक्रमों से अधिक व्याज प्राप्तियाँ होने की सम्भावनाओं को देखते हुए व्याज प्राप्तियाँ 86,75 लाख रुपये अधिक अनुमानित है। विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्यतः राज्य लाटरी की प्राप्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्तियाँ, 53,43 लाख रुपये अधिक होने का अनुमान है। मुख्यतः स्थगित वसूलियों से प्राप्त होने की सम्भावना कारण वृद्ध और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत प्राप्तियाँ, 17,72 लाख रुपये अधिक होने का अनुमान है। मुख्यतः आय की वास्तविक गतिविधियों के आधार पर अन्य प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, जल तथा वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत क्रमशः 4,60 लाख रुपये, 4,22 लाख रुपये, 3,30 लाख रुपये, 2,50 लाख रुपये, 1,87 लाख रुपये, तथा 1,72 लाख रुपये अधिक प्राप्तियाँ आंकी गई हैं। इसी प्रकार लघु सिंचाई, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, कृषि कार्य तथा पशुपालन के अन्तर्गत क्रमशः 128 लाख रुपये, 71 लाख रुपये, 68 लाख रुपये तथा 67 लाख रुपये की अधिक प्राप्तियाँ अनुमानित हैं। इसके विपरीत वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्तर्गत उपक्रमों में विनियोजित अंशपूजी से अपेक्षाकृत लाभांश और लाभ कम प्राप्त होने की सम्भावना के कारण लाभांश और लाभ के अन्तर्गत प्राप्तियाँ 3,87 लाख रुपये कम प्राप्त होने का अनुमान है। इसी प्रकार लेखन सामग्री और मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत क्रमशः 97 लाख रुपये, 89 लाख रुपये तथा 60 लाख रुपये की प्राप्तियाँ कम होने का अनुमान है।

पूंजी लेखों की प्राप्तियाँ—

ऋणों से प्राप्तियाँ—

राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1988-89 के 3075.51 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमान के समक्ष बजट वर्ष में 3427.96 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक से समय-समय पर लिये जाने वाले अर्थोपाय अधिमाँ के लिये 1000.00 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। इस निकालने के बाद बजट वर्ष की ऋणों से प्राप्तियाँ 2427.96 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 1988-89 के तत्संबंधी पुनरीक्षित अनुमानों से 352.45 करोड़ रुपये अधिक है। ऋणों से प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों में वृद्धि के फलस्वरूप है। बजट वर्ष में वित्तीय वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों की अपेक्षा अल्प बजट संग्रहण के हिस्से के रूप में 100.00 करोड़ रुपये तथा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के अन्तर्गत 222.19 करोड़ रुपये का अधिक ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

बजट वर्ष में जारी किये जाने वाले बाजार ऋण से 427.00 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। भारत के जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त होने वाले उधार का अनुमान क्रमशः 10.32 करोड़ रुपये तथा 12.60 करोड़ रुपये है। खाद्यान्नों के व्यापार के लिये कौश-क्रेडिट की सुविधा के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त होने वाले उधार का अनुमान 35.00 करोड़ रुपये रखा गया है। अन्य संस्थाओं से तथा प्रादिकर तथा अन्य बन्ध-मत्तों से 53.60 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले उधार और ऋणियों का अनुमान 1916.44 करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें अल्प बचतों की उगाही क अंश के रूप में 700.00 करोड़ रुपये, अन्य आयोजना-भ्रम उधार के लिये 62.24 करोड़ रुपये, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 1132.11 करोड़ रुपये, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये 9.10 करोड़ रुपये तथा प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये 12.99 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

बजट वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और ऋणियों की वसूलियों का अनुमान 47.07 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 1988-89 के 79.78 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमानों से 32.71 करोड़ रुपये कम है। गत वर्ष की तुलना में कमी मुख्यतः ऋण कार्य तथा सहकारिता के लिये उधार में कमी के फलस्वरूप है।

राजस्व लेखे का व्यय—

वर्ष 1988-89 के मूल आय-व्ययक में 5733.66 करोड़ रुपये की राजस्व व्यय की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित योजनाओं और राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में 1321.70 करोड़ रुपये तथा आयोजित पक्ष में 4411.96 करोड़ रुपये रखा गया था। बजट वर्ष का अनुमान 8642.19 करोड़ रुपये है जिसमें आयोजनागत व्यय 1993.05 करोड़ रुपये तथा आयोजित पक्ष व्यय 6649.14 करोड़ रुपये है।

आयोजनागत पक्ष में 671.35 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 3,70.01 लाख रुपये अधिक की व्यवस्था की गई है। मुख्यतः निर्धारित प्लान परिव्यय तथा केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित योजनाओं के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था किये जाने के कारण सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 9822 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः निर्धारित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के लिये अधिक व्यवस्था कराये जाने के कारण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 71,62 लाख रुपये तथा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 66,61 लाख रुपये का अधिक व्यय अनुमानित है। निर्धारित कार्यक्रमों हेतु परिव्यय के आधार पर अधिक प्राविधान किये जाने के कारण कृषि कार्य के अन्तर्गत व्यय 34,34 लाख रुपये अधिक होने का अनुमान है। इसी प्रकार अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर 26,19 लाख रुपये का अधिक व्यय अनुमानित है। निर्धारित कार्यक्रमों एवं परिव्यय के आधार पर प्राविधान किये जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत 2209 लाख रुपये का अधिक व्यय होने का अनुमान है। विभिन्न कल्याण योजनाओं में आवश्यकता के आधार पर अधिक धन व्यवस्था किये जाने के कारण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 9,05 लाख रुपये का अधिक व्यय अनुमानित है। मुख्यतः ग्रामीण विकास के अन्तर्गत 8,39 लाख रुपये, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 5,61 लाख रुपये, भू-राजस्व के अन्तर्गत 4,13 लाख रुपये, मौन उद्योग के अन्तर्गत 3,65 लाख रुपये, पशुपालन के अन्तर्गत 3,40 लाख रुपये, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 2,97 लाख रुपये, भू और जल-संरक्षण के अन्तर्गत 2,93 लाख रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के अन्तर्गत 2,24 लाख रुपये, कृषि अनुभवान और शिक्षा के अन्तर्गत 1,40 लाख रुपये, वृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत 1,00 लाख रुपये, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के अन्तर्गत 75 लाख रुपये, अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत 69 लाख रुपये, सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 42 लाख रुपये, पर्यटन के अन्तर्गत 32 लाख रुपये तथा विदेश व्यापार तथा निम्नलिखित व्यय के अन्तर्गत 31 लाख रुपये अधिक अनुमानित है। इसके विपरीत आवश्यकता के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 21,76 लाख रुपये की कम व्यवस्था कराई गई है। आवश्यकता के आधार पर सड़क और पुल के अन्तर्गत 10,19 लाख रुपये, जलपूर्ति और सफाई के अन्तर्गत 9,00 लाख रुपये, सहकारिता के अन्तर्गत 6,64 लाख रुपये, कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 6,28 लाख रुपये, चिकित्सा और लघु लोक स्वास्थ्य में 3,28 लाख रुपये, वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 216 लाख रुपये, डेरी विकास के अन्तर्गत 1,92 लाख रुपये, जलों के अन्तर्गत 1,40 लाख रुपये, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1,39 लाख रुपये वागान के अन्तर्गत 82 लाख रुपये, वाहनों पर कर के अन्तर्गत 79 लाख रुपये तथा तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 72 लाख रुपये की कम व्यवस्था की गई है।

आयोजित पक्ष में 2237.18 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों के लिये स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था किये जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 13,32,69 लाख रुपये का व्यय अधिक अनुमानित है। मुख्यतः कर्मचारियों की बचत निधि में जमा धनराशि में वृद्धि तथा कर्मचारियों की सहायता में वृद्धि के कारण ब्याज संदाय के अन्तर्गत 2,86,27 लाख रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों / पाठशालाओं आदि के शिक्षण एवं शिक्षण के लिये कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते आदि के लिये सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 1,46,23 लाख रुपये अधिक की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता के आधार पर अधिक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण वृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत 94,94 लाख रुपये का अधिक व्यय अनुमानित है। मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पेशन के अन्तर्गत 6098 लाख रुपये और विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय 57,05 लाख रुपये अधिक अनुमानित है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर लघु सिंचाई के अन्तर्गत 50,14 लाख रुपये अधिक रखे गये हैं। मुख्यतः मूल्यवृद्धि तथा कर्मचारियों के भत्ते की दरों में वृद्धि आदि के आधार पर पुस्तिके के अन्तर्गत 49,30 लाख रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भू-राजस्व के अन्तर्गत 21,07 लाख रुपये, ऋणों में कमी अथवा उसके बचाव के लिये विनियोग के अन्तर्गत 15,41 लाख रुपये, बिक्री कर के अन्तर्गत 13,25 लाख रुपये, अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत 13,17 लाख रुपये, देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत 12,38 लाख रुपये, वाहनों

पर करके अन्तर्गत 11,71 लाख रुपये, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,52 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 9,57 लाख रुपये, निर्वाचन के अन्तर्गत 827 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 5,96 लाख रुपये, पशुपालन के अन्तर्गत 486 लाख रुपये, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 484 लाख रुपये, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 4,43 लाख रुपये, जेलों के अन्तर्गत 4,38 लाख रुपये, लोक निर्माण के अन्तर्गत 2,66 लाख रुपये, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के अन्तर्गत 248 लाख रुपये, वाणिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 2,47 लाख रुपये, खाद्य भण्डारण और भण्डागारण के अन्तर्गत 2,31 लाख रुपये, कृषि कार्यों के अन्तर्गत 2,17 लाख रुपये, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समतुल्यता के अन्तर्गत 198 लाख रुपये, सहकारिता के अन्तर्गत 1,92 लाख रुपये, लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 1,57 लाख रुपये, सूचना और प्रचार के अन्तर्गत 1,49 लाख रुपये, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 1,21 लाख रुपये, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 1,08 लाख रुपये, तथा राजकोष लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 1,08 लाख रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग, मंत्रिपरिषद्, जिला प्रशासन, स्टाम्प और पंजीकरण सचिवालय आर्थिक सेवायें वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, शहरी विकास, नागरिक पूर्ति, संसद / राज्य / संघ / राज्य क्षेत्र, विधानमण्डल, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकीय, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, अन्य प्रशासनिक सेवायें, उद्योग, सचिवालय सामाजिक सेवायें, मू और जल संरक्षण तथा मीन उद्योग के अन्तर्गत क्रमशः 84 लाख रुपये, 83 लाख रुपये, 76 लाख रुपये, 67 लाख रुपये, 64 लाख रुपये, 63 लाख रुपये, 59 लाख रुपये, 44 लाख रुपये, 42 लाख रुपये, 41 लाख रुपये, 39 लाख रुपये, 39 लाख रुपये, 35 लाख रुपये, 31 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 29 लाख रुपये, 24 लाख रुपये, अधिक अनुमानित है। इसके विपरीत आवश्यकता के आधार पर सड़कों और पुल के अन्तर्गत 8,47 लाख रुपये, जलपूर्ति और सफाई के अन्तर्गत 3,45 लाख रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत 65 लाख रुपये की कम व्यवस्था की गई है।

पूँजी लेखे का व्यय—

पूँजीगत परिव्यय—

वर्ष 1988-89 के प्राय-व्यय अनुमानों में पूँजीगत परिव्यय के लिये 793.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय प्रायोजनागत योजनाओं, केंद्र द्वारा पुरोनिरारित योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 786.43 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 7.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। वृत्त वर्ष में पूँजी परिव्यय के लिये 780.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें आयोजनागत पक्ष में 837.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था है तथा आयोजनेतर पक्ष में वे वसूलियां जिन्हें व्यय से घटा दिया गया है व्यय से 56.96 करोड़ रुपये अधिक है।

आयोजनागत पक्ष में 51.52 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः निर्धारित परिव्यय तथा आवश्यकता के आधार पर अधिक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण उपरोक्त उद्योगों पर पूँजी परिव्यय में 37,56 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय में 29,02 लाख रुपये की अधिक व्यवस्था कराई गई है। मुख्यतः उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अधिक अंशपूँजी विनियोजित किये जाने की सम्भावना के कारण विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 11,12 लाख रुपये का अधिक व्यय अनुमानित है। इसके अतिरिक्त निर्धारित परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वृहद् एवं मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत 9,51 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,36 लाख रुपये, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,50 लाख रुपये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,93 लाख रुपये, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,65 लाख रुपये, पर्यटन पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,52 लाख रुपये तथा कृषि कार्यों पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,45 लाख रुपये का अधिक व्यय अनुमानित है। इसके विपरीत चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय 9,20 लाख रुपये, आवास पर पूँजी परिव्यय 8,37 लाख रुपये, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा पर पूँजी परिव्यय 8,35 लाख रुपये, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 6,84 लाख रुपये, दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 4,44 लाख रुपये, उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परिव्यय 4,15 लाख रुपये, सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय 1,77 लाख रुपये, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय 1,04 लाख रुपये, खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूँजी परिव्यय 1,02 लाख रुपये, जलपूर्ति और मूल निकासी पर पूँजी परिव्यय 94 लाख रुपये, लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 83 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय 78 लाख रुपये, सीमेंट और धातु मिश्र खनिज उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 60 लाख रुपये, डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय 54 लाख रुपये तथा पशुपालन पर पूँजी परिव्यय 33 लाख रुपये कम अनुमानित है।

आयोजनेतर पक्ष में 64.24 करोड़ रुपये की कमी अनुमानित है। खाद्य विभाग का वसूलियां जिन्हें व्यय से घटा दिया जाता है के काल्पनिक खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर शुद्ध पूँजी परिव्यय 61,92 लाख रुपये कम अनुमानित है। सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय में 2,76 लाख रुपये की कमी है। इसके विपरीत अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय में 50 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है।

ऋणों का प्रतिदान—

राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के प्रतिदान के लिये प्राय-व्यय वर्ष में 1577.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले प्राथमिक ऋणों के प्रतिदान के लिये 1000.00 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। वृत्त वर्ष में राज्य सरकार का 6.50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1989 परिपत्र होगा जिसके लिये 41.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। भारत के जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान के लिये प्राय-व्यय में क्रमशः 3.07 तथा 2.09 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। खाद्यान्नों के आभार के लिये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से कैंच क्रेडिट की सुविधा के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले ऋणों के प्रतिदान के लिये 40.00 करोड़ रुपये का प्रतिदान किया गया है। अन्य संस्थाओं तथा प्रतिहर तथा अन्य व्यय-पत्रों आदि के भुगतान हेतु 18.57 करोड़ रुपये का प्रतिदान सम्मिलित किया गया है।

केन्द्रिय सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों के लिये निर्धारित शर्तों के अर्थात् प्रतिदान हेतु 472.98 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित किया है जिसमें साधनों की कमी को पूरा करने के लिये प्राप्त ऋणों के प्रतिदान हेतु 77.22 करोड़ रुपये, आयोजना भिन्न अन्य उधार के प्रतिदान के लिये 63.53 करोड़ रुपये, राज्य आयोजनागत आयोजनाओं के लिये उधार हेतु 1,84.94 करोड़ रुपये, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं और कन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये क्रमशः 2.36 और 2.87 करोड़ रुपये एवं 1984-85 से पहले के उधार के लिये 142.06 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित है।

ऋण और अग्रिम—

वर्ष 1988-89 में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले उधार और अग्रिमों के लिये कुल मिलाकर 505.74 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले उधार और अग्रिमों के लिये 430.81 करोड़ रुपये और आयोजन-उत्तर योजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों के लिये 74.93 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। आयोजनागत योजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों में विद्युत परियोजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों के लिये 323.50 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। आयोजन-उत्तर पक्ष के लिये प्राविधानित 74.93 करोड़ रुपये में 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि तहकरिता के लिये, 56.41 करोड़ रुपये कृषि के लिये, 7.65 करोड़ रुपये की राशि सरकारी सेवकों आदि को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के लिए तथा 5.00 करोड़ रुपये विविध उधार के लिये सम्मिलित है।

लोक खाता (शुद्ध)—

लोक खाता के अन्तर्गत लेन-देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा सुचित ऐसी निधियों तथा विभिन्न स्थानीय निकायों के निधियों एवं अन्य निधियों से है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की वास्तव में न तो कोई वास्तविक आय होती है और न ही वास्तविक व्यय, फिर भी इन लेन-देनों का राज्य सरकार को अर्थोपाय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बजट वर्ष में लोक खाता के अन्तर्गत-लेन-देनों ने 1813.53 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है जो गत वर्ष की शुद्ध प्राप्ति के कुल अनुमानों से 1505.82 करोड़ रुपये अधिक है।

इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण तथा महंगाई भत्ते में वृद्धियों के लिये बजट वर्ष में जो 2000 करोड़ रुपये की तदर्थ एक मुश्त व्यवस्था सम्मिलित की गई है। इनके समक्ष अनुमान है कि 1375 करोड़ रुपये की राशि सामान्य भविष्य निधि में जमा करा ली जायेगी।

समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम—

आय-व्ययक अनुमानों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (-) 57.78 करोड़ रुपये रहेगा और तदनुसार ही वर्ष का अन्तिम शेष (-) 157.03 करोड़ रुपये सम्भावित है।

सामान्य—

राज्य की कुल ऋण गस्तता के व्योरे नत्थी- 1 में दिये गये हैं।

नत्थी- 2 में राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में दिये गये और 1989-90 में दिये जाने वाले ऋणों की कुल प्रदत्त धनराशि के व्योरे दिये गये हैं।

नत्थी- 3 में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न रक्षित निधियों, राज्य विकास ऋणों की समेकित ऋण शोधन निधि तथा जमींदारों वित्तश प्रतिकर बन्धों के विमोचन से सम्बन्धित ऋण शोधन निधि में जमा शेषों के व्योरे दिये गये हैं।

नत्थी- 4 और 5 में क्रमशः व्याज के भुगतानों तथा प्राप्तियों का विश्लेषण दिखाया गया है।

नत्थी- 6 में स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के 1988-89 के पुनरीक्षित एवं 1989-90 के लिये दी जाने वाली सहायता के आय-व्ययक अनुमान दिये गये हैं।

नत्थी- 7 में विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत उधार प्रदानों के रूप में (स्थानीय निकायों को छोड़कर) स्वीकृत/प्राविधानित धनराशियां दिखायी गयी हैं।

नत्थी- 8 में वाणिज्यिक विभाग (सिचाई) के वित्तीय परिणाम प्रदर्शित हैं।

नत्थी- 9 में 31 मार्च, 1988 को प्रचलित तथा 31 दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण प्रदर्शित है।

पुनरीक्षित अनुमान 1988-89

1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों की उस वर्ष के मूल अनुमानों से तुलना करने पर जो न्यूनाधिकतायें व्यक्त होती हैं, उनका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है—

राजस्व प्राप्तियां—राजस्व प्राप्तियों के मूल आय-व्ययक अनुमानों से पुनरीक्षित अनुमानों में होने वाली न्यूनाधिकतायें नीचे दी गयी हैं:—

	(आंकड़े हजार रुपयों में दिये गये हैं)	
	(+)	(-)
निगम कर से भिन्न आय पर कर	22,05,00	..
स्टाम्प और पंजीकरण	31,76,23	..
राज्य उत्पाद शुल्क	45,00,49	..
बिक्री-कर	5,28,16	..
वाहनों पर कर	16,79,68	..
माल और यात्रियों पर कर	9,05,77	..
बिजली पर कर और शुल्क	15,00	..
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	22,00	..
ब्याज प्राप्तियां	27,69,62	..
लाभांश और लाभ	..	17,84,55
लोक सेवा आयोग	1,50	..
लोक निर्माण	..	5
अन्य प्रशासनिक सेवायें	2,26,92	..
पेंशनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों से संबंध में अंशदान और वसूलियां	5,55	..
विविध सामान्य सेवायें	3,54,76	..
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,05,84	..
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	..	1,11,90
नगर विकास	12,34	..
सूचना और प्रचार	2	..
श्रम और नियोजन	..	1
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,48,00	..
कृषि कार्य	1,14,09	..
मीन उद्योग	1	..
वार्तिकी और वन्य जीवन	..	1,77,18
सहकारिता	1	..
बृहद् और मध्यम सिंचाई	..	20,96,00
लघु सिंचाई	..	1,51,00
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	52,55	..
अन्य उद्योग	..	66
सड़क और पुल	50,00	..
अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	..	45
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	1,13,76,36	..
संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	63,29,00	..

0021--निगम कर से मिला आय पर कर (+ 22,05,00)--

उपलब्ध संकेतों के आधार पर पुनरीक्षित अनुमानों में निगम कर से मिला आय पर कर में 22,05,00 की वृद्धि अनुमानित है।

0030--स्टाम्प और पंजीकरण (+ 31,76,23)--

01--स्टाम्प अदालती (-13,34,99)--

वास्तविक आय की गतिविधियों के आधार पर "101-स्टाम्प अदालती" की विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल 13,34,99 की कमी सम्भावित है।

02--स्टाम्प गैर अदालती (+ 39,40,44)--

"02-स्टाम्प गैर अदालती की मदों के अन्तर्गत मुख्य रूप से विलेख पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की दर में वृद्धि के फलस्वरूप 39,40,44 की अधिक आय प्रत्याशित है।

03--पंजीकरण शुल्क (+ 5,70,78)--

"03-पंजीकरण शुल्क" के अधीन मदों के अन्तर्गत मुख्य रूप से पंजीकरण शुल्क की दर में वृद्धि के फलस्वरूप 5,70,78 की अधिक आय अनुमानित है।

0039--राज्य उत्पाद शुल्क (+ 45,00,49)--

वास्तविक आय के आंकड़ों के आधार पर "देशी स्पिरिट" (+1,56,48,00), "वाणिज्यिक और विकृतिकृत स्पिरिट और औषधिकृत शराब" (+40,00), "जुमाने और जवितियां" (+3,50) तथा "अन्य प्राप्तियां" (+2,02,80) इस प्रकार कुल 1,58,94,30 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसके विपरीत खपत में कमी के कारण "देशी कृषिवत शराब" (-45,00) "माल्ट शराब (माल्ट लोकर्स)" (-1,30,00) "विदेशी शराब और स्पिरिट" (-60,00) "एल्कोहल प्रक्रियित शराब" से युक्त औषधीय और प्रसाधन निमित्तियों" (-4,40) तथा "अफीम" भाग और अन्य औषधियां" (-1,54,51) इस प्रकार कुल 3,93,91 की कमी होने की संभावना है। इस कमी को समायोजित करते हुए शुद्ध वृद्धि 45,00,49 की अनुमानित है।

0040--बिक्री कर (+ 5,28,16)--

102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां से 28,16 अधिक प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार "103-मॉटर स्पिरिट एवं लुब्रीकेण्टों पर बिक्री पर कर" से 5,00,00 की अधिक आय होने की आशा है।

0041--वाहनों पर कर (+ 16,79,68)--

वास्तविक प्राप्तियों की गति के आधार पर 101-भारतीय मॉटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 5,90,58 की तथा 102-राज्य मॉटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 10,89,10 की वृद्धियां परिलक्षित हैं। इस प्रकार कुल 16,79,68 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

0042--माल और यात्रियों पर कर (+ 9,05,77)--

वास्तविक आंकड़ों एवं माल तथा यात्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप 101-कर संग्रह में 7,20,80 की 102-पथ कर में 81,20 की तथा 800-अन्य प्राप्तियों में 1,03,77 की वृद्धियां परिलक्षित हैं। इस प्रकार कुल 9,05,77 की शुद्ध अधिक प्राप्तियां सम्भावित हैं।

0043--बिजली पर कर और शुल्क (+ 15,00)--

प्राप्तियों की गति को देखते हुए "भारतीय बिजली नियमों के अन्तर्गत फ्रीस" की मद में 15,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

0045--घस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+ 22,00)--

छात्रगृह के मनोरंजन कर में 25 प्रतिशत की छूट देने के फलस्वरूप "01-कर संग्रहण" के अन्तर्गत 3,78,00 की क्रम आय अनुमानित है लेकिन दूसरी ओर "कीड़ियों पारलर के पंजीकरण एवं उन पर लगाये गये कर के फलस्वरूप "02-अन्य विविध प्राप्तियां" के अन्तर्गत 4,00,00 की अधिक आय प्रत्याशित है। इस प्रकार 22,00 की शुद्ध वृद्धि अनुमानित है।

0049--व्याज प्राप्तियां (+ 27,69,92)--

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से व्याज के अन्तर्गत सिचाई से सम्बन्धित प्राप्तियों के सम्बन्ध में मूल अनुमान की तुलना में 16,70,00 तथा कृषकों से व्याज के अन्तर्गत 1,06,91 करोड़ बाकी के निवेश पर वसूल व्याज में 7,50,00 एवं सहकारी समितियों से व्याज के अन्तर्गत 2,76,40 की वृद्धि अनुमानित है। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों से व्याज के अन्तर्गत 30,15 एवं अन्य प्राप्तियों में 3,24 की कमी अनुमानित है। उक्त न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त व्याज प्राप्तियों में कुल 27,69,92 की वृद्धि अनुमानित है।

0050-लाभांश और लाभ (-17,84,55)--

गत वर्ष 1988-89 में "200 अन्य निदेश से लाभों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों में कमी के कारण पुनरीक्षित अनुमानों में 2,75,02 की कमी प्रदर्शित है। इसके विपरीत सहकारी उपक्रमों में सरकार के अंशकों पर प्राप्त लाभांश के अन्तर्गत हो रही अधिक प्राप्तियों के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान में 95 की वृद्धि प्रदर्शित है।

101--सरकारी उपक्रमों से लाभांश के अन्तर्गत 30 प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में विनियोजित राज्य ऋण पूंजी पर लाभांश में 15,12,73 कम प्राप्ति प्रत्याशित है।

0051--लोक सेवा आयोग--

102--राज्य लोक सेवा आयोग--

02--अन्य प्राप्तियां (+ 1,50)--

वास्तविक प्राप्तिओं के आधार पर 1,50 की वृद्धि प्रदर्शित है।

0059--लोक निर्माण(-5)--

01--कार्यालय की इमारतें (-5)--

मूल प्राविधान 7,18,75 की तुलना में वर्ष 1988-89 का पुनरीक्षित अनुमान 7,18,70 है, जो 5 कम है। यह कमी अन्य प्राप्तिओं के अन्तर्गत अनुमानित है।

0070--अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (+) 2,26,92--

इस शोधक में विभिन्न कारणों से 2,26,92 की वृद्धि अनुमानित है।

0071--पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और "वस्तुतियां" -01--सिविल (5,55)--

"अभिदान और अंशदान" तथा अन्य प्राप्तिओं में क्रमशः 4,55 तथा 1,00 की वृद्धि अनुमानित है। अभिदान और अंशदान में पुलिस गार्डों के पेंशनों के लिये अंशदान जो व्यक्ति और सहकारी निकायों से वसूल किया गया में 55 की कमी तथा स्थानीय निधि के औषधालयों के अधीन नियुक्त सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के पेंशनों के लिये अंशदान में 10 की तथा अन्य अंशदान में 5,00 की वृद्धि परिलक्षित है, इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 10,10 की वृद्धि है।

0075--विविध सामान्य सेवाएँ--103 राज्य लाटरियां (+3,54,76)--

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के टिकटों की बिक्री में अनुमानित वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान कुल प्रत्याशित आय में 3,54,76 की वृद्धि परिलक्षित है।

0202--शिक्षा खेलकूद और संस्कृति (+1,05,84)--

01--सामान्य शिक्षा (-1,04,48) माध्यमिक शिक्षा में 1,03,93 प्रौढ़ शिक्षा में 55 की वृद्धि शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय पत्राचार पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क के मदों के कारण है।

03--खेलकूद और युवा सेवाएँ (+30) खेल तथा युवा कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार के फलस्वरूप 30 की वृद्धि परिलक्षित है।

04--कला और संस्कृति (+1,16)--

वास्तविक प्राप्तिओं के आधार पर 101-प्रभिलेखागार और संग्रहालय में 22 की तथा 800-अन्य प्राप्तिओं में 94 की अधिक प्राप्ति अनुमानित है।

0210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (-1,11,90)--

01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ--

101--कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां (-1,11,90)--

वास्तविक प्राप्तिओं के आधार पर 01--राज्य बीमा निगम से व्यय की पूर्ति हेतु प्राप्तिओं में 1,34,08 को कम प्राप्ति प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 02-परिवार कल्याण परियोजना के व्यय की पूर्ति हेतु राज्य बीमा निगम और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स अग्रिम में 49 की तथा 03-कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय व्यय की प्रतिपूर्ति में 57 की अधिक प्राप्ति संभावित है।

0217--नगर विकास (+ 12,34)--

01--नायुणास्त्री सहित अधिकारियों द्वारा नकशों को तैयार करने के लिये गैर सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं से फीस में 1,57 की कम प्राप्ति संभावित है।

02--छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं से वसूली जान वाली धनराशि में 14,00 की वृद्धि संभावित है।

03--अन्य प्राप्ति में 9 की कमी अनुमानित है।

0220--सूचना और प्रचार--**10-फिल्में-- (+2)--**

वास्तविक प्राप्ति के आधार पर सूचना निर्देशालय को सामुदायिक श्रवण योजनाओं से होने वाली आय के अन्तर्गत 2 की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है।

0230--भूमि और रोजगार (-1)--

वास्तविक प्राप्ति के आधार पर 1 की कम प्राप्ति अनुमानित है।

0235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1,48,00)--

इस तीर्थक ने भारत सरकार से अधिक वसूलियों के कारण 1,48,00 की वृद्धि अनुमानित है।

0401--कृषि कार्य-- (+1,14,09)--**105-खाद्य और उर्वरकों की बिक्री-- (+5,00)--**

इस मद में 5,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

107--यौध संरक्षण सेवाओं से प्राप्ति-- (+10,00)--

यौध संरक्षण सेवाओं से 10,00 की अधिक प्राप्ति प्रत्याशित है।

108--वाणिज्यिक फसलों से प्राप्ति-- (-3,27)--

लाह की खेती में 30 तथा जूट विकास योजना में 2,97 की कमी प्रत्याशित है।

110--भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से अनुदान-- (+1,32)--

इस मद में वास्तविकता के आधार पर 1,32 की वृद्धि प्रत्याशित है।

120-ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों की बिक्री, किराया, और सेवारत-- (+16,00)--

इस मद में 16,00 की अधिक आय प्रत्याशित है।

800-अन्य प्राप्ति-- (+83,85)--

कृषि विपणन विभाग के भवनों से प्राप्त किराया में 2,00 की वृद्धि प्रत्याशित है। खाद्य तेल एवं वनस्पति विकास बोर्ड के 82,07 की प्राप्ति प्रत्याशित है। इसके विपरीत केन्द्रीय मंडी परामर्शदात्री समिति से वसूल होने वाली धनराशि में 17 की कमी प्रत्याशित है। अन्य प्राप्ति में भी 5 की कमी है।

900-घटाइये-वापिसियां-- (+1,19)--

इसमें 1,19 की वृद्धि का अनुमान है।

प्राप्ति**0405--मौन उद्योग (+1)--**

"900 घटाइये वापिसियों" की मद में पुनरीक्षित अनुमान शून्य रखे जाने के कारण 1 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0406--बानिकी और वन्य जीवन (-1,77,18)--

मूल प्राविधान 73,29,08 की तुलना में वर्ष 1988-89 का पुनरीक्षित अनुमान 71,51,90 है, जो 1,80,18 कम है। यह कमी मुख्यतः अन्य प्राप्ति में अनुमानित है।

0425--सहकारिता (+1)--

आय-व्ययक वर्ष 1988-89 के अनुमान 4,23,55 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 4,23,56 रखे गये हैं। "900 घटाइये वापिसियां, के मद में पुनरीक्षित अनुमान शून्य रखे जाने के कारण 1, की विद्धि प्रत्याशित है।

0701--बृहत् एवं मध्यम सिंचाई (- 20,96,00)--

खरीफ में सामयिक वर्षा होने के फलस्वरूप जल की मांग में कमी होने के कारण सृजित सिंचन क्षमता का प्रत्याजित उपयोग नहीं हो सका एवं गत वर्ष सुख की स्थिति होने के कारण राजस्व की उगाही में भी तीव्रता नहीं लाई जा सकी। फलस्वरूप 20,96,00 की कमी प्रत्याशित है :---

0702--लघु सिंचाई (- 1,51,00)--

खरीफ में सामयिक वर्षा होने के फलस्वरूप सिंचाई हेतु जल की मांग में कमी होने के कारण एवं आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कम होने से नलकूप एवं पम्प नहरों के अपेक्षाकृत कम चलने के फलस्वरूप 1,51,00 की कमी प्रत्याशित है।

0851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--(- 52,55)--

इसकी व्यवस्था 16 01- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में स्थानांतरित होने के कारण 52,55 की कमी परिलक्षित है।

0875- (-) 66--

वास्तविकता की प्राप्तियों के आधार पर 66 की कमी प्रत्याशित है।

1054--सड़क और पुल (+ 50,00)--

मूल प्राविधान 7,01,10 की तुलना में वर्ष 1988-89 का पुनरीक्षित अनुमान 7,51,10 है, जो 50,00 अधिक है। उक्त वृद्धि स्थाई पुलों पर पथकर मद के अन्तर्गत अधिक प्राविधान के कारण हुई है।

1475--अन्य सामान्य प्राथिक सेवाएँ--(-45)--

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर अन्य कारवारी उपकरणों का विनियमन में 45 की कम प्राप्ति का हान का अनुमान है।

1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान (+ 1,13,76,36)--

केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल 1,13,76,36 की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। मुख्य वृद्धियाँ निम्न प्रकार हैं :--

आयोजना भिन्न अनुदान के अन्तर्गत 1,64,19 राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान के अन्तर्गत 79,79,00 केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान में 10,81,50 एवं केन्द्र प्रयोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान के अन्तर्गत 21,51,67 की वृद्धि प्रत्याशित है।

1602--संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा (+ 63,29,00)--

प्राप्त सूचना के अनुसार संघ उत्पादन शुल्कों में राज्य सरकार के घंश में 63,29,00 की वृद्धि अनुमानित है।

आय-व्ययक अनुमान 1989-90

1989-90 के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों को न्यूनाधिकताओं का विस्तार, स्पष्टीकरण और समीक्षा नीचे दी गई है:—

राजस्व प्राप्तियाँ—जैसा कि साधारणतया किया जाता है, इसकी तुलना 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों से की गई है

	(आंकड़े हजार रुपयों में दिये गये हैं)	
	(+)	(-)
निगम कर से भिन्न आय पर कर	31,66,00	..
स्टाम्प और पंजीकरण	29,77,95	..
राज्य उत्पाद शुल्क	37,68,30	..
विक्री-कर	1,45,01,90	..
वाहनों पर कर	7,00,00	..
माल और यात्रियों पर कर	13,83,26	..
विजली पर कर और शुल्क	2,55,00	..
वस्तुओं और सेवाओं पर कर और शुल्क	..	5,00,00
ब्याज प्राप्तियाँ	86,75,32	..
लाभांश और लाभ	..	3,87,68
लोक सेवा आयोग	..	1,50
पुलिस	4,22,01	..
जल	1,87,50	..
लेखन-पामपी और मुद्रण	..	97,68
लोक निर्माण	3,32	..
ग्रन्थ प्रशासनिक सेवायें	4,59,34	..
बैंगन और अन्य सेवा-निवृत्ति गारंटी [संस्कृत में अनुदान और बतूलिता]	1,20	..
विविध सामान्य सेवायें	53,43,24	..
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,30,87	..
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	70,26	..
आवासन	10,00	..
नगर विकास	..	7,98
सूचना और प्रचार	7	..
श्रम और नियोजन	..	1,32
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	1,48,00
अन्य सामाजिक सेवायें	..	59,30
कृषि कार्य	67,84	..
पशुलपान	66,70	..
डैरी विकास	1,15	..
मीन उद्योग	3,00	..
वानिकी और वन्य जीवन	..	1,72,10
सहकारिता	11,45	..
अन्य कृषि कार्यक्रम	5,00	..
वृहद् और मध्यम सिंचाई	17,72,10	..
लघु सिंचाई	1,27,90	..
अन्य उद्योग	2,50,00	..
मलौह धातु खनन और घातु खनन उद्योग	..	3,00
सड़क और पुल	20,00	..
नागरिक पूर्ति	2,20	..
अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	8,05	..
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	53,24,34	..
संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	1,97,06,00	..

0021--निगम कर से मिला आय पर कर (+31,66,00)--

प्राप्त संकेतों के आधार पर बजट अनुमानों में निगम कर से मिला आय पर कर में 31,66,00 की वृद्धि की सम्भावना है।

0030--स्टाम्प और पंजीकरण (+29,77,95)--

01--स्टाम्प अदालती (+75,00)--

आय की वास्तविक गतिविधियों के आधार पर "101--स्टाम्पों के रूप में वसूल अदालती फीस" में 50,00 एवं "102--स्टाम्पों की बिक्री" में 25,00 की वृद्धि होने की सम्भावना है।

02--स्टाम्प गैर अदालती (+28,98,65)--

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर विभिन्न विलेखों पर स्टाम्प फीस में वृद्धि के फलस्वरूप "102--स्टाम्पों की बिक्री" में 28,43,40 "103--दस्तावेजों के दाखिल करने पर शुल्क" की मद में 5,00 एवं "800--अन्य प्रतियाँ" में 50,25 की अधिक प्राप्ति अनुमानित है।

03--पंजीकरण शुल्क (+4,30)--

800--अन्य प्राप्ति" की विभिन्न मदों से होने वाली आय में 4,30 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0039--राज्य उत्पाद शुल्क (+37,68,30) खपत में वृद्धि एवं आय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर "देशी स्प्रिट" (+20,10,00), "देशी किण्वित शराब" (+5,00), "माल्ट शराब (माल्ट लीकर्स)", (+65,50), "विदेशी शराब और स्प्रिट" (-+6,00,00), "वाणिज्यिक और विकृतिकृत स्प्रिट और औषधिकृत शराब" - (+36,50), "एल्कोहल, अफीम आदि से युक्त औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ" (+35,00), "अफीम, मांस और अन्य औषधियों" (+15,00), "जुमानी और जाब्तियाँ" (+80) तथा "अन्य प्रतियाँ" (+10,00,50) इस प्रकार कुल 37,68,30 की वृद्धि अनुमानित है।

0040--बिक्री कर (+1,43,01,90)--

101--केन्द्रीय बिक्री कर (+10,00,00)--

करापवंचन की रोक-थाम हेतु कदम उठाये जाने तथा आय की वास्तविक प्रगति के आधार पर "केन्द्रीय बिक्री कर" से 10,00,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

102--राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ (+1,21,00,00)--

इस मद के अन्तर्गत होने वाली प्राप्ति में भी उपर्युक्त कारणों से 1,21,00,00 की वृद्धि होने की सम्भावना है।

103--मोटर स्परिट और लुब्रिकेंटों की बिक्री पर कर (+11,00,00)--

इस मद की प्राप्तियों में 11,00,00 अधिक मिलने की सम्भावना है।

106--गन्ने की खरीद पर कर (+1,01,90)--

"गन्ने की खरीद" पर कर में 1,01,90 की अधिक आय प्रत्याशित है।

0041--वाहनों पर कर (+7,00,00)--

वाहनों में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 101--भारतीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 1,41,00 की तथा 102--राज्य मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में 5,59,00 की अधिक प्राप्ति सम्भावित है। इस प्रकार शुद्ध 7,00,00 का अधिक प्राप्ति अनुमानित है।

0042--माल और यात्रियों पर कर (+13,83,26)--

माल और यात्रियों में वृद्धि तथा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 101--कर संग्रह में 11,71,84 की, 102--पथ कर में 74,00 की तथा 800--अन्य प्राप्तियों में 1,37,42 की अधिक प्राप्ति प्रदक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध 13,83,26 की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है।

0043--विजली पर कर और शुल्क (+2,55,00)--

प्राप्तियों की गति को देखते हुये "विजली की खपत और विजली पर कर" की मद में 2,50,00 की वृद्धि, तथा "भारतीय विजली नियमों के अन्तर्गत फीस" में 5,00 की वृद्धि अनुमानित है।

0045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (-5,00,00)--

101--मनोरंजन कर (-5,00,00)--

01--कर संग्रह (-5,00,00)--

छवि-गृहों के मनोरंजन कर से प्राप्त होने वाली आय में शासन द्वारा 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने के फलस्वरूप 5,00,00 की कमी परिलक्षित है।

0049--ब्याज प्राप्तियां (+86,75,32)--

मुख्यतः सिचाई विभाग के वाणिज्यिक उपक्रमों में वित्तियोजित धनराशि में वृद्धि के कारण उस पर ब्याज में 95,30,00 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों से ब्याज के अन्तर्गत 4,46,90 एवं अन्य प्राप्तियो में 47,97 की वृद्धि अनुमानित है। इसका विपरीत कूपनों से ब्याज में 1,06,91 रोकड़ बाकी के नियोजन पर वसूल ब्याज के अन्तर्गत 3,25,00 एवं सरकारी समितियों से ब्याज के अन्तर्गत 9,17,64 की कमी परिलक्षित है। उक्त न्यूनताधिकताओं को समायोजित करने के पश्चात् कुल 86,75,32 की वृद्धि परिलक्षित है।

0050--लाभांश और लाभ (- 3,87,68)--

गत वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में लक्ष्य की वृद्धि किये जाने के कारण 'उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों पर ब्याज' के अनुमानों में 7,51 की वृद्धि है। "सहकारी उपक्रमों में सरकार के अंशकों" पर प्राप्त लाभांश में 4,81 की वृद्धि है।

101--सरकारी उपक्रमों से लाभांश के अन्तर्गत 70 प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में वित्तियोजित राज्य अंगणूजी पर लाभांश में 4,00,00 कमी अनुमानित है।

0051--लोक सेवा आयोग (- 1,50)--

वित्तीय प्राप्तिओं के आधार पर 1,50 की कमी प्रत्याक्षित है।

0055--पुलिस-- (+ 4,22,01)--

101--अन्य सरकारी को दी गयी पुलिस--

इस मद के अन्तर्गत जहाँ 01-रेलवे पुलिस के अंशदान के रूप में 7,52, की कमी है वहीं 02 अन्य सरकारों से वसुलियों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त पुलिस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से 1,00, भारत सरकार की ओर से रखे गये पुलिसदल में 1,55 भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा दल के लिये 53,97 तथा अन्य वसुलियों के रूप में 46 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

103--फीस, जुर्माने और जब्तियों के अन्तर्गत प्रकम वाहन अनुज्ञप्ति में 1,40 तथा शस्त्रों की परिरक्षा के लिये फीस में 1,00 की अधिक आय-अनुमानित है।

104--आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत 1,65 की वृद्धि अनुमानित है।

800--अन्य प्राप्तिओं के अन्तर्गत अधिभूगतानों की वसुली में 6,00, अन्य की गयी सेवाओं से प्राप्तिओं में 3,30,00, भूमि और दुकानों की विक्री में 50, पुलिस लाईनों की उपज की विक्री से 4,00, इमारतों का किराया में 50, व्यावसायिक भवनों पर जल कर में 10, अवकाश वेतन अंशदान 1,00, तथा अन्य प्रकीर्ण-प्राप्तिओं में 26,40 की वृद्धि अनुमानित है।

0056--जेलों (+ 1,87,50)--

इस शीर्षक के अधीन जेलों में निमित्त वस्तुओं की विक्री से आय में अधिक विक्री के कारण 1,85,00 की तथा अन्य प्रतीण प्राप्तिओं में अधिक वसुली के कारण 2,50 की वृद्धि अनुमानित है।

0058--"लेखन सामग्री और मुद्रण"-- (-97, 68)--

101--लेखन सामग्री सम्बन्धी प्राप्तिओं के अधीन 2,27,00 की अधिक प्राप्तियां सम्भावित हैं।

102--राजपत्र आदि की विक्री के अन्तर्गत भारतीय विधि प्रतिवेदन में 33 की कमी, अधिनियम तथा अन्य पुस्तकों में 2,25 की वृद्धि, गजट, सिविल लिस्ट और दूसरे सामयिक प्रकाशन में 50 की वृद्धि, स्टॉक फार्म में 3,00 की कमी तथा सेवा पुस्तिकाओं की विक्री से आय में 2,40 की कमी का अनुमान है।

200--मुद्रणालय सम्बन्धी अन्य प्राप्तियां--

के अन्तर्गत स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं के लिये किया गया काम में 18,00 की कमी, अधिभूगतानों की वसुलियों में 3,00 की कमी, दूसरे सरकारी विभागों आदि के लिये किया गया मुद्रण कार्य में 18,00 की वृद्धि, राज्य सम्पत्ति विभाग के लिये किया गया मुद्रण कार्य में 47,00 की कमी, राज्य सेवा विभागों के लिये किया गया मुद्रण कार्य में 1,52,60 की कमी तथा विज्ञापन में 2,20 की कमी प्रत्याक्षित है।

800--अन्य प्राप्तियां--

के अधीन रही कागज और दूसरे बेकार कागज की विक्री से आय में 14,00 की वृद्धि, स्टाम्पों के साथ प्रयोग किये जाने वाले सादे कागज की विक्री में 80 की कमी, भवनों का किराया में 20 की कमी के अतिरिक्त प्रकीर्ण मद में 1,30,80 की कमी अनुमानित है।

900--घटाइये वापसियां--में 90 की कमी अनुमानित है।

0059--लोक निर्माण (+ 3,32)--

01--कार्यालय की इमारतें (+ 3,32)--

इस प्राप्ति शीर्षक के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में इस वर्ष 3,32 का अधिक प्राविधान किया गया है। उक्त वृद्धि किराये (+ 27) तथा अन्य प्राप्तियां (+ 3,05) में अनुमानित है।

0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (+4,59,34)--

01—न्याय प्रशासन (+36,68)--

इस उप शीर्षक में विभिन्न कारणों से जुमाने और जमानों में 6,00 सेवाएँ और फ़ीस में 18,21 तथा अन्य प्राप्तियों में 6,47 की वृद्धि प्रदर्शित है।

02—निर्वाचन (+3,76,50)--

इस उप शीर्षक में आय-व्ययक वर्ष में सामान्य निर्वाचनों के कारण निर्वाचा कार्य विवरणी की बिक्री में 3,00, फ़ीस जुमाने और जमानों में 2,60 तथा अन्य प्राप्तियों में 3,70,90 की वृद्धि प्रदर्शित है।

60—अन्य सेवाएँ (+52,16)--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक कारणों से पार-पत्र / वीसा पर हुए व्यय की भारत सरकार से प्रतिपूर्ति में 2,16, का सरकारी लेखा परीक्षा की फ़ीस में 50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

0071—पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियाँ-01-सिविल (+ 1,20)--

'अभिदान और अंशदान' तथा अन्य प्राप्तियों में क्रमशः 5,25 की तथा 1,50 की वृद्धि प्रत्याशित है, 'अभिदान और अंशदान' में पुलिस गारदों के पेंशन इत्यादि के लिये अंशदान जो व्यक्ति और सहकारी निकायों से वसूल किया गया में 50 की कमी अनुमानित है, इसके विपरीत विदेश सेवा के अधिकारियों के पेंशनों के लिये अंशदान में 50 की स्थानीय निधि के अंशदानों के अर्धीन नियुक्त सरकारी चिकित्साधिकारियों के पेंशनों के लिये अंशदान में 25 की तथा "अन्य अंशदान" में 5,00 की वृद्धि प्रदर्शित है, इस प्रकार प्राप्तियों को अभावित करने हुए कुल 1,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

0075—विविध सामान्य सेवाएँ-103-राज्य लाटरियाँ -(+53,43,24)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के टिकटों की बिक्री से होने वाली कुल आय 1,26,82,10 प्रदर्शित है, जो विगत वर्ष की कुल प्रत्यक्ष आय 69,84,10 से 56,98,00 अधिक है। इस वृद्धि का कारण लाटरी टिकटों की बिक्री में अनुमानित वृद्धि है।

0202—शिक्षा खेल कला और संस्कृति--

01—सामान्य शिक्षा-- (+3,30,87)--

शिक्षा फ़ीस इमारतों का किराया तथा अन्य प्रतीर्ण प्राप्तियों पर प्राथमिक शिक्षा में 21,87 माध्यमिक शिक्षा छात्र संख्या वृद्धि के कारण शिक्षण में वृद्धि तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा की परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि, भवनों के किराया आदि के कारण 2,94,05 की वृद्धि, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा में 11,98 प्रौढ़ शिक्षा एवं सामान्य में वास्तविक प्राप्तियों के कारण क्रमशः 21 व 20 की अधिक आय अनुमानित है।

02—तकनीकी शिक्षा-- (+2,17)--

अन्य प्रतीर्ण प्राप्तियों में 2,17 की वृद्धि प्राप्त है जो विविध मरी, भवन किराया, कर्मशाला में तैयार माल के विक्रय भाटि के फलस्वरूप है।

03—खेलकूद और युवा सेवाएँ-- (+30)--

खेलों एवं युवक कार्यक्रमों में वृद्धि होने के फलस्वरूप 30 की अधिक आय अनुमानित है।

04—कला और संस्कृति (+9)--

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर 101 प्रतिभे वाणर और संग्रहालय में 8 की तथा 800 अन्य प्राप्तियों में 1 की अधिक प्राप्तियाँ सम्भावित हैं।

0210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+70,26)--

"101—कार्तवीर राजा बीमा से प्राप्तियाँ" की मद के अन्तर्गत 70,16 अधिक प्राप्त होने की संभावना है साथ ही सरकारी चिकित्सालयों (आवासीय भवनों पर चल कर) से संबंधित "800-अन्य प्राप्तियाँ" की मद के अन्तर्गत 10 की वृद्धि प्रत्याशित है। इस प्रकार "0210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य" के अन्तर्गत वृद्धि 70,26 की अधिक वृद्धि प्रदर्शित है।

0216 आवास (+10,00)--

01—सरकारी रिहायशी इमारतें (+10,00)--

इस प्राप्त शीर्षक के अन्तर्गत गत वर्ष 1988-89 के पुनरोक्षित अनुमानों को तुलना में इस वर्ष 10,00 का अधिक प्राविधान किया गया है। यह वृद्धि "सर्वजनिक निर्माण विभाग" की इमारतों में अनुमानित है।

0217--नगर विकास (- 7,98)

01--वास्तुशास्त्री सहित अधिकारियों द्वारा नक्शों को तैयार करने के लिये गैर सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं में फ्री लैंड में 1,56 की कम प्राप्तियां संभावित हैं।

02--छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के संगठित विकासयोजना हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के संबंध में नगरपालिकाओं से वसूली जाने वाली धनराशि में 6,00 की वृद्धि संभावित है।

08--अन्य विविध प्राप्तियों में 8 की कमी संभावित है।

0220--सूचना और प्रचार--

01--फिल्म--(+7)--

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर चलचित्र निगम से प्राप्तियों में 5, की तथा अन्य प्रकाशनों से प्राप्तियों में 2, की अधिक प्राप्तियां होने की सम्भावना है।

0230--श्रम और रोजगार (-1,32)--

वास्तविक प्राप्तियों एवं आकड़ों के आधार पर 1,32 की कमी संभावित है।

0235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (-- 1,48,00)--

01--पुनर्वास (-- 1,48,00)--

इस उप शीर्षक में ऋणों की नाफ़ी के कारण भारत सरकार से कम वसूली होने से 1,48,00 की कमी अनुमानित है।

0250--अन्य सामाजिक सेवायें (--59,30)--

इस शीर्षक के उप शीर्षक 800 अन्य प्राप्तियों के अनुमान लेखा शीर्षक 0235 में संक्रमित हो जाने के कारण 59,30 की कमी परिलक्षित है।

0401--कृषि कार्य-(+67,84)--

104--कृषि फार्मा से प्राप्तियां (+11,00) कृषि क्षेत्रों के उत्पादन से 11,00 की अधिक आय प्रत्याशित है।

105--खाद्य और उर्वरकों की बिक्री-(+3,00)--

इस मद में 3,00 की अधिक आय प्रत्याशित है।

10--पौध संरक्षण सेवाओं से प्राप्तियां-(+10,00)--

पौध संरक्षण सेवाओं से 10,00 की अधिक आय प्रत्याशित है।

108--वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियां-(+14,25)--

लाह की खेती में 5, आलू विकास सम्बन्धी प्राप्तियों में 8,00 फल उपयोग तथा डिव्वा नदी योजना में फल तथा सक्रियों के संरक्षण, प्रशिक्षण तथा अन्य आय में 6,25 की अधिक आय प्रत्याशित है।

110-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से अनुदान-(-73)--

इस मद में वास्तविकता के आधार पर 73 की कमी प्रत्याशित है।

120-ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों की बिक्री, किराया और सेवायें--(+4,00)--

इस मद में 4,00 की अधिक आय प्रत्याशित है।

800--अन्य प्राप्तियां-(+26,32)--

कन्द्रीय मंडी परामर्श समिति से वसूली होने वाली धनराशि में 2, शीत गृह लाइसेंसिंग फ्री स से 10 फल पौधशाला लाइसेंस फ्री स से 5 तथा उद्यान सचल टोलियों से 10 की अधिक आय प्रत्याशित है। कृषि विभाग की अन्य प्राप्तियों में 50,00 अधिक प्राप्तियां प्रत्याशित है। इसके विपरीत कृषि शिक्षा के लिये फ्री स में 1,88 तथा खाद्य तेल एवं वनस्पति विकास बोर्ड से प्राप्तियों में 22,07 की कमी प्रत्याशित है।

इस प्रकार कृषि प्राप्तियों के अन्तर्गत 67,84 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

0403--पशुपालन (+ 66,70)--

गत वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमान 3,49,08 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 के लिए 4,15,75 रखे जाने के फलस्वरूप 66,70 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0404--डैरी विकास (+ 1,15)--

गत वर्ष 1988-89 की पुनरीक्षित अनुमान 1,35 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 के लिए 2,50 रखे जाने के कारण 1,15 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0405--मौन उद्योग (+3,00)--

गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान 61,00 की तुलना में प्रायःव्ययक वर्ष 1989-90 के लिये 64,00 रखे जाने के फलस्वरूप 3,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0406--वानिकी और वन्य जीवन (+1,72,10)--

01--वानिकी (+1,72,10)--

गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों की अपेक्षा इस वर्ष 1,72,10 की अधिक व्यवस्था की गई है। उक्त वृद्धि इमारतों लकड़ी (+38,65), अन्य प्राप्तियां (+1,30,95) तथा सार्वजनिक उद्यान (+2,50) में अनुमानित है।

0425--सहकारिता (+ 11,45)--

गत वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमान 4,23,56 के व्यवस्था की गई है। सहकारी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप "लेखा परीक्षा फीस" तथा अन्य प्राप्तियों में 11,45 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0435--अन्य कृषि कार्यक्रम- (+ 5,00) --

भूमि संरक्षण योजनाओं से 5,00 की अधिक प्राप्तियां प्रत्याशित है।

0701--बृहत् एवं मध्यम सिंचाई (+17,72,10)--

सृजित सिंचन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग एवं अवशेष शुल्क की वसूली में तीव्रता की प्रत्याशा में 17,72,10 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0702--लघु सिंचाई (+1,27,90)--

नलकूपों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप एवं सम्पूर्ण राजकीय लघु सिंचाई कार्यों द्वारा सृजित सिंचन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग की प्रत्याशा में 1,27,90 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग (+2,50,00)--

102-वतिजों रिनायती फोस सम्बन्धी किराये और राश्ट्री के अन्तर्गत 2,50,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

0875--अन्य उद्योग (-3,00)--

"0875--अन्य उद्योग"- (-3,00) के अधीन 02-कपड़ा नियंत्रण आदेश के अधीन कपड़ा विक्रेताओं से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस में 3,00 की कमी परिलक्षित है।

1054--सड़क और पुल (+20,00)--

इस प्राप्ति शेषक के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमान 7,51,10 की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष 7,71,10 का प्राविधान है जो 20,00 अधिक है। यह बड़ोतरी स्थानीय पुलों पर परियोजना में अनुमानित है।

1456--नागरिक पूर्ति--(+2,20)--

800--अन्य प्राप्तियां--

01--खाद्य और रसद विभाग की प्राप्तियां (+2,20)--

वास्तविक प्राप्तिशेषों के आधार पर खाद्यान्न विक्रेताओं से अनुज्ञप्ति शुल्क में 29 की, चावल मिल अनुज्ञप्ति आदेश प्रवर्तन के कारण प्राप्तिशेषों की प्रतिपूर्ति में 15 की तथा अन्य विविध प्राप्तिशेषों में 176 की अधिक प्राप्तिशेष अनुमानित है।

1475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें--(+8,05)--

वास्तविक प्राप्तिशेषों के आधार पर तैल और माप पर स्टाम्न लगाने की फीस में 8,00 की तथा अन्य कारवारी उपक्रमों का विनियमन में 5 की अधिक प्राप्तिशेष होने का अनुमान है।

1601--केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान (53,24,34)--

01-आयोजना भिन्न अनुदान (+53,95,49)--संविधान (राजस्व वितरण आदेश) के अन्तर्गत प्रशासन के स्तर में उन्नयन के लिये अनुदान के अन्तर्गत-85,00 विशेष समस्याओं- हेतु 69,61,00 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसके विपरीत रेल गाड़ी कर के बदले में अनुदान में 2,54,00 एवं देवी आपदाओं के कारण सहायता हेतु 15,60,00 की कमी परिलक्षित है। मुख्यतः इन्हीं न्यूनताधिकताओं के फलस्वरूप 52,84,34 की वृद्धि परिलक्षित है।

02-राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान (+18,12,60)--

एक मुख्य अनुदान के अन्तर्गत 25,71,60 तथा प्रकीर्ण प्राप्तिशेषों में 12,00 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसके विपरीत देवी आपदाओं के संबंध में राहत हेतु अधिम आयोजनागत सहायता के रूप में अनुदान के अन्तर्गत 7,59,00 एवं ट्राइबल एरियाज सब प्लान के अन्तर्गत 12,00 की कमी अनुमानित है।

03--केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान (74,22,94)--

मुख्यतः वृद्धियां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 80,41,00 वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत 5,69,12 अन्य अनुदान के अन्तर्गत 10,75,72 परिलक्षित है। इनके विपरीत सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय परियोजना-नायोगों में 1,09,67 रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के अन्तर्गत 11,17,05 एवं माध्यमिक शिक्षा-अन्य अनुदान के अन्तर्गत 12,61,72 की कमी प्रदर्शित है। मुख्यतया इन्हीं न्यूनताधिकताओं के कारण केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान के अन्तर्गत 74,32,94 की वृद्धि अनुमानित है।

04--केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान (93,06,69)--

मुख्य वृद्धियां ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 33,82,62 सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 1,48,82, अन्य अनुदान में वन विभाग के अन्तर्गत 1,06,26, प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत 2,78,14 तथा समाज कल्याण में बाल कल्याण के अन्तर्गत 1,47,86 की वृद्धि प्रदर्शित है। इसके विपरीत नगर विकास में 10,00,00 लघु एवं सीमांत कृषक योजनाओं में 10,55,00 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 75,22,96 परिवार कल्याण में 29,95,01 एवं अन्य अनुदान के अन्तर्गत 3,45,34 की कमी प्रदर्शित है। मुख्यतः इन्हीं न्यूनताधिकताओं के फलस्वरूप केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत 93,06,69 की कमी प्रत्याशित है।

1603--संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा (+1,97,06,00)--

प्राप्त सूचना के आधार पर संघ उत्पाद शुल्कों में राज्य सरकार के अंश में 1,97,06,00 की अधिक प्राप्तियां अनुमानित हैं।

व्यय के मूल आय-व्ययक अनुमानों से पुनरीक्षित अनुमानों में होने वाली न्यूनाधिकतायें नीचे दी गयी हैं :-

आवाकारी विभाग (+2,37)--

(+2,37) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "2039--राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन और प्रशासन 01-प्रवीक्षण" के अन्तर्गत 2,37 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) (+)4,87,68]

राजस्व लेखा (मतवेय) आयोजनेतर (+ 95)--

2217-शहरी विकास (+ 95)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 95 की वृद्धि प्रत्याशित है।

राजस्व लेखा (मतवेय) आयोजनागत (+50,50)

2217-नगर विकास (+50,00)--

के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों को पार्कों के निर्माण हेतु दिये जाने वाले अनुदान में 50,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूँजी लेखा-(मतवेय) आयोजनागत- (+4,36,73)--

6216--आवास के लिये उधार--

800--अन्य उधार--

इस मद में स्थानीय निकायों की सहाय्यित आवास योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों हेतु साइट्स एण्ड सर्विसेज भू-खण्डों के विकास एवं गृह निर्माण योजना तथा भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना की सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनाओं हेतु चालू वर्ष के मूल अनुमान की तुलना में अधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण क्रमशः 34,93 एवं 25,00 अर्थात् कुल 60,73 की वृद्धि परिलक्षित है।

6217-नगर विकास के लिये उधार (+3,76,00)--

02--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (+76,00)--

इस मद में सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मेट्रोपोलिटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में संगठित नगर विकास के लिये (केन्द्रीय आयोजनागत योजना) चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में भारत सरकार से अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने के कारण 76,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

60--अन्य शहरी विकास योजनायें--

191--स्थानीय निकायों, निगमों आदि को उधार (+3,00,00)--

इस मद में कानपुर विकास के सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ७0 प्र0 नगर विकास एवं जल सम्पत्ति परियोजनाओं (विश्व बैंक पोषित) हेतु चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण कुल 3,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा (+10,16,70)--(+14,49,72)

2053-जिला प्रशासन (+2,60)--]

06--इलाहाबाद कुम्भ मेला अधिष्ठान (+2,60)--

कुम्भ मेले की व्यवस्था हेतु अधिष्ठान हेतु 2,60 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2215--जलपूर्ति और सफाई (+7,85)--

01--जलपूर्ति-08-कुम्भ मेला इलाहाबाद, 1989 में पेयजल एवं जलोत्सारण व्यवस्था हेतु जल निगम को अनुदान-कुम्भ मेले में यात्रियों के लिए पेयजल एवं जलोत्सारण की व्यवस्था हेतु 7,85 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2217--शहरी विकास (+2,32,00)--

80--सामान्य-191--स्थानीय निकायों, नगर विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता--

01; स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश व्यय एवं सफाई उपकरणों के त्रय तथा अन्य आकस्मिक कार्यों के लिए विसंग अनुदान (+1,77,00)--

स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश एवं सफाई उपकरणों के व्यय हेतु वर्ष 1987-88 में 50,00 एवं वर्ष 1988-89 में 1,27,09 की अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के फल स्वरूप 1,77,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

03--स्व0 गोविन्द बल्लभ पन्त जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में उनकी क्रास्य प्रतिमा स्थापित करने हेतु नगर पालिका देहरादून, अरमोड़ा एवं नैनीताल को 55,00 की धनराशि दिये जाने के कारण वृद्धि प्रदर्शित है।

2245--वेधो विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (+1,79,00)--

02--बाढ़ चक्रवात आदि--

103--श्रीप्रधन सड़कों और पुलों की मरम्मत और 'बहाली नगर विकास योजना (+1,60,00)--

स्थानीय निकायों और ग्राम गैर सरकारी निकायों की सड़कों और पुलों की मरम्मत पर हुए व्यय के कारण 1,60,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

122--सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्य--

01--जल निगम को अनुदान (+19,00)--

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों हेतु जल निगम को दिये गये अनुदान के कारण 19,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3054--सड़कों और पुल (--5,93,20)--

04--जिला और ग्राम सड़कों--

800--ग्राम व्यय--

04--स्थानीय निकायों की सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिये विशेष अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 1,58,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

05--कुम्भ मेला 1989 में व्यवस्था हेतु नगर महापालिका इलाहाबाद को विशेष अनुदान दिये जाने के कारण 4,35,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3604--स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन (+2,05)--

200--ग्राम विविध क्षतिपूर्तियाँ और समनुदेशन (+205)

01--नगर पालिकाओं को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वार्षिक अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 5 की वृद्धि है।

08--उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास प्रधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरणों की स्थापना अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 2,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पुनरीक्षित 1988-89--

आयोजनागत--

2215--जलपूर्ति और सफाई (+3,12,00)--

01--जल पूर्ति--

0101--बीस हजार से पाँच लाख तक की जनसंख्या तथा (0102)

0102--बीस हजार तक की जनसंख्या वाले नगरों को जल सम्पूर्ति हेतु दी गई अतिरिक्त धनराशि के फलस्वरूप क्रमशः 2,00,00 व 8,12,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

0104--आगरा तथा मथुरा की नगरीय पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु गोकुल बैराज परियोजना के कार्यान्वयन में 7,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

उद्योग विभाग (खाने और खनिज) -(+11,32)

आयोजनागत (+11,32)--

राजस्व--

2853--अलौह धातु खान और धातु क्रम उद्योग (+11,32)--

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० हेतु एक कम्प्यूटर, रसायनशाला के फ्यूम चेम्बर्स के प्रतिस्थापन तथा वेधन साज-सज्जा के क्रय के कारण 11,32 की वृद्धि हुई है।

उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) -(+2,44,08)

राजस्व लेखा--

आयोजनागत--

"मतदेय" (+5)

"2425-सहकारिता" (+5) के अधीन महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण 5 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत--

"मतदेय" (+22,63)--

"2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (+22,63)के अधीन कुटीर उद्योग निदेशालय की स्थापना में 3,37 की वृद्धि हस्तशिल्प सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता में 2,57 की वृद्धि, खादी और ग्रामोद्योग की योजनाओं में 14,61 की वृद्धि और अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हस्तशिल्प सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता में 2,08 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत--

"मतदेय" (+2,21,40)--

"4885--उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय" (+50,00)के अधीन उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्त विकास निगम के अंशकों के क्रय के निमित्त 50,00 की वृद्धि है।

6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार (+1,71,40)--

102--लघु उद्योग (+54,07)--

इस मद में चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में एकीकृत सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) राज्य योजना के अन्तर्गत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 54,07 की वृद्धि प्रदर्शित है।

104--हस्तशिल्प उद्योग (+12,06)--

वर्ष 1988-89 के मूलानुमान "शून्य" के विपरीत हस्तशिल्प सहकारी समितियों को अंशपूंजी हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 12,06 की वृद्धि परिलक्षित है।

105--खादी और ग्रामोद्योग (+1,00,00)--

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमान "शून्य" के विपरीत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 1,00,00 की वृद्धि है।

109--संयुक्त ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों के लिये उधार (+5,27)--

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमान "शून्य" की तुलना में औद्योगिक सहकारी समितियों अवस्त्रीय अंशपूंजी ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 5,27 की वृद्धि प्रदर्शित है।

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (+1,54,48)

राजस्व लेखा--

आयोजनागत--

भारत (-2,10)--

2049--व्याज संदाय/(-2,10)--

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को व्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,10 की कमी है।

आयोजनागत--(+36,51)--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+36,51)--

रेशम निदेशालय की स्थापना के फलस्वरूप 18,88 की वृद्धि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हथकरघा क्षेत्र के व्यक्तिगत बूनकरों को दिये गये ऋण पर व्याज उपादान के लिए 10,00 की वृद्धि रेशम के कोयों के क्रय के लिये 25,00 की वृद्धि और शहतूत रेशम सघन विकास परियोजना तराई क्षेत्र में 17,37 की कमी प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत (-1,43)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारत) (-1,43)--

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,43 की कमी है।

आयोजनागत--

6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार (+1,21,50)--

के अधीन 103--हथकरघा उद्योग में मार्जिन मनी के अन्तर्गत बूनकरों को ऋण दिये जाने के कारण 1,21,50 की वृद्धि है।

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (+) 23,66,98

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर-भारित (-13,31)--

2049--व्याज संदाय (भारित) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को व्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 13,31 की कमी है।

पूंजी लेखा--

आयोजनेतर-(भारित) (-10,71)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण-108-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार के अन्तर्गत वास्तविकता के आधार पर 10,71 की कमी है।

आयोजनागत (+21,92,00)--

6854--सीमेंट और धातु भिन्न खनिजों के लिए उधार के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम को कपास के आयात हेतु 17,50,00 ऋण स्वीकृत करने के कारण इतनी ही राशि की वृद्धि है।

6858--इन्जीनियरी उद्योगों के लिये उधार--के अन्तर्गत आटो ट्रेक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को अधिक राशि स्वीकृत करने के कारण 3,07,00 की वृद्धि है।

6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार के अन्तर्गत प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को गेल्स टैक्स ऋण योजना में अधिक ऋण स्वीकृत करने के कारण 1,35,00 की वृद्धि है।

उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (+) 1,60,23

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक अनुमान 1,63,20 (2,20 आयोजनेतर तथा 1,61,00 आयोजनागत) के समक्ष 3,23,43 (2,20 आयोजनेतर तथा 3,21,23 आयोजनागत) की पुनरीक्षित मांग है। इस प्रकार कुल 1,58,03 की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

राजस्व लेखा- (+15,00)--

आयोजनागत (+15,00)--

"3453--विदेश व्यापार और निर्यात संस्वर्जन" (+15,00) के अर्धीन कालीन उद्योग के विकास की योजनान्तर्गत 15,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा (+1,45,23)--

आयोजनागत (+1,45,23)--

"6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये उधार" (+1,45,23)--

104--हस्तशिल्प उद्योग (+21,00)--

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान "शून्य" के विपरीत सूखे से प्रभावित हस्तशिल्प केन्द्र सहायता योजना के लिए उ० प्र० निर्यात निगम को ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण 21,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

200--अन्य ग्राम उद्योग (+1,24,23)--

इस मद के चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमान "शून्य" के विपरीत उ० प्र० राज्य ब्रासवेयर निगम आन्तरिक विपणन सुदृढीकरण प्रदर्शन कक्षा के नवीनीकरण हेतु उ० प्र० निर्यात निगम तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत उक्त उ० प्र० ब्रासवेयर निगम को सूखे से प्रभावित पीतल कारीगरों के सहायतार्थ ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण क्रमशः 80,00, 42,50 तथा 1,73 अर्थात् कुल 1,24,23 की वृद्धि परिलक्षित है।

ऊर्जा विभाग (+) 41,20,34

आयोजनेतर (+5,34)--

राजस्व लेखा--

2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+5,35)--

शासन द्वारा महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि किए जाने के कारण विद्युत् निरीक्षणालय के अधिष्ठात व्यय में 5,35 की वृद्धि है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+2)--

एक मृतक कर्मचारी के आश्रित का जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय भुगतान के कारण 2, की वृद्धि है।

2801--06--ग्रामीण विद्युतीकरण (-3)--

ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा हेतु गठित समन्वय समिति के अधिष्ठात के वेतन पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार 3 की कमी है।

आयोजनागत (+41,15,00)--

पूँजी लेखा--

4801--विद्युतीकरण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय (+50,00)--

उ. 0 प्र० अर्थात्क एवं लघु जल विद्युत निगम को अंश पूँजी स्वीकृत किये जाने के कारण 50,00 की वृद्धि है।

6801--विद्युत् परियोजनाओं के लिए उधार (+40,65,00)--

विद्युत् परियोजनाओं के निम्न पोषण और टेहरी हाइड्रो पावर कामप्लेक्स के संबंध में अधिक ऋण उपलब्ध कराए जाने के कारण 40,65,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग-आँद्यानिक विकास(+42,03)--

राजस्व व्यय--

2401--कृषि कार्य (मतदेय--42,20 भारत-3)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के फलस्वरूप 5,12,59 के आय-व्यय अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 5,50,64 रखे जाने के कारण 38,05 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, अंतरिम सहायता मद में आवश्यकता के आधार पर मूल आय-व्यय अनुमान 9,93,46 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 9,97,61 (मतदेय) रखे जाने के कारण 4,15 की वृद्धि प्रत्याशित है।

भारत मद में आवश्यकता के आधार पर 3 की कमी प्रदर्शित है।

2406--वानिकी और वन्य जीवन (+9,38)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 1,55,25 सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 1,64,63 रखे जाने के कारण 9,38 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (-2,48)--

आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 1,04,16 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,01,68 रखे जाने के कारण 2,48 की कमी प्रदर्शित है।

2435--अन्य कृषि कार्यक्रम (-3)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 1,93 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,90 रखे जाने के कारण 3 की कमी प्रदर्शित है।

2851--ग्रामीणों और लघु उद्योग (+7,96)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर मूल अनुमान 6,79 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 15,54 रखे जाने के फलस्वरूप 8,75 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 13,02 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 12,23 रखे जाने के कारण 79 की कमी प्रदर्शित है।

पूँजी लेखा--

4401--कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय (-14,97)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर मूल अनुमान 15,00 की तुलना पुनरीक्षित अनुमान 3,80 रखे जाने के कारण 15,00 की कमी तथा आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 3,80,00 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 3,80,03 रखे जाने के फलस्वरूप 3 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (+13,38,92)--

राजस्व लेखा--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (+1,85)--

आयोजनेतर पक्ष में विशेषज्ञांच आयोग के संबंध में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 50, के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 2,35 रखे जाने के फलस्वरूप 1,85 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2401--कृषि कार्य (+11,86,33)--**आयोजनागत (+14,33,70) तथा आयोजनेतर (--2,47,37) -**

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परिव्यय के अंतर्गत 31,56,09 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 45,89,79 रखे जाने के कारण 14,33,70 की वृद्धि अपेक्षित है। आयोजनेतर पक्ष में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, अन्तरिम सहायता आदि में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 34,41,23 के मूल अनुमान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 31,93,86 रखे जाने के फलस्वरूप 2,47,37 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार यहां पर कुल 11,86,33 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

2402--भू और जल संरक्षण (+27)--

आवश्यकता के आधार पर आयोजनेतर पक्ष में 2,98,43 मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 3,07,29 रखे जाने के फलस्वरूप 8,86 की वृद्धि प्रत्याशित है। आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 36,14,66 के मूल अनुमान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 36,05,53 रखे जाने के फलस्वरूप 9,13 की कमी प्रत्याशित है। इस प्रकार यहां पर 27 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+1,91,03)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 13,33,07 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 13,33,30 रखे जाने के फलस्वरूप 23 की वृद्धि प्रत्याशित है। आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम तथा उपलब्ध परिव्यय की सीमा में 4,32,00 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 6,22,80 रखे जाने के फलस्वरूप 1,90,80 की वृद्धि प्रत्याशित है। इस प्रकार यहां पर कुल 1,91,03 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2435--अन्य कृषि कार्यक्रम (-40,02)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर मूल अनुमान 1,41,83 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 1,06,33 रखे जाने के फलस्वरूप 35,50 की कमी प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में मूल अनुमान 1,64,14 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,59,62 रखे जाने के फलस्वरूप 4,52 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार यहां पर कुल 40,02 की कमी प्रत्याशित है।

पूँजी लेखा --(+15,82,56)--**4401--कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय (+19,99,56)--**

इस शीर्षक के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रम तथा आवश्यकता के आधार पर 1,75,50 मूल अनुमान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 3,79,97 रखे जाने के फलस्वरूप 2,04,47 की वृद्धि प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में मूल अनुमान 52,70,96 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 70,66,05 रखे जाने के फलस्वरूप 17,95,09 की वृद्धि प्रत्याशित है जो कि खाद तथा उर्वरक एवं कृषि रक्षा उपकरणों के क्रय हेतु अलग से व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप अपेक्षित है। इस प्रकार 19,99,56 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

4408--खाद भण्डारण तथा भण्डानारण पर पूँजी परिव्यय (+3,00)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर कृषि रक्षा बफर गोदामों के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यवस्था कराने के फलस्वरूप 3,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

6401--कृषि कार्य के लिये उधार (-4,20,00)--

वर्ष 1988-89 के अनुमान 15,00,00 की तुलना में, उर्वरक के व्यापार हेतु भारत सरकार से अपेक्षाकृत कम अल्पकालीन ऋण सहायता प्राप्त होने के कारण पुनरीक्षित अनुमान में 4,20,00 की कमी प्रदर्शित है।

इस प्रकार पूँजी लेखे के अंतर्गत शुद्ध वृद्धि 15,82,56 की प्रत्याशित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(+1,28,50,91)

राजस्व लेखा--**2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (+5,67,00)--**

आयोजनागत पक्ष के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वास्तविक सहायता तथा अनुमोदित प्लान परिव्यय के आधार पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण कुल 5,67,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2505--ग्रामीण रोजगार (+60,46,76)--

आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं हेतु संशोधित एवं अनुमोदित प्लान परिव्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता के आधार पर अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण कुल 60,46,76 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+54,71)--

निर्धारित कार्यक्रमों हेतु संगोष्ठित एवं अनुमोदित प्लान परिव्यय के आधार पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण कुल 54,71 की वृद्धि परिकल्पित है।

2702—लघु सिंचाई (--2,08,56)--

निर्धारित कार्यक्रमों हेतु प्लान परिव्यय पुनरीक्षित एवं संगोष्ठित हो जाने के उपरान्त आवश्यकतानुसार, स्वीकृतियों जारी करने के परिणाम स्वरूप कुल 2,08,56 की कमी प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

राजस्व लेखा (-8,27)

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (-7,20)--

आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता आदि में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय के कारण कुल 6 की कमी प्रदर्शित है। आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित कार्यक्रमों तथा प्लान परिव्यय के आधार पर प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 7,14 की कमी प्रदर्शित है।

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम] (-1,07)--

आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता आदि मशों में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय के कारण कुल 1,07 की कमी प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) =

2403--पशुधन (+3,51,92)--

आयोजनेतर पक्ष में पशुधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारों वर्गों के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य मशों के लिये आवश्यकतानुसार स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के कारण कुल 28,12 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय एवं निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण कुल 3,38,52 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) --(+62,33)--

राजस्व लेखा (+1,20)--

2402--डेरी विकास (+1,20)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता, आदि मशों की दरों में वृद्धि किये जाने के कारण 55 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में प्राविधित प्लान परिव्यय एवं निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर कुल 65 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा (+61,13)--

4404--डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय (+2)--

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरेली के डेरी प्लान्ट की क्षमता विस्तार तथा दुग्ध विकास कार्यक्रम के विस्तार के लिए कुल आवश्यकता 9,44 बच्चों से बहन किए जाने के कारण 1, की प्रतीक मांग की व्यवस्था प्रथम अनुपूरक मांग से प्राविधान कराया गया है।

ओ० एम-2 योजनान्तर्गत 3 दुग्ध संघ के विस्तार के लिए भी 14,00 की व्यवस्था बच्चों से किए जाने के कारण प्रथम अनुपूरक मांग से 1, की प्रतीक प्राविधान कराया गया।

तदनुसार मूल प्राविधान के तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 2, की वृद्धि है।

6403--पशुपालन के लिए उधार (+61,11)--

उ० प्र० पशुधन निगम के व्यवस्था करने के लिये अतिरिक्त कार्य शील पूंजी ऋण के रूप में दिए जाने के कारण चालू वर्ष के मूल अनुमान शून्य की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 61,11 की वृद्धि है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (+83,46)

राजस्व लेखा--

2405--मौन उद्योग (+83,46)--

आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत कर्मचारी वर्ग के वेतन आदि मदों हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के कारण कुल 10, की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर कुल 83,56 की वृद्धि प्रदर्शित है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (+27,35,32)

राजस्व लेखा--

2049--ब्याज संदाय (+1,93,80)--

ब्याज के भुगतान के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भारित 1,93,80 की वृद्धि है।

2425--सहकारिता (+15,00)--

विभिन्न योजनाओं में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यवस्था किये जाने के कारण 15,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत--

राजस्व लेखा--

2425--सहकारिता (+63,64)--

आवंटित प्लान परिव्यय और कार्यक्रमों का विस्तार किये जाने के कारण 63,64 की वृद्धि है।

पूँजी लेखा--

2425--सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय (+7,26,00)--

आय-व्ययक वर्ष 1988-89 के अनुमान 2,19,45 की तुलना में पुनरोक्षित अनुमान 9,45,45 रखे जाने के कारण 7,26,00 की वृद्धि है। वृद्धि का कारण विभिन्न योजनाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग है।

2003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) (+1,23,77)--

आयोजनागत पक्ष में मूल धन के प्रतिदान के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,23,77 की वृद्धि है।

2401--कृषि कार्य के लिये उधार (+15,58,01)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आयोजनागत पक्ष में 16,00,01 की कमी हो गई है, परन्तु आयोजनागत पक्ष में कुल नई योजनाओं में कार्य किये जाने के कारण 42,00 की वृद्धि हुई है। न्यूनताधिकताओं को समायोजित करने के पश्चात् शुद्ध 15,58,01 की कमी प्रदर्शित है।

2425--सहकारिता के लिए उधार (+11,27,12)--

आयोजनागत पक्ष में योजनाओं में विस्तार किये जाने के कारण 11,27,12 की वृद्धि है।

2860--उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार (+4,50,00)--

अनुपूरक मांगों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को लेवो चीनी वितरण हेतु उधार की व्यवस्था किये जाने के कारण 4,50,00 की वृद्धि है।

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (-3,09,55)

2705--कमान क्षेत्र विकास--

आयोजनागत (-3,09,55)--

अनुमोदित कार्यक्रम तथा आवश्यकता के आधार पर 49,25,00 के मूल अनुमान की तुलना में पुनरोक्षित अनुमान 46,15,45 होने के फलस्वरूप 3,09,55 की कमी प्रदर्शित है।

कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (+96)

राजस्व लेखा (मतदेय)--आयोजनेतर (+96)--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--(+96)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 96 की वृद्धि प्रत्याशित है।

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (+37.26)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2051--लोक सेवा आयोग--

102--राज्य लोक सेवा आयोग (भारत) (+7,26)--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों को न्यायालय के निर्णयानुसार समान दर से पूर्वगामी तिथि से विशेष भत्ता दिये जाने से तथा अधिक परीक्षाओं के आयोजन के फलस्वरूप विभिन्न मदों में कुल 7,26 की वृद्धि हुई है।

103--कर्मचारी चयन आयोग (मतदेय) (+30,00)--

चालू वर्ष में नए सिरे से समूह "ग" के कर्मचारियों के चुनाव एवं भत्तों के लिए पृथक कर्मचारी आयोग की स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न मदों में कुल 30,00 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार यहां पर कुल 37,26 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

[खाद्य तथा रसद विभाग (--1,05,73)--]

राजस्व लेखा (--1,05,73)--

आयोजनेतर (--1,16,13)--

2049--ब्याज संदाय (--1,18,44)--

चूक केन्द्रीय पुल हेतु भारतीय खाद्य नियम को डिलीवरी क्रिये गये खाद्यान्नों का मूल्य राज्य सरकार को शीघ्रता से प्राप्त न होने से शासन द्वारा व्याज के रूप में कम घनराशि प्राप्त होगी इसलिए यहां 1,18,44 की कमी परिलक्षित है।

3456--नागरिक पूर्ति (+1,20)--

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर उक्त शीर्षकों के विभिन्न मदों में 1,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

[3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+1,11)--]

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर उक्त शीर्षकों की विभिन्न मदों में शुद्ध 1,11 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत (+10,40)--

3456--नागरिक पूर्ति (+10,40)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां शुद्ध 10,40 की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है।

[खेल विभाग (+1,05,24)]

आयोजनेतर (--98)--

शासकीय मितव्ययिता की नीति के आधार पर यहां 98 की कमी हुई है।

आयोजनागत (+1,06,22)--

क्रीड़ा कार्यकलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण राजस्व पक्ष में क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन मद में 23,95 केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर पर व्यय हेतु 30 एवं प्रशिक्षण योजना में 8,05 का अधिक प्राविधान किया गया है। इसी आधार पर अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के पद स्वीकृत होने के कारण निर्देशन और प्रशासन में 2,11 की वृद्धि हुई है। के० डी० सिंह "बाबू" स्टेडियम में हेल्थ सेंटर के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु 3,03 एवं कन्ड्रीशनिंग जिम्नेजियम के निर्माण हेतु 2,88 का प्राविधान अनुपूरक मांग से किया गया है। बृजेन्द्र स्वरूप पार्क, कानपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु नगर महापालिका, कानपुर को 2,50 का नया अनुदान स्वीकृत किया गया है।

पूजोगत पक्ष से स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में बन रहे एस्ट्रोर्टफ स्टेडियम एवं जिम्नेजियम के निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु क्रमशः 42,00 एवं 19,33 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद स्टेडियम में ट्यूबवेल के निर्माण हेतु भी 2,07 की अतिरिक्त व्यवस्था सम्मिलित हुई है।

गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (-1,39,16)

गन्ना विकास विभाग--गन्ना (मतदेय ---1,37,96 भांति --1,26) --

राजस्व--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों एवं आवंटित परिव्यय के आधार पर 61,21 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर--

2049--व्याज संदाय (भारित-63)--

वास्तविक आवश्यकतानुसार मूल अनुदान 1,50 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 87 रखे जाने के फलस्वरूप 63 की कमी प्रदर्शित है।

2401--कृषि कार्य (+4)--

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मूल अनुमान 10,35,49 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 10,35,53 रखे जाने के कारण 4 की वृद्धि अनुमानित है।

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+79)--

वास्तविक आवश्यकतानुसार मूल अनुमानों 86,86 के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान 87,65 रखे जाने के फलस्वरूप 79 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--(मतदेय-2,00,00 भारित-57)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "60,03--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) तथा "6425--सहकारिता के लिए उधार" के अन्तर्गत क्रमशः 57 (भारित) व 2,00,00 (मतदेय) की कमी प्रदर्शित है।

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (+52,44,32)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2040--दिक्रीकर (भारित) (+1,76,07)--

797--रक्षित निधियों तथा निक्षेप लेखों की संक्रमण-02-उ 0 प्र 0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि की संक्रमण-19-अन्तर्लेखा संक्रमण में 90,87 की वृद्धि तथा 03-उ 0 प्र 0 गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि-29-अन्तर्लेखा संक्रमण में 85,20 की वृद्धि है।

2852--उद्योग (+1,76,07)--

08--उपभोक्ता उद्योग--201--चीनी--

01--उ 0 प्र 0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण स्थापना निधि, के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ 0 प्र 0 शक्कर विशेष समिति की भुगतान-33-अन्य व्यय में 90,87 की वृद्धि है। इसके अलावा-02-उ 0 प्र 0 के अभावप्रस्त शक्कर फैक्ट्रियां को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ 0 प्र 0 शक्कर विशेष समिति की भुगतान-33-अन्य व्यय में 85,20 की वृद्धि है।

पूंजी लेखा--

आयोजनेतर (भारित) (+8,18)--

(मतदेय) (+5,13,00)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण--

108--राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से उधार--01-ऋणों के प्रतिदान-33-अन्य व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ऋण की अदायगी करने के कारण 8,18 की वृद्धि है।

6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार--

04--चीनी--190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार-01-उ 0 प्र 0 राज्य चीनी निगम को अधिक ऋण स्वीकृत करने के कारण 2,33,00 की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त-02-चीनी मिलों को ऋण में 80,00 की वृद्धि तथा 03-सहकारी चीनी मिलों को अधिक ऋण स्वीकृत करने के फलस्वरूप 2,00,00 की वृद्धि है।

आयोजनागत (+35,71,00)--

4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत उ 0 प्र 0 राज्य चीनी निगम तथा सहकारी चीनी मिलों को अधिक राशि स्वीकृत करने तथा शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत ऋण एवं उस पर देय व्याज को अशपूजी में परिवर्तित करने के कारण क्रमशः 30,71,00 तथा 5,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

गृह विभाग (कारागार) (+6,59)

राजस्व लेखा-

आयोजनेतर-

2056--जेलें (+1,59)--

इस शीर्षक में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्यय में 1,56 तथा मशीनों में 3 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा-

आयोजनागत--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+5,00)--

इस शीर्षक में कारागार महानिरीक्षक कार्यालय भवन के विस्तार हेतु लघु निर्माण कार्य 5,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

गृह विभाग (पुलिस) (+9,02,34)

राजस्व लेखा (आयोजनेतर--मतदेय (+7,34,77)--

2055--पुलिस (+6,35,62)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम अनुपूर्वक मांग 1988-89 द्वारा बारह कायकनों में अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने तथा अन्य योजनाओं में महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों में वृद्धि के कारण आवश्यकता बढ़ जाने से शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में 7,27 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता में 31,18 विशेष पुलिस में 25,02, जिला पुलिस में 3,50,63 रेलवे पुलिस में 17,21 पुलिस कारमिकों का कल्याण में 1,55 पुलिस बल का आधुनिकीकरण में 2,02,75 तथा विधि चिकित्सा विज्ञान में 1, की वृद्धि अनुमानित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+95,15)-

इस शीर्षक में अग्निशमन केन्द्र उन्नाव की स्थापना तथा आग से बचाव व नियंत्रण की योजना में विभिन्न मदों में 95,15 की वृद्धि परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+4,00)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत मारे गये पुलिस ब मियों को अधिक सहायता देने हेतु अन्य व्यय में 1,00 तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के दंगों में मारे जाने के कारण उनके परिवारों को सहायता हेतु अन्य व्यय में 3,00 की वृद्धि अनुमानित है।

पूंजी लेखा (मतदेय) (+1,67,57)--

आयोजनागत (+1,41,57)--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+1,72,95)-

उन्नाव में पुलिस/अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिये व्यवस्था के कारण वृहत निर्माण कार्य में 1,72,95 की वृद्धि अनुमानित है।

4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (-29,77)-

अग्निशमन केन्द्रों/ शिक्षण केन्द्रों पर भोजनालयों का निर्माण कार्य न हो पाने के कारण वृहत निर्माण कार्य में 29,77 की कमी परिलक्षित है।

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय (-1,61)--

पुलिस निधि के व्याज से निर्मित होने वाले आवास गृहों के निर्माण पर कम व्यय आने के कारण 1,61 की कमी वृहत निर्माण कार्य में परिलक्षित है।

आयोजनेतर (+26,00)--

4215--जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय (+26,00)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत कानपुर नगर पुलिस लाइन की जल व्यवस्था के सुदृढीकरण के कारण 26,00 की वृद्धि अनुमानित है।

गृह विभाग (राजपैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (+1,27)

राजस्व लेखा/आयोजनेतर (+5) --

2052--सचिवालय-सामान्य सेवायें (+5)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5 की वृद्धि प्रत्याशित है।

गृह विभाग (नगरिक सुरक्षा) - (+7,34,64)

2070 --अन्य प्रशासनिक सेवायें (+ 7,26,49)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत होमगार्डस्वयं सेवकों के मानव कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि के कारण मजदूरी में 4,00,00 होमगार्डों न प्रशिक्षण भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के कारण छात्रवृत्ति में 3,03,00 तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य मदों में 23,49 की वृद्धि अनुमानित है।

2235 --राजस्व सुरक्षा और कल्याण (+8,15)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत मृत होमगार्डों के परिवारों की अधिक सहायता उपलब्ध करने हेतु अन्य व्यय की मद में 8,15 की वृद्धि अनुमानित है।

गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट प्रमिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) -

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+ 2,30)--]

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2053--जिला प्रशासन के अन्तर्गत 5,00 की वृद्धि हुई है तथा इसके विपरीत कतिपय पदों के रिक्त रहने के कारण राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय में 2,70 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 2,30 की वृद्धि अनुमानित है।

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) - (+12,08)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

लेखा शीर्षक-2012--राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्य/संव राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (भारत)--(+ 12,08)--

मुख्यतः मंहगाई भत्ते व मकान किराया की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप तथा महामहिम राज्यपाल के विशेषाधीन अनुदान में वृद्धि व श्री राज्यपाल के लिए एक एम्बेस्सर कार तथा राजभवन में खाद्य पदार्थों को लाने व ले जाने हेतु एक आटोरिक्शा क्रय किये जाने के कारण कुल मांग में 12,08 की वृद्धि परिलक्षित है।

चिकित्सा विभाग (एनोपयो चिकित्सा) - (+2,08,23)

आयोजनेतर--(-5,70,12)--

राजस्व लेखा (-5,70,12)--

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपथी (+2,13,28)--

वास्तविक व्यय की आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप "001--निदेशन और प्रशासन" के शीर्षक में 4,50, "800-अन्य व्यय" की मद में 3,54,76 की अधिक व्यवस्था की गई है। "110-अस्पताल और औषधालय" शीर्षक के अन्तर्गत व्यय की वास्तविक आवश्यकतानुसार 1,45,98 की कमी प्रदर्शित है।

"800-अन्य व्यय" के शीर्षक के अन्तर्गत "सिट्रल हॉस्पिटल फण्ड कमेटी" को सहायक अनुदान एवं "उत्तर प्रदेश लाटरी की शुद्ध प्राप्तियों में से व्यय" के लिये क्रमशः 78,39 एवं 78,39 अधिक सम्मिलित है।

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपथी (-7,83,40)--

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए "110-अस्पताल और औषधालय" की मद में 7,83,40 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत (+7,78,33)--

राजस्व लेखा (+6,30,31)--

17,66,09 के मूल प्राविधान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 26,03,85 की व्यवस्था की गई है जो 6,30,31 अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किराया, मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में वृद्धि तथा कतिपय नई योजनाओं का वर्ष 1988-89 में प्रथम आपूर्क अनुदान के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है।

पूजा लेखा (+1,48,04)--

पूजा लेखे में 1,20,00 की वृद्धि जिला चिकित्सालयों में 1,20 चिकित्सालयों के आवासों के निर्माण की स्वीकृति देने के फलस्वरूप है। शेष वृद्धि अन्य निर्माण कार्यों एवं उनकी लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप है।

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (+11,38)

राजस्व लेखा—(+11,38)—

आयोजनेतर—(+17,18)—

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+17,18)—

02—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां (+20,18)

101—आयुर्वेद (+20,18)—

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर उक्त शीर्ष में शुद्ध 20,18 की वृद्धि अनुमानित है।

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां (+1,00)—

101—आयुर्वेद (+1,00)—

कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्ते आदि में अतिरिक्त परिलक्षियों की व्यवस्था के निमित्त शुद्ध 1,00 का आधिक्य अनुमानित है।

05—चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (-4,00)—

101—आयुर्वेद (-25)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उक्त शीर्ष में 25 की कमी की गई है।

103—यूनानी (-3,75)—

कर्मचारियों के कतिपय पद रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उक्त शीर्ष में शुद्ध 3,75 की एक और वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (-5,80)—

गत वर्ष के मूल 3,52,70 के विपरीत पुनरीक्षित वर्ष 1988-89 के अनुमान 16,95,98 पर रखे गये हैं। तदनुसार व्यय में शुद्ध 5,80 की कमी प्रदर्शित है जो निर्धारित आयोजनागत परिव्यय एवं लक्ष्यों के अनुसार की गई है।

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (+72,57)

राजस्व लेखा—(+72,57)—

आयोजनेतर—(-5,85)—

शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

102—होम्योपैथी (+8,95)—

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर उक्त शीर्ष के अन्तर्गत शुद्ध 8,95 की वृद्धि परिलक्षित है।

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें (+42,00)—

102—होम्योपैथी—(+42,00)—

मुख्यतः कर्मचारियों/अधिकारियों को देय अन्तरिम सहायता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की वृद्धि देयता के फलस्वरूप उक्त शीर्ष के अन्तर्गत 42,00 की वृद्धि है।

05—चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान—(+24,90)—

102—होम्योपैथी—(+24,90)—

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित 24,90 की वृद्धि मुख्यतः कर्मचारियों/अधिकारियों को देय अन्तरिम सहायता, वार्षिक वेतन वृद्धि आदिके फलस्वरूप प्रत्याशित है।

आयोजनागत—(-3,28)—

वास्तविक आवश्यकतानुसार आयोजनागत पक्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में 3,28 की कमी अनुमानित है।

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अनुसंधान) (+)8,32,45

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य

आयोजनेतर (+18,48)—

राजस्व लेखा (+18,48)—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें (+1,69)—

105—विशेष जांच आयोग (+1,69)—

एक सदस्यीय जांच आयोग की अर्वाध बढ़ाये जाने के फलस्वरूप 1,69 का व्यायाधिक्य परिलक्षित है।

01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी (+50,35)—

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर "विभागीय औषधि विनिर्माण" के लिये 10 एवं राज्य के मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिये 50,25 की वृद्धि परिलक्षित है।

05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (-33,56)—

55—एलोपैथी (-33,56)—

व्यय की वास्तविक आवश्यकतानुसार राज्य के एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में 33,56 की कमी अनुमानित है।

आयोजनागत (+8,13,97)—

राजस्व लेखा (+7,71,87)—

36,31,01 के मूल प्राविधान की तुलना में 44,02,88 की व्यवस्था की गयी है जो 7,71,87 अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण संतत गांधी सातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को मिलने वाली अनुदान की राशि में 7,50,00 की वृद्धि है। शेष वृद्धि अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकार की गयी योजनाओं के फलस्वरूप है।

पूँजी लेखा (+42,10)—

पूँजी लेखे में 21,10 के मूल प्राविधान के समस्त 63,10 की व्यवस्था की गयी है जो 42,10 अधिक है। यह वृद्धि अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकार की गयी निर्माण योजनाओं के कारण है।

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (+4,13,06)—

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। गत वर्ष के मूल 94,30,21 (94,29,82 मतदेय तथा 39, भारत) के विपरीत पुनरीक्षित अनुमान 98,43,27, (98,42,88 मतदेय तथा 39 भारत) के पर रखे गए हैं। तदनुसार उक्त शीर्षक के अन्तर्गत भारत सरकार की नीतियों का तथा निर्देशित के रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु शुद्ध 4,13,06 "मतदेय" की वृद्धि परिलक्षित है।

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (+2,61,46)

राजस्व लेखा — (+2,61,46)

आयोजनेतर — (+2,61,46)

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+2,11,46)—

उक्त शीर्षक में प्रदर्शित शुद्ध 2,11,46 की वृद्धि का मुख्य कारण कुभ मेली इलाहाबाद के लिये 2,10,86 की अतिरिक्त व्यवस्था तथा द्वितीय भारत जनसंख्या के परियोजना के प्रबन्ध प्रशिष्ट प्रकोष्ठ की व्यवस्था को चार वर्षों में इस अनुदान के अन्तर्गत 10,27 की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ संक्रमित किये जाने तथा शेष 40,33 की अतिरिक्त व्यवस्था प्राप्त की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में परिलक्षित है।

2245—वैद्य विपत्तियों के संबंध में राहत (+50,00)—

भारत सरकार के निर्देशानुसार बाहु पीड़ित क्षेत्रों में औषधियों की आपूर्ति तथा जोर्ण शीर्षक भवनों की मरम्मत हेतु मूल 50,00 के विपरीत 1,00,00 की व्यवस्था की गई थी। तदनुसार उक्त शीर्षक में शुद्ध 50,00 की वृद्धि अनुमानित है।

नागरिक उद्‌डयन विभाग (-) 20

3053—नागर विमानन (—20)—

80—सामान्य—आयोजनेतर—

003—प्रशिक्षण और शिक्षा (—20)—

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नागरिक उद्‌डयन प्रशिक्षण में 20 की कमी प्रदर्शित है।

नियुक्ति विभाग (+18,30)

राजस्व लेखा (मतदेय)—

आयोजनेतर (+65)—

2202—सामान्य शिक्षा (+65)—

के अन्तर्गत 30 प्र० भाषा निधि से किये जाने वाले व्यय में 65 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (+17,65)—

2058—लेखन सामग्री और मुद्रण (+17,65)—

के अन्तर्गत विभागीय मंत्रालयों/नियमों आदि के प्रकाशन हेतु भाषा विभाग के अन्तर्गत स्थापित किये गये कोष्ठक पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था क राये जाने के कारण 17,65 की वृद्धि है।

नियोजन विभाग (+) 4,86

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर— (- 1,05)—

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—

101—योजना आयोग/योजना बोर्ड (- 1,05)—

वास्तविक व्यय के आधार पर यात्रा व्यय में 60 की एवं टेलीफोन पर व्यय में 75 की कमी तथा अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 30 की वृद्धि सम्भावित है। न्यूनधिकताओं को समायोजित करते हुए 1,05 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत— (+ 5,91)—

2402—भू और जल संरक्षण

0101—राज्य भूमि उपयोग परिषद् (+ 1,50)—

“राज्य भूमि उपयोग परिषद् का सुवृद्धीकरण” एक केन्द्रीय आयोजनागत योजना है। चालू वर्ष के लिए दो किश्तों में भारत सरकार ने 5,50 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। तदनुसार व्यवस्था किये जाने से 1,50 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2515—ग्रन्थ ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+ 4,04)—

चालू वर्ष की प्रथम अनुपूर्वक मांग के माध्यम से रायबरेली एवं सुल्तानपुर जिलों में आदर्श ग्राम योजना लागू किये जाने से 4,00 की तथा भत्तों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रन्थ योजनाओं में 4 की अर्थात् कुल 4,04 की वृद्धि हुई है।

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+ 38)—

भत्तों की दरों में वृद्धि होने से वास्तविक गणना के आधार पर विभिन्न मदों में कुल 38 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें (- 1)—

पदों के रिक्त होने से इस शीर्षक में 1 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनधिकताओं को समायोजित करते हुए यहाँ पर 5,91 की शुद्ध वृद्धि प्रत्याशित है।

निर्वाचन विभाग (+ 2,37,67)

राजस्व लेखा—

2015—निर्वाचन—आयोजनेतर (+ 2,37,67)—

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 3,02, मंडाई भत्ते में 3,54, प्रत्य भत्ते में 44, कार्यालय व्यय में 2,29,45, अनुरक्षण में 26, तथा अन्तरिम सहायता में 96 की वृद्धि प्रदर्शित है।

न्याय विभाग (- 61,88)

राजस्व लेखा—

(+ 30,00 भारत) (- 86,33 मतवेद्य)

2014—न्याय प्रशासन-102—उच्च न्यायालय-01—उच्च न्यायालय (+ 30,00 भारत) आवश्यकतानुसार प्रतिरिक्त व्यवस्था के कारण 30,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

105—सिविल और सत्र न्यायालय-01—जिला तथा सेशन न्यायाधीश (- 1,00,00) कतिपय रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 1,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

07—पारिवारिक न्यायालय- (- 4,37) पारिवारिक न्यायालय, गोखपुर व झांसी की स्थापना समय से न होने के कारण यहाँ, 4,37 की कमी परिलक्षित है।

106—लघुवाद न्यायालय-01—अधिष्ठान (+ 76) कतिपय न्यायिक अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने के कारण 76 की वृद्धि परिलक्षित है।

108—दण्ड न्यायालय-02—अद्वैतनिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय (+ 9,09) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 9,09 की वृद्धि प्रदर्शित है।

800—ग्रन्थ अथ-02—पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की स्मृति में शोध पीठ की स्थापना तथा शोध ग्रन्थ का प्रकाशन— (+ 7,13)—पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की स्मृति में शोध पीठ की स्थापना व शोध ग्रन्थ के प्रकाशन के निर्णय के फलस्वरूप उस हेतु व्यवस्था किये जाने के कारण यहाँ 7,13 की वृद्धि परिलक्षित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--001--सम्बद्ध कार्यालय-01-विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली पर होने वाला व्यय (+22) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 22, की वृद्धि परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-100--अन्य योजनायें-01-उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता तथा परामर्श वरुं (+84) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 84, की वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेखा

4216--आवास पर पूँजी परिव्यय-01--सरकारी रिहायशी इमारतें-700--अन्य आवास (+24,45)--परिव्यय आधार पर 24,45 की अतिरिक्त व्यवस्था के कारण 24,45 की वृद्धि परिलक्षित है।

परिवहन विभाग (+97)--

राजस्व लेखा (+96)--

आयोजनेतर (+96)--

वास्तविकता के आधार पर वाहनों पर कर में 96, का आधिक्य सम्भावित है।

पूँजी लेखा (+1)--

आयोजनेतर (+1)--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में राज्य सरकार द्वारा अंशपूँजी विनियोजित किये जाने हेतु प्रतीक व्यवस्था किये जाने के कारण 1, का आधिक्य अनुमानित है।

पर्यटन विभाग (+3,55,70)--

राजस्व लेखा (+57,65)--

3452--पर्यटन (+57,65)--

आयोजनेतर (--1,60)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,60 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत (+59,25)--

कतिपय नई योजनाओं के कार्यान्वयन तथा चालू योजनाओं के त्वरित संचालन हेतु-001-निदेशन और प्रशासन में 1,80 की, 104--सम्बर्धन और प्रचार में 3,95 की, 800--अन्य-व्यय में 53,50 की वृद्धि सम्भावित है।

पूँजी लेखा (+2,98,05)--

आयोजनागत (+2,98,05)--

5452--पर्यटन पर पूँजी परिव्यय (+2,98,05)--

कतिपय बौद्ध मन्दिरों एवं पर्यटन आवास गृहों आदि के निर्माण कराये जाने के फलस्वरूप 2,98,05 का आधिक्य प्रदर्शित है।

प्रशासनिक सुधार विभाग (+) 75

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--

091--सम्बद्ध कार्यालय--

02--प्रशासनिक सुधार निदेशालय (+75)--

1 जुलाई, 1988 के भत्तों की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप 75 की वृद्धि प्रत्याशित है।

[प्राविधिक शिक्षा विभाग (+1,93,18)--

तकनीकी शिक्षा (आयोजनेतर) (-73,00)--

राजस्व लेखा--

इस मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में वास्तविक कारणों से 73,00 की कमी परिलक्षित हो रही है।

आयोजनागत (+2,66,18)--

राजस्व पक्ष में 2,49,45 तथा पूँजीगत पक्ष में 16,73 की वृद्धि निर्धारित आयोजनागत-परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रदर्शित है।

पंचायत विकास विभाग (+) 52,66,40

आयोजनेतर—

2049—व्याज संदाय --- (-1,32)---

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को व्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,32 की कमी है।

आयोजनागत—

2551—पहाड़ी क्षेत्र--- (+30,75,93)

60—ग्राम्य पहाड़ी क्षेत्र---

102—प्रारंभिक शिक्षा--- (+94,84)

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां 94,84 की वृद्धि है।

103—माध्यमिक शिक्षा--- (+1,03,80)---

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यहां 1,03,80 की वृद्धि है।

104—विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा --- (+1,47,37)---

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,47,37 की वृद्धि है।

108—तकनीकी शिक्षा--- (+2,96,10)---

मुख्यतः भूइंदोड़ा व द्वाराहाट इंजीनियरिंग कालेजों की भूमि क्रय तथा निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने, निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,96,10 की वृद्धि है।

109—खेल और युवा कल्याण --- (+3,77)---

मुख्यतः उत्तरकाशी में स्टेडियम की भूमि के क्रय एवं निर्धारित प्लान परिव्यय एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,77 की वृद्धि है।

110—कला एवं संस्कृति--- (+35,97)---

मुख्यतः राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा की स्थापना पं० गोविन्द बल्लभ पन्त के पंतक निवास में दर्शन दीर्घा के निर्माण तथा निर्धारित प्लान परिव्यय के आधार पर 3,77 की वृद्धि है।

111—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--- (+89)---

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 89 की वृद्धि हुई है।

118—जलपूर्ति और सफाई --- (+7,60,50)

निर्धारित प्लान परिव्यय के आधार पर पेयजल तथा जलरोसारण योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने के कारण 7,60,50 की वृद्धि हुई है।

120—आवास--- (-5,00)---

इस योजना की कार्यवाहियां सामुदायिक विभाग के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने के कारण 5,00 की कमी हुई है।

124—शहरी विकास--- (+30,00)---

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 30,00 की वृद्धि हुई है।

128—सूचना तथा प्रचार--- (-25)---

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 25 की कमी हुई है।

133—अनुसूचित जातियों का कल्याण--- (+26,00)---

मुख्यतः अनुसूचित जातियों को गृह निर्माण तथा भरण हेतु सहायता दिये जाने के कारण 26,00 की वृद्धि हुई है।

134—अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--- (+18,86)---

मुख्यतः अनुसूचित जनजाति के छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति, विकसित चर्खों की वितरण योजना कायम किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं परिव्यय की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में 18,86 की वृद्धि हुई है।

137—श्रम और रोजगार---श्रम कल्याण (+15,07)---

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 15,07 की वृद्धि हुई है।

138—श्रम और रोजगार—रोजगार--- (+1,03)---

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,03 की वृद्धि हुई है।

139—श्रम और रोजगार—प्रशिक्षण--- (+17,11)---

मुख्यतः काशीपुर (नैनीताल) में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना परिव्यय की उपलब्धता एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 17,11 की वृद्धि हुई है।

140--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-- (+1,90)--

पवंतीय क्षत्र में मुख्यतः मलिन वस्तियों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए शिक्षाशास्त्र एवं बालवाड़ी बंधनों की स्थापना, परिव्यय की उपलब्धता एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,90 की वृद्धि हुई है।

142--कृषि कार्य-- (+36,57)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 36,57 की वृद्धि हुई है।

151--भू और जल संरक्षण-- (+31,00)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 31,00 की वृद्धि हुई है।

152--पशुपालन-- (+20,56)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 20,56 की वृद्धि हुई है।

153--डैरी विकास-- (+65,43)--

मुख्यतः डैरी विकास योजना लागू किये जाने, निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 65,43 की वृद्धि हुई है।

155--वानिकी और वन्य जीवन-- (+40,21)--

वास्तविक आवश्यकता तथा प्लान परिव्यय के अनुसार व्यवस्था किये जाने के कारण 40,21 की वृद्धि हुई है।

168--सहकारिता (+11,40)--

मुख्यतः पी०सी०एफ० द्वारा संचालित कोऑपरेटिव ड्रग फैक्टरी, रातीखेत में शोध एवं विकास विंग की स्थापना किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 11,40 की वृद्धि हुई है।

175--पंचायती राज-- (+7,00)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिव्यय की उपलब्धता के परिपेक्ष्य में 7,00 की वृद्धि हुई है।

176--सामुदायिक विकास-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+3,18,37)--

मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल परिवारों के आवासों आदि हेतु सहायता परिव्यय की उपलब्धता के परिपेक्ष्य में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,18,37 की वृद्धि हुई है।

188--विद्युत्-- (+2,50,00)--

उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् को अनुदान, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किये जाने के कारण 2,50,00 की वृद्धि हुई है।

194--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-- (+6,09,38)--

निर्धारित प्लान परिव्यय एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 6,09,38 की वृद्धि हुई है।

198--अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग-- (+17,44)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 17,44 की वृद्धि हुई है।

214--परिव्यय की और पर्यावरण-- (+27,91)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 27,91 की वृद्धि हुई है।

217--सज्जिवालय आर्थिक सेवाएँ-- (+62,49)--

निर्धारित प्लान तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 62,49 की वृद्धि हुई है।

218--पर्यटन-- (+26,36)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 26,36 की वृद्धि हुई है।

223--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ-- (+2,85)--

निर्धारित प्लान परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,85 की वृद्धि हुई है।

पूँजी लेखा--

आयोजनेतर--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण-- (+1,69)--

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,69 की वृद्धि है।

आयोजनागत--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र (+12,97,08)--

101--सरकारी निर्माण कार्य--

सकन निर्माण (+2,17,25)--

विभिन्न विभागों के भवन निर्माण कार्यों के प्लान परिव्यय में वृद्धि के कारण 2,17,25 की बढ़ोतरी हुई है।

107--प्राविधिक शिक्षा-- (+30,00)

निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के कारण 30,00 की वृद्धि हुई है।

142--कृषि कार्य-- (+2,45,79)

नियोजन सीमा के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 2,45,79 की वृद्धि परिलक्षित है।

144--पशुपालन (+14,65)

निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के कारण 14,65 की वृद्धि हुई है।

145--डैरी विकास-- (+56,79)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्लान परिव्यय की सीमा में व्यवस्था किये जाने के कारण 56,79 की वृद्धि हुई है।

46--मीन उद्योग-- (+7,50)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्लान परिव्यय की सीमा में व्यवस्था किये जाने के कारण 7,50 की वृद्धि हुई है।

161--सहकारिता (+27,17)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्लान परिव्यय की सीमा में व्यवस्था किये जाने के कारण 27,17 की वृद्धि हुई है।

166--बृहत एवं मध्यम सिंचाई-- (+24,00)

नियोजन सीमा के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 24,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

177--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+3,66,72)--

नियोजन सीमा के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 3,66,72 की वृद्धि परिलक्षित है।

193--सड़क तथा पुल-- (+2,92,00)--

नियोजन सीमा के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 2,92,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

198--पर्यटन-- (+15,21)--

निर्धारित प्लान परिव्यय की सीमा में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किये जाने के कारण 15,21 की वृद्धि हुई है।

6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार-- (+8,93,02)--**60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--****115--जलपूर्ति और सफाई-- (+12,50)--**

इस मद में पर्वतीय क्षेत्र के लिये निर्धारित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर चालू वर्ष 1988-89 के मूल्यानुमानों की तुलना में पर्वतीय जिलों की पेयजल तथा जलसंचयन योजनाओं हेतु अधिक ऋण सहायता दिये जाने के कारण 12,50 की वृद्धि परिलक्षित है।

117--आवास-- (-63,67)--

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूल्यानुमानों की तुलना में विकास प्राधिकरणों को आधारीक पूंजी अल्प आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को गृह निर्माण हेतु अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण जहाँ एक ओर क्रमशः 2,50,07,35 तथा 3,98 की वृद्धि अनुमानित है वहीं दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु सही लेखा वर्गीकरण के अनुसार उपशीर्षक 198-राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण के अन्तर्गत प्राविधान कराने के कारण 1,00,00 की कमी परिलक्षित है।

इस प्रकार इस मद में समग्र रूप से 63,67 की कमी परिलक्षित है।

120--नगर विकास (+1,26,23)--

इस मद में चालू वर्ष के मूल्यानुमान शून्य की तुलना में सीमा क्षेत्र के विकास के लिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम को मार्ग निर्माण हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण 1,26,23 की वृद्धि प्रदर्शित है।

132--कृषि कार्य (-56,00)--

इस मद में लघु एवं सीमान्त उद्यान पतियों को दून मोहर हार्वीस्टिंग के अन्तर्गत वाटर टैंक निर्माण, यू० पी० हाटिको सेवों के क्रय तथा पैकिंग सेज खरीदने हेतु चालू वर्ष के मूल्यानुमानों शून्य की तुलना में ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण जहाँ एक ओर क्रमशः 18,50 3,00 तथा 2,50 की वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर बागवानी (सफाबी) तथा मशरूम उत्पादन हेतु दीर्घकालीन ऋण सहायता उपलब्ध न कराये जाने की संभावना के कारण क्रमशः 70,00 तथा 10,00 की कमी प्रदर्शित है।

इस प्रकार इस मद में समग्र रूप से 56,00 की कमी परिलक्षित है।

141--भण्डारण तथा मरिडोमार (- 7,05)

चालू वर्ष के मूलानुमानों के विपरीत फल उत्पादकों की शीतगृह के निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध न कराये जाने के कारण 7,05 की कमी परिलक्षित है।

143--सहकारिता (+5,85)

इस मद में विपणन सहकारी संघ हल्द्वानी को सेब क्रय-विक्रय योजना के अन्तर्गत पैक्स को उर्वरक व्यवसाय उपयुक्त सहकारी संघ को कार्यशील पूंजी क्रय-विक्रय योजनाओं फल, साग-सब्जी विपणन समितियों को लघु सिंचाई यंत्रों तथा उपभोक्ता योजना में उपभोक्ता भण्डारों को उपभोक्ता व्यवसाय के लिये चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमानों की तुलना में अत्रिक ऋण सहायता दिये जाने के कारण क्रमशः 3,00, 2,90, 2,50, 20 तथा 15 की जहाँ एक ओर वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय हेतु पैक्स को माजिन मनी तथा क्रय विक्रय योजना में जिला सहकारी बैंक को उर्वरक व्यवसाय हेतु कम ऋण उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 2,70 तथा 20 की कमी प्रदर्शित है।

इस प्रकार सहकारिता क्षेत्र में समग्र रूप से 5,85 की वृद्धि परिलक्षित है।

162--विद्युत प्रायोजनायें (+6,35,00)--

पर्वतीय क्षेत्र की विद्युत योजनाओं के वित्त पोषण के लिये उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्/अल्पार्थक निगम को अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के कारण चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमानों की तुलना में 6,35,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

164--ग्रामीण और लघु उद्योग (+1,40,16)--

इन मद में पर्वतीय क्षेत्र के लिये निर्धारित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यों के आधार पर चालू वर्ष के मूल अनुमानों की तुलना में कृषि हथकरघा विज्ञान परियोजना (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) कुमाऊं मण्डल विकास निगम को सेबों की पैकिंग तथा खादी एवं ग्रामीण बोर्ड को ऋण सहायता दिये जाने के कारण जहाँ एक ओर क्रमशः 84, 82 52,75 तथा 2,60 अर्थात् कुल 1,40,17 की वृद्धि परिलक्षित है वहीं दूसरी ओर हथकरघा सहकारी युनिकर समितियों के रंगाई घरों की स्थापना हेतु कोई ऋण सहायता उपलब्ध न कराये जाने के कारण 1 (प्रतीक) की कमी परिलक्षित है।

198--राज्य कर्मचारी भवन निर्माण (+1,00,00)--

इस मद में चालू वर्ष के मूल अनुमानों की तुलना में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु सही वर्गीकरण के अनुसार ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण यहाँ 1,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है तथा इसी कारण से उपशीर्षक 117-आवास में 01-राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम में इतने की ही कमी प्रदर्शित है।

राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (+)4,02,14

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+ 4,02,14) --

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+ 2,02,14) --

आवश्यकतानुसार प्रदेश में नियोजित एवं अप्रहाय व्यक्तियों को वाद्यास एवं वस्त्र वितरण के लिये 1,90,14 की सिविकम के भूकम्प पीड़ितों की सहायता हेतु 2,00 की तथा विहार के भूकम्प पीड़ितों के लिये 10,00 की अनुपूर्क व्यवस्था के फलस्वरूप यहाँ पर कुल 2,02,14 की वृद्धि हुई है।

2245--देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत--

02--बाढ़, चक्रवात आदि--

113--मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सहायता (+ 2,00,00) --

बाढ़ एवं अति वृष्टि से नष्ट हुए मकानों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि आवश्यकता से कम पड़ जाने के कारण राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर 2,00,00 की व्यवस्था करनी पड़ी है अतः यहाँ पर 2,00,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस तरह अनुदान के अन्तर्गत कुल 4,02,14 की वृद्धि हुई है।

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (-)1,56

आयोजनेतर (-1,56) --

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 1,56 की कमी परिलक्षित है।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (+15,09)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+15,69)--

लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें" के अन्तर्गत 59 की कमी वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है। लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा" के अन्तर्गत 16,70 की वृद्धि मुख्यतः (1) उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के आवर्तक अनुदान में शासकीय निर्णय के अनुसार 2,00 की वृद्धि करने (2) उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को मौलाना अबुल कलाम अजाद जम शताब्दी समारोह के आयोजनार्थ 10,00 का अतिरिक्त अनावर्तक अनुदान देने एवं (3) स्व० फखरुद्दीन अली ग्रहणद स्मारक समिति के आवर्तक अनुदान में शासकीय निर्णय के अनुसार 5,00 की वृद्धि करने के फलस्वरूप है। राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 30 की कमी की गई है। लेखा शीर्षक "2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें" में भी 42 की कमी वास्तविक आवश्यकता पर ही आधारित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनेतर (-60)--

"प्रत्यक्षातीय एवं अन्तर्गतिक विवाहों के प्रोत्साहन हेतु वस्तुतियों को लघु उद्योग लगाने के लिये ब्याज मुक्त उधार देने" की योजना में वास्तविक मांग के आधार पर 60 की कमी परिलक्षित है।

वन विभाग (+8,19)

राजस्व लेखा-आयोजनागत (+3,39)

2406-वानिकी और वन्य जीवन (+3,51) 01-वानिकी के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,51 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2407-बागान के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर औद्योगिक तथा पल्प वृक्षारोपण में 12 की वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण में 24 की कमी के कारण 12 की कमी परिलक्षित है।

पूँजी लेखा (+4,80)

4406--वानिकी वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय (+4,80) रेल के स्लीपर्स की सम्पूति योजना के अन्तर्गत 4,80 की वृद्धि परिलक्षित है।

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (-2,89,19,74)

राजस्व लेखा (-2,83,38,31)-

2049--ब्याज संदाय (+16,59,69)--वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज में 16,37,01 केन्द्रीय सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज में 4,73,86 अरक्षित निधियों पर ब्याज में 3,41,83 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसके विपरीत आन्तरिक ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत 6,93,01 की कमी होने का अनुमान है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें (मतवेय) (-3,00,00,00)--कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण तथा महंगाई भत्ते आदि में वृद्धियों के लिए कुल 3,00,00,00 का एक मुश्त प्राविधान किया गया था किन्तु पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार इस हेतु अतिरिक्त आवश्यक व्यवस्था संगत अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग द्वारा कर लिये जाने के कारण उक्त एक मुश्त व्यवस्था का उपयोग नहीं किया गया और इस प्रकार इस मद के समक्ष कुल 3,00,00,00 की कमी प्रदर्शित हुई है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+2,00)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता के अन्तर्गत 2,00 की वृद्धि अनुमानित है।

पूँजी लेखा--(-) 5,81,43

6003-राज सरकार के आन्तरिक ऋण (-2,98,21)

बाजार उधार के अन्तर्गत 2,98,21 की कमी होने का अनुमान है।

6004-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम (-6,48,22)

आयोजना भिन्न उधार में 3,69,77, राज्य/सब राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 4,61,19 तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 35,94 की कमी परिलक्षित है इसके विपरीत केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार में 71,39 की वृद्धि है तथा चालू वित्तीय वर्ष की आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम की वापसी के लिये 1,47,29 की व्यवस्था की गयी है।

7610--सरकारी सेवकों आदि को उधार (+3,65,00)

राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम (आयोजनागत) के मद में 3,32,00 की वृद्धि तथा चिकित्सा विभाग की सचता, शिक्षा एवं संचार प्रशिक्षण परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम (आयोजनागत) की मद में 33,00 की वृद्धि के साथ कुल 3,65,00 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिलक्षित है।

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (+59,34,50)--

राजस्व लेखा--

2071--पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ--

01--सिविल--

आयोजनेतर-- (+59,34,50)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते में 38,00,00, पेंशनों का स्थानान्तरित मूल्यों में 5,05,01, अनुकम्पा पूर्ण भत्ता में 1,00, उपदान में 7,00,00, तथा परिवारपेंशनें व विधायकों की पेंशनों की मद में क्रमशः 9,05,00, तथा 25,50 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल 59,34,50 की वृद्धि परिलक्षित है।

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (+33,74)--

राजस्व--

आयोजनेतर--

003--प्रशिक्षण--वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान (0)--

095--लेखा और राजकोष निदेशालय (+30)--

महंगाई भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, अन्य भत्ते, पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता आदि मदों में आवश्यकता के आधार पर अधिक व्यय परिलक्षित होने के कारण कुल 30 की वृद्धि है।

097--राजकोष स्थापना (+6,55)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 6,55 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--

4059--सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+26,89)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 26,89 की वृद्धि है।

वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (+3,55,78)

इस अनुदान के अन्तर्गत कुल पुनर्निश्चित मांग 73,39,89 की है, जो वर्ष की कुल प्राविधानित धनराशि 69,84,11 से 3,55,78 अधिक है जिसमें लेखा शीर्षक "2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें" में (+1,02) की वृद्धि तथा लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवायें" के अन्तर्गत (+3,54,76) की वृद्धि प्रत्याशित है, जो मुख्यतः टेलीफोन पर व्यय, मोटरगाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद व अन्तरिम सहायता की मदों में वृद्धि व लाटरी की सकल आय में अनुमानित वृद्धि के कारण प्रत्याशित है।

7615--विविध उधार (--1,13,00)--

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को आवास तथा वाहन की खरीद के लिये ऋण के लिये वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,13,00 की कमी है।

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-वचत आदि) (+36,13)--

राजस्व लेखा (+36,13)--

आयोजनेतर पक्ष में वित्त विभाग की विभिन्न सेवाओं से सम्बद्ध कर्मचारियों के लिये वेतन महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय के आधार पर न्यूनताधिकता के फलस्वरूप निम्नलिखित शीर्षकों में कुल 47,79 की वृद्धि प्रदर्शित है :--

2047--अन्य राजकोषीय सेवायें	(-4)
2052--सचिवालय सामान्य सेवायें	(+2,10)
2054--राजकोष और लेखा प्रशासन	(-4,19)
2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	(+6,00)
2235--सामाजिक सुस्था और कल्याण	(+5)
2425--सहकारिता	(+43,87)
				योग	(+47,79)

आयोजनागत पक्ष में "अन्य राजकोषीय सेवायें" के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यक्रमों एवं आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर कुल 11,66 की कमी है,। तदनुसार न्यूनताधिकताओं को सम्मिलित करते हुए, कुल 36,13 की कमी प्रदर्शित है।

वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (-33)--

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (-33)--

आयोजनेतर--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक व्यय कम होने के कारण जहाँ वेतन में 30 अन्व भत्ते में 7, कार्यालय व्यय में 12 अन्तरिम सहायता में 10 तथा अन्य व्यय में 1 की कमी परिलक्षित है वहाँ महंगाई भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के कारण 27 की वृद्धि भी अनुमानित है।

विधान सभा सचिवालय (-21,61)--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2011--संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल (-21,61)--

102--विधान परिषद् (-21,97)--

माननीय सदस्य विधान परिषद् के कतिपय पद रिक्त होने तथा माननीय उच्च सभापति विधान परिषद् का पद रिक्त होने से विभिन्न मदों में मतदेय पक्ष में 21,36 एवं भारित पक्ष में 62 की कमी प्रत्याशित है।

103--विधान मण्डल सचिवालय--

01--विधान परिषद् सचिवालय (+36)--

भत्तों की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप 36 की बढ़ोतरी प्रत्याशित है।

इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए 21,61 की छुट्ट कमी प्रदर्शित है।

विधान परिषद् सचिवालय (+55)

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2011--संसद / राज्य / संघ / राज्य क्षेत्र विधान मण्डल--

01--विधान सभा (मतदेय) (+55)--

माननीय अध्यक्ष विधान सभा के विवेकानुदान की राशि में वृद्धि के कारण 55 की बढ़ोतरी प्रत्याशित है।

विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग (-13,00)--

आयोजनेतर (+1,64)--

उप लेखा शीर्षक "3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" के अधीन 1,64 का अधिक प्राविधान वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया है।

आयोजनागत (+18,73)--

सातवीं पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में पुनरीक्षित प्लान परियोजना के अनुसार "3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान" नामक उप शीर्षक में 19,93 की अधिक व्यवस्था मुख्यतः विज्ञान एवं प्रायोग परिषद् के निजी भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय क्रिये जाने के कारण है। दूसरी ओर "2215-जल पूति और सफाई" नामक उप शीर्षक में 1,20 की कम व्यवस्था निदेशालय व उसके क्षेत्रीय कार्यालय के प्राविधान में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई है।

सामान्य शिक्षा (उच्च शिक्षा)

2202--सामान्य शिक्षा- उच्च शिक्षा--

आयोजनेतर (+1,94,15)--

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

इस मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में मुख्यतः महंगाई भत्ता अन्तरिम सहायता, बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत-- (+3,63,53)--

आयोजनागत पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं परिष्कृत की सीमा के अन्तर्गत 3,63,53 की वृद्धि है।

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (+39,93,76)--

आयोजनेतर (+25,09,03)--

इस अनुदान के अन्तर्गत मूल आव-व्ययक में की गयी व्यवस्था 3,80,22,03 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 4,05,31,06 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गयी है। इस प्रकार यहाँ 25,09,03 की वृद्धि दिखाई दे रही है। मुख्य वृद्धि का कारण अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कमी एवं अन्य भत्ते की दरों की बढ़ोतरी है।

आयोजनागत (+14,84,73) --

आयोजनागत पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तथा पुनरीक्षित परिव्यय के अनुसार एवं कतिपय नई केन्द्रीय योजनाओं के प्राविधान कराये जाने के कारण यहाँ कुल 14,84,73 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (+71,98,11)--

आयोजनेतर (+47,12,02)--

इस अनुदान के अन्तर्गत मूल आव-व्ययक में की गयी व्यवस्था 4,98,22,93 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 5,45,34,95 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गयी है। इस प्रकार यहाँ 47,12,02 की वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। वृद्धि का मुख्य कारण महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा बोनस की दरों में वृद्धि के कारण है।

आयोजनागत (+24,86,09)--

आयोजनागत पक्ष में मूल आव-व्ययक में की गयी व्यवस्था 38,68,41 के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 63,54,60 की व्यवस्था पुनरीक्षित अनुमानों में की गयी है। अतः यह 24,86,09 की वृद्धि दृष्टिगत है।

शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) (+28,34)

इस अनुदान के अन्तर्गत वास्तविक कारणों से राजस्व पक्ष में 19,66 की कमी हुई है तथा पूंजीगत पक्ष में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुवर्षीय महिला प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण के लिए व्यवस्था करने के कारण 48,00 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार शुद्ध वृद्धि 28,34, की दिखाई दे रही है।

शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (+6,81,72)--

आयोजनागत (+6,81,72)--

निर्धारित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत व्यवस्था कराये जाने एवं कतिपय नई केन्द्रीय योजनाओं के निये प्राविधान कर जाने के कारण यहाँ कुल 6,81,72 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

श्रम विभाग (अन्य कर्मचारी) (--1,69,70)--

आयोजनेतर (--1,26,58)--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (--1,26,58)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 01--अभिष्टान संबंधी व्यय में 83 की, 04--चिकित्सालय में 42,55 की, 05--श्रीषालय में 83,20 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनागत (--43,12)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तथा वेतन व महंगाई भत्ते में सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य में 43,22 की कमी तथा श्रम और रोजगार में 1 की वृद्धि परिलक्षित है। इस प्रकार शुद्ध 43,12 की कमी प्रदर्शित है।

श्रम विभाग (सेवायोजन)

व्यय (+ 2,05,92)---

राजस्व लेखा (+ 1,79,91)---

2230--भ्रम और रोजगार (+ 1,79,91)---

आयोजनागत (+ 1,79,91)---

कतिपय नयी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा चालू योजनाओं के त्वरित संवाहन हेतु 02-रोजगार में 2,84 की तथा 03-प्रशिक्षण में 1,77,07 की वृद्धि संभावित है।

पूँजी लेखा (+ 26,01)---

4205--अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय (+ 26,01)---

आयोजनागत (+ 26,01)---

कतिपय आई 0टी 0 आईज व सेवायोजन कार्यालय के भवनों व चहारदीवारी के निर्माण कराये जाने के फलस्वरूप 26,01 का आधिक्य प्रदर्शित है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

राजस्व लेखा में मूल प्राविधान 73,94,87 है तथा 73,94,87 के पुनरोक्षित अनुमान रखे गये हैं। इस प्रकार प्रश्नगत अनुदान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।---

सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासिक भवन) (+) 4,61,46

इस अनुदान में मूल प्राविधान 14,96,41 तथा पुनरोक्षित अनुमान 19,57,87 है। इस प्रकार (+) 4,61,46 की वृद्धि हुई। यह वृद्धि राजस्व तथा पूँजी लेखों में क्रमशः (+) 35,65 तथा (+) 4,25,81 की बढ़ोतरी के फलस्वरूप हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासिक भवन) (+33,20)---

इस अनुदान में मूल प्राविधान 8,33,86 तथा पुनरोक्षित अनुमान 8,67,06 है। इस प्रकार (+) 33,20 की वृद्धि हुई। यह वृद्धि राजस्व लेखों में (-) 48 की कमी तथा पूँजी लेखों में (+ 33,68) की बढ़ोतरी के समायोजन के फलस्वरूप हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (+3, 28, 56)---

प्रश्नगत अनुदान में मूल प्राविधान 17,24,79 के समक्ष 20,53,35 के पुनरोक्षित प्राविधान किए गए हैं। इस प्रकार प्रश्नगत अनुदान में 3,28,56 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राजस्व लेखों में 2,01,96 तथा पूँजी लेखों में 1,26,60 की वृद्धि होने के फलस्वरूप हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (+11, 44, 10)---

इस अनुदान के अन्तर्गत मूल प्राविधान 2,80,13,13 तथा पुनरोक्षित अनुमान 2,91,57,23 है। इस प्रकार 11,44,10 की वृद्धि हुई। यह वृद्धि राजस्व पक्ष में 11,51,48 के अधिक प्राविधान एवं पूँजीगत पक्ष 7,38, में की कमी को प्रतिसंतुलित किये जाने के फलस्वरूप हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व लेखा---

2052--सचिवालय सामान्य सेवाएँ---

091--संबद्ध कार्यालय---

01--राज्य सम्पत्ति निदेशालय---

आयोजनागत (+ 47)---

मुक्यतः महंगाई भत्ते तथा महान किराया की दरों में वृद्धि के कारण 47 की वृद्धि प्रदर्शित है।

सिचाई विभाग (निर्माण कार्य)

राजस्व लेखा—

आयोजनगत—

2230—भ्रम एवं रोजगार (+1,10,00)—सूबा राहत कार्यक्रम के विगत वर्ष के अवशेष की व्यवस्था के फलस्वरूप वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनगत—

2245—देवी विराटियों के सम्बन्ध में राहत (+56,00)—गत वर्ष प्राकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था करने के कारण वृद्धि परिलक्षित है।

2701—बृहत एवं मध्यम सिचाई (+15,69,88)—केन्द्रीय जल परिषद के वार्षिक शुल्क में 1,88 की अतिरिक्त व्यवस्था एवं व्याज हेतु 15,68,00 की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण वृद्धि परिलक्षित है।

2702—लघु सिचाई (+26,03,50)—नलकूपों की विद्युत ऊर्जा हेतु 25,00,00 की अतिरिक्त व्यवस्था वर्ष 1987-88 में आधारभूत समस्याओं के अध्ययन हेतु लिये गये प्राकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु 1,50 व्यवस्था करने एवं व्याज हेतु 1,02,00 की अतिरिक्त आवश्यकता के फलस्वरूप 26,03,50 की वृद्धि प्रस्तावित है।

पूंजी लेखा—

4701—बृहत एवं मध्यम सिचाई पर पूंजी परिव्यय (+1,35,03,80)—नियोजन सीमा के संशोधन, भारत सरकार से खाद्यान्न उपादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय बालू योजनाओं हेतु स्वीकृत अग्रिम सहायता एवं टिहरी परियोजना हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में व्यवस्था करने के कारण 1,35,03,80 की वृद्धि प्रस्तावित है।

4702—लघु सिचाई पर पूंजी परिव्यय (+50,01)—बंघियों की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु 50,00 एवं प्राकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम 1 की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के फलस्वरूप वृद्धि प्रस्तावित है।

4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (+18,81)—कुम्भ मेला, इलाहाबाद, 1989 से सम्बन्धित कतिपय कार्य हेतु 18,80 एवं कानपुर नगर में गंगा नदी की घाटों तक लाने हेतु 1 की व्यवस्था के कारण वृद्धि प्रस्तावित है।

संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (+86)

राजस्व लेखा—

2052—सचिवालय सामान्य लेखायें—

091—संबद्ध कार्यालय—

01—संस्थागत वित्त निदेशालय—

आयोजनगत— (+86)—

राष्ट्रीय बैंकों की रोजगल कन्सल्टेटिव कमेटी की बैठक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक नण्डल की बैठक के आयोजन के फलस्वरूप 86 का व्ययान्वय प्रदर्शित है।

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (+3,76,18)

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (+3,88,23)—

राजस्व लेखा— (+3,15,93)—

आयोजनगत— (+3,15,93)—

2040—बिक्रीकर (+3,15,93)—

001—निदेशन और प्रशासन (+70,67) व्ययकी वास्तविक आवश्यकता एवं परिणना के आधार पर निदेशन और प्रशासन में शुद्ध 70,67 की वृद्धि अनुमानित है।

001—संग्रह प्रसार (+2,45,26)—मुख्यतः 84 सहायक आयुक्त (करनिर्धारण) एवं आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था तथा 84 जीप गाड़ियों की अतिरिक्त व्यवस्था के फलस्वरूप इस शीर्षक के अन्तर्गत शुद्ध 2,45,26 की वृद्धि परिलक्षित है।

01—पूँजी लेखा (+72,30)—

आयोजनगत (+58,25)—मोहन नगर (गाजिपुराबाद) की जांच चौकी की सड़कों के सुदृढीकरण हेतु 8,25 की कमी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था हेतु 50,00 की अतिरिक्त व्यवस्था के फलस्वरूप शुद्ध 58,25 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनगत (+14,05)—लखनऊ की गोमती नगर योजनान्तर्गत बिक्रीकर प्रशिक्षण के भवन निर्माणार्थ 14,05 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी। तदनुसार आयोजनगत पक्ष में शुद्ध 14,05 की ही वृद्धि अनुमानित है।

संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प और पंजीकरण) (+77,82)---

राजस्व लेखा (+65,82)---

आयोजनेतर (+65,82)---

2030--स्टाम्प और पंजीकरण (+65,82)---

01--स्टाम्प व्यापिक-001-निवेशन और प्रशासन (+10,46)---

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिणामों के आधार पर निवेशन और प्रशासन में शुद्ध 10,46 की वृद्धि अनुमानित है।

02--स्टाम्प और प्रशासन-001--(निवेशन और प्रशासन (+1,80)---

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिणामों के आधार पर स्टाम्प और प्रशासन के शुद्ध 1,80 की वृद्धि अनुमानित है।

03--पंजीकरण--001--निवेशन और प्रशासन (+53,66)---

अतिरिक्त व्यवस्था तथा व्यय की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर इस मद में 53,56 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पंजी लेखा (+12,00)---

आयोजनागत (+12,00)---

उपरोक्त कार्यालय, लखनऊ के कार्यालयों / भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यवस्था कराये जाने के कारण 12,00 की वृद्धि प्रस्तावित है।

सचिवालय प्रशासन विभाग (+3,32,70)

राजस्व लेखा---

आयोजनेतर--(+3,32,70)---

2013--मंत्रि परिषद् (+1,32,69)---

मंत्रि-मण्डल के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन तथा मनोरंजन और आतिथ्य व्यय में क्रमशः 72 की, तथा 8,47 की वृद्धि हुई है। मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 80,00 की वृद्धि हुई है। जनहित में शासन के सघनों द्वारा अधिक खर्चे किये जाने के कारण 25,00 की वृद्धि परिलक्षित है। इसी प्रकार प्रकीर्ण व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर टेलीफोन, गाड़ियों का क्रय तथा पीओ एलओ की मद में कुल 38,50 की वृद्धि अनुमानित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--(+1,90,24)---

अधिकारियों/कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि, सचिवालय भत्ता अनुमन्य होने तथा कार्यालय व्यय की मदों के मूल्यों में वृद्धि तथा सचिवालय के कार्य-कलापों में वृद्धि के फलस्वरूप कुल मांग 1,90,24 की वृद्धि परिलक्षित है।

093--प्रशिक्षण--

02--ग्रहण वित्त आयोग की संस्तुतियों के कामनिवहन हेतु सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान की स्थापना (-1,77) अपेक्षाकृत कम आवश्यकता के कारण 1,77 की कमी परिलक्षित है।

2251--सचिवालय सामाजिक सेवायें--(+7,15)---

अधिकारियों / कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि, सचिवालय भत्ता अनुमन्य होने तथा कार्यालय व्यय की मदों के मूल्यों में वृद्धि तथा सचिवालय के कार्य-कलापों में वृद्धि के फलस्वरूप कुल मांग 7,15 की वृद्धि अनुमानित है।

3451--सचिवालय आर्थिक सेवायें--(+4,40)---

महंगाई भत्ता, सचिवालय भत्ता तथा सचिवालय के कार्य-कलापों में वृद्धि के फलस्वरूप 4,40 की वृद्धि परिलक्षित है।

सहायता एवं पुनर्वासि विभाग—(- 1,74)

आयोजनेतर (- 1,74)---

वास्तविक आवश्यकता एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन किये जाने के कारण 1,75 की वृद्धि प्रदर्शित है।

सांस्कृतिक कार्य विभाग (+2,51,47)

2205—कला और संस्कृति—आयोजनेतर (+8,74)---

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों में वृद्धि के कारण 8,74 का अधिव्यय अनुमानित है।

आयोजनागत (+2,42,73)---

परिष्कृत्य सीमा में वृद्धि एवं कतिपय नई योजनाओं के सम्मिलित किये जाने तथा अधिव्ययता परिगणना के आधार पर 2,42,73 की वृद्धि प्रदर्शित है।

सामान्य प्रशासन विभाग—(+5,15)

राजस्व लेखा/आयोजनेतर---

2053—जिला प्रशासन (+2,00)---

सेवा सत्कार / आतिथ्य व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

252—अन्य सामाजिक सेवार्थें (+3,15)---

के अंतर्गत प्रस्तोत हुए समिति को अनुदान के अन्तर्गत वास्तविकता के आधार पर 3,15 की वृद्धि अनुमानित है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग—(+3,06)

राजस्व लेखा---

2475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवार्थें---

300—अन्य व्यय---

1—सार्वजनिक उद्यम निदेशालय---

आयोजनेतर—(+3,06)---

मुख्यतः महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा भूदान किराया की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप 3,06 की वृद्धि परिलक्षित है।

सूचना विभाग—(+81,38)

राजस्व लेखा—आयोजनेतर---

220—सूचना और प्रचार (+80,64)---

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना पर वेतन, महंगाई भत्ता आदि अन्य मदों में कुल 80,64 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत---

220—सूचना और प्रचार (+74)---

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर 74 का अधिव्यय अनुमानित है।

सामाजिक कल्याण विभाग—(+1,81)

राजस्व लेखा (मतवेय)---

आयोजनेतर (+1,81)---

275—विविध सामान्य सेवार्थें—(+1,60)---

सशस्त्र दलों के कर्मचारियों को वीरता के लिये पारितोषिक में 44, तथा वीर चक्र श्रद्धालु के विजेताओं को नकद पुरस्कार 1,16 की वृद्धि प्रदर्शित है।

35—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+21)---

सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद् के मुख्यालय में 21, की वृद्धि प्रदर्शित है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) -- (+2,21)

राजस्व लेखा--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (+ 48)--
आयोजनागत (+ 48)

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुछ नयी योजनाओं हेतु अनुपूरक मांग द्वारा सारभूत/प्रतीक व्यवस्था के कारण वेतन में 17, महंगाई भत्ते में 17 अन्य भत्ते में 4 अन्तरिम सहायता में 8 तथा सहायक अनुदान में 2, की वृद्धि परिलक्षित है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) -- (- 36,52)

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (-36,52)

आयोजनागत (-37,92)

इस शीर्षक में 3 नयी योजनाओं के प्रारम्भ होने तथा 2 योजनाओं के विस्तार होने के कारण जहाँ वेतन में 110, महंगाई भत्ते में 134, यात्रा व्यय में 27, अन्य भत्ते में 325, कार्यालय व्यय में 375 किराया उपशुल्क व कर में 10, सहायक अनुदान में 1888 मशीनों में 192, अनुरक्षण में 87 तथा अन्तरिम सहायता में 46 की वृद्धि अनुमानित है वहाँ पुष्पाहार योजना में परिव्यय कम करदिये जाने के कारण 70,00 की कमी भी परिलक्षित है।

आयोजनेतर (+1,40)

इस शीर्षक में मुक्त बधिर विद्यालय गोरखपुर के सरकारीकरण के कारण वेतन में 45, महंगाई भत्ते में 45, यात्रा व्यय में 2, अन्य भत्ते में 9, कार्यालय व्यय में 4, मशीनों में 5, अनुरक्षण में 10, अन्तरिम सहायता में 18, तथा अन्य व्यय में 2, की वृद्धि अनुमानित है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (+4,71)

राजस्व लेखा--

आयोजनागत--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (+4,72)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा व्यवस्था के कारण वेतन में 75, महंगाई भत्ते में 78, अन्य भत्ते में 15, सहायक अनुदान में 2,76 तथा अन्तरिम सहायता में 28, की वृद्धि अनुमानित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनागत--

4225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर

पूँजी परिव्यय (-1)

इस शीर्षक के अन्तर्गत अष्टम वित्त आयोग की सहायता से संचालित आवास निर्माण की योजना पूर्ण हो जाने के कारण 1, की कमी परिलक्षित है।

अनुदान संख्या-1

आवकारी विभाग

गत वर्ष के 5,11,00 (आयोजनेतर) की तुलना में आय व्ययक वर्ष की कुल मांग 5,50,60 (आयोजनेतर) है। इस प्रकार कुल 39,60 की वृद्धि प्रत्याशित है जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है--

001--निदेशन और प्रशासन--

01--अधीक्षण--(+9,45) महंगाई भत्ते में वृद्धि व अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+1,00), "महंगाई भत्ता" (+2,00), "यात्रा व्यय" (+1,00), "अन्य भत्ते" (+3,00), "कार्यालय व्यय" (+2,50), "टेलीफोन पर व्यय" (+1,00), "किराया उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व" (+5,00) "मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" (+1,00) तथा "अन्तरिम सहायता" (+1,00) इस प्रकार कुल 11,20 की वृद्धि प्रत्याशित है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "मोटर गाड़ियों का क्रय" (-1,50) तथा "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद" (-2,25) इस प्रकार कुल 3,75 की कमी परिलक्षित है। न्यूनाधिकियों को समायोजित करते हुए कुल 9,45 की गूढ़ वृद्धि परिलक्षित है।

02--जिला कार्यकारी अधीक्षण--(+50)--कीमतों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" के अंतर्गत 50 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--भट्टिका--(+29,55)--महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+8,00), "महंगाई भत्ता" (+10,00), "यात्रा व्यय" (+1,50), "अन्य भत्ते" (+8,00), "कार्यालय व्यय" (+2,00), "टेलीफोन पर व्यय" (+2,50), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" (+3,50), तथा "अन्तरिम सहायता" (+1,25) इस प्रकार कुल 29,55 की वृद्धि परिलक्षित है।

2040--बिक्रीकर--

101--संग्रह प्रभार--

01--मोटर रिपैरिटी की बिक्री पर कर (+10)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+2), "महंगाई भत्ता" (+4), "अन्य भत्ते" (+3) तथा "अन्तरिम सहायता" (+1) इस प्रकार कुल 10 की वृद्धि यहाँ पर परिलक्षित है।

इस अनुदान के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिये धन व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनेतर
01	वेतन	1,94,58
03	महंगाई भत्ता	1,79,55
04	यात्रा व्यय	12,50
05	अन्य भत्ते	53,67
06	कार्यालय व्यय	20,50
07	टेलीफोन पर व्यय	3,15
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	2,50
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	7,50
10	व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1,00
11	किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	2,50
12	प्रकाशन	50
19	सूच्य निर्माण कार्य	1,00
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	35
23	अनुरक्षण	1,00
32	अन्तरिम सहायता	65,94
33	अन्य व्यय (मतदेय)	4,26
	(भारित)	10
	योग ..	5,50,60

अनुदान संख्या-2

आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 86,49,90 (72,79,90 मतदेय राजस्व लेखा तथा 13,70,00 भारत) की है जबकि गत वर्ष की मांग 92,92,97 (80,57,67 मतदेय तथा 12,35,30 भारत) की थी। इस प्रकार कुल 6,43,07 की कमी है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा (मतदेय) आयोजनेतर (+31,22)--

2029--मू-राजस्व (+1,18)--

के अन्तर्गत निदेशन और प्रशासन में वेतन, मंहगाई भत्ता आदि मदों में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 1,18 की वृद्धि परिलक्षित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें (+5,87)--

के अन्तर्गत विहित अधिकारियों के अधिष्ठान में वेतन, मंहगाई भत्ता, आदि में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 5,87 की वृद्धि परिलक्षित है।

2217--शहरी विकास (+17,39)--

के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन तथा प्रशासनिक विज्ञान योजना में वेतन, मंहगाई भत्ता आदि में आंशिक वृद्धि के फलस्वरूप 17,39 की वृद्धि परिलक्षित है।

3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (+6,78)--

के अन्तर्गत, मंहगाई भत्ते आदि में वृद्धि तथा अन्य व्यय में कमी किये जाने के फलस्वरूप मुख्यालय में 4,02 की कमी है। इसके विपरीत नगर वस्तु स्तर पर 10,80 की वृद्धि परिलक्षित है। इन न्यूनताविक्रयों को समायोजित करने पर कुल 6,78 की वृद्धि परिलक्षित है।

राजस्व लेखा (भारत) (आयोजनेतर)--

2045--व्याज संदाय (+85,75)--

भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम भारतीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को व्याज के भुगतान के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 85,75 की वृद्धि प्रदर्शित है।

राजस्व लेखा (मतदेय) आयोजनागत (8,39,39)--

2217--शहरी विकास (+8,39,39)--

के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन और नगर तथा प्रादेशिक आयोजना में वेतन, मंहगाई भत्ता आदि में तथा कतिपय योजनाओं में आंशिक वृद्धि के फलस्वरूप 8,39,39 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा (भारत) [आयोजनेतर (+48,95)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (+48,95)--

मूलधन के प्रतिदान हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 48,95 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा--

आयोजनागत-- (-16,48,38)--

6216--आवास के लिये उधार (+34,00)--

201--आवास बोर्डों को उधार (+2,00)--

इस मद में निर्धारित परिष्यय तथा आवश्यकता के आधार पर चालू वर्ष के मूल्यानुमान की तुलना में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना अन्तर्गत अधिक प्राविधत कराये जाने के कारण 2,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

800--अन्य उधार (+32,00)--

इस मद में निर्धारित परिष्यय तथा आवश्यकता के आधार पर चालू वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष 1989-90 में स्थानीय निकायों को प्रदर्शित आवास योजनाओं को समायोजित करने के लिये कम्प्लेक्स प्लान योजना अन्तर्गत गृह निर्माण हेतु तथा अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत अधिक प्राविधत कराये जाने के कारण 29,00 तथा 3,00 अर्थात् कुल 32,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

6217--नगर विकास के लिये उधार (-16,82,38)--

02--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (+40,00)--

इस मद में सामान्य तथा योजना कम्प्लेक्स प्लान के अन्तर्गत मेट्रोपॉलिटन शहरी तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में समन्वित नगर विकास हेतु केन्द्रीय प्रयोगागत ऋण, (चालू वर्ष के मूल्यानुमान की तुलना में भारत सरकार से अर्पण कृत अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने की सम्भावना के कारण 40,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास (+ 20,00)--

इस मद में उक्त "02" में उल्लिखित कार्यों से भिन्न सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत नगर विकास हेतु ऋण सहायता प्राप्त होने की सम्भावना के कारण 20,00 का वृद्धि परिलक्षित है।

60--अन्य शहरी विकास योजनाएँ--

191--स्थानीय निकायों, निगमों आदि को उधार (-17,42,38)--

इस मद में कानपुर नगर विकास की सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उ० प्र० नगर विकास एवं जल सन्पूर्ति योजना हेतु चार वर्षों के अनुमान की तुलना में विश्व बैंक से कम ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना को देखते हुए 17,42,38 की कमी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
01	वेतन	16,77	1,01,01	1 17,78	
02	मजूदूरी	14	1,02	1,16	
03	महंगाई भत्ता	17,49	1,09,55	1,27,04	
04	घात्रा व्यय	1,84	7,64	9,48	
05	अन्य भत्ते	3,89	15,39	19,38	
06	कार्यालय व्यय	1,89	9,67	11,56	
07	टेलीफोन पर व्यय	61	1,37	1,98	
08	मोटर गाड़ियों का ऋय	3,80	..	3,80	
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	1,06	3,63	4,69	
11	किराया, उपशुल्क और कर	2,18	3,93	6,11	
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	17,59,03	6,00	17,65,13	
20	मशीनें और सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	1,75	65	2,40	
23	अनुरक्षण (निर्माण कार्य)	..	1	1	
26	व्याज/लाभांश (भारित)	..	9,30,00	9,30,00	
29	अन्तर्लेखा संक्रमण	..	1	1	
32	अन्तरिम सहायता	5,57	32,24	37,81	
33	अन्य व्यय	6	10,73	10,79	
		(मतदेय)	18,16,18	3,02,85	21,19,03
	योग राजस्व लेखा	(भारित)	..	9,30,00	9,30,00
	पूँजी लेखा	(मतदेय)	51,60,87	..	51,60,87
		(भारित)	..	4,40,00	4,40,00
	कुल योग	(मतदेय)	69,77,05	3,02,85	72,79,90
		(भारित)	..	13,70,00	13,70,00

अनुदान संख्या-3

आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्षों में 2,19,33,05 (मतदेय) की तुलना में वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक : 2,18,27,15 को व्यवस्था की गई है। गत वर्षों की प्रोक्षा 1,05,90 की कमी है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--मतदेय (+7,88,10)--

2052--सचिवालय सामान्य सेवाएँ (+4,85)--

अन्य व्यय की मद को छोड़कर अन्य सभी मदों में वृद्धि के कारण वृद्धि प्रदर्शित है।

2053--जिला प्रशासन (4,61,65)--

094--अन्य स्थापना--

01--माघ मेला अधिष्ठान (+36,14)--

गत वर्ष कुम्भ मेला हेतु अलग व्यवस्था किये जाने के कारण वेतन वेतन की मद में प्राधिकृत किया गया था। इस वर्ष सभी मदों में व्यवस्था किये जाने हेतु गत वर्ष की अपेक्षा 36,14 की वृद्धि है।

02--राम नवमी मेला (+41)--

वस्तुओं की बढ़ती हुई दरों के कारण टेलीफोन पर व्यय, लघु निर्माण कार्य तथा अन्य व्यय की मदों में क्रमशः 1,25,15 की वृद्धि है।

03--भावण झूला मेला अयोध्या (+30)--

बढ़ती हुई दरों के फलस्वरूप कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्य तथा अन्य व्यय की मदों में क्रमशः 15,10 की वृद्धि है।

05--परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला (+46)--

बढ़ती हुई दरों के फलस्वरूप कार्यालय व्यय टेलीफोन पर व्यय, लघु निर्माण कार्य तथा अन्य व्यय की मदों में क्रमशः 20,12,05 की वृद्धि है।

06--इलाहाबाद कुम्भ मेला अधिष्ठान (-2,75,96)--

कुम्भ मेला समाप्त होने के कारण वेतन महंगाई भत्ता, आय भत्ते तथा अन्तर्भूत रहस्यता इति की मदों में विशेषतः लघु निर्माण कार्य में 2,10,00 तथा टेलीफोन पर व्यय की मदों में 50,00 की कमी है।

07--कुम्भ मेला, इलाहाबाद, 1989 में विद्युत व्यवस्था (-2,53,00)--

कुम्भ मेला न होने के कारण कोई व्यवस्था न किये जाने के फलस्वरूप कमी प्रदर्शित है।

08--माघ मेला, इलाहाबाद में विद्युत व्यवस्था (+30,00)--

आगामी वर्ष में माघ मेले के आयोजन के संबंध में 30,00 की व्यवस्था प्रस्तावित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएँ--105-विशेष जांच आयोग-01-हरिद्वारकुम्भ मेला क्षेत्र में घटित दुर्घटना की जांच--(-18)
जांच समाप्त होने के कारण 18 की कमी है।

2215--जलपूर्ति और सफाई (-3,88,47)--

800--अन्य व्यय (-3,48,47)--

01--माघ मेला, इलाहाबाद (+11,99)--

माघ मेला में लघु निर्माण कार्य हेतु 1199 की वृद्धि है।

01--जलपूर्ति--03--आयोध्या (फैजाबाद), राम नवमी मेले में पेयजल की व्यवस्था (+20)--

बढ़ती दरों के फलस्वरूप 20 की वृद्धि है।

04--भावण झूला मेला में पेयजल की व्यवस्था (+15)--

मेले में यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था में बढ़ती दरों के कारण 15 की वृद्धि है।

06--भारतीय जीवन बीमा निगम को ऋण की अदायगी (-1,62,00)--

भारतीय जीवन बीमा निगम के बकाये ऋण एवं व्याज के भुगतान हेतु जल निगम को दिये जाने वाले अनुदान में 1,62,00 की कमी है।

07--परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला अयोध्या (फैजाबाद) में पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु 1,19 की वृद्धि प्रदर्शित है।

08--कुम्भ मेला, इलाहाबाद, 1989 में पेयजल एवं जलोत्सारण की व्यवस्था (-2,00,00)--

कुम्भ मेला न होने के कारण 2,00,00 की कमी प्रदर्शित है।

2217--शहरी विकास--80--सामान्य (+41,00)--

191--स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड आदि की सहायता--

01--स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई उपकरणों प्रत्येक तथा अन्य प्राकृतिक कार्यों हेतु अनुदान +50,00--

वस्तुओं की बढ़ती हुई दरों के कारण 50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

02--कुम्भ मेला, इलाहाबाद, 1989 में मार्ग प्रकाश व्यवस्था (--9,00)--

कुम्भ मेला न होने के कारण 9,00 की कमी है।

2245--दंबी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (+1,25,00)--

02--बाढ़ चक्रवात आदि 01--

122--सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्य की सरसमत और बहाली--

01--जल निगम को अनुदान (--25,00)--

जल निगम को गत वर्ष की अपेक्षा कम अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 25,00 की कमी है।

800-अन्य व्यय-01-जल संपूर्ति, सीवर, रेजिडेंट्स आदि का रख-रखाव हेतु 1,50,00 का प्राविधान कराये जाने हेतु 1,50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3054--सड़कों और पुल--03--राज्य मार्ग राज (+12,19,80)--

800--अन्य व्यय (+12,29,80)--

01--स्थानीय निकायों की सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु अनुदान (+11,29,80)--

उत्तर प्रदेश सड़क निधि से प्राप्तियों के पुनरिक्षण के आधार पर 11,29,80 की वृद्धि प्रस्तावित है।

04--स्थानीय निकायों की सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए अनुदान (+1,00,00)--

नियोजन विभाग द्वारा इस हेतु अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 1,00,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3604--स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के क्षतिपूर्ति और समनुदेशन (+1,97,75)--

200--अन्य विधि क्षति पूर्तियाँ और समनुदेशन (+1,97,75)--

03--महंगाई भत्ते के व्यय के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान (+2,00,00)--

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु बढ़ने वाली वित्तों पर व्यय हेतु 2,00,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

05--उत्तर देश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 के अधीन प्राप्तियों से स्थानीय निकायों जिला परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु 2,25 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत--

2215--जलपूर्ति और सफाई (--8,99,00)--

01--जलपूर्ति--101--शहरी सम्पूर्ति कार्यक्रम (+6,00,00)--

01--जल निगम को अनुदान (01,01)--

बीस हजार से पांच लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों व (0102) बीस हजार तक की जनसंख्या वाले नगरों की जलपूर्ति हेतु क्रमशः 1,00,00 व 12,00,00 की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद की नगरीय पेयजल व्यवस्था हेतु माकूल बैराज परियोजना के अंतर्गत 7,00,00 की कमी होने के कारण 6,00,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

102--ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम (--16,30,00)--

02--जल निगम को अनुदान--(0201) ग्रामीण जल संपूर्ति एवं जल संरक्षण योजना (जिला योजना) व (0202) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण जल संपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 2,54,93 व 1,15,07 की वृद्धि है तथा (0203) केन्द्र द्वारा प्राविधानित त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 20,00,00 की कमी प्रदर्शित होने के कारण कुल 16,30,00 की कमी है।

02--मल निकासी और सफाई--

106--वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम--

01--गंगा कार्यकारी योजना के अंतर्गत सेटेल चांजेज की प्रतिपूर्ति हेतु जल निगम को अनुदान दिये जाने हेतु 1,10,00 का प्राविधान है, जिसके फलस्वरूप वृद्धि है।

191--स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि की सहायता--(01) शूकर, शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में परिवर्तन हेतु अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप 21,00 की वृद्धि है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+5,00)--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

110--अन्य बीमा योजनाएँ-01--रिश्वा, तांगा, हाथ टेला चालकों के लिये बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु 5,00 का प्राविधान कराये जाने के फलस्वरूप 5,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त वार सहायक अनुदान तथा ऋण के लिये की गई व्यवस्था इस प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
01	वेतन	..	13,12	13,12	
03	महंगाई भत्ता	..	13,87	13,87	
04	यात्रा व्यय	..	91	91	
05	अन्य भत्ते	..	1,91	1,91	
06	कार्यालय व्यय	..	14,35	14,35	
07	टेलीफोन पर व्यय	..	52	52	
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	..	32	32	
11	किराया उपशुल्क एवं कर	..	1,00	1,00	
19	लघु निर्माण कार्य	..	44,21	44,21	
14	सहायक अनुदान	1,08,87,50	1,05,04,30	..	
32	अन्य व्यय	..	1,61	1,61	
33	अन्तरिम सहायता	..	4,03	4,03	
		{ मतदेय	1,08,87,50	1,06,00,15	2,14,87,65
		{ भारत
राजस्व लेखा--					
		{ मतदेय	1,08,87,50	1,06,00,15	2,14,87,65
		{ भारत
पूँजी लेखा--					
जल पूर्ति और सफाई के लिए उधार		..	3,39,50	..	3,39,50
कुल योग		{ मतदेय	1,12,27,00	..	2,18,27,15
		{ भारत

अनुदान संख्या-4

उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 6,11,31 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 1,43,93 मतदेय एवं 10 भारत तथा आयोजनागत पक्ष में 57,28 राजस्व मतदेय और पूँजी लेखा में 4,10,00 मतदेय) की है, जब कि गत वर्ष की कुल मांग 6,10,31 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 1,24,35 मतदेय एवं 5 भारत तथा आयोजनागत पक्ष में 49,91 राजस्व मतदेय और पूँजी लेखा में 4,36,00) की थी। इस प्रकार कुल 100 मतदेय तथा 5 भारत की वृद्धि अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व लेखा -

आयोजनेतर--

2853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म--

उद्योग-- मतदेय (+19,58)--

भारत (+5)--

प्रदेश के मरानी क्षेत्रों में खनन प्रशासन की योजना में वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि मदों में वास्तविक आवश्यकतानुसार 7,69 मतदेय तथा 5 भारत की वृद्धि अनुमानित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मरानी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों की योजना में वेतन, महंगाई भत्ता, आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 11,89 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत--

2853-- अलौह धातु खनन और धातुकर्म--

उद्योग-- (+7,37)--

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खनिज प्रशासन की योजना में वेतन, महंगाई भत्ता आदि में 1,17 की वृद्धि तथा खनिज एवं निर्यात कोष्ठक की स्थापना में वेतन आदि मदों में 35 की वृद्धि के प्रतिरूप प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों की योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि में 5,85, की वृद्धि अर्थात् कुल 7,37 की वृद्धि अनुमानित है।

4853-- अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूँजी परिवर्धन-- (-26,00) उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० के अंशकों का क्रय करने में 26,00 की कमी अनुमानित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि के लिये की गयी व्यवस्था निम्नवत् है--

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01	वेतन	11,00	46,50	57,50
02	मजदूरी	4,00	6,00	10,00
03	महंगाई भत्ता	12,10	51,15	63,25
04	यात्रा व्यय	2,65	3,96	6,61
05	अन्य भत्ते	1,90	7,67	9,57
06	कार्यालय व्यय	50	1,60	2,10
07	टेलीफोन पर व्यय	15	47	62
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की आदि की खरीद	2,20	4,35	6,55
11	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	20	70	90
19	लघु निर्माण कार्य	..	15	15
20	मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	13,00	..	13,11
23	अनुरक्षण	45	..	45
32	अन्तरिम सहायता	3,52	14,88	18,40
33	अन्य व्यय (मत्तदेय)	5,61	6,50	12,11
	(भारित)	..	10	10
	योग, राजस्व मत्तदेय	57,28	1,43,93	2,01,21
	[(भारित)]	..	10	10
पूँजी लेखा--				
	उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० के अंशकों का क्रय	4,10,00	..	4,10,00
	योग, पूँजी	4,10,00	..	4,10,00
	कुल योग [(मत्तदेय)	4,67,28	1,43,93	6,11,21
	(भारित)	..	10	10

अनुदान संख्या-5

उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

इस अनुदान के अर्थात् आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 39,06,60 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 7,24,56 प्रदेश एवं 25 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 21,72,56 मत्तदेय और पूँजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में (10,09,23 मत्तदेय) तथा अन्तर्गत वर्ष की कुल मांग 36,11,13 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 6,02,31 मत्तदेय एवं 25 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 20,67,91 मत्तदेय और पूँजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 9,40,66 मत्तदेय) की थी। इस प्रकार कुल 2,95,47 की वृद्धि प्रत्याशित है; जिस नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:-

राजस्व लेखा मतदेय (+2,26,90)--

आयोजनेतर "मतदेय" (+1,22,25)--

"2058--लेखन सामग्री और मुद्रण" (+50,00) के अधीन कुटीर उद्योग निदेशालय के माध्यम से खादी बोर्ड के फाइल कवर, कैंडक आदि के क्रय के निमित्त 50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

"2425--सहकारिता" (+44) के अधीन वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्तरिम सहायता की मदों में 44, की वृद्धि प्रदर्शित है।

"2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (+47,86) के अधीन 101 औद्योगिक वस्तियों में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 5,38 की वृद्धि है। 102-लघु उद्योग में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 32 की वृद्धि है। 104 हस्तशिल्प उद्योग में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 1,53 की वृद्धि है। 105 खादी और ग्रामोद्योग में वेतन महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में 39,02 की वृद्धि है। 110-संयुक्त ग्रामोद्योग लघु उद्योग और सहकारी समितियों में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 18 की वृद्धि है। 200-अन्य ग्रामोद्योग में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 1,44 की वृद्धि है और 8,00 अन्य व्यय में 1 की कमी है।

"2852--उद्योग" (+23,95) के अधीन 001-निदेशन और प्रशासन में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 13,69 की वृद्धि है। 003 औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 5,72 की वृद्धि है। 101 मानकीकरण और किस्मनियंत्रण में वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते आदि में, 4,17 की वृद्धि है और 103-टैरिफ और मूल्य विनियमन में वेतन महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 37 की वृद्धि है।

आयोजनागत "मतदेय" (1,04,65)--

"2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" (+97,02) के अधीन 001 निदेशन और प्रशासन में कुटीर उद्योग निदेशालय के गठन के फलस्वरूप 3,82 की वृद्धि है। 102-लघु उद्योग में वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि में ₹2,05 की वृद्धि है। 104-हस्तशिल्प में वेतन, महंगाई भत्ता अन्य भत्ते आदि में 3,96 की वृद्धि है। 105-खादी और ग्रामोद्योग में सहायक अनुदान में 25,94 की वृद्धि है। 110-संयुक्त ग्रामोद्योग लघु उद्योग और सहकारी समितियों में वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा अनुदान आदि में 4,81 की वृद्धि है। 797--"रक्षित निधियों का संक्रमण में 11,00 की वृद्धि है और 800-अन्य व्यय में 4,60 की कमी है।

"2852 उद्योग" (+7,63) के अधीन 001 निदेशन और प्रशासन में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 6,82 की वृद्धि है। 003 औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 17, की वृद्धि है और 101-मानकीकरण और किस्मनियंत्रण में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि में 64, की वृद्धि है।

पूंजी लेखा "मतदेय" (+68,57)--

आयोजनागत (+68,57)--

"4851-ग्रामोद्योगों लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय" (-12,74) के अधीन निगमों की अंशपूंजी में कम आवश्यकता होने का कारण 12,74 की कुल कमी है।

"4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय" (+25,00) के अधीन उ० प्र० रूप संख्यक कत्याण विस्तार निगम में अंशको में पूंजी विनियोजन हेतु 25,00 की वृद्धि है।

6851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार (+56,31)--

102-लघु उद्योग (+37,38)--

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमानों की तुलना में एकीकृत सीमान्त घनराशि (भा.नि.मनी) ऋण की सामान्य तथा रुग्ण लघु एवं लघुतर औद्योगिक इकाइयों की पुनर्वाति करने हेतु भा.नि.मनी (केंद्र द्वारा पुरोनिर्धारित) के लिये अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण जहाँ एक ओर क्रमशः 44,38 तथा 10,00 की वृद्धियां अनुमानित हैं वहीं दूसरी ओर बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास्तन तथा रूढ़ि लक्ष्य में एकीकृत सीमान्त घनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण क्रमशः 10,00 तथा 7,00 की कमी अनुमानित है।

इस प्रकार इस मद में समग्र रूप से कुल 37,38 की वृद्धि अनुमानित है।

104--हस्तशिल्प उद्योग (+8,55)--

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमान "शून्य" के विपरीत हस्तशिल्प सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण (जिला योजना) हेतु सामान्य तथा स्पेशल कम्पौनेंट प्लान में हस्तशिल्प समितियों को अंशपूंजी ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण क्रमशः 6,55 तथा 2,00 अर्थात् कुल 8,55 की वृद्धि अनुमानित है।

109-संयुक्त उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिये उधार (+9,78)---

इस मद में 1988-89 के मूलानुमान "शून्य" की तुलना में औद्योगिक सहकारी समितियों अर्वास्वीय को अशपूजी हेतु सामान्य तथा स्पेशल कम्प्लान्ट प्लान क अन्तर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण क्रमशः 8,78 तथा 1.00 की वृद्धि अनुमानित है।

200-अन्य ग्रामोद्योग (+60)---

इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमानों की तुलना में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना (जिला योजना) 50 प्रतिशत कन्ट्र द्वारा पुरोनिधानित हेतु सामान्य व्यक्तियों को अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 60 की वृद्धि अनुमानित है।

इस प्रकार अनुदान के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा सहायक अनुदान आदि के लिये की गई व्यवस्था निम्नवत है :

राजस्व लेखा---

(हजार रुपयों में)

मातृक मद	आयोजनागत	आयोजनातर	योग
1	2	3	4
01--वेतन	2,33,71	2,37,06	4,70,77
03--महंगाई भत्ता	2,55,60	2,60,72	5,16,32
04--यात्रा व्यय	10,31	13,89	24,20
05--अन्य भत्ते	12,93	44,01	56,94
06--कार्यालय व्यय	12,15	21,65	33,80
07--टेलीफोन पर व्यय	2,32	2,37	4,69
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	7,42	97	8,39
11--किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1,30	2,51	3,81
13--विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय	38,37		38,37
14--सहायक अनुदान/अनुदान/राजसहायता	14,84,64	10,27	14,94,91
15--छात्र वृत्तियाँ/छात्रवेतन	1,16	1,40	2,56
20--मशीनें और सजा/उपकरण और संयंत्र	4,14	26	4,40
23--अनुरक्षण		98	98
25--सामग्री और सम्पत्ति	1,45	50,00	51,45
29--अन्तर्लेखा संक्रमण	11,00		11,00
30--बट्टी खाता/शानियां		10	10
32--अन्तरिम सहायता	74,26	75,79	1,50,05
33--अन्य व्यय "मतदेय"	21,80	2,58	24,38
"भारित"		25	25
योग, राजस्व लेखा	21,72,56	7,24,56	28,97,12
		25	25
पूंजी लेखा			
"4851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय"	3,09,52		3,09,52
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय"	25,00		25,00
"6851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार"	6,74,71		6,74,71
योग, पूंजी लेखा "मतदेय"	10,09,23		10,09,23
कुल योग	31,81,79	7,24,56	39,06,35
		25	25

अनुदान संख्या-6

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

इस अनुदान के अन्तर्गत अग्र-वर्ष के लिए कुल मांग 44,20,04 (राजस्व लेखा के आयोजनातर पक्ष में 33,62,99 मतदेय एवं 6,65 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 7,90,71 मतदेय और पूंजी लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 6,60 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 2,53,09 मतदेय) की है जब कि गत वर्ष की कुल मांग 42,82,35 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 31,62,86 मतदेय एवं 5,71 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 8,15,61 मतदेय और पूंजी लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 4,45 भारित तथा आयोजनागत पक्ष में 2,93,72 मतदेय) की थी। इस प्रकार कुल 137,69 की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:-

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

मतदेय (+2,00,13)--

भारित (+94)--

2049--व्याज संदाय--200--अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज (भारित) (+94)--

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की व्याज की भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 94 की वृद्धि है।

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+1,99,42)--

हथकरघा क्षेत्र में नियंत्रित धीतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर उपादान के अन्तर्गत 1,80,00 की वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा अन्य मदों में सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप 19,42 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2852--उद्योग (+71)--

के अधीन वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते कार्यालय व्यय तथा अन्तरिम सहायता की मदों में व्रमशः 7,54,71,2 अर्थात् कुल 71 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत--(-24,90)--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (+1,00) के अधीन हथकरघा बुनकरों को बीमा योजना में 1,00 की वृद्धि है।

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (--25,90) के अधीन रेशम निदेशालय के गठन के फलस्वरूप वेतन तथा महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि, रेशम के कोयों के ऋय के निमित्त वृद्धि और थिपट फण्ड योजना में कृमी, विज्ञापन व्यय में कृमी, हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्रों की स्थापना तथा प्रबन्धकीय सहायता में कर्मियों प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार कुल 25,90 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनेतर-- (+2,15)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) (+2,15)--

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,15 की वृद्धि है।

आयोजनागत-- (-28,63)--

6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार--]

103--हथकरघा उद्योग (+5,57)--

सहकारिता क्षेत्र के बाहर के हथकरघा के आधुनिकीकरण (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना को देखते हुए जहाँ एक ओर 6,00 की वृद्धि अनुमानित है वहाँ दूसरी ओर 0 प्र 0 राज्य हथकरघा निगम को कच्चे माल की बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु 1 हजार के प्रतीक प्राविधान कराये जाने के कारण 43 की कमी अनुमानित है।

109--संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियाँ (-34,20)--"

इस मद में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) हेतु चार वर्ष 1988-89 के मूलानुमान तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण जहाँ एक ओर 66 की वृद्धि अनुमानित है वहाँ दूसरी ओर हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी की सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु हथकरघा बुनकरों सहकारी समितियों द्वारा बिक्री केन्द्रों की स्थापना, रंगाई घरों की स्थापना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को हथकरघा के आधुनिकीकरण (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) कार्यशाला-निर्माण तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी रंगाई घरों की स्थापना हेतु अपेक्षाकृत कम ऋण सहायता अथवा ऋण सहायता उपलब्ध न कराये जाने की सम्भावना के कारण व्रमशः 1501, 825, 800, 175, 100, 60, तथा 25 की कमी अनुमानित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा सहायक अनुदान आदि के लिये की गई व्ययवशा निम्नवत्

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01 वेतन ..	19,33	70,21	89,54
02 मजदूरी	3,00	..	3,00
03 महंगाई भत्ता	21,27	77,20	98,47
04 यात्रा व्यय	1,32	3,14	4,46
05 अन्य भत्ते	2,69	5,97	8,66
06 कार्यालय व्यय	2,96	2,29	5,25
07 टेलीफोन पर व्यय	7	..	7
09 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	51	..	51
11 किराया उपशुल्क और कर स्वाभिरक्ष	1,54	10	1,64
14 सहायक अनुदान	6,73,11	31,80,00	38,53,11
15 छात्र वृत्ति और छात्रवेतन	2	..	2
19 लघु निर्माण कार्य	3	..	3
20 मशीनें और सज्जा	3,23	..	3,23
23 अनुरक्षण	3,15	24	3,39
25 सामग्री और सम्पुत्ति	4,85	..	4,85
26 ब्याज/लाभांश (भारित)	6,64	6,64
32 अन्तरिम सहायता	6,18	22,45	28,63
33 अन्य व्यय (मत्तदेय)	47,45	1,39	48,84
(भारित)	1	1
योग--राजस्व { मत्तदेय	7,90,71	33,62,99	41,53,70
{ भारित	6,65	6,65

पूँजी लेखा--

4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूँजी परिस्यम ..	1,53,00	..	1,53,00
6003--राज्य सरकार के अन्तरिक ऋण (भारित)	6,60	6,60
6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार ..	1,00,09	..	1,00,09
योग, पूँजी लेखा { मत्तदेय	2,53,09	..	2,53,09
{ भारित	6,60	6,60
कुल योग, { मत्तदेय	10,43,80	33,62,99	44,06,79
{ भारित	13,25	13,25

अनुदान संख्या -7

[उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)]

व्यय--

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 48,21,06 (45,28,75 मतदेय तथा 2,92,31 भारित) के प्राविधान के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 35,45,16 (32,57,11 मतदेय तथा 2,88,05 भारित) की मांग की गयी है। इस प्रकार व्यय में 12,75,90 की कमी अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (मतदेय) (-1)--

(भारित) (- 15,36)--

2049--व्याज संदाय (भारित) (- 15,35)--

01--आन्तरिक ऋणों पर व्याज--

200--अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज--

01--राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर व्याज--के अन्तर्गत निगम के ऋणों के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 15,35 की कमी अनुमानित है।

2075--द्विविध सामान्य सेवायें-मतदेय (-1)--

800--अन्य व्यय--

01--उ० प्र० वित्त निगम की वित्त रक्षित विधि में अंतर्गत--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 1 की कमी है।

2852--उद्योग (भारित) (-1)--

06--इंजीनियरी उद्योग--

108--अन्य इंजीनियरिंग उद्योग--

01--रूक्षम उपयंत्र निर्माणशाला का प्रबन्ध--

33--अन्य व्यय--

आयोजनागत-- (+ 22,37)--

2852--उद्योग--80--सामान्य--001--निवेशन और प्रशासन-01--भारी उद्योग अनुभाग का पुनःसंगठन के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों की मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार 55 की वृद्धि अनुमानित है।

2885--उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय--के अन्तर्गत गत वर्ष 2,33,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष हेतु 2,54,82 की मांग की गयी है, जो निर्धारित आयोजनागत परिव्यय के अनुकूल है। इस प्रकार यहाँ 21,82 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनेतर (भारित) (+11,10)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण--(भारित)--108--सहकारिता विकास निगम उधार--01--उधार का प्रतिदान--के अन्तर्गत निगम को मूतधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 11,10 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (-12,94,00)

गत वर्ष 42,89,00 मतदेय तथा 5,00 भारित की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए 29,95,00 मतदेय तथा 5,00 भारित की मांग की गयी है। जो कि निर्धारित आयोजनागत परिव्यय के अनुकूल है। इस प्रकार यहाँ 12,94,00 मतदेय की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि तथा पूंजी व्यय के लिए की गयी व्यवस्था निम्नवत है :-
(हजार रुपयों में)

मानिक मद		आयोजनातत	आयोजनांतर	योग
1	2	3	4	5
राजस्व लेखा--				
01--	वेतन	2,40	..	2,40
03--	महंगाई भत्ता	2,64	..	2,64
04--	यात्रा व्यय	15	..	15
05--	अन्य भत्ते	22	..	22
06--	कार्यालय व्यय	11	..	11
14--	सहायक अनुदान / अनुदान / राज सहायता	2,54,82	..	2,54,82
32--	अन्तरिम सहायता	77	..	77
33--	अन्य व्यय	1,00	..	1,00
2049--	व्याज संदाय (भारित)	..	1,29,55	1,29,55
योग		2,62,11	..	2,62,11
		..	1,29,55	1,29,55
पूजा लेखा--				
4854--	सीमेंट और घातु भिन्न खनिज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय--	60,00	..	60,00
4858--	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-- (मतदेय)	5,00	..	5,00
	(भारित)	5,00	..	5,00
4859--	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय--	2,00,00	..	2,00,00
4860--	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय--	7,40,00	..	7,40,00
4885--	उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय--	12,00,00	..	12,00,00
6003--	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण-- (भारित)	..	1,53,50	1,53,50
6885--	अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार--	7,90,00	..	7,90,00
योग, पूंजी (मतदेय)		29,95,00	..	29,95,00
		..	1,53,50	1,58,50
कुल योग, (मतदेय)		32,57,11	..	32,57,11
		..	2,83,05	2,88,05

अनुदान संख्या 8

उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)

व्यय--

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 17,42,73 की तुलना में आय-व्यय वर्ष की कुल मांग 18,49,06 की है। इस प्रकार 1,06,33 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व लेखा--

2058--लेखन सामग्री और मुद्रण (+1,21,33)--

आयोजनांतर (+1,06,60)--

001--निवेशन और प्रशासन (+2,42)--

के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,42 की वृद्धि अनुमानित है।

101--लेखन सामग्री मण्डारों की खरीद और पूर्ति (+1,75)--

के अन्तर्गत मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं लघु निर्माण कार्य मदों में 1,75 की वृद्धि अनुमानित है।

102--फर्मों का मुद्रण, भण्डारण और वितरण (+4,64)--

के अधीन वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा अन्तरिम सहायता आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 4,64 की वृद्धि अनुमानित है।

103-- सरकारी मुद्रणालय (+ 94,45)---

के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 94,45 की वृद्धि अनुमानित है।

105-- सरकारी प्रकाशन (+ 3,34)---

के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा अन्तरिम सहायता आदि मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 3,34 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत (+ 14,73)---

गत वर्ष के 99,00 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 1,13,73 की मांग की गयी है। इस प्रकार राजस्व लब्ध में 14,73 का अधिक व्यय अनुमानित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनागत-- (- 15,00)---

4058--लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजी परिव्यय--

के अन्तर्गत आयोजनागत परिव्यय के आधार पर गत वर्ष 35,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 20,00 की है। इस प्रकार 15,00 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्तरिम सहायता आदि मदों में तथा पूँजीगत परिव्यय के लिये की गयी कुल व्यवस्था इस प्रकार है:

(हजार रुपयों में)

मानिक	मद	आयोजनांतर	आयोजनागत	योग
2058--लेखन सामग्री और और मुद्रण--				
01	वेतन	2,93,65	37,90	3,31,55
02	मजदूरी	85		85
03	महंगाई भत्ता	3,23,01	41,68	3,64,69
04	यात्रा व्यय	1,31	40	1,71
05	अन्य भत्ते	1,13,57	13,85	1,27,42
06	कार्यालय व्यय	71,33	5,47	76,80
07	टेलीफोन पर व्यय	34	9	43
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	70	25	95
15	छात्र वृत्तियाँ और छात्रवतन	5,60	1,10	6,70
19	लघु निर्माण कार्य	85		85
20	मशीनें और उपकरण/उपकरण एवं संयंत्र	5		5
25	सामग्री और सम्पत्ति	7,75,00		7,75,00
28	अन्वयन (शीर्षक 8226)	22,00	86	22,86
33	अन्तरिम सहायता	93,91	12,13	1,06,10
33	अन्य व्यय	11,80		11,80
योग, 2058		17,14,03	1,13,73	18,27,76
2235-- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--				
33	अन्य व्यय	1,25		1,25
योग, 2235		1,25		1,25
पूँजी लेखा--				
4058--लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजी परिव्यय--				
103-- सरकारी मुद्रणालय--				
01	सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय--	5	20,00	20,05
33	अन्य व्यय			
योग, 4058		5	20,00	20,05
कुल योग		17,15,33	1,33,73	18,49,06

अनुदान संख्या - 9

उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 1,59,99 राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 2,21 तथा आयोजनगत पक्ष में 45,78 और पूँजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 1,12,00 है जब कि गत वर्ष की कुल मांग 1,63,20 (राजस्व लेखा के आयोजनेतर पक्ष में 2,20 तथा आयोजनागत पक्ष में 11,00 और पूँजी लेखा के आयोजनागत पक्ष में 1,50,00) की थी। इस प्रकार कुल 3,21 की कमी ही रही है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+1)--

“3453-विदेश व्यापार और निर्यात सम्बन्धन” (+1)-के अधीन वेतन की मद में 6 की कमी, यात्रा व्यय में 1 की कमी और अन्तरिम सहायता में 3 की कमी योजनागत पदों के रिक्त होने के कारण प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते की मदों में क्रमशः 7 तथा 4 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल 1 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत (+34,78)--

“3453-विदेश व्यापार और निर्यात सम्बन्धन” (+34,78) के अधीन कालीन उद्योग विकास की योजना में 16,00 की वृद्धि, अलोगद मुस्लिम विश्व विद्यालय की अला संलग्नक मद्रास के दस्तावेजों की परियोजना में 18,78 की वृद्धि अर्थात् कुल 34,78 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूँजी लेखा--(-38,00)--

आयोजनागत (-38,00)--

“4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परिव्यय”--

(-40,00) के अधीन उ० प्र० वित्त निगम, मुरादाबाद के अंशकों के क्रय में 10,00 की कमी और उ० प्र० राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम के अंशकों के क्रय में 38,00 की कमी प्रदर्शित है।

“5465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश” (-8,00) के अधीन उ० प्र० निर्यात निगम के अंशकों के क्रय में 8,00 की कमी प्रदर्शित है।

“6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार” (+10,00) के अधीन मदों की प्राथमिक विकास प्राधिकरण की ऋण में 10,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते तथा सहायक अनुदान आदि के लिये की गयी व्यवस्था निम्नवत् है:—

राजस्व लेखा--

(हजार रुपये में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1	2	3	4
01--वेतन	..	80	80
03--महंगाई भत्ता	..	88	88
04--यात्रा व्यय	..	3	3
05--अन्य भत्ते	..	14	14
06--कार्यालय व्यय	..	11	11
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	45,7.8	..	45,78
32--अन्तरिम सहायता	..	25	25
योग, राजस्व लेखा 'मतदेय'	45,78	2,21	47,99
<hr/>			
पूँजी लेखा			
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परिव्यय	65,00	..	65,00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	27,00	..	27,00
6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	20,00	..	20,00
योग, पूँजी लेखा 'मतदेय'	1,12,00	..	1,12,00
कुल योग, 'मतदेय'	1,57,78	2,21	1,59,99

अनुदान संख्या—10

उर्जा विभाग

गत वर्ष के 3,49,76,04 की तुलना में आय-व्यय अनुमान 3,31,32,39 है। इस प्रकार कुल 18,43,65 की कमी अनुमानित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--

2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+ 36,18)--

वेतन में 10,00, मजदूरी में 20, महंगाई भत्ते में 13,00 याता व्यय में 1,00, अन्य भत्तों में 6,50 कार्यालय व्यय में 75 टेलीफोन पर व्यय में 20, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, में 15, किराया उप शुल्क और कर स्वामिस्व में 50, तथा मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में 20 की वृद्धि, वास्तविक मांग के आधार पर अनुमानित है। इसके अतिरिक्त विद्युत निरीक्षणालय के अन्तर्गत कार्यालयों के लिये पांच नए टेलीफोनों की स्थापना हेतु 50 तथा चार जीपें क्रय करने हेतु 4,80 की धनराशि का प्राविधान नई मांगों के माध्यम से कराया गया है। इसके विपरीत अन्तरिम सहायता में 1,62 की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 36,18 की वृद्धि अनुमानित है।

2801--विद्युत--06--ग्रामीण विद्युतीकरण--800--अन्य व्यय (+ 17)--

ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा हेतु गठित समन्वय समिति के लिये स्वीकृत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 1, याता व्यय में 5, अन्य भत्तों में 5, टेलीफोन पर व्यय में 3, तथा मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में 5 की वृद्धि वास्तविक मांग के आधार पर अनुमानित है। इसके विपरीत कार्यालय व्यय की मद में 2 की कमी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

आयोजनागत--

पूँजी लेखा--

4801--विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय (+ 11,11,50)--

उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लखनऊ को अधिक धनराशि अंश पूँजी के रूप में दिय जाने के कारण 11,11,50 की वृद्धि अनुमानित है।

6801--विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार (-29,91,50)--

प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, अल्लयार्थक निगम तथा विद्युत उत्पादन निगम को वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ऋण पक्ष में 32,53,40 की कमी अनुमानित है। इसके विपरीत कुटीर ज्योति योजना प्रारम्भ करने हेतु राज्य विद्युत परिषद को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के लिये 2,61,90 की धनराशि का प्राविधान नई मांगों के माध्यम से कराया गया है। इस प्रकार कुल 29,91,50 की कमी अनुमानित है।

2--इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्यय वर्ष में वेतन आदि के लिये कुल व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है--

(हजार रुपयों में)

क्र.सं.	मद	धनराशि
01	--वेतन	50,26
02	--मजदूरी	20
03	--महंगाई भत्ता	50,26
04	--याता व्यय	4,15
05	--अन्य भत्ते	11,10
06	--कार्यालय व्यय	4,03
07	--टेलीफोन पर व्यय	1,13
08	--मोटर गाड़ियों का क्रय	4,80
09	--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,65
11	--किराया, उप शुल्क और कर स्वामिस्व	6,50
20	--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,20
32	--अन्तरिम सहायता	16,08
33	अन्य व्यय	1
		1,52,37

इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष (1989-90) हेतु निम्न प्राविधान किया गया है।

2045	1,51,26
2235	1
2801	1,12
4801	20,29,50
6801	3,09,50,50

योग, .. 3,31,32,39

अनुदान संख्या-11

कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (शैक्षणिक विकास)

गत वर्ष 1988-89 के अनुमान 21,92,07 (मतदेय 21,84,21 तथा भारित 7,86) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 23,68,34 (मतदेय 23,60,48 तथा भारित 7,86) रखे जाने के कारण 1,76,27 (मतदेय 1,76,27) वृद्धि परिलक्षित है।

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर-- (+80,44)--

2401--कृषि कार्य (+57,45)--

वित्तवर्ष के मूल अनुमान मतदेय 9,93,46 तथा भारित 7,86 की तुलना में आय-व्यय वर्ष के लिए 10,50,91 तथा भारित 7,86 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 57,45 की वृद्धि प्रत्याशित है, जो मुख्यतः राज्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, अन्तरिम सहायता तथा आकस्मिक मदों में कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित है।

2406--दानिकी और अन्य जीवन--(+7,76)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मजदूरी में 5,00, महंगाई भत्ता में 10,09, कार्यालय व्यय में 10, टेलीफोन पर व्यय में 2, अन्य भत्ते में 1,25; तथा अन्तरिम सहायता में 6,00 की वृद्धि तथा वेतन में 60, किराया, उपगृहक और कर स्वामित्व में 10, बृहत निर्माण कार्य में 7,99, लघु निर्माण कार्य में 5,99 तथा विज्ञापन में 2 की कमी की गई है।

24 5--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+13,61)--

आवश्यकतानुसार वेतन 1,31, मजदूरी में 30, महंगाई भत्ता में 9,66, अन्य भत्ते में 66, कार्यालय व्यय में 6, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 10, बृहत निर्माण कार्य में 3,00, सामग्री और सम्पत्ति में 50, तथा अन्तरिम सहायता में 3,63 की वृद्धि तथा यात्रा व्यय में 15, मोटर गाड़ियों का क्रय में 1,30, प्रकाशन में 5, मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र में 3,18, अनुरक्षण में 79, सामग्री और सम्पत्ति में 10 तथा विज्ञापन में 4 की कमी की गई है।

2435--अन्य कृषि कार्यक्रम--(+26)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मजदूरी में 25, यात्रा व्यय में 3 तथा अन्तरिम सहायता में 5, की वृद्धि तथा वेतन में 2 तथा विज्ञापन में 5 की कमी की गई है।

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग --(+1,36)--

आवश्यकतानुसार वेतन में 8, महंगाई भत्ता में 96, अन्य भत्ते में 15, तथा अन्तरिम सहायता में 75 की वृद्धि तथा मजदूरी में 7, यात्रा व्यय में 7, किराया, उपगृहक एवं कर स्वामित्व में 3, विज्ञापन में 2, मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र में 9, सामग्री और सम्पत्ति में 15, तथा अन्य व्यय में 15 की कमी की गई है।

पूंजी लेखा--

4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय--

आय-व्ययक वर्ष में 18,30 के अधिक व्यय होने का अनुमान है। इसके विपरीत 4 घटाइये पूंजी लेखे पर प्राप्तियां और वसुलियों के अन्तर्गत इतनी ही धनराशि अर्थात् 18,30 प्राप्त होने का अनुमान है। अतएव इस मद में कोई व्यय प्रदर्शित नहीं किया गया है।

आयोजनागत--(+77,53)--

गत वर्ष 1988-89 के अनुमान 5,36,38 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में योजनाओं हेतु आवंटित परिव्यय एवं अनु-प्राप्त कार्यक्रम के आधार पर 6,13,91 का प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप 77,53 की वृद्धि परिलक्षित होती है, जिसमें 4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय सम्बन्धित धनराशि भी सम्मिलित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों के अन्तर्गत आय-व्ययक में की गई व्यवस्था निम्नवत् है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनाेतर	योग
01- वेतन	89,15	4,00,88	4,90,03
02-- मजदूरी	42,83	92,98	1,35,81
03-- महंगाई भत्ता	98,14	4,37,15	5,35,29
04-- यात्रा व्यय	14,89	42,92	57,81
05-- अन्य भत्ते	13,90	37,48	51,38
06-- कार्यालय व्यय	9,96	20,18	30,14
07-- टेलीफोन पर व्यय	8	2,49	2,57
08-- मोटर गाड़ियों का क्रय	6,80	1,40	8,20
09-- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	3,35	4,62	17,97
11-- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,71	9,66	13,37
12-- प्रकाशन	5	1,16	1,21
14-- सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	19,90	1	19,91
15-- छात्रवृत्तियों और छात्र वेतन	2,48	39	2,87
16-- आतिथ्य व्यय, व्यय विषयक भत्ता आदि		5	5
17-- बृहत् निर्माण कार्य	1,68,05	3,01	1,71,06
18-- लघु निर्माण कार्य	1,00	2,74	3,74
19-- मशीन और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	15,35	4,02	19,37
23-- अनुरक्षण	95	4,27	5,22
25-- सामग्री और सम्पत्ति	78,68	1,11,23	1,89,91
32-- अन्तरिम सहायता	28,85	1,26,28	1,56,13
33-- अन्य व्यय	(मत्तदेय) 14,79	35,35	50,14
	(भारित) ..	7,86	7,86
योग, राजस्व	6,13,91	13,48,27	19,62,18
	(मत्तदेय) ..	7,86	7,86
	(भारित) ..		

पूँजी लेखा--

4401-- कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय--

103-- बीज		1,80,00	1,80,00
107-- पीघा संरक्षण	
108-- वाणिज्यिक फसलें	
109-- विस्तार और प्रशिक्षण	
119-- बागवानी और सब्जी की फसलें		2,18,30	2,18,30
योग, पूँजी लेखा	..	3,98,30	3,98,30

कुल योग	(मत्तदेय) ..	6,13,91	17,46,57	23,60,48
	(भारित)	7,86	7,86

अनुदान संख्या-12

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

गत वर्ष के 2,14,50,82 (मतदेय 2,14,48,20 भारत 2,62) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 2,65,17,02 (मतदेय 2,65,14,40 भारत 2,62) की व्यवस्था किये जाने के कारण 50,66,20 की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा-- (+40,22,29)--

आयोजनेतर (+6,15,46) आयोजनागत (+34,06,83)--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (-49)--

प्रशासनिक सुधार गत वर्ष के अनुमान 50, के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 1, की व्यवस्था किये जाने के कारण 49, की कमी प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)--

आवश्यकतानुसार गत वर्ष के शून्य अनुमान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 1, की व्यवस्था के फलस्वरूप 1, की वृद्धि प्रदर्शित है।

2245--बैंकी विपत्तियों के संबंध में [राहत (+5,00,00)--

आय-व्ययक वर्ष में 5,00,00 को व्यवस्था की गई है किन्तु समस्त धनराशि की प्राप्ति होने के फलस्वरूप कोई व्यय प्रदर्शित नहीं किया गया है।

2401--कृषि कार्य (+30,83,02)--

महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं भाड़े की दरों में वृद्धि तथा सामग्रियों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयोजनेतर पक्ष में विगत वर्ष के मूल अनुमान 34,43,23 (मतदेय 34,41,23 भारत 2,00) के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 35,04,61 (मतदेय 35,02,61 भारत 2,00) की व्यवस्था किये जाने के कारण 61,38 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय एवं अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर गत वर्ष के अनुमान 31,56,09 की तुलना में आय-व्यय वर्ष में 61,77,93 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 30,21,24 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2402--भू और जल संरक्षण (आयोजनेतर (+28,81)--

आयोजनागत (+2,87,41--योग +3,16,22)--

महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं भाड़े की दरों में वृद्धि तथा सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष के मूल अनुमान 2,98,43 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 3,27,24 की व्यवस्था किये जाने के कारण 28,81 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय एवं अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार विगत वर्ष के अनुमान 36,14,66 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 39,02,07 की व्यवस्था के कारण 2,87,41 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+1,56,43)--

आयोजनेतर (+24,23) आयोजनागत (+32,20)--

महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं भाड़े में वृद्धि तथा सामग्रियों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयोजनेतर पक्ष में विगत वर्ष के अनुमान 13,33,07 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 13,57,30 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 24,23 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय एवं अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर विगत वर्ष के अनुमान 4,32,00 के सापेक्ष 5,64,20 की व्यवस्था के फलस्वरूप 1,32,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2435--अन्य कृषि कार्यक्रम (--33,10 आयोजनेतर +1,52 आयोजनागत--34,62)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आयोजनेतर पक्ष में 1,52 की वृद्धि तथा अनुमोदित परिव्यय एवं कार्यक्रम के आधार पर आयोजनागत पक्ष में 34,62 की कमी प्रदर्शित है।

पूंजी लेखा--

4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय (+19,46,54)--

वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान 54,46,46 मतदेय तथा भारत 50 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 73,93,00 मतदेय तथा 50 भारत की व्यवस्था के फलस्वरूप 19,46,54 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस लेखा शीर्षक में आयोजनेतर पक्ष में बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां तथा औजारों के त्रय हेतु व्यवस्था की जाती है, जिसकी बिक्री के उपरान्त बसुली होती है, जिन्हें लेख में व्यय में से घटा दिया गया है।

4408--खाद्य भण्डारण और भण्डारण पर पूंजी परिव्यय (--67,45)--

कृषि रक्षा गोदामों के निर्माणार्थ स्वीकृत परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान 1,25,78 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 58,33 की व्यवस्था किये जाने के कारण 67,45 की कमी प्रदर्शित है।

4415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय -- (-8,35,18)--

विश्व बैंक पोषित कृषि प्रसार की योजना/नलकूप योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान 10,94,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 2,58,82 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 8,35,18 की कमी प्रदर्शित है।

आय-व्ययक में विभिन्न मदों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था निम्नवत् है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	..	10,77,83	14,02,04	24,79,87
02--मजदूरी	..	76,78	72,21	1,48,99
03--महंगाई भत्ता	..	11,73,29	15,44,90	27,18,19
04--यात्रा व्यय	..	1,38,03	1,19,51	2,57,54
05--अन्य भत्ते	..	1,12,72	1,26,97	2,39,69
06--कार्यालय व्यय	..	69,18	62,25	1,31,53
07--टेलीफोन पर व्यय	..	11,78	3,23	15,01
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	..	95,40	..	95,40
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	..	53,34	32,07	85,41
10--व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भूगतान	..	5,00	..	5,00
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	..	41,17	32,19	73,36
12--प्रकाशन	..	1,09	6	1,15
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	65,34,44	18,22,10	83,56,54
16--आतिथ्य व्यय, व्यय-विषयक भत्ता आदि	10	10
17--गुप्त सेवा व्यय	40	40
18--बृहत् निर्माण कार्य	..	20,00	..	20,00
19--लघु निर्माण कार्य	..	7,00	1,90	8,90
20--मशीनें और मज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	1,13,67	17,90	1,31,57
23--अनुरक्षण	..	23,90	35,43	59,33
25--सामग्री और सम्पत्ति	..	1,81,49	1,10,17	2,91,66
32--प्रन्तरिम सहायता	..	3,39,74	4,48,73	7,88,47
33--अन्य व्यय	{ मत्तदेय	6,75,46	19,67	6,95,13
	{ भारत	..	2,12	2,12
योग राजस्व	{ मत्तदेय	1,07,51,41	58,52,83	1,66,04,24
	{ भारत	..	2,12	2,12
<hr/>				
पूँजी लेखा--	{ मत्तदेय	3,34,90	70,58,10	73,93,00
4401-कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय	{ भारत	..	50	50
4408-खाद्य, भंडारण और भंडारण पर--
पूँजी परिव्यय	..	58,33	..	58,33
4415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजी--
परिव्यय	..	2,58,82	..	2,58,82
6401-कृषि-कार्य के लिये उधार--	22,00,01	22,00,01
योग, पूँजी लेखा	{ मत्तदेय	6,52,05	92,58,11	99,10,16
	{ भारत	..	50	50
कुल योग, (राजस्व व पूँजी लेखा)	{ मत्तदेय	1,14,03,46	1,51,10,94	2,65,14,40
	{ भारत	..	2,62	2,62

अनुदान संख्या-13

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के मूल अनुदान 4,19,51,76 (मतदेय 4,19,51,66 तथा भारित 10) की तुलना में वर्ष 1989-90 के कुल अनुमान 5,95,22,42 (मतदेय 5,95,21,92 तथा भारित 50) रखे जाने के कारण कुल 1,75,70,66 की वृद्धि प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)--

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी मविष्य निधि के अन्तर्गत आयोजनेतर पक्ष में प्रतीक प्राविधान कराये जाने के कारण 1, की वृद्धि प्रत्याशित है।

2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (+66,00,24)--

आयोजनागत पक्ष में अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं निर्धारित कार्यक्रम हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर अनुमान रखे जाने के कारण कुल 66,00,24 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2505--ग्रामीण रोजगार (+71,62,00)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुमानित सहायता के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमों के लिये प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 71,62,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (मतदेय +35,62,00 तथा भारित +40)--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 24,31,45 की वृद्धि प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत कर्मचारिवर्ग के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं अन्तरिम सहायता आदि के लिये आवश्यकतानुसार वृद्धि के अनुमान रखे जाने के कारण कुल 11,30,55 की वृद्धि प्रत्याशित है। भारित मद में आवश्यकतानुसार प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 40 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2702--लघु सिंचाई (+98,84)--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर अनुमान रखे जाने के कारण कुल 1,38,12 की कमी प्रत्याशित है। आयोजनेतर पक्ष की विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृत कर्मचारिवर्ग हेतु वास्तविक आवश्यकतानुसार वेतन, महंगाई भत्ता अन्य भत्ते एवं अन्तरिम सहायता आदि मदों हेतु वृद्धि के अनुमान रखे जाने के कारण कुल 2,36,96 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूंजी लेखा--

4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय (+1,64,50)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमों हेतु प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 1,64,50 की वृद्धि प्रत्याशित है।

4702--लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (--17,33)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 17,33 की कमी प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--			
01--वेतन	5,63,84	29,63,20	35,27,04
02--महंगाई भत्ता	6,17,97	32,56,87	38,74,84
04--यात्रा व्यय	63,08	3,91,61	4,54,69
05--अन्य भत्ते	67,85	1,57,28	2,25,13
06--कार्यालय व्यय	17,60	1,74,52	1,92,12
07--टेलीफोन पर व्यय	1,62	8,88	10,50
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	30,00	93,75	1,23,75
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	15,95	91,71	1,07,66

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
11—किराया, उपशुल्क कर स्वामिस्व	...	3,72	5,00	8,72
12—मशीनें और साज-सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..	2,29,45	1,00	2,30,45
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	1,74,96,37	20,50	1,75,16,87
15—छात्रवृत्तियाँ / छात्रवैतन	..	5,25	11,87	17,12
19—लघु निर्माण-कार्य	40	40
23—अनुरक्षण	30,00	30,00
25—सामग्री और सम्पत्ति	..	4,85	50	5,35
32—अन्तरिम सहायता	..	1,73,76	8,75,52	10,49,28
33—अन्य व्यय	मतदेय भारित	3,06,18,39	53,44	3,06,71,83
			50	50
	योग, राजस्व लेखा भारित	4,99,09,70	81,36,05	5,80,45,75
			50	50
	4515	13,72,50	..	13,72,50
	4702	99,67	4,00	1,03,67
	योग पूंजी लेखा	14,72,17	4,00	14,76,17
	कुल योग राजस्व तथा पूंजीलेखा मतदेय भारित	5,13,81,87	81,40,05	5,95,21,92
			50	50

अनुदान संख्या-14

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंच यती राज)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के मूल अनुमानों 43,45,47 (मतदेय 43,45,26 तथा भारित 21) की तुलना में वर्ष 1989-90 के कुल अनुमान 42,59,32 (मतदेय 42,59,11 तथा भारित 21) रखे जाने के कारण कुल 86,15 की कमी प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

राजस्व लेखा—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं—(+ 97,60)—

आयोजनेतर पक्ष में प्रादेशिक विकास दल के लिए स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि मदों में वृद्धि के अनुमान रखे जाने के कारण कुल 29,23 की वृद्धि प्रदर्शित है। आयोजनागत पक्ष में विभिन्न अनुमोदित कार्यक्रमों एवं आवंटित प्लान परिषद के आधार पर प्राविधान कराय जाने के कारण कुल 68,37 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण [(+ 1)—

आयोजनेतर पक्ष में जमा से संबद्ध बीमा योजना—सरकारी भविष्य निधि के लिए आय-व्ययक वर्ष में प्रतीक प्राविधान किए जाने के कारण गत वर्ष के शून्य अनुमान की तुलना में 1 की वृद्धि है।

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+ 91,24)—

आयोजनेतर पक्ष में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत कर्मचारीवर्ग के वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि के लिए तथा 'सामाजिक संपत्तियों के सृजन' नामक योजना हेतु आवश्यकतानुसार कमी के अनुमान रखे जाने के कारण कुल 83,73 की कमी प्रदर्शित है। आयोजनागत पक्ष के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवंटित प्लान परिषद के आधार प्राविधान कराय जाने के कारण कुल 1,74,97 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3054—सड़के तथा पुल (-2,75,00)—

आयोजनेतर पक्ष में "ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों के अनुरक्षण" योजना अन्तर्गत ग्राम सभाओं को आवश्यकतानुसार अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप कुल 2,75,00 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन महंगाई भत्ता आदि मदों के लिए की गई कुल धन व्यवस्था निम्न प्रकार

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01--	वेतन	2,77	6,88,11	6,90,88
02--	मजदूरी	..	15	15
03--	महंगाई भत्ता	3,05	7,57,61	7,60,66
04--	यात्रा व्यय	1,45	56,89	5834
05--	अन्य भत्ते	87	20,26	21,13
06--	कार्यालय व्यय	1,43	10,01	11,44
07--	टेलीफोन पर व्यय	..	55	55
08--	मोटर गाड़ियों की खरीद	..	1,30	1,30
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	1,15	1,15
11--	किराया उपशुल्क एवं कर	..	1,57	1,57
14--	सहायक अनुदान / अशदान / राज सहायता	7,46,24	13,25,02	20,71,26
1--	लघु निर्माण कार्य	13,45	..	13,45
10--	मशीन और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	..	10	10
23--	अनुरक्षण	..	40	40
32--	अन्तरिम सहायता	96	2,19,26	2,20,22
33--	अन्य व्यय	(मतदेय .. 4,05,40) (भारत)	11	4,05,51
	योग राजस्व लेखा	(मतदेय .. 11,75,62) (भारत)	30,82,49	42,58,11
	पूजी लेखा	1,00	..	1,00
	कुल योग, राजस्व तथा पूजी लेखा	(मतदेय .. 11,76,62) (भारत)	30,82,49	42,59,11

अनुदान संख्या—15

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान 35,03,05 (मतदेय 35,02,95 तथा भारत 10) की योजना में वर्ष 1989-90 हेतु 43,48,43 (मतदेय 43,48,43 तथा भारत 10) के आय-व्ययक अनुमान रखे जाने के कारण ल 8,45,38 की वृद्धि प्रत्याशित है; जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा— आयोजनेतर (+5,37,52)—

2235--प्रमाजिक सुरक्षा और कल्याण--(+1,00)--के वीना योजना के अन्तर्गत सरकारी भविष्य निधि हेतु वर्ष 1989-90 में 1,00 के अनुमान रखे जाने के कारण 1,00 की वृद्धि प्रत्याशित है।

2245--देशी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत (+50,00) भारत सरकार से देशी विपत्तियों के सम्बन्ध में अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के मूल आय-व्ययक में कोई अनुमान नहीं रख गये। इसके सापेक्ष वर्ष 1989-90 में 50,00 के अनुमान रखे जाने के कारण 50,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

2403--पशुपालन (+4,86,52)--आयोजनेतर पक्ष में पशुधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत मैचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों के लिए वास्तविक आवश्यकतानुसार प्राविधान कराये जाने के कारण कुल 4,86,52 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत पक्ष में अर्बटित प्लान परिव्यय एवं निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर प्राविधान कराये जाने के कारण ल 3,07,86 की वृद्धि प्रत्याशित है।

पूँजी लेखा--

4403--पशुपालन पर पूँजी परिव्यय--(-32,24)--

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों तथा आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर धन की व्यवस्था किय जाने के कारण कुल 32,24 की कमी प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक के वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
01	वेतन	1,91,80	10,68,32	12,60,12	
02	मजदूरी	1,10	3,16	4,26	
03	महंगाई भत्ता	2,03,73	11,61,95	13,65,68	
04	यात्रा व्यय	15,67	53,50	69,17	
05	अन्य भत्ते	8,64	62,10	70,74	
06	कार्यालय व्यय	12,37	21,94	34,31	
07	टेलीफोन पर व्यय	59	2,09	2,68	
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	10,90	19,07	92,97	
12	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व	5,88	9,00	14,89	
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	77,19		77,19	
16	छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	2,65	1,85	4,50	
19	लघु निर्माण कार्य		50	50	
20	मशीन, साज-सज्जा / उपकरण	48,95		48,95	
22	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	4,99		4,99	
23	अनुरक्षण	13,30	15,30	28,60	
25	समग्री और सम्पत्ति	2,07,41	3,73,15	5,80,56	
32	अन्तरिम सहायता	64,90	3,59,04	4,23,94	
33	अन्य व्यय	88,54	62,13	1,50,67	
		{ मतदेय	9,58,62	31,13,10	41,71,72
		{ भारत		10	10
	योग, राजस्व लेखा	{ मतदेय	9,58,62	32,13,10	41,71,72
		{ भारत		10	10
	योग, पूँजी लेखा	{ मतदेय	1,76,61		1,76,61
		{ भारत			
	कुल योग राजस्व एवं पूँजी	{ मतदेय	11,35,23	32,13,10	43,48,33
		{ भारत		10	10

अनुदान संख्या-16

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)।

गत वर्ष 6,41,05 (मतदेय 6,32,04 तथा भारत 9,01) के आय-व्ययक प्राविधान के विपरीत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,15,51 (मतदेय 4,07,10 तथा भारत 8,41) के अनुमान रखे जाने के कारण 2,25,54 की कमी प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा (मतदेय --1,70,58 तथा भारत --60)--

2049--ब्याज संदाय (भारत --60)--

निगम के ब्याज का भुगतान करने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धन की व्यवस्था किय जाने के कारण 60 की कमी प्रदर्शित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (मतदेय + 1)—

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि के लिए प्रथम बार 1,000 रु0 के प्रतीक व्यवस्था किए जाने की वृद्धि है।

2404—डेरी विकास (मतदेय —1,70,59)—

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक व्यय के आधार पर गत वर्ष 1988-89 के मुगतान 1,42,41 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 के लिए 1,64,14 रखे जाने के फलस्वरूप 21,73 के वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत पक्ष में गत वर्ष 1988-89 के अनुमान 3,50,26 की तुलना में वर्ष 1989-90 में आवंटित प्लान परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर 1,57,95 के अनुमान रखे जाने के कारण 1,92,31 की कमी परिलक्षित है।

पूँजी लेखा (मतदेय -54,36)—

4404—डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय (—54,36)—

गत वर्ष 1988-89 में 1,39,37 के अनुमानों के तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में आवंटित प्लान परिव्यय तक अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर 85,01 के अनुमान रखे जाने के फलस्वरूप 54,36 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, भत्ते आदि विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—				
2049--	ब्याज संदाय (भारित)	2,40	2,40
2235--	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	1
2404--	डेरी विकास
01--	वेतन--	2,26	58,79	61,05
02--	मजदूरी	4	4
03--	महंगाई भत्ता	2,63	64,72	67,35
04--	यात्रा व्यय	40	7,23	7,63
05--	अन्य भत्ते	35	9,11	9,46
06--	कार्यालय व्यय	17	2,69	2,86
07--	टेलीफोन पर व्यय	17	45	62
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	75	75
11--	किराया, उपशुल्क एवं कर / स्वामिस्व	2,01	2,01
14--	सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	1,51,28	..	1,51,28
32--	अन्तरिम सहायता	69	18,34	19,03
33--	अन्य व्यय
	भारित	1	1
	(मतदेय	1,57,95	1,64,14	3,22,09
	(भारत	2,41	2,41
पूँजी लेखा—				
4404--	डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय	85,01	..	85,01
6003--	राज्य सरकार के अन्तरिक ऋण (भारित)	6,00	6,00
	योग (मतदेय	85,01	..	85,01
	(भारत	6,00	6,00
	कुल अनुदान, योग (मतदेय	2,42,96	1,64,14	4,07,10
	(भारत	8,41	8,41

आयोजनागत पक्ष में गत वर्ष "सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता" में 5,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान "शून्य" रखा जाने के कारण 5,00 की कमी है।

आयोजनेतर पक्ष तथा आयोजनागत पक्ष की न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के पश्चात् 4,99 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)--

आयोजनेतर पक्ष में सहकारिता विभाग की जमा से संबद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि हेतु प्रतीक प्राविधान करने के कारण 1, की वृद्धि प्रदर्शित है।

2401--कृषि-कार्य (+3,32,84)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक व्यय के आधार पर "सहकारी कृषि योजना" तथा "लघु कृषक विकास योजना" से सम्बद्ध कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि में कुल 5,88 की वृद्धि है।

आयोजनागत--

2425--सहकारिता (-6,15,01)--

आयोजनागत पक्ष में जे.आर.सी. "2425--सहकारिता" से एक योजना सहकारी ऋण एवं प्रतिकोषण योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्स्थापना हेतु अनुदान से संक्रमित किये जाने के कारण आय-व्ययक वर्ष में व्यवस्था किये जाने के कारण 3,28,96 की वृद्धि है। इस प्रकार आयोजनेतर तथा आयोजनेतर पक्षों की कुल वृद्धि 3,32,84 है। आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों के लिए आवश्यकता-नुसार वृद्धि के अनुमान रखे जाने के कारण आयोजनेतर पक्ष में कुल 52,33 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों तथा आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर 8,67,34 की कमी है।

न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के पश्चात् शुद्ध कमी 8,15,01 की प्रदर्शित है।

11--पूंजी लेखा--

4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय (+25,14)--

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर गत वर्ष 1988-89 के अनुमान 2,19,45 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 2,44,59 रखे जाने के कारण 25,14 की वृद्धि प्रदर्शित है।

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारत) (+1,52,52)--

आयोजनेतर पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,52,52 की वृद्धि है।

6401--कृषि कार्य के लिये उधार (+1,78,12)--

आयोजनागत पक्ष में 1,78,12 की वृद्धि है।

6408--ब्याज संभारण और संडाारण के लिये उधार (+5,40)--

आयोजनागत पक्ष में गत वर्ष के अनुमान शून्य है जबकि आय-व्ययक वर्ष में 5,40 की व्यवस्था किये जाने के कारण इतने की ही वृद्धि है।

6425--सहकारिता के लिये उधार (+4,66,91)--

आयोजनागत पक्ष में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आय-व्ययक वर्ष के अनुभागों में कुल 4,66,91 की वृद्धि है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, आदि मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--			
2013--मन्त्रि-परिषद्
2049--ब्याज संभारण (भारत)	..	10	10
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	9,77,59	9,77,59
2245--दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत-
2230--श्रम और रोजगार-
2401--कृषि कार्य

मानक	मद	आयोजनगत	आयोजनेतर	योग
2425--सहायता--				
01--	वेतन	11,72	2,59,48	2,71,20
03--	महंगाई भत्ता	12,90	2,86,15	2,99,05
04--	यात्रा व्यय	3,35	42,03	45,98
05--	ग्रन्थ भत्ते	1,05	29,61	31,20
06--	कार्यालय व्यय	1,96	12,75	14,71
07--	टेलीफोन पर व्यय	..	3,25	3,25
09--	मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	3,55	3,55
11--	किराया, उपमूलक एवं कर / स्वामित्व	..	6,97	6,97
14--	सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	5,34,40	4	5,34,44
15--	छात्रवृत्ति	..	-11	11
17--	गुप्त सेवा	..	12	12
20--	मशीन और साज-सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	..	5	5
23--	अनुरक्षण	..	40	40
25--	सामग्री और सम्पत्ति	..	30	30
32--	अन्तरिम सहायता	3,75	83,17	86,92
33--	अन्य व्यय-- मतदेय	..	5,11	5,11
	मायित	..	2	2
योग, राजस्व लेखा		5,09,73	7,33,80	13,03,53
	{ मतदेय	..	9,77,61	9,77,61
योग, पूंजी लेखा		22,10,61	33,00,01	55,10,62
	{ मतदेय	..	8,11,77	8,11,77
योग, अनुदान		27,80,34	40,33,81	68,14,16
	{ भारत	..	17,89,38	17,89,38

अनुदान संख्या-19

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 58,30,04 की तुलना में आव-व्ययक वर्ष (1989-90) के लिये 53,60,39 की कुल मांग है। इस प्रकार 4,69,65 की कमी निम्नलिखित कारणों से प्रदर्शित है।

आयोजनगत--

2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम--(+61,00)--

52--सूखा भवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम--

आवंटित परिव्यय तथा अनुमोदित कार्यक्रम एवं आवश्यकता के आधार पर गत वित्तीय वर्ष के 8,65,00 मूल अनुमान के सापेक्ष आव-व्ययक वर्ष के लिये 9,16,00 की व्यवस्था के फलस्वरूप 61,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2705--कमान क्षेत्र विकास--(-6,27,88)--

अनुमोदित कार्यक्रम एवं आवश्यकता के आधार पर 6,27,88 की कमी प्रदर्शित है।

6705--कमान क्षेत्र विकास के लिए उधार (+97,23)--

190--सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

इस मद में गण्डक, रायगंगा तथा शारदा सहायक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को भारत सरकार के मार्गनिर्देश के अनुसार आव-व्ययक वर्ष में भारत सरकार से अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने की प्रमाणा के 97,23 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में विभिन्न मदों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजने तर	योग
01 -- वेतन	7,80,00	..	7,80,00
03 -- महंगाई भत्ता	8,58,00	..	8,58,00
04 -- यात्रा व्यय	97,00	..	97,00
05 -- ग्रन्थ भत्ते	60,00	..	60,00
06 -- कार्यालय व्यय	55,00	..	55,00
07 -- टेलीफोन पर व्यय	4,60	..	4,60
09 -- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल को खरीद	41,50	..	41,50
11 -- किराया, उपशुल्क और स्वामित्व	29,00	..	29,00
14 -- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	28,38,02	..	28,38,02
32 -- अन्तरिम सहायता	2,60,00	..	2,60,00
33 -- अन्य व्यय	1,90,00	4	1,90,04
योग, राजस्व	52,13,12	4	52,13,16
पूजी लेखा --			
6705 -- कमान क्षेत्र विकास के लिये उधार -- निवेश/ऋण	1,47,23	..	1,47,23
योग, पूजी लेखा	1,47,23	..	1,47,23
कुल योग	53,60,35	4	53,60,39

अनुदान संख्या-20

कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

गत वर्ष के 1,35,79 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का कुल अनुमान 97,47 का है। इस प्रकार 38,32 की कमी है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

राजस्व लेखा (मतभेद) --

आयोजनेतर (+8,39) --

वेतन, महंगाई भत्ता आदि में वृद्धि के कारण लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन" में 5,61 की, लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ" के अन्तर्गत उ० प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में 1,40 तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं अधिष्ठान व्यय में 1,00 व प्रशिक्षण समन्वय काष्ठक, में 38 की वृद्धि है। इस प्रकार कुल 8,39 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (-15,00) --

"265-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ" के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान न करने के कारण 15,00 की कमी है।

पूँजी लेखा—(मतदेय)—आयोजनागत—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय—(-31,17)—

30 प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के भवनों हेतु कोई प्राविधान न कराये जाने के कारण 31,17 की कमी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते आदि के लिए की गयी व्यवस्था निम्नवत् है :—

मानक	भद	वनपत्रि (हजार रुपयों में)
01—वेतन	27,33
02—महंगाई भत्ता	20,85
04—यात्रा व्यय	1,41
05—अन्य भत्ते	4,48
06—कार्यालय व्यय	11,02
07—टेलीफोन पर व्यय	1,42
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,22
11—किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामित्व	1,00
14—सहायक अनुदान	7,30
19—लघु निर्माण कार्य	33
20—मशीनें तथा साज/सज्जा, उपकरण एवं संयंत्र	15
23—अनुरक्षण (निर्माण-कार्य)	50
32—अन्तरिम सहायता	6,82
33—अन्य व्यय	13,64
योग, राजस्व लेखा (मतदेय)		97,47

अनुदान संख्या-21

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के कुल मांग 2,82,30 (64,25 मतदेय एवं 2,18,05 भारित) की है जबकि गतवर्ष की कुल मांग 2,10,62 (30,00 मतदेय एवं 1,80,52 भारित) की थी। इस प्रकार यहाँ पर 71,68 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :—

राजस्व लेखा—

2051—लोक सेवा आयोग—

102—राज्य लोक सेवा आयोग भारित (+37,43)—

वार्षिक वेतन वृद्धि, अर्बकाय नगदीकरण, बोनस के लिए वास्तविक आवश्यकता एवं गणना के आधार पर वेतन में 10,90 की तथा स्वीकृत दर से परिगणना के आधार पर भत्तों के लिए व्यवस्था करने से महंगाई भत्ते में 9,38 की, अन्य भत्ते में 4,50 की वृद्धि हुई है। परोक्षाओं के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप उनके पर्यवेक्षण में अधिकारी एवं स्टाफ के अधिक भ्रमण के कारण यात्रा व्यय में 1,00 की वृद्धि हुई है। वस्तुओं के मूल्यों एवं विज्ञान, विद्यमान परोक्षा आयोजन, गोपनीय व्यय, प्रकाशन तथा आकस्मिक व्ययों में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यालय व्यय में 11,00 की वृद्धि परिलक्षित है। टेलीफोन के किराये की दरों में वृद्धि एवं अधिक प्रयोग के कारण टेलीफोन पर व्यय में 20 तथा परोक्षाओं के विकेन्द्रीकरण के कारण गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 2 की वृद्धि हुई है। निर्माण लागत में वृद्धि के कारण लघु निर्माण कार्य में 20 की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार यहाँ पर कुल 37,43 की वृद्धि परिलक्षित है।

103—कर्मचारी चयन आयोग (मतदेय) (+46,25)—

नव सृजित कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना के फलस्वरूप स्टाफ, कार्यालय, साज-सज्जा एवं संयंत्र आदि के लिये सिर से व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न मदों में कुल 46,25 की वृद्धि हुई है।

पूँजी लेखा—

आयोजनागत—

4059—सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूँजी परिव्यय (-12,00)—

आय-व्ययक वर्ष के लिए निर्धारित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत चालू योजनाओं के लिये व्यवस्था किये जाने से यहाँ पर 12,00 की कमी हुई है।

इस प्रकार न्यूनताधिकताओं को समायोजित करते हुए इस अनुदान में 71,68 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।
इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन		67,00	67,00
03--महंगाई भत्ता		60,00	60,00
04--यात्रा व्यय		5,50	5,50
05--अन्य भत्ते		14,75	14,75
06--कार्यालय व्यय		89,00	89,00
07--टेलीफोनपर व्यय		2,00	2,00
09--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद		1,50	1,50
11--किराया, उप शुल्क एवं कर/स्वामिस्व		4,00	4,00
18--बृहत् निर्माण कार्य	18,00	..	18,00
19--लघु निर्माण कार्य		50	50
20--मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		2,50	2,50
32--अन्तरिम सहायता		16,25	16,25
33--अन्य व्यय		1,30	1,30
योग	18,00	2,64,30	2,82,30

अनुदान संख्या-22

खाद्य तथा रसद विभाग

गत वर्ष के 7,63,41,35 जिसमें 29,16 मत्तदेय आयोजनागत तथा 7,63,12,19 आयोजनेतर (7,03,42,40 मत्तदेय तथा 59,69,79 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 11,31,66,12 जिसमें 51,84 मत्तदेय आयोजनागत तथा आयोजनेतर 11,31,66,12 (10,89,03,66 मत्तदेय तथा 42,10,62 भारित) के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रकार बजट वर्ष में राजस्व पक्ष में शुद्ध 86,27 की वृद्धि प्रत्याशित है। पूर्ण लेखा पक्ष के अन्तर्गत 3,67,38,50 की वृद्धि परिलक्षित है, परन्तु इतनी ही वसूलियाँ अधिक अनुमानित होने के फलस्वरूप कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है। राजस्व पक्षपूँजीगत पक्ष और वसूलियों के समायोजन के उपरान्त अनुदान के अन्तर्गत शुद्ध 86,27 की शुद्ध वृद्धि अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :-

खाद्य तथा रसद विभाग (+86,27)--
राजस्व लेखा (+86,27)--
आयोजनेतर (+63,59)--
2049-व्याज संदाय (-2,34,17)--

केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किये गये खाद्यान्नों के मूल्य के शीघ्रता से प्राप्त होने की प्रत्याशा में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कम ऋण लेना अनुमानित है। इसलिए व्याज के रूप में 2,34,17 की कमी धनराशि का भुगतान अनुमानित है

2075-द्विविध सामान्य सेवायें- (+3,00)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर अनुदान में वृद्धि किये जाने के कारण 3,00 की वृद्धि की गई गयी है।

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- (+1)--

अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जमा से संबद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि के लिए प्रतीक व्यवस्था कराई गई है इसलिए 1 की वृद्धि की गयी है।

2408-खाद्य भंडारण और भंडानारण (+2,30,05)--

01--खाद्य-001-निवेशन और प्रशासन (+2,29,75)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 17,50, महंगाई भत्ते में 1,34,75, यात्रा व्यय में 1,60, अन्य भत्ते में 25,00, कार्यालय व्यय में 70, टेलीफोन पर व्यय में 10, मोटर गाड़ियों का क्रय में 20, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 50, अन्तरिम सहायता में 14,40 और अन्य व्यय में 35,00 का आधिक्य है। इस प्रकार शुद्ध आधिक्य 2,29,75 परिलक्षित है।

190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों की सहायता (+30)--

चावल प्रशोधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर अनुदान में 30 की वृद्धि प्रत्याशित है।

3456-नागरिक आपूर्ति (+43,19)--

001-निर्देशन और प्रशासन--

01-सिविल पूर्ति योजनाओं का अधिष्ठान (+43,19)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन में 5,27, महंगाई भत्ता में 28,82, यात्रा व्यय में 55, अन्य भत्ते में 5,23, कार्यालय व्यय में 30, टेलीफोन पर व्यय में 5, मोटर गाड़ियों का क्रय 60, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद में 85, अन्तरिम सहायता में 87 की वृद्धि तथा अल्प व्यय मत्तदेय में 35 की कमी की गई है। इस प्रकार यहाँ कुल 43,19 की वृद्धि परिलक्षित है।

3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (+21,51)--

106-तौल और माप नाम विनियमन (+21,51)--

वार्षिक वेतन वृद्धि की सामान्य आवश्यकता एवं वास्तविक परिगणना के आधार पर आय-व्ययक वर्ष समस्त मदों में कुल 21,55 की शुद्ध वृद्धि तथा विज्ञापन तथा विख्यापन व्यय में 4 की कमी की गई है। इसलिए यहाँ पर 21,51 की कुल शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

पूँजी लेखा (शून्य)--

4408-खास भंडारण और भंडारण पर पूँजी परिव्यय (शून्य) (मत्तदेय)--

गत वर्ष की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 3,82,63,50 की वृद्धि परिलक्षित है परन्तु इतनी ही वसूलियाँ अधिक होने के कारण कोई भी न्यूनाधिक्य नहीं है।

6003-राज्य सरकार से आन्तरिक ऋण (भारत) (-) शून्य--

गत वर्ष की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 15,25,00 की कमी परिलक्षित है परन्तु इतनी ही वसूलियाँ अधिक होने के कारण कोई भी न्यूनाधिक्य नहीं है।

आयोजनागत (+22,68)--

राजस्व लेखा (+22,68)--

2075-विविध-सामान्य सेवाएँ--

800-अन्य व्यय-01--

30 प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की सहायक अनुदान (+2,00) --कैटोन में काकरी आदि के क्रय हेतु 2,00 की वृद्धि की गयी है।

3456-नागरिक पूर्ति--

001-निर्देशन और प्रशासन--

02-उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम- (+13,36)--

उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के प्रचार / प्रसार हेतु उपलब्ध कराये गये प्लान परिव्यय के अन्तर्गत कुल 13,36 की व्यवस्था कराई गयी है, गत वर्ष यह लेखा शीर्षक नहीं खुला था, इसलिए इसमें कुल 13,36 की वृद्धि प्रदर्शित है।

3465-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ--

106-तौल और माप का विनियमन-01-अधिष्ठान-(+7,32)

वास्तविक आवश्यकता के फलस्वरूप वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों का क्रय तथा अन्तरिम सहायता की मद में कुल 7,32 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन एवं भत्ते आदि के लिए कुल व्यवस्था का विवरण निम्नवत् है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयी जनेतर	योग
01	वेतन	14,25	8,08,24	8,22,49
03	महंगाई भत्ता	15,67	8,82,80	8,98,47
04	यात्रा व्यय	1,87	33,33	35,20
05	अन्य भत्ते	2,70	99,53	1,02,23
06	कार्यालय व्यय	86	22,50	23,36
07	टेलीफोन व्यय	..	6,29	6,29
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	12,00	12,00
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	73	14,67	15,40
11	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्य	2,10	13,50	15,60

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
12 प्रकाशन	1,25	1,25
14 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..	2,00	17,50	19,50
17 गुप्त सेवा व्यय	10	10
20 मशीने तथा सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	1,46	1,46
23 अनुरक्षण	50	50
25 माल तथा सम्पत्ति--	7,36,73,00	7,36,73,00
(क) खाण्डसारी शक्कर की बिक्री से आय
(ख) खाण्डसारी शक्कर योजना	3,28,57,50	3,28,57,50
26 ब्याज / लाभांश (भारित)	2,09,22	2,09,22
32 अन्तरिम सहायता	5,16	2,59,48	2,64,64
33 अन्य व्यय (मतदेय)	6,50	2,00,01	2,06,51
(भारित)	40,01,40	40,01,40
कुल योग (मतदेय)	51,84	10,89,03,66	10,89,03,66
(भारित)	42,10,62	42,10,62

अनुदान संख्या-23

खेल विभाग

इस अनुदान के अंतर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 506,26 की है जबकि गत वर्ष यह मांग 2,66,74 की थी। इस प्रकार 2,39,52 की अधिक व्यवस्था हुई है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :

आयोजनेतर (+25,84)--

आयोजनागत (+2,13,68)--

आयोजनेतर (-25,84)--

2204--खेल और युवा कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन--

01--प्रवेश में खेलकूद निदेशालय की स्थापना एवं सुदृढीकरण-- (+14,30)--

वार्षिक वेतन वृद्धियों हेतु वेतन में 3,45 की अधिक व्यवस्था की गई है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते में 6,93, यात्रा व्यय में 40, अन्य भत्ते में 1,50, व किराया, उपभूतक और कर स्वामित्व में 5 का अधिक प्राद्वितन सम्मिलित है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वार्षिक व्यय में 50, टेलीफोन पर व्यय में 5, पीओ ओएल 0 में 30, आतिथ्य व्यय में 1, व्यय विषयक भत्ता आदि में 1, अन्तरिम सहायता में 1,10 एवं अन्य व्यय में 1 का अधिक प्राद्वितन किया गया है।

104--खेलकूद- (+11,53)--

प्रदेशीय क्रीड़ा संघों की सहायक अनुदान में 35, बल्लों एवं क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं का आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान में 40, मध्यम प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना तथा उन पर व्यय में 10, भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता में 10, क्रीड़ा छात्रावासों के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय में 2,44, क्रीड़ा संघों का विकास (विला योजना में) 1,80, स्पोर्ट्स क्लब्स, लखनऊ के अनुदान में 65, मेयो हॉल, इलाहाबाद में क्रीड़ा स्थल की स्थापना में 60, एवं नहरू पर्वतारोहण संस्था को अनुदान में 5,09 की अधिक व्यवस्था, क्रीड़ा कार्य-वलापो में वृद्धि, वास्तविक आवश्यकता एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते व यात्रा व्यय आदि की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप की गई है।

2235--सांसाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)--

कर्मचारियों को सरकारी भविष्य निधि जमा से सबद्ध बीमा योजना का लाभ देने हेतु 1 को प्रतिक व्यवस्था सम्मिलित

है।

आयोजनागत (42,13,68)--

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में निर्धारित प्तान परिव्यय के आधार पर राजस्व पक्ष हेतु "2204- खेल और युवा कल्याण" नामक उप शीर्षक के अधीन "निर्देशन और प्रशासन" में 2,85 को अधिक व्यवस्था मुख्यतः कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियों देना एवं बढ़ी दरों पर महंगाई भत्ता यात्रा व्यय व अन्य भत्ते देने के कारण की गई है। इसी उप शीर्षक के अधीन "104 खेलकूद" के अन्तर्गत अधिक भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता देने हेतु 5 क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन" में अधिक प्रतियोगिताओं को आयोजित करने हेतु 28,11 "केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर पर व्यय" में अधिक शिविरों के आयोजन हेतु 2,50 एवं खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पत्ति में मूल्य वृद्धियों के कारण 7,49 का अधिक प्राविधान सम्मिलित है। बड़े हुए क्रीड़ा कार्य-कलापों एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00 का अधिक प्राविधान प्रत्येक क्रीडांगन में एक फिजियोथैरेपी केन्द्र की स्थापना" नामक योजना में 1,00 का ही अधिक प्राविधान" राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार' नामक योजना में एवं 1,00 की ही वृद्धि क्रीड़ा एवं खेलकूद एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों हेतु अनुदान" नाम योजनाओं में की गई है। "क्रीड़ा छात्रावास" के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय हेतु 5,00 की वृद्धि खिलाड़ियों की आहार दरों में वृद्धि होने एवं आवश्यक मदों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण प्रदर्जित है। अधिक प्रशिक्षण शिविरों के आयोजनार्थ "प्रशिक्षण नामक योजना में भी 12,05 का अधिक प्राविधान किया गया है।

'रूजिंगन रक्षक बंदा तथा आंसी में छात्रावासों के निर्माण" हेतु 39,00 "स्पॉट्स कालेज लखनऊ में डारमट्रीज के निर्माण" हेतु 2,74 एवं "गोरखपुर में स्पॉट्स कालेज का निर्माण" हेतु 10,89 को व्यवस्था पहले से चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु की गई है। "बाराणसी में एस्टेट के निर्माण" हेतु 1,00,00 की नई व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता व यात्रा व्यय जैसी विभिन्न इकाइयों के लिये ही की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

पानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा--				
01	वेतन	3,75	33,25	37,00
03	महंगाई भत्ता	4,10	33,75	37,85
04	यात्रा व्यय	50	2,00	2,50
05	अन्य भत्ते	1,00	4,50	5,50
06	कार्यालय व्यय	1,40	3,25	4,65
07	टेलीफोन पर व्यय	20	40	60
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	..	60	60
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वाभिस्व	25	1,80	2,05
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4,55	87,10	91,65
16	आतिथ्य व्यय, व्यय विषयक भत्ता आदि	..	6	6
20	मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50	..	50
25	सामग्री और सम्पत्ति	17,80	..	17,80
32	अन्तरिम सहायता	1,10	10,64	11,74
33	अन्य व्यय	85,73	55,29	1,41,02
104	सरकारी भविष्य निर्धि से सम्बद्ध बीमा योजना--	..	1	1
105	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	..	10	10
योग, राजस्व		1,20,88	2,32,75	3,53,63
पूजी लेखा--				
18--	बृहत् निर्माण कार्य	1,52,63	..	1,52,63
योग पूजी		1,52,63	..	1,52,63
कुल योग राजस्व		2,73,51	2,32,75	5,06,26

अनुदान संख्या-24

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 20,18,14 (20,11,68 मतदेय तथा 6,46 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष (1989-90) के लिए 21,17,07 (21,12,35 मतदेय तथा 4,72 भारित) की कुल मांग है। इस प्रकार 98,93 की वृद्धि निम्नलिखित कारणों से प्रदर्शित है:--

आयोजनेतर--

2409--व्याज संदाय--(भारित-90)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वित्तीय वर्ष के मूल अनुमान 1,50 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष के लिए 60 की व्यवस्था के फलस्वरूप 90 की कमी प्रदर्शित है।

2401--कृषि कार्य--(+91,42)--

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सहगाई भत्ता में 73,97, यात्रा व्यय में 70, अन्य भत्ते में 3,07, कार्यालय व्यय में 37, टेलीफोन पर व्यय में 11, किराया, उपशुल्क और करस्वामित्व में 4, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद में 9 तथा अन्तरिम सहायता में 28,75 की वृद्धि एवं वेतन में 15,68 की कमी प्रदर्शित है।

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा (+68)--

अनुमोदित कार्यक्रम एवं आवश्यकता के आधार पर सहगाई भत्ता में 1,67, यात्रा व्यय में 5, अन्य भत्ते में 8, टेलीफोन पर व्यय में 1 तथा अन्तरिम सहायता में 76, की वृद्धि एवं वेतन में 1,79 और मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद में 10 की कमी प्रदर्शित है।

पूजी लेखा

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण--(भारित-34)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वित्तीय वर्ष के मूल अनुमान 4,86 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष के लिए 4,02 की व्यवस्था के फलस्वरूप 84 की कमी प्रदर्शित है।

आयोजनागत--(+8,57)--

आवंटित परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रम एवं आवश्यकता के आधार पर गत वित्तीय वर्ष के मूल अनुमान 3,87,83 के सापेक्ष आय-व्ययक वर्ष में 3,96,40 की व्यवस्था के फलस्वरूप 8,57 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, भत्ते आदि विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्नवत् है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
01--वेतन	4,55,89	4,55,89	
03--सहगाई भत्ता	5,01,49	5,01,49	
04--यात्रा व्यय	37,76	37,76	
05--अन्य भत्ते	16,41	16,41	
06--कार्यालय व्यय	8,52	8,52	
07--टेलीफोन पर व्यय	2,04	2,04	
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	6,84	6,84	
11--किराया, उपशुल्क और कर--स्वामित्व	4,00	4,00	
14--सहायक अनुदान	3,96,40	34,52	4,30,92	
25--भाल एवं सम्पूति	1,00	1,00	
32--अन्तरिम सहायता	1,45,98	1,45,98	
33--अन्य व्यय	मतदेय	..	1,50	1,50	
	भारित	..	70	70	
	योग, राजस्व	{ मतदेय	3,96,40	12,15,95	16,12,35
		{ भारित	70	70	

पूजी लेखा--

6003 --राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण

(भारित)

4,02 4,02

6425--सहकारिता के लिए उधार

(मतदेय)

5,00,00 5,00,00

कुल योग

{ मतदेय

3,96,40 17,15,95 21,12,35

{ भारित

70 70

अनुदान संख्या-25

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 90,51,25 (71,43,71 मतदेय तथा 19,07,54 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 1,10,91,65 (86,40,71 मतदेय तथा 24,50,94 भारित) की मांग की गई है। इस प्रकार 20,40,40 (14,97,00 मतदेय तथा 5,43,40 भारित) की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा (मतदेय) (+ 5,56,00) --
(भारित) (+5,33,65) --

आयोजनेतर--

2040-बिक्रीकर (भारित) (+5,48,73) --

797--रक्षित निधियों तथा निक्षेप लेखे को संक्रमण के अन्तर्गत गन्ना क्रय कर वसूली के आधार पर 01-उ 0 प्र 0 गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि की संक्रमण-29-अन्तर्लेखा संक्रमण (भारित) में 19 की वृद्धि, 02-उ 0 प्र 0 शक्कर फैक्ट्रियों का पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि को संक्रमण-29-अन्तर्लेखा संक्रमण (भारित) में 2,83,12 की वृद्धि तथा 03-उ 0 प्र 0 गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ऋण सहायता निधि को संक्रमण-29-अन्तर्गत लेखा संक्रमण (भारित) में 2,65,42 की वृद्धि अनुमानित है।

2049-ब्याज संदाय (भारित) (-15,08) --

01--आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-200-आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-01-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत निगम को ब्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 15,08 की कमी है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (+1) --

के अर्धीन आवश्यकता के आधार पर 1 की वृद्धि अनुमानित है।

2401-कृषि कार्य--

108-वाणिज्यिक फसलें (+36) --

गन्ना क्रय कर की वसूली के आधार पर गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि में 19 की तथा चीनी मिलों से गन्ना क्रय के रूप में प्राप्त धनराशि के आधार पर गन्ना विकास परियोजनाओं को गन्ना विकास कार्य के लिये दिये जाने वाले सहायक अनुदान में 17 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2852-उद्योग (+5,55,63) --

08--उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन और प्रशासन (+7,09) --

वास्तविक आवश्यकतानुसार महंगाई भत्ते में 3,94 मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में 20 कार्यालय व्यय में 10, यात्रा भत्ते में 15, मशीनों और सज्जा में 5, अन्य भत्ते में 2,20 एवं अन्तरिम सहायता में 3,00 की वृद्धि तथा वेतन में 2,55 की कमी प्रदर्शित है।

201-चीनी (+5,48,54) --

01--उ 0 प्र 0 शक्कर फैक्ट्रियों पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ 0 प्र 0 शक्कर विशेष समिति के भुगतान 33-अन्य व्यय में 2,83,12 की वृद्धि तथा 02-उ 0 प्र 0 के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने मूल्य के भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ 0 प्र 0 शक्कर विशेष समिति को भुगतान -33-अन्य व्यय में- 2,65,42 की वृद्धि है। उक्त वृद्धियां गन्ना क्रय कर की वसूली के आधार पर अनुमानित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनेतर (भारित) (+9,75) --

(मतदेय) (-29,75,00) --

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारित) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण का प्रतिदान हेतु 9,75 की वृद्धि है।

6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार-04-चीनी-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

उ 0 प्र 0 राज्य चीनी निगम को चीनी मिलों तथा सहकारी चीनी मिलों को ऋण के स्थान पर अक्षय पूँजी उपलब्ध कराने के निर्णय के अनुसार कुल 29,75,00 की कमी है।

आयोजनेतर (+) 4,52,11—

2056—जेलें (+) 4,52,10

इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते/अन्य भत्ते की दरों के पुनरीक्षण तथा जेल सुधार समिति की संस्तुतियों को लागू करने के कारण जहाँ वेतन में 22,58, मजदूरी में 65, महंगाई भत्ते में 76,84, यात्रा व्यय में 1,43, अन्य भत्ते में 16,54, टेलीफोन में 9, मोटर गाड़ियों का क्रय में 30,75, पेट्रोल का क्रय में 68, भवन किराये में 5, छात्रवृत्ति में 25, लघु निर्माण कार्य में 1,22, मशीनों में 76,24, माल तथा सम्पत्ति में 37,13, अन्तरिम सहायता में 30,14 तथा अन्य व्यय में 1,61,50 की वृद्धि अनुमानित है, वहाँ कम आवश्यकता के कारण कार्यालय व्यय में 2,79, व्यवसायिक सेवाओं हेतु भुगतान में 1,00 तथा विज्ञापन में 20 की कमी परिलक्षित है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+) 1

इस शीर्षक में बोमा योजना लागू करने हेतु अन्य व्यय में 1 की वृद्धि अनुमानित है।

पूँजी लेखा (-) 3,42,51

आयोजनागत—

4059—सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूँजी परिव्यय (-) 1,17,73—

इस शीर्षक के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के कारण वृद्ध निर्माण कार्य में 83,33 की तथा लघु निर्माण कार्य में 34,40 की कमी परिलक्षित है।

4215—जल पूति और मल निकासी पर पूँजी परिव्यय (-) 93,97

इस शीर्षक के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के कारण वृद्ध निर्माण कार्य में 60,00 तथा लघु निर्माण कार्य में 33,97 की कमी परिलक्षित है।

4216—आवास पर पूँजी परिव्यय (-) 1,30,81

इस शीर्षक के अन्तर्गत आवासों का निर्माण पूर्ण हो जाने के कारण वृद्ध निर्माण कार्य में 1,30,81 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
01--वेतन	..	5,42,33	5,42,33	
02--मजदूरी	..	9,25	9,25	
03--महंगाई भत्ता	..	5,96,53	5,96,53	
04--यात्रा व्यय	..	14,48	14,48	
05--अन्य भत्ते	..	49,80	49,80	
06--कार्यालय व्यय	..	21,44	21,44	
07--टेलीफोन पर व्यय	..	3,12	3,12	
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	..	30,78	30,78	
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	..	5,46	5,46	
10--व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान	..	1,00	1,00	
11--किराया उपशुल्क व कर	..	35	35	
14--सहायक अनुदान	..	3,90	3,90	
15--छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	..	31	31	
19--लघु निर्माण कार्य	4,62	15,51	20,13	
20--मशीनें तथा सज्जा	..	85,91	85,91	
23--अनुरक्षण	..	72,00	72,00	
25--सामग्री व सम्पत्ति	..	2,69,48	2,69,48	
32--अन्तरिम सहायता	..	2,07,76	2,07,76	
33--अन्य व्यय	मतदेय	8,71,36	8,71,36	
	भारित	2	2	
योग	{ मतदेय भारित	4,62	28,00,77	28,05,39
		2	2	

अनुदान संख्या-27

गृह विभाग (पुलिस)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक 1989-90 के लिये कुल 4,34,89,23 (मतदेय-4,33,88,98 व भारत 1,00,25) की मांग है जबकि गत वर्ष 1988-89 की कुल मांग 3,93,46,13 (मतदेय 3,92,41,67 व भारत 1,04,46) की थी। इस प्रकार 41,43,10 की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर-मतदेय(+) 51,27,48

2049-व्याज संदाय-भारत-(-)4,21--

इस शीर्षक में वास्तविक रूप से कम आवश्यकता के कारण व्याज में 4,21 की कमी परिलक्षित है।

2055-पुलिस (-) 49,30,35--

इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि, भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता आदि कारणों से जहाँ वेतन में 11,64,69, मजदूरी में 54 सहगाई भत्ते में 23,66,75, यात्रा व्यय में 2,23,59, अन्य भत्ते में 55,79,4 कार्यालय व्यय में 93,09, टेलीफोन पर व्यय में 10,20, पेट्रोल का क्रय में 46,49, व्यवसायिक सेवा में 98, किराया उप शुल्क व कर में 8,25, सहायक अनुदान में 34,80, छात्रवृत्ति में 53,10, लघु निर्माण में 1,65,35, मशीनों में 1,44,87, भाल व सम्पत्ति में 21, अन्तरिम सहायता में 1,42,47 तथा अन्य व्यय में 1,23,91 की वृद्धि अनुमानित है। वहाँ आवश्यकता न होने के कारण अन्य कुछ मदों में 2,06,88 की कमी भी परिलक्षित है।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-(+2,26,13)---

इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि, भत्तों की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 45,58, मजदूरी में 5, सहगाई भत्ते में 77,38, यात्रा व्यय में 1,92, अन्य भत्ते में 8,24, कार्यालय व्यय में 4,14, मोटर गाड़ियों का क्रय में 15,24, पेट्रोल का क्रय में 6,12, किराया में 34, लघु निर्माण में 8,30, मशीनों में 55,53, अन्तरिम सहायता में 1,75, अन्तरिम सहायता में 2,07, तथा अन्य व्यय में 27 की वृद्धि अनुमानित है साथ ही टेलीफोन पर व्यय में 80 की कमी भी परिलक्षित है।

2236-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+) 4,00--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य व्यय में 4,00 की वृद्धि अनुमानित है।

2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें (+) 12,00--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन में 3,54, मजदूरी में 2, सहगाई भत्ते में 4,64, यात्रा व्यय में 10, अन्य भत्ते में 1,65, कार्यालय व्यय में 14, टेलीफोन पर व्यय में 32, पेट्रोल की खरीद में 5, गुप्त सेवा व्यय में 9, मशीनों में 2, अन्तरिम सहायता में 1,18, तथा अन्य व्यय में 25 की वृद्धि अनुमानित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनागत- (-) 10,01,17--

4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय (-) 2,33,66--

इस शीर्षक में कुछ निर्माण-कार्यों के पूर्ण हो जाने के कारण तथा परिव्यय में कमी के कारण वृहत् निर्माण-कार्य में 2,33,66 की कमी परिलक्षित है।

4216-आवास पर पूँजी परिव्यय (-) 7,67,51--

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुछ निर्माण-कार्य पूर्ण हो जाने के कारण तथा परिव्यय की कमी के आधार पर वृहत् निर्माण-कार्य भी मद में 7,67,51 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनेतर (-) 24,00--

4215--जल पूर्ति और मल निकासी पर पूँजी परिव्यय (-) 24,00--

इस शीर्षक के अन्तर्गत एक योजना पूर्ण होने के कारण वृहत् निर्माण-कार्य में 24,00 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों आदि के लिए मदवार कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
01	वेतन	1,36,94,92	1,36,94,92	
02	मजदूरी	14,73	14,73	
03	महंगाई भत्ता	1,35,58,77	1,35,58,77	
04	यात्रा व्यय	21,19,73	21,19,73	
05	अन्य भत्ते	30,23,54	30,23,54	
06	कार्यालय व्यय	14,39,92	14,39,92	
07	टेलीफोन पर व्यय	99,62	99,62	
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	4,90,70	4,90,70	
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	8,50,72	8,50,72	
10	व्यवसायिक सेवा	1,01	1,01	
11	किराया उपशुल्क व कर	99,17	99,17	
14	सहायक अनुदान	59,46	59,46	
15	छात्रवृत्ति	58,63	58,63	
17	गृह्त सेवा व्यय	1,06	1,06	
18	वृहत् निर्माण कार्य	6,77,64	4,29,85	11,07,49	
19	लघु निर्माण कार्य	29,77	2,79,79	3,09,56	
20	मशीनें / सज्जा	11,99,05	11,99,05	
23	अनुरक्षण	3,46,04	3,46,04	
25	माल व सम्पत्ति	46,00	46,00	
26	व्याज / लाभांश (भारत)	46,54	46,54	
32	अन्तरिम सहायता	44,61,98	44,61,98	
33	अन्य व्यय	मतदेय भारत	4,06,88	4,06,88	
			53,71	53,71	
	योग,	{ मतदेय	7,07,41	4,26,81,57	4,33,88,98
		{ भारत	1,00,25	1,00,25

अनुदान संख्या-28

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

गत वर्ष के 15,65,18 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का कुल अनुदान 16,12,99 का है । इस प्रकार 47,81 की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

आयोजनेतर (+47,81)--

2014--न्याय शासन (+45,37)--

महंगाई भत्ते, अन्य मदों में वृद्धि के कारण 45,37 की वृद्धि परिलक्षित है ।

2052--सचिवालय--सामान्य सेवायें (+84)--

बीमा पर व्यय में वास्तविक आवश्यकता के अन्तर्गत पर 2,16 की वृद्धि परिलक्षित है इसके विपरीत पासपोर्ट पर व्यय में कोई आय-व्ययक प्राविधान न कराये जाने के कारण 1,32 की कमी है । इन न्यूनताधिक्यों को सपायोजित करने पर 84 की वृद्धि परिलक्षित है ।

2251--सचिवालय--सामाजिक सेवायें (+1,60)--

वेतन, महंगाई भत्ते आदि में आवश्यकतानुसार वृद्धि के फलस्वरूप 1,60 की वृद्धि परिलक्षित है ।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते आदि के लिए आय-व्ययक में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है--

मानक मद	धन राशि (हजार रुपयों में)
01--वेतन	1,97,80
03--महंगाई भत्ता	1,97,98
04--यात्रा व्यय	11,48
05--अन्य भत्ते	27,41
06--कार्यालय व्यय	17,25
07--टेलीफोन पर व्यय	2,66
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	0,64
11--किराया, उपशुल्क एवं कर	2,96
14--सहायक अनुदान	59,10
20--मशीनें, सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	1
23--अनुरक्षण	10
27--पेन्शन तथा आनुतोषिक	10,00,00
32--अन्तरिम सहायता	62,24
33--अन्य व्यय	33,36

योग, मतदेय	16,12,99

अनुदान संख्या-29

गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 33,73,06 की है, जबकि गतवर्ष यह मांग 23,67,66 की थी। इस प्रकार आय-व्ययक वर्ष में 10,05,40 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है--

राजस्व लेखा--

200--अन्य-प्रशासनिक सेवाएँ-- (+) 9,99,40--

106--नागरिक सुरक्षा (+) 16,55--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 2,35, मजूदारी में 2,25, महंगाई भत्ता में 5,92, यात्रा व्यय में 47, अन्य भत्ते में 3,32, कार्यालय व्यय में 1,09, टेलीफोन पर व्यय में 12, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 48, लघु निर्माण कार्य में 2, मशीने तथा सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र में 66, माल तथा सम्पत्ति में 1 तथा अन्य व्यय में 1,27 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन में 1,25 तथा अन्तरिम सहायता में 16 की कमी परिलक्षित है।

107--होमगार्ड (+) 9,88,85--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (+) 9,82,85--

इस शीर्षक के अन्तर्गत होमगार्ड स्वयं सेवकों के मानक कार्य दिवसों में मूल्य वृद्धि तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण के कारण वेतन में 14,42, मजूदारी में 6,00,00, महंगाई भत्ते में 37,42, यात्रा व्यय में 1,60, अन्य भत्ते में 5,81, कार्यालय व्यय में 80, टेलीफोन पर व्यय में 15, मोटर गाड़ियों का क्रय में 5,00, पेट्रोल का क्रय में 1,04, भवन किराये में 2,60, छात्रवृत्ति में 3,03,00, लघु निर्माण कार्य में 3,50, मशीने तथा सज्जा में 2,21, माल व सम्पत्ति में 5,00 तथा अन्य व्यय में 30 की वृद्धि अनुमानित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+) 6,00--

इस शीर्षक के अन्तर्गत मृत होमगार्डों के परिवारों का अधिक मात्रा में सहायता देने के दृष्टि से अन्य व्यय में 6,00 की वृद्धि अनुमानित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक 1989-90 में वेतन भत्तों आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनेतर
01--	वेतन	2,82,14
02--	मजूदूरी	20,04,07
03--	महंगाई भत्ता	3,08,74
04--	यात्रा व्यय	29,06
05--	अन्य भत्ते	72,52
06--	कार्यालय व्यय	14,48
07--	टेलीफोन पर व्यय	2,89
08--	मोटर गाड़ियों का क्रय	6,01
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	10,03
11--	किराया, उपशुल्क व कर	8,60
15--	छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	4,43,01
19--	लघु निर्माण कार्य	3,54
20--	मशीनें तथा सज्जा / उपकरण व संयंत्र	14,48
23--	अनुरक्ष	1,50
25--	माल तथा सम्पत्ति	55,06
32--	अन्तरिम सहायता	1,05,07
33--	अन्य व्यय	11,86
योग,		33,73,06

अनुदान संख्या-30

गोपन विभाग

(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की 48,70 की मांग के विपरीत बजट वर्ष के लिए कुल 49,21 की मांग है। इस प्रकार कुल 51, की शुद्ध वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+51)--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवार्य--

800--अन्य व्यय--

01--राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय--(+50)--

महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप 50, की वृद्धि प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104- जमा से सम्बद्ध बीमा योजना--सरकारी भविष्य निधि -(+1)--

बजट वर्ष में उक्त शीर्षक के अन्तर्गत 1, की प्रतीक व्यवस्था किये जाने के कारण 1, की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गयी आय-व्ययक व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--	वेतन	..	6,00	6,00
03--	महंगाई भत्ता	..	5,90	5,90
04--	यात्रा व्यय	..	50	50
05--	अन्य भत्ते	..	1,50	1,50
06--	कार्यालय व्यय	..	1,00	1,00
07--	टेलीफोन पर व्यय	..	1,00	1,00
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	75	75
17--	गुप्त सेवा व्यय	..	30,75	30,75
32--	अन्तरिम सहायता	..	1,80	1,80
33--	अन्य व्यय	..	1	1
योग		..	49,21	49,21

क्रम संख्या-31

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

इस अनुदान के अन्तर्गत चालू वर्ष के 59,92 के विपरीत बजट वर्ष के लिए 70,80 की मांग है। इस प्रकार कुल मांग 10,88 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--

2012--राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (भारत) (+10,87)--

090--सचिवालय (+9,23)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि तथा मकान किराया भत्ता आदि की दरों में वृद्धि व महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 2,88 की, महंगाई भत्ते में 3,95 की, यात्रा व्यय में 20 की, अन्य भत्ते में 18 की, कार्यालय व्यय में 25 की तथा अन्तरिम सहायता व अन्य व्यय में क्रमशः 1,02 तथा 75 की वृद्धि प्रदर्शित है।

103--गृह स्थापना--

01--कर्मचारी वर्ग (+10)--

महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप 10 की वृद्धि प्रदर्शित है।

105--चिकित्सा सुविधाएँ--

01--चिकित्सा सम्बन्धी व्यय (+1,04)--

व्यय की प्रगति, वास्तविक आवश्यकता तथा विभिन्न भत्तों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 10 की, महंगाई भत्ते में 40 की, यात्रा व्यय में 5 की, अन्य भत्ते में 15 की, तथा कार्यालय व्यय व अन्तरिम सहायता में क्रमशः 20 की तथा 14 की वृद्धि परिलक्षित है।

106--आतिथ्य व्यय-- (-36)--

अपेक्षाकृत कम आवश्यकता के कारण 36 की कमी प्रदर्शित है।

800--अन्य व्यय--

02--राज भवन में स्वच्छता-- (+85)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, विभिन्न भत्तों की दरों में वृद्धि व व्यय की प्रगति के आधार पर वेतन में 45, महंगाई भत्ता में 38, तथा अन्य भत्ते में 2 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण --

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि-- (+1)--

बजट वर्ष में उक्त शीर्षक के अन्तर्गत 1, की प्रतीक व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 1, की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए की गई आय-व्ययक व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपये में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--	वेतन	18,75
03--	महंगाई भत्ता	16,65
04--	यात्रा व्यय	1,72
05--	अन्य भत्ते	2,23
06--	कार्यालय व्यय	7,25
07--	टेलीफोन पर व्यय	3,50
08--	मोटर गाड़ियों का क्रय	1
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल को खरीद	2,00
16--	आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	1,44
20--	साज/सज्जा उपकरण एवं सयंत्र	1
32--	अन्तरिम सहायता	5,60
33--	अन्य व्यय	9,62
102--	विवेकाधीन अनुदान	90
800--	अन्य व्यय मदों के तदीनीकरण हेतु विशेष अनुदान	1,12
	योग	70,80
				70,80

अनुदान संख्या-32

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 1,49,08,14 (1,49,07,14 मतदेय एवं 1,00 भारित) की है, जबकि गत वर्ष यह मांग कुल 1,48,07,21 (1,48,06,21 मतदेय एवं 1,00 भारित) की थी। इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत 1,00,93 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

2210---चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+1,00,93)---]

आयोजनेतर ---(+1,30,79)---

राजस्व लेखा---(+1-30-79)---

01---शहरी स्वास्थ्य सेवार्ये---एलोपैथी (+5,58,63)---

001---निदेशन और प्रशासन (+13,67)---

01---निदेशन और प्रशासन (+11,65)---

व्यय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेतन के लिये 2,00, महंगाई भत्ता के लिये 5,50, यात्रा व्यय के लिये 50, अन्य भत्ते के लिये 3,00, टेलीफोन पर व्यय के लिये 5, तथा अन्तरिम सहायता के लिये 60 अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है।

02---स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में क्षय रोग इकाई (सेल) की स्थापना (+47)---

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्यय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेतन के लिये 10, महंगाई भत्ते के लिये 20, अन्य भत्ते के लिये 15, मोटर गाड़ियों के लिये अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खराद के लिये 2, की वृद्धि स्वीकार की गई है।

03---स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश में विद्युत एवं यान्त्रिक अनुरक्षण कोष्ठक की स्थापना (+1,55)---

व्यय की आवश्यकतानुसार वेतन के लिये 25, महंगाई भत्ते के लिये 85, अन्य भत्ते के लिये 30, तथा अन्तरिम सहायता के लिये 15, की अधिक व्यवस्था की गई है।

104---चिकित्सा भंडार डिपो (+60)---

इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेतन के लिये 10, महंगाई भत्ते के लिये 30, अन्य भत्ते के लिये 15 तथा अन्तरिम सहायता के लिये 5, अतिरिक्त प्राविधानित है।

110---अस्पताल और औषधालय (+3,85,38)---

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की किराया की स्वीकृति, मकान किराया अतिरिक्त भत्ता / नगर प्रतिकर भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप -- 01---जिला चिकित्सा अधिकारियों के लिये 29,40 "02--- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय" के लिये 1,87,85 "03---उपचारिका सेवार्ये" के लिये 75,03, "04---क्षय रोग रुजालय के लिये" 04,80 एवं "05---कुष्ठ रोगियों की सहायता" के लिये 28,30 अधिक की व्यवस्था की गई है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत "02---एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय एवं अन्य शीर्षों" के अधीन औषधि आहार संयंत्रों/ उपकरणों की मरम्मत, लघु निर्माण कार्य (अनुरक्षण) एवं चिकित्सा प्रकीर्ण व्यय (अन्य व्यय) को निर्धारित मानकों के अनुसार प्राविधान किया गया है।

800---अन्य व्यय (+1 58,98)---

"सेन्ट्रल हास्पिटल फण्ड कमेटी" को सहायक अनुदान के लिये 79,38 की अधिक व्यवस्था की गई है। इतनी ही अधिक धनराशि का प्राविधान "उत्तर प्रदेश लाटरी की शुद्ध प्राप्तियों के व्यय" के लिये किया गया है साथ ही चिकित्सा अधिष्ठानों से सम्बन्धित निर्माण कार्य" (मरम्मत) के लिये 22 अधिक की व्यवस्था की गई है।

03---ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्ये---एलोपैथी (-4,27,84)---

110---अस्पताल और औषधालय (-4,27,84)---

01---जिला चिकित्सा अधिकारी (+4,00)---

व्यय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेतन के लिये 45, महंगाई भत्ते के लिये 1,95, अन्य भत्ते के लिये 75, कार्यालय व्यय के लिये 25, अन्तरिम सहायता के लिये 10 और अन्य व्यय के लिये 50 अधिक की व्यवस्था की गई है।

02---एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय (-4 34 50)---

व्यय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेतन के लिये 3,00,00, महंगाई भत्ता के लिये 1,60,00 तथा अन्तरिम सहायता के लिये 90,00 की कमी प्रदर्शित है। दूसरी ओर अन्य भत्ते के लिये 90,00, किराया, उपभूक्त एवं कर स्वागिस्व के लिये 50, लघु निर्माण कार्य (अनुरक्षण) के लिये 25,00 की वृद्धि स्वीकार की गई है।

(3--कुल रोगियों की सहायता (सामान्य) (+29,34) --

इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन के लिये 5,80, महंगाई भत्ता के लिये 18,20, अन्य भत्ते के लिये 2,00, छात्रवृत्तियां तथा छात्रवेतन के लिये 20, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद के लिये 10, गाम्भी और सम्पत्ति (औषधि) के लिये 1,00 अन्तरिम सहायता के लिये 1,74, तथा अन्य व्यय के लिये 30 अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है।

11--अन्य रोग बजालय (-31,10)--

व्यय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेतन के लिये 14,20, महंगाई भत्ता के लिये 11,60, यात्रा व्यय के लिये 1,00 तथा अन्तरिम सहायता के लिये 4,30 की कमी प्रदर्शित की गई है।

12--उपचारिका सेवाएँ (+4,32)--

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत महंगाई भत्ते के लिये 4,32, अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है।

800--अन्य व्यय (+10)--**0102--बल्लभ राम, सारिक राम मेहता अस्पताल सरकारी (+10)**

सहायक अनुदान की राशि के अन्तर्गत 10 अर्धिक का प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत (-29,86)--**राजस्व लेखा--(-8,37,76)--**

गत वर्ष के 17,60,09 के प्राविधान की तुलना में इस वर्ष 26,03,85 की व्यवस्था की गई है, जो 8,37,76 अधिक है। वृद्धि मुख्यतया वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते आदि की दरों में, कतिपय नई योजनाओं जो वर्ष 1988-89 के अनुसूचक मांगों के माध्यम से स्वीकार की गई थी, एवं आय-व्ययक वर्ष के नई मांगों की अनुसूची के माध्यम से कराये गये 2,00,22 के प्राविधान के कारण है।

पूँजी लेखा--(-8,67,62)--

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में आयोजनागत परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर 8,67,62 की कमी प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, भत्तों आदि के लिये आय व्ययक में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01 वेतन	6,34,46	26,37,10	32,71,56
03 महंगाई भत्ता	6,34,45	26,37,35	32,71,80
04 यात्रा व्यय	28,66	70,30	98,96
05 अन्य व्यय	1,10,97	5,48,95	6,59,92
06 कार्यालय व्यय	26,12	1,47,25	1,73,37
07 टेलीफोन पर व्यय		11,45	11,45
08 गाड़ियों की खरीद	36,00	37,00	73,00
09 गाड़ियों का अनुरक्षण	17,65	49,31	66,96
11 किराया / उपशुल्क / कर	11,00	35,22	46,22
14 सहायक अनुदान	82,80	8,15,23	8,98,03
15 छात्रवृत्तियां / छात्रवेतन	13,10	11,35	24,45
18 वृहत् निर्माण-कार्य	8,92,84		8,92,84
19 लघु निर्माण कार्य		4,70,00	4,70,00
23 अनुरक्षण (उपकर)	1,00,00	3,00,00	4,00,00
25 माल सम्पत्ति	2,56,52	22,39,20	24,95,72
32 अन्तरिम सहायता	4,79,06	7,88,20	12,67,26
33 अन्य व्यय	1,73,06	6,12,54	7,85,60

योग (मतदेय) .. 34,96,69 1,14,10,45 1,49,07,14
(भारित) 1,00 1,00

अनुदान संख्या—34

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 7,42,43 (मत्तदेय) की है, जबकि गत वर्ष कुल मांग 6,11,38 की थी। इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत 1,31,05 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है—

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (+1,31,05)---

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-होम्योपैथी

राजस्व लेखा (+1,31,05)---

आयोजनेतर --- (+1,04,43)---

02—शहरी स्वास्थ्य सेवायें-102-होम्योपैथी (+11,86)---

01—निर्देशन और प्रशासन (+61)---

व्यय की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन के लिये 10, महंगाई भत्ते के लिये 25, अन्य भत्ते के लिये 10, कार्यालय व्यय के लिये 10 मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद के लिये 4 एवं अन्तरिम सहायता के लिये 2 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

02—अस्पताल और औषधालय (+11,25)---

0201—होम्योपैथिक चिकित्साल (+11,25)---

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन के लिये 3,70, महंगाई भत्ते के लिये 5,70, अन्य भत्ते के लिये 1,10, किराया उपशुल्क एवं स्वामिस्व/कर के लिये 5, अन्तरिम सहायता के लिये 1,00 का अधिक प्राविधान किया गया है। दूसरी ओर मशीनें, साज-सज्जा उपकरण एवं संयंत्र में 30 की कमी प्रदर्शित की गई है।

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ (+56,20)---

102—होम्योपैथी- (+56,20)---

01—अस्पताल और औषधालय-0101—होम्योपैथिक चिकित्सालय (+56,20)---

वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, सामग्री और सम्पत्ति, अन्तरिम सहायता एवं अन्य व्यय के लिये क्रमशः 17,20, 29,20 : 5 : 3,00 : 50 : 5,25, 1,00 अधिक स्वीकार किया गया है। यहाँ व्यय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है।

05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

102—होम्योपैथी-01-शिक्षा (+36,36)---

0102—राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल (+36,36)---

वास्तविक आवश्यकता एवं बढ़ी हुई दरों पर भत्ते स्वीकृत किये जाने के कारण वेतन के लिये 14,47 : महंगाई भत्ते के लिये 16,57, यात्रा व्यय के लिये 2, अन्य भत्ते के लिये 2,00 अन्तरिम सहायता के लिये 2,80, तथा अन्य व्यय के लिये 50 अधिक स्वीकार किया गया है।

आयोजनागत--- (+26,62)---

वर्ष 1989-90 में होम्योपैथिक चिकित्सा के लिये निर्धारित परिव्यय के अनुरूप गत वर्ष के लिये 1,39,56 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में चालू योजनाओं हेतु कुल 1,66,18 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 26,62 की शुद्ध वृद्धि हुई है जो वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि की मदों के लिये की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:---

मानिक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	52,05	2,04,22	2,56,27
03	महंगाई भत्ता	52,05	2,04,22	2,56,27
04	यात्रा व्यय	1,38	4,05	5,43
05	अन्य भत्ते	6,56	28,60	35,16
06	कार्यालय व्यय	4,61	18,30	22,91
07	टेलीफोन पर व्यय	..	55	55
08	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद---	..	20	20
11	किराया उपशुल्क कर एवं स्वामिस्व	1,90	4,90	680
14	सहायक अनुदान/अनुदान	..	1,38	1,38
15	छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	..	72	72
19	लघु निर्माण कार्य	35	8,50	8,85
20	मशीनें साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	88	1,75	2,63
25	सामग्री और सम्पत्ति	13,50	28,95	42,45
32	अन्तरिम सहायता	16,05	59,65	75,70
33	अन्य व्यय	16,85	10,26	27,10
	योग	1,66,18	5,76,24	7,42,43

अनुदान संख्या—35

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्यय वर्ष में कुल मांग 59,00,26 (59,00,01 मतदेय एवं 25 भारित) की है जबकि गत वर्ष वह मांग कुल 70,61,41 (70,61,16 मतदेय एवं 26 भारित) की थी। इस प्रकार 11,61,15 की कमी हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य—(-11,61,15)--

आयोजनेतर (+1,92,65)--

राजस्व षेखा (+1,92,65)--

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+1,92,65)--

01—शहरी स्वास्थ्य सेवार्थे एलोपैथी (+25,69)--

108—विभागीय औषधि निर्माण (+40)--

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते (मकान एवं नगर प्रतिकर भत्ता) की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप 40 का अधिक व्यय प्रदर्शित है।

110—अस्पताल और औषधालय (+1,25,29)--

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते के अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृत मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते की दरों में वृद्धि एवं व्यय की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सरोजनीनायडू चिकित्सालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा के लिए 28,65, लाला लजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर के लिये 12,68, न्यू स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय इलाहाबाद के लिये 16,23, वक्ष चिकित्सालय कानपुर के लिये 1,65, अण्डा इण्डिया आगरा एक्सपेंस प्रसूति चिकित्सालय कानपुर के लिये 11,42, सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ के लिए 7,63, नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर के लिये 6,80, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय लखनऊ के लिये 35,00 संकमन रीवा चिकित्सालय कानपुर के लिये 2,55, किजकल मेडिसिन पुनः स्थापना विभाग एवं कृत्रिम अवयव केंद्र लखनऊ के लिये 3,53 की प्रविधियों की व्यवस्था की गयी है। इन चिकित्सालयों के लिये निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार औषधि / आहार, लघु निर्माण कार्य (मरम्मत) एवं चिकित्सालय प्रकीर्ण व्यय (अन्य व्यय) हेतु आवश्यक प्राविधान आय-व्यय अनुमानों में सम्मिलित किया गया है। इन चिकित्सालयों में "अन्य व्यय" की मदों के अन्तर्गत व्यय में भित्तव्ययिता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार वृद्धि प्रदान की गयी है।

दूसरी ओर महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय में वास्तविक आवश्यकता अनुसार 90 की कमी हुयी है।

05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान (+1,92,65)

001--निदेशन और प्रशासन (+95)

व्यय की वास्तविक आवश्यकता अनुसार उक्त शीर्षक में 95 अधिक की व्यवस्था की गयी है।

105—एलोपैथी (+66,01)--

01—शिक्षा (+62,97)--

जिन कारणों के फलस्वरूप उपर्युक्त लघु शीर्षक "110 अस्पताल और औषधालय" के अन्तर्गत वृद्धि अनुमानित की गयी है उन्हीं के आधार पर मेडिकल कालेज, आगरा के लिये 11,88, गणेश शंकर स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के लिये 20,53, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिये 10,15, मेडिकल कालेज, मेरठ के लिये 7,70 मेडिकल कालेज, झांसी के लिये 8,00, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिये 86, का डिप्लोमा जिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर के लिये 3,40, एवं नर्सिंग कालेज के लिये 92 अधिक की व्यवस्था की गयी है। किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में दो संकाय स्थापित हैं मेडिसिन और दन्त विज्ञान (जिसे डेण्टल कालेज भी कहते हैं) इस आय-व्यय वर्ष से दन्त विज्ञान संकाय (डेण्टल कालेज) का प्राविधान के 0 जी 0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में अलग करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप के 0 जी 0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के दन्त विज्ञान संकाय (डेण्टल कालेज) के लिए 50,50 की व्यवस्था की गयी है।

दूसरी ओर दन्त विज्ञान संकाय के लिए अलग से प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्राविधान में 16,90 की कमी प्रदर्शित है। साथ ही वास्तविक आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति / छात्रवृत्तन की मद के अन्तर्गत 40,01 की कमी हुयी है।

02--प्रशिक्षण (+1,35)

मेडिकल कालेजों में फार्मैसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं मेडिकल कालेजों में प्रयोगशाला एवं एक्स-रे प्राविधियों का प्रशिक्षण के लिये आवश्यकतानुसार क्रमशः 1,10 एवं 25 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

03--अनुसंधान (+1,50)--

जे 0 के 0 कैंसर इन्स्टीट्यूट, कानपुर के लिये सामान्य वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति, मकान किराया भत्ते / नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप क्रमशः 20, 60 एवं 23 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।

कार्यालय व्यवस्थापन पर व्यय के लिये क्रमशः 5 एवं 2 अतिरिक्त स्वीकार किया गया है। समग्र एवं मजूरी की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप 40 अतिरिक्त की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार इस शीर्षक के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार 1,50 अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है।

04--अन्य व्यय (+19)--

मैडिकल कालेजों से सम्बद्ध बजट बैंक का कार्य करना में वृद्धि हेतु 19 अतिरिक्त स्वीकार किया गया है

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना-- (+1)--

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत 1 की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष नहीं की गयी थी अतः 1 की वृद्धि परिलक्षित है

आयोजनागत (--13,53,81)--

राजस्व लेखा (--13,51,65)--

आय-व्यय बाँटने के लिए निर्धारित परिवार के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के राजस्व लेखों में 22,79,36 का प्राविधान किया गया है। यह गत वर्ष की अपेक्षा 13,51,65 कम है। कमी का मुख्य कारण यह है कि निर्धारित परिवार के अनुसूचित गत वर्ष की तुलना में संशोधन गत वर्ष की तुलना में आधुनिक संस्थान, लखनऊ के लिये आय-व्यय वर्ष में 13,00,00 को कम व्यवस्था की गयी है। 22,79,36 के प्राविधान में 70,30 को धनराशि उन योजनाओं के लिये सम्मिलित है जिनका प्राविधान नई माँगों की अनुसूची के माध्यम से किया गया है। के 0 जी 0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पीडियाट्रिक विभाग में इन्टेग्रेटेड पीडियाट्रिक सेंटर के सुदृढीकरण हेतु 10,00, के 0 जी 0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में सर्जरी विभाग में थोरेसिक एण्ड कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी इकाई के सुदृढीकरण हेतु 15,30, के 0 जी 0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग में रेटिना विटियस एवं आई 0 ओ 0 एल 0 इकाई के सुदृढीकरण हेतु 10,00, के 0 जी 0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रोथोडोन्टिक विभाग के सुदृढीकरण हेतु 10,00 एवं हासी मोती ल. ल. नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोइन्टेस्टीनल इकाई की स्थापना के लिए 25,00 की व्यवस्था की गयी है।

पूँजी लेखा (--2,16)--

पूँजीगत लेखों में निर्माण-कार्य हेतु गत वर्ष की 21,00 के प्राविधान की तुलना में इस वर्ष 18,84 की व्यवस्था की गयी है, जो 2,16 कम है।

इस प्रनुदान के अन्तर्गत वेतन, रूतों आदि के लिये आय-व्यय में की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है --

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनागत	योग
01--वेतन	..	42,32	8,40,10	8,82,42
02--मजूदारी	24	24
03--महंगाई भत्ता	..	42,32	8,40,10	8,82,42
04--यात्रा व्यय	..	49	6,88	7,37
05--अन्य भत्ते	..	8,56	2,04,66	2,13,22
06--कार्यालय व्यय	..	2,43	93,42	95,85
07--टेलीफोन पर व्यय	..	3	4,77	4,80
09--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	7,96	7,96
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	32,55	32,55
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	20,10,00	12,65	20,22,65
15--छात्रवृत्ति / छात्रवृत्त	..	42,00	2,09,69	2,51,69
18--वृहत् निर्माण कार्य	..	8,84	..	8,84
19--लघु निर्माण कार्य	1,38,10	1,38,10
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	..	65,70	2	65,72
25--माल एवं सम्पत्ति (शोध / ग्राहक)	4,73,92	4,73,92
32--अन्तरिम सहायता	..	17,66	2,49,75	2,67,41
33--अन्य व्यय	..	57,85	4,87,00	5,44,85

योग (सहायक) .. 22,98,20 (सहायक) .. 36,01,81 59,00,0
(सहायक) .. 25 25

अनुदान संख्या—36*

त्रिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

उक्त अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 94,30,21 (94,29,82 मतदेय तथा 39 भारित) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिए 73,24,54 (73,24,15 मतदेय तथा 39 भारित) के अनुमान निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा आय-व्ययक वर्ष में 21,05,67 "मतदेय" की कमी अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

त्रिकित्सा विभाग परिवार कल्याण (-21,05,67)----

राजस्व लेखा (-20,34,01)----

आयोजनेतर (+1)----

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 1 की प्रतीक व्यवस्था किये जाने की निमित्त 1 की वृद्धि अनुमानित है

आयोजनागत (-20,34,02)----

भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों में वास्तविक व्यय की अपेक्षाकृत प्रतिपूर्ति की गई धनराशि के आधार पर राजस्व पक्ष में ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत 57,73 की, "मातृ और शिशु स्वास्थ्य" में 74,79 की, "परिवहन" में 80,23 की "क्षतिपूर्ति" में 11,26,50 की, "जन शिक्षा" में 6,31,03 की तथा द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के समाप्त हो जाने के कारण "चुने हुए क्षेत्र कार्यक्रम" में 6,46 की कमी कर दी गई है। 1,09,39 की एक और कमी, "अन्य सेवाएँ और पुस्तियाँ" के अन्तर्गत की गई है। इसके विपरीत व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर "निदेशन तथा प्रशासन" में 36,78 की, "प्रशिक्षण" में 37 की वृद्धि की गई है। "शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ" में प्रदर्शित 14,96 की एक और वृद्धि व्यय की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

पूँजी लेखा (-71,66)----

द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों के पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप "परिवार कल्याण पर पूँजी परिव्यय" के अन्तर्गत 6,28 की बचत परिलक्षित है। निर्धारित राज्य आयोजनागत परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उप केंद्रों के भवनों के निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के कारण "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय" के अन्तर्गत 65,38 की एक और बचत प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि के लिए की गई कुल व्यवस्था निम्नवत् है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01-- वेतन	21,75,95	..	21,75,95
02-- मजदूरी	1,50	..	1,50
03-- महंगाई भत्ता	21,75,95	..	21,75,95
04-- यात्रा व्यय	1,47,25	..	1,47,25
05-- अन्य भत्ते	3,75,65	..	3,75,65
06-- कार्यालय व्यय	1,81,76	..	1,81,76
07-- टेलीफोन पर व्यय	1,08	..	1,08
08-- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,03,01	..	1,03,01
11-- किराया, उपभूक्त एवं कर स्वामित्व	55,87	..	55,87
14-- सहायक अनुदान	89,10	..	89,10
15-- छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	3,34,24	..	3,34,24
18-- वृहत् निर्माण	1,04,72	..	1,04,72
19-- लघु निर्माण	1	..	1
25-- माल एवं सम्पत्ति	13,73	..	13,73
32-- अन्तरिम सहायता	6,59,42	..	6,59,42
33-- अन्य व्यय	{ मतदेय	9,04,90	1	9,04,91
	{ भारित	39	..	39

योग	{ मतदेय	73,24,14	1	73,24,15
	{ भारित	39	..	39

अनुदान संख्या 37

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

गत वर्ष के मूल 71,87,57 (71,87,07 मतदेय तथा 50 भरित) की तुलना में चालू वर्ष के अनुमान 76,25,08 (76,24,58 मतदेय तथा 50 भरित) पर रखे गये हैं। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में शुद्ध 4,37,51 मतदेय की वृद्धि अनुमानित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (+ 4,37,51)

राजस्व लेखा— (+ 4,37,51)

आयोजनाएत— (+ 33,74,96)

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (+ 2,89,96)

06—लोक स्वास्थ्य (+ 2,76,95)

001—निदेशन और प्रशासन (+ 7,87)

कर्मचारियों को देय अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर / मकान किराया भत्ता की अतिरिक्त परिलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में उक्त शीर्ष के अन्तर्गत शुद्ध 7,87 की वृद्धि अनुमानित है।

003—प्रशिक्षण (+ 89)

उक्त 89 की न्यून वृद्धि व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना पर आधारित है।

101—रोगों की रोकथाम (+ 2,44,68)

प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य की योजना के सुदृढीकरण एवं सघनोक्त किये जाने के फलस्वरूप तथा कर्मचारियों की अतिरिक्त वचनबद्ध परिलब्धियों के फलस्वरूप 2,44,68 का अधिक्य है।

102—खाने वाली चीजों में मिलावट की रोकथाम (+ 6,41)

अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर / मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप उक्त शीर्ष के अन्तर्गत शुद्ध 6,41 की वृद्धि की गई है।

104—औषधि नियंत्रण (+ 4,57)

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के फलस्वरूप उक्त शीर्ष में शुद्ध 4,57 का अधिक्य अनुमानित है।

106—सीरम और वैक्सीन का निर्माण (+ 4,10)

उक्त शीर्ष में 4,10 की वृद्धि कर्मचारियों को अतिरिक्त परिलब्धियों की वचनबद्ध देयता के कारण प्रत्याशित है।

107—लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें (+ 70)

उक्त 70 की न्यून वृद्धि व्यय की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

112—लोक स्वास्थ्य (+ 2,43)

गत वर्ष के कतिपय रिक्त पदों के चालू वर्ष में भरे जाने की प्रत्याशा में शुद्ध 2,43 का अधिक्य अनुमानित है।

800—अन्य ध्यय (+ 5,30)

व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर शुद्ध 5,30 का अधिक्य अनुमानित है।

80—सामान्य (+ 13,01)

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यतः चालू वर्ष से द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के प्रबन्ध प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की व्यवस्था को अनुदान संख्या 36 से संकमित किए जाने के निमित्त शुद्ध 13,01 का अधिक्य अनुमानित है।

2245—देवी विपत्तियों के संबंध में राहत (+ 85,00)

भारत सरकार के पिछले आवंटन के मानक के अनुसार सूखा पीड़ित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा हेतु 42,50 का तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की औपधियों की आपूर्ति हेतु 42,50 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। तदनुसार 85,00 का अधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (+ 62,55)

गत वर्ष के मूल 21,30,36 के विपरीत चालू वर्ष के अनुमान 21,92,91 पर रखे गए हैं। तदनुसार आयोजनागत पक्ष में शुद्ध 62,55 की वृद्धि अनुमानित है जो निर्धारित आयोजनागत परिलब्ध एवं निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्नवत् है :

(हजार रुपये में)

मानक मद	आयो अन्तर्गत	आयो अन्तर्गत	योग	
01 वेतन	3,57,90	18,95,27	22,53,17	
02 मजदूरी	..	7,38	7,38	
03 महंगाई भत्ता	3,57,90	18,95,27	22,53,17	
04 यात्रा व्यय	24,31	1,54,69	1,79,00	
05 अन्य भत्ते	58,06	1,49,09	2,07,15	
06 कार्यालय व्यय	17,57	71,35	88,92	
07 टेलीफोन पर व्यय	1	1,93	1,94	
09 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	17,33	29,60	46,93	
11 किराया, उपशूलक एवं कर स्वामित्व	1,020	9,66	19,86	
14 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	2,00	2,00	
15 छ लवृत्तियां / छत वेतन	5,40	6,25	11,65	
19 लघु निर्माण कार्य	..	1,00	1,00	
20 मशीनें तथा सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	..	25	25	
23 अनुरक्षण	..	82,14	82,14	
26 सामग्री और सम्पत्ति	9,32,25	2,54,55	11,86,80	
32 अन्तरिम सहायता	1,04,08	5,59,07	6,63,15	
33 अन्य व्यय	मत्तदेय भारित	3,07,90	3,12,17	6,20,07
		50	50	
योग	मत्तदेय भारित	21,92,91	54,31,67	76,24,58
			50	50

अनुदान संख्या--38

नागरिक उद्बुधन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गांवों की कुल धराशक्ति 2,25,33 (मत्तदेय) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिए 2,64,43 (मत्तदेय) की धराशक्ति की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कुल 39,10 की वृद्धि प्रस्तावित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा-(+39,10)--

आयोजनेतर- (+11,99)--

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- (+9,46)--

114--परिवहन की खरीद और अनुरक्षण"- (+9,46)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वेतन में सामान्य वृद्धि आदि के कारण 01--वायुयानों का क्रय में 9,46 का आधिक्य प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-(+1)

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत व्यवस्था किये जाने के कारण 1 की वृद्धि परिलक्षित है।

3053--नागर विमानन (+2,52)--

80--सामान्य-003-प्रशिक्षण और शिक्षा (+2,52)--

महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की दरों में एवं मूल्यों में वृद्धि आदि तथा वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर 01-- नागरिक उद्बुधन प्रशिक्षण में 2,52 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (+27,11)---

चालू योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता तथा कतिपय नई योजनाओं के कार्यान्वयन किये जाने के कारण 2070- -अन्य प्रशासनिक सेवायें में 26,62 की तथा 3035- - नागर विमानन में 49 की वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में शुद्ध 27,11 का आधिक्य प्रदर्शित है।

इस अनुदान को अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, तथा अन्य भत्ते आदि के लिए की गयी व्यवस्था निम्नवत है।

राजस्व लेखा---

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	1,88	20,22	22,10
03	महंगाई भत्ता	2,06	22,15	24,21
04	यात्रा व्यय	33	4,71	5,04
05	अन्य भत्ते	48	6,13	6,61
06	कार्यालय व्यय	51	4,97	5,48
07	टेलीफोन पर व्यय	9	2,80	2,89
08	गाड़ियों का क्रय	..	1,10	1,10
09	मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	10	3,28	3,38
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	1	95	96
15	छात्र वृत्ति/छात्र वेतन	1,60	..	1,60
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	25,60	..	25,00
32	अन्तरिम सहायता	60	6,44	7,04
33	अन्य व्यय	4,66	1,45,36	1,50,02
योग, राजस्व लेखा (मतदेय)		37,32	2,18,11	2,55,43
पूँजी लेखा---				
5053	नागर विमानन पर पूँजी परिव्यय	..	9,00	9,00
कुल योग (मतदेय भारत)		37,32	2,27,11	2,64,43

अनुदान संख्या—39**नियुक्ति विभाग**

गत वर्ष के 21,16 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल अनुमान 26,67 का है। इस प्रकार 5,51 की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

राजस्व लेखा (मतदेय) आयोजनेतर (+43)**2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें---**

2070- -अन्य प्रशासनिक सेवायें-के अन्तर्गत "भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षार्थी व्यक्तियों का प्रशिक्षण में 12 तथा मैदानी जिला मुख्यालयों में हिन्दी आणुलिपि का प्रशिक्षण में 30 की वृद्धि प्रदर्शित है। "2235-सांभाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अन्तर्गत जमा में सम्बद्ध बीमा योजना हेतु प्राविधान कराये जाने के कारण 1 की वृद्धि है। इस प्रकार कुल 43 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत- (+5,08)

2058- -लेखन सामग्री और मुद्रण- के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल/नियमों आदि के प्रकाशन हेतु भाषा विभाग के अन्तर्गत स्थापित किये गये कण्ठक पर होने वाले व्यय के लिए प्राविधान कराये जाने के कारण 5,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2070- -अन्य प्रशासनिक सेवायें-के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी जिला मुख्यालयों में हिन्दी आणुलिपि का प्रशिक्षण में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 8 की वृद्धि परिलक्षित है। इस प्रकार कुल 5,08 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये निम्नवत व्यवस्था की गयी है :--

भा.क्र.	मद	आयी तथा गत	आयी अन्तर्गत	योग
01	वेतन	50	55	1,05
03	महंगाई भत्ता	57	61	1,18
04	यात्रा व्यय	7	2	9
05	अन्य भत्ते	19	15	34
06	कार्यालय व्यय	11	16	27
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	12	..	12
12	प्रकाशन	3,26	..	3,26
32	अन्तरिम सहायता	17	18	35
33	अन्य व्यय	50	19,51	20,01
योग		5,49	21,18	26,67

अनुदान संख्या-40

नियोजन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 9,95,90 की है, जबकि गत वर्ष की मूल मांग 8,64,88 की थी। इस प्रकार वहाँ पर 1,31,02 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजन- (+48,01--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1) --

जी० पी० एफ० लिमिटेड इन्सुरेंस स्कीम के अर्थात् भुगतान करने के लिये प्रतिक व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 1 की वृद्धि हुई है।

2515--अन्य प्राचीन विकास 1 कार्यक्रम-- (+4,47)]

वर्तमान में, स्त्री हित महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अन्य भत्तों की दरों पर वास्तविक गणना के आधार पर महंगाई भत्ते में 3,50, की, अन्य भत्ते में 25 को, अन्तरिम सहायता में 40 एवं मजूदरी में 10 की, वृद्धि हुई है। माइलेज/दैनिक भत्ते की दर के पुनरीक्षण एवं कार्यकी दृष्टि से अधिक यात्राओं के कारण यात्रा व्यय में 10 की, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 5 की तथा टेलीफोन की दरों में बढ़ोतरी के कारण टेलीफोन पर व्यय में 2 की और पी० एच० एल० में 5 की वृद्धि हुई है।

3451--सचिवालय आर्थिक सेवार्थे (+7,23)--

02--मूल्यांकन संगठन (+3,88)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर वेतन में 80 की, महंगाई भत्ते में, 2,50, की, अन्य भत्त में 3 की, तथा अन्तरिम सहायता में 50 की वृद्धि हुई है। दैनिक भत्ता की दर से पुनरीक्षण के कारण यात्रा व्यय में 5 की बढ़ोतरी हुई है।

03-- शिक्षा प्रभाग (+1,50)--

उपर्युक्त कारणों से वेतन में 25 की, महंगाई भत्ते में 60 की यात्रा व्यय में 10 की, कार्यालय व्यय में 5 की अन्तरिम सहायता में 20 की, तथा अनुरक्षण में 30 की, अर्थात् कुल 1,50 की वृद्धि प्रदर्शित है।

101--योजना आयोग आयोगना बोर्ड (+1,85)--

उपर्युक्त कारणों से वेतन में 50 की, महंगाई भत्ते में 1,65 की, अन्य भत्ते में 50 की, एवं गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 10 की वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर व्यय किये जाने से यात्रा व्यय में 10 की, टेलीफोन पर व्यय में 50 की, तथा मशीनें सज्जा में 30 की कमी हुई है। म्यूचुअलिटी की समयोजित करने पर वहाँ 1,85 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

3554--जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी (+36,30)--

उपर्युक्त कारणों से ही यहाँ पर वेतन में 3,00 की, महंगाई भत्ते में 16,00 की, यात्रा व्यय में 2,00 की अन्य भत्ते में 2,00, की कार्याय में 5,00 की तथा अन्तरिम सहायता में 3,00 की वृद्धि हुई है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा पुरानी वस्तुओं के प्रतिस्थापन के कारण कार्यालय व्यय में 5,00 की तथा टेलीफोन की दरों में वृद्धि के कारण टेलीफोन पर व्यय में 30 की वृद्धि प्रत्याशित है।

आयोजनागत (+83,01)--

राज्य भूमि उद्योग विभाग के सुदृढीकरण केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना के फलस्वरूप "2403-भू और जल संरक्षण" में 6,00 की वृद्धि हुई है। राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत चालू योजनाओं के लिए राज्य नियोजन संस्थान के कार्यों के समुचित सप्लादनार्थ नई गाड़ियों के क्रय (जैसा बजट सहाय खण्ड-3 आयोजनागत में उल्लिखित है, हेतु धन की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप "2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम" में 12,55 की, "3451-सविमलर अर्थिक सेवाएँ" में 33,22 की तथा "3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी" में 31,24 की वृद्धि हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

(हज़ार रुपयों में)

मानक पद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01 वेतन	35,60	2,01,49	2,87,09
02 मजदूरी	1,44	30	1,74
03 महंगाई भत्ता	74,89	1,99,50	2,74,39
04 यात्रा व्यय	11,21	17,70	28,91
05 अन्य भत्ते	18,39	29,68	48,07
06 कार्यालय व्यय	69,59	26,05	95,64
07 टेलीफोन पर व्यय	3,76	2,91	6,67
08 मोटर गाड़ियों का क्रय	12,00		12,00
09 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	14,23	3,95	18,18
10 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान	1,20	10	1,30
11 किराया, उपशुल्क एवं कर/स्वामित्व	2,53	15,00	17,53
12 प्रकाशन	8	5,52	5,60
13 विज्ञापन	1,25		1,25
14 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	45,61		45,61
16 आतिथ्य व्यय	10		10
19 लघु निर्माण कार्य	92	50	1,42
20 मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संपन्न	35,29	57	35,86
23 अनुरक्षण	5	50	55
25 सामग्री तथा सम्पत्ति	77		77
32 अन्तरिम सहायता	24,95	52,90	77,85
33 अन्य व्यय	35,31	6	35,37
योग	4,39,17	5,56,73	9,95,90

अनुदान संख्या-41

निर्वाचन विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आग-अग्यक वर्ष की कुल मांग मतदेय 11,11,09 २० की है, जबकि गत वर्ष यह मांग 2,83,71 की थी। इस प्रकार इस वर्ष 8,27,38 की वृद्धि प्रदर्शित है। जिसे तोषे स्पष्ट किया जा रहा है।

राजस्व लब्धा--निर्वाचन आयोजनेतर (+8,27,37)--

103--मतदाता सूचियां तैयार करना और उनका मुद्रण (+1,53,65)--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता में 3,40 यात्रा व्यय में 7, अन्य भत्ता में 3,00, कार्यालय व्यय में 1,50,68 टेलीफोन पर व्यय में 55, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 2, किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व में 1,28; तथा अनुरक्षण में 10 की वृद्धियां प्रदर्शित है। जबकि वेतन में 1,45 तथा अन्तरिम सहायता में 4,00 की कमी परिलक्षित है।

105--संसद के लिए चुनाव कराने के प्रचार (+4,28,64)--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 18,57, महंगाई भत्ता में 20,01, यात्रा व्यय में 29,75; अन्य भत्ते में 4,81; कार्यालय व्यय में 3,48,00, टेलीफोन पर व्यय में 99, तथा अन्तरिम सहायता में 6,51 की वृद्धि प्रदर्शित है।

106--राज्य / संघ, राब्ड डेट के विधान मन्डल के लिए चुनाव बराने के प्रभार (+ 2,87,23)--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 2,65, महंगाई भत्ता में 3,15 यात्रा व्यय में 8,50, अन्य भत्ता में 1,01, कार्यालय व्यय में 2,69,02, टेलीफोन पर व्यय में 2,08, अन्तरिम सहायता में 89 की वृद्धि प्रदर्शित है तथा अन्य व्यय में 7 की कमी परिलक्षित है।

800--अन्य व्यय (+42,15)--

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 5,70, महंगाई भत्ता में 6,45, अन्य भत्तों में 1,84, तथा अन्तरिम सहायता में 2,02 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि यात्रा व्यय में 9,30 कार्यालय में 28,96 तथा प्रकाशन में 19,90 की कमी परिलक्षित है।

2235--स माजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनेतर (+1)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य व्यय में 1 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	(मतदेय)
01--वेतन	80,00
03--महंगाई भत्ता	87,53
04--यात्रा व्यय	45,86
05--अन्य भत्ते	17,16
06--कार्यालय व्यय	8,46,85
07--टेलीफोन पर व्यय	4,77
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	12
11--किराया, उप शुल्क व कर	1,28
12--प्रकाशन	10
23--अनुरक्षण	15
32--अन्तरिम सहायता	27,18
33--अन्य व्यय	9
योग (मतदेय)		11,11,09

अनुदान संख्या 4

न्याय विभाग

गत वर्ष के राजस्व व्यय 42,64,37 (37,56,56 मतदेय तथा 5,07,81 भारित) तथा पूंजीगत 36,15 की मांग की तुलना में आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग राजस्व 47,01,57 (40,18,23 मतदेय तथा 6,83,34 भारित) तथा पूंजीगत 80,17, की है। इस प्रकार यहाँ पर राजस्व व्यय में कुल 4,37,20 (2,61,67 मतदेय तथा 1,75,53 भारित) की वृद्धि है तथा पूंजीगत व्यय में 44,02 की वृद्धि है जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है :--

राजस्व लेखा--

2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेतर--

102--उच्च न्यायालय--

01--उच्च न्यायालय (+1,75,53 भारित 4 मतदेय)--माननीय उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्त महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किरत स्वीकृत होने भत्तों की दरों में वृद्धि, तथा वारितक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+17,76) "मजदूरी (+18,00) "महंगाई भत्ता" (+4 मतदेय तथा +76,36 भारित), "यात्रा व्यय" (+2,00), "अन्य भत्ते" (+30,34), "टेलीफोन पर व्यय" (+1,00) "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" (+1,75) "अनुरक्षण" (+1,00) तथा "अन्तरिम सहायता" (+27,58) की वृद्धि परिलक्षित है। दूसरी ओर "कार्यालय व्यय" (-26) की कमी है जिसे समायोजित करते हुये यहाँ पर 4 मतदेय तथा 1,75,53 भारित का शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

105--सिविल और सत्र न्यायालय--

01--जिला तथा सेशन न्यायाधीश (+32,94)--महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "महंगाई भत्ता" (+35,50), "यात्रा व्यय" (+25), "अन्य भत्ते" (+55,00), "कार्यालय व्यय" (+9,00), "टेलीफोन पर व्यय" (+2,00), "मोटर गाड़ियों का व्यय" (+1,09), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+40), "किराया उपशुल्क और कर" (+50) "भदनों का अनुरक्षण" (+15,00) इस प्रकार कुल

1,18,74 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (-50,00) तथा "अन्तरिम सहायता" (-35,80) इस प्रकार कुल 85,80 की कमी है जिसे समायोजित करते हुये यहां पर 32,94 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित हुई है।

02--**दोबानी न्यायाधीश** (+42,30)--महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+7,00), "महंगाई भत्ता" (+13,40), "अन्य भत्ते" (+19,00) तथा "अन्तरिम सहायता" (+2,90) इस प्रकार कुल 42,30 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--**अष्टाचार उन्मूलन न्यायाधीश** (+1,20)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+47), "महंगाई भत्ता" (+52), "अन्य भत्ते" (+10) तथा "अन्तरिम सहायता" (+13) इस प्रकार कुल 1,22 की वृद्धि है। दूसरी ओर "अन्य व्यय" के अन्तर्गत 2 की कमी है जिसे समायोजित करने के पश्चात् यहां पर 1,20 की शुद्ध वृद्धि है।

04--**मुंसिफ** (+69,65)--महंगाई भत्ता की एक और किस्त स्वीकृत होने, अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+2,00), "मजदूरी" (+5), "महंगाई भत्ता" (+30,65), "यात्रा व्यय" (+25), "अन्य भत्ते" (+30,00), "कार्यालय व्यय" (+2,00), "टेलीफोन पर व्यय" (+25) तथा "अन्तरिम सहायता" (+4,45) इस प्रकार कुल 69,65 की वृद्धि हुई है।

05--**आदेशिका वाहन का व्यय (अदावती)** (+17,25)--महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि व वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+4,25), "महंगाई भत्ता" (+8,30), "यात्रा व्यय" (+10), "अन्य भत्ते" (+3,00), "कार्यालय व्यय" (+10) तथा "अन्तरिम सहायता" (+1,50) इस प्रकार कुल 17,35 की वृद्धि प्रदर्शित है।

06--**अभिलेखागार और प्रतिलिपिकरण के व्यय** (+12,63)--महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+3,00), "महंगाई भत्ता" (+6,80), "यात्रा व्यय" (+18), "अन्य भत्ते" (+1,00), "कार्यालय व्यय" (+15) तथा "अन्तरिम सहायता" (+1,50) इस प्रकार कुल 12,63 की वृद्धि प्रदर्शित है।

07--**पारिवारिक न्यायालय** (-37)--महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण "महंगाई भत्ता" (+20) तथा "अन्य भत्ते" (+15) इस प्रकार कुल 35 की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "यात्रा व्यय" (-3), "कार्यालय व्यय" (-40), "टेलीफोन पर व्यय" (-5) तथा "किराया उप शूल्क एवं कर स्वामिस्व" (-24) इस प्रकार कुल 72 की कमी परिलक्षित है। न्यूनाधिक्यों को समायोजित करते हुये यहां पर 37 की शुद्ध कमी प्रदर्शित है।

106--लघुवाद न्यायालय--

01--**अधिष्ठान** (+3,96)--महंगाई भत्ते की एक और किस्त स्वीकृत होने अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+65), "महंगाई भत्ता" (+1,83), "अन्य भत्ते" (+1,00), "टेलीफोन पर व्यय" (+36) तथा "अन्तरिम सहायता" (+32) इस प्रकार कुल 4,16 की वृद्धि है। यात्रा व्यय के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 20 की कमी है जिसे समायोजित करते हुये यहां पर 3,96 की वृद्धि परिलक्षित है।

108--दण्ड न्यायालय--

01--**नियमित अधिष्ठान** (+31,74)--महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+5,00), "महंगाई भत्ता" (+9,00), "अन्य भत्ते" (+10,00), "कार्यालय व्यय" (+50) तथा "अन्तरिम सहायता" (+9,00) इस प्रकार कुल 35,50 की वृद्धि है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "टेलीफोन पर व्यय" के अन्तर्गत 1,76 की कमी प्रदर्शित है जिसे समायोजित करते हुये यहां पर 31,74 की शुद्ध वृद्धि है।

02--**अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय** (+10,39)--महंगाई भत्ते की एक और किस्त स्वीकृत होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+4,05), "महंगाई भत्ता" (+4,05), "अन्य भत्ते" (+55), "कार्यालय व्यय" (+2) तथा "अन्तरिम सहायता" (+1,72) इस प्रकार कुल 10,39 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--**रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान** (+4,63)--महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+50), "महंगाई भत्ता" (+1,55), "यात्रा व्यय" (+20), "अन्य भत्ते" (+1,75), "कार्यालय व्यय" (+3) तथा "अन्तरिम सहायता" (+60) इस प्रकार कुल 4,63 की वृद्धि प्रदर्शित है।

110--महाप्रशासक और शासकीय न्यासी--

01--**अधिष्ठान** (+49)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+4), "महंगाई भत्ता" (+12), "यात्रा व्यय" (+1), "अन्य भत्ते" (+30) तथा "अन्तरिम सहायता" (+2) इस प्रकार कुल 49 की वृद्धि प्रदर्शित है।

114--कानूनी सलाहकार परिषदें--

01--**महाधिवक्ता** (+2,83)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+20), "महंगाई भत्ता" (+60), "यात्रा व्यय" (+5), "अन्य भत्ते" (+15), "कार्यालय व्यय" (+1,65) तथा "अन्तरिम सहायता" (+18) इस प्रकार कुल 2,83 की वृद्धि परिलक्षित है।

02--**विधिपरामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता** (+19,40)--महंगाई भत्ते की एक और किस्त स्वीकृत होने व अन्य भत्ते की वृद्धि, सरकारी वकीलों के पारिश्रमिक में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+2,40), "महंगाई भत्ता" (+6,90), "अन्य भत्ते" (+4,00), "कार्यालय व्यय" (+1,50), "टेलीफोन पर व्यय" (+10), "व्यवसायिक तथा विशेष मामलों के लिये भुगतान" (+3,00) तथा "अन्तरिम सहायता" (+1,50) इस प्रकार कुल 19,40 की वृद्धि प्रदर्शित है।

800--अन्य व्यय--

01--न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (+4,98)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+50), "महंगाई भत्ता" (+97), "अन्य भत्ते" (+1,20), "कार्यालय व्यय" (+45), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" (+15), "किराया उपशुल्क एवं कर/स्वामिस्व" (+50), "प्रकाशन" (+1,00) "अन्तरिम सहायता" (+16) तथा "अन्य व्यय" (+5) इस प्रकार कुल 4,98 की वृद्धि यहां परिलक्षित है।

02--शं गोविन्द बल्लभ पन्त को स्मृति में शोध पीठ की स्थापना तथा शोध ग्रन्थ का प्रकाशन (+3,83)--शोध पीठ तथा शोध ग्रन्थ हेतु आवश्यक व्यवस्था सम्मिलित किये जाने के कारण "वेतन" (+40), "महंगाई भत्ता" (+35), "यात्रा व्यय" (+3) "अन्य भत्ते" (+25), "कार्यालय व्यय" (+50), "टेलीफोन पर व्यय" (+5), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद" (+15), "किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व" (+75), "प्रकाशन" (+1,20) तथा "अन्तरिम सहायता" (+15) इस प्रकार कुल 3,83 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--

001--सम्बद्ध कार्यालय--

01--विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली पर होने वाला व्यय (+41)--वास्तविक आवश्यकता के आधार, पर "वेतन" (+10), "महंगाई भत्ता" (+13), "यात्रा व्यय" (+2), "अन्य भत्ते" (+1), "कार्यालय व्यय" (+5) "टेलीफोन पर व्यय" (+5) तथा "अन्तरिम सहायता" (+5) इस प्रकार कुल 41 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना--सरकारी भविष्य निधि--

33--अन्य व्यय (+1)--जमा से सम्बद्ध बीमा योजना हेतु प्रतीक व्यवस्था सम्मिलित करने के कारण 1 की वृद्धि है।

200--अन्य योजनायें--

01--उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता तथा परामर्श बोर्ड (+3,36)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+1,20), "महंगाई भत्ता", (+1,48), "कार्यालय व्यय" (+20), "टेलीफोन पर व्यय" (+31), "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+2), "अन्तरिम सहायता" (+40) तथा "अन्य व्यय" (+50) इस प्रकार कुल 3,83 का वृद्धि हुई है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही "यात्रा व्यय" (-20) तथा "अन्य भत्ते" (-27) इस प्रकार कुल 47 की कमी हुई है जिसे समायोजित करते हुए यहां पर 3,36 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेखा (+44,02)--

प्लान परिव्यय के आधार पर लखनऊ जिला जर्जो हेतु आवासीय भवनों के क्रय तथा कानपुर नगर, बदायूँ, सीतापुर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद में श्रेणी 4 के आवासीय भवनों का निर्माण हेतु आवश्यक व्यवस्था सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप यहां पर 44,02 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था सम्मिलित की गई है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजित	आयोजित
01	वेतन	..	16,65,90
02	महंगाई भत्ता	..	18,85
03	महंगाई भत्ता	..	15,99,93
04	यात्रा व्यय	..	40,16
05	अन्य भत्ते	..	2,99,09
06	कार्यालय व्यय	..	2,25,00
07	टेलीफोन पर व्यय	..	22,75
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	4,00
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	17,40
10	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	..	85,00
11	किराया, उपशुल्क एवं कर	..	9,97
12	प्रकाशन	..	3,70
16	आतिथ्य / व्यय विषयक भत्ता आदि	..	1,25
19	लघु निर्माण	..	6,00
23	अनुरक्षण	..	1,01,00
32	अन्तरिम सहायता	..	5,74,21
33	अन्य व्यय	..	27,36
पूँजी लेखा--			
01	निर्माण न्याय प्रशासन आवास	..	80,70
		योग	80,70 47,01,57

अनुदान संख्या— 43

परिवहन विभाग

व्यय

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 47,73,28 (47,73,16 मतदेय तथा 12 भारित) की तुलना में 58,18,01) 58,17,89 मतदेय तथा भारित) की व्यवस्था की गयी है इसमें आयोजनेतर तथा आयोजनागत पक्ष में क्रमशः 42,58,11 तथा 15,59,90 की व्यवस्था है और आयोजनेतर पक्ष में 11,96,08 की वृद्धि तथा आयोजनागत पक्ष में 1,51,35 की कमी कुल 10,44,73 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा- (+11,17,72)

आयोजनेतर (+, 11,96,07)

2041--वाहनों पर कर (+11,70,66) --

वेतन में सामान्य वृद्धि महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 001 निर्देशन और प्रशासन में 11,97 की, 101 संग्रह प्रभार में 25,78 की, 102 मोटरगाड़ियों का निरीक्षण में 2,35 की तथा 800 अन्य व्यय में 76 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त सड़क अनुदान निधि के पूनर्निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप अन्तर्लेखा संक्रमण में 11,29,80 का आधिक्य है। इस प्रकार शुद्ध 11,70,66 का आधिक्य संभावित है।

2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (+19,95)

वास्तविक आवश्यकता, वेतन में वृद्धि तथा महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता के फलस्वरूप 01-माल पर कर में 6,54 की तथा 02 यालियों पर कर में 13,41 की वृद्धि अनुमानित है।

3055--सड़क परिवहन (+5,46)

वेतन में सामान्य वृद्धि, महंगाई भत्ते तथा मूल्यों में वृद्धि के रुतवहा 001 निर्देशन और प्रशासन में 5,46 का आधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (-78,35)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तथा 4 सम्भांगीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण प्रतीक व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप वाहनों पर कर में 70,19 की, सड़क परिवहन में 12 की कमी तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन में 21 की एवं आटोरिक्षा चालकों के लिए बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने के कारण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में 75 का आधिक्य परिलक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध 78,35 की कमी अनुमानित है।

पूँजी लेखा-(-72,99)

आयोजनेतर (+1)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में शासन द्वारा अतिरिक्त पूँजी विनियोजित किये जाने वाले हेतु प्रतीक व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 1 का आधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (-73,00)

कतिपय योजनाओं के पूर्ण हो जाने तथा टर्मिनल प्राधिकरण में अंश पूँजी विनियोजित न किये जाने के फलस्वरूप 73,00 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है : (हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	16,50	1,82,81	1,99,31
03	महंगाई भत्ता	18,21	2,01,05	2,19,26
04	यात्रा व्यय	97	4,73	5,70
05	अन्य भत्ते	2,70	29,25	31,95
06	कार्यालय व्यय	5,93	11,26	17,19
07	टेलीफोन पर व्यय	80	1,86	2,66
08	मोटर गाड़ियों का क्रय		24,00	24,00
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल की खरीद	79	14,19	14,98
11	किराया उपशुल्क एवं कर	3,00	7,83	10,83
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	75	62,50	63,25
17	गुप्त सेवा व्यय		10	10
20	मशीनों/सज्जा/उपकरण तथा संयंत्र	4,96		4,96
23	अनुरक्षण		12	12
24	निवेश ऋण	15,00,00	1	15,00,01
29	अन्तर्लेखा संक्रमण		36,58,00	36,58,00
32	अन्तरिम सहायता	5,29	58,51	63,80
33	अन्य व्यय (मतदेय)		1,77	1,77
	योग			
	मतदेय	15,59,90	42,57,99	58,17,89
	भारित			1.2

अनुदान संख्या—44

पर्यटन विभाग

गत वर्ष 1,05,48 (4,62 आयोजनागत तथा 1,00,86 आयोजनेतर) के विपरीत आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में 2,94,29 (1,78,15 आयोजनागत तथा 1,16,14 आयोजनेतर) की मांग की गई है। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा आय-व्ययक वर्ष में 1,88,81 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

पर्यटन विभाग (+1,88,81)

राजस्व लेखा (+47,99)

आयोजनेतर (+15,28)

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)

104-जमा में सम्बद्ध बीमा योजना में 1 की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप आधिक्य है।

3452-पर्यटन--

80-सामान्य (+15,27)

वेतन में सामान्य वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वस्तुओं एवं पेट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि तथा वास्तविक परिगणना के आधार पर 001--निदेशन और प्रशासन में 4,54 की 104-सम्बन्धी और प्रचार में 12,12 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त 800-अन्य व्यय में 1,39 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनाधिक्यों के समायोजन के उपरान्त इस शीर्षक में 15,27 का आधिक्य अनुमानित है।

आयोजनागत (+32,71)

कतिपय नयी योजनाओं की प्रारम्भ किये जाने तथा चालू योजनाओं हेतु गत वर्ष 4,62 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष में 37,33 का प्राविधान है। इस प्रकार 32,71 का शुद्ध आधिक्य प्रदर्शित है।

पूँजी लेखा (+1,40,82)--

5452-पर्यटन पर पूँजी परिव्यय (+1,40,82)--

पर्यटन आवास गृहों के लिये भूमि के अध्यापित में 14,60 की वृद्धि, बौद्ध परिपथ के अधीन गोरखपुर में पर्यटन आवास गृह का निर्माण में 1,00,00 की वृद्धि, गोरखपुर में आधुनिक स्वागत केन्द्र का निर्माण में 20,00 की वृद्धि सुल्तानपुर में विजेधुवा महावीरन का पर्यटन विकास में 6,22 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि में की गई व्यवस्था निम्नवत् है:-

राजस्व लेखा --

(हजार रुपयों में)

मानक	विवरण	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	2,96	39,03	41,99
03	महंगाई भत्ता	3,01	42,92	45,93
04	यात्रा व्यय	45	1,55	2,00
05	अन्य भत्ते	1,27	8,38	9,65
06	कार्यालय व्यय	70	3,11	3,81
07	टेलीफोन पर व्यय	..	1,30	1,30
09	मोटर गाड़ियों का अनु रक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	50	2,15	2,65
11	किराया, उपशुल्क एवं कर/स्वामिस्व	..	4,73	4,73
13	विज्ञापन, बिक्री तथा प्रस्थापन व्यय
14	सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता	3,50	..	3,50
15	छात्रवृत्तियाँ	5	..	5
20	मशीनें तथा साज सज्जा/उपकरण संयंत्र	70	12	82
23	अनु रक्षण	5	15	20
25	सामग्री और सम्पत्ति	15	..	15
32	अन्तरिम सहायता	99	12,49	13,48
33	अन्य व्यय	23,00	21	23,21
योग, राजस्व भतदेय		37,33	1,16,14	1,53,47
पूँजी लेखा				
5452	पर्यटन पर पूँजी परिव्यय	1,40,82	..	1,40,82
कुल योग		1,78,15	1,16,14	2,94,29
		[भतदेय
		[भास्ति

अनुदान संख्या-45

प्रशासनिक सुधार विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्यय वर्ष की कुल मांग 41,63 की है। जबकि गत वर्ष की कुल मांग 34,49 की थी। इस प्रकार यहां पर 7,14 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--

01--कार्यालय निरीक्षणालय (+5,48)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश नरुदीकरण, बोनस एवं स्वीकृत दरों से भत्तों के लिए वास्तविक गणना के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप वेतन में 28 की, महंगाई भत्ते में 3,16 की, अन्य भत्ते में 5 की, एवं अन्तरिम सहायता में 69 की वृद्धि हुई है। विभाग का कार्य यात्रापरक होने तथा दैनिक भत्ते की दर में वृद्धि के कारण यात्रा व्यय में 90 की वृद्धि एवं वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 40 की वृद्धि परिलक्षित है। इस प्रकार यहां पर कुल 5,48 की बढ़ोतरी प्रदर्शित है।

02--प्रशासनिक सुधार निदेशालय (+1,75)--

उत्तरोक्त कारणों से हो वेतन में 70 की, महंगाई भत्ते में 60 की, यात्रा व्यय में 5 की, अन्य भत्ते में 5 की, कार्यालय व्यय में 10 की एवं अन्तरिम सहायता में 25 की अर्थात् कुल 1,75 की बढ़ोतरी हुई है।

2202--सामान्य शिक्षा (-10)--

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश शाखा के लिए निर्धारित दर से आवर्तक अनुदान की व्यवस्था के फलस्वरूप 10 की कमी हुई है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)--

जी० पी० एफ० लिमिटेड इन्सुरेंस कॉमिशन के अन्तर्गत प्रावधानानुसार भुगतान हेतु प्रतीक व्यवस्था के कारण यहां पर 1 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस प्रकार प्राविधिक शिक्षाओं को समायोजित करते हुए कुल 7,14 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

[(हजार रुपयों में)]

मानक	मद	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	13,68	13,68
03	महंगाई भत्ता	15,16	15,16
04	यात्रा व्यय	3,30	3,30
05	अन्य भत्ते	1,60	1,60
06	कार्यालय व्यय	3,00	3,00
07	टेलीफोन पर व्यय	4	4
09	अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	20	20
14	सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता	40	40
32	अन्तरिम सहायता	4,24	4,24
33	अन्य व्यय	1	1
योग ..		41,63	41,63

अनुदान संख्या-46

प्राविधिक शिक्षा विभाग :

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्यय वर्ष में मांदेश 35,33,08 तथा भारित 60,02 का प्रावधान किया गया है। जबकि गत वर्ष यही मांग क्रमशः 34,78,73 व 30,02 की थी। इस प्रकार 54,35 मांदेश में तथा 30,00 भारित में अधिक

व्यवस्था की गयी है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया गया है :--

प्राविधिक शिक्षा

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (+1,07,63)

001--निदेशन और प्रशासन (-2,57)

01--तकनीकी शिक्षा निदेशालय- (-1,95)

एक और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 3,19 किराया एवं उपशुल्क तथा कर में 20 टेलीफोन में 15 तथा सामग्री एवं सम्पत्ति में 74 की कमी परिलक्षित हो रही है। विज्ञापन मद में प्राविधान न कराने के निर्णय के कारण 6 की कमी हुई है एवं दूसरी ओर महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 11, किराये व यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन के कारण यात्रा व्यय में 30, मकान किराया भत्ता व नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण अन्य भत्ते में 1,75 मूल्य वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 20 एवं पेट्रोल में 3 की अधिक व्यवस्था कराई गई है।

02--क्षेत्रीय कार्यालय (-62)

उपर्युक्त मद (01) में उल्लिखित कारणों से इस मद में कुल 62 की कमी परिलक्षित हो रही है।

102--तकनीकी शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों की सहायता

01--रूड़की विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (+43,48)--

समय-समय पर बढ़े महंगाई भत्ते देय सामान्य वेतन वृद्धियों व मूल्य वृद्धि के दृष्टिगत रूड़की विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिए 43,48 की अधिक व्यवस्था की गई है।

103--तकनीकी विद्यालय (+11,05)

महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोत्तरी एवं मकान किराया भत्तों तथा नगर प्रतिकर भत्ते की दरों में संशोधन के कारण इस मद में कुल 11,05 की अधिक व्यवस्था की गई है।

104--नगर सरकारी तकनीकी कालेजों और संस्थाओं की सहायता (+38,73)

सहायता प्राप्त बहुवर्षीय संस्थाओं को समय-समय पर बढ़े अतिरिक्त महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन आदि के कारण अनुदान की राशि में वृद्धि के कारण कुल 38,73 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

105--पालोटेकनिक (+26,00)

महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिकर भत्ते की दरों में संशोधन हो जाने के कारण महंगाई भत्ते में 39,40 एवं अन्य भत्ते में 9,00 की अधिक व्यवस्था की गई है। यात्रा भत्ते की दरों में भी संशोधन के कारण यात्रा व्यय में 25 की वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 100 एवं लघु निर्माण कार्य में 30 तथा अन्तरिम सहायता में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,24 की अधिक व्यवस्था की गई है। वेतन में 12,24 छात्रवृत्ति / छात्रवेतन में 5,65 तथा सामग्री सम्पत्ति में 7,50 की कम व्यवस्था आवश्यकता के आधार पर की गई है। विज्ञापन का प्राविधान अन्य अनुदान में होने के कारण यहां 80 की कमी परिलक्षित हो रही है।

112--इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थायें (-7,54)

इस मद के अन्तर्गत मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को पिछले वर्ष के व्यय को देखते हुए 24,16 की तथा कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी, मुल्तानपुर के लिए 5,27 कम व्यवस्था वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई है। पन्त कालेज ऑफ टेक्नालाजी, पन्तनगर, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद तथा हरकोट बटलर टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट, कानपुर के लिए क्रमशः 4,74 ; 2,98 तथा 7,01 की अधिक व्यवस्था विशिष्ट भत्तों, अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धियों के दृष्टिगत की है। इसके अतिरिक्त सरकारी केंद्रीय वस्तुबोधि संस्था कानपुर के लिए 5-97 तथा सरकारी वास्तुकला विद्यालय लखनऊ के लिए 1,19 की वृद्धि में महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते एवं नगर प्रतिकर भत्ते में बढ़ोत्तरी के कारण परिलक्षित हो रही है।

800--अन्य व्यय (-1,53)

तकनीकी शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सामान्य वेतन वृद्धियों के कारण वेतन में 35, महंगाई भत्त की दरों में संशोधन के कारण महंगाई भत्त में 1,39, मकान किराया भत्ता व नगर प्रतिकर भत्तों की दरों में संशोधन के कारण अन्य भत्ते में 90, मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 20 तथा वेतन मद में वृद्धि के दृष्टिगत अन्तरिम सहायता में 27 की अधिक व्यवस्था की गयी है। तकनीकी शिक्षा परिषद् के अन्य व्यय के प्राविधान से परीक्षाओं के कार्य में यात्रा बिलों, प्रकाशन तथा मजदूरी का भुगतान किया जाता था जिनके लिए अब अलग से प्राविधान कराया जाने के कारण मजदूरी में 80 यात्रा व्यय में 4,30 तथा प्रकाशन में 9,26 का वृद्धि एवं अन्य व्यय में 19,00 की कमी प्रदर्शित हो रही है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (+1)

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना--सरकारी भविष्य निधि 01--प्राविधिक शिक्षा विभाग--33--अन्य व्यय में 1 की प्रतीक व्यवस्था कराये जाने से यहां 1 की वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

2049-ब्याज संदाय (भारित) (+30,00)

इंजीनियरिंग कालेजों तथा सहायता प्राप्त बहुधन्वी संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज हेतु 30,00 की अधिक व्यवस्था मांग के आधार पर की गई है।

आयोजनागत--(-5328)

आयोजनागत पक्ष की चालू योजनाओं के लिये निर्धारित आयोजनागत परिव्यय तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कराई गयी व्यवस्था के कारण यहां कुल 53,28 की कमी परिलक्षित हो रही है। कतिपय नई योजनाओं के लिये भी व्यवस्था कराई गयी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गयी कुल व्यवस्था इस प्रकार है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	43,90	3,25,10	3,69,00
03	महंगाई भत्ता	42,71	3,22,48	3,65,19
04	यात्रा व्यय	3,11	11,17	14,28
05	अन्य भत्ते	18,26	39,89	58,15
06	कार्यालय व्यय	7,08	34,21	41,29
07	टेलीफोन पर व्यय	99	1,30	2,29
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	75	65	1,40
11	किराया, उपशुल्क तथा कर	2,37	8,77	11,14
14	सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	5,79,20	15,55,76	21,34,96
15	छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	65	1,49	2,14
19	लघु निर्माण कार्य	40	44,33	44,73
20	मशीन तथा सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	1,28,86	2,95	1,31,81
32	अन्तरिम सहायता	25,17	1,03,40	1,28,57
33	अन्य व्यय	13,40	11,13	24,53
			2	2
	योग--2203--तकनीकी शिक्षा	8,66,85	24,62,63	33,29,48
			2	2
	2049--ब्याज संदाय (भारित)		60,00	60,00
	2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		1	1
	पूजी लेखा			
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूजी परिव्यय	2,03,49		2,03,49
	6202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उधार		10	10
	कुल योग	10,70,34	24,62,74	35,33,08
			60,02	60,02

अनुदान संख्या-47

पर्वतीय विकास विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 2,39,19,29 (2,38,79,93 आयोजनागत तथा 39,36 आयोजनेतर) की है, जबकि गत वर्ष की मूल मांग 2,09,13,51 (2,08,75,16 आयोजनागत तथा 38,35 आयोजनेतर) की थी। इस प्रकार यहाँ पर कुल 30,05,78 (30,04,77 आयोजनागत तथा 1,01 आयोजनेतर) की वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर--

2049--व्याज संदाय--

200--अन्य आन्तरिक दायित्वों पर व्याज--

01--राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज (भारित) (-1,00)--राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को व्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00 की कमी प्रदर्शित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनागत--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र (+22,00,51)--

102-- प्राथमिक शिक्षा (+1,25,59)--पर्वतीय क्षेत्र में जन-जाति को छात्राओं के लिए जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 3,00 के प्राविधान (बजट साहित्य खण्ड-3 में दृष्टव्य), वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के बालक / बालिकाओं के जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान की व्यवस्था किये जाने, मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूल को अनुदान वास्तविक आवश्यकता तथा पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण जहाँ वृद्धियाँ हुई हैं, वहाँ कतिपय योजनाओं के लिए यथम आवश्यकतानुसार कम प्राविधान कराये जाने अथवा कोई प्राविधान न कराये जाने के कारण कमियाँ भी प्रदर्शित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,25,59 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

103-- माध्यमिक शिक्षा (+2,10,29)--वेतन की सामान्य वार्षिक वृद्धियाँ, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को भवननिर्माण हेतु अनुदान असहायित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने, वास्तविक आवश्यकता, पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण पर्यावर्णीय शिक्षा कार्यक्रम हेतु नई मांग में 1 की प्रतीक व्यवस्था बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य 2,10,29 की वृद्धि प्रदर्शित है।

104-- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा (+55,20)--राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु नई मांग में 10,00 (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) एवं निर्धारित के आधार पर चालू योजनाओं के लिए व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप कुल 55,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

105-- प्रौढ़ शिक्षा (+1,65)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 1,65 की वृद्धि प्रदर्शित है।

108-- तकनीकी शिक्षा (+3,02,76)--पर्वतीय क्षेत्र में 3,81 की नई मदें सम्मिलित की गयी हैं। बजट साहित्य के खण्ड-3 में अद्वितीय सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, इंजीनियरिंग कॉलेज, वृद्धाई (पीडी) तथा द्वाराहाट (अत्मोड़ा) में इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण हेतु अनुदान की व्यवस्था किये जाने के तथा पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण जहाँ वृद्धियाँ हुई हैं, वहाँ कतिपय योजनाओं में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम प्राविधान कराये जाने के कारण कमियाँ प्रदर्शित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 3,02,76 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

109-- खेल और युवा कल्याण (+1,59)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, यात्रा भत्तों की दरों में वृद्धि, टेलीफोन की दरों में वृद्धि, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि, वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण 1,59 की वृद्धि प्रदर्शित है।

110-- कला और संस्कृति (+5)--सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, टेलीफोन की दरों में वृद्धि, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि, पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण जहाँ वृद्धियाँ हुई हैं वहाँ कतिपय मदों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम प्राविधान कराये जाने के कारण कमियाँ भी प्रदर्शित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

111-- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (-71)--पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा सेक्टर के अन्तर्गत 9,55 की नई मदें प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य)। सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, पेट्रोल की दरों में वृद्धि एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण जहाँ वृद्धियाँ हुई हैं, वहाँ कतिपय योजनाओं में आवश्यकतानुसार कम प्राविधान कराये जाने के कारण कमियाँ भी प्रदर्शित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 71 की कमी प्रदर्शित है।

118—जलपूर्ति और सफाई (+2,84,50)---पर्वतीय क्षेत्र हेतु पेय जल तथा जलौत्सारण की नई मद में 2,00 की व्यवस्था की गई (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) उत्तराखण्ड की ग्रामीण पेयजल तथा जलौत्सारण योजनाओं के लिए वार्षिक आवश्यकता के आधार पर 1,50,00 की वृद्धि पर्वतीय जिलों की पेय जल तथा जलौत्सारण योजनाओं के लिए वार्षिक आवश्यकता के आधार पर 1,02,50 की वृद्धि तथा मृत (डिफेक्ट) पेयजल तथा जलौत्सारण योजनाओं के पुनर्जीवन की योजना हेतु 20,00 की वृद्धि अर्थात् कुल 2,84,50 की वृद्धि परिलक्षित है।

120—आवास (-5 00)--भूमि हीन खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल दिलाने की योजना साप्ताहिक दिवस के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने के कारण 5,00 की कमी प्रदर्शित है।

124—शहरी विकास (+90,73) - पर्वतीय जिलों में दस शहरी शौचालय बनाने हेतु अंशदान 20,00 मुख्य नगरों की सौन्दर्यीकरण हेतु अनुदान 60,00 की नई मद में प्राविधान किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड-3 में दृष्टव्य) सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा भत्तों की दरों में वृद्धि, अन्य भत्तों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि टेलीफोन की दरों में वृद्धि, पेट्रोल की दरों में वृद्धि एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण कुल 90,73 की वृद्धि प्रदर्शित है।

128—सूचना तथा प्रचार (+1,80)--नई योजनाओं हेतु 17,88 की व्यवस्था की गई है। वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर वेतन में 40, महंगाई भत्तों में 4, यात्रा व्यय में 12, मशीन खर्जा में 5,64, अनुकरण एवं पेट्रोल में 280 अन्तरिम सहायता में 31 की कमी प्रदर्शित है, इसके विपरीत अन्य भत्तों में 23 की वृद्धि है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,80 की वृद्धि प्रदर्शित है।

133—अनुसूचित जातियों का कल्याण--- (+28,37)--- सामान्य वार्षिक वृद्धियां महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि अन्य भत्तों में वृद्धि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, छत्र वृत्तियों में वृद्धि एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण वृद्धियां प्रदर्शित हैं, इसके विपरीत निधनता के आधार पर छात्रवृत्तियों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 28,37 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

134—अनुसूचित जातियों का कल्याण--- (+7,30)---पर्वतीय क्षेत्र में जनजातियों के कल्याण हेतु सामूहिक दण्डकेंद्र की स्थापना की नई योजना हेतु 1,00 का प्राविधान किया गया है सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियां, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के दरों में वृद्धि, छात्रवृत्तियों में वृद्धि एवं पुनरीक्षित परिव्यय की उपलब्धता के कारण वृद्धियां हैं वहां पर कतिपय योजनाओं के लिये यथा आवश्यकतानुसार कमियां भी प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7,30 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

135—अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- (+3,44)---इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आधार छात्रवृत्ति में 3,44 की वृद्धि प्रदर्शित है।

137—भ्रम एवं रोजगार—भ्रम कल्याण ---- (-26,44)---सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियां महंगाई भत्तों की दरों की वृद्धि, यात्रा व्यय की दर में वृद्धि, अन्य भत्तों में बहोतरी टेलीफोन की दरों में वृद्धि, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण वृद्धियां हैं वहां पर कतिपय मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम प्राविधान कराये गये हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 26,44 की कमी प्रदर्शित है।

138—भ्रम एवं रोजगार—रोजगार--- (-1,21) ; सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियां, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण 1,21 की वृद्धि प्रदर्शित है।

139—भ्रम एवं रोजगार प्रशिक्षण -- (+8,59)---सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियां, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं पुनरीक्षित परिव्यय की उपलब्धता के कारण 8,59 की वृद्धि प्रदर्शित है।

140—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+13,92)--- सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा भत्तों की दरों में वृद्धि, अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि टेलीफोन की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, पुनरीक्षित परिव्यय की उपलब्धता एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 13,92 की वृद्धि है।

149—कृषि कार्य (-3,93)---पर्वतीय क्षेत्र में कृषि सेक्टर के अन्तर्गत 38,62 का प्राविधान नई मदों के लिए किया गया है। (बजट साहित्य के खण्ड 3 में दृष्टव्य) सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, टेलीफोन की दरों में वृद्धि, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि, वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय के उपलब्ध होने के कारण वृद्धियां हुई हैं वहां विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन के मद में व्यवस्था न किये जाने के कारण क्योंकि विज्ञापन की मद का व्यय सूचना विभाग के अन्तर्गत किये जाने के कारण एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम प्राविधान कराये जाने के कारण कमियां भी प्रदर्शित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 3,93 की कमी प्रदर्शित है।

151—भू और जल संरक्षण -- (+7,86)---निर्धारित परिव्यय भारत सरकार की स्वीकृतियों के आधार पर एवं सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, टेलीफोन की दरों में वृद्धि एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वृद्धियां हैं वहां कतिपय योजनाओं के तथा आवश्यकता अनुसार कम प्राविधान कराये जाने एवं विख्यापन, बिक्री एवं विख्यापन की मद में प्राविधान न कराये जाने क्योंकि इस मद का प्राविधान सूचना विभाग में कराये जाने के कारण कमी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7,86 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

152--गुणता (+16,61) -- गत वर्ष 1988-89 के 2,70,73 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल 2,81,34 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 16,61 की वृद्धि प्रदर्शित है इसमें 2,85 की वृद्धि नई योजनाओं के कारण है एवं शेष 13,73 की वृद्धि चालू योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रत्याशित है।

153--डेरी विभाग -- (+1,42,35) -- गत वर्ष के 38,63 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल 1,80,89 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 1,42,35 की वृद्धि प्रदर्शित है। इसमें से 1,16,91 की वृद्धि नई योजनाओं के कारण है एवं शेष 25,44 की वृद्धि चालू योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के फलस्वरूप प्रदर्शित है।

154--मौन उद्योग (+45) -- महंगाई भत्ते की दरों एवं अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि, पुनरीक्षित प्लान परिव्यय उपलब्ध न होने एवं वास्तविकता के आधार पर 45 की वृद्धि प्रदर्शित है।

155--वाणिज्य और व्यवसाय -- वन विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु गत वित्तीय वर्ष 1988-89 की वृद्धि 32,18,62 के समकालीन वित्तीय वर्ष 1989-90 में 32,98,05 की व्यवस्था है। जो वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर है। इस प्रकार 79,43 की वृद्धि हुई है।

168--सहकारिता (+6,78) गत वर्ष के 1,11,50 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल 1,18,28 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 6,78 की वृद्धि प्रदर्शित है। इसमें 23,10 की वृद्धि नई योजनाओं के कारण है तथा चालू योजनाओं में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कम व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 6,78 की वृद्धि प्रदर्शित है।

175--पंचायती राज (+9,43) गत वर्ष के 22,00 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 31,43 का प्राविधान किया गया है इस प्रकार 9,43 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण प्रदर्शित है।

176--सामुदायिक विकास--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (+2,71,35) गत वर्ष के 13,92,72 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 16,64,47 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 2,71,75 की वृद्धि प्रदर्शित है इसमें से 2,00 की वृद्धि नई योजनाओं के कारण है। वृद्धि साहित्य के खण्ड 3 में दृष्टव्य) एवं शेष 2,69,75 की वृद्धि चालू योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रदर्शित है।

188--विद्युत (+1,50,00) गत वर्ष के 1,50,00 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में 3,00,00 का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 1,50,00 की वृद्धि पर्वतीय क्षेत्र के चालू माइक्रो हाइड्रिल योजनाओं के वित्त पोषण के लिए उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप है।

193--ऊर्जा के गैर पारस्परिक स्रोत (+1,00,00) --पुनरीक्षित प्लान परिव्यय एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

194--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+1,50,60) सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि, भारत सरकार की स्वीकृति वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण जहाँ वृद्धियाँ हुई हैं, वहाँ कतिपय योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार व्यय प्राविधान भी किया गया है। नई योजनाओं हेतु 49,02 का प्राविधान किया गया है (वृद्धि साहित्य के खण्ड 3 में दृष्टव्य) इस प्रकार कुल मिलाकर 1,50,60 की वृद्धि प्रदर्शित है।

198--अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी उद्योग (+13,19) गत वर्ष के 62,70 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल 75,89 का प्राविधान किया गया है इस प्रकार 13,19 की वृद्धि प्रदर्शित है इसमें से 5,52 की वृद्धि नई योजनाओं के कारण है एवं शेष 7,67 की वृद्धि चालू योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर है।

214--परिस्थितिकी और पर्यावरण (+7,29) वास्तविक आवश्यकता और पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के फलस्वरूप 7,29 की वृद्धि प्रदर्शित है।

217--सर्वोच्च प्राथमिक शिक्षा (+1,80,59) गत वर्ष की 31,66 के प्राविधान की तुलना में आय-व्ययक वर्ष में कुल 2,05,39 का प्राविधान किया गया है इस प्रकार 1,80,59 की वृद्धि प्रदर्शित है इसमें से 1,60,00 की वृद्धि नई योजनाओं के कारण है एवं शेष 20,59 की वृद्धि चालू योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रदर्शित है।

218--पर्यटन (-40,27) --पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन के अन्तर्गत 2,00 की व्यवस्था योजनाओं हेतु की गई है। विज्ञापन बिक्री एवं विद्युत व्यवस्था में व्यवस्था न किये जाने के कारण एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 40,27 की कमी परिलक्षित है।

223--अन्य सामान्य आर्थिक सेवा (+3,55) --वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय उपलब्ध होने के फलस्वरूप 3,55 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूर्व लेखा--

आयोजनेतर--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (+2,00) --राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,00 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनागत—

4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय—

101—सड़करी निर्माण कार्य—भवन! (+1,58,73)—

विभिन्न विभागों के भवन निर्माण कार्यों हेतु गत वित्तीय वर्ष के 9,37,04 के बजट प्राविधान के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में 10,95,77 को व्यवस्था की गई है जो निर्धारित प्लान परिव्यय के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता पर आधारित है। इस प्रकार 1,58,73 की वृद्धि हुई है।

106—शिक्षा, खेल एवं कला और संस्कृति (—2,00)—

परिव्यय की उल्लंघना के आधार पर "शून्य" की व्यवस्था किये जाने के कारण, 2,00 की कमी है।

142—कृषि कार्य (—14)—

आयोजनागत पक्ष में निर्धारित कार्यक्रमों हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर वर्ष 1988-89 के 94,88 की तुलना में 1989-90 में 94,74 को व्यवस्था की गई है जो चालू निर्माण कार्यों तथा नई योजनागत योजनाओं के लिए आवश्यकता के आधार पर है इस प्रकार से 14 की कमी प्रदर्शित है।

143—भूमि और जल संरक्षण (—8,00)—

आयोजनागत योजनाओं में आवश्यकता न होने के कारण 8,00 की तुलना में 1989-90 में "शून्य" अनुदान रखा जाने के कारण कुल 8,00 की कमी प्रदर्शित है।

144—पशुपालन (—80)—

आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर गत वर्ष के मूल अनुमान 1,23,70 की तुलना में 1989-90 में 1,22,90 रखा जाने के कारण 80 की कमी प्रदर्शित है।

145—डैरी विकास (+10,00)—आयोजनागत पक्ष में परिव्यय उपलब्ध होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 10,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

161—सड़कारिता (-12,45)—आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रमों तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गत वर्ष के मूल अनुमान 14,45 की तुलना में वर्ष 1989-90 में 2,00 को प्रदान रखा जाने के कारण 12,45 की कमी परिलक्षित है।

146—सामुदायिक विकास ग्राम्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—(-5,59)—आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय तथा निर्धारित कार्यक्रमों एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 5,59 की कमी परिलक्षित है।

166—वृद्ध एवं मध्यम लिंगाई (+66,00)—वास्तविक आवश्यकतानुसार निर्देशन एवं प्रशासन के अंतर्गत 8,52 की कमी प्रदर्शित है। निर्माण कार्यों की आवश्यकता के आधार पर 56,81 की उल्लंघना एवं मशीनों हेतु वास्तविक आधार पर 57 की एवं मशीनों हेतु मशीनों के क्रय में भी 10 की कमी परिलक्षित है।

177—ग्रामीण और लघु उद्योग (+68,34)—आयोजनागत पक्ष में आवंटित परिव्यय के आधार पर औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना एवं वित्तिय विकास निगम के अंशकों के क्रय हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 68,34 की वृद्धि प्रदर्शित है।

193—सड़क तथा पुल (+5,31,25)—प्रदेश की सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु गत वित्तीय वर्ष 1988-89 के 29,44,76 के बजट प्राविधान के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में 34,76,00 की धन व्यवस्था की गई है जो निर्धारित प्लान परिव्यय पर के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता के आधार पर है। इस प्रकार से 5,31,25 की वृद्धि हुई है।

198—पर्यटन (+2,64,71)—वास्तविक आवश्यकता एवं पुनरीक्षित परिव्यय की उल्लंघना के आधार पर 2,64,71 की कमी है।

6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार—

60—ग्राम्य पहाड़ी क्षेत्र (—3,65,64)—

115—ऊर्जा और ताई (+17,50)—इस मद में चालू वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों को उपयुक्त तथा जनोपयोगी योजना के लिए अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण 17,50 की वृद्धि अनुमानित है।

117—प्रवास (—25,00)—इस मद में अधिक दृष्टि से कमजोर तथा विकास प्राधिकरणों की आधार्मिक पूंजी एवं प्रशासनिक व्यय के तौरों को पूरा निर्माण हेतु चालू वर्ष के मूल अनुमानों की तुलना में अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण जहाँ एक ओर क्रय: 3000, 2500 एवं 2000 की वृद्धि अनुमानित है वहीं दूसरी ओर राज्य कार्यकारिणों को प्रशासनिक हेतु सही ढंग से अनुसंधान प्रविधान कराये जाने के कारण 1,00,00 की कमी अनुमानित है इस प्रकार से प्रवास सेक्टर में समग्र रूप से 25,00 की कमी अनुमानित है।

132—कृषि कार्य (—65,50)—इस मद में लघु एवं सीमान्त उद्योग पत्तियों को वाटर टैंक निर्माण तथा यू0 पो स्टाटि को प्रशासकीय के लिए खरीदने हेतु चालू वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान शून्य की तुलना में ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना के कारण जहाँ एक ओर 750 तथा 7,00 की वृद्धि अनुमानित है वहीं दूसरी ओर बागवानी ऋण (तकनीकी तथा

सहायक उत्पादन हेतु दीर्घ कालीन ऋण के लिए कोई प्राविधान न कराये जाने के कारण 70,00 तथा 10,00 अर्थात् कुल 80,00 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस मद में कुल 65,50 की कमी अनुमानित है।

141-- भण्डारण तथा भण्डानारण (--7,05)-- इस मद में चालू वर्ष के मूलानुमान की तुलना में फल उत्पादकों की शीत ऋतु में निर्माण का कोई प्राविधान न कराये जाने के कारण 7,05 की कमी अनुमानित है।

143--सहकारिता (--7,15)-- इस मद में चालू वर्ष के मूल अनुमान की तुलना में औद्योगिक सहकारी समितियों (अवस्था) के प्रसार तथा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत हरिजन एवं कमजोर वर्ग की विशेष औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूजी के लिए अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण वहां एक ओर क्रमशः 30 तथा 27 की वृद्धि अनुमानित है वहीं दूसरी ओर उपभोक्त वस्तुओं के व्यवसाय पैक्स को माजिन रत्न त्रय विषय योजना के अंतर्गत पैक्स तथा विलेज सहकारी बैंकों को उर्वरक व्यवसाय एवं स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत सहकारी बैंकिंग योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुसूचित जाति के लोगों को व्याज रहित ऋण हेतु अंशकृत कम ऋण उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण क्रमशः 650,93,20 तथा 92 की कमी अनुमानित है फलतः इस मद में कुल 7,15 की कमी अनुमानित है।

162-- विद्युत परियोजनाएँ (+2,00,00)-- पर्यटन क्षेत्र की विद्युत योजनाओं के वित्त पोषण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद। अल्पार्थक निगम की चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमानों की तुलना में अंशकृत अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण 2,00,00 की वृद्धि अनुमानित है।

164-- ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (+1,52,84)-- इस मद में ऊनी हथकरघा विकास परियोजना (50) प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधित एकीकृत माजिन मनी ऋण योजना तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की चालू वर्ष 1988-89 के मूलानुमानों की तुलना में अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण क्रमशः 1,50,00, 1,75 तथा 1,09 अर्थात् 1,52,84 की वृद्धि अनुमानित है।

198-- राज्य कर्मचारी भवन निर्माण (+1,00,00)-- चालू वर्ष 1988-89 के मूल अनुमान की तुलना में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम हेतु रहीं दण्डकरण के अनुसार इस मद में प्राविधान कराये जाने के कारण यहाँ 1,00,00 की वृद्धि अनुमानित है तथा इसी कारण शीर्षक 117 आवास में 01-- राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम में इतनी की ही कमी अनुमानित है।

इस अनुदान के अंतर्गत दिविक्रम शीर्षकों के लिए की गयी आय-व्ययक व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

[(हजार रुपये में)]

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01 वेतन	11,82,43	..	11,82,43
02 मजदूरी	41,12	..	41,12
03 महंगाई भत्ता	10,14,68	..	10,14,68
04 यात्रा व्यय	1,32,44	..	1,32,44
05 अन्व भत्ता	2,48,29	1	2,48,30
06 कार्यालय व्यय	1,76,47	..	1,76,47
07 टेलीफोन पर व्यय	10,06	..	10,06
08 मोटर गाड़ियों का क्रय	7,90	..	7,90
09 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	84,86	..	84,86
11 किराया, उपशुल्क और कर	46,57	..	46,57
12 प्रकाशन	8,86	..	8,86
14 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	83,65,81	35	83,66,16
15 छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	2,09,91	..	2,09,91
18 बृहत निर्माण कार्य	62,01,18	..	62,01,18
19 मशीनें और सज्जा / उपकरण व संयंत्र	2,82,07	..	2,82,07
21 लघु निर्माण	2,12,74	..	2,12,74
23 अनुरक्षण	5,17	..	5,17
24 निवेश / ऋण (मत्तदेय) (भारित)	19,44,33	..	19,44,36
25 माल एवं सम्पत्ति	80,06	..	80,06
32 अन्तरिम सहायता	3,48,22	..	3,48,22
33 अन्य व्यय (मत्तदेय) (भारित)	32,76,73	..	32,76,73
		39,00	39,00
योग { मत्तदेय	2,38,79,93	36	2,38,80,29
{ भारित	..	39,00	39,00

अनुदान संख्या-48

मुस्लिम वकफ विभाग

गत वर्ष 35,05 (आयोजनेतर) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में कुल मांग 42,39 (आयोजनेतर) की है। इस प्रकार कुल 7,34 की वृद्धि प्रत्याशित हेतु जिसे नीचे स्पष्ट किया जाता है:—

2049—ब्याज भंदाय (भारित) (+2,73) आवश्यकता के आधार पर यहां 2,73 की व्यवस्था सम्मिलित करने पर 2,73 की वृद्धि परिलक्षित है।

2075—विविध सामान्य सेवायें—

800—अन्य व्यय—

01—वर्षीका कार्यालय, लखनऊ (+16) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "महगाई भत्ते" (+5) "अन्य भत्ते" (+7) "कार्यालय व्यय" (+1) तथा "अन्तरिम सहायता" (+3) इस प्रकार कुल 16 की वृद्धि प्रदर्शित है।

03—अवध वर्षीका पेंशन (+1,62) आवश्यकता के आधार पर 1,62 की व्यवस्था सम्मिलित करने के कारण 1,62 की वृद्धि परिलक्षित है।

2252—अन्य सामाजिक सेवायें—

102—धार्मिक और पूत विन्यास अधिनियम का प्रशासन—

01—अधिष्ठान (+2,83) महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "वेतन" (+25) "महंगाई भत्ता" (+90), "अन्य भत्ते" (+1,00) "कार्यालय व्यय" (-18), "टेलीफोन पर व्यय" (+2), "मोटर गाड़ियों का अन्तुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" (+2), "अन्तरिम सहायता" (+42) तथा "अन्य व्यय" (+4) इस प्रकार कुल 2,83 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु धन की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है:

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनेतर
01	वेतन	13,50
03	महंगाई भत्ता	12,85
04	याना व्यय	1,55
05	अन्य भत्ते	3,50
06	कार्यालय व्यय	1,62
07	टेलीफोन पर व्यय	14
09	मोटर गाड़ियों का अन्तुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	8
11	किराया उप शुल्क और कर स्वामिस्व	2
32	अन्तरिम सहायता	4,73
33	अन्य व्यय	1,67
34	विशेष ऋणों पर ब्याज (भारित)	2,73
	कुल मांग	42,39

अनुदान संख्या—49

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक के वर्ष के लिये कुल मांग 60,39,26 (60,39,26 मतदेय तथा 35 भारित) की है, जब कि गत वर्ष यह मांग 41,87,35 (41,87,00 मतदेय तथा 35 भारित) की थी। इस प्रकार 18,51,91 की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

राजस्व लेखा—

2053—जिला प्रशासन

093—जिला स्थापना—

01—कलेक्टरी स्थापना (+2,42,65)—

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि पदों के सृजन तथा नये सहस्रीलों के गठन के कारण वेतन की मद में 23,96 श्रमिकों की मजदूरी की दरों के वृद्धि के कारण "मजदूरी" में 1,00 समय-समय पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते के कारण महंगाई भत्ते की

मद में 79,18 रेल/बस के किराये की दरों में वृद्धि के कारण "यात्रा भत्ता" की मद में 4,26 वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "अन्य भत्ते" की मद में 1,11,15 लेखन सामग्री के मूल्यों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "कार्यालय व्यय" की मद में 12,15 शक्ति, एवं कानून की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु टेलीफोन का अधिक उपयोग तथा जिलाधिकारियों की वास्तविक भाग के आधार पर टेलीफोन पर व्यय की मद में 2,22, नयी जीपों का क्रय कराने हेतु "मोटर गाड़ियों का क्रय" की मद में 14,10, मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों के मूल्यों तथा पेट्रोल/डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में 7,03 भवन स्वामियों द्वारा भवन के किराये में वृद्धि के कारण "भवन किराया की सामग्री" के मूल्यों में वृद्धि के कारण "लघु निर्माण व्यय" की मद में 5,75 मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण "अनुरक्षण" मद में 5,80 तथा "अन्तरिम सहायता" की मद में अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति के कारण "अन्तरिम सहायता" की मद में 4,12 की वृद्धि प्रत्याशित है।

02-अभिलेखागार स्थापना (+35,67)--

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर "वेतन" की मद में 0,30, समय-समय पर स्वीकृत "महंगाई भत्ता" का अतिरिक्त किस्त देने के कारण "महंगाई भत्ता" की मद में 26,15 रेल/बस किराये की दरों में वृद्धि के कारण "यात्रा व्यय" में 5, अन्य भत्ते की मद में 2,12 कार्यालय व्यय में 2,88 तथा शाखा द्वारा अन्तरिम सहायता की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने के कारण "अन्तरिम सहायता" की मद में 4,17 की वृद्धि परिलक्षित है।

094-अन्य स्थापना--

01-उप-मण्डल स्थापना-मुख्य-(+34,54)--

कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर "वेतन" की मद में 11,33, भूमि की मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण "मजदूरी" की मद में 1,20 शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई भत्ता की किस्तों के कारण महंगाई भत्ते की मद में 1,58,46 यातायात के साधनों के किराये भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण "यात्रा भत्ता" की मद में 4,75 सामान्य आवश्यकता के आधार पर "अन्य भत्ते" की मद में 11,82, स्टेशनरी के मूल्यों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" की मद में 3,35 कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये तथा टेलीफोन का अधिक उपयोग किये जाने के कारण "टेलीफोन पर व्यय" की मद में 1,15, मोटर गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि के कारण "मोटर गाड़ियों का क्रय" की मद में 1,40, पीओ (एल 0) डीजल, मरम्मत तथा कलपुर्जों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में 7,40, भवन स्वामियों द्वारा मकानों के किराये में वृद्धि के कारण "किराया उभार एवं कर" की मद में 2,00, निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण "अनुरक्षण" की मद में 1,53, अन्तरिम सहायता की किस्तों में वृद्धि के कारण "अन्तरिम सहायता" की मद में 31,01, की वृद्धि परिलक्षित है।

101-आयुक्त--

01--मुख्य कार्यालय (+21,43)--

सामान्य वेतन वृद्धि के आधार पर "वेतन" की मद में 2,24, मजदूरी की मद में 4, शासन द्वारा महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने के कारण "महंगाई भत्ता" की मद में 8,30, सामान्य आवश्यकता के आधार पर तथा रेल/बस के किराये में वृद्धि के कारण "यात्रा भत्ता" की मद में 32, सामान्य आवश्यकता के आधार पर "अन्य भत्ते" की मद में 7,51, स्टेशनरी की दरों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" की मद में 76, टेलीफोन की दरों में वृद्धि के कारण "टेलीफोन पर व्यय" की मद में 41, पेट्रोल/डीजल की दरों में वृद्धि के कारण "अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में 66, निर्माण सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण "लघु निर्माण कार्य" की मद में 56, तथा अनुरक्षण की मद में 63 की वृद्धि परिलक्षित है।

02--अभिलेखागार के व्यय (+58)

उपर्युक्त कारणों के कारण महंगाई भत्ता की मद में 36, अन्य भत्ता की मद में 15, कार्यालय व्यय में 3 तथा "अन्तरिम सहायता" मद में 4, की वृद्धि की गयी है।

आयोजनागत--

4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--

01--कार्यालयों की इमारतें--

201--भूमि का अधिग्रहण --

800--अन्य व्यय--

01--जनपद गजियाबाद, गोरखार, हमीपुर, मेरठ, बाराबंकी तथा नवलपरासी के भवनों के निर्माणार्थ अधिग्रहण (जिला योजना)--

18-बृहत् निर्माण कार्य (+15,00,00)--

इस मद में उपर्युक्त स्थानों पर नये निर्माण कार्य कराने के लिये 15,00,00 की व्यवस्था की गयी है इसीलिये यह वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन महंगाई भत्ता आदि के लिए निम्नवत व्यवस्था की गयी है :-

(हज़ार रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	..	15,12,26	15,12,26
02	मजदूरी	..	19,64	19,64
03	महंगाई भत्ता	..	15,97,68	15,97,68
04	यात्रा व्यय	..	1,03,16	1,03,16
05	ग्रय भत्ते	..	2,02,24	2,02,24
06	कार्यालय व्यय	..	1,83,49	1,83,49
07	टेलीफोन पर व्यय	..	41,68	41,68
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	66,30	66,30
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	1,64,44	1,66,44
11	किराया उपशुल्क और कर	..	4,83	4,83
18	वृहत् निर्माण कार्य	15,00,00	..	15,00,00
19	लघु निर्माण कार्य	..	69,41	69,41
23	अनुरक्षण	..	70,73	70,73
32	अन्तरिम सहायता	..	4,81,04	4,81,04
33	अन्य व्यय	{ मतदेय भारत	20,36	20,36
			35	35
<hr/>				
	राजस्व लेखा	{ मतदेय भारत	45,39,26	60,39,26
			35	35
<hr/>				
	पूजी लेखा	{ मतदेय भारत	15,00,00	15,00,00
		
<hr/>				
	योग	{ मतदेय भारत	15,00,00	45,39,26
			35	60,39,26
			35	35

अनुदान संख्या-50

राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिए कुल मांग 40,82,54 (10,80,62 मतदेय एवं 29,01,92 भारत) की है जबकि गत वर्ष की मूल मांग 28,32,54 (11,68,12 मतदेय एवं 16,64,42 भारत) की थी। इस प्रकार यहाँ पर 12,50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

2049—व्याज सदाय (भारत) (—1,82)—

जीवन बीमा निगम को व्याज के भुगतान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,82 की कमी हुई है।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+10,00)—

देश के अग्र प्रदेशों की देवी विपत्तियों के समय मांग करने पर सहायता दिये जाने की दृष्टि मन्त्रों के से 10,00 की एक मुश्त व्यवस्था (जैसा कि वजेट साहित्य खण्ड 3 आयोजनेतर में उल्लिखित है) किये जाने के फलस्वरूप यहाँ पर 10,00 की वृद्धि हुई है।

2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—

02—बाढ़, चक्रवात आदि (+2,50)—

तबू वित्त आयोग ने प्रदेश के लिए निर्धारित 16,25,00 की माजिन मनी को बढ़ाकर 28,62,50 किये जाने की संस्तुति की है और तदनुसार राजस्व विभाग के लिए निर्धारित 10,25,00 की माजिन मनी में 2,50 की अनुपातिक वृद्धि वजेट वर्ष से हुई है। तदनुसार व्यवस्था किये जाने के कारण यहाँ पर 2,50 की वृद्धि अनुमानित है।

04--अकाल राहत निधि--

101--आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण--

अकाल राहत निधि (भारत) (+12,37,50)--

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मार्जिन मनी की सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप अकाल राहत निधि में समतुल्य धनराशि के अन्तरण की व्यवस्था के कारण यहाँ पर 12,37,50 की वृद्धि हुई है।

पूजी लेखा--

आयोजनेतर--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (भारत) (+182)--

जीवन बीमा निगम को मूलधन के प्रतिदान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,82 की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार न्यूनार्थिकताओं को समायोजित करते हुए इस अनुदान में कुल 12,50,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

अनुदान संख्या--51

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य)

इन अनुदानों के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की मूल मांग 1,48,71,11 (1,44,02,54 मतदेय तथा 4,08,57 भारति) की है जबकि गत वर्ष की मूल मांग 1,22,60,41 (1,18,51,88 मतदेय तथा 4,08,53 भारति) की थी। इस प्रकार यहाँ पर 25,00,70 की वृद्धि है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा--

-2029-भू-राजस्व--

001-निर्देशन और प्रशासन (+74,23)--

01--भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय (+76,45)--

भूमि अध्याप्ति निर्देशालय की स्थापना किये जाने के फलस्वरूप कतिपय नये पदों के सृजन वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि अन्य अतिरिक्त भत्ते एवं अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि, यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 6,09 महंगाई भत्ता में 44,90 यात्रा व्यय में 1,31, अन्य भत्तों में 15,00, कार्यालय व्यय में 1,65, टेलीफोन पर व्यय में 10, मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद में 20, तथा अन्तरिम सहायता में 7,20 की वृद्धि परिलक्षित है।

02-खेतों की हवे ठीक करना- (+71)--

महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं अन्तरिम सहायता से वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 12, महंगाई भत्ते में 53, यात्रा व्यय में 2, अन्य भत्तों में 2, तथा अन्तरिम सहायता में 2 की वृद्धि परिलक्षित है।

101-संग्रह प्रभार- (+7,88,02)--

01-भू-राजस्व (माल गुजारी) तकाबी नहर और अन्य प्रकारों का सारी देय धनराशियों का संग्रह प्रभार (+7,88,02)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 1,27,18 महंगाई भत्ते में 5,63,63 यात्रा व्यय में 7,25, अन्य भत्तों में 17,00, कार्यालय व्यय में 1,60, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में 30 तथा अन्तरिम सहायता में 71,26 की वृद्धि परिलक्षित है।

102-सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य (+45,21)--

01-मुख्यालय (+4)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा कार्यालय व्यय में वृद्धि होने के फलस्वरूप वेतन में 2, महंगाई भत्ता में 4 यात्रा व्यय में 1, कार्यालय व्यय में 1 की वृद्धि परिलक्षित है।

02-जिला अधिष्ठाता (+45,17)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, मजदूरी की दरों में वृद्धि, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्तों, वस्तुओं के मूल्यों पेट्रोल के मूल्यों तथा अन्तरिम सहायता में वृद्धि तथा जनपद मिर्जापुर में कैमूर पर्वत एजेंसी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जारी किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक संयंत्र क्रय करते तथा किराये पर भवनों को लिये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर मजदूरी में 75, महंगाई भत्ते में 31,70, यात्रा व्यय में 89, अन्य भत्तों में 8,60, कार्यालय व्यय में 44, मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में 21 तथा किराया उपशुल्क व अन्य कर स्वामित्व पर 20, मशीन और नाज/सज्जा उपकरण एवं संयंत्र में 5, अन्तरिम सहायता में 7,32 तथा अन्य व्यय में 10 की वृद्धि परिलक्षित है।

103--सू-अभिलेख (+10,92,77)--

01--अधीक्षण- (+2,74) --

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 23, महंगाई भत्ता में, 1,38, यात्रा व्यय में 4, अन्य भत्ते में 76, कार्यालय व्यय में 1, तथा अन्तरिम सहायता में 32, की वृद्धि परिलक्षित है।

02--जिला व्यय (+10,91,56) ---

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण, तथा अन्तरिम सहायता में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 3,40,35, महंगाई भत्ते में 5,32,16 यात्रा व्यय में 6,27 अन्य भत्ते में 34,00 कार्यालय व्यय में 1.77 अनुरक्षण में 45, तथा अन्तरिम सहायता में 1,70,56 की वृद्धि परिलक्षित है।

03--कृषि गणना (-3,54) ---

0301--मुख्यालय (+1,01)---

वार्षिक वेतन वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, प्रशासन तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप महंगाई भत्ते में 21, अन्य भत्ते में 17, प्रशासन में 52, कार्यालय व्यय में 4, तथा अन्तरिम सहायता में 7, की वृद्धि परिलक्षित है।

0302 जिला व्यय (+1,00)

भारत सरकार द्वारा जिलों में कार्यरत स्टाफ के द्वारा कृषि गणना का कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप मानदेय दिये जाने हेतु अन्य भत्ते में 1,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

0303--टेलुक्शन यूनिट ---

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई, भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते कार्यालय व्यय, द्वारा टेलीफोन पर व्यय, मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के कारण वेतन में 5,00 महंगाई भत्ते में 5,77, अन्य भत्ते में 60, तथा अन्तरिम सहायता में 69, की वृद्धि परिलक्षित है।

104--सरकारी-सम्पदाओं का प्रबन्ध (+1,56)---

01--सरकारी-सम्पदा (गवर्नमेन्ट्स स्टेट्स) ---

101--राजस्व की उगाही (+26)---

वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 5, महंगाई भत्ते में 9, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 4, कार्यालय व्यय में 2, तथा अन्तरिम सहायता में 5, की वृद्धि परिलक्षित है।

0102--निर्माण कार्यों को छोड़कर अन्य सुधार (+1,30) ---

वार्षिक वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि अन्य भत्ते देय होने तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 32, महंगाई भत्ता में 64, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 10, कार्यालय व्यय में 1, अन्तरिम सहायता में 22, की वृद्धि परिलक्षित है।

800--अन्य व्यय--

01--जोतों की चकबन्दी (आयोजनागत) (+4,12,73) --

चकबन्दी कार्यवाहियों हेतु आयोजनागत पक्ष में आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर अन्य व्यय दरों में अधिक परिव्यय प्राप्त होने के फलस्वरूप 4,12,73 मत्तदेय में वृद्धि है।

02--भूमि व्यवस्था (लैंड रिफार्म) (आयुक्त) --

0201--अधीक्षण और नियन्त्रण (+8,02)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अन्य भत्ते, वस्तुओं के मूल्यों, वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, अनुरक्षण तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 1,25, महंगाई भत्ते में 3,92 यात्रा व्यय में 23, अन्य व्यय में 1,70, कार्यालय व्यय में 1,37, टेलीफोन पर व्यय में 8, अनुरक्षण में 5, तथा अन्तरिम सहायता में 2, की वृद्धि परिलक्षित है।

0203--प्रतिकर निर्धारण व्यय प्रशासकीय (डिवीजनल कार्यवाही) (+12,57)---

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 1,86, महंगाई भत्ता में 8,00 अन्य भत्ते में 2,55, कार्यालय व्यय में 21, तथा अन्तरिम सहायता में 1,65 की वृद्धि परिलक्षित है।

0204--प्रतिकर निर्धारण व्यय जिला कर्मचारियों (+14,33) --

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 1,12, महंगाई भत्ता में 8,61, यात्रा व्यय में 20, अन्य भत्ते में 2,55, कार्यालय व्यय में 25, टेलीफोन पर व्यय 1, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में 2, तथा अन्तरिम सहायता में 1,47, की वृद्धि परिलक्षित है।

0205-उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के विकास एवं विस्तार की योजना--

आयोजनागत (+27)--

आयोजनेतर (+29)--

योजना के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में यात्रा व्यय वस्तुओं के मूल्यों में पेट्रोल के मूल्यों में भवन सामग्री के मूल्यों तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप वेतन में 3, महंगाई भत्ता में 13, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 4, कार्यालय व्यय में 3, अनुरक्षण में 3, में वृद्धि है। इनके विपरीत इस योजना के अन्तर्गत अन्तरिम सहायता की मद में 2 की कमी है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 27, की वृद्धि परिलक्षित है। आयोजनेतर पक्ष में वेतन महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 17, महंगाई भत्ता में 34, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 3, कार्यालय व्यय में 2, अनुरक्षण में 2, तथा अन्तरिम सहायता में 20 की वृद्धि परिलक्षित है।

04--प्रादेशिक वाहन का कार्य (कागज सम्बन्धी नालिशो) (+68,13)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय-अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय-तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप, वेतन में 7,91, महंगाई भत्ता में 37,29, यात्रा व्यय में 14, अन्य भत्ते में 1,50, कार्यालय व्यय में 1, तथा अन्तरिम सहायता में 21,28 की वृद्धि परिलक्षित है।

2052--सविवाज्य सानान्य सेवायें-099-राजस्व परिषद् (+83,94)--

01-राजस्व परिषद् (+80,58)--

पिछले वित्तीय वर्ष 1988-89 में इस मद में कोई प्राविधान नहीं किया गया था इस वर्ष आय-व्ययक में वेतन में 22, 87, महंगाई भत्ते में 24,45, यात्रा व्यय में 1,40, अन्य भत्ते में 5,95, कार्यालय व्यय में 7,32 टेलीफोन परिचय में 60, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 1,54, लघु निर्माण कार्य 2,10, अनुरक्षण में 93, अन्तरिम सहायता में 7,40, कुल 80,58 का प्राविधान किया गया है।

02--राजस्व परिषद् उ० प्र० के कार्यालय में एक सांख्यिकी एवं प्रलेखीकरण इकाई डाकूमन्टेशन यूनिट की स्थापना (+3,36)--

पिछले वित्तीय वर्ष में इस मद में कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इस मद हेतु वेतन में 1,15, महंगाई भत्ते में 1,16, यात्रा व्यय में 5, अन्य भत्ते में 21, कार्यालय व्यय में 25, टेलीफोन में 3, प्रशासन पर 15, तथा अन्तरिम सहायता में 36, कुल 3,36 का प्राविधान किया गया है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--

105--विशेष जांच आयोग (-45)--

प्रावश्यकता एवं परिगणना के आधार पर न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुये कुल 45, की शब्द कमी हुई है।

2216--आवास (आयोजनागत) (-1,00)--

03--ग्रामीण आवास--

102--भूमिहीनों के लिये मकानों के स्थान की व्यवस्था--

01--ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थान दिये जाने की योजना के लिये अनुदान (50)--

प्रावश्यकता एवं परिगणना के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत 50 की कमी की गई है।

02--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान ग्रामीण क्षेत्र को भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थान दिये जाने की योजना के लिए अनुदान-(-50)--

प्रावश्यकता एवं परिगणना के आधार पर इस योजना में 50, की कमी की गई है।

2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण--

01--पुनर्वास--

102--भूतपूर्व पश्चिमी पंजाब से आये व्यक्ति (+1,46)--

01--इवेक्वी स्टेट. (सपरेशन) ऐक्ट, 1951 का कार्यान्वयन (+24)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 5, महंगाई भत्ता में 10, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 5, कार्यालय व्यय में 1, तथा अन्तरिम सहायता में 2, की वृद्धि हुई है।

02--निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बन्धित व्यय (+1,22)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भूगतान तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 22, महंगाई भत्ते में 68, कार्यालय व्यय में 2, अन्य भत्ते में 17, कार्यालय व्यय में 4, व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भूगतान में 2, तथा अन्तरिम सहायता में 7 की वृद्धि है।

2506--भूमि सुधार आयोजनागत-104-अधिशेष भूमि के आवंटियों को सहायता (+5,31)

इस आयोजनागत योजना हेतु प्रावश्यकतानुसार उपलब्ध परिचय की सीमा से अधिक व्यवस्था किये जाने के कारण 5,31 की वृद्धि है।

3454—जनगणना और सांख्यिकी

02—सर्वेक्षण और सांख्यिकी—

110—गजेटियर और सांख्यिकीय विवरण—

01—जिला विवरणिकाओं (गजेटियर्स का पुनरीक्षण) (+ 4,76) —

वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान, प्रकाशन एवं अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप, वेतन में 1,50, महंगाई भत्ता में 2,43, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 47, कार्यालय व्यय में 1, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 1, व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में 1, प्रकाशन में 5, तथा अन्तरिम सहायता में 33, की वृद्धि है।

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

200—अन्य व्यापारिक उपकरणों का विनियमन

01—उत्तर प्रदेश सहकारी विनियमन अधिनियम, 1975 का कार्यान्वयन (+12)

वेतन में 1, महंगाई भत्ते में 11 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेखा—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय—आयोजनागत—

01—कार्यालयों को इमारतें— (+ 9,10)

101—निर्माण सामान्य पूल आवास—

01—उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण एवं भू-प्रभिलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई के नवीन भवन का निर्माण

उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण एवं भू-प्रभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के नवीन भवन निर्माण किये जाने हेतु 9,10 की वृद्धि परिलक्षित है

इस आदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता व यात्रा व्यय जैसी विभिन्न इकाइयों के लिए की गयी कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	11,54,57	44,83,98	56,38,55
02—मजदूरी	..	3,00	3,00
03—महंगाई भत्ता	11,54,61	48,36,16	59,90,77
04—यात्रा व्यय	30,88	1,60,78	1,91,66
05—अन्य भत्ते	45,69	2,64,84	3,10,53
06—कार्यालय व्यय	25,31	67,34	92,65
07—टेलीफोन पर व्यय	73	3,83	4,56
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण, पेट्रोल की खरीद	8,28	10,26	18,54
10—विशेष सेवा	..	1,07	1,07
11—किराया, उपशुल्क एवं कर स्वाभित्व	..	2,20	2,20
12—प्रकाशन	..	6,47	6,47
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	1,17,20	1,17,20
15—छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	..	12,01	12,01
18—वृहत निर्माण कार्य	..	62,00	62,00
19—लघु निर्माण कार्य	..	2,92	2,92
20—मशीन, साज-सज्जा एवं उपकरण व संयंत्र	..	51	51
23—अनुरक्षण	..	10,83	10,83
30—वट्टेखाते / हानियाँ	..	20	20
32—अन्तरिम सहायता	3,94,23	14,87,72	18,81,95
33—अन्य व्यय	..	51	54,92
	भारत	90	90
योग	28,14,81	1,15,87,73	1,44,02,54
	भारत	90	90

अनुदान संख्या-52

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 78,84 की है जबकि गतवर्ष यह मांग 72,17 की थी। इस प्रकार 6,67 की अधिक व्यवस्था की गई है। न्यूनधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

आयोजनेतर (+6,67)--

राजस्व लेखा (+7,17)--

2070--अस्थ प्रशासनिक सेवायें (+70)--

105--विशेष जांच आयोग--01--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन अल्प-संख्यक आयोग के अठ्ठान व्यय (+1,35)--

वार्षिक वेतन वृद्धियों के फलस्वरूप वेतन में 21, की तथा महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते में 65, की वृद्धि की गई है। दरों में वृद्धि के कारण यात्रा व्यय में 20,, व अन्य भत्ते में 15, की अधिक व्यवस्था की गई है। मूल्य वृद्धियों के फलस्वरूप कार्यालय व्यय में 3, टेलीफोन पर व्यय में 5, पीओ ओ0 एन0 में 1, अन्य व्यय में भी 1 की वृद्धियां की गई है। आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में भी 4, की वृद्धि प्रदर्शित है।

800--अन्य व्यय--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सलाहकार कौम नियुक्ति के फलस्वरूप व्यवस्था (+16)--

वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वेतन में 3, की वृद्धि की गई है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते में 11, व अन्य भत्ते में 3, की अधिक व्यवस्था सम्मिलित है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्यय में 1, व अन्तरिम सहायता में भी 1, की वृद्धि की गई है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता एवं मितव्ययता के आधार पर टेलीफोन व्यय में 3, की कम व्यवस्था हुई है।

07--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन गठित राज्य एकीकरण परिषद् के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें (-2,53)--

राज्य एकीकरण परिषद् के उपाध्यक्ष को मुख्य मंत्री जी द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिये जाने के कारण सम्बन्धित व्यय राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग द्वारा वहन किया जाता है। अतः यहां विभिन्न प्राथमिक इकाइयों में 2,53 की कम व्यवस्था की गई है।

08--प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के आयुक्त, उ0 प्र0 के कार्यालय की स्थापना (+1,72)--

वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण वेतन में 32, की वृद्धि की गई है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते में 1,28 यात्रा व्यय में 4, व अन्य भत्ते में 7, की अधिक व्यवस्था की गई है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्यय में 2, व टेलीफोन व्यय में 1, का अधिक प्राविधान किया गया है। माओन तथा सज्जा / उपकरण और संयंत्र मितव्ययता के आधार पर 2, की कमी प्रदर्शित है।

2202--सामान्य शिक्षा (+6,70)--

05--भाषा विकास--102--आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का सम्बर्धन (+6,70)--

01--प्रदेश में उर्दू का विकास एवं प्रचार (+2,00)--

शासकीय निर्णय के फलस्वरूप उ0 प्र0 उर्दू अकादमी के आवर्तक अनुदान में 2,00 की एवं स्व0 फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति के आवर्तक अनुदान में 5,00 की अधिक व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर "राज्य कमियों के उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना" के अधीन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 30, की कमी प्रदर्शित है।

2251--सचिवालय--सामाजिक सेवायें--091--सम्बन्ध कार्यालय (-23)--

01--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत एक विशेष सेल की स्थापना (-23)--

कतिपय पद रिक्त रहने के कारण यहां वेतन में 13,, महंगाई भत्ते में 7, एवं अन्तरिम सहायता में 3, की कम व्यवस्था की गई है।

पूंजी लेखा--

6851--अभ्योद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार--1002--लघु उद्योग (-50)--

अर्थात् जातीय एवं अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन हेतु दम्पतियों को लघु उद्योग लगाने के लिए व्याज मुक्ति उधार देने हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 50 की कम व्यवस्था की गई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं अन्य भत्तों आदि जैसी प्राथमिक इकाइयों के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर
राजस्व लेखा--	
01--वेतन	5,87
03--महंगाई भत्ता	6,38
04--यात्रा व्यय	97
05--अन्य भत्ते	1,07
06--कार्यालय व्यय	49
07--टेलीफोन पर व्यय	28
09--मोटर गाड़ियों का अनु रक्षण तथा पेट्रोल की खरीद--	37
11--किराया, उप शुल्क और कर	44
12--प्रकाशन	4
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	59,95
20--मशीनें और सज्जा, उपकरण एवं संयंत्र..	10
32--अन्तरिम सहायता	1,75
33--अन्य व्यय	13
राजस्व योग (मतदेय)	77,84
पूंजी लेखा--	
24--निवेश / ऋण	1,00
कुल योग	78,84

अनुदान संख्या - 53

वन विभाग

वित्त वर्ष के 75,58,46 (75,58,26 मतदेय तथा 20 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष का अनुदान 74,87,91 (74,87,71 मतदेय तथा 20 भारित) रखा गया है। इस प्रकार 70,55 की शुद्ध कमी हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

2406-वानिकी और वन्य जीवन-01-वानिकी-आयोजनेतर (+2,39,42)-001-निदेशन और प्रशासन (+2,37,05)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनु रक्षण और पेट्रोल की खरीद, किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व अन्तरिम सहायता, अन्य व्यय के मदों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (2,37,05) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

101-वन्य संरक्षण और विकास-01 वनों की सुरक्षा (राज्य स्तर)-(+1,35)--इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा वृहत् निर्माण कार्य मदों में अन्तर्गत वृद्धि और कमी को समायोजित करते हुए (1,35) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

105-वन्य उत्पादन-01-सरकारी अभिकरण द्वारा निकाली हुई वन्य उपज (+1,02)--इस शीर्षक के अन्तर्गत लोसा तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली हुई वन उपज आदि को मदों में वृद्धि तथा कमी को समायोजित करते हुए (1,02) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

2407-बागान-60-अन्य व्यय-आयोजनेतर (-15,50)-800-अन्य व्यय-01-प्रायोगिक एवं पल्पउड रक्षा--रोड़--33--अन्य व्यय के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्य व्यय मद में (-15,50) की कमी हुई है।

4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनेतर (+3,50)--इस शीर्षक के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनु रक्षण और पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता मदों के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (3,50) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

2406-वानिकी और वन्य जीवन-आयोजनागत ((-2,16,00)

01--वानिकी--

070-संचार और इमारतें- (-4,95)--इस शीर्षक में सड़कें तथा टेलीफोन लाइन के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, वृहत् निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा, उपकरण, संयंत्र, अन्तरिम सहायता, अन्य व्यय की मदों में वृद्धि और कमी को समायोजित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धनराशि की व्यवस्था की गयी है। अतः (4,95) की कमी हुई है।

101-वन संरक्षण और विकास-01-वनों की सुरक्षा (राज्य सेक्टर) (-9,00)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, लघु निर्माण-कार्य, अन्तरिम सहायता तथा अन्य व्यय की मदों में वृद्धि तथा कमी को समायोजित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था की गयी है। अतएव इस मद के अन्तर्गत (9,00) की कमी हुई है।

102-सामाजिक और फार्म वानिकी--

01-सामाजिक वानिकी (जिला सेक्टर) (-2,60,90)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का क्रय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, प्रकाशन, वृहत् निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा, उपकरण और संयंत्र, अन्तरिम सहायता, अन्य व्यय की मदों में वृद्धि और कमी को समायोजित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (2,60,90) की कमी हुई है।

02-अनसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-सामाजिक वानिकी--(जिला सेक्टर) (+1,67,05)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (1,67,05), की वृद्धि हुई है।

03--सामाजिक वानिकी (राज्य सेक्टर) (-2,15)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, वृहत् निर्माण कार्य, मशीनें एवं सज्जा, उपकरण एवं संयंत्र, अन्तरिम सहायता की मदों के अन्तर्गत अतिरिक्त तथा कार्यालय व्यय टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद और प्रकाशन, विज्ञापन, बिक्री और विध्यापन, छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन, अन्य व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई कमी को समायोजित करते हुए (2,15) की कमी हुई है।

04--सहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी (जिला सेक्टर) (+11,60)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, वृहत् निर्माण मदों में अतिरिक्त तथा कार्यालय व्यय में कमी को समायोजित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार (11,60) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

05-सिल्वी पास्चोरल योजना (क्षेत्र द्वारा पुरोनिधानित) (-36,00)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, अन्तरिम सहायता आदि के अन्तर्गत वृद्धि तथा लघु निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा, उपकरण तथा संयंत्र तथा अन्य व्यय की मदों में हुई कमी को समायोजित करते हुए (36,00) की कमी हुई है।

800--अन्य व्यय-- (-8,81)

01- कार्य योजनाओं का पुनरोक्षण और निर्माण (-1,18)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते तथा अन्तरिम सहायता में वृद्धि तथा कार्यालय व्यय, अनुरक्षण और अन्य व्यय में कमी को समायोजित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 1,18 की कमी प्रदर्शित है।

03- अग्नि से सुरक्षा (-1,59)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता की मदों में अतिरिक्त तथा कार्यालय व्यय, अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य, मशीनें और सज्जा, उपकरण और संयंत्र तथा अन्य व्यय में कमी को समायोजित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था की गयी है। अतः 1,59 की कमी हुई है।

06--वन विभाग के कर्मचारियों के लिए पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था तथा कृषकों की सुविधा (जिला सेक्टर) (-9,54) इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था करते हुए वृद्धि तथा कमी समायोजन के उपरान्त 9,54 की कमी हुई है।

09--साताटोला डैम के जलामय क्षेत्र में नवी याटो प्रायोजना--इस शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि और कमी को समायोजित करने के उपरान्त किसी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं हुई।

110--वन्य जीवन (-29,81)--इस शीर्षक के अन्तर्गत 02--टाइगर वाच का गठन--दुधवा नेशनल पार्क का विकास--उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चम्बल पशु विहार योजना--उत्तर प्रदेश में कछुआ पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यवस्था तथा अन्य योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किए जाने के कारण हुई कमी को समायोजित करते हुए 29,81 की कमी हुई है।

111--चिड़ियाघर--02--कानपुर प्राणी उद्यान का विकास (-35)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था करते हुए मदों में वृद्धि तथा कमी को समायोजन के उपरान्त 35 की कमी हुई है।

800--अन्य व्यय (-37,18)--इस शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मदों में हुई वृद्धि और कमी को समायोजन के पश्चात् 37,18 की कमी हुई है।

2407--बागान-60--अन्य व्यय (-15,50)--इस शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था किए जाने के कारण मदों में हुई वृद्धि तथा कमी का समायोजन के उपरान्त 15,50 की कमी हुई है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता व यात्रा व्यय जैसी विभिन्न इकाइयों के लिए की गयी कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है---

(हजार रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	अयोजनागत	अयोजनतर	योग
01	वेतन	6 89,54	7, 80, 00	14, 69, 54
03	महंगाई भत्ता	6,53,26	7, 07, 50	13, 60, 76
04	यात्रा व्यय	1,39,29	87,25	2,26,54
05	अन्य भत्ते	1,49,83	1,23,30	2,73,13
06	कार्यालय व्यय	45,54	29,55	75,09
07	टेलीफोन पर व्यय	14,90	5,30	20,20
08	गाड़ियों का क्रय
09	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	57,18	21,25	78,43
10	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6	5,50	5,56
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	37,65	4,30	41,95
12	प्रकाशन	18,50	..	18,50
13	विज्ञापन, बिक्री और प्रख्यापन व्यय
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
15	छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	60,00	..	60,00
18	बृहत् निर्माण	17,43,31	..	17,43,31
19	लघु निर्माण	4,40,45	1,88,50	6,28,65
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	54,19	23,25	77,44
23	अनुरक्षण	30,19	..	30,19
24	निवश ऋण	..	1,05	1,05
32	अंतरिम सहायता	2,65,14	1,74,75	4,39,89
33	अन्य व्यय	1,42,32	7,98,35	9,40,67
			20	20
	(मत्तदेय	45,41,35	29,46,35	74,87,70
	(भारत	..	20	20
	(मत्तदेय
	(भारत	..	20	20

अनुदान संख्या--54

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 46,62,28,23 (20,22,25,55 मतदेय तथा 26,40,02,68 भारत) की है जबकि गत वर्ष 26,21,53,32 (3,12,37,97 मतदेय तथा 23,09,15,35 भारत) की थी। इस प्रकार 20,40,74,91 (17,09,87,58 मतदेय तथा 3,30,87,33 भारत) की वृद्धि हुई है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा (+19,49,39,66)--

2048--ऋणों में कमी अथवा उससे बचाव के लिये विनियोग (+15,41,09)--बाजार ऋण अथवा वे ऋण जो अपनी अवधि पूर्ण होने पर एक मुश्त में प्रतिदेय होते हैं। आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा संचित शोधन निधि बनाई गयी है। 1988-89 में जारी बाजार ऋण के निमित्त शोधन निधि को संक्रमण हेतु प्राविधान सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप वृद्धि परिलक्षित है।

2049--ब्याज संदाय (+2,33,97,99)--गत वर्ष के 7,51,67,42 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 9,85,65,82 की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार इस मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत 2,33,97,99 की शुद्ध वृद्धि हुई है। इसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

01--आन्तरिक ऋणों पर ब्याज (+40,05,49)--मुख्यतः इस वर्ष जारी किये गये तथा बजट वर्ष में जारी किये जाने वाले बाजार उधारों पर ब्याज के अनुमानों को सम्मिलित कर लिये जाने के कारण बाजार उधारों पर ब्याज में 44,95,49 की वृद्धि अनुमानित है। तथा ऋण प्रबन्ध में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 10,00 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके विपरीत रिजर्व बैंक को अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवर ड्राफ्ट पर कम ध्यान दिये जाने के अनुमान के कारण 5,00,00 की कमी परिलक्षित है इसके विषय में स्थिति निम्नवत् है:--

101--बाजार उधारों पर ब्याज (+44,95,49)--मुख्यतः वृद्धि इस वर्ष में जारी किये बाजार उधारों पर ब्याज भुगतान हेतु बजट वर्ष में पूरे वर्ष के लिये 22,98,00 का अतिरिक्त प्राविधान कराने तथा बजट वर्ष में जारी किये जाने वाले नये बाजार ऋण के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान हेतु 24,55,25 की व्यवस्था सम्मिलित किये जाने के कारण है।

03--अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (52,39,01)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज में 52,39,01 की वृद्धि अनुमानित है।

04--केंद्रीय सरकार से ऋणों और अग्रिम पर ब्याज (+1,36,87,16)--वास्तविक आधार पर राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों के आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज में 70,82,01, केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज में 86,78, केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत 51,04 तथा आयोजनागत भिन्न योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज के अन्तर्गत 72,93,52 की वृद्धि परिलक्षित है।

05--आरक्षित निधियों पर ब्याज (+4,66,33)--आवश्यकता के आधार पर मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियों पर ब्याज में 4,66,28 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज में 45 की वृद्धि परिलक्षित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण --(+2,00)--

वास्तविक भुगतानों के आधार पर 2,00 की वृद्धि अनुमानित है,

2052--सचिवालय सामान्य सेवाएँ (+16,99,98,58)--कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण तथा महंगाई भत्ते में वृद्धियों आदि के लिये एक मुश्त प्राविधान की व्यवस्था में वृद्धि किये जाने के कारण एक मुश्त प्राविधान में 16,99,98,60 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूंजी लेखा (+81,48,25)--

6003--राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण (+1,38,50)--बाजार उधार के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,38,50 की वृद्धि परिलक्षित है।

6004--केंद्रीय सरकार से उधार और अग्रिम (+80,09,75)--सम्भावित आवश्यकता के आधार पर आयोजना भिन्न उधार के अन्तर्गत 12,94,18, राज्य / संघ क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के अन्तर्गत 56,04,94, केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के उधार के अन्तर्गत 1,08,66, इसके विपरीत केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के अन्तर्गत 8,68 की कमी परिलक्षित है।

7610--सरकारी सेवकों आदि की उधार (+4,87,00)--

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम (आयोजनेतर) में 35,00 की वृद्धि, राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम (आयोजनागत) के मद में 3,32,00 की वृद्धि तथा भवन मरम्मत व विस्तार एवं मोटर वाहन अग्रिम (आयोजनेतर) के मद में कुल 1,50,00 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिलक्षित है। कृषि विभाग की प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना में कार्यरत किसान सहायकों तथा कृषि प्रसार संगणकों को मोटरवाहन (आयोजनागत) के मद में 25,00 की कमी तथा चिकित्सा विभाग की सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रशिक्षण परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को मोटर वाहन (आयोजनागत) मद में 5,00 (अर्थात् कुल 30,00 की कमी) भारत सरकार से स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण परिलक्षित है। उक्त न्यूनाधिकताओं को समायोजित करने के उपरान्त कुल 4,87,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

7615--विविध उधार (+5,00,00)--

पी० सी० एफ की ओर से रिजर्व बैंक को कैश क्रेडिट के विरुद्ध वकाया भुगतान हेतु 5,00,00 की व्यवस्था के कारण वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में विभिन्न मदों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :-

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनेतर
01--वेतन	1,93
03-- महंगाई भत्ता	1,80
04-- यात्रा भत्ता	20
05-- अन्य भत्ते	35
06-- कार्यालय व्यय	20
07-- टेलीफोन पर व्यय	15
09-- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	20
32-- अन्तरिम सहायता	60
33-- अन्य व्यय	10
	योग
	5,53

अनुदान संख्या--55

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 1,81,95,44, (1,81,81,07 मतदेय तथा 14,37 भारित) की है, जबकि गतवर्ष की मूल मांग 1,19,14,94, (1,19,00,57 मतदेय तथा 14,37 भारित) की थी। इस प्रकार मतदेय में 62,80,50 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :-

राजस्व लेखा--

2071--पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ-- (+62,80,50)--

अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते में 38,10,00 की पेंशनों का रूपांतरित मूल्य में 6,10,00 की अनुकम्पा पूर्ण भत्ता में 8,00,00 की, उपदान में 10,30,00 की तथा विधायकों की पेंशनमें--राज्य विधान मण्डल के सदस्यों में 30,50 की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अनुमानित है।

अनुदान संख्या-56

वित्त विभाग (राजकोष और लेखा प्रशासन)

आयोजने तर--

राजस्व लेखा--

आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में कुल मांग 8,74,79 की है जबकि गत वर्ष 1988-89 में यह मांग 8,15,82 थी। इस प्रकार कुल 58,97 की वृद्धि अनुमानित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

003--प्रशिक्षण--01--वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान (+1,32)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, पेट्रोल की खरीद, मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र एवं अनुरक्षण की मद में क्रमशः 87,99,100, 10, 15 एवं 30 की वृद्धि अनुमानित है तथा वेतन एवं अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 205 एवं 4 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 1,32 की वृद्धि अनुमानित है।

095--लेखा और राजकोष निदेशालय--01--कोषागार निदेशालय (-26)--]

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, पेट्रोल की खरीद, किराया उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व एवं अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 48,14,50,15, 40 एवं 34 की वृद्धि अनुमानित है तथा वेतन एवं गाड़ियों का क्रय की मद में क्रमशः 112 एवं 115 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 26 की कमी अनुमानित है।

095--लेखा और राजकोष निदेशालय--02--विभागीय लेखा (+3,60)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, पेट्रोल की खरीद, लघु निर्माण कार्य, अनुरक्षण, अन्तरिम सहायता तथा आय की मदों में क्रमशः 5, 100, 26, 5, 52, 3, 15, 60, 40, 53 एवं 1 की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 3,60 की वृद्धि अनुमानित है।

097--राजकोष स्थापना--01--मुख्य (+30,34)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, गाड़ियों का क्रय, पेट्रोल की खरीद, किराया उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व, अनुरक्षण एवं अन्य व्यय की मद में क्रमशः 613, 2004, 285, 102, 740, 78, 205, 135, 290, 50 एवं 203 की वृद्धि अनुमानित है तथा मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र एवं अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 1209, एवं 362 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 30, 34 की वृद्धि अनुमानित है।

097--राजकोष स्थापना--02--अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश के उप कोषागारों की स्थापना--(-4,10)

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर यात्रा व्यय की मद में 15 की वृद्धि अनुमानित है तथा कार्यालय व्यय, मशीनें तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र एवं अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 210, 100 एवं 115 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 4,10 की कमी अनुमानित है।

पूंजी लेखा--

4059--सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (+28,07)--

प्रदेश के कोषागारों/उप-कोषागारों हेतु भवनों का निर्माण, एवं कोषागारों/उपकोषागारों हेतु गार्डरूम तथा पेंशनसूचक आदि के निर्माण की मद में क्रमशः 750 एवं 2057 की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार इस उपशीर्षक के अन्तर्गत समग्र रूप से 28,07 की वृद्धि अनुमानित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में व्यय को विभिन्न मदों हेतु व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है—

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	धनराशि
राजस्व लेखा—		
01	वेतन	3,26,43
03	गर्हगाई भत्ता	2,79,46
04	यात्रा व्यय	16,49
05	अन्य भत्ते	31,11
06	कार्यालय व्यय	49,72
07	टेलीफोन पर व्यय	4,36
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	9,05
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	3,28
11	किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामित्व	4,49
19	लघु निर्माण कार्य	60
20	मशीन सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	1,01
22	अनुरक्षण	4,40
32	अन्तरिम सहायता	1,01,25
33	अन्य व्यय	12,07
योग		8,43,72
पूँजी लेखा—		
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय		
04--नवम वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन		
0401	कोषागारों/उप-कोषागारी हेतु भवन का निर्माण	7,50
0402	कोषागारों/उप-कोषागारों हेतु गार्डरूम तथा पेशनसं कक्ष आदि का निर्माण	20,57
201	भूमि अधिग्रहण 01 कोषागारों/उपकोषागारों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था,	3,00
योग		31,07
कुल योग		8,74,79

अनुदान संख्या-57

वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग 1,26,82,11 (मतदेय) की है जो विगत वर्ष के कुल प्राविधान 69,84,11 से 56,98,00 अधिक है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है—

2070--अन्य प्रशासनिक सेवा-800--अन्य व्यय-01--लाटरी निदेशानुय" पर कुल मिलाकर (-8,33) की कमी हुई है, जो मुख्यतः कार्यालय व्यय व मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद की मदों में 13,01 की कमी व वेतन, गर्हगाई भत्ता, यात्रा व्यय अन्य भत्ते, टेलीफोन पर व्यय व अन्तरिम सहायता की मदों में कुल 4,68 की वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्याशित है।

2075--विविध सामान्य सेवाएं--103--राज्य लाटरियों में कुल मिलाकर (+56,26,95) की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः विज्ञापन, बिक्री तथा प्रख्यापन व्यय, इनाम व बोनस की दरों में वृद्धि तथा लाटरी की आय में अनुमानित वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्याशित है।

2075--विविध सामान्य सेवाएं--797--आरक्षित निधियों और निक्षेप लेखा को अन्तरण-01--स्टेट लाटरी को शुद्ध प्राप्ति से वित्तिका निधि को संक्रमण में (+79,38) की वृद्धि लाटरी की सकल आय में अनुमानित वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्याशित है।

इस प्रकार कुल मिलाकर इस अनुदान के अन्तर्गत (+56,98,00) की वृद्धि प्रदर्शित है। इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य व्यय आदि मदों के लिए निर्धारित के अनुसार व्यवस्था की गयी है:—

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	घनराशि
01	वेतन	11,80
03	महंगाई भत्ता	12,46
04	यात्रा व्यय	1,00
05	अन्य भत्ते	1,50
06	कार्यालय व्यय	12,00
07	टेलीफोन पर व्यय	60
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	75
13	विज्ञापन, बिक्री तथा प्रख्यापन व्यय	27,07,51
29	अन्तर्लेखा संकमण	6,06,96
32	अन्तरिम सहायता	4,27
33	अन्य व्यय	93,23,26
योग ..		1,26,82,11

अनुदान संख्या-58

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प वचत आदि)

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के मूल अनुमानों 15,62,94 (मतदेय 15,62,90 तथा भारित 4) की तुलना में वर्ष 1989-90 में 18,24,12 (मतदेय 18,24,08 तथा भारित 4) के अनुमान रखे जाने के कारण कुल 2,61,18 की वृद्धि प्रत्याशित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

राजस्वलेखा (+2,61,18)—

आयोगेतर पक्ष में वित्त विभाग के अधीन विभिन्न सेवाओं से सम्बद्ध कर्मचारी वर्ग के लिये वेतन महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि मदों के अन्तर्गत वास्तविकता के आधार पर निम्नलिखित शीर्षकों में कुल 2,56,35 की वृद्धि प्रत्याशित है

2047—अन्य राजकोषीय सेवायें	(+18,19)
2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	(+18,46)
2054—राजकोष और लेखा प्रशासन	(+76,77)
2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	(+42)
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(+50)
2425—सहकारिता	(-1,38,50)
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	(+3,51)
					(+2,56,35)

आयोजनागत पक्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अधीन कुल 4,83 की वृद्धि प्रत्याशित है :

2047—अन्य राजकोषीय सेवायें	(+1,83)
2425—सहकारिता	(+3,00)
योग ..					(+4,83)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन महंगाई भत्ता आदि मदों के व्यय की गयी कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
राजस्व लेखा—				
01--	वेतन	74,42	4,76,07	5,50,49
03--	महंगाई भत्ता	65,08	51,00	5,75,08
04--	यात्रा व्यय	6,47	43,67	50,14
05--	अन्य भत्ते	4,89	70,18	75,07
06--	कार्यालय व्यय	12,15	53,97	66,12
07--	टेलीफोन पर व्यय	3,55	2,61	6,16
08--	मोटर गाड़ियों का क्रय	1,30	8,40	9,70
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	5,61	12,34	17,95
11--	किराया, उपशुल्क एवं कर	3,60	15,24	18,84
13--	विज्ञापन, बिक्री और विख्यपित	6,60	30,00	36,60
19--	लघु निर्माण कार्य	1,45	1,45
20--	मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	7,88	7,88
23--	अनुरक्षण	2,20	2,20	..
32--	अन्तरिम सहायता	19,30	1,51,47	1,70,77
33--	अन्य व्यय	2,04,84	30,79	2,35,63
			4	4
			4	4
योग, राजस्व लेखा		4,07,81	14,16,27	18,24,08
	{ मतदेय	4	4
	{ भारत

अनुदान संख्या-59

वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

इस अनुदान के अन्तर्गत 1988-89 के आय-व्ययक में कुल 14,78,59 (मतदेय 12,72 व भारत 14,65,87) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में कुल 17,03,76 (मतदेय 14,07 व भारत 16,89,69) की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कुल 2,25,17 की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

2049--व्याज संवाय (भारित) (+ 2,23,82)--

आयोजनेतर--

उक्त योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की वचत निधि में जमा धनराशि में वृद्धितथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण 2,23,82 की वृद्धि अनुमानित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (—1,35)--

आयोजनेतर--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण वेतन में 16, महंगाई भत्ते की दरों वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते में 97, अन्य भत्ते में 2 की, सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय में 10 की, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 10 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन तथा भत्ते आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है --

(हजार रुपयों में)

मानक मद	घनराशि
01- - वेतन	3,56
03- - महंगाई भत्ता	3,89
04- - यात्रा व्यय	12
05- - अन्य भत्ते	55
06- - कार्यालय व्यय	2,45
07- - टेलीफोन पर व्यय	8
09- - मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	20
14- - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,00
26- - व्याज लाभांश	16,89,69
32- - अन्तरिम सहायता	1,20
33- - अन्य व्यय	2
योग	17,03,76

अनुदान संख्या-60

विधान परिषद् सचिवालय

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 1,74,28 (1,70,61 मतदेय एवं 3,67 भारित) की जबकि गत वर्ष की कुल मांग 1,67,85 (1,64,18 मतदेय एवं 3,67 भारित) की थी। इस प्रकार यहाँ पर कुल 6.43 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व स्रोत--

आयोजनोत्तर--

2011-संसद / राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधान मण्डल--

103-विधान मण्डल सचिवालय--

01-विधान परिषद् सचिवालय (+ 6,43)--

वास्तविक आवश्यकता परिगणना एवं व्यय की प्रगति को आधार पर वेतन में 82, की, महंगाई भत्ते में 1,00 की यात्रा व्यय में 30 की, अन्य भत्ते में -86 की एवं अन्तरिम सहायता में 1,90 की वृद्धि हुई है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्ययों में 15 की तथा दरों में वृद्धि के कारण टेलीफोन पर व्यय में 20 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान खजाने की दिये जा रहे अनुदान की राशि में वृद्धि (जैसाकि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनोत्तर में उल्लिखित है) के फल-स्वरूप सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 1,20 की वृद्धि हुई है। इस तरह यहाँ पर कुल 6,43 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्नवत् है :--

मानक मद	मतदेय	भारित	योग
01-वेतन	32,31	24	32,55
03-महंगाई भत्ता	19,00	..	19,00
04-यात्रा व्यय	63,30	1,50	64,80
05-अन्य भत्ते	33,50	77	34,27
06-कार्यालय व्यय	6,95	6	7,01
07-टेलीफोन पर व्यय	4,60	50	5,10
09-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,35	60	1,95
14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,05	..	2,05
32-अन्तरिम सहायता	6,80	..	6,80
33-अन्य व्यय	75	..	75
योग	1,70,61	3,67	1,74,28

अनुदान संख्या-61

विधान सभा सचिवालय

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष की कुल मांग 6,58,06 (6,49,48 मतदेय एवं 8,58 भारत) की है जबकि गत वर्ष की मूल मांग 6,22,02 (6,16,18 मतदेय एवं 5,84 भारत) की थी। इस प्रकार यहां पर कुल 36,04 की वृद्धि प्रदर्शित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व व्यय--

आयोजनेतर--

2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल--

101--विधान सभा (+14,39)--

माननीय सदस्यों के अधिक संख्या में मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने से यहां पर वेतन (मतदेय) में 1,43 की कमी हुई है। निःशुल्क रेलवे कूपन की धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के कारण यात्रा व्यय (मतदेय) में 13,10 की वृद्धि तथा माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा मुख्यालय के बाहर सार्वजनिक हित में अधिक यात्रा करने से भारत में 57 की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों के अधिक संख्या में मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने से अन्य भत्ते (मतदेय) में 5,33 की कमी हुई है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यालय मतदेय में 5 एवं भारत में 7 की वृद्धि अप्रत्याशित है। टेलीफोन की संख्या तथा टेलीफोन किराये की दर में वृद्धि के कारण टेलीफोन पर व्यय मतदेय में 6,81 एवं भारत में 70 की वृद्धि परिलक्षित है। बजट वर्ष में गाड़ी न क्रय किये जाने से गाड़ियों के क्रय मतदेय में 2,40 की कमी तथा भारत में एक गाड़ी के प्रतिस्थापनार्थ व्यवस्था करने से 1,30 की वृद्धि हुई है। गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद मतदेय में 30 तथा भारत में 10 की वृद्धि का कारण अनुरक्षण में अधिक व्यय होगा तथा गाड़ियों का अधिक प्रयोग किया जाना है। विवेकानुदान की राशि में वृद्धि किये जाने से सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 55 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस तरह न्यूनताधिकताओं को समायोजित करते हुये यहां पर 14,39 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

103--विधान मण्डल सचिवालय--

01--विधान सभा सचिवालय (+21,53)--

वास्तविक आवश्यकता, गणना एवं व्यय की प्रगति के आधार पर वेतन में 1,80 की, महंगाई भत्ते में 3,98 की, अन्तरिम सहायता में 9 की वृद्धि तथा एक माह के बराबर मानदेय देने की व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने से अन्य भत्ते में 3,22 की कमी हुई है। समितियों द्वारा लखनऊ के बाहर अधिक बैठक/यात्रा करने से यात्रा व्यय में 50 की वृद्धि प्रदर्शित है। टेलीफोन के किराये में वृद्धि के कारण टेलीफोन पर व्यय में 27 की तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यालय व्यय में 1,88 की वृद्धि हुई है। विधान सभा मण्डप की टूटि पूर्ण ध्वनि प्रणाली में सुधार हेतु धन की व्यवस्था (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनेतर में उल्लिखित है) के फलस्वरूप अनुरक्षण में 16,23 की वृद्धि प्रत्याशित है। न्यूनताधिकताओं को समायोजित करते हुये यहां पर कुल 21,53 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

2059--लोक निर्माण (+1)--

विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा की दृष्टि से भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रतीक व्यवस्था की गई है अतः 1, की वृद्धि प्रत्याशित है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+11)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 11 की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	मतदेय	भारत	योग
01	वेतन	87,05	28	87,33
03	महंगाई भत्ता	40,11		40,11
04	यात्रा व्यय	2,71,69	2,35	2,74,04
05	अन्य भत्ते	1,60,36	1,45	1,61,81
06	कार्यालय व्यय	15,37	60	15,97
07	टेलीफोन पर व्यय	40,27	2,00	42,27
08	मोटर गाड़ियों का क्रय		1,30	1,30
09	अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,40	60	2,00
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	76		76
23	अनुरक्षण	16,24		16,24
32	अन्तरिम सहायता	15,00		15,00
33	अन्य व्यय	1,23		1,23
	योग	6,49,48	8,58	6,58,06

अनुदान संख्या—62

निर्वाची एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

इस अनुदान में कुल 1,00,00 की कमी प्रत्याशित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

7610—सरकारी सेवकों आदि को उधार (+ 1,00,00)—

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/पूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण के मद में 50,00 तथा वाहनों की खरीद के लिये ऋण के मद में 50,00 अर्थात् कुल 1,00,00 की वृद्धि है ।

7615—विविध उधार (- 2,00,00)—

लेखा शीर्षक 7610— सरकारी सेवकों आदि को उधार के अन्तर्गत प्राविधान किये जाने के कारण 2,00,00 की कमी है ।

अनुदान संख्या—63

विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत प्राय-व्ययक वर्ष की कूल मांग 6,81,55 की है जबकि गत वर्ष यह मांग 6,47,57 की थी। इस प्रकार 33,98 की अधिक व्यवस्था हुई है। न्यूनधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

आयोजनेतर (+18,22)—

आयोजनागत (+15,76)—

आयोजनेतर (+18,22)—

2215—जल पूर्ति और सफाई— (+3,20)—

02—जल निकासी और सफाई—001—निवेश और प्रशासन—

01—पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निवेशालय (+3,20)—

वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वेतन में 55 की अधिक व्यवस्था सम्मिलित है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 1,39, यात्रा व्यय में 35 व अन्य भत्ते में 25 का अधिक प्राविधान किया गया है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्यय में 20, टेलीफोन पर व्यय में 3, पीओ एल0 में 2, मगोन और सजा/उपकरण और संयंत्र में 10, अन्तरिम सहायता में 15 एवं अन्य व्यय में भी 15 की वृद्धियां की गई हैं।

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+1)—

सरकारी भावेष्य निधि से लम्बक बीमा योजना का लाभ देने हेतु यहां 1, की प्रतीक व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (+15,01)—

60—अन्य—001—निवेश और प्रशासन—

01—उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल - (+7,43)—

वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वेतन में 86 की अधिक व्यवस्था की गई है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 3,55 व अन्य भत्ते में 1,85 का अधिक प्राविधान किया गया है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पीओएल0 में 10, अनुरक्षण में 20, अन्तरिम सहायता में 72 एवं अन्य व्यय में 15 की वृद्धियां की गई हैं।

004—अनुसंधान और विकास—

01—30 प्र0 राजकीय वेधशाला नैनीताल तथा उसका सुवृद्धीकरण—यहां हो रही व्यवस्था को लेखा वर्गीकरण के आधार पर लघु शीर्षक “001—निवेश और प्रशासन” में प्रदर्शित किया गया है।

200—अन्य वैज्ञानिक निकायों की सहायता - (+7,58)—

उत्तर प्रदेश राज्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् को अनुदान देने हेतु 3,83 की अधिक व्यवस्था वहां के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियां देने के फलस्वरूप एवं बढ़ी दरों पर महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं अन्य भत्ता इत्यादि देने के फलस्वरूप की गई है। इसी आधार पर रिमोट सेंसिंग एजेन्सी के अनुदान में भी 3,75 का अधिक प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत (+15,76)—

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर इस अनुदान के अधीन “3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान” नामक उपशीर्षक में 7,76 एवं “3451—सचिवालय आर्थिक सेवार्थ” नामक उपशीर्षक में 9,00 का अधिक प्राविधान किया गया है। दूसरी ओर “2215—जल पूर्ति और सफाई” के अधीन 1,00 की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई है।

इस अनुदान के प्रत्येक वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्ता आदि इकाइयों में की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजाररूपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	4,14	18,36	22,50
03	महंगाई भत्ता	4,20	20,20	24,40
04	यात्रा व्यय	87	1,34	2,21
05	अन्य भत्ते	1,12	4,70	5,82
06	कार्यालय व्यय	1,39	4,25	5,64
07	टेलीफोन पर व्यय	34	31	65
08	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	90	88	1,78
10	व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	50	..	50
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	60	..	60
12	प्रकाशन	35	..	35
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	3,84,00	45,14	4,29,14
15	छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन	..	43	43
16	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	7	..	7
19	लघु निर्माण कार्य	10	..	10
20	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	22,90	35	23,25
23	अनुरक्षण	30	1,00	1,30
32	अन्तरिम सहायता	1,37	5,97	7,34
33	अन्य व्यय	1,53,61	1,85	1,55,46
104	सरकारी भविष्य निधि जमा से सम्बद्ध बीमा योजना	..	1	1
योग		5,76,76	1,04,79	6,81,55

अनुदान संख्या-64

शिक्षा विभाग, (उच्च शिक्षा)

गत वर्ष के 97,16,97 की तुलना में आय-व्यय वर्ष का अनुदान 1,15,19,71 का है। इस प्रकार 13,42,74 की वृद्धि है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर (+10,12,59) -- 2202 -- सामान्य शिक्षा --

03 -- विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा --

001 -- निदेशन और प्रशासन -- (+8,36) --

01 -- उच्च शिक्षा निदेशालय (+6,67) -- उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय अन्तरिम सहायता के मानक मदों के अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यकता के आधार पर करने तथा कार्यालय व्यय लघु निर्माण कार्य, अनुरक्षण के तद में मुख्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सामान्य वृद्धि करने के कारण है।

02 -- उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यालय लेखा संगठन -- (+1,35) -- उपर्युक्त कारणों के आधार पर 1,35 की वृद्धि हुई है।

03 -- उच्च शिक्षा विभाग का लेखा संगठन (+34) --
उपर्युक्त कारणों से 34 की वृद्धि है।

102 -- विश्वविद्यालयों की सहायता -- (+1,71,16) -- इसके अन्तर्गत इसहाबाद विश्वविद्यालय को 33,25 लखनऊ विश्वविद्यालय को 48,29, आगरा विश्वविद्यालय को 5,00, मोरारजी विश्वविद्यालय को 15,86, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय को 22,07, मेरठ विश्वविद्यालय को 10,26, काशी वेद्यापीठ को 8,12, कुमायू विश्वविद्यालय को 14,20, दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय को 11,04, दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय अभियंत्रण संस्थान को 7,50, कला एवं शिल्प महाविद्यालय को 1,53, प्राविधिक शिक्षा संस्थान दयालबाग को 4,38 एवं पूर्ववर्त विश्वविद्यालय को 1, की प्रतीक व्यवस्था वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस आदि मदों में आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था करने के कारण वृद्धि हुई है जबकि गढ़वाल विश्वविद्यालय की अनुमानित आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप 10,35, की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार 1,71,16 की वृद्धि सामान्य वृद्धि के कारण हुई है।

103--सरकारी महाविद्यालय और संस्थायें--(+93,86)--इस मद में 93,86 की वृद्धि वेतन आदि मदों में सामान्य वृद्धि के साथ-साथ बोनस तथा अन्तरिम सहायता के मद का प्राविधान वेतन के मानक मद में करने के कारण है।

104--गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता--(+7,37,34)--गैर सरकारी कालेजों के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन में सामान्य वृद्धि, बोनस, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता, पेंशन एवं ग्रेज्यूटी के मद में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त व्यवस्था करने के कारण 7,37,34 की वृद्धि परिलक्षित है।

800--अन्य व्यय--(+1,87)--उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के प्राविधान में 1,50 तथा पब्लिक लाईब्रेरी, इलाहाबाद के व्यय में 37 की वृद्धि आवश्यकतानुसार सामान्य वृद्धि देने के कारण 1,87 की वृद्धि हुई है।

आयोजनागत--(+7,90,15)--आवृत्ति परिव्यय के परिप्रेष्य में आय-व्ययक में गत वर्ष की अपेक्षा 7,90,15 की वृद्धि है। इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि के लिये की गई व्यवस्था निम्नलिखित है।

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनात्तर	योग
01--वेतन	..	3,43,60	3,43,60
03--महंगाई भत्ता	..	3,32,07	3,32,07
04--यात्रा व्यय	..	7,54	7,54
05--अन्य भत्ते	..	35,23	35,23
06--कार्यालय व्यय	..	18,33	18,33
07--टेलीफोन व्यय	..	1,14	1,14
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	30	30
11--किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	..	3,95	3,95
12--प्रकाशन	..	40	40
14--सहायक अनुदान	3,01,65	93,50,63	96,52,28
15--छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	9,70	73,59	83,29
19--त्व निर्माण कार्य	5,00	6,01	11,01
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	8,60	8,60
23--अनुरक्षण	..	5,25	5,25
32--अन्तरिम सहायता	..	1,01,81	1,01,81
33--अन्य व्यय	1,86,00	5,78	1,91,78
योग, 2202-सामान्य शिक्षा	5,02,35	1,02,94,23	1,07,96,58
मत्तदेय भारत	..	1	1
2013--मंति-परिषद्			
उच्च शिक्षा मंत्री का विवेकाधीन अनुदान	..	50	50
2049--व्याज संदाय			
26--व्याज/लाभांश	..	55,84	55,84
2204--खेल और युवा कल्याण			
102--विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम	..		
33--अन्य व्यय	49,02	93,60	1,42,62
01--छात्र कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	50,00	..	50,00
797--रक्षित निधियों तथा लेखे का संक्रमण--			
01--उ०प्र० छात्र कल्याण निधि को संक्रमण--	..		
29--अन्तर्लेखा संक्रमण	5,00,00	..	5,00,00
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--			
01--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
33--अन्य व्यय	..	1	1
की नैषा--			
6202--शिक्षा, खेल कला और संस्कृति के लिये उधार--			
203--विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा--			
01--भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों को ऋण--	..		
24--निवेश/ऋण	..	30,00	30,00
कुल योग	11,01,37	1,04,18,34	1,15,19,71
मत्तदेय भारत	..	55,85	55,85

[अनुदान संख्या--65]

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान के अन्तर्गत वर्षों का कुल मांग 4,85,47,52 (4,58,36,97 मतदेय तथा 27,10,55 भारित) है। इसके विपरीत गत वर्ष इस अनुदान के अन्तर्गत 3,93,08,91 (3,86,74,76 मतदेय तथा 6,34,15 भारित) की मांग सम्मिलित थी। इस प्रकार कुल 92,38,61 की अधिक व्यवस्था की गयी है, न्यूनधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :-

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--

2202--सामान्य शिक्षा--02--माध्यमिक शिक्षा--

001--निदेशन और प्रशासन-- (+10,93)--

01--निदेशन का अधिष्ठान--(+5,68)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन मद में 4,05 की कमी तथा महंगाई भत्ते यात्रा व्यय एवं अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण क्रमशः 5,13 की, 52 की और 3,75 की वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए कार्यालय व्यय में 36, की, टेलीफोन पर व्यय में 2 की, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 5, की तथा प्रकाशन में 4, की अधिक व्यवस्था की गयी है। आवश्यकतानुसार अनुरक्षण में 14, की कमी कर दी गयी है। इस प्रकार यहाँ कुल 5,68 की अधिक व्यवस्था की जा रही है।

02--माध्यमिक शिक्षा विभाग का लेखा संगठन--(+5,25)--आवश्यकतानुसार वेतन मद में 22, को कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 4,56 की, यात्रा व्यय में 8, की, अन्य भत्ते में 55 की तथा आवश्यकता को देखते हुए अन्तरिम सहायता में 28 की वृद्धि की गयी है। इस प्रकार यहाँ कुल 5,25 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

101--निरीक्षण-- (+30,34)--

01--क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारिवर्ग (पुरुष)--(+26,72)--वेतन मद में आवश्यकतानुसार 1,72 की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 22,04 की, यात्रा व्यय में 60 की, अन्य भत्ते में 2,59 की तथा मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए देनी होने पर 50 की, किराया उपशुल्क कर स्वामिस्व में 36 की तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अन्तरिम सहायता में 2,35 की अधिक व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार कुल 26,72 की वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।

02--क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारिवर्ग (महिलायें)--(+3,62)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 29 को कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 2,65 की, यात्रा व्यय में 15 की, अन्य भत्ते में 72 की एवं आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 39 की व्यवस्था अधिक कर दी गयी है। इस प्रकार यहाँ कुल 3,62 की वृद्धि दिखायी गयी है।

104--शिक्षक और अन्य सेवायें--(+10,79)--

01--प्रचारित विज्ञान सेवा आयोग तथा चयन बोर्डों की स्थापना--

14--सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता--(+9,72)--मुख्यतः कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन अन्तरिम सहायता देना होने के कारण अतिरिक्त दी गयी महंगाई भत्ता के परिप्रेक्ष्य में 9,72 की वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।

03--शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रचार योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय में कार्यन्तुभव अध्यापकों की नियुक्ति--(+1,07)--वेतन मद में आवश्यकतानुसार 7 की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते में, 86 की, यात्रा व्यय में 1 की तथा अन्य भत्ते में 19 की एवं आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता की मद में 8 की व्यवस्था अधिक की गयी है। इस प्रकार कुल 1,07 की व्यवस्था अधिक की गयी है।

105--शिक्षकों का प्रशिक्षण--(+25,20)--

01--राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (पुरुष) (+3,04)--वास्तविकता के आधार पर वेतन में 17 की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 2,11 की, यात्रा व्यय में 4 की एवं अन्य भत्ते में 83 की वृद्धि हुई है। आवश्यकता अनुसार अन्तरिम सहायता में 22 की तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण अन्य व्यय में 1, की व्यवस्था अधिक की गयी है। इस प्रकार यहाँ कुल 3,04 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

02--राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (महिलायें)--(+2,60)--वेतन मद में वास्तविकता के आधार पर 14 की कमी वेतन मद में तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 1,75 की, यात्रा व्यय में 1, की अन्य भत्ते में 80 की एवं आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 18 की व्यवस्था अधिक हो रही है। इस प्रकार यहाँ कुल 2,60 की वृद्धि हो रही है।

03--राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण, महाविद्यालयों का सुदृढीकरण--(+3)--अतिरिक्त दी गयी महंगाई भत्ता का कर्त्तव्य के परिप्रेक्ष्य में 2, की तथा आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 1 की व्यवस्था अधिक की गयी है। इस प्रकार कुल 3, की वृद्धि दिखायी दे रही है।

04--अवर उच्च विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) तथा दोषा विद्यालयों (नार्मल स्कूल) में कृषि को अनिवार्य विषय बनकर उनका अभिनवीकरण की योजना--(+17,00)--वेतन में आवश्यकतानुसार 1,26 की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्ते में क्रमशः 16,12 की, 17 की, तथा 26 की अधिक व्यवस्था की गई है और अन्तरिम सहायता में 1,71 की वृद्धि वास्तविकता के आधार पर की गयी है। इस प्रकार कुल 17,00 की वृद्धि दृष्टिगोचर है।

05—गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता—

0501—शारीरिक—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+33)—मुख्यतः वार्षिक वेतन वृद्धियों, बोनस महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा यात्रा व्यय की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप 33, की वृद्धि दिखायी दे रही है।

0502—सामान्य—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (+1,58)—मुख्यतः उद्युक्त अंकित कारणों से यहां भी कुल [1,58 की वृद्धि हो रही है।

08—पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र -- (+62)—आवश्यकतानुसार वेतन में 6, की कमी व अन्तरिम सहायता में 7, की वृद्धि तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की देय अतिरिक्त किस्तों के परिप्रेक्ष्य में महंगाई भत्ता में 61, की अधिक व्यवस्था की जा रही है।

107—छात्रवृत्तियां— (+49)—

25—डफरित तथा मेरिना कालेज, कलकत्ता के प्रशिक्षणार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां—

15—छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन— (+49)—यहां आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये 49 की वृद्धि कर दी गयी है।

108—परीक्षाएँ— (+51,34)—

01—माध्यमिक शिक्षा परिषद्— (+48,62)—वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 98 की कमी एवं दरों में वृद्धि के कारण, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय में क्रमशः 86 की, 12,59 की, 5,30 की एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय, प्रकाशन व अन्य में क्रमशः 1,76, की, 6,95 की तथा 20,79 की वृद्धि कर दी गयी है और आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 1,35 की अधिक व्यवस्था की जा रही है।

02—माध्यमिक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना— (+2,96)—आवश्यकतानुसार वेतन में 14 की कमी दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्ते में क्रमशः 1,95 की, 16 की व 77 की वृद्धि की गयी है। मूल्यों में वृद्धि के कारण लघु निर्माण कार्य में 1, की तथा आवश्यकता को देखते हुये अन्तरिम सहायता में 21 की अधिक व्यवस्था हो रही है।

03—पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना— (+24)—आवश्यकतानुसार वेतन में 91 की कमी व यात्रा व्यय में 6 की कमी तथा विज्ञापन, विक्री और विख्यापन व्यय में अन्यत्र व्यवस्था किये जाने के कारण 1,40 की कमी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते में क्रमशः 25 की व 27 की अधिक व्यवस्था की गयी है। मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा प्रकाशन में क्रमशः 2 की तथा 1,26 की वृद्धि की गयी है। आवश्यकता को देखते हुये अन्तरिम सहायता में 33 की वृद्धि की जा रही है।

109—सरकारी माध्यमिक विद्यालय (+5,04,37)—

01—बालक— (+2,93,60)—आवश्यकता को देखते हुये वेतन मद में 17,15 की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते में क्रमशः 2,20,00 की 3,25 की तथा 5,91 की अधिक व्यवस्था की गयी है। आवश्यकतानुसार मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र अनुरक्षण तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 45,36 की, 12,76 की व 23,47 की वृद्धि कर दी गयी है।

02—बालिका— (+2,10,68)—सामान्य वृद्धियों एवं "बोनस" के कारण वेतन में 82,77 की तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्तों में क्रमशः 92,95 की, 92 की तथा 2,64 की, अधिक व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकतानुसार मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र, अनुरक्षण तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 15,12 की, 6,38 की व 9,90 की वृद्धि की जा रही है।

08—आवासीय विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक सेवा की व्यवस्था (+9)—दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 5, की तथा अन्य भत्ते में 3, की व आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 1, की वृद्धि कर दी गयी है।

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता— (+56,43,01)—

01—गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान (बालक)— (+52,23,26)—

0101—आवर्तक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+52,23,23)—मुख्यतः कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने, बोनस, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते की दरों में बढ़ोतरी होने के कारण कुल 52, 23,23 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

0120—अनावर्तक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+3)—मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए यहां 3, की अधिक व्यवस्था की गयी है।

02—गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान (बालिका)— (+3,76,83)—

0201—आवर्तक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+3,76,81)—मुख्यतः कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने, बोनस, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के कारण कुल 3,76,81 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

6262—अनावर्तक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+2)—मूल्यों में वृद्धि के कारण यहां 2, की अधिक व्यवस्था की जा रही है।

03—पेंशन एवं प्रैच्युटी के लिये सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+32,92)—शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन राहत की सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पेंशनरों की संख्या में वृद्धि के कारण 32,92 की अधिक व्यवस्था हो रही है।

16—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+10,00)—सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अतः अनुमानित आवश्यकतानुसार 10,00 की व्यवस्था की गयी, जिसके कारण वृद्धि दिखायी दे रही है।

800—अन्य व्यय— (+60) —

09—आचार्य नरेन्द्र देव पुस्तकालय, लखनऊ को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (—15)—आवश्यकतानुसार 15, की कमी कर दी गयी है।

15—उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+1,40)—वृद्धतः कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देये जाने, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि होने के कारण यहां 1,40 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

16—सैनिक स्कूल सोसाइटी को उनके स्कूलों की प्रतरक्षण तथा संचालन निधि के लिए अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (-65)—आवश्यकतानुसार यहां 65 की कमी की गयी है।

05—भाषा विकास (+87,35) —

103—संस्कृत शिक्षा—

01—राजकीय संस्कृत पाठशाला— (+45)—आवश्यकतानुसार वेतन में 4, की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 5, की वृद्धि की गयी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 43, की तथा यात्रा व्यय में 1, की वृद्धि हो रही है।

02—संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+84,33)—वेतन में सामान्य वृद्धियों, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण यहां 84,33 की वृद्धि दिखायी दे रही है।

03—संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+7)—यह भारत सरकार को योजना है। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की सीमा तक अधिक व्यवस्था की गयी है।

05—उत्तर प्रदेश संस्कृत ग्रन्थालयों को सहायक अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— (+2,50)—शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनावर्तक अनुदान में 2,50 की वृद्धि की गयी है अतः इन सीमा तक वृद्धि दिखायी दे रही है।

2204—खल और युवा कल्याण— (+94,93) —

102—विद्यार्थियों के लिये युवक कल्याण कार्यक्रम— (+94,63) —

01—विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण— (+50)—आवश्यकतानुसार वेतन में 20, की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 10, की वृद्धि की गयी है। महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण 60, की व्यवस्था अधिक हो रही है।

02--शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोत्सति--

33--अन्य व्यय--(+8)--आवश्यकता को देखते हुए यहाँ 8, की व्यवस्था [अधिक की जा रही है।

03--राष्ट्रीय सेना छात्र ढल-- (+52,17)--वेतन मद में आवश्यकता को देखते हुए 5,39 की कमी कर दी गयी है। दरों में वृद्धि के कारण, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्ते में क्रमशः 19,96 की, 20 की, 28,67 की वृद्धि की गयी है। मूल्यों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में क्रमशः 24 की, 10 की तथा 1,05 की व्यवस्था अधिक की गयी है। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरिम सहायता में 1,42 की तथा अन्य व्यय 5,92 की वृद्धि हो रही है।

06--केंद्रीय कार्योन्मत्त / केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0601--नेशनल फिटनेस कौर योजना-- (+41,88)--आवश्यकतानुसार वेतन में 2,35 की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 1,73 की वृद्धि की गयी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय में क्रमशः 42,56 की, व 4, की अधिक व्यवस्था की गयी है। आवश्यकतानुसार मांग को देखते हुये 10, की कमी अन्य भत्ते में कर दी गयी है।

104--खेलकूद-- (+30)--

01--खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था (माध्यमिक)--(+3)--आवश्यकतानुसार वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 1 की, 1 की, तथा 1 की वृद्धि कर दी गयी है।

05--राज्य विद्यालय, क्रीड़ा संरक्षण पंजाब की स्थापना-- (+27)--सामान्य वृद्धियों को देखते हुए वेतन में 5, की तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 18, की और आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 4 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

2205--कला और संस्कृति-- (+2,78)--

[105--सार्वजनिक पुस्तकालय-- (+2,38)--

01--केंद्रीय राज्य पुस्तकालय-- (-89)--आवश्यकतानुसार वेतन में 6, की कमी दरों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते में क्रमशः 76 की, 1 की तथा 7 की व्यवस्था अधिक की गयी है। आवश्यकता को देखते हुए किराया उपभूक्त और कर रवामित्व में 3 की तथा अन्तरिम सहायता में 8 की वृद्धि कर दी गयी है।

02--इतदन्तः संग्रह के इतिहास की सूत्रोत्सर्ग प्रकाशन एवं प्रकाशन-- (+24)--आवश्यकता को देखते हुये वेतन में 2 की कमी तथा महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते, प्रकाशन तथा अन्तरिम सहायता में क्रमशः 15 की, 9 की, 1 की व 1, की व्यवस्था अधिक की जा रही है।

03--पुस्तकालय नीति एवं पद्धति का विकास-- (+15)--वेतन मद में आवश्यकता को देखते हुए 3, की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं अन्य भत्ते में क्रमशः 13 की, 2 की तथा 3 की वृद्धि हो रही है।

07--वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना (जिला योजना) 4,1,10--वेतन मद में 3 की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 4 की वृद्धि आवश्यकतानुसार की गयी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते में क्रमशः 36 की, 5 की तथा 26 की व्यवस्था अधिक हो रही है। मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए कार्यालय व्यय में 15 की तथा अन्य व्यय में 27 की वृद्धि की जा रही है।

107--संग्रहालय--

01--शैक्षिक संग्रहालय-- (+40)--आवश्यकतानुसार वेतन में 5, की महंगाई भत्ता में 29, की तथा अन्तरिम सहायता में 6 की वृद्धि की गयी है।

2049--व्याज संदाय (भारत)-- (+20,76,40)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 20,76,40 की अधि कव्यवस्था की जा रही है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+3,49)--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104--जमा से संबद्ध बीमा योजना--सरकारी अविध्व निधि--

01--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)--

33--अन्य व्यय-- (+1,99)--आवश्यकता को देखते हुए यहाँ 1,99 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

02--राष्ट्रीय सेना छात्र ढल निवेशकालय--

3--अन्य व्यय (+1,50)--वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,50 की अधिक व्यवस्था की जा रही है;

आयोजनागत-- (+6,96,59)--निर्धारित खान परिव्यय को देखते हुए आवश्यकतानुसार 6,96,59 की व्यवस्था अधिक की गयी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते आदि के लिये की गई कुल व्यय निम्न प्रकार है—
(हज़ार रुपया में)

मानक	सद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	41,90	32,45,19	32,87,09
02	मजदूरी	[1,80	[18,41	20,21
03	महंगाई भत्ता	33,60	29,56,43	29,90,03
04	यात्रा व्यय	4,52	1,28,29	[1,32,81
05	अन्य भत्ते	5,01	1,71,54	1,76,55
06	कार्यालय व्यय	19,32	1,59,03	1,78,35
07	टेलीफोन पर व्यय	83	6,51	[7,34
08	गाड़ियों का क्रय	19,80	..	19,80
09	मीटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	[1,36	39,38	40,74
11	किराया, शुल्क एवं कर स्वामित्व	15	22,41	22,56
12	प्रकाशन	..	1,73,12	1,73,12
13	विज्ञापन बिक्री और विख्यापन पर व्यय
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5,72,83	3,55,83,31	3,61,56,14
15	छात्रवृत्ति /छात्रवेतन	34,54	2,15,81	2,50,35
19	लघु निर्माण कार्य	25,39	9,23	34,62
20	मशीन और सज्जा/उपकरण आर संयंत्र	79,45	78,21	1,57,66
25	अनुरक्षण	..	1,00,52	1,00,52
32	अन्तरिम सहायता	10,92	9,32,81	9,43,73
33	अन्य व्यय	(मतदेय) (भारित) 3,80,41	6,09,95 55	9,90,36 55
योग		(मतदेय) (भारित) 12,31,83	4,44,50,15 55	4,56,81,98 55
2013	{ संतो परिषद्	..	[1,00	1,00
2049	ब्याज संदाय (भारित)	..	27,10,00	27,10,00
2235	समाजिक सुरक्षा और कल्याण
		..	3,50	3,50
योग, राजस्व लेखा		(मतदेय) (भारित) 12,31,83	4,44,54,65 27,10,55	4,56,86,48 27,10,55
4202	शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूजा परिषद
6202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उद्योग	1,17,49	..	1,17,49
5202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उद्योग	..	33,00	33,00
कुल योग		(मतदेय) (भारित) 13,49,32	4,44,87,65 27,10,55	4,58,36,97 27,10,55

अनुदान संख्या—66

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष हेतु कुल मांग 7,28,58,93 (मतदेय 6,90,25,92 तथा भारित 38,33,01) है। इसके विपरीत गत वर्ष की कुल मांग 5,47,91,35 (मतदेय 5,36,91,34 तथा भारित 11,00,01) थी। इस प्रकार 1,90,67,58 की अधिक व्यवस्था की गयी है। न्यूनताधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :--

आयोजनेतर--

2202--सामान्य शिक्षा--

01--प्राथमिक शिक्षा-001-निदेशन और प्रशासन - (+15,12)--

01--निदेशालय अधिष्ठान- (+9,85)--देय मान्य वेतन वृद्धियों तथा वेतन मद में बोनस हेतु व्यवस्था किये जाने; महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की गयी, किरायों में वृद्धि, सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद मद में वृद्धि, प्रकाशन, लघु निर्माण कार्य, मशीन और सज्जा / उपकरण और संयंत्र, अनुरक्षण तथा अन्तरिम सहायता हेतु 32 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर व्यवस्था किये जाने के कारण वेतन में 2,25, महंगाई भत्ते में 4,37 यात्रा व्यय में 25, कार्यालय व्यय में 10, तथा अन्तरिम सहायता मद में 47, एवं अन्य मदों में आवश्यकतानुसार 16, की वृद्धियां प्रदर्शित हैं।

02--प्राथमिक शिक्षा विभाग का लडा संगठन- (+4,88)--इस उप शीर्षक में ऊपर निदेशालय अधिष्ठान उप शीर्षक के समस्त अंकित कारणों से वेतन में 1,24, महंगाई भत्ते में 2,64, यात्रा व्यय में 13, अन्य भत्ते में 55, कार्यालय व्यय में 2 तथा अन्तरिम सहायता में 29, एवं अन्य व्यय में 1, की वृद्धियां दर्शायी गयी हैं।

03--जनसंख्या शिक्षा हेतु संभागीय कार्यालय की स्थापना- (+39)--इस हेतु भी उपरोक्त निदेशालय अधिष्ठान उप शीर्षक के समस्त अंकित कारणों से वेतन में 17, महंगाई भत्ते में 3, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 14, अन्तरिम सहायता में 4, की वृद्धियां हुई हैं।

053--इमारतों का अनुरक्षण- (--1,58,00)--वित्तीय वर्ष 1988-89 में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय भवनों, के रख-रखाव हेतु एक मुश्त प्राविधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस मद हेतु प्राविधान "102--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता" के अन्तर्गत प्रदर्शित है। अतः यहां 1,58,00 की कमी दर्शायी गयी है।

101--सरकारी प्राथमिक विद्यालय- (-4,54,40,22)--

01--राजकीय प्राथमिक विद्यालय (बालिकाएँ) (+13,47)--सामान्य वेतन वृद्धियों तथा वेतन मद में बोनस हेतु किये जाने महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता हेतु 32 प्रतिशत की दर से व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप वेतन में 3,72, महंगाई भत्ते में 8,52, यात्रा व्यय में 8, अन्य भत्ते में 58, कार्यालय व्यय में 5, लघु निर्माण कार्य मशीन सज्जा / उपकरण और संयंत्र एवं अनुरक्षण में 2-2 कुल 6, की तथा अन्तरिम सहायता में 46, की वृद्धि दर्शायी गयी है।

02--राजकीय प्राथमिक विद्यालय- (बालक)- (+1,01,22) इस मद हेतु वित्तीय वर्ष 1988-89 में 1,01,22 का प्राविधान किया गया था, परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 हेतु कोई मांग प्रस्तावित न होने के कारण 1,01,22 की कमी दर्शायी गयी है।

03--बेसिक शिक्षा परिषद् के मुख्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं के 0 जी 0 नर्सरी विद्यालयों की सहायता - (-4,53,52,47)--

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों की सहायता तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय कार्यालयों के लिए सहायता मदों हेतु आय-व्ययक अनुमान 1989-90 लघु शीर्षक "102- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता" के अन्तर्गत प्रदर्शित है। इसलि यहां 4,53,52,47 की कमी दर्शायी गयी है।

102--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता- (+5,31,53,97)--

07--बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों की साज-सज्जा हेतु एक मुश्त प्राविधान (+1,45,00)--उक्त मद हेतु वित्तीय वर्ष 1988-89 में उप शीर्षक--052--उपस्कर के अन्तर्गत 1,45,00 का प्राविधान किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष में 1,45,00 की एक मुश्त व्यवस्था उक्त उप शीर्षक में की गयी है। अतः यहां 1,45,00 की वृद्धि इस मद में दर्शायी गयी है।

08--बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों भवन के रख-रखाव हेतु एक मुश्त प्राविधान- (+1,58,00)--इस मद हेतु वित्तीय वर्ष 1988-89 में उप शीर्षक--053--इमारतों का अनुरक्षण के अन्तर्गत 1,58,00 की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष 1989-90 हेतु इस मद की व्यवस्था उक्त उप शीर्षक में करते हुए 1,58,00 की वृद्धि दर्शायी गयी है।

09--बैसिक शिक्षा परिषद् के मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं के 0 जी 0 /नर्सरी विद्यालयों को सहायता (+5,18,92, 93)--

वित्तीय वर्ष 1988-89 में इस मद हेतु 102-- "औपचारिक शिक्षा" के अन्तर्गत प्राविधान किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 1989-90 में इसकी व्यवस्था उक्त उपशीर्षक में करते हुए 5,18,92,93 की वृद्धि प्रदर्शित की गयी है।

21--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारियों के पेंशन/प्रेच्युटी की सुविधा हेतु अनुदान-(+9,58,04)-- वित्तीय वर्ष 1988-89 में इस मद हेतु 104-शिक्षक और अन्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है परन्तु वित्तीय वर्ष 1989-90 में इसकी व्यवस्था उक्त शीर्षक में करते हुए 9,58,04 की वृद्धि दर्शायी गयी है।

104--निरीक्षण (+87,79)--

01--क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग (पुरुष)--(+68,78)--लघु शीर्षक 101-निरीक्षण को कोड संख्या अब परिवर्तित होकर "104--निरीक्षण" हो गयी है। अतः सामान्य वेतन वृद्धियाँ तथा वेतन मद में बोनस हेतु व्यवस्था किये जाने सहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, भाड़े की दरों में बढ़ोत्तरी, सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि, पेट्रोल चार्ज में वृद्धि, मशीनों, उपकरणों एवं संयंत्रों के मूल्यों में वृद्धि तथा अंतरिम सहायता हेतु 32 प्रतिशत के आधार पर व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप वेतन में 16,64, महंगाई भत्ते में 41,88 यात्रा व्यय में 2,77, अन्य भत्ते में 6,14, कार्यालय व्यय में 24, टेलीफोन पर व्यय में 2, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में 4, किराया, उपशुल्क तथा कर स्वामिस्व में 1,32, लघु निर्माण कार्य, मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र, अनुरक्षण मदों में 2-2 कुल 6, की तथा अंतरिम सहायता में 3,42 की वृद्धि एवं मोटर गाड़ियों का क्रय मद में 3,75 की कमी दर्शायी गयी है।

02--क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी (महिलाएँ)--(+19,01)--उपरोक्त पुरुषों के उपशीर्षक में लिखित कारणों से यहां भी वेतन में 4,21, महंगाई भत्ते में 10,62 यात्रा व्यय में 92, अन्य भत्ते में 2,37, कार्यालय व्यय तथा मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में 1-1 कुल 2 एवं अंतरिम सहायता में 87, का अधिक प्राविधान किया गया।

106--शिक्षक और अन्य सेवाएँ--(-4,36,07)--

01--प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दीक्षा विद्यालयों, प्राथमिक शिक्षा क प्रसार में कार्यानुभव अध्यापकों की नियुक्ति (+3,19)--लघुशीर्षक "104-शिक्षक और अन्य सेवाएँ" को कोड संख्या बदल कर अब "106-शिक्षण और अन्य सेवाएँ" हो गयी है। इसलिये अब सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियाँ तथा वेतन में बोनस हेतु व्यवस्था किये जाने, महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने तथा अंतरिम सहायता हेतु 32 के आधार पर व्यवस्था के फलस्वरूप वेतन में 70, महंगाई भत्ते में 1,77 यात्रा व्यय में 4, अन्य भत्ते में 52, कार्यालय व्यय में 1, तथा अंतरिम सहायता में 15, की वृद्धियाँ प्रदर्शित है।

04--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों कर्मचारियों को पेंशन/प्रेच्युटी की सुविधा (-4,39,26)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद हेतु इस उपशीर्षक में 4,39,26 का प्राविधान किया गया था परन्तु अब इस उपशीर्षक हेतु "102-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-अ के अन्तर्गत व्यवस्था करते हुए 4,39,26 को कमी प्रदर्शित की गयी है।

107--शिक्षकों को प्रशिक्षण- (+1,32,65)--

1--पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (+44,)--लघु शीर्षक "106-शिक्षकों को प्रशिक्षण" की कोड संख्या बदल कर अब "107 शिक्षकों को प्रशिक्षण" हो गयी है। अतः अब सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धियाँ तथा वेतन में बोनस हेतु व्यवस्था किये जाने सहगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा अंतरिम सहायता हेतु के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप वेतन में 11, महंगाई भत्ता में 26, अन्य भत्ते में 5, अंतरिम सहायता में 2, की वृद्धियाँ प्रदर्शित है।

03--राजकीय प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष)--(+82,64)--इस उपशीर्षक में ऊपर पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के समक्ष अंकित कारणों से वेतन में 15,31 महंगाई भत्ते में 38,54, अन्य भत्ते में 7,07, अनुरक्षण में 2, तथा अंतरिम सहायता में 21,70 की वृद्धि दर्शायी गयी है।

04--राजकीय प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (+25,53)--इस उपशीर्षक में ऊपर पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के समक्ष अंकित कारणों से वेतन में 5,69, महंगाई भत्ते में 14,32, अन्य भत्ते में 4,26, कार्यालय व्यय में 10, तथा अंतरिम सहायता में 1,16 की वृद्धियाँ प्रदर्शित है।

05--अन्य उच्च विद्यालयों तथा दीक्षा विद्यालयों में कृषि तथा शिल्पकारी को अनिवार्य विषय बनाकर उनके नवीनीकरण की योजना:--(+23,98)--यहां भी उपरोक्त पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के शीर्षक के समक्ष अंकित कारणों से वेतन में 6,32, महंगाई भत्ते में 15,91, अन्य भत्ते में 45 तथा अंतरिम सहायता में 1,30 की वृद्धि दर्शायी गयी है।

05--अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता--(+6)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद हेतु 56 का प्राविधान है तथा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 6 की वृद्धि इस उपशीर्षक में की गयी है।

109--छात्र वृत्तियों और प्रोत्साहन- (-27,86)--

10--अनुसूचित जनजातियों के बालकों/बालिकाओं को कक्षा-1-5 तथा कक्षा 6-8में छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक आर्थिक सहायता (-3,00)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त उपशीर्षक हेतु 3,00 का प्राविधान है, परन्तु आगामी वर्ष के लिये कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है। अतः इस हेतु 3,00 की कमी दर्शायी गयी है।

11--अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता (+8,28)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त उपशीर्षक हेतु 8,28 की व्यवस्था है परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रस्तावित न होने के कारण 8,28 की कमी प्रदर्शित की गयी है।

12--पिछड़ी जातियों के पूर्व माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता-- (+4,40)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त उपशीर्षक के लिये 4,40 की व्यवस्था है परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रस्तावित न होने के कारण 4,40 की कमी प्रदर्शित की गयी है।

13--आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता-- (-1,63)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त उपशीर्षक के लिये 1,63 का प्राविधान है, परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रस्तावित न होने के कारण 1,63 की कमी दर्शायी गयी है।

14--अनुसूचित जनजातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालकों/बालिकाओं को फीस हेतु मान्यता प्राप्त प्रशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान-- (-55)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त उपशीर्षक हेतु 555 की व्यवस्था है परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है अतः इस वर्ष 55 की कमी दर्शायी गयी है।

15--अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक बालकों/बालिकाओं को फीस हेतु मान्यता प्राप्त प्रशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान-- (-10,00)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10,00 की व्यवस्था है, परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है अतः इस वर्ष 10,00 की कमी प्रदर्शित की गयी है।

800--अन्य व्यय-- (+31,76)--

04--प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था-- (-16,25)--प्रस्तावानुसार वेतन, महंगाई भत्ते, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, अंतरिम सहायता हेतु धनराशि आगामी वर्ष हेतु स्वीकार किया गया है। इसलिये वेतन में 6,20, महंगाई भत्ते में 5,21, यात्रा व्यय में 30, अन्य भत्ते में 1,21, कार्यालय व्यय में 67, किराया, उपभूक्त एवं कर स्वामित्व में 1,00 तथा अंतरिम सहायता में 1,66 की कमी दर्शायी गयी है।

08--पूर्व विद्यालयों बच्चों एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार की व्यवस्था-- (+63)--देय सामान्य वेतन वृद्धियां तथा वेतन में बोनस हेतु व्यवस्था किये जाने, महंगाई भत्ते की दरों के वृद्धि के आधार पर व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप वेतन में 9, महंगाई भत्ते में 24, यात्रा व्यय में 3, अन्य भत्ते में 25, तथा अंतरिम सहायता में 2, की वृद्धि सम्मिलित है।

09--अरेबिक पाठशालाओं को अनुदान (+37,53)--देय सामान्य वेतन वृद्धियों, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि वास्तविक आवश्यकता तथा अंतरिम सहायता हेतु स्वीकृत दर पर व्यवस्था किये जाने कारण के यहाँ संपूर्ण रूप से 37,53 को अधिक प्राविधान किया है।

17--अन्य व्यय (-15)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस उपशीर्षक हेतु 15, की व्यवस्था है, परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अतः इस वर्ष 15, की कमी दर्शायी गयी है।

22--उत्तर प्रदेशावैज्ञानिक शिक्षा परिषदीय एवं राज्य निधि से सहायता प्राप्त वैज्ञानिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक भ्रमण (+10,00) नई मांगों के प्रस्ताव के रूप में इस प्रस्ताव को आगामी वर्ष हेतु स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आगामी वर्ष हेतु 10,00 की वृद्धि दर्शायी गयी है।

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय--

01--विभागीय परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश (+1,45)--वार्षिक वेतन वृद्धियों हेतु वेतन में 15 एवं बढी दरों पर महंगाई भत्ता देने हेतु महंगाई भत्ते में 64, की अधिक व्यवस्था सम्मिलित है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यात्रा व्यय में 18, अन्य भत्ते में 47, तथा अंतरिम सहायता में 1, का अधिक प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत--

सत्तवीं पंचवर्षीय योजनावधि के पंचम वर्ष में आवंटित प्लान परिव्यय के आधार पर संपूर्ण अनुदान में आयोजनागत पक्ष में 1,19,87,40 का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की अपेक्षा 81,18,99 अधिक है।

इस अनुदान के अन्तर्गत, वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते जैसी प्राथमिक इकाइयों हेतु की गयी व्यवस्था निम्नवत् है :-

राजस्व लेखा (मतदेय)					
02	वेतन	66,40	11,81,12	12,47,52
03	महंगाई भत्ता	66,40	10,89,12	11,55,52
04	यात्रा व्यय	71	58,19	58,90
05	अन्य भत्ते	5,05	77,34	82,39
06	कार्यालय व्यय	20,55	45,56	66,11
07	टलीफोन पर व्यय	3	1,26	1,29
08	मोटर गाड़ियों का क्रय			
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	4	5,54	5,58
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व		8,96	8,96
12	प्रकाशन		4,60	4,60
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,17,71,68	5,33,10,43	6,50,82,11
15	छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन	34,63	37,67	72,30
19	लघु निर्माण कार्य		2,57	2,57
20	मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,02	3,85	4,87
23	अनुरक्षण		29,41	29,41
31	अंतरिम सहायता	10,53	3,49,09	3,59,62
33	अन्य व्यय	10,36	8,33,81	8,44,17
योग, (मतदेय)			1,19,87,40	5,70,38,52	6,90,25,92

राजस्व लेखा--(भारित)

2049	व्याज/प्रदान		38,33,00	38,33,00
2202	सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा			
33	अन्य व्यय		1	1
योग, (भारित)				38,33,01	38,33,01

अनुदान संख्या-67

शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में मतदेय का प्राविधान 17,48,91 किया गया है, जबकि गत वर्ष यही माग 12,78,65 की थी। इस प्रकार 4,70,26 की अधिक व्यवस्था की गयी है। न्यूनाधिकतम को नीचे स्पष्ट किया गया है :-

शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)---

राजस्व लेखा---

आयोजनागत (+ 4,70,25)---

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष 1989-90 के लिये निर्धारित आयोजनागत पारिव्यय तथा भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं के लिए 4,70,25 की अधिक व्यवस्था की गयी है।

आयोजनांतर (+1)---

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण---

उक्त शीर्षक में 104-जमा. से सम्बद्ध बीमा योजना, सरकारी भविष्य निधि 01-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) -33-अन्य व्यय में 1 की प्रतीक व्यवस्था कराई गयी है।

इस प्रदान के प्रवर्तन के लिए, महंगाई भत्ते एवं यात्रा व्यय आदि मदों के लिये की गयी व्यवस्था इस प्रकार है:—
(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनोत्तर	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	1,57,12		1,57,12
03	महंगाई भत्ता	1,23,59		1,23,59
04	यात्रा व्यय	40,60		40,60
05	अन्य भत्ते	62,05		62,05
06	कार्यालय व्यय	1,13,75		1,13,75
07	टेलीफोन पर व्यय	50		50
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	12,70		12,70
11	किराया/उपशुल्क एवं कर	12,15		12,15
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5,60		5,60
20	मशीन और सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	44,38		44,38
32	अन्तरिम सहायता	45,09		45,09
33	अन्य व्यय	11,31,37		11,31,38
	योग	17,48,90		17,48,91

अनुदान संख्या—68

शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान के प्रवर्तन के लिए कुल मिला 6,02,75 है। जबकि इसके विरुद्ध यह वर्ष इस अनुदान के लिये 2,27,01 की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार कुल 3,75,74 की अधिक व्यवस्था की जा रही है। न्यूनाधिकताओं को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:—

आयोजनेतर—

राजस्व लेखा—

2202—सामान्य शिक्षा-80—सामान्य—

001—निदेशन और प्रशासन (+68)—

01—राज्य शिक्षक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना—(+68) आवश्यकतानुसार जहाँ वेतन में 1 की कमी की गयी है वहीं अन्तरिम सहायता में 3 की वृद्धि की गयी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते में क्रमशः 43, की 4, की तथा 8, की अधिक व्यवस्था की गयी है। मूल्यों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये क्रमशः कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा प्रकाशन में क्रमशः 2, की 1, की व 3, की वृद्धि प्रदर्शित है।

003—प्रशिक्षण—(+14,51)—

01—परिषद् का आरम्भिक शिक्षा विभागात् राज् शिक्षा संस्थान इलाहाबाद—(+68)—वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर वेतन में 9 की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 72 की वृद्धि हो रही है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय अन्य भत्ते में क्रमशः 1,71, की, 10, की तथा 63, की अधिक व्यवस्था की गयी है। मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये कार्यालय व्यय, किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, प्रकाशन, लघु निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण में क्रमशः 5, की, 2 की, 2 की 2 की, तथा 2 की वृद्धि की गयी है।

02—परिषद् का हिन्दी भाषा विभागात् राज् हिन्दी संस्थान, वाराणसी—(+91)—आवश्यकतानुसार वेतन में 1, की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 12, की वृद्धि हो रही है। दरों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में क्रमशः 59 की तथा 18 की अधिक व्यवस्था की गयी है। मूल्यों में वृद्धि के कारण किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व तथा लघु निर्माण कार्य में क्रमशः 1, की तथा 2, की वृद्धि प्रदर्शित है।

03—परिषद् का अंग्रेजी विभागात् प्रांज भाषा शिक्षण संस्थान—(+43)—आवश्यकता को देखते हुए वेतन में 4, की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 4, की वृद्धि की गयी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 37, की व अन्य भत्ते में 17, की अधिक व्यवस्था की जा रही है, आवश्यकतानुसार मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद में कोई व्यवस्था न किये जाने के कारण 11 की कमी दिखायी दे रही है।

04--परिवर्द्ध का मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग--राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद--(+3,20)--आवश्यकतानुसार वेतन में 10 की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 19 वृद्धि की गयी है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में क्रमशः 2,30 तथा 76 की अधिक व्यवस्था की जा रही है। मूल्यों में वृद्धि की दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय व्यय में 5 की वृद्धि कर दी गयी है।

05--परिवर्द्ध का विज्ञान तथा गणित विभाग--राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद--(+44,4)--सामान्य वेतन वृद्धियों को देखते हुए वेतन में 7 की तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, व अन्य भत्ते में 2,56 की तथा 58 की वृद्धि की गयी है। मूल्यों में वृद्धि की देखते हुये कार्यालय व्यय में 2 की तथा आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 1,21 की वृद्धि की जा रही है।

06--परिवर्द्ध का दूर्य श्रव्य शिक्षा अनुभाग--शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद--(+6,33)--आवश्यकतानुसार वेतन में 8 की कमी तथा अन्तरिम सहायता में 12 की वृद्धि हो रही है। दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 1,29 की तथा अन्य भत्ते में 1,00 की अधिक व्यवस्था की जा रही है।

004--अनुसंधान--(+6,62)--

01--परिवर्द्ध का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक विज्ञान विभाग--मनोविज्ञान शाखा, इलाहाबाद--(+6,33)--दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 4,18 की व अन्य भत्ते में 73 की व्यवस्था अधिक की जा रही है। आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 1,42 की वृद्धि कर दी गयी है।

02--परिवर्द्ध का शैक्षिक तकनीकी विभाग--राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ--(+29)--दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में क्रमशः 23 की तथा 4 की वृद्धि हो रही है। आवश्यकता को देखते हुए अन्तरिम सहायता में 2 की व्यवस्था अधिक कर दी गयी है।

800--अन्य व्यय--(+1,46)

01--परिवर्द्ध के प्रकाशन विभाग के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तक अधिकारी कार्यालय, लखनऊ--(+1,46)--आवश्यकता को देखते हुये वेतन में 1 की कमी तथा दरों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता में 1,17 की व अन्य भत्ते में 6 की व्यवस्था अधिक की गयी है। आवश्यकतानुसार अन्तरिम सहायता में 24 की वृद्धि की गयी है।

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

104--जमा के सम्बद्ध बीमा योजना--सरकारी अधिकारियों--

01--राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिवर्द्ध--

33--अन्य व्यय (+1)--आवश्यकता को देखते हुए प्रतीक भाग के रूप में 1 की व्यवस्था की गयी है, जो अधिक दिखायी दे रही है।

आयोजनागत (+3,52,46)--परिवर्द्ध की सीमा को देखते हुए आवश्यकतानुसार व्यवस्था किये जाने तथा केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधित्त योजनाओं के लिये आवश्यक व्यवस्था कराये जाने के कारण यहां कुल 3,52,46 की वृद्धि प्रदर्शित है।

अनुदान के अन्तर्गत संगत प्राथमिक इकाइयों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था इस प्रकार है :-

(हजार रुपये में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	84,40	71,53	1,55,93
03	महंगाई भत्ता	88,80	66,02	1,54,82
04	यात्रा व्यय	11,20	5,14	16,34
05	अन्य भत्ते	19,30	12,66	31,96
06	कार्यालय व्यय	13,30	8,77	22,07
07	टेलीफोन पर व्यय	40	50	90
09	मोटर गड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	40	1,54	1,94
11	किराया, उपभुक्त और कर स्वामित्व	..	56	56
12	प्रकाशन	..	11,93	11,93
15	छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	..	27	27
19	सूच्य निर्माण कार्य	..	2,46	2,46
20	मशीन और सज्जा/उपकरण / संयंत्र	4,00	..	4,00
23	अनुरक्षण	..	87	87
32	अन्तरिम सहायता	3,10	21,12	24,22
33	अन्य व्यय	1,63,74	10,73	1,74,47
योग "2202"		3,88,64	2,14,10	6,02,74
2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		..	1	1
कुल योग, अनुदान		3,88,64	2,14,11	6,02,75

अनुदान संख्या-69

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

व्यय--

गत वर्ष के 29,99,78 (29,99,75 मतदेय तथा 3 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष 1989-90 के लिए 37,35,21 (37,35,18 मतदेय तथा 3 भारित) की व्यवस्था है जिसमें आयोजनेतर पक्ष में गत वर्ष के 27,88,88 (27,88,85 मतदेय तथा 3 भारित) तथा आयोजनागत पक्ष में 2,10,90 मतदेय के विपरीत आय-व्ययक वर्ष में क्रमशः 35,86,74 (35,86,71 मतदेय तथा 3 भारित) तथा 1,58,47 मतदेय के अनुमान सम्मिलित हैं। इस प्रकार आय-व्ययक वर्ष में शुद्ध 7,45,43 (7,97,86 आयोजनेतर में आधिव्यय 52,43 आयोजनागत) में की वृद्धि परिलक्षित है जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:--

आयोजनेतर (+7,97,86)--

2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--

01-शहरी स्वास्थ्य सेवार्थे-एलोपैथी--

102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना-- (-77,19)--

महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वेतन में सामान्य वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 01--अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय में 44 की वृद्धि तथा 04--चिकित्सालय-0401-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय में 23,77, की, 05-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय में 46,59 की कमी एवं कतिपय योजनाओं के वर्गीकरण के फलस्वरूप 0402-चिकित्सालयों में दवा और महम पट्टी की व्यवस्था में 43,44 की, 0403-चिकित्सालयों में विशिष्ट औषधियों की व्यवस्था में 3,79 की एवं 800-अन्य व्यय -01-कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में 66 का आधिव्यय तथा 0502-औषधालयों में दवा और महम पट्टी की व्यवस्था में 49,16 की एवं 0503-औषधालयों में विशिष्ट औषधियों की व्यवस्था में 600 की कमी अनुमानित है। इस प्रकार न्यूनताधिव्ययों के समायोजनोपरान्त 77,19 की कमी सम्भावित है।

2230-श्रम और रोजगार-01-श्रम-(+1,17,51)--

वेतन आदि में सामान्य वृद्धि, महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि तथा दस्तुओं के मृत्यों में वृद्धि आदि के फलस्वरूप 001-निदेशन और प्रशासन में 7,71 की, 004-अनुसंधान और सांख्यिकी में 3,66 की, 101-आर्थिक संबंध के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अनुभाग का सुदृढीकरण एवं विकेन्द्रीकरण में 2,38 की, न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा 00 प्रो दूबान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के प्रभावकारी प्रचलन के लिए शासनतल को सुदृढ करने में 5,44 की, श्रम न्यायालय तथा आर्थिक रक्षार्थी-धिकरण में 5,00 की, क्षत्रीय कार्यालयों में श्रमकों के दावों के निपटारे के लिए व्यवस्था में 31,06 की, समितियों/सम्मेलनों तथा आयोजनों का संयोजन में 6 की, 102-कामकी स्थितियों और सुरक्षा के अंतर्गत कारखानों के निरीक्षण में 10,26 की, स्टैम ब्यायलर निरीक्षण में 1,26 की, 103-सामान्य श्रमिक कल्याण के अंतर्गत सामाज्य आधार योजनाओं में 10,58 की, शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं में 28,10 की, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं में 2,72 की, तथा 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यापक सर्वो का निबन्धन एवं स्थायी आदेशों की प्रभावीकरण में 3,55 का आधिव्यय सम्भावित है। इसके अतिरिक्त योजनाओं के वर्गीकरण के फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में 57 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार न्यूनताधिव्यय के समायोजनोपरान्त 1,17,51 की वृद्धि सम्भावित है।

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण --

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम- (+7,57,54)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एवं वृद्धावस्था पेंशनरों की वृद्धि के फलस्वरूप 102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशनरों में 7,57,54 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत- (-52,43)

2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--

01--शहरी स्वास्थ्य सेवार्थे-एलोपैथी--

102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना (-11,71)

कतिपय पदों को रिक्त होने, चिकित्सालयों/औषधालयों को त्रिचार्जल न किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 01-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय में 49 की, 03-परिवार कल्याण परियोजना में 60 की, 04-चिकित्सालय-0401-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय में 20,32 की 05--औषधालय-0501-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय में 16,29 की तथा 102-होम्योपैथी में चिकित्सा-धिकारियों की नियुक्ति का वादन्यायालय में विचारार्थी होने के फलस्वरूप औषधालयों के निर्मित रूप से त्रिचार्जल न होने आदिके कारण प्रतीत व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप 1,66 कुल 39,36 की कमी प्रदर्शित है। योजनाओं के वर्गीकरण किये जाने के कारण 05-औषधालय में 84 की कमी तथा 04-चिकित्सालय में 24,38 का आधिव्यय परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त वेतन में सामान्य वृद्धि महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 02-क्षत्रीय कार्यालयों की स्थापना में 2,43 तथा 101-आयुर्वेद में 6,8 एवं राजकीय अस्पतालों में शैथ्याओं का आरक्षण में 100 का आधिव्यय प्रत्याशित है। इस प्रकार न्यूनताधिव्ययों के समायोजनोपरान्त 11,71 की कमी सम्भावित है।

2230-श्रम और रोजगार 01-श्रम-(-40,72)--

कल्पित योजनाओं के पूर्ण हो जाने तथा कालू योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 40,72 की कमी सम्भावित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, आदि के लिये की गयी व्यवस्था निम्नलिखित है--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	38,71	5,38,71	5,76,88
03	महंगाई भत्ता	42,55	5,91,65	6,34,20
04	यात्रा व्यय	88	17,23	18,11
05	अन्य भत्ते	14,56	1,28,44	1,43,00
06	कार्यालय व्यय	6,14	35,07	41,21
07	टेलीफोन पर व्यय	19	3,30	3,49
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	32	2,75	3,07
11	किराया उपशुल्क एवं कर	2,09	60,36	62,45
12	प्रकाशन	..	5	5
19	लघु निर्माण काय	..	1,00	1,00
23	अनुरक्षण	..	25,00	25,00
25	सामग्री और सम्पुति	7,49	19,54	27,03
27	पेंशन/आनुतापिक	..	17,50,00	17,50,00
32	अन्तरिम सहायता	12,40	1,72,19	1,84,59
33	अन्य व्यय	33,14	2,41,96	2,75,10
	भारित	..	3	3
	योग	1,58,47	35,86,71	37,45,18
	भारित	..	3	3

अनुदान संख्या-70

श्रम विभाग (सेवायोजन)

अर्थ--

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष 23,54,57 (23,54,37 मतदेय तथा 20 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल 29,19,94 (29,19,74 मतदेय तथा 20 भारित) की व्यवस्था की गयी है। इसमें आयोजनागत तथा आयोजन-नागत पक्ष में क्रमशः 21,50,00 (21,49,80 मतदेय तथा 20 भारित) तथा 7,69,94 की व्यवस्था है। इस प्रकार आयोजन-नेतर पक्ष में 3,25,92 तथा आयोजनागत पक्ष में 2,39,45 की वृद्धियां प्रदर्शित हैं जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व लेखा (+6,69,00)

आयजनेतर (+3,25,92)

2230-श्रम और रोजगार (+3,25,92)

02-रोजगार (+94,59)

वास्तविक आवश्यकता महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि अन्तरिम सहायता तथा मृत्यों में वृद्धि के फलस्वरूप 001-निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत रोजगार निदेशालय में 14,00 की तथा जिला रोजगार कार्यालय में 65,31 की 101-रोजगार सेवाओं के अन्तर्गत शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये कानपुर में विशेष केंद्र में 28 की 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत दूधी (मिर्जापुर) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केंद्र की स्थापना में 16 की एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केंद्र की स्थापना में 14,84 का अधिव्यय परिलक्षित है।

03-प्रशिक्षण (+2,31,33)

वेतन में सामान्य वृद्धि महंगाई भत्तों की दरों में वृद्धि, अन्तर्गत दरकार प्रशिक्षण योजना में 2,08,81 की प्रमाण-पत्र स्तर के अन्य प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी वर्ग में 20,79 की तथा शिक्षण प्रशिक्षण योजना में 3,87 की वृद्धि सम्भावित है। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना हारजन श्रमज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिये जाने के फल स्वरूप 1.34 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्यूनताधिक्य के समायोजन के उपरान्त 2,31,33 का शुद्ध अधिव्यय परिलक्षित है।

[आयोजनागत (+ 3,43,08)

कतिपय नयी योजनाओं को प्रारम्भकिये जाने तथा चालू योजनाओं हेतु गत वर्ष 3,03,11 के विपरीत आय व्ययक वर्ष में 6,46,19 का प्राविधान है। इस प्रकार 3,43,08 का शुद्ध आधिक्य प्रदर्शित है।

पूँजी लेखा (-1,03,63)

4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय-201-अम (-1,03,63)

आयोजनागत (-1,03,63)

कतिपयनिर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा चालू एवं नये प्रयोग के कार्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों, चहरदीवारी तथा स्टाफ क्वार्टर व थियेरी कक्षाओं के निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने के कारण 1,03,63 की कमी प्रदर्शित है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गयी कुल व्ययस्था निम्नलिखित है:--

क्र.सं.	विवरण	आयोजनागत	आयी जनैतर	योग
01	वेतन	77,57	7,12,88	8,20,45
03	महंगाई भत्ता	84,69	8,17,17	9,01,86
04	यात्रा व्यय	3,66	9,00	12,66
05	अन्य भत्ते	14,20	1,22,23	1,36,43
06	कार्यालय व्यय	10,43	22,06	32,49
07	टेलीफोन पर व्यय	..	3,94	3,94
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	9	1,18	1,27
11	किराया उपशुल्क एवं कर	10,38	17,29	27,67
12	प्रकाशन	..	45	45
14	सहायक अनुदान/संगठन/राज सहायता	2,99,99	..	2,99,99
15	छात्रवृत्ति/छात्रवैतन	8,65	20,91	29,56
19	लघु निर्माण कार्य	..	7,20	7,20
20	मशीने सज्जा उपकरण एवं संग्रह	83,90	..	83,90
32	अन्तरिम सहायता	25,33	2,37,73	2,63,06
33	अन्य व्यय	27,30	1,46,46	1,73,76
	भारित	..	20	20
	पूँजीगत	1,23,75	..	1,23,75
	योग	7,69,94	21,49,80	29,19,74
	{ भारत	..	20	20

अनुदान संख्या-71

सावजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सावजनिक निर्माण विभाग के अधिष्ठान पर होने वाला व्यय, कुल कार्य भार पर आधारित होता है। इस मद में प्राविधान कुल आवश्यकता के आधार पर किया जाता है तथा प्राविधानित धनराशि राजस्व तथा पूँजीगत लेखों के आयोजनागत तथा आयोजनागत पक्षों में सम्मिलित कार्य पर उनके अनुपात में वितरित की जाती है।

प्रदत्त अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 73,94,87 की तुलना में इस वर्ष 81,66,55 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार इस वर्ष इस अनुदान में 7,90,02 की वृद्धि हुई है।

उक्त वृद्धि का कारण निम्नवत है:--

आयोजनागत- (+ 91)

सार्वजनिक निर्माण विभाग की शोध संस्थान के लिए गत वर्ष के 8,97 की तुलना में इस वर्ष 9,88 की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष में 91 अंक है। तदनुसार आयोजनागत पक्ष में 91 की वृद्धि हुई है।

आयोजनेतर (+ 7,81,68)

इसके अन्तर्गत विभाग के सामान्य अघिष्ठान के लिये प्रावधान किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय आदि सम्मिलित होते हैं। इन मदों में इस वर्ष 7,81,68 की वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप आयोजनेतर पक्ष में उक्त वृद्धि हुई है।

इस प्रकार अनुदान के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये की गई कुल व्यवस्था निम्नवत् है:--

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	3,98	31,15,65	31,19,63
03	महंगाई भत्ता	3,43	28,81,94	28,85,37
04	यात्रा व्यय	22	2,52,00	2,52,22
05	अन्य भत्ते	80	6,43,00	6,43,80
06	कार्यालय व्यय	30	1,33,36	1,33,66
07	टेलीफोन पर व्यय		23,26	23,26
08	मोटर गाड़ियों का क्रय		1	1
11	किराया उपभूक्त एवं कर		6,81	6,81
12	प्रकाशन		30	30
21	मोटर गाड़ियों का क्रय		41,00	41,00
22	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल पर व्यय		86,40	86,40
32	अन्तरिम महायता	115	9,07,47	9,08,62
33	अन्य व्यय		65,42	65,42
			5	5
	योग	9,88	81,56,62	81,66,50
			5	5

अनुदान संख्या-72

सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासिक भवन)

इस अनुदान के अन्तर्गत अनावासिक भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर होने वाले राजस्व एवं पूंजीगत व्यय प्रदर्शित किये जाते हैं। इन मदों पर गत वर्ष 14,96,41 के समक्ष इस वर्ष 32,2,01 का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष से (+) 17,45,60 अधिक है। इस वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

राजस्व लेखा (+ 3,97) -- इस मद में गत वर्ष के 5,23,07 के विपरीत इस वर्ष 5,27,04 का प्राविधान किया गया है, जो गत वर्ष से 3,97 अधिक है। यह वृद्धि पुलिस तथा मशीनें और उपकरण के क्रमशः 4,58 तथा 5 की वृद्धि और न्याय-प्रशासन तथा जिला प्रशासन में क्रमशः 60 और 6 की कमी के समायोजन के फलस्वरूप हुई है।

पूंजी लेखा (+ 17,41,63) -- इस मद में गत वर्ष 9,73,34 के समक्ष इस वर्ष 27,14,97 का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 17,41,63 अधिक है। यह वृद्धि आदकारी, सचिवालय सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, न्याय प्रशासन, उद्योग, नियोजन तथा मशीनें उपकरण (प्रोराटा) में क्रमशः (+) 5,02 (+) 1,08,23 (+) 14,69,37 (+) 36,88, (+) 83,44, (+) 23,59, (+) 27, (+) 7,52 तथा (+) 17,38 की वृद्धि तथा कारागार अभ तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री में क्रमशः (-) 40, (-) 8,43, (-) 1,24 की कमी के समायोजन के फलस्वरूप हुई है।

अनुदान संख्या-73

सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासिक भवन)

इस अनुदान के अन्तर्गत आवासिक भवनों के निर्माण और अनुरक्षण पर राजस्व और पूंजीगत लेखों के अन्तर्गत होने वाले व्यय दिखाये जाते हैं। इस मद में गत वर्ष 8,33,86 की तुलना में इस वर्ष 8,40,83 का प्राविधान किया गया जो (+) 6,97 अधिक है। यह वृद्धि राजस्व लेखों में (-) 7,81 की कमी तथा पूंजी लेखों में (+) 14,78 की वृद्धि के समायोजन के फलस्वरूप हुई है। इसका विवरण निम्न प्रकार है :-

राजस्व लेखा (- 7,81) -- इस मद में गत वर्ष 3,97,09 के समक्ष इस वर्ष 3,89,28 का प्राविधान किया गया है, जो (-) 7,81 कम है। यह कमी राजभवन से संबंधित कार्य में (-) 8,70 की कमी तथा पुलिस एवं मशीनें और उपकरण में क्रमशः (+) 88 तथा (+) 1 की वृद्धि के समायोजन के फलस्वरूप हुई है।

पूंजी लेखा (+ 14,78) -- इस मद में गत वर्ष 4,36,77 के समक्ष इस वर्ष 4,51,55 का प्राविधान किया गया है जो (+) 14,78 अधिक है। यह वृद्धि सार्वजनिक निर्माण विभाग सामान्य पूरा आवास, पुलिस, सचिवालय सामान्य सेवाएँ, कारागार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विज्ञान एवं पर्यावरण, उपकरण एवं संयंत्र (प्रोराटा) में क्रमशः (+) 1, (+) 13,14, (+) 1, (+) 11,64, (+) 69,72, (+) 1,00 तथा (+) 36 की वृद्धि तथा न्याय प्रशासन एवं जिला प्रशासन में क्रमशः (-) 72,64 एवं (-) 8,46 की कमी के समायोजन के फलस्वरूप हुई है।

अनुदान संख्या-74

सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

अन्तर्गत अनुदान के अन्तर्गत कार्यात्मक भवनों के निर्माण पर राजस्व तथा पूंजी लेखों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। अन्तर्गत अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष प्राविधानित 17,24,79 की तुलना में इस वर्ष 15,09,70 का प्राविधान किया गया है। जो गत वर्ष से 2,15,09 कम है। यह कमी (17,24,79-15,09,70=2,15,09) राजस्व लेखों में (-) 1,18,84 की तथा पूंजी लेखों में (-) 96,25 की कमी (1,18,84+96,25=2,15,09) होने के फलस्वरूप हुई है।

2-- राजस्व लेखों में हुई कमी मुख्यतः लेखा शीर्षक "2211-परिवार कल्याण" में हुई कमी (1,24,38) में लेखा शीर्षक "2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य" में हुई वृद्धि (5,54) को समायोजित करने (1,24,38-5,54=1,18,84) के उपरान्त होने वाली कमी के फलस्वरूप हुई है।

पूंजी लेखों में कमी मुख्यतः लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय", "4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय" "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय" "4435 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय" "4408-खाद्य भण्डारण और भण्डारण पर पूंजी परिव्यय", "5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय" तथा "5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय" में हुई कमी (19,98+43, 28+1+5, 42+30, 71+4, 35+5, 05=1, 08,80) तथा लेखा शीर्षक "4211-परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय" तथा "5452 पर्यटन पर पूंजी परिव्यय" में हुई वृद्धि (2,03-10,52=12,55) को समायोजित करने, (1,08,80-12,55=96,25) के उपरान्त होने वाली कमी के फलस्वरूप हुई है।

अनुदान संख्या-75

सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

इस अनुदान के अन्तर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण तथा अनुरक्षण एवं हवाई पट्टियों के निर्माण, पुनर्निर्माण के लिये राजस्व एवं पूंजीगत लेखों के अन्तर्गत होने वाले व्यय प्रदर्शित किये जाते हैं। इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के (2,80,13,13) की तुलना में इस वर्ष (2,66,39,75) का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार (-13,73,38) की कमी हुई है जिसका विवरण निम्नलिखित है

राजस्व लेखा (---14,27,92)---इस लेख के अन्तर्गत गत वर्ष (1,08,44,79) तथा इस वर्ष (94,16,87) का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार (14,27,92) की कमी हुई है। उक्त कमी सामरिक तथा सीमावर्ती सड़कों, राज्य पुल निधि, अनुरक्षण एवं मरम्मत, शोध एवं विकास तथा राज्य पुल निधि को संक्रम मर्दों में क्रमशः (1,21,31), (17,97), (12,00,00), (27,97), (9,78,39) की कमी तथा दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत, रेलवे सुरक्षा कार्य, अन्य व्यय निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि के कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि के संक्रान तथा उपकरण एवं संयंत्र (प्रोराटा) मर्दों में क्रमशः (2,50,00), (6,32,73), (6), (31,63) (31,63) और (1,67) की वृद्धि के समायोजन के फलस्वरूप हुई।

पूंजी लेखा (+54,54)---इस लेख के अन्तर्गत गत वर्ष (1,71,68,34) तथा इस वर्ष (1,72,22,88) का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार (+54,54) की वृद्धि हुई है। उक्त वृद्धि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जतजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय तथा सड़कों एवं पुलों को मद में क्रमशः (1,8,48), और (13,90) के अधिक प्राविधान एवं नागर विमानत की मद में (7,84) की कमी के समायोजन के फलस्वरूप हुई।

अनुदान संख्या-75क

सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की कुल 4,53 की मांग के विपरीत बजट वर्ष के लिए कुल 5,71 की मांग है। इस प्रकार 1,18 की वृद्धि परिलक्षित है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:---

राजस्व लेखा--

2052--सचिवालय सामान्य सेवाएं--

091--संबद्ध कार्यालय--

01--राज्य संपत्ति निदेशालय--

आयोजनेतर (+1,18)--

वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते अन्य भत्ते तथा अन्तरिम सहायता के परिपेक्ष्य में "वेतन" में 55 की "महंगाई भत्ता" में 57 की "अन्य भत्ते" में 14 की तथा "अन्तरिम सहायता" में 12 की वृद्धि हुई है। बजट वर्ष में "यात्रा व्यय" की मद में प्राविधान करने के फलस्वरूप 5 की वृद्धि परिलक्षित है। गत वर्ष प्रिटिंग की वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय का प्राविधान "टेलीफोन पर व्यय" में तथा, टेलीफोन पर व्यय का प्राविधान कार्यालय व्यय में प्रदर्शित हो गया था अतः "कार्यालय व्यय" में 1,00 की वृद्धि तथा "टेलीफोन पर व्यय" में 1,25 की कमी दिखाई गयी है। इस प्रकार न्यूनाधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 1,18 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मर्दों में की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:---

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	..	1,80	1,80
03	महंगाई भत्ता	..	1,70	1,70
04	यात्रा व्यय	..	5	5
05	अन्य भत्ते	..	27	27
06	कार्यालय व्यय	..	1,14	1,14
07	टेलीफोन पर व्यय	..	25	25
32	अन्तरिम सहायता	..	50	50
	योग	..	5,71	5,71

अनुदान संख्या-76

सिवाई विभाग (अधिष्ठान)

इस अनुदान के अन्तर्गत सिवाई अधिष्ठान संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं के अधिष्ठान व्यय को "आयोजनागत" के अन्तर्गत दर्शाया जाता है तथा इसके अन्तर्गत कोई स्पष्ट विभेद करना सम्भव नहीं है क्योंकि सिवाई विभाग में कर्मचारियों को किसी योजना विशेष के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। अतः सम्पूर्ण व्यय को निर्माण कार्यों पर हुए व्यय के आधार पर आनुपातिक विभाजन किया जाता है। गत वर्ष 1,49,09,95, (मतदेय) 1,49,09,75 तथा भारत 20 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष हेतु सम्पूर्ण मांग की धनराशि 1,70,74,64, (मतदेय) 1,70,74,44 तथा भारत 20 है। इस प्रकार कुल 21,64,69 की वृद्धि है जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:

01--निवेशन (+1,79,41) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के कारण 1,79,41 की वृद्धि प्रत्याशित है।

02--कार्यकारी शोध कार्य (-12,07,89) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 12,07,89 की वृद्धि प्रस्तावित है। 'भारत' में कोई वृद्धि नहीं है।

03--निकित्सा (-2,56) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 2,56 की वृद्धि प्रस्तावित है।

04--भूमि अर्जन कर्मचारी वर्ग- कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

05--विशेष राजस्व कर्मचारी वर्ग (+2,26,50) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 2,26,50 की वृद्धि प्रस्तावित है।

06--परिचालन कर्मचारी वर्ग (+2,78,17) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 2,78,17 की वृद्धि प्रस्तावित है।

07--कर्मशाला कर्मचारी वर्ग (-50,90) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 50,90 की वृद्धि प्रस्तावित है।

08--सिवाई सम्बंधी शोध कार्य (-31,95) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 31,95 की वृद्धि प्रस्तावित है।

09--सिवाई आयोग (-5,21) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 5,21 की वृद्धि प्रस्तावित है।

10--प्रशिक्षण (-16) - वास्तविक आवश्यकतानुसार 16 की कमी प्रत्याशित है।

11--अन्य व्यय (+1,82,26) - सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं वेतन समिति की कतिपय संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप 1,82,26 की वृद्धि प्रत्याशित है।

घटाइये--वसूलियां जो व्यय में कमी के रूप में प्रदर्शित की गई हैं --कुल 11,00,00 के अनुमान में 10,70,00 की धनराशि राज्य विद्युत परिषद से तथा 30,00 अन्य विभागों के लिये सिवाई विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाले अधिष्ठान व्यय के अंश को व्यक्त करता है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में भूमि अर्जन कर्मचारी वर्ग, सिविल विभाग के उगाही संबंधी व्यय, सजरे और खसरे तथा अन्य व्यय सहित अन्य मदों के निमित्त प्राविधान को सम्मिलित करते हुए व्यय निम्न प्रकार है:--

(हजार रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	धनराशि
01	वेतन	59,58,43
03	महंगाई भत्ता	54,05,90
04	यात्रा व्यय	5,40,26
05	ग्रन्थ भत्ते	14,81,41
06	कार्यालय व्यय	4,64,13
07	टेलीफोन व्यय	31,01
09	सोशल गाड़ियों का क्रय	5,01
12	प्रशिक्षण	8,36
32	अन्तरिम सहायता	19,68,77
33	अन्य व्यय	12,11,16
	भारत	20
	योग	1,70,74,44
	भारत	20

अनुदान संख्या-77

सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)

इस अनुदान में राजस्व लेखों के अंतर्गत वर्ष के 3,58,38,46 की तुलना में आय व्यय वर्ष के लिये 4,71,20,37 की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप 1,12,81,91 की वृद्धि हुई है जबकि पूंजीगत लेखों के अंतर्गत गत वर्ष 4,00,36,58 की तुलना में आय व्यय वर्ष के लिये व्यवस्था 4,20,94,14 की है। फलस्वरूप पूंजी लेखों में 20,57,16 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनुदान में गत वर्ष के 7,58,75,44 की तुलना में आय व्यय वर्ष में 8,92,14,51 की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप 1,33,39,07 की वृद्धि हुई है जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:—

राजस्व लेखा

गत वर्ष के 3,58,38,46 की तुलना में आय व्यय वर्ष का अनुमान 4,71,20,37 का है। इस प्रकार 1,12,81,91 की वृद्धि हुई।

मुख्य मदों के अनुसार प्राविधान का विभाजन निम्नलिखित है:—

(हजार रूपयों में)

क्रम-संख्या	मद	[घनराशि
1	2	3
1	ब्याज (शीर्षक 2049, 2701 व 2702)	
	मत्स्य	2,84,02,03
	भारत	25,71
2	विस्तार एवं सुधार (शीर्षक 2701)	8,00
3	परिचालन एवं अनुरक्षण (शीर्षक 2701, 2702 व 2711)	1,31,14,34
4	परिचालन एवं अनुरक्षण (भारत) (शीर्षक 2701)	3
5	उपस्कर एवं मशीन (शीर्षक 2701 व 2702)	35,10
6	नवीकरण एवं प्रतिस्थापन (शीर्षक 2702)	8,00,00
7	अवमूल्यन रक्षित निधि हेतु व्यवस्था (शीर्षक 2702)	30,05,40
8	उच्चत (शीर्षक 2701)	11,00,00
9	कार्यशालाएं (ब्याज एवं उच्चत रहित) (शीर्षक 2701)	2,76
10	प्रकीर्ण (शीर्षक 2245, 2701 व 2702)	5,77,00
	योग	
	{ मत्स्य	4,70,94,63
	{ भारत	25,74

आय-व्यय में वृद्धि का अनुमान प्रत्येक शीर्षक अनुसार नीचे स्पष्ट किया गया है:—

1—ब्याज—(+ 1,12,00,00)—यह सिंचाई कार्यों के पूंजीगत ब्याज का अनुमान है, जो वर्तमान दर पर आधारित है। परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में तथा ब्याज की दर में वृद्धि के कारण गत वर्ष की अपेक्षा आय-व्यय वर्ष का अनुमान 1,12,00,00 अधिक है।

भारत स्टेट बैंक आफ इण्डिया से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु वास्तविक आधार पर व्यवस्था के फलस्वरूप 11,58 की कमी अनुमानित है।

2—विस्तार एवं सुधार—गत वर्ष की व्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

3—परिचालन एवं अनुरक्षण (—68,18)—कृषि कार्य अन्य मद में स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप आय व्यय अनुमान में 68,18 की कमी परिलक्षित है।

4—परिचालन एवं अनुरक्षण (भारत)—गत वर्ष के अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं है।

5—उपस्कर एवं मशीनें—गत वर्ष की व्यवस्था में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

6—नवीकरण एवं प्रतिस्थापन—(—4,92,00)—नलकूपों के नवीकरण एवं उनके संयंत्रों में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक आधार पर वर्ष के प्राविधान की तुलना में 4,92,00 की कमी प्रस्तावित है।

7—अवमूल्यन रक्षित निधि हेतु व्यवस्था (+ 3,00,00)—यह व्यवस्था नलकूपों के निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अ. 25 प्रतिशत अनुमोदित दर पर आधारित है।

8—उच्चत—गत वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

9—कार्यशालाएँ—गत वर्ष की व्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

10—प्रकीर्ण (13,53,67) इस मद के अन्तर्गत अन्य मदों की व्यवस्था के समावेश होने के फलस्वरूप गत वर्ष की तुलना में 3,53,67 की वृद्धि है।

घटाइये—इस सम्बन्ध में 23,54,03 का अनुमान है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

2245—प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में सहायता (+4,50,00) इसकी प्रतिपूर्ति होने के कारण।

2701—उच्चत से निर्माण कार्यों हेतु सामग्री का निर्गमन (11,00,00) यह अनुमान उस धनराशि को व्यक्त करता है जिसका समायोजन निर्माण कार्यों को सामग्री निर्गत करने के उपरान्त किया जाता है।

2702—प्रवमूल्यन रक्षित निधि से पोषित की गई धनराशि (8,00,00) इवेननूपों की प्रवमूल्यन रक्षित निधि से पूरा किया जायेगा। राजस्व विभाग से व्यय की वसुली (4,03) यह अनुमान तराई भाँवर नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय की राजस्व विभाग की वसुली अंकित करता है।

पंजी सेवा—

इसके अन्तर्गत वर्ष के 4,00,36,98 की तुलना में आय-व्यय वर्ष में 4,20,94,14 की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप 20,57,16 की वृद्धि हुई है। मुख्य शोषकवार व्यवस्था का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है।

4225—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पंजीगत परिष्यय (7,31,70) इस शोषक के अन्तर्गत उपस्कर एवं मशीनें हेतु 5,26 एवं उच्चत हेतु 2,00,00 व मूल निर्माण कार्यों हेतु 5,26,44 का अनुमान है।

4701—बृहत् एवं मध्यम सिंचाई (2,91,64,42) इस शोषक के अन्तर्गत उपस्कर एवं मशीनें हेतु 1,93,86 तथा उच्चत के निमित्त 82,00,00 व मूल आय व्यय हेतु 2,07,69,56 की व्यवस्था आय व्यय में की गई है। "भारित" के अन्तर्गत 1,00 क प्राविधान की पुनरावृत्ति की गई है।

4702—लघु सिंचाई (1,04,01,49) --मूल निर्माण कार्यों हेतु 69,32,22 उपस्कर एवं मशीनें हेतु 69,27 तथा उच्चत के निमित्त 34,00,00 का अनुमान है।

4711—आइ निंत्रण (16,72,01) --इस शोषक के अन्तर्गत मूल निर्माण कार्यों के निमित्त 12,39,63 उपस्कर एवं मशीनें हेतु 12,38 तथा उच्चत हेतु 4,20,00 की व्यवस्था की गई है।

6003-राज्य सरकार के प्राधारित हण (भारित) (1,31,52) --इसके प्रतिमान हेतु वास्तविक प्राधार पर व्यवस्था की गई है।

घटाइये—

4225 (2,00,00), 4701 (82,00,00), 4702 (34,00,00) तथा 4711 (4,20,00) --प्रायोजनगत उच्चत से निर्माण कार्यों को सामग्री का निर्गमन --यह अनुमान निर्माण कार्यों हेतु की गई सामग्रियों के सम्बन्ध में प्रत्याशित वसुलियों को व्यक्त करता है।

अनुदान संख्या--78

संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्यय वर्ष के लिए कुल भाग 45,02 (44,98 मतदेय तथा 4 भारित) की है जबकि गत वर्ष की मूल भाग 39,48 (39,44 मतदेय तथा 4 भारित) की थी। इस तरह यहां पर 5,54 की वृद्धि परिलक्षित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

राजस्व लेखा--

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--

091--सम्बद्ध कार्यालय--

01--संस्थागत वित्त निदेशालय--

आयोजनतर (+4,19)--

वार्षिक वेतन वृद्धि मंहगाई भत्ते एवं स्वीकृत अन्तरिम सहायता के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप "वेतन" में 25 की, "मंहगाई भत्ते" में 25 की 'अन्य भत्ते' में 1,64 की तथा "अन्तरिम सहायता" में 23 की वृद्धि हुई है। टेलीफोन की दरों में वृद्धि, विभागीय कार्य यात्रापरक होने, वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि तथा एक पुरानी गाड़ी के प्रतिस्थापित के कारण टेलीफोन पर व्यय में 20 की, "यात्रा व्यय" में 20 की, "कार्यालय व्यय" में 10 की, "पीओ एलओ" में 5 की तथा "मोटर गाड़ियों का व्यय" में 1,30 की वृद्धि हुई है। विशासन, क लिए यहां पर कोई व्यवस्था न किये जाने से 3 की कमी हुई है। इस तरह न्यूनताधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 4,19 की वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत (+1,35)---

उपर्युक्त कारणों से ही यहां पर विभिन्न मदों में कुल 1,35 की वृद्धि प्रत्याशित है जो निर्धारित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(इत्रार रूपों में)

मानक मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01 वेतन	2,68	10,00	1268
03 महंगाई भत्ता	2,00	2,00	11,00
04 यात्रा व्यय	50	1,50	2,00
05 अन्य भत्ते	50	3,25	3,75
06 कार्यालय व्यय	1,20	4,00	5,20
07 टेलीफोन पर व्यय	20	60	80
08 मोटर गाड़ियों का क्रय	..	1,30	1,30
09 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एव पेट्रोल की खरीद	50	50	1,00
24 निवेश / ऋण	3,75	..	3,75
32 अन्तरिम सहायता	75	2,75	3,50
33 अन्य व्यय (भारत)	2	2	4
योग	12,08	32,90	44,98
	(भारत)	2	4

अनुदान संख्या—79

संस्थागत वित्तविभाग (बिक्रीकर)

व्यय--

संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (+7,76,62)--

राजस्व लेखा (+7,76,62)---

आयोजनेतर (+7,76,62)---

2040—बिक्री (+7,76,62)---

001—निवेशन और प्रशासन (+1,83,94)---

01—बिक्रीकर आयुक्त का अधिष्ठान (+1,57,20)---

वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते में प्रदर्शित क्रमशः 51,88', 72,19', 1,13', तथा 22,50' की वृद्धि कर्मचारियों की सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की देयता आदि के फलस्वरूप परिलक्षित है। सामान्य मूल्य वृद्धि के परिप्रेष्य में कार्यालय व्यय के अन्तर्गत 1,00 तथा आतिथ्य व्यय के अन्तर्गत 4 की न्यून वृद्धि अनुमानित है। इसी कारण से मशीनें और सज्जा नामक मद में भी 30 की वृद्धि की गई है। अन्तरिम सहायता की वचनबद्ध देयता हेतु इसमें 15,56 की एक और वृद्धि प्रदर्शित है। इसके विपरीत मोटर गाड़ी का क्रय नामक मद में 4,35 की तथा विज्ञापन, बिक्री और विस्थापन व्यय में 3,05 की प्रदर्शित वचन वास्तविक व्यय की परिगणना पर आधारित है।

02—बिक्रीकर अधिकरण का अधिष्ठान (+26,74)---व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन में 4,72 तथा महंगाई भत्ता में 7,90 की वृद्धि अनुमानित है। किराये की दरों में वृद्धि के कारण यात्रा व्यय में 2,15 की तथा अन्य भत्ते में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2,06 की वृद्धि अनुमानित है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में कार्यालय व्यय के अन्तर्गत 1,40 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूरकाल की दरों में वृद्धि के कारण टेलीफोन पर व्यय के अन्तर्गत 3 की एक न्यून वृद्धि अनुमानित है। वास्तविक आवश्यकता के कारण किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व में 7,00 की वृद्धि परिलक्षित है। लघु निर्माण कार्य में 1 की प्रतीक व्यवस्था के फलस्वरूप 1 का आधिक्य प्रदर्शित है। वचनबद्ध देयता हेतु अन्तरिम सहायता की मद में 1,47 की एक और वृद्धि परिलक्षित है।

101—संग्रह प्रभार (+5,92,68)---

गत वर्ष सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) के 84 अतिरिक्त पद तथा सम्बद्ध स्टाफ की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते के अन्तर्गत कुल मिलाकर 6,37,25 की वृद्धि अनुमानित है। अतिरिक्त सहायक आयुक्त के लिये कार्यालय साज-सज्जा की व्यवस्था हेतु कार्यालय व्यय के अन्दर 1,40 की तथा अतिरिक्त टेलीफोन की व्यवस्था के लिये 56 का व्यय आधिक्य परिलक्षित है। पेट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण "गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद" नामक मद में 2,18 की सामान्य वृद्धि अनुमानित है। भवन किराये में वृद्धि के फलस्वरूप 21,44 की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। तदनुसार किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व में 21,54 की वृद्धि प्रदर्शित है। अतिरिक्त पदों के सृजन के

फलस्वरूप अतिरिक्त सहायता की मद में 19,36 का अधिक परिलक्षित है। "अन्य व्यय" में प्रदर्शित 7,04 को एक और वृद्धि व्यय की वास्तविक आवश्यकता एवं परिणाम ना पर आधारित है।

इस अनुदान के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि की मदों के लिये की गई व्यवस्था निम्नवत् है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनेतर
01	वेतन	12,91,50
03	महंगाई भत्ता	12,91,50
04	यात्रा व्यय	37,85
05	अन्य भत्ते	1,40,60
06	कार्यालय व्यय	1,02,80
07	टेलीफोन पर व्यय	11,24
08	मोटर गाड़ी का क्रय	56,00
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	39,79
11	किराया, उपभूक्तों और कर स्वामिस्व	98,83
12	प्रकाशन	25,50
16	आतिथ्य व्यय	15
17	गुप्त सेवा व्यय	2,00
19	बधु निर्माण कार्य	3,26
20	मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5,34
32	अतिरिक्त सहायता	3,28,10
33	अन्य व्यय (मत्तदेय)	10,61
	(भारित)	40
योग ..		34,44,97
		40

अनुदान संख्या--80

संस्थागत वित्त (मनोरंजन तथा बाजीकर विभाग)

इस अनुदान के अंतर्गत आय-व्ययक वर्ष के लिये कुल मांग 1,28,05 की है जबकि गत वर्ष 1,21,50 की थी। इस प्रकार कुल 6,55 की वृद्धि हुई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

101-संग्रह प्रभार-मनोरंजन कर-(+6,55)-सामान्य वेतन वृद्धि के कारण वेतन की मद में, 1,90, समय-समय पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की स्वीकृति के कारण "महंगाई भत्ते" की मद में 4,51, रेल किराये की दरों में वृद्धि के कारण "यात्रा व्यय" की मद में 44, मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप "अन्य भत्ते" की मद में 52; कार्यालय क प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" की मद में 50, टेलीफोन काल की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप "टेलीफोन पर व्यय" की मद में 6, डीजल/पेट्रोल तथा गाड़ियों के कल पुर्जों के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद" की मद में 25 तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "अतिरिक्त सहायता" की मद में 57 की वृद्धि की गयी है। दूसरी ओर "मोटर गाड़ियों के क्रय" की मद में कोई प्राविधान न किये जाने के कारण 2,20 की कमी हुई है।

इस अनुदान के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिये आय-व्यय में की गयी व्यवस्था निम्नवत् है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	..	48,00	48,00
03	महंगाई भत्ता	..	46,00	46,00
04	यात्रा व्यय	..	5,60	5,60
05	अन्य भत्ते	..	5,00	5,00
06	कार्यालय व्यय	..	5,00	5,00
07	टेलीफोन पर व्यय	..	40	40
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	..	3,10	3,10
17	गुप्त सेवा व्यय	..	5	5
32	अतिरिक्त सहायता	..	14,40	14,40
33	अन्य व्यय	..	50	50
योग	1,28,05	1,28,05

अनुदान संख्या-81

संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक के लिये कुल मांग 5,81,83 (5,81,79 मतदेय तथा 4 भारित) की है जब कि गत वर्ष यह मांग 5,05,02 (5,04,98 मतदेय तथा 46 भारित) की थी। इस प्रकार कुल 76,81 की वृद्धि हुयी है, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

राजस्व लेखा-- (+ 66,81)--

आयोजनेतर-- (+ 66,81)--

2030--स्टाम्प और पंजीकरण-- (+ 66,81)--

01--स्टाम्प व्यापक-001 निवेश और प्रशासन-01 अधिष्ठान-- (+ 11,27)--

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण "वेतन" की मद में 4,65 शासन द्वारा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त स्वीकृत करने के कारण "मंहगाई भत्ते" की मद में 4,81 रेल/बस किराये में वृद्धि के कारण "यात्रा व्यय" की मद में 3, वास्तविक मांग के आधार पर "अन्य भत्ते" की मद में 28, स्टेशनरी की दरों में वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" की मद में 8 तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "अन्तरिम सहायता" की मद में 1,42 की वृद्धि हुयी है।

101--स्टाम्पों की लागत (अन्य व्यय) (+ 3,00)--

लागत में सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप इस मद में 3,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

02--स्टाम्प पर अज्ञातता--

001--निवेश और प्रशासन-01-अधिष्ठान (+ 2,63)--

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण "वेतन" की मद में 1,00 शासन द्वारा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तें स्वीकृत करने के कारण "मंहगाई भत्ते" की मद में 1,20 रेल/बस के किराये में वृद्धि के कारण "यात्रा व्यय" की मद में 4 वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "अन्य भत्ते" की मद में 3, कार्यालय की स्टेशनरी में मूल्य वृद्धि के कारण "कार्यालय व्यय" की मद में 6 तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "अन्तरिम सहायता" की मद में 30 की वृद्धि की गयी है।

800--अन्य व्यय-01-निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उ० प्र० अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण--

(+ 1,00) आवश्यकतानुसार 1,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

03--पंजीकरण--

001--निवेश और प्रशासन--

01--मुख्यालय (+ 12,19)--

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि एवं नई मदों के माध्यम से कतिपय लिये सृजित होने वाले पदों के लिये "वेतन" की मद में 3,50, मंहगाई भत्ते की किस्तें तथा उपरोक्त कारण से "मंहगाई भत्ते" की मद में 3,70, मकान किराये भत्ते एवं नगर प्रतिकर भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण "अन्य भत्ते" की मद में 1,60, विविध संबंधी पुस्तकों के क्रय फरनीचर के क्रय एवं कार्यालय स्टेशनरी आदि के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के कारण क्रमशः 25, 20 एवं 40, इस प्रकार "कार्यालय व्यय" में कुल 85, टेलीफोन काल की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप "टेलीफोन पर व्यय" की मद में 4 पेट्रोल/डीजल की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप "मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में 50, "किराया उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व" की मद में आवश्यकतानुसार 50, "नई मांगों के माध्यम से प्राविधान के कारण" मशीनें और सज्जा-उपकरण एवं संयंत्र" की मद में 1,00 तथा अन्तरिम सहायता" की मद में वास्तविक आवश्यकतानुसार 1,30 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर "यात्रा व्यय" की मद में 80 की कमी हुयी है।

02--जिला व्यय (+ 36,72)--

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कोटद्वार में एक नया उप निबन्धक कार्यालय खोलने हेतु "वेतन" की मद में 8,65 अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तों की स्वीकृति तथा उक्त कारण से "मंहगाई भत्ते" की मद में 19,70 रेल/बस के किराये में वृद्धि के कारण "यात्रा व्यय" की मद में 13 मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण "अन्य भत्ते" की मद में 54, स्टेशनरी आदि के मूल्यों में वृद्धि तथा जिल्दसाजी के लिये 2,00 का प्राविधान किये जाने के कारण "कार्यालय व्यय" की मद में 4,75 "किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व" की मद में 4, वास्तविक आवश्यकतानुसार "अन्तरिम सहायता" की मद में 2,61 तथा अन्य (व्यय) मतदेय" की मद में सामान्य मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप 30 की वृद्धि प्रदर्शित है।

पूँजी लेखा--

आयोजनागत-- (+10,00)--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय--

01--कार्यालयों की इमारतें--

01--निर्माण--सामान्य पूल आवास--

01--स्टाम्प और पंजीकरण--

0105--उप निबंधक कार्यालय, लखनऊ के कार्यालयों/भवनों का निर्माण--

18--बृहत् निर्माण कार्य--

उपरोक्त आयोजनागत परिव्यय के अनु रूप लखनऊ में पंजीकरण विभाग के निबंधक कार्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु 10,00 की व्यवस्था की गयी है।

इस अनुदान के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ते आदि के लिये निम्न व्यवस्था आय-व्ययक में की गयी है:--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	1,43,90	1,43,90
03--महंगाई भत्ता	1,42,90	1,42,90
04--यात्रा व्यय	2,39	2,39
05--अन्य भत्ते	7,50	7,50
05--कार्यालय व्यय	16,45	16,45
07--टेलीफोन पर व्यय	25	25
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,50	1,50
11--किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	54	54
19--बृहत् निर्माण	10,00	..	10,00
20--मशीनें सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	1,00	1,00
23--अनुरक्षण	3,19	3,19
32--अन्तरिम सहायता	43,46	43,46
33--अन्य व्यय	{ मतदेय	2,08,71	2,08,71
	{ भारत	4	4
योग	{ मतदेय	10,00	5,71,79	5,81,79
	{ भारत	4	4

अनुदान संख्या-82

सचिवालय प्रशासन विभाग

इस अनुदान के अंतर्गत चालू वर्ष के 24,89,89, (24,89,85 मतदेय तथा 4 भारत) के विपरीत बजट वर्ष के लिए कुल 28,66,88 (28,66,84 मतदेय तथा 4 भारत) की मांग है। इस प्रकार कुल 3,76,99 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:--

आयोजनागत-- (+3,88,09)--

2013--मंत्रि-परिषद्-- (+83,30)

मंत्रि मण्डल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होने के कारण, 101--मंत्रि और उप मंत्रियों का वेतन तथा 104--मनोरंजन, और आतिथ्य व्यय की मदों में क्रमशः 1,59, तथा 10,21 की, वृद्धि हुयी है। 108-यात्रा व्यय की मद में 25,00 की वृद्धि का कारण व्यय की प्रगति तथा जनहित में अधिक व्यय किया जाना है। 800-प्रकीर्ण व्यय के अंतर्गत टेलीफोन की मद में टेलीफोन की दरों में वृद्धि एवं व्यय की प्रगति के आधार पर 15,00 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इसी प्रकार बजट वर्ष में गाड़ियों के रिप्लसमेंट हेतु नई गाड़ियों के क्रय के कारण 11,50 की वृद्धि प्रत्याशित है। चालू वर्ष में शासन के सदस्यों एवं विभिन्न समितियों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों के लिये नई गाड़ियों के क्रय के फलस्वरूप पी०ओ०एल० की मद में 20,00 की वृद्धि प्रत्याशित है। इस प्रकार कुल मांग 83,30 की वृद्धि प्रदर्शित है।

2052--सचिवालय सामान्य सेवाएँ-- (+2,20,98)---

मुख्यतः नये पदों के सृजन, अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता व सचिवालय भत्ता अनुमत्य होने के कारण वेतन की मद में, 11,61 की महंगाई भत्ता में 22,66 की वृद्धि हुयी है। यात्रा व्यय में व्यय की प्रगति के आधार पर 11,95 की वृद्धि, हुयी है। सचिवालय के कार्यालयों में वृद्धि व मूल्यों दरों में वृद्धि फलस्वरूप कार्यालय व्यय में 63,20 तथा 30,00 की वृद्धि हुयी है। गाड़ियों के रिप्लसमेंट हेतु व्यवस्था किये जाने के कारण व चालू वर्ष में नई गाड़ियों के क्रय किये जाने के कारण, मोटर गाड़ियों का क्रय तथा पी०ओ०एल० की मदों में

क्रमशः 4,00 तथा 5,90 की वृद्धि पायी है। इस प्रकार किराया उपशुल्क में वास्तविक व्यय के आधार पर 70 की तथा व्यय की प्रगति के आधार पर अन्तरिम सहायता तथा अन्य व्यय की मदों में क्रमशः 10,48 तथा 2 की वृद्धि प्रदर्शित है।

लोक शिवायत निदेशालय की स्थापना के निर्णय के फलस्वरूप कतिपय पदों के लिए नई मांग के द्वारा व्यवस्था किये जाने के कारण 9,06 की अतिरिक्त व्यवस्था सम्मिलित की गयी है (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3 आयोजनेतर में दिया गया है) इस प्रकार इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल मांग 2,20,98 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

2070--अन्य प्रशासनिक सेवार्यें (+9,76)--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण के अन्तर्गत 3 की तथा अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान में 21,43 की वृद्धि हुयी है। इसके विपरीत पी0सी0 एफ0 भवन के किराये के लिये व्यवस्था लेखा शीर्षक "2052" में किये जाने के कारण 115-अतिरिक्त गृह, सरकारी हास्टल आदि के अन्तर्गत अन्य व्यय की मद में 13,00 की कमी हुयी है। इस प्रकार न्यूनताधिकताओं को समायोजित करते हुए कुल 9,76 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

2251--सचिवालय सामान्य सेवार्यें-- (+17,15)--

कतिपय अतिरिक्त पदों के सृजन, अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि, सचिवालय के कार्य-कलापों में वृद्धि सचिवालय भत्ता अनुमन्य होने के कारण तथा व्यय की प्रगति के आधार पर वेतन में 8,00 की, महंगाई भत्ता में 2,00 की, यात्रा व्यय में 1,05 की, अन्य भत्ते में 4,10 की, कार्यालय व्यय में 1,00 की तथा अन्तरिम सहायता में 1,00 की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कुल मांग 17,15 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

3451--सचिवालय आर्थिक सेवार्यें-- (+56,90)--

कतिपय अतिरिक्त पदों के सृजन, अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, सचिवालय के कार्य-कलापों में वृद्धि, सचिवालय भत्ता अनुमन्य होने के कारण तथा पर्वतीय विकास परिसर क उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के लिए व्यवस्था किये जाने के कारण व व्यय की प्रगति के आधार पर वेतन में 15,00 की, महंगाई भत्ता में 26,00 की, यात्रा व्यय में 2,00 की, अन्य भत्ते में 10,00 की, कार्यालय व्यय में 3,00 की तथा पी0सी0 एल0 व अन्तरिम सहायता की मदों में क्रमशः 40, की तथा 50 की, वृद्धि हुयी है। इस प्रकार कुल 56,90 की शुद्ध वृद्धि परिलक्षित है।

आयोजनागत--(-11,10)--

अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यालय में सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वित्त आयोग पोषित योजना स्वीकार की गयी थी जो वर्ष 1988-89 तक के लिये थी। बजट वर्ष के लिये वित्त आयोग की इस योजना के प्रति कोई बचनवद्धता न होने के कारण इसे आयोजनेतर पक्ष से आयोजनेतर योजना के रूप में राज्य सरकार के व्यय पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार व्यवस्था परिवर्तन के कारण आयोजनागत पक्ष में यहाँ पर 11,10 की कमी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत बजट वर्ष में विभिन्न मदों के लिये की गयी आय-व्ययक व्यवस्था निम्न प्रकार है--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	..	8,49,76	8,49,76
03	महंगाई भत्ता	..	8,08,73	8,08,73
04	यात्रा व्यय	..	1,36,15	1,36,15
05	अन्य भत्ते	..	1,61,22	1,61,22
06	कार्यालय व्यय	1,50	2,66,66	2,68,10
07	टेलीफोन पर व्यय	..	2,00,30	2,00,03
08	मोटर गाड़ियों का क्रय	..	35,50	35,50
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	..	72,90	72,90
11	किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	..	21,25	21,25
14	सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता	..	1,00	1,00
30	बट्टे खाते/हानियाँ	..	1	1
32	अन्तरिम सहायता	..	2,54,53	2,54,53
33	अन्य व्यय	(मतदेय)	57,33	57,33
		(भारत)	4	4
	योग	{ मतदेय .. 1,50	28,65,34	28,66,84
		{ भारत	4	4

अनुदान संख्या-83

[सतर्कता विभाग]

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में कुल मांग मतदेय में 2,92,38 तथा भारत में 16,75 की है, जबकि गत वर्ष यह मांग मतदेय 2,53,34 तथा भारत में 14,30 की थी। इस प्रकार इस वर्ष मतदेय में 39,04 तथा भारत में 2,45 की वृद्धि हुयी, जिसे नीचे स्पष्ट किया जा रहा है :--

आयोजनेतर--

राजस्व लेखा--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--

मतदेय .. (+39,04)
भारत .. (+2,45)

104--सतर्कता--

01--सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण (+1,52)--

इस उप शीर्षक में मतदेय के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 58, महंगाई भत्ता में 1,19 यात्रा व्यय में 5, अन्य भत्ते में 54, कार्यालय व्यय में 16 तथा टेलीफोन पर व्यय में 5 की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि मोटर, गाड़ियों के कर में 1,05 की कमी परिलक्षित है।

02--सतर्कता निदेशालय (+37,52)

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में, 7,70, महंगाई भत्ता में 16,17, यात्रा व्यय में 1,35, अन्य भत्ता में 11,75, कार्यालय व्यय में 40, टेलीफोन पर व्यय में 5 तथा मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में 10 की वृद्धि प्रदर्शित है।

03--लोक आयुक्त संगठन (भारत) (+2,45)

इस उप शीर्षक के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 45, महंगाई भत्ता में 94, यात्रा व्यय में 4, अन्य भत्ते में 37, कार्यालय व्यय में 50, टेलीफोन पर व्यय में 3, अन्तरिम सहायता में 10 तथा अन्य व्यय में 2 की वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक 1989-90 में वेतन भत्तों आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनेतर मतदेय	भारत
1	2	3	4
01--वेतन	90,82	4,95
02--मजदूरी	8	..
03--महंगाई भत्ता	99,90	5,44
04--यात्रा व्यय	15,53	42
05--अन्य भत्ता	36,90	1,10
06--कार्यालय व्यय	5,21	2,50
07--टेलीफोन पर व्यय	1,95	28
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	5,57	45
11--किराया उप शुल्क और कर स्वामिस्व	1,88	..
17--गुप्त सेवा	90	..
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50	..
32--अन्तरिम सहायता	32,02	1,40
33--अन्य व्यय	1,12	21
योग ..		2,92,38	16,75

अनुदान संख्या— 84

सहायता एवं पुनर्वासन विभाग]

सं अनुदान के अन्तर्गत व की मूल मांग 86,49, (85,94 मतदेय तथा 55 भारित) की तुलना में प्राय-व्ययक वर्ष का अनुदान 82,31, (81,76 मतदेय तथा 66 भारित) है इस प्रकार 4,18 (मतदेय) की कमी हुई है। जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

राजस्व लेखा— (+1,94)---

102—भूतपूर्व पश्चिमी पंजाब से प्राये विस्थापित व्यक्ति---

01—कर्मचारी वर्ग (+88)---

वार्षिक वेतन वृद्धि "वेतन" महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 19, महंगाई भत्ते में 38, यात्रा व्यय में 2, अन्य भत्ते में 15, कार्यालय व्यय में 1, तथा अन्तरिम सहायता में 13 की वृद्धि परिलक्षित है।

103—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्राये विस्थापित व्यक्ति (+1,06)---

01—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग से सम्बन्धित व्यय (+88)---

भोली प्रतापपुर, कानपुर की योजना के अन्तर्गत 105, पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित परिवारों को आवासीय भूमि के विकास खंड जो और नालियों के निर्माण किये जाने हेतु 88 की वृद्धि है।

02—क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (+38)---

मुख्यालय के क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि के कारण वेतन में 8, महंगाई भत्ता में 16, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 6, कार्यालय व्यय में 1 मोटर गाड़ियों व अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में 11, तथा अन्तरिम सहायता में 5 की वृद्धि परिलक्षित है।

03—जिला कर्मचारी वर्ग (+30)---

वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों दिये जाने तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि होने के कारण वेतन में 6, महंगाई भत्ते में 12, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 5, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में 2, तथा अन्तरिम सहायता में 4 की वृद्धि परिलक्षित है।

04—सहायता अधिष्ठान (+1,06)---

वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता की अतिरिक्त किस्तें स्वीकृत होने, अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता की दरों में वृद्धि होने फलस्वरूप वेतन में 8, महंगाई भत्ते में 17, यात्रा व्यय में 1, अन्य भत्ते में 8, तथा अन्तरिम सहायता में 4 की वृद्धि परिलक्षित है।

01—कर्मा से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों पर व्यय (+1)---

वास्तविक अवश्यकता के आधार पर सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में 1 की वृद्धि है।

पूँजी लेखा (+8,14)---

4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजी परिव्यय (+8,12)---

01—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की भूमि पर बसाने की योजना---

जयपुर बंदायू की मुन्नीरतहरीज के ग्राम डीयान गजा लहरान में 146, पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित परिवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार कृषि योजनाएँ, बसाने हेतु 8,12 की वृद्धि परिलक्षित है।

6235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये उधार (+20,84)---

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम---

800—अन्य उधार---

01—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्राये हुये किसानों को ऋण (+14,41)---

इस मद में भूमि पर बजाये गये भूतपूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कमाटसे को जागत तथा नये वजतों को उभारे पूर्वासास के लिये आगामी वर्ष 1989-90 में भारत सरकार से सम्बन्धित अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने के कारण क्रमशः 14,41 तथा 6,42 कुल 20,84 की वृद्धि सम्भावित है।

इन प्रवर्तन के प्रवर्तन वेतन, महंगाई भत्ता आदि विभिन्न मदों में की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:—

(हजार रूपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1	2	3	4	5
01--वेतन	4,66	4,66
03--महंगाई भत्ता	4,65	4,65
04--यात्रा व्यय	58	58
05--अन्य भत्ते	1,00	1,00
06--कार्यालय व्यय	30	30
07--टेलीफोन पर व्यय	8	8
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	33	33
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4,20	4,20
19--लघु निर्माण कार्य	16,38	16,38
20--मशीन एवं सज्जा, उपकरण एवं समंज	3	3
24--निवेश/ऋण	20,84	20,84
32--अन्तरिम सहायता	1,53	1,53
33--अन्य व्यय	{ मतदेय	27,18	27,18
	{ भारत	55	55
योग	{ मतदेय	81,76	81,76
	{ भारत	55	55

अनुदान संख्या—85

सांस्कृतिक कार्य विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के कुल 2,44,61 (2,44,59 मतदेय तथा 2 भारत) की तुलना में आद्य-व्ययक वर्ष के लिए कुल 2,64,36 (2,64,34 मतदेय तथा 2 भारत) की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 19,75 की वृद्धि प्रस्तावित है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:—

राजस्व लेखा—

आयोजनेतर—

2205--कला और संस्कृति— (+20,28)--

001--निवेशन एवं प्रशासन— (+86)--

01--सांस्कृतिक कार्य निवेशालय (+86)--

इसमें वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते व अन्तरिम सहायता आदि की मदों में कुल 86 की वृद्धि प्रदर्शित है।

101--ललित कलाओं की शिक्षा— (+3,71)

01--भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ हेतु

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, व अन्तरिम सहायता, टेलीफोन पर व्यय आदि की मदों में 3,94 की वृद्धि तथा ललित कलाओं की शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं को शासन द्वारा अनुदान दिये जाने की मदों में वास्तविकता के आधार पर एवं कतिपय संस्थाओं हेतु व्यवस्था -102--कलाओं और संस्कृति का संवर्धन में किये जाने के फलस्वरूप 23 की कमी परिलक्षित है। इस प्रकार न्यूनताधिक्यों के समायोजनोपरान्त कुल 3,71 की वृद्धि प्रदर्शित है।

102--कलाओं और संस्कृति का संवर्धन (+5,00)

कतिपय संस्थाओं की व्यवस्था—101--ललित कलाओं की शिक्षा के स्थान पर तथा शीर्षक उपरोक्तानुसार खेले जाने के फलस्वरूप 5,00 का आधिक्य है।

103-पुरातत्व और पुरातत्वीय सर्वेक्षण--

01-पुरातत्व कार्यालय- (+2,95)--

वेतन में सामान्य वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विभिन्न मदों में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 2,95 का आधिक्य अनुमानित है।

104-अभिलेखागार--

01-राज्य अभिलेख- (+2,95)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिणता के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते व अन्तरिम सहायता की मद में क्रमशः 37,188,50, व 11 की वृद्धि, रेल/बस के किराये में वृद्धि के कारण यात्रा व्यय में 3 की वृद्धि, स्टेशनरी/डाक टिकटों में वृद्धि के कारण कार्यालय व्यय की मद में 5 तथा टेलीफोन की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप टेलीफोन पर व्यय में 1 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रकार यहां पर कुल 2,95 की वृद्धि परिलक्षित है।

107--संग्रहालय (+4,81)--

वेतन में सामान्य वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 01-अधिष्ठान व्यय में कुल 4,81 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनागत- (-53)--

गत वर्ष 95.73 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष में 95.20 की व्यवस्था है। कतिपय नई योजनाओं को चालू किये जाने तथा चालू योजनाओं के वास्तविक व्यय के आधार पर 001-निदेशन और प्रशासन में 3.25 की, 102 कलाओं और संस्कृति का संवर्धन में 5.00 को, 103-पुरातत्व में 1.07 की, 104-अभिलेखागार में 5.4 की वृद्धि तथा 101-ललित कलाओं की शिक्षा में 5.70 एवं 107-संग्रहालय में 4.69 की कमी प्रदर्शित है। इस प्रकार न्युनाधिक्य के समायोजन के उपरान्त 53 की कमी परिलक्षित है।

इस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन महंगाई भत्ता आदि के लिये की गयी व्यवस्था निम्नवत् है :-

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01	वेतन	7,66	41,93	49,59
03	महंगाई भत्ता	8,42	45,67	54,09
04	यात्रा व्यय	55	1,61	2,16
05	अन्य भत्ते	1,47	6,41	7,88
06	कार्यालय व्यय	10,42	7,53	17,95
07	टेलीफोन पर व्यय	20	70	90
09	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	35	1,42	1,77
11	किराया, उपशुल्क व कर स्वाभिस्व	80	70	1,50
14	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	31,57	45,06	76,63
15	छात्र वृत्तियां/छात्र वेतन	75	68	1,43
16	अतिथि आदि पर व्यय	..	2	2
19	लघु निर्माण कार्य	1,50	87	2,37
23	अनुरक्षण	25	2,80	3,05
32	अन्तरिम सहायता	2,44	13,28	15,72
33	अन्य व्यय	28,82	46	29,28
	भारित	..	2	2
	योग : राजस्व	95,20	1,69,14	2,64,34
	{ "मतदेय"
	{ "भारित"	..	2	2

अनुदान संख्या-86

सामान्य प्रशासन विभाग

गत वर्ष के 23,08 (23,06 मतदेय तथा 2 भारित) की तुलना में आय-व्ययक वर्ष कुल अनुमान 15,39 (15,37 मतदेय तथा 2 भारित) का है। इस प्रकार 7,69 की कमी है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है:-

राजस्व लेखा--

आयोजनेतर (-7,69)--

2053--जिला प्रशासन (+1,00)--

सेवा सत्कार/आतिथ्य व्यय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 1,00 की वृद्धि है।

2078--द्विधि सामान्य सेवायें-- (+3)--

के अन्तर्गत 30 प्र० के नागरिकों को प्रादेशिक सेना डेकोरेशन तथा मेडल प्राप्त व्यक्तियों को नकद पुरस्कार में 3 की वृद्धि अनुमानित है।

2252--अन्य सामाजिक सेवायें (-8,85)--

के अन्तर्गत प्रान्तीय हज समिति को कोई अनावर्तक अनुदान न दिये जाने के कारण 8,85 की कमी है।

3456--नागरिक पूति (+13)--

के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता आदि मदों में 13 की वृद्धि प्रत्याशित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्यय में वेतन महंगाई भत्ता आदि के लिए निम्नवत व्यवस्था की गयी है :--

मानक पद	धनराशि (हजार रुपयों में)
	आयोजनेतर
01--वेतन	28
03--महंगाई भत्ता	30
05--अन्य भत्ते	28
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	6,80
16--सेवा सत्कार/प्रातिथ्य व्यय	6,00
33--अन्य व्यय (मतदेय)	1,71
(भारित)	2
योग	15,37
	(भारित) 2

अनुदान संख्या-87

सार्वजनिक उद्यम विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत है वर्ष के 20,94 (आयोजनेतर) के विपरीत बजट वर्ष के लिये कुल मांग 37,30 (13,20 आयोजनागत तथा 24,10 आयोजनेतर) की है। इस प्रकार कुल 16,36 की वृद्धि हुई, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :--

राजस्व लेखा--

आयोजनागत-- (+13,20)--

सार्वजनिक उद्यम निदेशालय के सुदृढीकरण हेतु प्लान परिषद के आधार पर कतिपय अतिरिक्त पदों के सृजन के निर्णय के फलस्वरूप कुल 13,20 की व्यवस्था नई मांगों के माध्यम से सम्मिलित की गयी है। (जैसा कि बजट साहित्य खण्ड-3, आयोजनागत में दिया गया है।) इस प्रकार 13,20 की वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर-- (+3,16)--

वार्षिक वेतन वृद्धि, नगदीकरण व महंगाई भत्ते की दरों में व अन्य भत्तों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन में 25 की, महंगाई भत्ता में 80 की; व अन्य भत्ते में 1,50 की, वृद्धि हुयी है। इसी प्रकार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यात्रा व्यय में 10 की, कार्यालय व्यय में 10 की, टेलीफोन पर व्यय में 8 की पी० ए० ए० में 15 की तथा प्रकाशन व अन्तरिम सहायता की मदों में क्रमशः 8 तथा 10 की वृद्धि हुयी है। इस प्रकार कुल 3,16 की शुद्ध वृद्धि प्रदर्शित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में की गई आय-व्ययक व्यवस्था निम्न प्रकार है :--

(हजार रुपयों में)

मानक पद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01--वेतन	5,41	8,25	13,66
03--महंगाई भत्ता	1,28	8,00	9,28
04--यात्रा व्यय	50	60	1,10
05--अन्य भत्ते	99	2,50	3,49
06--कार्यालय व्यय	1,63	1,00	2,63
07--टेलीफोन पर व्यय	32	45	77
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	2,50	..	2,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं मेट्रीक की खरीद	30	45	75
12--प्रकाशन	..	35	35
32--अन्तरिम सहायता	..	2,50	2,50
33--अन्य व्यय	27	..	27
योग--	13,20	24,10	37,30

अनुदान संख्या-88

सूचना विभाग

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष की कुल धनराशि 7,30,93 की तुलना में आय-व्ययक वर्ष के लिये 8,50,78 (मत्तदेय) की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 1,19,85 की वृद्धि प्रस्तावित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा आयोजनेतर--

2220-सूचना और प्रचार--

01-फिल्म--

105-फिल्मों का निर्माण (+98)

वास्तविकता के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की मदों में कुल 98, की वृद्धि परिलक्षित है।

60-अन्य--

001-निवेशन और प्रशासन (+13,85)

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्राव्यय, कार्यालय व्यय, अन्य भत्ते, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, अनुरक्षण, अन्तरिम सहायता तथा अन्य व्यय में कुल 13,85, की वृद्धि परिलक्षित है।

101-विज्ञापन और दृश्य प्रचार -01-अधिष्ठान (+67,70)

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय तथा अन्तरिम सहायता में कुल 67,70 की वृद्धि परिलक्षित है।

102-सूचना केन्द्र

01-सूचना केन्द्र का अधिष्ठान (+1,77)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं अन्तरिम सहायता में कुल 1,77 की वृद्धि परिलक्षित है।

103-प्रेस सूचना सेवार्ये (+29)

01-प्रेस सूचना सेवार्ये कार्यक्रम--

इसमें व्यावसायिक और विशेष सेवासों को भुगतान हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कुल 29, की वृद्धि परिलक्षित है ॥

106-क्षेत्र प्रचार

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद तथा अन्तरिम सहायता में कुल 24,64 की वृद्धि परिलक्षित है।

109-फोटो सेवार्ये--

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य भत्ते में कुल 73, की वृद्धि परिलक्षित है।

110-प्रकाशन (+2,17)--

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर महंगाई भत्ता यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्तरिम सहायता में कुल 2,17 की वृद्धि परिलक्षित है।

111-सामुदायिक रेडियों और दूरदर्शन

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय में कुल 1,76 की वृद्धि परिलक्षित है।

800-अन्य व्यय (+5,00)

पत्रकार कल्याण कोष के पुनर्गठन के कारण कुल 5,00 की वृद्धि परिलक्षित है।

राजस्व लेखा-आयोजनागत--

2220-सूचना और प्रचार--

01-फिल्म--

105-फिल्मों का निर्माण-01-अधिष्ठान (-13,52)

वास्तविक आवश्यकता तथा परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते तथा पीओ एलओ में कुल 92 की वृद्धि परिलक्षित है जबकि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्ययव सामग्री सम्पूर्ति की मदों में कुल 14,44 की कमी है। इस प्रकार इसमें कुल 13,52 की कमी की गई है।

60-अन्य--

001-निवेश और प्रशासन--

01-अधिष्ठान (-1,23)

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते व अन्तरिम सहायता की मदों में कुल 1,02 की वृद्धि है तथा कार्यालय व्यय में वास्तविक व्यय के आधार पर 2,25 की कमी है। इस प्रकार कुल 1,23 की कमी परिलक्षित है।

101-विज्ञापन और दृश्य प्रचार-01-अधिष्ठान (+14,63)

उपरोक्त कारणों से वेतन महंगाई भत्ता यात्रा व्यय, अन्य भत्ते विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व अन्तरिम सहायता की मदों में कुल 14,63 की वृद्धि परिलक्षित है।

102-सूचना केन्द्र--

01-सूचना केन्द्र का अधिष्ठान (+9)

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय में तथा मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल पर कुल 9 की वृद्धि परिलक्षित है।

103-पत्र सूचना सेवायें--

02-टेलीप्रिन्टर योजना (+40)

उपरोक्त कारणों से वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान व अन्तरिम सहायता की मदों में कुल 40 की वृद्धि प्रदर्शित है।

106-क्षेत्र प्रचार--

01-अधिष्ठान (-1,28)

वास्तविक आवश्यकता एवं परिगणना के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, किराया उपशुल्क, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा मशीन साज-सज्जा में 3,13 की वृद्धि परिलक्षित है जबकि कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय एवं अन्तरिम सहायता में वास्तविक व्यय तथा गणना के आधार पर 4,41 की कमी है। इस प्रकार कुल 1,28 की कमी परिलक्षित है।

109--फोटो सेवायें--01--अधिष्ठान (+5)--

उपरोक्त कारणों से महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते, तथा कार्यालय व्यय की मदों में 5, की वृद्धि परिलक्षित है।

110--प्रकाशन--

01--अधिष्ठान (+1,38)--

इसमें वास्तविक आवश्यकता के आधार पर महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा प्रकाशन में कुल 1,38, की वृद्धि परिलक्षित है।

111--सामुदायिक रेडियो और टेलीवीजन--

01--अधिष्ठान (+44)--

उपरोक्त कारणों से वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते कार्यालय व्यय, पीओएलओ व अन्तरिम सहायता की मदों में कुल 44, की वृद्धि परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ते आदि के लिये कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है:

मानक मद	आयी जनागत	आयी जनेतर	योग
01--वेतन	14,01	1,21,31	1,35,32
03--महंगाई भत्ता	15,42	1,33,44	1,48,86
04--यात्रा व्यय	1,97	8,97	10,54
05--अन्य भत्ते	2,61	21,53	24,14
06--कार्यालय व्यय	18,58	27,42	46,00
07--टेलीफोन पर व्यय	55	2,80	3,35
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	..	6,00	6,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	3,42	12,83	16,25
10--व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	12,00	12,50	24,50
11--किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	3,35	11,50	14,85
12--प्रकाशन	28,00	25,00	53,00
13--विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50,00	2,30,00	2,80,00
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	5,50	5,50
19--निर्माण कार्य
20--मशीनें और साज-सज्जा उपकरण और संयंत्र	10,67	4,21	14,88
23--अनुरक्षण	..	68	68
24--निवेश और ऋण
25--सामग्री तथा सम्पत्ति	11,77	4,00	15,77
32--अन्तरिम सहायता	4,49	38,36	42,85
33--अन्य व्यय	..	8,28	8,28
योग	1,76,84	6,73,94	8,50,78

अनुदान संख्या --89

सैनिक कल्याण विभाग

गत वर्ष 1,52,91 मतदेय तथा 2 भारित की तुलना में आय व्ययक वर्ष का कुल अनुमान 1,96,25 मतदेय तथा 2 भारित है। इस प्रकार कुल 43,34 मतदेय की वृद्धि है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है :

राजस्व लेखा (मतदेय) —

आयोजनेतर (+49,87)

2075—विविध सामान्य सेवाएँ (+5,65)—के अन्तर्गत सशस्त्र दलों के कर्मचारियों की वीरता के लिये पारितोषिक में 15 सशस्त्र दलों के कर्मचारियों के परिवारों को सहायता में 55, 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता में 5,00, वीरचक्र शृंखला पुरस्कारों में 20 की कमी है। इसके विपरीत वार टूसना मोडल के विजेताओं को पुरस्कार में 25 हो वृद्धि है। इन प्राथिक्यों को समायोजित करने के उपरान्त 5,65 की कमी परिलक्षित है।

2234—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+55,52) —वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि में अवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने के कारण 55,52 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेखा (-6,53)

4235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय(- 6,53) —जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों से सम्बन्धित भवनों के निर्माण हेतु कम व्यवस्था किये जाने के कारण 6,53 की कमी है।

इस अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में वेतन, महंगाई भत्ता आदि के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गई है :-

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01—वेतन	50,20	50,20
02—मजदूरी	17	17
03—महंगाई भत्ता	76,50	76,50
04—यात्रा व्यय	1,80	1,80
05—अन्य भत्ते	5,70	5,70
06—कार्यालय व्यय	3,74	3,74
07—टेलीफोन पर व्यय	1,07	1,07
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1,46	1,46
11—किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	50	50
12—प्रकाशन	4	4
14—सहायक अनुदान	1,50	2,30	3,80
19—लघु निर्माण कार्य	80	80
20—मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र	1,00	1,00
23—अनुरक्षण	2,20	2,20
32—अन्तरिम सहायता	16,06	16,06
33—(I) अन्य व्यय (मतदेय)	7,54	7,54
(II) अन्य व्यय (भारित)	2	2
योग राजस्व लेखा (मतदेय)	1,50	1,71,08	1,72,58
योग राजस्व लेखा (भारित)	2	2
पूँजी लेखा	23,67		
कुल योग	(मतदेय)	25,17	1,71,08	1,96,25
	(भारित)	..	2	2

अनुदान संख्या—90

हारजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के अनुमान 1,18,39,64 के समक्ष आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 1,20,82,40 के हैं। इस प्रकार 2,42,76 मतदेय की वृद्धि अनुमानित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है—

राजस्व लेखा—

2225—प्राकृतिक जति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (+2,42,76)।

आयोजनागत (+2,36,08)

इस शीर्षक में मतदेय में योजनावार परिव्यय में वृद्धि अनुपूर्वक मांग 1988-89 द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिये व्यवस्था सम्मिलित करने तथा भत्तों की दरों में पुनरीक्षण आदि कारणों से वेतन में 11,98 महंगाई भत्ते में 24,89, यात्रा व्यय में 93, अन्य भत्ते में 533, कार्यालय व्यय में 36 टेलीफोन पर व्यय में 1, पेट्रोल की खरीद में 405, भवन किराया में 35 छात्रवृत्ति में 6,36,57, गुप्त सेवा व्यय में 1 मशीन व सज्जा में 8 सामग्री व सम्पत्ति में 260 अन्तरिम सहायता में 13 तथा अन्य व्यय में जहां 3 की वृद्धि अनुमानित है वहां परिव्यय में कमी तथा आवास योजना की समाप्ति के कारण सहायक अनुदान में 4,51,24 की कमी परिलक्षित है।

आयोजनेतर (+6,68)--

इस शीर्षक में मतदेय के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि भत्तों की दरों के पुनरीक्षण तथा मुख्यालय पर मजदूरी की नयी मद खुलने के कारण जहां वेतन में 735, मजदूरी में 117 महंगाई भत्ते 23,57 यात्रा व्यय में 16 अन्य भत्ते में 629 कार्यालय व्यय में 35 पेट्रोल की खरीद में 2 भवन किराया में 1 मशीनों में 5 अनुरक्षण में 4 तथा सामग्री व सम्पत्ति में 2 की वृद्धि अनुमानित है वहां वास्तविक कार्यक्रम होने के कारण टेलीफोन पर व्यय में 35, वितरण में 2 अनुदान में 237 छात्रवृत्ति में 2700 तथा अन्तरिम सहायता में 261 की कमी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन तथा भत्ते आदि में कुल व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
01-	वेतन	1,28,71	1,54,80	2,83,51
02-	मजदूरी	..	1,82	1,82
03-	महंगाई भत्ता	1,41,59	1,70,37	3,11,96
04-	यात्रा व्यय	10,13	8,42	18,55
05-	अन्य भत्ते	11,91	19,02	30,93
06-	कार्यालय व्यय	8,11	18,36	26,47
07-	टेलीफोन पर व्यय	3	1,70	1,73
09-	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	7,50	2,59	10,09
11-	किराया उपशुल्क व कर	1,54	6,87	8,41
14-	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	42,72,01	1,14,89	43,86,90
15-	छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	34,73,21	31,97,15	66,70,36
17-	गुप्त सेवा व्यय	6	..	6
19-	वृद्धि निर्माण कार्य	1,25,00	..	1,25,00
20-	मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	68	1,76	2,44
23-	अनुरक्षण	..	4	4
25-	सामग्री और सम्पत्ति	26,57	30,11	56,68
32-	अन्तरिम सहायता	44,79	53,48	98,22
33-	अन्य व्यय (मतदेय भारत)	47,35	1,86	49,21
		..	2	2
	(मतदेय भारत)	82,99,19	37,83,19	1,20,82,38
		..	2	2

अनुदान संख्या-91

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 58,86,29 के अनुमानों के समक्ष आय-व्ययक वर्ष के अनुमान 68,92,37 के हैं। इस प्रकार कुल 10,06,08 की वृद्धि अनुमानित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया ---

राजस्व लेखा--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (+10,06,08)--

प्रायोजनगत (+8,98,04)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत अनुसूक्त मांग द्वारा स्वीकृत योजनाओं को सीधे सम्मिलित करने, कुछ योजनाओं के विस्तार, परिव्यय में वृद्धि, मूल्य वृद्धि तथा भत्तों की दरों का पुनरीक्षण आदि कारणों से जहाँ वेतन में 275, महंगाई भत्ते में 21,63, यात्रा व्यय में 147 अन्य भत्ते में 6866 कार्यालय व्यय में 321 टेलीफोन पर व्यय में 8, मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण में 274, प्रकाशन में 20, सहायक अनुदान में 8,28,13, छात्रवृत्ति में 591, मशीन साज सज्जा उपकरण एवं संयंत्र में 602 अनुरक्षण में 173 तथा सामग्री व सम्पत्ति में 2 की वृद्धि अनुमानित है वहाँ कम आवश्यकता के कारण भवन किराया में 92, विज्ञापन में 402, अन्तरिम सहायता में 93 तथा अन्य व्यय में 3804 की कमी परिलक्षित है।

प्रायोजनेतर (+1,08,04)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि, मूल्य वृद्धि, भत्तों की दरों का पुनरीक्षण तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर जहाँ वेतन में 26,93, मजदूरी में 213, महंगाई भत्ते में 46,92 यात्रा व्यय में 58, अन्य भत्ते में 911, कार्यालय व्यय में 203 टेलीफोन पर व्यय में 13 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण में 6, किराया उपशुल्क व कर में 597 सहायक अनुदान में 392, छात्रवृत्ति में 550, मशीनों में 26, अनुरक्षण में 111 सामग्री व सम्पत्ति में 8, अन्तरिम सहायता में 328 तथा अन्य व्यय में 741 की वृद्धि अनुमानित है वहाँ विज्ञापन की मद खत्म होने के कारण 698 की कमी भी परिलक्षित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों आदि के लिये कुल व्यवस्था मदवार निम्नवत् है---

(हजार रुपयों में)

मानक	मद	प्रायोजनगत	प्रायोजनेतर	योग
01--	वेतन	1,89,18	1,81,95	3,71,13
02--	मजदूरी	20	3,97	4,17
03--	महंगाई भत्ता	2,08,06	2,02,28	4,10,34
04--	यात्रा व्यय	10,72	8,69	19,41
05--	अन्य भत्ते	12,03,25	27,51	12,30,76
06--	कार्यालय व्यय	24,29	20,80	45,09
07--	टेलीफोन पर व्यय	12	1,12	1,24
09--	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	28,85	1,35	30,20
11--	किराया उप शुल्क व कर.	23,56	17,16	40,72
12--	प्रकाशन	2,50	9	2,59
14--	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	18,19,17	1,59,77	19,78,94
15--	छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	25,56	26,88	52,44
19--	लघु निर्माण कार्य	10,00	..	10,00
20--	मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	62,12	2,35	64,47
23--	अनुरक्षण	2,73	1,11	3,84
25--	सामग्री और सम्पत्ति	74,30	5,08	79,38
32--	अन्तरिम सहायता	72,15	64,41	1,36,26
33--	अन्य व्यय			
	मत्तदेय	23,17,68	93,69	24,11,37
	भारित		2	2
		-----	-----	-----
	योग { मत्तदेय	60,74,44	8,17,91	68,92,35
	{ भारित		2	2
		-----	-----	-----

अनुदान संख्या-92

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

इस अनुदान के अन्तर्गत गत वर्ष के 2,47,82 के विपरीत आय-व्ययक वर्ष के लिये 2,61,57 का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार कुल 13,75 की वृद्धि अनुमानित है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है--

राजस्व लेखा--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (---1376)

आयोजनागत (+ 827)--

इस शीर्षक के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्तों की दरों के पुनरीक्षण तथा परिचय में घटा बढ़ी के कारण वेतन में 102, महंगाई भत्ते में 178, यात्रा व्यय में 4, अन्य भत्ते में 54 कार्यालय व्यय में 5 पेट्रोल की खरीद में 1, भवन किराया में 12 प्रकाशन में 5 अनुदान में 13,18 अनुरक्षण में 1 तथा अन्तरिम सहायता में जहां 34 की वृद्धि अनुमानित है वहां विज्ञापन में 30 छात्रवृत्ति में 844 लघु निर्माण कार्य में 1 सामग्री व सम्पत्ति में 12 तथा अन्य व्यय में 1 की कमी परिलक्षित है।

अयोजनेतर (+ 549)

इस शीर्षक में, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वेतन में 14, महंगाई भत्ते में 262, यात्रा व्यय में 12, अन्य भत्ते में 131, कार्यालय व्यय में 17, भवन किराया में 4, छात्रवृत्ति में 65, मशीन साज सज्जा में 5 तथा सामग्री व सम्पत्ति में जहां 50 की वृद्धि अनुमानित है वहां पेट्रोल की खरीद में 11 की कमी परिलक्षित है।

पूजी लेखा--

4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूजी परिचय (-1)

आयोजनागत (-1)

इस शीर्षक में आवश्यकता न होने के कारण लघु निर्माण की मद में 1 की कमी परिलक्षित है।

अनुदान के अन्तर्गत वेतन व भत्तों में कुल व्यय व्यवस्था निम्न प्रकार है--

(हजार रुपयों में)

मानक मद	आयोजनागत	अयोजनेतर	योग
01--वेतन	7,63	22,71	30,34
03--महंगाई भत्ता	8,23	25,19	33,42
04--यात्रा व्यय	1,03	1,18	2,21
05--अन्य भत्ते	1,64	4,54	6,18
06--कार्यालय व्यय	1,56	1,76	3,32
07--टेलीफोन पर व्यय	8	2	10
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	36	28	64
11--किराया उपशुल्क व कर	1,35	1,30	2,65
13--प्रकाशन	30	..	30
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	99,31	3,11	1,02,42
15--छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	38,06	11,95	50,01
20--मशीन/साज सज्जा/उपकरण और संयंत्र	25	73	98
23--अनुरक्षण	2	..	2
25--सामग्री व सम्पत्ति	2,21	12,00	14,21
32--अन्तरिम सहायता	2,59	8,97	11,56
33--अन्य व्यय
{ मतदेय	15	3,04	3,19
{ भारत	..	2	2
योग { मतदेय	1,64,77	96,78	2,61,55
{ भारत	..	2	2

परिशिष्ट एवं तत्थियां

1 अप्रैल, 1988 को उद्योगों, देयों तथा ऋणों के बकाया का विवरण
 अंत वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक साहित्य की भांति इस वर्ष भी विभिन्न कर तथा करेतर राजस्व देयों के विवरणके साथ-साथ ऋणों के बकाया की 1 अप्रैल, 1988 की स्थिति भी निम्न मंत्रों के अन्तर्गत परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' के अनुसार प्रस्तुत की जाती है :—

- (क) कर तथा करेतर राजस्व देयों के बकाया की स्थिति
 (ख) ऋणों के बकाया की स्थिति जिनका लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाता है
 (ग) ऋणों के बकाया की स्थिति जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है :—
 (I) योजनावार वितरित ऋणों के विस्तृत विवरण
 (II) विभागवार वितरित ऋणों के संक्षेप विवरण

परिशिष्ट—क

1 अप्रैल, 1988 को कर तथा करेतर राजस्व देयों के बकाया की स्थिति

क्रम संख्या	बकाया की मद	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि (1-4-87 को)	कालम 3 में दिखाई गई धनराशि के समक्ष वर्ष 1987-88 में बचपूल की गई/प्रचाल में कम हुई या बढ़ते खाते में डाली गई धनराशि	पिछले बकायों की भवशेष धनराशि (कालम 3-4)	संशोधित वित्तीय वर्ष (1987-88) की मांग	कालम-6 में दिखायी गई धनराशि के समक्ष बचपूल की गई/प्रचाल में कम हुई या बढ़ते खाते में डाली गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भ-राजस्व	3902.00*	740.00	3162.00	2448.00	1530.00
2	भूमि विकास कर	236.00*	13.00	223.00
3	विचार्य शुल्क	7638.00	1438.00	6200.00	4269.00	3147.00
4	(I) कृषि आय-कर	8.24	..	8.24
	(II) एल0 एल0 एच0 टो0	8.63	0.08	8.55
	(III) बृहत् जोत-कर	45.31	12.45	32.86
5	शकबन्दी शुल्क	404.34	39.82	364.52	62.65	9.61
6	बिक्री-कर	63805.83	18061.19	45744.64	38517.26	5892.81
7	मतोरंजन एवं बाजी-कर	8.80	2.21	6.59	5390.49	5386.52
8	वन-धैय	557.96	48.66	509.30	1854.99	1603.41
9	भागे-कर	64.04	27.53	36.51	4221.03	4200.65
10	माल-कर	42.24	15.47	26.77	2648.94	2630.38
11	वाली-कर	92.83	39.11	53.72	5407.91	5360.28
12	गन्ने पर ऋणकार—					
	(i) शककर मिलों द्वारा	897.89	55.88	842.01	3108.31	3056.19
	(ii) खांडसारी यूनियो द्वारा	131.45	17.52	113.93	723.30	710.65
13	विद्युत् शुल्क	2059.14 सं0	499.04	1560.10	4573.59	3734.30
14	प्राचकारी शुल्क	791.00	52.00	739.00	16339.00	16273.00
15	मोटर प्राप्तव पर बिक्री-कर	11723.00	11723.00
16	भूमि तथा भवन कर	8.55	0.03	8.52
17	वृत्ति-कर	296.67	0.02	296.65
18	सी0 बी0 एफ0, प्रतीगड़	5.69	0.05	5.64
19	पशु धन फार्म एवं अन्य पशुधन प्राप्तियों आदि के देय	53.66	13.66	40.00	27.38	12.22
	योग	81058.27	21075.72	59982.55	101314.85	65269.92

सं0—संशोधित।

*= 30 सितम्बर, 1988 को बकाया

@= 30 सितम्बर, 1987 को बकाया

†= 1384 किलो टक की मांग (भूमि विकास कर 1885 किलो से घटाया हो गया है)

वित्तीय वर्ष की प्रांग में से वसूली हेतु आवशेष धनराशि (कालम 6-7)	कुल प्रांग (कालम 3+6)	कुल वसूल की गई/अपील में कम हुई या बढ़े खाते में डाली गई धनराशि (कालम 4+7)	कुल धनराशि जो संदर्भित अवधि के अन्त में बकाया थी (कालम 9-10)	(कालम 11 में दी गयी धनराशि का विवरण)				शेष बकाया धनराशि (कालम 12, 13, 14 तथा 15 के अतिरिक्त) जो वसूली योग्य है	क्रम संख्या
				निलम्बित अवकाश स्वमित की गई धनराशि न्यायालयों द्वारा शासनादेश द्वारा	अन्य सरकारी कार्यालयों पर बकाया धनराशि	न वसूल होने वाली धनराशि जिसे बढ़े खाते में डालना होगा			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
918.00	6350.00	2270.00	4080.00@	..	2784.00	1296.00	1
..	236.00	13.00	223.00@	..	160.00	63.00	2
1122.00	11907.00	4585.00	7322.00	..	1997.00	5325.00	3
..	8.24	..	8.24	0.02	8.22	4(i)
..	8.63	0.08	8.55	0.28	8.27	4(ii)
..	45.31	12.45	32.86	32.86	4(iii)
53.14	466.99	49.33	417.66	417.66	5
2624.45	102323.09	23954.00	78369.09	9905.81	28930.22	4722.66	3934.07	30876.33	6
3.97	5399.29	5388.73	10.56	3.87	2.45	..	2.08	2.16	7
251.58	2412.95	1652.07	760.88	65.28	3.13	..	11.24	681.23	8
20.38	4285.07	4228.18	56.89	1.15	2.06	53.68	9
18.56	2691.18	2645.85	45.33	0.28	..	0.11	0.08	44.86	10
47.63	5500.74	5399.39	101.35	23.57	11.43	..	1.31	65.04	11
52.12	4006.20	3112.07	894.13	89.92	..	541.95	..	262.26	12(i)
12.65	854.75	728.17	126.58	45.18	1.43	79.97	12(ii)
839.29	6632.73	4233.34	2399.39	1617.11	782.28	13
66.00	17130.00	16325.00	805.00	296.00	28.00	481.00	14
..	11723.00	11723.00	15
..	8.65	0.03	8.52	0.24	..	0.80	0.44	6.84	16
..	296.67	0.02	296.65	296.65	17
..	5.69	0.05	5.64	1.78	1.40	2.46	18
15.16	81.04	25.88	55.16	43.40	1.52	10.24	19
36044.93	182373.12	86345.64	96027.48	12048.41	33890.29	5310.70	3981.87	40795.94	योग

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों के बकाये की 1-4-1988 की

श्रेणी	ऋण विवरण	श्रीवर इम्प (1-4-87 की)		वर्तमान नांग (वर्ष 1987-88)		
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	
1	2	3	4	5	6	
1	नगर महापालिकायें तथा नगरपालिकायें	1552.50	1116.73	}		
2	टाउन एरिया कमेटीज	31.02	39.78			
3	नोटीफाइड एरिया कमेटीज	11.15	14.98			
4	जिला परिषदें	84.51	81.08			
5	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा डेवलपमेन्ट बोर्ड	41.55	2605.74			
6	ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनीज	104.93	65.70			
7	सहकारिता	1330.40	1625.40			अप्राप्त
8	विविध	3235.28	6807.80			
9	रामपुर राज्य	2.25	1.74			
10	सहकारी संस्थायें और बैंक	779.13	1225.15			
11	राज्य विद्युत परिषद	—*	19355.06			
12	जल नियम/जल संस्थान	2853.64	477.08			
13	आवास विकास परिषद	309.50	32.15			
योग		10335.86	207648.39	24399.96	43535.63	

* = चूंकि मूलधन के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शर्त निर्धारित नहीं की जा सकी है, अतः मूलधन के विपरीत अवशेष घतराशि नहीं दिखाई गई है।

महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद से 1.4.1988 की स्थिति के बारे में वास्तविक आंकड़े प्राप्त न हो सकने के कारण कालम 5 से 10 तक बकायें नहीं दी जा रही है तथा 1.4.1987 के बकाये को ही 1.4.1988 का बकाया मान लिया गया है।

जिसका लेखा महालेखाकार द्वारा रखा जाता है

(लाभ स्पर्धों में)

जन्म देय वित्तव्यय (1987-88)		स्तम्भ 7 व 8 के विपरीत की गई वस्तु		प्रतिरूप (1-4-88 को)		
व्यय (स्तम्भ 3+5)	व्याज (स्तम्भ 4+6)	मूलधन	व्याज	मूलधन	व्याज	क्रमांक
7	8	9	10	11	12	
				1552.50	1116.73	1
				31.02	39.78	2
				11.15	14.98	3
				84.51	81.08	4
				41.55	2605.74	5
	-- अप्राप्त --			104.93	65.70	6
				1330.40	1625.40	7
				3235.28	6807.80	8
				2.25	1.74	9
				779.13	1225.15	10
				--	193555.06	11
				2853.64	477.08	12
				309.50	32.15	13
				10335.86	207648.39	योग

परिशिष्ट-ग (i)

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों के बकायों की 1-4-1988 की स्थिति

(1) योजनावार वितरित ऋणों के विस्तृत विवरण :-

क्रम संख्या	योजना का नाम	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में घोवर ड्यू की धनराशि (1-4-87 को)		स्तम्भ 3 व 4 में दिखाये गये घोवर ड्यू में से वसूल किये गये ऋणों की धनराशि		संदर्भित वित्तीय वर्ष (1987-88) की मांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
1-उद्योग विभाग							
(1) उद्योग निदेशक							
1-लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिये दिए गए ऋण--							
	(अ) मुख्यालय निधि	37.59	33.40	0.67	0.77	0.87	3.96
	(ब) आयुक्त निधि	67.30	60.24	1.99	1.70	0.94	4.86
	(स) उ०प्र० वित्त निगम	229.77	104.19	8.22	10.77	—	27.74
2-हस्तकला सहकारी समितियों के विकास एवं अग्रिम देने की योजना							
		15.50	13.32	0.69	0.92	2.30	3.25
3-ग्रामीण उद्योग परियोजना							
		62.34	32.43	5.03	2.32	3.95	3.61
4-विकास के लिये दिये गये विशेष ऋण--							
	(1) पूर्वी जिलों के लिये	4.30	6.65	0.15	0.28	—	0.69
	(2) बुंदेलखंड डिवीजन के लिये	1.18	1.89	—	—	—	—
	(3) पर्वतीय जिलों के लिये	1.57	3.06	—	—	—	0.01
	(4) एन्जीनरिटेड योजना के लिये	2.15	3.80	0.03	0.06	—	0.12
5-कम विकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में लघु उद्योग के विकास लिए ऋण वितरण की योजना							
		0.24	1.13	—	—	—	—
6-खादी योजना							
		10.22	0.64	—	—	—	—
7-उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर--							
	(अ) किराया क्रय योजना	211.12	194.06	—	—	9.60	26.20
	(ब) विपणन योजना	4.00 सं०	1.18 सं०	—	—	—	0.38
	(स) कच्चा माल योजना	15.00 सं०	8.25 सं०	—	—	—	1.65
	(द) पैकेज सहायता योजना	46.66 सं०	—	—	—	—	—
8-औद्योगिक सहकारी समितियों को (वस्त्रोद्योग से भिन्न) ऋण							
		25.89	14.49	0.14	0.18	0.51	0.65
9-सीमान्त विकास							
		0.78	0.98	—	0.03	—	0.11
10-जिला उद्योग केन्द्र/विकास केन्द्र योजना							
	(1) विकास केन्द्र योजना	144.80	88.16	24.60	13.38	64.43	34.88
	(2) जिला उद्योग केन्द्र योजना	81.46	50.81	13.41	8.77	32.77	23.97
	योग (1)	961.87	सं० 618.68	सं० 54.93	39.18	115.37	132.08
(2) हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशक :							
	(1) हथकरघा योजना	219.77	241.47	76.98	113.67	43.29	45.02
	(2) रेशम योजना	0.10	0.02	—	—	—	—
	योग (2)	219.87	241.49	76.98	113.67	42.29	45.02
योग-1- [(1)+(2)] 1181.74 सं० 860.17 सं० 131.91 152.85 158.66 177.10							

का लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है ।

(लाख रुपया में)

स्तम्भ 2 व 8 में दिखाई गई धन- राशि के समान वसूल किये गये दण्डों की धनराशि		वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में									
		वसूली के लिये कुल धनराशि		वसूल की गयी कुल धनराशि		बकाया की काला- तीत (जोवर ड्यू) धनराशि		स्तम्भ 15 तथा 16 की वसूली योग्य धनराशि		क्रम संख्या	
मूलधन	व्याज	मूलधन (स्तम्भ 3+7)	व्याज (स्तम्भ 4+8)	मूलधन (स्तम्भ 5+9)	व्याज (स्तम्भ 6+10)	मूलधन (स्तम्भ 11-13)	व्याज (स्तम्भ 12-14)	मूलधन	व्याज		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	0.12	38.46	37.36	0.67	0.89	37.79	36.47	26.71	28.35	1 (अ)	
	0.28	68.24	65.10	1.99	1.98	66.25	63.12	54.24	55.40	1 (ब)	
	—	229.77	131.93	8.22	10.77	221.55	121.16	221.55	121.16	1 (स)	
35	0.42	17.80	16.57	1.04	1.34	16.76	15.23	16.76	15.23	2	
22	1.02	66.29	36.04	6.05	3.34	60.04	32.70	55.44	30.77	3	
	0.01	4.30	7.34	0.15	0.29	4.15	7.05	3.64	5.60	4 (1)	
	—	1.18	1.89	—	—	1.18	1.89	0.44	1.54	4 (2)	
	—	1.57	3.07	—	—	1.57	3.07	1.43	2.68	4 (3)	
	—	2.15	3.92	0.03	0.06	2.12	3.86	1.62	3.46	4 (4)	
	—	0.24	1.13	—	—	0.24	1.13	0.24	1.13	5	
	—	10.22	0.64	—	—	10.22	0.64	10.22	0.64	6	
	—	220.72	220.26	—	—	220.72	220.26	220.72	220.26	7 (अ)	
	—	4.00	1.56	—	—	4.00	1.56	4.00	1.56	7 (ब)	
	—	15.00	9.90	—	—	15.00	9.90	15.00	9.90	7 (स)	
	—	46.66	—	—	—	46.66	—	46.66	—	7 (द)	
01	0.02	26.40	15.14	0.15	0.20	26.25	14.94	26.25	14.94	8	
	0.09	0.78	1.09	—	0.12	0.78	0.97	0.28	0.70	9	
98	10.03	209.23	123.04	45.58	23.41	163.65	99.63	156.46	97.18	10 (1)	
37	7.36	114.23	74.78	22.78	16.13	91.45	58.65	86.93	57.72	10 (2)	
93	19.35	1077.24	750.76	86.86	58.53	990.38	692.23	948.59	668.22	योग-(1)	
72	0.77	263.06	286.49	77.70	114.44	185.36	172.05	185.24	172.03	2 (1)	
	—	0.10	0.22	—	—	0.10	0.02	0.10	0.02	2 (2)	
72	0.77	263.16	286.51	77.70	114.44	185.46	172.07	185.34	172.05	योग(2)	
55	20.12	1340.40	1037.27	164.56	172.97	1175.84	864.30	1133.93	840.27	योग-1	

क्रम- संख्या	योजना का नाम	पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ओवर ड्यू की धनराशि (1-4-1987 को)		स्ताम 3 व 4 में दिखाए गये ओवर ड्यू में से बसूल किये गये ऋणों की धनराशि		संदभित वित्तीय वर्ष (1987-88) की मांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
2—ग्राम्य विकास विभाग:—							
1	अधिक अन्न उपजाओ तकावी ऋण (अन्य क्षेत्र में)	सं० 1 345.35	₹० 498.80	68.82	23.87
2	ग्राम्य सिंचाई कार्य हेतु गांव सभाओं को दिए गये अधिक अन्न उपजाओ ऋण	30.84
3	गांव सभाओं को वितरित राष्ट्रीय प्रसार सेवा ऋण	23.29
4	तकावी नियमों के अन्तर्गत वितरित राष्ट्रीय प्रसार सेवा ऋण	सं. 257.32	₹. 57.42	7.82	2.33
5	भारत सेवक समाज को ऋण	2.58	9.08
6	गन्ना संस्थाओं को दिए गए ऋण— अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत	7.99	5.86
योग-2		1 667.37सं०	571.16₹.	78.64	26.20
3—कृषि विभाग:—							
(1) निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, रानीखेत:—							
1	औद्योगिक कार्यों के लिए दीर्घकालीन बागवानी ऋण (तकावी)	223.11सं०	48.60	117.93	48.60	..	19
2	मशरूम उत्पादन हेतु दीर्घकालीन ऋण	13.75	0.41	10.26	0.41	21.15	..
3	पहाड़ी क्षेत्र में आलू विकास	0.09	0.01	..
4	देहरादून जिले के चकराता तहसील में औद्योगिक विकास की योजना	0.50	1.50
5	फल उत्पादन के औद्योगिक विकास की योजना	0.52
6	चुने हुए विकास खंडों में औद्योगिक विकास की योजना	0.14	0.49
योग (1)		238.11सं०	51.00	128.19	49.01	21.16	20

सं = संशोधित

म 7 का 8 में गई गई वारदातियां मूल वसूल किये शुल्कों की राशि		वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में								
		वसूली के लिये कुल वारदातियां		वसूल की गई कुल वारदातियां		अभ्याज की काला- तीत (प्रोव्. र. ड्यू) वारदातियां		स्तम्भ 15 तथा 16 की वसूली योग्य वारदातियां		रकम- संवर्धन
मूलधन	अभ्याज	मूलधन (स्तम्भ 3+7)	अभ्याज (स्तम्भ 4+8)	मूलधन (स्तम्भ 5+9)	अभ्याज (स्तम्भ 6+10)	मूलधन (स्तम्भ 11-13)	अभ्याज (स्तम्भ 12-14)	मूलधन	अभ्याज	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
..	..	1345.35	498.80	68.82	23.87	1276.53	474.93	1276.53	474.93	1
..	..	30.84	30.84	..	30.84	..	2
..	..	23.29	23.29	..	23.29	..	3
..	..	257.32	57.42	7.82	2.33	249.50	55.09	249.50	55.09	4
..	..	2.58	25.62	2.58	25.62	2.58	25.62	5
..	..	7.99	6.37	7.99	6.37	7.99	6.37	6
..	..	1667.37	588.21	76.64	26.20	1590.73	562.01	1590.73	562.01	योग-2
..	52.13	223.11	246.28	117.93	100.73	105.18	145.55	105.18	145.55	1
..	..	34.90	9.40	10.26	0.41	24.64	8.99	24.64	8.99	2
01	..	0.10	..	0.01	..	0.09	..	0.09	..	3
..	..	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	4
..	..	0.52	0.52	..	0.52	..	5
..	..	0.14	0.49	0.14	0.49	0.14	0.49	6
10	52.13	259.27	257.67	128.20	101.14	131.07	156.53	131.07	156.53	योग(1)

क्रम- संख्या	योजना का नाम	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में ओवर ड्यू की धनराशि (1-4-87 को)		सत्रम् 3 व 4 में दिखाये गये ओवर ड्यू में से वसूल किये गये ऋणों की धनराशि		संदभित वित्तीय वर्ष (1937-88) की भांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
(2) निदेशक उद्यान एवं फसल उपयोग, लखनऊ							
1—उत्तर प्रदेश के नूतने हुए खण्डों में संहत रूप से औद्योगिक विकास की योजना							
		6.27	1.80
2—आलू की खेती हेतु तकावी							
		0.05
3—औद्योगिक विकास की योजना							
		8.26सं०	6.24सं०
4—उद्यानों की पूर्वी जिलों में विकास की योजना							
		2.21	1.42
योग (2)		16.79सं०	9.46सं०
(3) कृषि निदेशक							
राजस्व विभाग द्वारा बसूली —							
1—कृषि भूमि में भूमि संरक्षण							
		12.05	3.36	0.99	1.42
2—गुणक खेती की अग्रगामी योजना							
		22.46	6.85	0.36	0.55
3—लघु सिंचाई							
		5.80	3.43	3.09	1.97	2.50	0.7
4—उत्तर प्रदेश में उन्नतशील ढंग से जूट रेशा निकालना							
		1.50
5—कृषि रक्षा							
		1.57	0.21
6—उर्वरक बीज एवं अन्य कृषि सामग्री							
		1737.52	..	14.02
7—उन्नत कृषि यंत्रों तथा पौध रक्षा यंत्रों के वितरण को लोकप्रिय बनाने की योजना							
		78.60	..	0.12	0.0
सहकारिता विभाग द्वारा बसूली—							
8—तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाना							
		18.14	13.26	0.14	0.86	..	1.5
9—हावर परचेज योजना							
		17.67	11.24	1.51	0.37	..	0.2
योग (3)		1895.31	38.35	19.23	5.17	2.50	2.5
(4) कृषि अनुभाग-6							
1—उपनिदेशन क्षेत्, खीरी—							
(अ) तकावी ऐक्ट-19							
		0.01	0.01
(ब) टेनामेंट लोन							
		0.17	0.29सं०	0.01	0.02
(स) डेवलपमेंट लोन							
		0.09
योग (4)		0.27	0.30	0.01	0.02
योग-3 [(1)+(2)+(3)+(4)]		2150.18सं०	99.11सं०	147.43	54.20	23.66	209.2

मा 7 व 8 में

वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में

आई आई वन राशि

समझ वक्तव्य के

शुद्धों को

राशि

वृत्तों के तब
कुल घनराशिवृत्तों को तब
घनराशिबताया की तब
चौत (प्रोवर्डर)
घनराशिसम्भ 15 तथा 16
की तब तब प्रोग्र
घनराशिक्रम
संख्या

लघन	व्याज	मूलधन (सम्भ 3+7)	व्याज (सम्भ 4+8)	मूलधन (सम्भ 5+9)	व्याज (सम्भ 6+10)	मूलधन (सम्भ 11-13)	व्याज (सम्भ 12-14)	मूलधन	व्याज	क्रम संख्या
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
..	..	6.27	1.80	6.27	1.80	6.27	1.80	1
..	..	0.05	0.05	..	0.05	..	2
..	..	8.26	6.24	8.26	6.24	8.24	6.22	3
..	..	2.21	1.42	2.21	1.42	2.21	1.42	4
..	..	16.79	9.46	16.79	9.46	16.77	9.44	योग (2)
..	..	12.05	3.36	0.99	1.42	11.06	1.94	11.06	1.94	1
..	..	22.46	6.85	0.36	0.55	22.10	6.30	22.10	6.30	2
..	..	8.30	4.18	3.09	1.97	5.21	2.21	5.21	2.21	3
..	..	1.50	1.50	..	1.50	..	4
..	..	1.57	0.21	1.57	0.21	1.57	0.21	5
..	..	1737.52	..	14.02	..	1723.50	..	1723.50	..	6
..	0.07	78.60	0.07	0.12	0.07	78.48	..	78.48	..	7
..	..	18.14	14.79	0.14	0.86	18.00	13.93	18.00	13.93	8
..	..	17.67	11.45	0.51	0.37	17.16	11.08	17.16	11.08	9
..	0.07	1897.81	40.91	19.23	5.24	1878.58	35.67	1878.58	35.67	योग (3)
..	..	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1-घ
..	..	0.17	0.29	0.01	0.02	0.16	0.27	0.16	0.27	1-ब
..	..	0.09	0.09	..	0.09	..	1-स
..	..	0.27	0.30	0.01	0.02	0.26	0.28	0.26	0.28	योग (4)
0.01	52.20	2174.14	308.34	147.44	106.40	2026.70	201.94	2026.68	201.92	योग -3

क्रम संख्या	योजना का नाम	उत्पत्ति वर्ष के लिये आवंटित सुध की धनराशि (1-4-87 को)		स्तर 3 व 4 में दिखाये गये प्रोडर सुध में से वसूल हिये गये ऋणों की धनराशि		संश्लिष्ट वित्तीय वर्ष (1987-88) की मांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
4- सहायिका विभाग—							
1--सहकारी ऋण-विक्रय, शीत भंडार तथा ग्रामीण गोशाला	{ मैदानी पर्वतीय	205.88 18.80	272.87 26.48	0.40 0.60	0.05 0.27	9.47 3.66	12.9 3.4
2--सहकारी ऋण एवं बैंकिंग योजना		0.22	0.21
3--सहकारी कृषि योजना		16.44	18.19	0.14	0.08	0.68	0.2
4--ग्राम दान भूदान योजना		0.01
5--टेक्सटाइल मिल, बुन्देलखण्ड		219.61	336.89
6--सहकारी उपभोक्ता भंडार योजना	{ मैदानी पर्वतीय	81.93 2.15	96.15 4.37	2.71 0.02	1.01 —	5.79 0.86	3.7 0.4
7--पी 0बी 0एफ 0 को ऋण हेतु		586.23	355.07	584.81	84.89	482.40	94.8
8--डी 0सी 0डी 0एफ 0, इटावा (मृदयापुर ग्राम निवासियों) को ऋण		0.07
9--उ 0 प्र 0 सहकारी बैंक, लि 0		311.01	254.56	311.01	158.30	463.37	195.1
10--भूमि विकास बैंक को ऋण		—	25.05	—	—	—	—
11--रिशवावाजर सहकारी समितियों को ऋण		1.29	1.30	—	—	0.02	—
12--ब्रेक्डर केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण		5.13	7.71	—	—	0.64	0.47
13--सहकारी वनसात मिल, हरदोई		21.96	19.76	—	—	5.49	4.9
14--सहकारी ग्रामीण उपभोक्ता योजना	{ मैदानी पर्वतीय	110.83 4.70	162.57 7.37	2.83 0.22	3.40 0.26	25.78 2.18	24.3 2.6
15--न्याय पंचायत स्तरीय ग्रामीण गोशाला		256.67	514.16	2.11	3.23	43.98	28.7
16--नगरीय बैंकों के लिये ऋण		0.66	1.05	—	—	0.17	0.24
17--डी 0 सी 0 डी 0 एफ 0 को बोज के लिए ऋण		0.23	0.35	—	—	0.06	0.0
18--उ 0 प्र 0 उपभोक्ता सहकारी संघ		22.20	4.84	22.20	4.84	25.53	6.77
19--श्रम समितियों को ऋण	{ मैदानी पर्वतीय	2.73 0.82	3.79 0.72	—	—	—	—
20--डी 0 सी 0 बी 0 को नवीनीकरण हेतु ऋण		5.66	9.31	0.52	—	1.60	0.9
21--खाद्यान्न व्यवसाय हेतु ऋण	{ मैदानी पर्वतीय	12.39 0.86	3.76 0.51	0.24 0.05	0.05 0.01	—	—
22--अल्प सिचाई तथा कृषि यन्त्रों हेतु ऋण		7.34	3.30	0.12	0.09	—	—
23--प्रक्रियात्मक समिति को ऋण	..	4.14	9.38	0.25	0.17	1.04	0.81
24--अनार्थिक सहकारी पूंति भंडारों को सुदृढ़ करने के लिए ऋण		8.10	3.24	0.04	0.02	8.10	2.43
25--ट्राइवेल क्षेत्रीय सहकारी ऋण (पर्वतीय)		2.67	2.31	—	—	0.67	0.5
6--प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति एवं बहुउद्देशीय संस्थाओं के लिए कीटनाशक दवाओं के लिए ऋण		2.87	0.35	0.01	—	0.88	0.2
2	योग -4	1906.60	2045.62	928.28	256.72	1083.26	384.3

सम्पन्न 7 अथ 8 में विभाजित
ई धनराशि के समस्त
मूल प्रिये वने क्षर्गा
की धनराशि

द्वितीय वर्ष 1987-88 के अंत में

		वर्षों के विवेक कर धनराशि		वर्ष ही गई कर धनराशि		वर्षाया को आला- तोव (ग्रोवर इयू) धनराशि		कालम 15 तथा 16 की वसूली योग्य धनराशि		क्रम- संख्या
मूलधन	व्याज	मूलधन (स्तम्भ 3+7)	व्याज (स्तम्भ 4+8)	मूलधन (स्तम्भ 5+9)	व्याज (स्तम्भ 6+10)	मूलधन (स्तम्भ 11-13)	व्याज (स्तम्भ 12-14)	मूलधन	व्याज	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
..	..	215.35	285.80	0.40	0.05	214.95	285.75	214.95	285.75	1 (मैदानी)
..	..	17.46	29.91	0.60	0.27	16.86	29.64	16.86	29.64	1 (पर्वतीय)
..	..	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	2
..	..	17.12	18.40	0.14	0.08	16.98	18.32	16.98	18.32	3
..	..	0.01	0.01	..	0.01	..	4
..	..	219.61	236.89	219.61	236.89	219.61	236.89	5
..	..	87.72	99.87	2.71	1.01	85.01	98.86	85.01	98.86	6 (मैदानी)
..	..	3.01	4.80	0.02	..	2.99	4.80	2.99	4.80	6 (पर्वतीय)
72.05	75.91	1068.23	449.92	656.86	160.80	411.77	289.12	411.77	289.12	7
..	..	0.07	0.07	..	0.07	..	8
320.05	102.71	774.38	449.68	631.06	261.01	143.32	188.67	143.32	188.67	9
..	25.05	25.05	..	25.05	10
..	..	1.31	1.30	1.31	1.30	1.31	1.30	11
..	..	5.77	8.18	5.77	8.18	5.77	8.18	12
..	..	27.45	24.70	27.45	24.70	27.45	24.70	13
..	..	136.61	186.93	2.83	3.40	133.78	183.53	133.78	183.53	14 (मैदानी)
..	..	6.88	10.03	0.22	0.26	6.66	9.77	6.66	9.77	14 (पर्वतीय)
..	..	300.65	542.95	2.11	3.23	298.54	539.72	298.54	539.72	15
..	..	0.83	1.29	0.83	1.29	0.83	1.29	16
..	..	0.29	0.38	0.29	0.38	0.29	0.38	17
..	..	47.73	11.61	22.20	4.84	25.53	6.77	25.53	6.77	18
..	..	2.73	3.79	2.73	3.79	2.73	3.79	19 (मैदानी)
..	..	1.46	0.99	..	0.05	1.46	0.94	1.46	0.94	19 (पर्वतीय)
..	..	7.26	10.28	0.52	..	6.74	10.28	6.74	10.28	20
..	..	12.39	3.76	0.24	0.05	12.15	3.71	12.15	3.71	21 (मैदानी)
..	..	1.11	0.62	0.05	0.01	1.06	0.61	1.06	0.61	21 (पर्वतीय)
..	..	7.34	3.30	0.12	0.09	7.22	3.21	7.22	3.21	22
..	..	5.18	10.19	0.25	0.17	4.93	10.02	4.93	10.02	23
..	..	16.20	5.67	0.04	0.02	16.16	5.65	16.16	5.65	24
..	..	3.34	2.81	3.34	2.81	3.34	2.81	25
..	..	1.75	0.61	0.01	..	1.74	0.61	1.74	0.61	26
192.10	178.62	2989.86	2429.92	1320.38	435.34	1669.48	1994.58	1669.48	1994.58	योग-4

योग का नाम	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में ओवरड्रू की धनराशि (1-4-87 को)		स्तम्भ 3 व 4 में दिखाये गये ओवर ड्रू में से वसूल किये गये ऋणों की धनराशि		संदर्भित वित्तीय वर्ष (1937-88) की मांग		
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	
1	2	3	4	5	6	7	8
5-दुग्ध प्रायुक्त							
1-ब्याज मुक्त ऋण	..	0.38	--	--	--	--	--
2-पशु ऋण	..	30.26	21.27	1.11	0.07	--	2.28
3-सघन पशु ऋण	..	7.74	5.67	0.06	1.18	--	0.72
4-सहकालीन ऋण (दाना चारा के लिए)		1.94	1.98	0.01	0.29	--	0.24
5-दीर्घ कालीन ऋण		41.61	86.17	1.55	1.84	18.90	36.11
योग-5		81.93	115.09	2.73	2.38	18.90	39.35
6-दुग्ध निदेशालय							
1-नामल स्कीम कुक्कुट ऋण		2.25	2.29	0.01	0.01	--	0.03
2-शैश प्रोद्योग कुक्कुट ऋण		1.25	1.52	..	0.01	--	--
3-निश्चित खेती योजना		1.40	1.06	..	--	--	0.01
4-सहकारी समितियों को कुक्कुट ऋण		--	0.01	--	--	--	--
5-म्यूस बीडिंग योजना		0.01	--	--	--	--	--
6-घोत डाईजेस्टर योजना		0.64	0.49	--	--	--	--
7-सोमान्त जिलों में तकावी ऋण (दुधारू पशु क्रय हेतु)		0.01	--	--	--	--	--
8-सोमान्त जिलों में भेड़ क्रय हेतु तकावी ऋण		0.03	0.01	--	--	--	--
9-सवाई दर पर भेड़ वितरण		0.01	0.02	--	--	--	--
10-वेडां के क्रय हेतु ऋण		0.06	0.04	--	--	--	--
योग-6		5.66	5.44	0.01	0.02	--	0.04
7-मत्स्य निदेशालय							
1-लघु जलाशयों को प्रसार योजना		0.10	0.22	--	--	--	--
8-निदेशक, अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग							
1-प्रप्रगामी विहास योजना, अजीतभल, इटावा		1.17	1.09
9-राजस्व विभाग--							
1-तहसीली अधिनियम XII		886.00	..	124.00	..	255.00	..
2-तहसीली अधिनियम XIX		49.00	..	5.00	..	15.00	..
योग-9		935.00	..	129.00	..	270.00	..

स्तम्भ 7 व 8 में
बिछाई गई धन-
राशि के समक्ष
बनूत किये गये
धनों की धनराशि

वित्तीय वर्ष 1987-88 के पन्त में

		बनूत की लिए कुल धनराशि		बनूत की गयी कुल धनराशि		बनूत की काला- तीत (ओवर ड्यू) धनराशि		कार्य 15 तथा 16 की बनूत योग्य धनराशि		धन- संख्या
मूलधन	व्याज	मूलधन (स्तम्भ 3+7)	व्याज (स्तम्भ 4+8)	मूलधन (स्तम्भ 5+9)	व्याज (स्तम्भ 6+10)	मूलधन (स्तम्भ 11-13)	व्याज (स्तम्भ 12-14)	मूलधन	व्याज	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
..	..	0.38	0.38	--	0.38	--	1
..	..	30.26	23.55	1.11	0.07	29.15	23.48	29.15	23.48	2
..	..	7.74	6.39	0.06	0.18	7.68	6.21	7.68	6.21	3
..	..	1.94	2.22	0.01	0.29	1.93	1.93	1.93	1.93	4
..	..	60.51	120.28	1.55	1.84	58.96	120.41	58.56	120.44	5
..	..	100.83	154.44	2.73	2.38	98.10	152.06	98.10	152.06	योग-5
..	..	2.25	2.32	0.01	0.01	2.24	2.31	2.24	2.31	1
..	..	1.25	1.52	..	0.01	1.25	1.51	1.25	1.51	2
..	..	1.40	1.07	1.40	1.07	1.40	1.07	3
..	0.01	0.01	..	0.01	4
..	..	0.01	0.01	..	0.01	..	5
..	..	0.64	0.49	0.64	0.49	0.64	0.49	6
..	..	0.01	0.01	..	0.01	..	7
..	..	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	8
..	..	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	9
..	..	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	10
..	..	5.66	5.48	0.01	0.02	5.65	5.46	5.65	5.46	योग-6
..	..	0.10	0.22	0.10	0.22	0.10	0.22	योग-7
--	--	1.17	1.09	--	--	1.17	1.09	1.17	1.09	योग-8
86.00	--	1141.00	--	210.00	--	931.00	--	594.00	--	1
5.00	--	64.00	--	0.00	--	54.00	--	28.00	--	2
91.00	--	1205.00	--	220.00	--	985.00	--	622.00	--	योग-9

सं- क्रमा	संस्था का नाम	विछले वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रोविडण्ड की धनराशि (1-4-1987 को)		स्लम 3 व 4 में दिखाए गये प्रोविडण्ड में से वसूल किए गए ऋणों की धनराशि		संदर्भित वित्तीय वर्ष (1987-88) की मांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
10—संभावित निवेशालय—							
1	उत्पादक परिसम्पत्ति के विकास एवं सुजन हेतु गांव समा को ऋण	10.99	3.41
2	ग्रामीण गृह निर्माण योजना	35.88	27.20
	योग - 10	46.87	30.61
11—सहायता तथा पुनर्वासित विभाग—							
1	भाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	71.85	25.51
2	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों को ऋण	9.94	5.67
	योग - 11	81.79	31.18
12—शान्त तथा स्वयं विभाग—							
1	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को ऋण	17.55	17.77	0.96
13—उच्च शिक्षा निदेशालय							
1	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	37.56	11.25	0.36	0.16	5.08	5.91
4—प्राथमिक शिक्षा निदेशालय							
1	प्राथमिक शिक्षा ऋण योजना	3.14	22.56

स्तम्भ 7 व 8 में
दिखाई गई धनराशि
के समक्ष वसूल किये
गये ऋणों की
धनराशि

वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में

वसूली के लिये
कुल धनराशि

वसूल की गई कुल
धनराशि

बकाया को काजा-
तीत (घोवरड्यू)
धनराशि

स्तम्भ 14 तथा 15
की वसूली योग्य
धनराशि

क्रम-
संख्या

मूलधन	ब्याज	मूलधन (स्तम्भ 3+7)	ब्याज (स्तम्भ 4+8)	मूलधन (स्तम्भ 5+9)	ब्याज (स्तम्भ 6+10)	मूलधन (स्तम्भ 11-13)	ब्याज (स्तम्भ 12-14)	मूलधन	ब्याज	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
---	---	10.99	3.41	---	---	10.99	3.41	10.99	3.41	1
---	---	35.88	27.20	---	---	35.88	27.20	35.88	27.20	2
---	---	46.87	30.61	---	---	46.87	30.61	46.87	30.61	योग-10
---	---	71.85	25.51	---	---	71.85	25.51	71.85	25.51	1
---	---	9.94	5.67	---	---	9.94	5.67	9.94	5.67	2
---	---	81.79	31.18	---	---	81.79	31.18	81.79	31.18	योग-11
---	---	17.55	18.73	---	---	17.55	18.73	17.55	18.73	योग-12
---	---	42.64	17.16	0.36	0.16	42.28	17.00	42.28	17.00	योग-13
---	---	3.14	22.56	---	---	3.14	22.56	3.14	22.56	योग-14

परिशिष्ट-ग (ii)

(ii) विभागवार वितरित ऋणों

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों के बकाया की 1-4-1988 की स्थिति

क्रम- विभाग का	पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रोडर ड्यू की धनराशि (1-4-1987 को)		स्तम्भ 2 व 3 में दिखाये गये प्रोडर ड्यू में से वसूल किये गये ऋणों की धनराशि		संचयित वित्तीय वर्ष (1987-88) को मांग		स्तम्भ 6 व 7 में दिखाई गई धन- राशि के अन्त में वसूल किये गये ऋणों की धनराशि	
	मूलधन	उधारा	मूलधन	उधारा	मूलधन	उधारा	मूलधन	उधारा
2	3	4	5	6	7	8	9	10
—प्रयोग	1181.74	830.17	131.91	152.85	158.66	177.10	34.65	20.12
—साम्य विकास	1667.37	571.16	76.64	26.20	—	17.05	—	—
—शिक्षा	2150.48	39.11	147.43	54.20	23.66	209.23	0.01	52.20
—सहकारिता	1906.60	2045.62	928.28	256.72	1083.26	384.30	392.10	178.62
—ग्राम विकास	81.93	115.09	2.73	2.38	18.90	39.35	—	—
—ग्रामीण विकास	5.66	5.44	0.01	0.02	—	0.04	—	—
—सहाय्य	0.10	0.22	—	—	—	—	—	—
—निर्धनता	1.17	1.09	—	—	—	—	—	—
—राजस्व	935.00	—	129.00	—	270.00	—	91.00	—
—संचयित राज	46.87	30.61	—	—	—	—	—	—
—उत्पादन तथा पुनर्निर्माण	81.79	31.18	—	—	—	—	—	—
—उद्योग तथा रचना	17.55	17.77	—	—	—	0.96	—	—
—शिक्षा	37.58	11.25	0.36	0.16	5.03	5.91	—	—
—प्रविधिक शिक्षा	3.14	22.56	—	—	—	—	—	—
योग ..	8116.96	3811.27	1416.36	492.53	1559.56	833.94	515.76	250.94

सं० = संशोधित

संज्ञित विवरण

चिनका सेवा निमावाणकों द्वारा रका जाता है

(संज्ञित वषयों में)

वर्ष 1987-88 में
अंश लक्ष बसुली को
लिये कुल धनराशि

बसुली को लयी कुल
धनराशि

बकाया कालातीत
(प्रोवद हू) धनराशि
(1-4-88 को)

स्तम्भ 14 तथा 15
को बसुली योग्य
धनराशि

क
च

मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
11	12	13	14	15	16	17	18
1340.40	1037.27	164.56	172.97	1175.84	864.30	1133.93	840.27
1667.37	588.21	76.64	26.20	1590.73	562.01	1590.73	562.01
2174.14	308.34	147.44	106.40	2026.70	201.94	2026.68	201.92
2989.86	2429.92	1320.38	435.34	1669.48	1994.58	1669.48	1994.58
100.83	154.44	2.73	2.38	98.10	152.06	98.10	152.06
5.86	5.48	0.01	0.02	5.65	5.46	5.65	5.46
0.10	0.22	0.10	0.22	0.10	0.22
1.17	1.09	1.17	1.09	1.17	1.09
205.00	..	220.00	..	985.00	..	363.00	..
46.87	30.61	46.87	30.61	46.87	30.61
81.79	31.18	81.79	31.18	81.79	31.18
17.55	18.73	17.55	18.73	17.55	18.73
42.64	17.16	0.38	0.16	42.28	17.00	42.28	17.00
3.14	22.56	3.14	22.56	3.14	22.56
676.52	4845.21	1932.12	743.47	7744.40	3901.74	7339.47	3877.69

यो

बार्षिकी 1

विवरण-प्रकृति जिसमें राज्य की कुल ऋण प्रस्तुता दिखाई गई है

(हजार रुपये में)

शीर्षक	31 मार्च, 1988		1988-89 (पुनरोक्षित)		31 मार्च, 1989		1989-90 (आय-व्ययक)		31 मार्च, 1990
	रकम लिया गया	को शेष (वास्तविक आंकड़े)	निवा गया	दिया गया	को शेष (पुनरोक्षित)	लिया गया	दिया गया (आय-व्ययक)	को शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
७-लोक ऋण-स्थायी ऋण-ऋण--									
1-बाजार उधार--									
(1)	4	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1968	अगस्त, 1956	6,79	..	6,79
(2)	4	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1969	अगस्त, 1960	9,50	..	1,00	7,50	1,00	6,50
(3)	4	1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1970	जुलाई, 1958	17,83	..	1,00	16,83	1,00	15,83
(4)	4	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1971	अगस्त, 1959	7,51	..	1,00	6,51	1,00	5,51
(5)	4	1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1972	दिसम्बर, 1961	10,18	..	1,00	9,18	1,00	8,18
(6)	4	1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1974	अगस्त, 1962	10,58	..	1,00	9,58	3,50	6,08
(7)	4	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1976	अगस्त, 1964	14,91	..	2,00	12,91	5,00	7,91
(8)	5	1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1977	अगस्त, 1965	44,76	..	2,00	42,76	5,00	37,76
(9)	5	1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1978	दिसम्बर, 1966	34,80	..	5,00	29,80	5,00	24,80
(10)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1979	अगस्त, 1967	36,82	..	5,00	31,82	5,00	26,82
(11)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1980	अगस्त, 1968	37,04	..	5,00	32,04	10,00	22,04
(12)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1981	अगस्त, 1969	48,71	..	5,00	43,71	15,00	28,71
(13)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1982	अगस्त, 1970	44,43	..	10,00	34,43	10,00	24,43
(14)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1983	अगस्त, 1971	55,84	..	15,00	40,84	20,00	20,84
(15)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1984	अगस्त, 1972	67,59	..	20,00	47,59	30,00	17,59
(16)	5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1985	अगस्त, 1973	85,70	..	25,00	60,70	40,00	20,70
(17)	6	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1984	अगस्त, 1974	1,11,85	..	20,00	91,85	30,00	61,85

(18)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1985	अगस्त, 1975	46,39	..	15,00	31,39	..	25,00	6,39	
(19)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1986	अगस्त, 1976	73,75	..	20,00	53,75	..	40,00	13,75	
(20)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1987	अगस्त, 1977	2,19,66	..	60,00	1,59,66	..	50,00	1,09,66	
(21)	6 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1988	सितम्बर, 1978	42,20,29	..	38,00,00	4,20,29	..	60,00	3,60,29	
(22)	6 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1989	सितम्बर, 1979	42,34,19	42,34,19	..	41,00,00	1,34,19	
(23)	6 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण 1992	सितम्बर, 1980	42,44,85	42,44,85	42,44,85	
(24)	7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1993	सितम्बर, 1981	93,36,12	93,36,12	93,36,12	
(25)	7 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1997	जुलाई, 1982	1,13,46,98	1,13,46,98	1,13,46,98	
(26)	8 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1995	अगस्त, 1983	1,51,41,16	1,51,41,16	1,51,41,16	
(27)	9 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1999	सितम्बर, 1984	2,41,36,60	2,41,36,60	2,41,36,60	
(28)	9 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1998	सितम्बर, 1985	2,81,91,00	2,81,91,00	2,81,91,00	
(29)	11 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 2001	सितम्बर, 1986	2,77,46,04	2,77,46,04	2,77,46,04	
(30)	11 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 2002	अगस्त, 1987	3,14,22,50	3,14,22,50	3,14,22,50	
(31)	11 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 2008	अगस्त, 1988	..	3,81,05,00	..	3,81,05,00	3,81,05,00	
(32)	नया ऋण	4,27,00,00	..	4,27,00,00	
*योग, बाजार उधार			..	16,10,03,37	3,81,05,00	40,20,79	19,50,87,58	4,27,00,00	44,57,50	23,33,30,08

*रि.वे बैंक से प्राप्त सूचना पर आधारित ।

(हजार करोड़ में)

शीर्षक	31 मार्च, 1988	1988-89 (पुनरीक्षित)		31 मार्च, 1989	1989-90 (आय-व्ययक)		31 मार्च, 1990	
	को शेष (वास्तविक आंकड़े)	लिया गया	दिया गया	को शेष (पुनरीक्षित)	लिया गया]	दिया गया	को शेष (आय-व्ययक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2—केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम—								
(1) साधनों की कमी को पूरा करने के लिये उधार	1,78,44,00	..	77,22,00	1,01,22,00	..	77,22,00	24,00,00	
(2) अल्प बचत संग्रह का हिस्सा	14,18,44,00	6,00,00,00	..	20,18,44,00	7,00,00,00	..	27,18,44,00	
(3) राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	16,99,45,55	9,09,92,00	1,24,27,63	24,85,09,92	11,32,11,40	1,84,93,76	34,32,27,56	
(4) केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	22,00,17	8,27,29	1,99,13	28,28,33	9,10,01	2,35,90	35,02,44	
(5) केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	..	35,47,82	11,81,09	1,77,94	45,50,97	12,99,19	2,87,20	55,62,96
(6) अन्य आयोजना भिन्न उधार	..	33,11,09	60,42,90	46,89,26	46,64,73	62,23,00	63,53,21	45,34,52
(7) अर्थोपाय अग्रिम	..	46,25,00	..	1,47,29	44,77,71	44,77,71
(8) 1984-85 से पहले के उधार	..	29,47,07,46	..	1,32,77,00	28,14,30,46	..	1,42,06,15	26,72,24,31
योग, केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम	..	63,80,25,09	15,90,43,28	3,86,40,25	75,84,28,12	19,16,43,60	4,72,98,22	90,27,73,50
3—स्वाशासित निकायों से उधार—								
(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग से उधार	..	12,35	12,35	12,35
(2) भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से उधार	..	26,84,71	18,00,00	2,06,75	42,77,96	20,00,00	2,09,27	60,68,69
(3) भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	..	58,97,58	9,60,00	2,75,86	65,81,72	10,32,00	3,06,88	73,06,84
(4) अन्य संस्थाओं से उधार	..	95,85,77	19,42,58	12,24,67	1,03,03,68	19,20,00	11,73,65	1,10,50,03
(5) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से उधार	..	17,44,09	57,00,00	56,49,52	17,94,57	35,00,00	41,24,52	11,70,05
योग, स्वाशासित निकायों से उधार	..	1,99,24,50	1,04,02,58	73,56,80	2,29,70,28	84,52,00	58,14,32	2,56,07,96
योग, उधार	..	81,89,52,96	20,75,50,86	5,00,17,84	97,64,85,98	24,27,95,60	5,75,70,04	1,16,17,11,54

ग्रन्थ दायित्व--

1--बन्ध

(1) नागर क्षेत्र प्रतिकर बन्ध	35,28	1	75	34,54	1	75	33,80
(2) जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध	30,84,19	1	1,50,00	29,34,20	1	1,00,00	28,34,21
(3) अधिकतम जोत सीमा प्रतिकर बन्ध	31,52	1	75	30,78	1	75	30,04
(4) उत्तर प्रदेश ऋण प्रस्त सम्पत्ति अधिनियम बन्ध	21,54	1	1	21,54	1	1	21,54
(5) पुनर्वासन अनुदान बन्ध	11,80,22	1	1,00,00	10,80,23	1	1,00,00	9,80,24
*योग, 1	43,52,75	5	2,51,51	41,01,29	5	2,01,51	38,99,83

2--प्रतिप्रवृद्ध ऋण--

(1) भविष्य निधियों के जमा	7,69,12,50	2,19,00 00	1,02,50,00	8,85,62,50	7,81,50,00	1,02,00,00	15,65,12,50
(2) सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं एवं आधारिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन देन	3,31,77,89	62,50,00	37,50,00	3,56,77,89	9,21,50,01	50,00,01	12,28,27,89
(3) बीमा और पेंशन निधियां	1,61,77,13	36,47,53	13,84,22	1,84,40,44	38,88,66	13,84,22	2,09,44,88
योग, 2	12,62,67,52	3,17,97,53	1,53,84,22	14,26,80,83	17,41,88,67	1,65,84,23	30,02,85,27

3--जमा और अग्रिम--

(1) सिविल जमा राशियां	11,02,87,98	15,60,81,00	15,00,00,00	11,63,68,88	17,50,00,00	17,00,00,00	12,13,68,88
(2) स्थानीय निधियों की जमा	1,33,43,64	4,00,00,00	4,00,00,00	1,33,43,64	4,50,00,00	4,50,00,00	1,33,43,64
योग, 3	12,36,31,52	19,60,81,00	19,00,00,00	12,97,12,52	22,00,00,00	21,50,00,00	13,47,12,52
योग, ग्रन्थ दायित्व	25,42,51,79	22,78,78,58	20,56,35,73	27,64,94,64	39,41,88,72	23,17,85,74	43,88,97,62
बड़ा योग	1,07,32,04,75	43,54,29,44	25,56,53,57	1,25,29,80,62	63,69,84,32	28,93,55,78	1,60,06,09,16

*रिजर्व बैंक से प्राप्त सुवना पर आधारित ।

नस्ती-2

विवरण-फ़्त जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिय गये उधार और अग्रिमों की अदत्त शेष धनराशि दिखाई गई है

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	31 मार्च, 1988	1988-89		31 मार्च, 1989	1989-90		31 मार्च, 1990
	को शेष (वास्तविक आंकड़े)	संवितरण (पुनरीक्षित)	प्राप्तियां (पुनरीक्षित)	को शेष (पुनरीक्षित)	संवितरण (आय-व्ययक)	प्राप्तियां (आय-व्ययक)	को शेष (आय-व्ययक)
1	2	3	4	5	6	7	8
6202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उधार ..	12,16,20	62,80	10,00	12,69,00	63,10	6,00	13,26,10
6215—जलपूर्ति और सफाई के लिये उधार ..	66,58,97	4,60,52	7,01	71,12,48	3,39,50	..	74,51,98
6216—आवास के लिये उधार ..	1,15,71,95	10,27,73	95,05	1,25,04,83	10,01,00	2,05	1,35,03,58
6217—नगर विकास के लिये उधार ..	98,23,14	61,69,25	19,75	1,59,72,64	41,10,87	..	2,00,83,51
6220—सूचना और प्रचार के लिये उधार ..	99,42	..	5,00	94,42	94,42
6225—अनुसूचित जातियों अनुसूचित ..	14,07,29	14,07,29	14,07,29
6235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये उधार ..	2,99,67	17,19	..	3,16,86	20,84	51	3,37,19
6250—अन्य सामाजिक सेवाओं के लिये उधार ..	4,55,67	..	50,00	4,05,67	..	40	4,05,27
6401—कृषि कार्य के लिये उधार ..	62,91,42	36,67,74	44,31,60	55,27,56	58,23,87	23,54,68	89,96,75
6402—मृ और जल संरक्षण के लिए उधार ..	4,86,89	..	10,00	4,76,89	4,76,89
6403—पशुपालन के लिये उधार ..	37,77	61,11	1,05	97,83	..	60	97,23
6404—डेरी विकास के लिये उधार ..	10,53,21	..	60	10,52,61	..	60	10,52,01
6405—मीन उद्योग के लिये उधार ..	3,29	..	10	3,19	3,19
6406—वानिकी और वन्य जीवन के लिये उधार ..	2,98	1,05	70	3,33	1,05	60	3,78
6408—खाद्य, भन्डारण तथा भन्डागारण के लिए उधार ..	14,14,60	..	8,00	14,06,60	5,40	8,20	14,03,80
6425—सहकारिता के लिये उधार ..	1,32,07,76	27,38,21	20,87,39	1,38,58,58	22,78,00	9,55,50	1,51,81,08
6506—मृमि सुधारों के लिये उधार ..	44,04	44,04	44,04
6515—वन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये उधार ..	1,58,41	..	7,50	1,50,91	1,50,91
6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार ..	1,01,41,37	24,59,65	69,79	1,25,31,23	19,32,26	15,90	1,44,47,59

6702--लघु सिंचाई के लिए उधार	..	16,91,30	..	3,90	16,88,30	16,88,30
6705--कमान क्षेत्र विकास के लिए उधार	..	73,10,12	50,00	3,00	73,57,12	1,47,23	..	75,04,35
6801--विद्युत् परियोजनाओं के लिये उधार	..	39,15,93,69	3,80,07,00	2	42,96,00,67	3,09,50,50	2	46,05,51,15
6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार	..	34,43,82	11,86,15	67,65	45,62,32	7,75,80	2,00,10	51,38,02
6853--असोद्ध धातु खनन और धातु कर्म उद्योगों के लिये उधार	..	81,38	81,38	81,38
6854--सीमेंट और धातु भिन्न खनिजों के लिए उधार	..	11,12,52	17,50,00	..	28,62,52	28,62,52
6858--इंजीनयर उद्योग के लिये उधार	..	18,81,19	6,66,00	..	25,47,19	25,47,19
6859--दूर संचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योगों के लिये उधार	..	2,17,10	2,17,10	2,17,10
6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार	..	1,39,81,77	39,38,01	71,00	1,78,48,78	1	..	1,78,48,79
6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	..	72,71,27	10,05,00	2,81,04	79,95,23	8,10,00	2,81,04	85,24,19
7055--सड़क परिवहन के लिये उधार	..	3,01,36	3,01,36	3,01,36
7075--अन्य परिवहन सेवाओं के लिये उधार	..	58,61	58,61	58,61
7452--पर्यटन के लिए उधार	..	60,33	60,33	60,33
7465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए उधार	..	38,80	38,80	38,80
7610--सरकारी सेवकों आदि को उधार	..	25,78,93	15,93,00	6,88,64	34,83,29	18,15,00	8,80,36	44,17,93
7615--विभिन्न उधार	..	7,12,82	87,01	59,63	7,40,20	5,00,01	..	12,40,21
योग	..	49,67,09,06	6,49,47,42	79,77,52	55,36,78,96	5,05,74,44	47,06,56	59,95,46,84

नत्यी-3

विवरण-पत्र जिसमें रक्षित निधियों के नियत शेष दिखाये गये हैं

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	31 मार्च, 1988 को शेष वास्तविक प्राकड़े		31 मार्च, 1989 को शेष पुनरीक्षित		31 मार्च, 1990 को शेष प्राब-ध्यायक	
	प्रविनियोजित	विनियोजित	प्रविनियोजित	विनियोजित	प्रविनियोजित	विनियोजित
1	2	3	4	5	6	7
1--अनमूल्यन रक्षित निधि—सिंचाई	77,97,50	44,40,33	1,06,85,16	44,40,33	1,44,90,26	44,40,33
2--अनमूल्यन रक्षित निधि—राजकीय मुद्रणालय	1,73,12	..	1,96,93	..	2,18,74	..
3--अनमूल्यन रक्षित निधि—सूक्ष्म उपर्यंत्र निर्माणशाला	35,36	..	35,36	..	35,36	..
4--ग्राम विकास निधि	9,50,94	..	9,50,94	..	9,50,94	..
5--अकाल राहत निधि	3,70,82	38,00	3,73,29	38,00	3,75,76	38,00
6--शक्कर शोध और श्रमिक आवास व्यवस्था निधि	1,71	..	1,71	..	1,71	..
7--जमींदारी सम्मूलन निधि	4,61,12	..	2,08,93	..	6,74	..
8--उत्तर प्रदेश सड़क निधि	20,23,56	..	20,23,56	..	20,23,56	..
9--चिकित्सालय निधि	17,40,43	..	17,40,43	..	17,40,43	..
10--अध्यापक आनुत्तोषिक निधि	11,17	..	11,17	..	11,17	..
11--राज्य पुल निधि	(-) 5,64,73	..	5,89,46	..	8,12,23	..
12--सामान्य बीमा निधि	11,86	..	11,86	..	11,86	..
13--नकूल निधि, लखनऊ	5,93	..	3,79	..	1,65	..
14--राज्य सहकारिता विकास निधि	4,77	..	4,27	..	4,26	..
15--कृषि उद्योग सहायता और प्रत्याभूति निधि	55,45	..	55,35	..	55,34	..
16--किसान सहायता निधि	1,19,60	..	1,20,45	..	1,21,35	..
17--मूल्य ह्रास आरक्षित निधि—बिजली	2,09,57	..	2,09,57	..	2,09,57	..

18-- प्राकस्मिकता आरक्षित निधि-- बिजली	6,19	6,19	6,19
19-- उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनः स्थापना, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि	2,89,06	2,89,06	2,89,06
20-- उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि	1,66,00	1,66,00	1,66,00
21-- राज्य विकास ऋणों एवं जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्धों के विमोचन से सम्बन्धित समेकित ऋण शोधन निधियां	3,81,43,52	4,62,67,90	5,54,96,66
22-- उत्तर प्रदेश पुलिस गृह निर्माण निधि	14,82,40	16,02,40	17,22,40
23-- उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण निधि	18,79,17	18,99,17	19,19,17
24-- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आवास निधि	6,71,67	6,71,67	6,71,67
25-- मंतलित क्षेत्रीय विकास निधि	3,95,00	3,95,00	3,95,00
26-- उत्तर प्रदेश युवा कल्याण निधि	1,76,00	1,76,00	1,76,00
27-- उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि	1,68,75	1,56,25	6,43,75
28-- उत्तर प्रदेश भाषा निधि	2,62,50	3,21,85	3,81,85
29-- पुलिस कल्याण निधि	2,11,59	2,26,50	2,41,59
30-- द्रव्य औद्योगिक इकाइयों के उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतायं निधि			11,00
योग	5,72,60,03	44,78,33	6,94,00,31
			44,78,33
			8,31,77,79
			44,78,33

नत्यी 5

ढ्याज सम्बन्धी प्राप्तिरों का विश्लेषण

(हजार रुपयों में)

वर्ष	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर ढ्याज						रॉनाडू षेव विनियोजनों पर ढ्याज	राज्य सरकार द्वारा चिये गये ऋणों और प्रतिभों पर ढ्याज	बड़ा योग			
	बिजली	सिंचाई	परिवहन	सूयोग	वन	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1978-79	48,93,34	48,93,34	47,79	15,24,92	64,66,95
1979-80	57,30,81	57,30,81	6,63,58	15,18,24	79,13,13
1980-81	68,39,91	68,39,91	4,48,79	9,51,34	82,40,08
1981-82	80,40,65	..	1,96	..	80,42,61	1,57,69	7,54,47	89,54,77
1982-83	92,46,37	..	4,27	..	92,50,64	2,78,49	30,97,23	1,26,26,36
1983-84	1,26,60,93	..	56,35	..	1,27,17,28	6,26,18	17,75,31	1,51,08,77
1984-85	1,40,21,05	..	5,15	..	1,40,26,20	2,88,24	17,62,86	1,60,77,30
1985-86	1,56,92,65	1,56,92,65	4,91,45	18,15,92	1,80,00,02
1986-87	1,73,28,05	..	20,05	..	1,73,48,10	7,56,08	32,81,67	2,13,85,85
1987-88	1,90,70,28	..	15,81	..	1,90,86,09	4,73,69	99,98,09	2,95,57,87
1988-89 (पुनरीक्षित अनुमान)	1,88,72,03	1,88,72,03	8,25,00	22,71,07	2,19,68,10
1989-90 (आय-व्ययक अनुमान)	2,84,02,03	2,84,02,03	5,00,00	17,41,39	3,06,43,42

तस्वी 6

विवरण-भत्र जिसमें स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता दिखाई गई है।

उन घनराशियों का विवरण जो स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिये 1988-89 के पुनरोक्षित अनुमानों और 1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों में सम्मिलित की गई है :--

(हजार रुपयों में)

अनुदान संख्या, मुख्य शीर्षक तथा प्रयोजन	पुनरोक्षित अनुमान 1988-89			आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1	2	3	4	5	6	7
अनुदान संख्या-2						
2217—शहरी विकास						
01—स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	8,86,75	..	8,86,75	15,69,13	..	15,69,13
अनुदान संख्या-3						
2215—जलपूर्ति और सफाई—						
01—स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं आदि को सहायता	1,89,50	..	1,89,50	2,10,50	..	2,10,50
2217—शहरी विकास—						
5—स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु विशेष अनुदान	3,41,00	..	3,41,00	1,50,00	..	1,50,00
2245—देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत—						
1—क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों आदि की मरम्मत हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	..	1,60,00	1,60,00
3054—सड़कों और पुल—						
1—स्थानीय निकायों को सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए अनुदान	..	33,31,11	33,31,11	..	39,67,71	39,67,71
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन						
1—सीमाकर की हानि के बदले कतिपय महापालिकाओं को अनुदान	..	20,00	20,00	..	20,00	20,00
2—उपरोक्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम के अन्तर्गत कन्ट्रोलेन्ट अधिकारियों को अनुदान	..	2,14	2,14	..	2,14	2,14
3—पथकर की समाप्ति के फलस्वरूप हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु नगर महापालिकाओं/टाउन एरियाओं को अनुदान	..	10,48,11	10,48,11	..	10,48,11	10,48,11
4—अन्य विविध क्षतिपूर्तियों एवं समनुदेशन हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	..	28,31,11	28,31,11	..	30,26,81	30,26,81

	पुनरीक्षित आंकड़े 1988-89			आय-व्ययक अनुमान 1989-90		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
अनुदान संख्या—14						
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम --						
कृषिपय कार्यों हेतु पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	5,48,10	9,03,10	14,51,20	7,27,44	6,03,10	13,30,45
3054—सड़कों और पुल—						
सड़कों के अनु रक्षण आदि के लिये जिला परिषदों को अनुदान	..	8,30,93	8,30,93	..	5,55,93	5,55,93
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं						
को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन						
1—चुंगीकर की स्थानीयदरों की प्रति पूंति हेतु जिला परिषदों को अनुदान	..	1,35,50	1,35,50	..	1,35,50	1,35,50
2—अन्य विविध क्षतिपूर्तियाँ और समनुदेशन हेतु जिला परिषदों को अनुदान	..	30,49	30,49	..	30,49	30,49
अनुदान संख्या—32						
2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--						
स्थानीय निकायों को औषधालयों के लिए अनुदान	..	25	25	..	25	25
अनुदान संख्या—47						
2551—पहाड़ी क्षेत्र						
1--अश्व मार्गों व मोटर मार्गों तथा पुलों की मरम्मत हेतु जिला परिषदों						
का अनुदान	..	24,00	24,00	24,00	..	24,00
2--सुलभ शौचालयों के निर्माणार्थ स्थानीय निकायों को सहायता	10,00	..	10,00
3--स्थूलतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के मलिन क्षेत्र में						
पर्यावरण सुधार हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	30,00	..	30,00	30,00	..	30,00
4--स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को						
अनुदान	50,00	..	50,00	50,00	..	50,00
अनुदान संख्या—53						
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं						
को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन--						
1--ग्राम पंचायतों को वन विभाग प्रबन्ध में रखे गये बनों की छोटी पैदावार						
की आय में ग्राम सभाओं को दिये धन का भुगतान	..	4,00	4,00	..	4,00	4,00

तृतीय-7

विवरण प्रपत्र जिसमें विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को छोड़कर अन्य संस्थाओं को स्वीकृत/प्राविधानित राशियां दर्शायी गई हैं

(हजार रुपयों में)

अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक आंकड़े 1987-88		प्राय-व्यय अनुमान 1988-89		प्राय-व्यय अनुमान 1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
2-2217-शहरी विकास							
	1-लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेंटर फार इरबन एंड इन-वायरनमेंटल स्टडीज) को सहायता-	..	33,51	..	5,00	..	6,00
	2-श्रीमती गांधी की स्मृति में गोमतीनगर लखनऊ में काम्पेन्स हॉल, आर्ट गैलरी एवं भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र को संयुक्त काम्पलेक्स का निर्माण-	1,00,00	..	1,90,00	..
	3-उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं जल संपूर्ति परियोजना हेतु अनुदान	1,27,34	..	3,41,40	..	6,15,30	..
	4-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्प्लेन्ट प्लान-उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं जल संपूर्ति परियोजना हेतु अनुदान	..	14,52	..	85,35	..	1,53,63
3-2053-जिला प्रशासन	1-कुम्भ मेला इलाहाबाद 1989 में विद्युत व्यवस्था हेतु राज्य विद्युत परिषद् को अनुदान	2,53,00	..	30,00
2215-जल पूर्ति और सफाई	1-शहरी जलपूर्ति हेतु जल निगम को अनुदान	..	16,46,88	..	17,00,00	..	23,00,00
	2-ग्रामीण जलपूर्ति हेतु अनुदान	..	62,26,84	..	98,42,00	..	82,12,00
	3-जलपूर्ति सीवरेज ड्रेनेज आदि के रख-रखाव हेतु तमा मेले में जल व्यवस्था हेतु अनुदान	..	17,83,49	..	23,69,98	..	20,21,51
	4-कृषि कर्मोपयोगी जलोत्सारण योजनाओं हेतु जल निगम को अनुदान	..	42,78	..	50,00	..	50,00
2245-दूरी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत	1-जल सम्पूर्ति ड्रेनेज आदि हेतु जलनिगम को अनुदान	1,25,00	..	2,50,00
5-2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1-ग्राम और लघु उद्योगों हेतु अनुदान	..	8,39,87	..	11,22,52	..	11,30,18
	2-खादी और ग्रामोद्योग परिषद् को अनुदान	..	4,57,78	2,22,23	49,00	9,75	3,49,94
	3-बाजार सर्वेक्षण हेतु अनुदान	..	17,15	..	10,00

6—2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1—उ० प्र० राज्य हथकरवा निगम तथा हथकरवा बुनकरों को अनुदान	6,56,47	23,49,00	6,79,86	30,00,00	6,72,96	31,80,00
	2—रेशम उद्योग हेतु अनुदान	56,00	..	5,00	..
	3—हथकरवा बुनकर समितियों को अनुदान	1	..	30,16	..	14,14	..
7—2885—उद्योगों और खनिजों पर अन्य व्यय	1—प्रदेश के पिछड़े जिलों में उद्यमकर्तियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, कानपुर को सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	53,40	..	1,00,00	..	1,00,00	..
	2—प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन उ० प्र० को सलाहकारी सेवा हेतु अनुदान	8,00	..	5,00	..
	3—प्रदेश में स्थापित होने वाले पायनियर तथा प्रेस्टिज इकाइयों के लिये सुविधाओं हेतु सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	35,00	..	25,00	..	40,00	..
	5—सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु सम्भाव्यता अध्ययन	7,00	..	5,00	..	5,00	..
	6—केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों को उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता	12,39	..	45,00	..	30,00	..
	7—पिकप को उपकरण कक्ष के रख-रखाव हेतु अनुदान	50,00	..	39,82	..
9—3453—विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	1—निर्यात संवर्धन योजना हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को अनुदान	81,60	..	11,00	..	45,78	..
10—2801—विद्युत्	1—विद्युत् बोर्डों को सहायता	1	..	1
11—2401—कृषि कार्य	1—वाणिज्यिक फसलों के विकास हेतु अनुदान	2,01,94	64
	2—बागवानी और सब्जियों के विकास हेतु अनुदान	30,94	..	19,20	1	19,75	1
	3—आदिम जाति क्षेत्र उपयोग के अन्तर्गत अनुदान	10	15
12—2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	1—कृषि निवेशों के क्रय हेतु अनुदान	5,00,00
2401—कृषि कार्य	1—खाद्यान्नों के फसलों के विकास हेतु अनुदान	11,14,10	..	11,91,04	..	22,68,40	..
	2—बीज के विकास हेतु अनुदान	31,98
	3—खाद्य और उर्वरक हेतु अनुदान	18,006,05
	4—पौधा संरक्षण हेतु अनुदान	59,41	..	63,54	..	64,56	..
	5—वाणिज्यिक फसलों के विकास हेतु अनुदान	3,74,74	..	2,58,80	..	20,89	..

अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक आंकड़े		आय-व्यय अनुमान		आय-व्यय अनुमान	
		1987-88		1988-89		1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
6--कृषि के विस्तार और प्रशिक्षण हेतु अनुदान	..	2,50	..	9,10	..	2,50,00	..
7--दलहन विकास हेतु अनुदान	1,53,50	..
8--कृषि इंजीनियरी हेतु अनुदान	6,00,00	..
9--तिलहन विकास हेतु अनुदान	4,32,47	..
10--आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कृषि विकास हेतु अनुदान	..	1,24	..	1,87	..	1,87	..
11--अन्य कार्यों हेतु अनुदान	..	4,19
2402--भूमि और जल संरक्षण	1--भूमि संरक्षण हेतु अनुदान	10,96,70	..	12,90,69	..	18,90,54	..
	2--भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु अनुदान	..	3,00,83	..	1,21,50	..	1,62,70
	3--आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण हेतु अनुदान	1,00	..	1,00	..	1,00	..
2408--खाद्य भण्डारण और भौंडागारण	1--खाद्य भण्डारण और भौंडागारण के अन्तर्गत अनुदान	44,19
2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1--कृषि अनुसंधान और शिक्षा हेतु अन्य संस्थाओं को अनुदान	4,90,70	12,39,48	4,24,40	13,01,42	5,55,40	13,22,10
2435--अन्य कृषि कार्यक्रम	1--मंडियों के विकास हेतु अनुदान	13,50	..	1,08,00	..	1,00,00	..
13-2245--देवी विपत्तियों के संबंध में राहत	1--ग्रामीण सम्पर्क मार्गों हेतु अनुदान	..	24,45
2501--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	1--एकीकृत ग्राम्य विकास के अन्तर्गत अनुदान	62,63,33	..	21,10,00	..	1,42,77,24	..
2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1--सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान	12,94,80	16,87	9,09,15	16,01	1,12,83	2,68,01
	2--आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	1,50

2702--लघु सिंचाई	1--लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये अनुदान	44,74	5,35	5,98,00	5,29	1,21,30	4,50
14--2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1--युवा कल्याण परिषद को अनुदान	24,00	..	24,00	..	24,00	..
15--2245--दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	1--बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों के रोकथाम हेतु अनुदान	..	50,99	50,00
2403--पशुपालन	1--निदेशालय में कैन्टीन की व्यवस्था हेतु अनुदान	30	..	30	..	45	..
	2--पशु और भैंस विकास हेतु अनुदान	63,00	..	54,12	..	43,56	..
	3--अन्य पशु विकास हेतु अनुदान	6,82	..
16--2404--ढेरी विकास	1--ढेरी विकास हेतु अनुदान	1,31,15	..	2,59,00	..	1,00,95	..
	2--सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता	54,94	..	82,26	..	46,33	..
17--2405--मीन उद्योग	1--सरकारी क्षेत्र के उपग्रामों को मत्स्य पालन हेतु अनुदान	1,87,68	..	1	..	3,00,00	..
	2--मत्स्य विकास हेतु अन्य अनुदान	64,93	..	7,80	..	3,54	..
18--2230--श्रम और रोजगार	1--सहकारी श्रम योजना हेतु अनुदान	5,00
2401--कृषि कार्य	1--ऋण समितियों के पुनर्स्थापन हेतु अनुदान	3,26,96	..
2425--सहकारिता	1--विधायन एवं संग्रहण योजना हेतु अनुदान	13,95
	2--प्रशिक्षण हेतु अनुदान	1,75,35	..	1,22,00	..	55,02	..
	3--सहकारी ऋण योजना हेतु अनुदान	2,58,63	..	3,23,81	..	29,17	..
	4--अन्य सहकारी समितियों को अनुदान	28,28	..	14,25	..	10,50	..
	5--कृषि ऋण सिगरीकरण निधि को अनुदान	13	..	75,00	..	75,00	..
	6--अन्य मदों हेतु अनुदान	45,30	..	3,44,04	..	38,20	..

तृतीय 7-(कमलः)

(हजार रुपयों में)

प्रनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक आंकड़े 1987-88		आय-व्ययक अनुमान 1988-89		आय-व्ययक अनुमान 1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
1	2	3	4	5	6	7	8
19-2501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	1-सूखा प्रणत क्षेत्र हेतु अनुदान	1,66,18	..	8,55,00	..	9,16,00	..
2705-कमान क्षेत्र विकास	1-गंडक रामगंगा तथा शारदा सहायक को क्षेत्रीय विकास योजना हेतु अनुदान	16,34,09	..	25,56,00	..	17,62,02	..
	2-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पिनेन्ट प्लान-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिये अनुदान	96,00	..	2,84,00	..	1,60,00	..
20-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1-इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहायता	..	3,50	..	2,25	..	2,25
	2-इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं अधिष्ठान व्यय हेतु सहायता	4,00	..	5,00
	3-इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को भवन निर्माण हेतु अनुदान	..	32,16	..	15,00
	4-भारतीय प्रशासनिक कर्मचारि-वर्ग महाविद्यालय हैदराबाद के सम्बन्ध में सदस्यता शुल्क सम्बन्धी अनुदान	..	5	..	5	..	5

22--2075--विभिन्न सामान्य सेवार्यो-	1--उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सहायक अनुदान	4,00	12,90	..	12,00	2,00	15,00
2408--खाद्य भंडारण एवं भाण्डागारण	1--जैत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र चन्द्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय को सहायक अनुदान	..	2,00	..	2,20	..	2,50
33--2204--खेल और युवाकल्याण	1--खेलकूद और युवा कल्याण के लिये अनुदान	1,11,76	76,98	2,50	80,51	4,55	92,10
24--2401--कृषि कार्य	1--गन्ना संरक्षण योजना हेतु अनुदान	4,08	..	9,20	..	11,10	..
	2--उ० प्र० में गन्ना विकास हेतु सहायक अनुदान	3,26,01	..	3,28,63	..	3,23,30	..
2048--खाद्य भण्डारण और भण्डागारण	1--उर्वरक कार्यक्रम के सघनीकरण की योजना के अन्तर्गत अनुदान	1,45	..	2,00	..	5,00	..
2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1--उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् को अनुदान	72 00	84,52	42,00	34,52	50,00	34,52
25--2401--कृषि कार्य	1--गन्ना विकास परिषदों को गन्ना विकास कार्य के लिये अनुदान	..	1,24,37	..	1,49,08	..	1,49,25
26--2056--जेल	1--जनोपयोगी योजनाओं द्वारा बंदियों के पुनर्वासन हेतु अनुदान	..	79	..	3,90	..	3,90
27--2055--पुलिस	1--राष्ट्रीय पुलिस एकादमी हैदराबाद में एक यूनिट कालेज के अनुरक्षण हेतु अनुदान	..	79	..	1	..	1
	2--जिला पुलिस (मुख्य) से सम्बन्धित अनुदान	14,70	..	18,00
	3--पुलिस बेनी विलेन्ट फण्ड के लिये अनुदान	..	8,82	..	8,10	..	8,60
2070--अन्य प्रशासनिक सेवार्यो	1--अग्नि-सुरक्षा तथा नियन्त्रण के लिये सहायक अनुदान	..	3,12	..	85	..	85

तबो 7-(कमडा)

(हजार रुपयो में)

अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक प्रांरुडे		अयि-अयक अनुमान		अयि-अयक अनुमान	
		1987-88		1988-89		1989-90	
		अयो जनगत	अयो जनेतर	अयो जनगत	अयो जनेतर	अयो जनगत	अयो जनेतर
28--2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1--दंगा पीड़ितों की सहायता हेतु अनुदान	1,91,05	30,00	..	30,00
	2--जनपद प्रतापगढ़ के अमर बलि-दानियों, देश भक्तों तथा स्व-तंत्रता संग्राम सेनानियों का व्याख्यात्मक इतिहास प्रकाशनार्थ अनुदान	10
2251--सचिवालय सामाजिक सेवामें	1--स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के स्मारकों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	24,34	..	25,30	..	35,30
	2--मृतक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों की सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,68	..	2,00	..	2,00
2252--अन्य सामाजिक सेवामें	1--लंका में जाफना क्षेत्र के पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये सहायता	1,50,00
32--2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1--चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान	38,17	71,24	28,00	71,17	28,00	61,17
	2--ग्रामीण क्षेत्र में राज सहायता प्राप्त औषधालयों और निजी चिकित्सालयों को अनुदान	83	..	41	..	41

	4--कुष्ठ रोगियों की सहायता हेतु अनुदान
	5--चिकित्सा संबंधी प्रयोजनों के लिये विभिन्न औषधालयों एवं सेन्ट्रल हास्पिटल फण्ड कमेटी की अनुदान	..	1,53,81	..	2,24,10	..	3,03,48
33--2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1--गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान	50	2,85	50	2,81	50	1,81
34--2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1--गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान	..	1,39	..	1,38	..	1,38
35--2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1--नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ ओप्येल-मोलाजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान	..	2,50	..	2,50	..	2,50
	2--अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसके मेडिकल कालेज से सम्बद्ध रोगी शय्याओं का अनुरक्षण	..	4,50	..	4,50	..	4,50
	3--बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदान	..	4,50	..	5,65	..	5,65
	4--संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु-विज्ञान संस्थान लखनऊ	33,00,00	..	33,00,00	..	20,00,00	..
	5--मेडिकल कालेज आगरा में इडियन एकेडेमिक आफ फारसिक मेडिसिन की वार्षिक कांग्रेस हेतु अनुदान	1,50
36--2211-परिवार कल्याण	1--नगर परिवार कल्याण ब्यूरो--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
	2--स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र--सहायक अनुदान	18,45	..	25,00	..	10,00	..
	3--अतिपूर्ति-लूप निवेशन हेतु सहायक अनुदान	1,79,81	..	1,32,00	..	50,00	..
	4--प्रसवोत्तर कार्यक्रम--सहायक अनुदान	16,38	..	20,00	..	20,00	..

अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक आंकड़े 1987-88		आय-व्यय अनुमान 1988-89		आय-व्यय अनुमान 1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
	5--बन्ध्याकरण शैर्याओं हेतु अनुदान	1,89	..	2,40	..	2,50	..
37-2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1--प्रसूति एवं शिशु कल्याण हेतु सहायक अनुदान	..	2,00	..	2,00	..	2,00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्य-क्रम	1--शंकरगढ में पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों की सहकारी समिति योजना के सम्बन्ध में सहायक अनुदान
	1--ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी अस्पताल के लिये अनुदान	60	..	60	..
		60	..	60	..
	2--अग्रगामी क्षेत्र विकास अभिकरण अजीतमल (इटावा) को अनुदान	15	..	11,00	..	7,00	..
	3--एकीकृत क्षेत्र विकास अभिकरण, गाजीपुर को अनुदान	15,56	..	18,50	..	14,00	..
	4--एकीकृत क्षेत्र विकास अभिकरण मेरठ को अनुदान	7,75	..	5,50	..	6,00	..
	5--बुन्देलखंड मंडल के विकास हेतु अनुदान	31,85
	6--आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले को अनुदान	9,00	..
43-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1--परिवहन विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के लिये सहायक अनुदान ।	..	53,03	..	62,50	..	62,50

2041—बाहनों पर कर	1—राज्य परिवहन नियोजन एवम् अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिये अनुदान	..	25,00
45-2202-सामान्य शिक्षा ..	1--इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एड-मिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा लखनऊ को अनुदान	50	..	40
46-2203-तकनीकी शिक्षा ..	1—सड़की विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान	..	70	5,45,39	50,00	5,91,29	60,00 6,34,77
	2—गैर-सरकारी तकनीकी कालेजों और संस्थाओं को सहायता	1,21,66	3,77,37	89,88	3,79,44	58,49 4,18,17
	3—इंजीनियरी तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं को सहायक अनुदान	..	5,44,82	4,67,64	5,09,00	5,17,52	4,60,00 5,02,82
47-2551--पहाड़ी क्षेत्र ..	जलपूर्ति और सफाई—						
	1—जल निगम को अनुदान	..	22,87,67	..	29,70,00	..	32,54,50 ..
	शिक्षा—						
	3—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	..	7,60,31	..	8,25,69	..	9,37,15 ..
	4—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	..	85,23	..	87,62	..	138,80 ..
	5—संस्कृत पाठशालाओं को लिपिक/परिचारक के पदों के लिये अनुदान	1	..	1 ..
	6—विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता	..	49,31	..	1,00,00	..	1,35,00 ..
	7—अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता-सहायक अनुदान	..	42	..	3,65	..	8,65 ..
	8—औद्योगिक और प्राविधिक संस्थाओं को सहायक-अनुदान	10,00
	9—छात्र-छात्राओं में शास्त्रीय संगीत में रुचि पैदा करने हेतु अनुदान	..	26	..	40	..	45 ..
	चिकित्सा—						
	10—एलोपैथी—सहायक अनुदान	..	2,00	..	2,00	..	2,00 ..
	11—आयुर्वेदिक—सहायक अनुदान	10	..	10 ..
	12—पर्यटन—						
	13—कृषि मुख्य	..	2,88,79	..	5,03,71	..	4,99,78 ..
	14—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग	..	68,17	..	53,50	..	53,50 ..
	15—गन्ना विकास	..	23,15	..	23,30	..	19,90 ..
	16—पशुधन	38

तत्वी-7 (कमका)

(हजार रुपयों में)

अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक आंकड़े		आय-व्ययक अनुमान		आय-व्ययक अनुमान			
		1987-88		1988-89		1989-90			
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर		
सामुदायिक विकास—									
18	पैयजल योजना	35,33	..	20,00	..	40,00	..
19	लघु सिंचाई योजना	8,54	..	14,00	..	14,00	..
20	पंचायती राज विभाग	30,68	..	22,00	..	31,43	..
21	एकीकृत ग्राम विकास योजना—सहायक अनुदान	6,46,36	..	5,30,00	..	6,00,00	..
22	सहकारिता के अन्तर्गत अनुदान	49,56	..	39,68	..	56,30	..
23	भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आवास भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	80,91	..	50,00
24	सूखे-मुख क्षेत्रीय योजना (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिर्वाहित)	3,92,96	..	4,50,00	..	4,69,50	..
25	अनुसूचित जातियों को विभिन्न कार्यों हेतु सहायता	26,49	..	24,64	..	34,25	..
26	अनुसूचित जन-जातियों को विभिन्न उद्योगों, गृह निर्माण आदि हेतु राज सहायता	1,06,23	..	1,49,16	..	1,56,46	..
27	दुग्धशाला विकास—								
	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	12	..	1,68,03	..
सैनिक कल्याण—									
30	नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को सहायक अनुदान	2,00,00	..	1,46,00	..	2,28,00	..
31	माइक्रोहाइड्रल योजना के संगठन हेतु अनुदान	29,00	..	47,00	..
32	राज्य विद्युत परिषद को अनुदान	2,00,10	..	1,50,00	..	3,00,00	..
33	क्षेत्रीय समितियों को विकास कार्यों के लिये अनुदान	82,12	89,00	..
50	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण								
	01—अध्यक्ष राज्य सरकारों को देवी आपदा के समय सहायता	3,61,67	3,95,00	3,97,50
	02—मकान की मरम्मत हेतु सहायता
51	2210—आवास								
	1—ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल दिये जाने के लिये सहायक अनुदान	1,35	..	21,00	..	25,00	10,00
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण								
	1—अनुदान यज्ञ समिति को सहायक अनुदान	50	..	50	..	50

2506--भूमि सुधार	1--उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठान जो (मोना प्रतिष्ठान से प्रस्तावित प्रति- रिक्त भूमि छावटियों को सहायता	..	1,37,24	..	90,89	..	96,20	..
52--2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	1--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के प्रयोजन विभिन्न संस्थाओं को अनुदान	..	2,15	..	4,49	9,49	4,49	..
2202--सामान्य शिक्षा	1--भाषा विकास हेतु अनुदान	..	1,26	53,07	..	48,76	..	55,46
83--2215--जलपूर्ति और सफाई	1--उत्तर प्रदेश जन प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण परिषद् को अनुदान	..	24,00 22,00	..	19,00	..	20,00	..
	2--भारत सरकार की जल उपकरण को धनराशि से उ 0प्र0 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक परिषद को अनुदान	..	22,00
3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	1--अन्य वैज्ञानिक विभागों को वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये सहायता	..	3,69,01	55,55	1,32,00	37,56	1,39,00	45,14
		2,44,00	..	2,25,00
3451--सचिवालय आर्थिक सेवायें	1--तानकन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को अनुदान
64--2202--सामान्य शिक्षा	1--विश्वविद्यालयों को विभिन्न कार्य-कारणों हेतु अनुदान	..	25,11	10,42,58	72,50	14,95,29	1,25,00	16,66,45
	2--सरकारी महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान	..	18,69	..	2,50	..	5,00	..
	3--गैर-सरकारी कलेजों और संस्थाओं को विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान	..	12,36	55,80,51	88,10	69,23,07	1,62,90	76,60,41
	4--अन्य कार्यों हेतु अनुदान	..	15,44	..	6,57	8,28	8,75	8,28
2204--खेल और युवा कल्याण	1--विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम हेतु अनुदान	..	3,86	..	50,00	..	50,00	..
65--2202--सामान्य शिक्षा	1--शिक्षण और अन्य सेवाओं हेतु अनुदान	12,50	..	12,44	..	26,16
	2--गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सहायता	..	16,37	..	19,12	..	21,03	..
	3--गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	..	3,21,77	2,72,40,65	2,44,40	2,88,61,29	5,43,67	3,45,04,30
	4--अन्य विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान	..	31,76	1,91,84	8,00	88,40	8,00	89,00
	5--संस्कृत शिक्षा के लिये अनुदान	..	1,72	8,03,30	10,11	8,44,83	5,59	9,31,73
2204--खेल और युवा कल्याण	1--विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उ 0 प्र 0 भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संस्था को अनुदान	..	3,87	..	4,70	..	4,70	..
2205--कला और संस्कृति	1--कला और संस्कृति के संवर्द्धन हेतु अनुदान	1,99	..	1,99
	2--सांस्कृतिक पुस्तकालयों को अनुदान	..	10,29	17,55	10,69	13,10	10,87	13,10
86--2202--सामान्य शिक्षा	1--वैयक्तिक स्कूलों के लिये उपकरण आदि क्रय हेतु अनुदान	..	79,87	..	84,22
	2--गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न कार्यों के लिये अनुदान	..	11,57,50	3,78,44,83	12,75,11	4,53,52,47	1,01,70,70	5,31,53,97

अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्षक	प्रयोजन	वास्तविक आंकड़े		आय-व्यय अनुमान		आय-व्यय अनुमान	
		1987-88		1988-89		1989-90	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
	3 - गैर-औपचारिक शिक्षा के लिये	15,43,05	..
	4 - शिक्षक और अन्य सेवकों के अन्तर्गत अनुदान	1,93,41	10,93,00	1,15,24	4,39,26
	5 - शिक्षकों के प्रशिक्षण के अन्तर्गत नैतिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिये अनुदान	27,71	44	43,00	56	43,00	62
	6 - पाठ्यपुस्तकों हेतु अनुदान	915	..	8,83
	7 - आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान	4,16	..	7,19	..	4,85	..
	8 - अन्य कार्यक्रमों हेतु अनुदान	16,40,81	3,59,16	21,77,66	4,11,46	10,08	4,58,84
67-2202-सामान्य शिक्षा	1 - प्राथमिक व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षरता निवेदन लक्षण को अनुदान	5,00	..	5,00	..	5,00	..
	2 - प्रौढ़ शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान	60	..	60	..	60	..
69-2230-श्रम और रोजगार	1 - बघुवां मजदूरों का पुनर्वासन	42,50
70-2230-श्रम और रोजगार	1 - कौशल सुधार और रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु अनुदान	2,99,99	..
82-2052-सचिवालय-सामान्य	1 - सचिवालय के कौड़ा कलबों, एसोसियेशन सेवारत एवं संघों आदि को अनुदान
84-2235-सहायता एवं पुनर्वासन	1 - भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को अनुदान सहायता एवं पुनर्वास विभाग से संबंधित व्यय	..	16	..	1,19	..	1,19
	2 - अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को अनुदान	1
85-2205-कला और संस्कृति	1 - सांस्कृतिक कार्य निदेशालय--	17,50	(-) 1,11	1,00	..	1,00	..
	2 - कला और संस्कृति का उत्थान-- विभिन्न अकादमियों, संस्थानों आदि को अनुदान	1,29,58	41,25	23,01	30,31	26,71	35,08
	3 - पुरातत्व-- सहायक अनुदान/ग्रंथदान/राज सहायता	..	7,97	..	64	..	8,64
	4 - सार्वजनिक पुस्तकालय रजा पुस्तकालय, रामपुर को सहायक अनुदान	..	1,14	..	48	..	48

86--2262--अन्य सामाजिक सेवार्थे	1--पूर्ण प्रयोजनों के लिये दान	..	41	..	50	..	50
	2--धार्मिक और पूर्व विन्यास अधिनियम का प्रकाशन		8,10	..	2,15	..	2,15
88--2220--1--मूल सूचना सेवार्थे		..	3,15	..	50	..	50
90--2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सहायक अनुदान/अंशदात/राज सहायता--						
	1--अनुसूचित जाति संघटक आयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	35,52,89	..	39,20,81
	2--हरिजन एवं निबल वर्ग आवास नियम को अनुदान	2,95,00	..	3,00,00	..	2	[..
	3--शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान	4,90,35	98,35	4,85,14	97,61	5,80,19	95,27
	4--आर्थिक उत्थान
91--2235--हरिजन एवं समाज कल्याण (समाज कल्याण)	1--सामाजिक कल्याण-- बिकलांगों का कल्याण--	..	1,53,21	16,65	1,59,89	16,66	1,65,06
	2--बाल कल्याण--	..	24	15	1,25	..	1,25
	3--महिला कल्याण	..	6,72,63	25,89	7,72,17	74,91	15,89,69
	4--बूढ़, दुर्बल और निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण	3,00	5,05,28	3,00	3,00	3,00	3,00
	5--स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	..	26,89	17,49	54,48	21,08	60,07
	6--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता	34,53	..	39,73	..
	7--अन्य संस्थाओं को अनुदान	12	..	12	..
92--2225--हरिजन एवं समाज कल्याण (जनजाति कल्याण)	1--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--	10,92	1,35	17,75	95	18,00	95
	2--जनजाति उप योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	73,00	..	35,93
	3--शिक्षा	..	25	53	75	1,31	46,90
	4--शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएँ (केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत पुरोनिर्मानित योजना)	6,74	..	31,01	..	32,97	10

विवरण	वार्षिक आंकड़े 1987-88				पुनरीक्षण
	मूलरूप	उठाऊ नहरें	नहरें	योग	मूलरूप
1	2	3	4	5	6
सम्पत्ति प्राप्ति	4,57,88	1,61,47	17,16,08	23,36,43	6,00,00
बटाइए:—					
कार्य संपादन व्यय—					
(1) विस्तार एवं सुधार	10,53	10,53	..
(2) परिचालन तथा अनुरक्षण	44,81,06	14,18,51	39,41,78	98,41,35	77,96,64
(3) उभरत
(4) व्यवस्थान ..	24,42,61	24,42,61	27,05,48
(5) सप्लाय एवं मशीनें	8,60
(6) अविष्कृत व्यय ..	31,00,29	4,32,00	47,45,50	82,77,79	56,17
योग, कार्य संपादन व्यय ..	1,00,23,96	18,50,51	86,97,81	2,05,72,28	1,31,24,80
शुद्ध प्राप्ति	(-) 95,66,08	(-) 16,89,04	(-) 69,81,73	(-) 1,82,36,85	(-) 1,25,24,80
बटाइए:—					
संचालन व्यय ..	44,81	14,18	39,42	98,41	77,96
व्याज ..	35,41,66	5,10,75	1,50,13,31	1,90,65,72	88,16,68
योग ..	35,86,47	5,24,93	1,50,52,73	1,91,64,13	38,94,48
शुद्ध परिणाम	(-) 1,31,52,55	(-) 22,13,97	(-) 2,20,34,46	(-) 3,74,00,98	(-) 1,64,19,30
पूजीगत परिश्रम ..	7,44,18,00	33,98,11	26,22,02,62	34,00,18,73	8,32,95,60

टिप्पणी—वार्षिक आंकड़े अद्यतनाधीन हैं ।

अनुमान 1988-89				वास्तविक अनुमान 1989-90		
उठाऊ नहरें	नहरें	योग	नसबूप	उठाऊ नहरें	नहरें	योग
7	8	9	10	11	12	13
69,00	54,29,00	60,98,00	7,00,00	69,90	72,28,10	79,98,00
..	7,90	7,90	7,90	7,90
14,99,33	51,19,05	1,44,15,02	53,28,57	16,16,93	53,28,09	1,21,73,59
..
..	..	27,05,40	30,05,40	30,05,40
..	29,50	35,10	5,60	..	29,50	35,107
4,32,00	31,97,26	62,46,46	34,02,36	5,01,60	47,39,11	87,03,0
19,31,33	83,53,71	2,34,09,88	1,17,41,93	20,78,53	1,01,04,60	2,39,25,06
(-) 18,62,33	(-) 29,24,71	(-) 1,73,11,88	(-) 1,10,41,93	(-) 20,08,63	(-) 28,76,50	(-) 1,59,27,06
14,19	51,19	1,43,35	53,29	15,17	53,28	1,21,74
5,32,66	1,45,22,85	1,88,72,03	71,10,52	5,36,66	2,17,54,85	2,84,02,03
5,46,85	1,45,74,04	1,90,15,38	71,63,81	5,51,83	2,08,08,13	2,85,23,77
(-) 24,09,18	(-) 1,74,98,75	(-) 3,63,27,26	(-) 1,82,05,74	(-) 25,60,46	(-) 2,36,84,63	(-) 4,44,50,83
34,24,11	30,08,01,22	38,75,20,94	9,13,81,61	35,24,11	32,52,00,22	42,01,05,94

नत्थी-9

31 मार्च, 1988 को प्रवृत्त तथा उस दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण
(हजार रुपये में)

क्रम- संख्या	विभाग	प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	31 मार्च, 1988 को अदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	31 मार्च, 1988 को प्रत्याभूति की धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6
		₹0	₹0	₹0	
1	आवास विभाग	2,01,68,46	1,23,90,56	82,97,72	1-3
2	उद्योग विभाग	8,12,22,20	2,83,28,13	8,03,21	4-5
3	उद्योग (नौरो उद्योग) विभाग	2,15,94,72	1,40,25,55	8,97,16	6
4	ऊर्जा विभाग	13,80,02,00	6,43,96,00	..	6
5	कृषि विभाग	2,79,63	2,47,36	48,03	7
6	खाद्य तथा रसद विभाग	49,00,00	13,01,58	20,76	8
7	ग्रामा विकास विभाग	35,65,00	30,66,23	1,05,91	8
8	ग्राम्य विकास विभाग	30,07	24,31	7,88	9
9	दुग्ध विकास विभाग	79,45,29	79,45,29	2,62,14	10
10	नगर विकास विभाग	49,11,26	34,55,01	4,68,13	10
11	पर्वतीय विकास विभाग	8,45	98	..	11
12	परिवहन विभाग	1,02,00,00	40,34,66	7,72,45	11
13	मत्स्य उत्पादन विभाग	85,07	83,33	38,86	12
14	वन विभाग	2,95,00	12
15	सहकारिता विभाग	10,59,04,67	5,16,15,45	1,51,17,32	13
16	सिंचाई विभाग	9,96,11	3,61,06	..	14
17	सूचना विभाग	1,09,50	28,80	11,63	14
18	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	2,99,54	1,88,03	22,88	15
राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का कुल योग		35,05,16,97	19,14,92,33	2,68,74,08	15

तथ्य 9 (क्रमशः)
प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण ।

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	संस्था / उपक्रम का नाम जिसकी ओर से प्रत्याभूति दी गई है	प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	31 मार्च, 1988 को अदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	31 मार्च, 1988 को प्रत्याभूति की धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि
1	2	3	4	5
आवास विभाग				
1	उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ	1,16,34,76	81,63,83	68,54,99
2	विकास प्राधिकरण, वाराणसी	2,19,50	82,99	..
3	विकास प्राधिकरण, झागरा	1,71,87
4	विकास प्राधिकरण, मंसूरी, देहरादून	1,40,63	..	24,10
5	विकास प्राधिकरण, मथुरा, वृन्दावन	1,31,00	1,31,00	..
6	विकास प्राधिकरण, राय बरेली	1,32,24	..	24,50
7	विकास प्राधिकरण, कानपुर	21,47,00	12,33,40	9,25,14
8	विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	12,88,62	84,94	2,34,94
9	विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद	7,03,88	5,70,94	77,49
10	विकास प्राधिकरण, गोरखपुर	9,75	6,35	..
11	विकास प्राधिकरण, अलीगढ़	24,73	..	9,25
12	विकास प्राधिकरण, लखनऊ	21,48,39	11,59,05	95,19
13	विकास प्राधिकरण, मेरठ	4,43,13	4,43,13	50,90
14	बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली	93,83	62,70	..
15	उ० प्र० सहकारी आवास संघ लिमिटेड, लखनऊ	7,45,00	3,79,75	..
16	विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद	1,34,13	72,48	1,22
योग		2,01,68,46	1,23,90,56	82,97,72
उद्योग विभाग				
1	उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	5,45,00	4,29,00	..
2	उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम, लिमिटेड, कानपुर	28,29,00	21,38,58	58,44
3	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	15,40,00	15,40,00	..
4	उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि०, कानपुर	31,24,00	28,82,25	55,66
5	उ० प्र० राज्य कताई मिल कंपनी नं० 1, कानपुर	32,80,00	22,78,90	1,04,90
6	इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कंपनी लि०, बरेली	25,00	20,00	..
7	उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, कानपुर	3,99,84	1,27,84	11,45
8	बुनकर सहकारी समितियां	5,94,21	3,06,63	20,76
9	उ० प्र० वित्तीय निगम लि०, कानपुर	1,55,39,15	1,55,39,15	..
10	आटो-ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़	13,96,00	13,67,00	5,52,00
11	उ० प्र० राज्य कताई मिल संघ नं० 2, कानपुर	19,50,00	16,98,78	..
योग		3,12,22,20	2,83,28,13	8,03,21

क्रमांक	संस्था / उपक्रम का नाम जिसकी ओर से प्रत्याभूति दी गई है	प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	31 मार्च, 1988 को अदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	31 मार्च, 1988 को प्रत्याभूति की धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि
1	2	3	4	5
उद्योग (चीनी उद्योग) विभाग				
1	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ	1,04,44,97	74,17,93	1,30,94
2	उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, लखनऊ	1,11,49,75	66,07,62	7,66,22
	योग	2,15,94,72	1,40,25,55	8,97,16
उर्जा विभाग				
1	उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ	13,80,02,00	6,43,96,00	..
	योग	13,80,02,00	6,43,96,00	..
कृषि विभाग				
1	उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम लि०, लखनऊ	1,22,47	91,85	28,96
2	यू० पी० हार्डिको, लखनऊ	57,16	55,51	19,07
3	यू० पी० स्टेट एग्रो इन्फ्रस्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	1,00,00	1,00,00	..
	योग	2,79,63	2,47,36	48,03
खाद्य तथा रसद विभाग				
1	उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ	49,00,00	13,01,58	20,76
	योग	49,00,00	13,01,58	20,76
गन्ना विकास विभाग				
1	उ० प्र० (पूर्व) गन्ना, बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड, देवरिया	2,98,00	89,93	16,87
2	उ० प्र० (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	2,50,00	68,75	2,48
3	उ० प्र० (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, बरेली।	2,97,00	2,26,74	50,00
4	उ० प्र० (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, मुजफ्फरनगर।	3,20,00	2,95,00	36,56
5	उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ	24,00,00	23,85,81	..
	योग	35,65,00	30,66,23	1,05,91
ग्राम्य विकास विभाग				
1	उ० प्र० पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लि०, बरेली	20,00	20,00	7,00
2	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लि०, इलाहाबाद	10,07	4,31	88
	योग	30,07	24,31	7,88

नत्थी 9 (क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	संस्था / उपक्रम का नाम जिसकी धोर से प्रत्याभूति दी गई है	प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	31 मार्च, 1988 को प्रदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	31 मार्च, 1988 को प्रत्याभूति की धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि
1	2	3	4	5
दुग्ध विकास विभाग				
1	उ० प्र० सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ	78,88,29	78,88,29	2,60,34
2	उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड, सेंट्रल डेरी फार्म, झलीगढ़	57,00	57,00	1,80
	योग	79,45,29	79,45,29	2,62,14
नगर विकास विभाग				
1	उ० प्र० जल निगम लि०, लखनऊ	41,32,65	30,91,04	4,68,13
2	स्थानीय निकायों/जल संस्थान	7,78,61	3,63,97	
	योग	49,11,26	34,55,01	4,68,13
पर्वतीय विकास विभाग				
1	सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, काशीपुर, नैनीताल	7,75	74	
2	सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	35	12	
3	सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, रामनगर, नैनीताल	35	12	
	योग	8,45	98	
परिवहन विभाग				
1	उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम लि०, लखनऊ	1,02,00,00	40,34,66	7,72,45
	योग	1,02,00,00	40,34,66	7,72,45
मत्स्य उत्पादन विभाग				
1	उ० प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ	85,07	83,33	38,86
	योग	85,07	83,33	38,86
वन विभाग				
1	उ० प्र० वन निगम लि०, लखनऊ	2,95,00		
	योग	2,95,00		
सहकारिता विभाग				
1	उ० प्र० सहकारी संघ लि०, लखनऊ	23,50,00	17,35,00	75,00
2	उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ	11,25,00	8,29,36	26,94
3	उ० प्र० सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ	3,96,82,55	61,33,97	
4	उ० प्र० सहकारी बैंक लि० (विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिब्रिज एन० सी० डी० सी०)	23,22,60	17,10,20	4,72,38
5	उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, लखनऊ	6,00,00,00	4,09,56,00	1,45,43,00
6	सहकारी शीत गृह तथा बर्फखाना	2,69,61	1,46,61	
7	सहकारी विद्यालय इकाइयां	1,54,91	1,04,31	
	योग	10,59,04,67	5,16,15,45	1,51,17,32

क्रमांक	संस्था / उपक्रम का नाम जिसकी ओर से प्रत्याभूति दी गई है	प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	31 मार्च, 1988 को अद्यत प्रत्याभूति की धनराशि	31 मार्च, 1988 को प्रत्याभूति की धनराशि पर देय व्याज की धनराशि
1	2	3	4	5
<u>सिन्हाई विभाग</u>				
1	उ० प्र० नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ	9,96,11	3,61,06	
	योग ..	9,96,11	3,61,06	
<u>सूचना विभाग</u>				
1	उ० प्र० चलचित्र निगम लिमिटेड, लखनऊ	1,09,50	28,80	11,63
	योग ..	1,09,50	28,80	11,63
<u>हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग</u>				
1	उ० प्र० हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ	2,99,54	1,88,03	22,88
	योग ..	2,99,55	1,88,03	22,88
	राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का कुल योग ..	35,05,16,97	19,14,92,33	2,68,74,08

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4699
Date 29/6/89

NIEPA DC



D04699